

CG-14

Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

समाहित

- छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001

अद्यतन संशोधनों एवं न्याय दृष्टांतों सहित

along with

Latest Amendments & Case Laws

Diglot Edition

द्विभाषी संस्करण

2018

₹ 280

BARE ACT
with Short Notes

इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी
प्रकाशन विभाग

Pindia
PUBLISHING CO.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872 का 2) The Indian Evidence Act, 1872 (2 of 1872)

दो भागों में

निश्चाकारक टिप्पणियों, स्पष्टात्मक, अर्थात् जिर्यज विधि
के संहारों एवं याज्ञ संशोधनों सहित

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013
(क्रमांक 13 मार्च 2013)

पुस्तक के बारे में

विधिक विवाद के निराकरण के लिए साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान रीढ़ की हड्डी के समान है।
साक्ष्य का मूल्यांकन साक्ष्य की गाहाना/अगाहाता सम्पूर्ण विवारण को प्रभावित करती है।

इस वृद्धि से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 एक महत्वपूर्ण विधान है।

- पुस्तक में अधिनियम के प्रावधानों को अद्यतन संशोधित रूप में अंग्रेजी-हिन्दी दोनों भाषा में दिया गया है।
- एक नवर में अवलोकनार्थ बेजर एट अंग्रेजी व हिन्दी में समाविष्ट।
- नवीनतम निर्णयज विधि समेत विस्तृत विधियां शीर्षांक।
- सभी महत्वपूर्ण जर्जरस से इन्टर्फों को सनावेश किया गया है।
- विस्तृत विवर-सूची, निर्णयज विधि छी नामनिर्देशिका व विवर-अनुक्रमणिका से सजित।

लेखक

एस. के. जैन

एसोसिएट

भारत सरकार के विधि संग्रह से अनेक शब्द पुस्तक

पुस्तक संस्करण : 2016 | ISBN : 978-93-80093-87-1 | मूल्य : 3400.00 (सेट दो भागों में)

इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी

कबहरी लौक, जीवन बीमा घार, रायपुर (छ.ग.) 492 001
फोन : 2583803, 2582532, फैक्स : 0771-2582532
मो. : 9302833256, ई-मेल : india_pub2001@yahoo.com

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 CHHATTISGARH MOTOR VEHICLES RULES, 1994

समाहित

छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001

अद्यतन संशोधनों एवं व्याय दृष्टांतों सहित

along with

LATEST AMENDMENTS & CASE LAWS

DIGLOT EDITION • द्विभाषी संस्करण

समीक्षक

चन्द्रनाथ झा

वरिष्ठ अधिवक्ता व

भारत सरकार द्वारा 'विधि पुस्तक' लेखन में पुरस्कृत

इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी

प्रकाशन विभाग

माता वैष्णों देवी के आशीर्वाद से

पुस्तक के विषय में

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रकाशक : झज्जीला खेत्रपाल
इण्डिया पब्लिशिंग कर्पनी

(प्रकाशन विभाग)

प्रथम तल, कचहरी चौक, जीवन बीमा मार्ग,
रायपुर - 492 001 (छ.ग.)

फोन : 0771-3260513, 2582513

फैक्स : 0771-2582532

e-mail : india_pub2001@yahoo.com

वितरक : इण्डिया पब्लिशिंग कर्पनी
कचहरी चौक, जीवन बीमा मार्ग, रायपुर-492001 (छ.ग.)
फोन : 2583603, 2582532 फैक्स : 0771 - 2582532

मुद्रक : महावीर आफसोस (रायपुर)

इस पुस्तक में किसी भी गत की बृद्धि या घटना ही, उसके सिलेप पूर्ण प्रयास किया गया है। इसके बाद भी कोई बृद्धि, अशुद्धि अथवा तिवर्गित हो, तो समृद्धि करे, ताकि आगामी संस्करण में उसकी नुनरात्मता न हो। एवं विशेष रूप से सुधिर किया जाता है कि इसके प्रकाशन, लेखन या विक्रेता, इससे हुए दिल्ली भी सम्मानित करने का नुकसान नहीं होगा। सम्मानित पाठकों से आग्रह है कि किसी भी प्रकाशक की शक्ति के निवारण हेतु इस पुस्तक के संपूर्ण तथ्यों की विविध एवं अन्तर्वर्तुणों का मूल शासकीय प्रकाशन अथवा अविवृद्धनाओं से बचान कर लें।

प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक का कोई भी अंश किसी भी रूप में दुबारा प्रकाशित न किया जाये, या उसकी नकल न किया जाये। इस प्रतिवर्ध का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ दौरित लिपिक कार्यवाही की जाएगी।

सप्लीमेंट

SUPPLEMENT

छत्तीसगढ़

मोटर यान नियम, 1994

CHHATTISGARH

MOTOR VEHICLE RULES, 1994

SUPPLEMENT
CHHATTISGARH MOTOR VEHICLES RULES, 1994
NOTIFICATION

Notification No. F 5-1/viii-Trans/2015 dated the 8th March 2016 - In exercise of the power conferred by Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published, as required by Sub-section (1) of Section 212, of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules —

1. For sub-clause (ii) and (iii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 170-C the following shall be substituted, namely :—

(ii) The width of each berth shall not be less than 760 m.m. and more than 900 m.m:
 Provided that where two berths are joined, the width of the berth shall not be less than 1100 m.m. and more than 1200 m.m:
 Provided further that measurement specified for structural partition mentioned in sub-rule (2) of rule 170-C shall not be applicable.

(iii) Notwithstanding anything contained in this rule, from the date of commencement of clause (C) the width of a berth in the existing vehicle shall not be changed till the life of such vehicle or till the reconstructions or renovations of the body of such vehicle, whichever is earlier.”
2. For clause (c) and (d) of sub-rule (1) of rule 170-D the following shall be substituted, namely :—

(c) The width of each berth shall not be less than 760 m.m. and more than 900 m.m.
 Provided that where two berths are joined, the width shall not be less than 1100 m.m. and more than 1200 m.m:
 Provided further that measurement specified for structural partition mentioned in sub-rule (2) of rule 170-C shall not be applicable.

(d) Notwithstanding anything contained in this rule, from the date of commencement of clause (C) the width of a berth in the existing vehicle shall not be changed till the life of such vehicle or till the reconstructions or renovations of the body of such vehicle, whichever is earlier.”

[Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 10-3-16, Page 168]

—: S-1 :—

सम्पादक

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1/आठ-परि./2015 दिनांक 8 मार्च 2016 - मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्ता अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में —

1. नियम 170-ग के उप-नियम (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) एवं (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् —

“(दो) प्रत्येक बर्थ की चौड़ाई 760 मि.मी. से कम तथा 900 मि.मी. से अधिक नहीं होगी:
 परन्तु यह कि जहाँ दो बर्थ संयुक्त रूप से हो तो बर्थ की चौड़ाई 1100 मि.मी. से कम तथा 1200 मि.मी. से अधिक नहीं होगी:
 परन्तु यह और कि नियम 170-ग के उप-नियम (2) में उल्लिखित संरचना विभाजक के लिए विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू नहीं होंगे,

(तीन) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खण्ड (ग) के प्रारंभ होने की तारीख से वर्तमान वाहन के बर्थ (शयन) की चौड़ाई, उस वाहन के अस्तित्व में रहने तक अथवा ऐसे वाहन के ढांचे के पुनर्संरचना या पुनः निर्माण तक, जो भी पहले हो, परिवर्तनीय नहीं होगी,”
2. नियम 170-घ के उप-नियम (एक) के खण्ड (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् —

“(ग) प्रत्येक बर्थ की चौड़ाई 760 मि.मी. से कम तथा 900 मि.मी. से अधिक नहीं होगी:
 परन्तु यह कि जहाँ दो बर्थ संयुक्त रूप से हो तो बर्थ की चौड़ाई 1100 मि.मी. से कम तथा 1200 मि.मी. से अधिक नहीं होगी:
 परन्तु यह और कि नियम 170-ग के उप-नियम (2) में उल्लिखित संरचना विभाजक के लिए विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू नहीं होंगे,

(घ) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खण्ड (ग) के अरंभ होने की तारीख से वर्तमान वाहन के बर्थ (शयन) की चौड़ाई, उस वाहन के अस्तित्व में रहने तक अथवा ऐसे वाहन के ढांचे के पुनर्संरचना या पुनः निर्माण तक, जो भी पहले हो, परिवर्तनीय नहीं होगी।”

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-3-2016, पृष्ठ 167-168 पर प्रकाशित]

—: S-1 :—

S-2 The Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994 Notification

Notification No. F 5-12/ VIII-Trans/ 2006 dated the 22nd December, 2015 - In exercise of the powers conferred by Section 28, 65, 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, —

- For rule 24, the following shall be substituted, namely :—
"24. Fees - the fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the Table below —

TABLE

Sl. No.	Purpose	Amount (Rs.)
1.	In respect of issue of Medical Certificate	50.00
2.	In respect of duplicate Learner's License	50.00
3.	In respect of issue of duplicate Driving License - (In form 7)	200.00
4.	In respect of issue of authorization to the driver of a transport vehicle.	200.00
5.	In respect of an appeal against the order of the Licensing Authority	100.00
6.	In respect of supplying a copy of the decision of the Licensing Authority - (One) Ordinary (Two) Urgent	100.00 150.00
7.	In respect of supply of copy of a document other than the decision of the Licensing Authority - (One) Ordinary (Two) Urgent	150.00 200.00

2. For rule 62, the following shall be substituted, namely :—

- For rule 62, the following shall be substituted, namely :—
"62. Fees - the fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the Table below —

TABLE

Sl. No.	Purpose	Amount (Rs.)
1.	Issue of temporary registration or extension thereof and assignment of temporary registration mark — (A) Invalid Carriage (B) Motor Cycle or Motor Cycle Rickshaw (C) Light Motor Vehicle	10.00 150.00

अधिसूचना ४०६ छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 S-2

अधिसूचना क्रमांक एफ 5-12/आठ-परि./2006 दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 - मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 28, 65, 96 तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है अर्थात् —

संशोधन

उक्त नियमों में, —

- नियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"24. शुल्क - इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला शुल्क, नीचे सारणी में विविरित अनुसार होगा —

सारणी

स. क्र.	प्रयोजन	रकम (रु.)
1.	चिकित्सा प्राणपत्र जारी किये जाने के संबंध में	50.00
2.	शिक्षार्थी अनुज्ञापि की दूसरी प्रति के संबंध में	50.00
3.	चालन अनुज्ञापि की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में (प्ररूप 7 में)	200.00
4.	परिवहन यान के चालक को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के संबंध में	200.00
5.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में	100.00
6.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय की प्रति, प्रदाय किये जाने के संबंध में — (एक) सामान्य (दो) अति-आवश्यक	100.00 150.00
7.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रति, प्रदाय किये जाने के संबंध में — (एक) सामान्य (दो) अति-आवश्यक	150.00 200.00

- नियम 62 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

- नियम 62 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाने वाला शुल्क, नीचे सारणी में विविरित अनुसार होगा —

सारणी

स. क्र.	प्रयोजन	रकम (रु.)
1.	अस्थायी पंजीकरण का जारी किया जाना या उसके विस्तार और अस्थायी पंजीकरण चिन्ह का समुद्देशन — (क) अशक्त यान (ख) मोटर सायकल या मोटर सायकल रिक्शा (ग) हल्का मोटरयान	10.00 150.00

S-3

The Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994 Notification

	(1) Private (2) Transport (D) Medium Motor Vehicle or any other vehicle not mentioned above	250.00 500.00 350.00
2.	Appeal	200.00
3.	Certified copy of the decision/document/order (One) Ordinary (Two) Urgent	150.00 200.00
4.	Issue of particulars of registration	150.00
5.	Issue of duplicate copy of certificate of fitness (One) Light Motor Vehicle 1. Non Transport Vehicles 2. Transport Vehicles (Two) Medium Goods vehicle, Medium passenger vehicle. (Three) Heavy Goods vehicle, Heavy passenger vehicle.	100.00 200.00 450.00 500.00

3. For rule 145, the following shall be substituted, namely :—

"145. Fees - the fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the Table below —

TABLE

Sl. No.	Purpose	Amount (Rs.)
1.	In respect of an application for grant or renewal of Stage Carriage/reserve Stage carriage permit	2500.00
2.	In respect of an application for grant or renewal of counter-signature of Stage carriage/reserve stage carriage permit	2500.00
3.	In respect of an application for grant or renewal of contract carriage permit	2500.00
4.	In respect of an application for grant or renewal of counter-signature of contract carriage permit	2500.00
5.	In respect of an application for grant/renewal of private service vehicle permit	2500.00
6.	In respect of an application for grant/renewal of Motor Cab permit	1500.00
7.	In respect of grant/renewal of countersignature of Motor Cab permit	1500.00
8.	In respect of an application for grant/renewal of Goods Carriage permit	2000.00
9.	In respect of an application for grant /renewal of a counter-signature of goods carriage Permit	2000.00

अधिसूचना

Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994

S-3

(1) निजी (2) परिवहन (घ) मध्यम मोटरयान अथवा कोई अन्य यान जो ऊपर वर्णित न हो	250.00 500.00 350.00
2. अपील	200.00
3. विनिश्चय/दस्तावेज/आदेश की प्रमाणित प्रति (एक) सामान्य (दो) अति-आवश्यक	150.00 200.00
4. रजिस्ट्रीकरण के ब्लॉर जारी करने के लिये	150.00
5. उपयुक्तता प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए (एक) हल्का मोटरयान 1. और परिवहन यान 2. परिवहन यान (दो) मध्यम माल यान, मध्यम यात्री यान (तीन) भारी माल यान, भारी यात्री यान	100.00 200.00 450.00 500.00

3. नियम 145 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"145. शुल्क - इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला शुल्क, नीचे सारणी में विवरिष्ट अनुसार होगा —

सारणी

स. क्र.	प्रयोजन	रकम (रु.)
1.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने या उसके नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
2.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
3.	ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने या उसके नवीकरण हेतु किसी आवेदन के संबंध में	2500.00
4.	ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
5.	प्रायोरेट सेवा यान के लिये अनुज्ञा पत्र के दिये जाने/ नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
6.	मोटर कैब के लिये अनुज्ञा पत्र के दिये जाने/ नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1500.00
7.	मोटर कैब के लिये अनुज्ञा पत्र के दिये जाने/ प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1500.00
8.	मालयान के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने/ नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
9.	मालयान के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने/प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00

S-4

The Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994 Notification

10.	In respect of an application for grant /renewal of a national permit for goods carriage	2000.00
11.	In respect of an application for grant /renewal of a tourist vehicle (Omni bus) permit	2500.00
12.	In respect of an application for grant /renewal of all India Tourist Taxi cab permit	2000.00
13.	In respect of an application for Temporary permits for a Transport Vehicle other than a Taxi Cab — (A) Under Section 87 (1) (a) for Passenger Vehicle (B) Under Section 87 (1) (b) for Passenger Vehicle (C) Under Section 87 (1) (c) for Passenger Vehicle (D) Under Section 87 (1) (d) for Passenger Vehicle	400.00 1000.00 1000.00 1000.00
14.	In respect of an application for grant of a Temporary permit for Motor Cab	250.00
15.	In respect of an application for a Special Permit under Section 88(8) — (A) For the period up to 07 days (B) For the period exceeding 07 days up to 15 days (C) For the period exceeding 15 days	650.00 1500.00 2000.00
16.	In respect of an application for extension or variation in area or routes on a permit or Countersignature of Stage Carriage/ Contract Carriage permit	2000.00
17.	In respect of an application for change of timing of Stage Carriage/reserve stage Carriage permit	2000.00
18.	In respect of an application for Countersignature of a Temporary Temporary Permit (A) For Motor Cab (B) For any other Transport Vehicle	650.00 1500.00
19.	In respect of an application for grant of temporary replacement of vehicle for the period not exceeding four month	1000.00
20.	In respect of an application for grant of replacement of vehicle in the Stage or Contract Carriage permit	1000.00
21.	In respect of an application for transfer of each permit other than a Motor Cab under Section 82	2000.00
22.	In respect of an application for transfer of each permit of a Motor Cab under Section 82	1000.00
23.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of the permit	500.00
24.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of a temporary permit	500.00

अधिसूचना छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-4

10.	मालयान के लिये नेशनल परमिट (राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र) दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
11.	पर्यटक यान (ओमनी बस) के लिए अनुज्ञा पत्र दिये जाने/ नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
12.	अखिल भारतीय पर्यटक टैक्सी कैब के लिए अनुज्ञा पत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
13.	मोटर कैब से भिन्न परिवहन यान के लिये अस्थायी अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन के संबंध में — (क) धारा 87 (1) (क) के अधीन यात्री वाहन के लिए (ख) धारा 87 (1) (ख) के अधीन यात्री वाहन के लिए (ग) धारा 87 (1) (ग) के अधीन यात्री वाहन के लिए (घ) धारा 87 (1) (घ) के अधीन यात्री वाहन के लिए	400.00 1000.00 1000.00 1000.00
14.	मोटर कैब के अस्थायी अनुज्ञा पत्र दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में	250.00
15.	धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन के संबंध में — (क) 07 दिवस तक की कालावधि के लिए (ख) 07 दिवस से अधिक तथा 15 दिवस तक की कालावधि के लिए (ग) 15 दिवस से अधिक की कालावधि के लिए	650.00 1500.00 2000.00
16.	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र में क्षेत्र या मार्गों के विस्तारण या उसमें फेरफार करने या उस अनुज्ञा पत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
17.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र के समय में परिवर्तन हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
18.	अस्थायी अनुज्ञा पत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में — (क) मोटर कैब के लिए (ख) किसी अन्य परिवहन यान के लिए	650.00 1500.00
19.	चार मास से अनधिक कालावधि के लिए किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
20.	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र में, किसी यान के प्रतिस्थापन की मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
21.	धारा 82 के अधीन मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञा पत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
22.	धारा 82 के अधीन मोटर कैब के प्रत्येक अनुज्ञा पत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
23.	अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
24.	अस्थायी अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	500.00

The Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994
Notification

S-5

25.	In respect of Appeal or Revision (1) Memorandum of appeal against the order of the following- (A) State Transport Authority (B) Regional Transport Authority (2) In respect of an application for revision against the order of the following- (A) State Transport Authority (B) Regional Transport Authority	650.00 650.00 650.00 650.00
26.	In respect of an application for stay if filed with the memorandum of appeal/application for revision	300.00
27.	In respect of supply of copies of documents of Appellate Authority, State Transport Authority and Regional Transport Authority — (A) For supply of copy of Judgment or order of the Appellate Authority, State Transport Authority, or Regional Transport Authority — (i) Ordinary	Rs. 40.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page. Rs. 90.00 for the first page and Rs. 40.00 for each subsequent page.
	(ii) Urgent	Rs. 40.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page.
	(B) Any other documents of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority, or Regional Transport Authority — (i) Ordinary	Rs. 40.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page.

अधिसूचना **छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994**

S-5

25.	अपील या पुनरीक्षण के संबंध में (1) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन हेतु (क) राज्य परिवहन प्राधिकारी (ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (2) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में— (क) राज्य परिवहन प्राधिकारी (ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	650.00 650.00 650.00 650.00
26.	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में यदि उस बाबत अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाईल किया जाता है	300.00
27.	अपील प्राधिकारी, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के दस्तावेजों की प्रतियों का प्रदाय किये जाने के संबंध में— (क) अपील प्राधिकारण, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिये— (एक) सामान्य (दो) अति-आवश्यक (ख) अपील अधिकारी, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख के किन्ही अन्य दस्तावेजों के लिये— (एक) सामान्य	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 40.00 पश्चात्वर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 20.00 प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 90.00 पश्चात्वर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 40.00 प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 40.00 पश्चात्वर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 20.00

S-6

The Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994
Notification

	(ii) Urgent	Rs. 90.00 for the first page and Rs. 40.00 for each subsequent page.
28.	In respect of any other miscellaneous application which addressed to the Appellate Tribunal, State Transport Authority, Regional Transport Authority or the Secretary of these Authorities.	50.00

Note :—

- Fee in respect of application as specified in column 25, 26, 27, and 28 may be paid by way of affixing judicial stamps of the same value as specified.
- No fee shall be payable in respect of an applications for grant/renewal of permit or for grant of temporary permit as specified in clause 08 and 13 of Rule 145 if the applicant is a bona fide agriculturist and has made an application for tractor or trolley owned by him.
- Only 50 percent of the proposed fee under rule 145 shall be payable by the applicants belonging to SC/ST/OBC categories and minority community who make an application for vehicles, purchased out of loans and under their ownership, obtained under such schemes and conditions as specified by the State Government, from time to time.
- Applicant of SC/ST/ category of Chhattisgarh shall have to pay only 50% of the specified fee under rule 145.

Explanation —

- The expression "bonafide agriculturist" shall have the same meaning assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No.20 of 1959).
- The applicants of SC/ST shall submit the application for grant of permanent or temporary permit and its renewal with certified copy of the caste certificate issued by the Competent Authority of State of Chhattisgarh."

[Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 23-12-2015, Pages 1146 (4) -1146 (8)]

S-6

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

(दो) अति-आवश्यक		प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 90.00 परचात्वाती प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 40.00
28.	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रावेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रक्रीण आवेदन के संबंध में	50.00

टीप :—

- कॉलम 25, 26, 27 एवं 28 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन के संबंध में शुल्क का संदाय, यथा विनिर्दिष्ट मूल्य के बराबर की न्यायिक स्टॉप्प चिपकाकर किया जा सकेगा।
- नियम 145 के खण्ड 8 और 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञा पत्र दिये जाने/ नवीनीकरण करने हेतु या अस्थायी अनुज्ञा पत्र दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी यदि आवेदक, वास्तविक कृषक हो एवं अपने स्वामित्व के ट्रैक्टर या अनुयान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो।
- नियम 145 के अंतर्गत प्रस्तावित शुल्क का 50 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे आवेदकों के द्वारा देय होगा जो ऐसी विभिन्न स्कीमों तथा शर्तों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, के अधीन ऋण लेने के पश्चात् क्रय किये गये तथा उसके स्वामित्व के वाहन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हों।
- छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संबंध के आवेदक, नियम 145 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का केवल 50 प्रतिशत, संदर्भ करेंगे।

स्पष्टीकरण —

- अभिव्यक्ति "वास्तविक कृषक" का वही अर्थ होगा जो कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में उनके लिये समनुदेशित है।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदक, स्थायी अथवा अस्थायी अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति एवं उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।"

[छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण दिनांक 23-12-2015 पृष्ठ 1145-1146 (3) पर प्रकाशित]

S-7 The Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994 Notification

Notification No. F-5-9/viii-Trans/2015 dated the 19th August, 2015. In exercise of the powers conferred by Section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988). The State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

Amendment

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 250, the following shall be substituted :—
“(1) Officer belonging to the sub-ordinate Motor Vehicle Department Service

may be given special reward for -

- (i) Good Service or definite acts of good conduct, bravery or intelligence, or
- (ii) For good detection of offence and prevention of evasion of taxes.

Rewards may take the form of either cash or commendation certificate or articles of value. The Authority competent to sanction reward of value up to Rupees one thousand shall be the Transport Commissioner and Additional Transport Commissioner. Rewards of higher value shall require the sanction of the State Government. A cash reward shall not be less than Rupees five hundred in the case of Transport Inspector and Rupees three hundred in the case of Transport Sub-Inspector and Assistant Transport Sub-Inspector. A cash reward shall not be less than Rupees Two hundred in case of the Head Constable and/or Constable.”

[Published in Chhattisgarh Rajpatra Part I dated 4-9-2015, Page 1153]

Notification No. F 5-7/viii- Trans/2013 dated the 27 July, 2015 - In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No.59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

After clause (29) of rule 76-A, the following shall be inserted, namely:—

- “(29-A) Close Circuit Television Camera (CCTV Camera) shall be installed in vehicles and it shall be ensured by the owner of the bus that the CCTV Camera thus installed is kept in working condition at all time.”

[Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 1-8-2015, Page 816]

अधिसूचना S-7 छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2015 दिनांक 19 अगस्त, 2015.- मोटरयान अधिनियम, (1988 का 59) की धारा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 250 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

“(1) अधीनस्थ मोटरयान विभाग की सेवा से संबंधित अधिकारियों को-

(एक) उत्तम सेवा या सदाचारण के निश्चित कार्य, बहाउरी या बुद्धिमता के लिये; या

(दो) अपराधों का ठीक तरह से पता लगाने तथा कर के अपवर्चन को निवारित करने के लिये;

विशेष पुरस्कार दिये जा सकेंगे ;

ये पुरस्कार या तो नकद या प्रशंसा पत्र या मूल्यवान वस्तुओं के रूप में हो सकते हैं। एक हजार रुपये मूल्य तक के पुरस्कार की स्वीकृति देने के लिये सक्षम प्राधिकारी, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त परिवहन आयुक्त होगा। उच्चतर मूल्य के पुरस्कार देने के लिये राज्य सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है। दिया जाने वाला नकद पुरस्कार, किसी परिवहन निरीक्षक के मामले में पांच सौ रुपये तथा परिवहन उप-निरीक्षक एवं सहायक परिवहन निरीक्षक के मामले में तीन सौ रुपये से कम नहीं होगा। दिया जाने वाला नकद पुरस्कार, किसी प्रधान आरक्षक तथा/अथवा आरक्षक के मामले में दो सौ रुपये से कम नहीं होगा।”

[छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 4-9-2015, पृष्ठ 1152 पर प्रकाशित।]

अधिसूचना क्रमांक एफ 5-7/आठ-परि./2013 दिनांक 27 जुलाई, 2015- मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है —

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 76-क के खण्ड (29) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(29-क) यह कि वाहन में क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा (सीसीटीवी कैमरा) संस्थापित किया जाएगा और बस के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह संस्थापित सीसीटीवी कैमरा, हमेशा चालू हालत में रहे।”

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 01-08-2015, पृष्ठ 815 पर प्रकाशित।]

The Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994
Notification

Errata

Notification No.F 5-2/viii-Trans/2014 dated 11 June 2015 - In English version of Notification No.f 5-2/viii-Trans/2014, dated 8th july, 2014 issued under the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994 as published in Chhattisgarh Gazette (Extra-Ordinary), —

1. At page 732 (2), in line 43, for "sub-rule (2)", read "sub-rule (1)"; and
2. At page 732 (4) in line 11, for "sub-rule (6)", read "sub-rule (4)".

[Published in C:Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 11-6-2015, Page 671]

Notification No. F 5-1/viii - Trans/2015 - dated 22-5-2015 - In exercise of the powers conferred by Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:-

AMENDMENT**In the said rules, —**

1. In clause (b) of rule 170-A, —
 - (i) After the words "means a", the word "Deluxe" shall be inserted; and
 - (ii) After figure and word "205 inches", the words "and no Vehicle other than Delux Coach shall be included in it" shall be inserted.
2. For clause (a) of sub-rule (2) of rule 170-C, the following shall be substituted, namely:—
 - (a) The arrangement of sleeper berth in the vehicle shall be provided along with the length of the vehicle on the basis of two tier system,—
 - (i) The length of each berth shall not be, less than 1750 m.m. and more than 1760 m.m.
 - (ii) Where berths are in a row then the width shall not be, less than 650 m.m. and more than 750 m.m.
 - (iii) Where berths are double/joined than the width shall not be, less than 1100 m.m. and more than 1200 m.m.:—

Provided that measurement specified for structural partition mentioned in sub-rule (2) of rule 170-C shall not be applicable.
 - (iv) The thickness of each berth shall not be less than 75 m.m.”
3. For sub-rule (i) of rule 170-D, the following shall be substituted, namely:—
 - (i) (a) The provisions of deluxe sleeper coach shall as far as possible be applicable to the semi-sleeper coach except

अधिसूचना**छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994****S-8****शुल्कपत्र**

अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/आठ-परि./2014, दिनांक 11 जून 2015- छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/आठ-परि./2014, दिनांक 8 जुलाई, 2014 के हिन्दी पाठ में, —

1. पृष्ठ क्र. 732 में—
 - (एक) पंक्ति क्र. 16 में, “उप-नियम (2)” को, “उप-नियम (1)”, पढ़ा जाये; और
 - (दो) पंक्ति क्र. 22, 25 एवं 27 में, क्रमशः “के मार्ग” को, “की सड़क” और “ऐसे मार्ग” को, “ऐसी सड़क” पढ़ा जाये।
 2. पृष्ठ क्रमांक 732 (1) में पंक्ति क्र. 29 में, “उप-नियम (6)” को, “उप-नियम (4)” पढ़ा जाये।
- [छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11-6-2015, पृष्ठ 671 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1/आठ-परि./2015, 22 मई 2015 — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

- उक्त नियमों में,—
1. नियम 170-क के खण्ड (ख) में,—
 - (एक) शब्द “अभिप्रेत ऐसे” के पश्चात्, शब्द “डीलक्स” अन्तःस्थापित किया जाये; और
 - (दो) अंक एवं शब्द “205 इंच से कम नहीं होगा” के पश्चात् शब्द “तथा डीलक्स यान से भिन्न कोई यान, इसमें शामिल नहीं होगा” अन्तःस्थापित किया जाये।
 2. नियम 170-ग के उप-नियम (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(क) यान में शयन बर्थ की व्यवस्था वाहन की लंबाई में केवल दो तलोंय शयन प्रणाली के आधार पर की जायेगी:—

 - (एक) प्रत्येक बर्थ की लम्बाई 1750 मि.मि. से कम तथा 1760 मि.मि. से अधिक नहीं होगी।
 - (दो) जहाँ बर्थ एक कतार में हो, तो चौड़ाई 650 मि.मि. से कम तथा 750 मि.मि. से अधिक नहीं होगी।

(तीन) जहाँ दो बर्थ संयुक्त रूप से हों, तो चौड़ाई 1100 मि.मि. से कम एवं 1200 मि.मि. से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह कि नियम 170-ग के उप-नियम (2) में उल्लिखित संरचना विभाजक के लिये विनिर्दिष्ट मापदण्ड, लागू नहीं होंगे।

(चार) प्रत्येक बर्थ की मोटाई न्यूनतम 75 मि.मि. से कम नहीं होगी।”
 3. नियम 170-घ के उप-नियम (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(एक) (क) अर्द्ध-शयनयान में शयन बर्थ, वाहन की लंबाई में उसके ऊपरी आधे भाग में

The Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994 Notification

- that the sleeper berth in semi-sleeper coach may be provided along with the length of the vehicle in the upper half side of the coach on both sides.
- (b) The length of each berth shall not be, less than 1750 m.m.; and more than 1760 m.m.
- (c) Where berths are in a row then the width shall not be, less than 650 m.m. and more than 75 m.m.
- (d) Where berths are double/joined then the width shall not be, less than 1100 m.m. and more than 1200 m.m.: Provided that measurement specified for structural partition mentioned in sub-rule (2) of rule 170-C shall not be applicable.
- (e) The thickness of each berth shall not be less than 75 m.m."
4. After rule 170-F, the following shall be added, namely :—
- "**170-G Miscellaneous.**—(1) It shall be the responsibility of Inspecting Officer to strictly comply with the provisions of rule 46 and he shall also be responsible for ensuring compliance of the prescribed measurements mentioned in rule 170-A to 170-G and other technical provisions of the Act and these rules in respect of each vehicle inspected by him.
- (2) This provision shall be applicable after six months from the date of enforcement of this provision on such Stage Carriage and Contract Vehicle (whose wheel base is not less than 205 inches) which has been registered before coming into force of this provision.
- (3) Public Service Vehicle found in violation of provision of rule 170-A to Rule 170-D may be detained by the concerned Registering Authority/ Authorised Officer and shall be kept in safe custody at a nearest police Station/ Police Line or Transport Check Post and the Authority so detaining the vehicle shall forward such case within twenty four hours to the Registering Authority for taking appropriate action for suspension of Registration Certificate under Section 53 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988)."

[Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 23-5-2015, Page 620-620 (I)]

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

- दोनों ओर होगी को छोड़कर, डोलकम शयन यान के प्रावधान, अर्द्ध- शयनयान पर, जहाँ तक संभव हो, लागू होंगे।
- (ख) प्रत्येक वर्थ की लम्बाई 1750 मि.मि. से कम तथा 1760 मि.मि. से अधिक नहीं होगी।
- (ग) जहाँ वर्थ एक कतार में हो, तो चौड़ाई 650 मि.मि. से कम तथा 750 मि.मि. से अधिक नहीं होगी।
- (घ) जहाँ दो वर्थ संयुक्त रूप से हों, तो चौड़ाई 1100 मि.मि. से कम तथा 1200 मि.मि. से अधिक नहीं होगी: परन्तु यह कि नियम 170-ग के उप-नियम (2) में उल्लिखित संरचना विभाजक के लिये विनिर्दिष्ट मापदण्ड, लागू नहीं होंगे।
- (ङ) प्रत्येक वर्थ की मोटाई न्यूनतम 75 मि.मि. से कम नहीं होगी।"
4. नियम 170-च के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
- " 170-छ. विविध. - (1) निरीक्षणकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह नियम 46 के प्रावधानों का कठोरता से पालन करे तथा वह, उसके द्वारा निरीक्षण किये गये प्रत्येक वाहन के संबंध में, नियम 170-क से नियम 170-छ में उल्लिखित विहित मापदण्डों और अधिनियम एवं इन नियमों के अन्य तकनीकी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु भी, उत्तरदायी होगा।
- (2) यह प्रावधान, ऐसे प्रक्रम वाहन और संविदा वाहन, (जिसका व्हील बेस 205 इंच से कम न हो), जो इस प्रावधान के प्रवृत्त होने के पूर्व पंजीकृत किये जा चुके हों, पर इस प्रावधान के प्रावधानील होने की तारीख से छःमाह के पश्चात् लागू होंगे।
- (3) जहाँ लोक सेवा यान, नियम 170-क से नियम 170-घ के उल्लंघन में पाया जाता है, तो उसे संबंधित पंजीकरण/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरूद्ध किया जा सकेगा और उसे किसी भी समीपस्थ पुलिस स्टेशन/ पुलिस लाईन अथवा परिवहन चेक पोस्ट पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा एवं वाहन को इस प्रकार निरूद्ध करने वाला प्राधिकारी, चौबीस घंटे के भीतर ऐसे प्रकरण को पंजीकरण प्राधिकारी को, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलम्बित करने के लिए समुचित कार्यवाही करने हेतु, अग्रेप्ति करेगा।"

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-5-2015, पृष्ठ 619-620 पर प्रकाशित]

NOTIFICATION

Notification No. F5-2/viii-Trans/2014, dated 8th July, 2014 — In exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published, as required by subsection (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

(1) After rule 70-A, the following shall be added, namely :-

- "70-B. For Regulating Timing of Stage Carriage Permit.** — (1) Necessity - Subject to the provision of Section 71, for consideration and determination of time cycle on any route regarding grant of application of new Stage Carriage permit or for the change of time cycle of existing permit, the Permit Granting Authority, at the time of consideration and determination of application shall pay special attention to the following points :-
- (a) Providing benefit and facility to traveling public;
 - (b) Time cycle interlude and time cycle clash on route to operators of other route;
 - (c) Consideration of speed of Stage Carriage services, need of service for short distance or long distance, namely up to 100 Kms, up to 200 Kms or more than 200 Kms;
 - (d) Consideration of necessity of timings between two terminals of the route on the applied timings and whether the applied timings falls in rush hours of traffic or slack hours, benefit to traveling public particularly to remote rural areas and backward areas, etc. and also the necessity of "Ordinary Service" or "Express Service" or "Deluxe Service" thereon;
 - (e) Necessity of appropriate timings for co-ordination of road and rail transport and connectivity between Tourists places, religious or industrial towns etc, on the route;
 - (f) Guidelines of superior court/authority in respect of timings; and
 - (g) Consideration of objections of existing bus operators and demand and suggestions from the public, NGOs, public representatives etc.
- (2) Fixation of frequency — (i) For the smooth operation of bus services on routes without litigation, quarrel and un-healthy competition, and for proper interlude of time cycle, it is necessary

अधिसूचना**छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994****S-10****अधिसूचना**

अधिसूचना क्रमांक एक 5-2/आठ-परि./2014, दिनांक 8 जुलाई, 2014 — मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एवं द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उत्तम अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उत्तम नियमों में—

(1) नियम 70-क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"70-ख. प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के समय-चक्र के विनियमन हेतु — (1)

आवश्यकता — धारा 71 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए किसी मार्ग पर नवीन प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के आवेदन पत्र की स्वीकृति संबंधी अथवा विद्यमान अनुज्ञापत्र के समयचक्र के परिवर्तन के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, आवेदन पत्र के अवधारणा एवं उस पर विचार करते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान देगा :-

(क) यात्रा कर रहे लोगों को लाभ एवं सुविधा उपलब्ध कराना;

(ख) अन्य मार्ग के संचालकों के समय-चक्र अंतराल और मार्ग पर समय-चक्र टकराव;

(ग) प्रक्रम वाहन सेवा की गति, कम दूरी अथवा लम्बी दूरी की सेवा की आवश्यकता अर्थात् 100 कि.मी. के लिए, 200 कि.मी. के लिए अथवा 200 कि.मी. से अधिक के लिए, पर विचार;

(घ) आवेदित समय-चक्र पर मार्ग के दोनों छोरों के बीच समय-चक्र की आवश्यकता एवं आवेदित समय-चक्र यातायात के भीड़भाड़ वाले समय अथवा कम भीड़भाड़ वाले समय में, विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों और सिंचडे क्षेत्रों के यात्रा कर लोगों को उससे लाभ पर तथा "साधारण सेवा" अथवा "एक्सप्रेस सेवा" अथवा "डीलक्स सेवा" की आवश्यकता पर विचार;

(ङ) मार्ग तथा रेल परिवहन को जोड़ने के लिए समुचित समय-चक्र एवं मार्ग पर पर्यटक स्थलों, धार्मिक अथवा औद्योगिक नगरों इत्यादि के बीच जोड़ने की आवश्यकता;

(च) समय-चक्र के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय/प्राधिकारी के मार्गदर्शी सिद्धान्त; और

(छ) विद्यमान बस संचालकों की आपत्तियों तथा जनता, स्वयं सेवी संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों इत्यादि द्वारा की गई मार्गों तथा दिये गये सुझाव पर विचार।

(2) आवृत्ति का निर्धारण — (एक) मुकदमेबाजी, विवाद एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बिना मार्गों पर बस सेवाओं के सामान्य संचालन के लिए तथा समय-चक्र के बीच समुचित अंतराल बनाये रखने के लिए, यह आवश्यक है कि उन पर अनुशासन बना

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

to maintain discipline there on. In order to achieve this objective, the Permit Granting Authority shall fix the frequency (frequency, means interval of timings between two services on a route) of each Regional or Inter-regional route. For determine the frequency between dawn to eleven o'clock in the right, such authority shall pay attention to the following -

- Guidelines as mentioned in sub-rule (2);
- Necessity of service during peak hours of traffic and lean hours of traffic on a particular route; and
- Any other relevant matters that the Authority desires to consider.

(ii) Subject to the provision of clause (1), the Permit Granting Authority shall categorize the road on the basis of density of traffic -

- High density traffic road** — means such road on which Stage Carriages are running in large number with close interlude of zero to ten minutes and passenger traffic load is very high.
- Medium density traffic road** — means such road which has medium traffic and on which Stage Carriages are running normally with a gap of 15 to 30 minutes.
- Low density traffic road** — means such road which are neither High density traffic road nor Medium density traffic road.

Note - "Road" for the purpose of this clause, means any highway from one point to another as considered necessary by the Permit Granting Authority on which several different routes overlap or otherwise.

(3) **Speed of Stage Carriages regarding time cycle** — Subject to the provision of Section 112 of the Act and for fixation of common timings the speed of Stage Carriage running on a permit in Chhattisgarh State shall be as under -

- Ordinary Stage Carriage - 35 kms per hour;
- Ordinary Express Stage Carriage - 40 kms per hour;
- Deluxe bus- 45 kms per hour;
- Deluxe Express bus - 50 kms per hour; and
- Night Service bus - 55 kms per hour.

(4) **Stoppages and halting time for stage carriages** — (i) On every stage carriage route, on which other route overlaps partly or fully or otherwise the Permit Granting Authority shall fix the common stoppages and the halting times of all permits granted or to be granted on such route. Such stoppages and halting times

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-11

रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में, अनुज्ञापन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, प्रत्येक सेवीय अथवा अन्तर-सेवीय मार्गों पर आवृत्ति (आवृत्ति से तात्पर्य मार्ग पर दो सेवाओं के बीच समय-चक्र का अन्तराल है) निर्धारित करेगा। सुबह से रात्रि में घारह बजे के बीच आवृत्ति अवधारित करने के लिए, ऐसा प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगा:-

- उप-नियम (2) में उल्लिखित अनुसार मार्गादर्शी सिद्धान्त;
- विशिष्ट मार्ग पर यातायात के व्यस्त घंटों एवं यातायात के न्यून घंटों के दौरान सेवा की आवश्यकता;
- कोई अन्य संबंधित विषय, जिन पर प्राधिकारी विचार करना चाहे।

(दो) खण्ड (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञापन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी मार्ग को यातायात के घनत्व (सघनता) के आधार पर विभक्त करेगा -

(क) उच्च घनत्व वाले यातायात के मार्ग — अर्थात् ऐसे मार्ग, जिन पर प्रक्रम वाहन, अधिक संख्या में, जो बहुत ही कम अन्तराल पर अर्थात् शूल्य से दस मिनट के अन्तराल पर संचालित है एवं उस पर यातायात का भार अधिक है।

(ख) मध्यम घनत्व वाले यातायात के मार्ग — अर्थात् ऐसे मार्ग, जिन पर मध्यम स्तर का यातायात हो और जिन पर प्रक्रम वाहन 15 से 30 मिनट के अन्तराल में सामान्य रूप से संचालित हो रहे हो।

(ग) न्यूनतम घनत्व वाले यातायात के मार्ग — अर्थात् ऐसे मार्ग, जो उच्च घनत्व वाले यातायात के मार्ग में न तो सम्मिलित हैं और न ही मध्यम घनत्व वाले यातायात के मार्ग में सम्मिलित है।

टीप- इस खण्ड के प्रयोजन हेतु "सङ्केत" से अभिप्रेत है एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक का राजमार्ग, जैसा कि अनुज्ञापन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी आवश्यक समझे, जिस पर अनेक विभिन्न मार्ग ऊपर से होकर अथवा अन्यथा निकलते हैं।

(3) समय-चक्र के संबंध में प्रक्रम वाहनों की गति — अधिनियम की धारा 112 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा सामान्य समय-चक्र निर्धारित करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुज्ञापन पर संचालित प्रक्रम वाहन की गति निम्नानुसार होगी -

- साधारण प्रक्रम वाहन - 35 कि.मी. प्रति घंटा;
- साधारण एक्सप्रेस प्रक्रम वाहन - 40 कि.मी. प्रति घंटा;
- (तीन) डीलक्स बस - 45 कि.मी. प्रति घंटा;
- (चार) डीलक्स एक्सप्रेस बस - 50 कि.मी. प्रति घंटा; तथा
- (पांच) रात्रिकालीन बस सेवा - 55 कि.मी. प्रति घंटा।

(4) प्रक्रम वाहनों के लिए विराम स्थल एवं रूकने का समय — (एक) अनुज्ञापन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, प्रत्येक प्रक्रम वाहन के मार्ग पर, अन्य मार्ग, जिन पर वाहन आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अथवा अन्यथा ऊपर से गुजरता है, ऐसे मार्ग पर स्वीकृत अथवा स्वीकृत होने वाले समस्त अनुज्ञापनों पर सामान्य विराम स्थल और उनके रूकने का समय निर्धारित करेगा। ऐसे विराम स्थल और रूकने का समय, पृथक

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

may be separately fixed for different types of services i.e. "Ordinary Service", "Express Service" or "Deluxe Service" etc.

- (ii) In every order of grant or renewal of Stage Carriage permit, the Permit Granting Authority, shall specifically indicate the type of service i.e. "Ordinary Service", "Express Service" or "Deluxe Service" etc. and en-route stoppages, of such route, which shall not be varied from the stoppages and halting times fixed under clause (i) above.
- (iii) Permit Granting Authority, while determining route timings shall allot the stoppages halting times of enroute stations as follows :-

Stage Carriers for en-route	Ordinary	Express/ Deluxe
(a) District Head Quarters	10 minutes	05 minutes
(b) Tehsil Head Quarters	05 minutes	03 minutes
(c) Other towns, the population of which is less than ten thousand	03 minutes	02 minutes
(d) Villages	01 minutes	Nil

Provided that Permit Granting Authority may vary timings, in particular cases, of industrial town, religious place, tourist place or otherwise falling on the route, giving reasons for such variation in the order, which shall apply to all services on such route.

- (iv) Notwithstanding anything contained in clause (iii), the stoppage timings of halting stations of a night service running more than 200 kms one side, shall be 5 minutes at enroute district head quarters and 15 minutes for meal-break at any Dhaba or hotel.
- (v) Notwithstanding anything contained in clause (i), (ii) and (iii) above, timings of, Inter-State route shall be governed by the provisions of particular Reciprocal Transport Agreement, with the State of Chhattisgarh. However stoppage and halting times may be fixed under sub-rule (6).
- (vi) The Permit Granting Authority shall comply with the provisions of sub-rule (6) within three months from the date of coming into force of these rules.
- (5) **Procedure for determination of time cycle** — (i) Subject to the provisions of Section 71, Permit Granting Authority on receipt of an application in respect of grant of Stage Carriage Permit or change of timings thereof shall publish the summary of such application on office notice board along with date of hearing, for

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-12

रूप से सेवाओं के विभिन्न प्रकारों के लिये निर्धारित किया जा सकेगा, जैसे "साधारण सेवा", "एक्सप्रेस सेवा" अथवा "डीलक्स सेवा" आदि।

(दो) प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र की स्वीकृत अथवा नवीकरण के प्रत्येक आदेश में, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, विशेष रूप से सेवा का प्रकार इंगित करेगा, जैसे "साधारण सेवा", "एक्सप्रेस सेवा" अथवा "डीलक्स सेवा" आदि और ऐसे मार्ग के बीच के विवाम स्थल उपरोक्त खण्ड (एक) में निर्धारित किये गये विवाम स्थल एवं रूकने वाले समय से भिन्न नहीं होंगे।

(तीन) अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, जब मार्ग का समय-चक्र अवधारित करे, तो निम्नानुसार विवाम स्थल में रूकने का समय मार्ग के बीच के स्थानों के लिए निर्धारित करेगा :-

मार्ग के बीच के स्थानों के लिए प्रक्रम वाहन	साधारण	एक्सप्रेस / डीलक्स
(क) जिला मुख्यालय	10 मिनट	05 मिनट
(ख) तहसील मुख्यालय	05 मिनट	03 मिनट
(ग) अन्य कस्बे, जिनकी जनसंख्या दस हजार से अधिक नहीं हैं।	03 मिनट	02 मिनट
(घ) ग्राम	01 मिनट	निरंक

परंतु यह कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, विशेष प्रकरणों में, मार्ग में पड़ने वाले औद्योगिक नगर, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल अथवा अन्यथा आदेश में ऐसे परिवर्तन का कारण दर्शाते हुए, परिवर्तन कर सकेगा, जो ऐसे मार्ग के समस्त सेवाओं पर लागू होंगे।

(चार) खण्ड (तीन) में अंतर्विट किसी बात के होते हुए भी, रात्रिकालीन सेवा, जो 200 कि.मी. से अधिक एक ओर संचालित हो रही है, उसके विवाम स्थल के रूकने का समय, मार्ग के बीच के जिला मुख्यालय के लिए 5 मिनट और भोजन के लिए किसी ढाबे अथवा हॉस्टल पर 15 मिनट होगा।

(पांच) उपरोक्त खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में अंतर्विट किसी बात के होते हुए भी अन्तर्राज्यीय मार्ग का समय-चक्र, छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष पारस्परिक यातायात समझौते के अनुबंधों के द्वारा संचालित होगा। तथापि विवाम स्थल और वहां रूकने का समय, उप-नियम (6) के अन्तर्गत निर्धारित किया जा सकेगा।

(छ) अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन माह के अंदर उप-नियम (6) के उपबंधों का पालन करेगा।

(5) समय-चक्र अवधारण करने हेतु प्रक्रिया — (एक) धारा 71 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, प्रक्रम वाहन के अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के संबंध में अथवा उसके समय-चक्र के परिवर्तन का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऐसे प्रकाशन से सात दिन के भीतर कोई अध्यावेदन आमंत्रित करने

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

inviting any representation within seven days from such publication.

(ii) On the appointed date of hearing, the application along with any representation shall be considered by such Authority, in the presence of both the parties.

(iii) Every Permit Granting Authority shall maintain a computerized route-wise chart of time cycle according to the provisions of this rule.

(iv) Appropriate order shall be passed considering the provisions of this rule, within time limit fixed by sub-rule (4) of rule 74.

(6) Powers of the State Government — (a) Notwithstanding anything contained in rule 70-A, and considering the frequent bus accidents, overloading of passengers, quarrel between route operators regarding shortage of interlude of time cycle or any other relevant matters such as need to provide better and comfortable services to passengers, safety of women passengers, congestion of Stage Carriage services of lower seating capacity etc. the State Government may by order fix the higher carrying capacity of buses plying on high density traffic road mentioned in sub-rule (4) of this rule, under a valid permit. Such registered carrying capacity may not be less than 40 seats in respect of "Ordinary Services" and not less than 35 seats in respect of "Deluxe Service". Time of six months may be allowed by the State Government for replacement of operating vehicles on such notified routes.

(b) The State Government may grant relaxation, partially or completely by order, in respect of particular route from one or any of the above conditions, giving reasons in writing."

[Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 8-7-2014, Pages 732(2)-(4)]

No. F 5-1/viii-Trans/2014, dated 24th June, 2014. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 65 of the **Motor Vehicle Act, 1988** (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the **Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994**, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

For sub-rule (3) of rule 70-A, the following shall be substituted, namely:-

"(3) The provision of sub-rule (1) and (2) of this rule shall apply to a Stage Carriage permit granted prior to 17th June, 2011, for a period of five years or where the validity of such permit has expired on or before

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-13

के लिए कार्यालयीन सूचना-पटल पर सुनवाई की तारीख सहित ऐसे आवेदन पत्र का सारांश प्रकाशित करेगा।

(दो) सुनवाई की निर्धारित तारीख पर, किसी अभ्यावेदन सहित आवेदन पत्र पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में विचार किया जाएगा।

(तीन) प्रत्येक अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, इस नियम के उपबंधों के अनुसार मार्गावर समय-चक्र सूची कम्प्यूटरीकरण सहित संधारित करेगा।

(चार) इस नियम के उपबंधों पर विचार करते हुए, नियम 74 के उप-नियम (4) द्वारा निर्धारित समय-सीमा में समूचित आदेश पारित किया जायेगा।

(6) राज्य शासन की शक्तियाँ — (क) नियम 70-क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और लगातार हो रहे बस दुर्घटनाओं, यात्रियों की अवृद्धि लोडिंग, समय-चक्र के अन्तराल के कम होने संबंधी, मार्ग संचालकों के बीच हो रहे झगड़ों अथवा अन्य कोई संवर्धित विषय, जैसे कि यात्रियों को अच्छी और सुविधाजनक सेवायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता, महिला यात्रियों की सुरक्षा, कम बैठक क्षमता वाली यात्री प्रक्रम सेवाओं आदि के कारण राज्य शासन, इस नियम के उप-नियम (4) में उल्लिखित उच्चतर बैठक क्षमता, आदेश द्वारा निर्धारित कर सकेगा। ऐसी पंजीकृत बैठक क्षमता "साधारण सेवा" के संबंध में 40 सीट से कम नहीं होगी और "डीलक्स सेवा" के संबंध में 35 सीट से कम नहीं होगी। राज्य शासन द्वारा छ. माह का समय, ऐसे अधिसूचित मार्गों पर संचालित हो रहे वाहन के प्रतिस्थापन के लिए, दिया जा सकेगा।

(ख) राज्य शासन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आदेश द्वारा, विशिष्ट मार्ग के संबंध में ऊपर दी गई कोई एक या किसी भी शर्त से, लिखित में कारण बताते हुए, कूट दें सकेगा।"

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8-7-2014, पृष्ठ 731-732(2) पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्रमांक एक 5-1/आठ-परि./2014, दिनांक 24 जून, 2014 — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में—

नियम 70-क के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) इस नियम के उप-नियम (1) एवं (2) के प्रावश्यन, ऐसे प्रक्रम वाहन अनुज्ञा पत्रों पर, जो दिनांक 17 जून, 2011 के पूर्व स्वीकृत किये गये हों, उनको पांच वर्ष की कालावधि के लिये अथवा जहां ऐसे अनुज्ञा पत्र की वैधता दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को अथवा उसके पूर्व

S-14

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification
 19th April, 2012 to such permits for a period of thirty six months,
 whichever is earlier."

[Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 24-6-2014, Pages 532]

Notification No. F5-7/viii-Trans/2013, dated 5th June, 2014. — In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules. -

(1) After rule-76, the following shall be added, namely :-

"76-A. Conditions of stage carriage permit -

1. Subject to the provision of sub-section (2) of Section 72, the following conditions shall be attached to every Stage Carriage Permit, namely :-
 - (1) That the Stage Carriage shall be used only on the route or the area as the case may be, as specified in the permit.
 - (2) That the service shall be regularly operated on the route specified in the permit in accordance with the approved time cycle except.
 - (a) When prevented by accident, unmotorability of the route, or any unavoidable cause;
 - (b) That the non-operation of service on Holi for 2 (two) days and Diwali for 1(one) day shall be allowed; and
 - (c) When otherwise authorized in writing by the State/Regional Transport Authority, as the case may be.
 - (3) That the operation of the vehicle due to extra-ordinary reasons and carrying of passengers shall not denied.
 - (4) That the operation of the Stage Carriage shall be valid for the period, number of trip and time-cycle as specified in the permit.
 - (5) That the Stage-wise time-cycle shall be enclosed along with this permit. The Stage Carriage shall be operated as per approved time-cycle in the Permit and the fare shall be charged in accordance with the approved fare-table issued by the Authority.
 - (6) That the copies of the Stage-wise time-cycle and fare-table of the Stage Carriage approved by the State Transport Authority/ Regional Transport Authority, as the case may be, shall be exhibited on the vehicles and as approved stands and halts on the route.

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-14

समाप्त हो गई हो, उन्हें छत्तीस माह की कालावधि के लिये, इनमें से जो भी पूर्व में हो, लागू होंगे।"

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24-6-2014, पृष्ठ 531 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्रमांक एक 5-7/आठ-परि./2013, दिनांक 5 जून, 2014. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एवं द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अधिकृत किए गए अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में —

(1) नियम 76 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"76-क. प्रक्रम यान अनुज्ञापत्र की शर्तें -

1. धारा 72 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक प्रक्रम यान अनुज्ञापत्र में निम्नलिखित शर्तें संलग्न की जायेगी, अर्थात् :-
 - (1) यह कि प्रक्रम यान का उपयोग, केवल अनुज्ञापत्र में यथा विनिर्दिष्ट मार्ग अथवा क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा।
 - (2) यह कि सेवा का नियमित प्रचालन, अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट मार्ग पर, अनुमोदित समय-चक्र के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर किया जायेगा -
 - (क) जब दुर्घटना के कारण मार्ग, वाहन चलाने योग्य न हो या किसी अपरिहार्य कारण से अवरुद्ध हो; और
 - (ख) होली में 2 (दो) दिन के लिये एवं दीवाली में 1 (एक) दिन के लिये सेवा का अप्रचालन मान्य होगा।
 - (ग) जब प्रादेशिक/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, लिखित में अन्यथा प्राधिकृत किया गया हो।
 - (3) यह कि असाधारण कारणों से वाहन का सम्यक प्रचालन करने एवं यात्रियों को ढोने से मना नहीं किया जायेगा।
 - (4) यह कि प्रक्रम यान का प्रचालन, ऐसी अवधि, फेंगों की संख्या एवं समय-चक्र के लिये विधिमान्य रहेगी, जैसा कि अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट हो।
 - (5) यह कि इस अनुज्ञापत्र के साथ प्रक्रमवार समय-चक्र संलग्न किया जायेगा। प्रक्रम यान का संचालन अनुज्ञापत्र में अनुमोदित समय-चक्र के अनुसार किया जायेगा और प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमोदित किराया-सूची के अनुसार किराया प्रभारित किया जायेगा।
 - (6) यह कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अनुमोदित प्रक्रम यान की प्रक्रमवार समय-चक्र एवं किराया-सूची की प्रतियां, वाहन पर तथा यथा अनुमोदित बस स्टैण्ड एवं मार्ग में रूकने के स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

- (7) That, within the municipal limits en-route and such other local body limits and places, passengers or goods shall not be taken up or set down except at specified points as prescribed by the Competent Authority.
- (8) That the maximum number of passengers shall be carried on the Stage Carriage, as mentioned registration certificate of the vehicles covered by this permit. Overloading of passenger shall be a breach of permit condition. The maximum weight of luggage may be carried as per provision of Rule 78 and 80 of the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994.
- (9) That, three seats shall be earmarked for person with disability passengers and the permit holder shall provide appropriate facilities for boarding or setting down of said passenger in such vehicle.
- (10) That, twenty five percentage of seating capacity of the vehicle shall be earmarked for women passengers and a board exhibiting "reserved for women" shall be displayed at the appropriate place.
- (11) That the driver and conductor shall behave in civil and orderly manner with passenger, specially with women, person with disability, children and senior citizen, and shall help them at the time of boarding or setting down.
- (12) That, in case an incident of indecent behaviour, molestation or eve-teasing etc. against any woman takes place in any bus which tantamounts to outraging her modesty, it shall be the duty of the crew of the vehicle i.e. driver and conductor as the case may be to inform the police immediately and take the vehicle to the nearest police station/police post/PCR van and hand over the culprit to the police.
- (13) That, no explosives commodities, restricted and unlawful goods shall be carried in the Stage Carriage.
- (14) That, an approved and sealed complaint book shall be carried in the vehicle. On demand it shall be given to the passenger. The written complaint shall be disposed off by the permit holder on the close of journey and remarks shall be noted in proof of disposal thereon. Within seven days on the closing of the month it shall be submitted to the Premit Granting Authority for necessary action.
- (15) That, specified standards of comforts as specified in Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994, and high standard of cleanliness shall be maintained in the vehicles and the vehicle shall be disinfected periodically from infectious or contagious disease.
- (16) That, the pre-printed ticket shall be issued to each passengers traveling in the Stage Carriage. Ticket shall be printed in duplicate in a book form having the details of the holder of permit, serial

अधिसूचना**छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994****S-15**

- (7) यह कि नगर निगम की सीमा के भीतर के मार्ग एवं ऐसे अन्य स्थानीय निकाय की सीमाओं और स्थलों, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुसार लुकने के स्थान विनिर्दिष्ट किये गये हैं को छोड़कर, यात्रियों एवं माल को चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा।
- (8) यह कि प्रक्रम यान पर अधिकतम उत्तर ही यात्री ढोये जाएंगे, जैसा कि इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित वाहन के पंजीयन प्रामाणपत्र में उल्लिखित है। निर्धारित सीमा से अधिक यात्री ढोना (ओवर लोडिंग), अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन होगा। छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 78 एवं 80 के प्रावधानों के अनुसार सामान (लगेज) का अधिकतम भार लो जाया जा सकेगा।
- (9) यह कि निःशक्त यात्रियों के लिए तीन सीट विन्हाँकित रहेगी तथा अनुज्ञापत्र धारक, ऐसे वाहन में उत्तर यात्री को बैठाने एवं उतारने के लिए युक्तियुक्त सुविधायें उपलब्ध करायेगा।
- (10) यह कि वाहन की बैठक क्षमता की पच्चीस प्रतिशत सीटें, महिला यात्रियों के लिए विन्हाँकित रहेगी और "महिलाओं के लिए आरक्षित" प्रदर्शित करने वाला एक बोर्ड (पट्ट), युक्तियुक्त (सहजदूश्य) स्थल पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (11) यह कि चालक एवं परिचालक, यात्रियों के साथ विशेष रूप से महिलाओं, निश्चक व्यक्ति, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरियों के साथ सभ्य और अनुशासित रूप से व्यवहार करेंगे और उन्हें बैठते एवं उतरते समय सहयोग करेंगे।
- (12) यह कि यदि किसी बस में बैठते समय किसी महिला के विरुद्ध अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ या दुर्योगहार आदि की घटना घटित होती है जिससे उसकी लज्जा भंग होती है तो उस वाहन के कर्मचारियों अर्थात् यथाव्यक्ति, चालक एवं परिचालक का कर्तव्य होगा कि तत्काल पुलिस को सूचित करे और वाहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी/पीसीआर वाहन तक ले जायें और ऐसे अपराधी को पुलिस को सौंपें।
- (13) यह कि प्रक्रम यान में कोई भी विस्फोटक पदार्थ, प्रतिबंधित एवं गैर-कानूनी सामग्री नहीं ढोयी जायेगी।
- (14) यह कि अनुमोदित एवं मुहर लगी हुई शिकायत पुस्तिका, वाहन में रखी जाएगी। मार्गे जाने पर इसे यात्रियों को दिया जाएगा। यात्रा की समाप्ति पर लिखित शिकायतों का निपाटा अनुज्ञापत्र धारक द्वारा किया जाएगा एवं उसके निपाटन के सबूत के रूप में टीप अंकित किया जाएगा। मार्ग की समाप्ति के सात दिवस के भीतर इसे अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (15) यह कि छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में यथा विनिर्दिष्ट सुविधाओं का विशिष्ट मानक एवं प्रक्रम यान में उच्च कोटि की स्वच्छता रखी जाएगी तथा वाहन को छूत एवं संक्रामक बीमारियों से सावधिक रूप से निष्प्रभावी रखा जाएगा।
- (16) यह कि प्रक्रम यान में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्रियों को पूर्व-मुद्रित टिकिट जारी की जाएगी। टिकिट, पुस्तिका में डुस्टीकेट प्रति के साथ मुद्रित होगी, जिसमें अनुज्ञापत्र धारक का विवरण, टिकिट का सरल क्रमांक एवं बुक नम्बर, यात्री के

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

number of ticket and book number, origin and destination point of journey of passenger, amount of fare charged, date of issue of ticket and signature of the conductor. First copy of ticket shall be issued to the passenger and carbon copy shall be retained in the ticket book. Invisible and corrupted writing on the ticket shall be regarded a breach of this condition. Such ticket report shall be preserved for two years from the last date of use of such tickets for disposal of complaints, if any.

- (17) That, on the request of the postal department, the permit holder shall necessarily enter into an agreement and mail shall be carried as per conditions in the vehicle on the route of the permit. The agreement shall be subject to such conditions including conditions as to the time in which mails are to be carried and the charges which may be levied, as may be specified therein.
- (18) That, specified bus station or shelter enroute as maintained by the Government or a local Authority shall be used and any specified rent or fee shall be paid for such use by the permit holder.
- (19) That whenever the Stage Carriage is requisitioned for Election of Parliament, Vidhan-Sabha or any other local body election, Government campaign or Government programmes, the permit holder shall necessarily comply such requisition order and shall present all the vehicles of its fleet at the place, date and time before the requisition officer, the requisitioned vehicle should be in good running condition and driver and conductor should be in prescribed dress.
- (20) That the holder of this permit shall furnish to the State/Regional Transport Authority, the following periodical returns, statistics and other informations -
 (a) A list of Stage Carriage in running condition with the details of make and model, seating capacity, name of manufacturer, type of vehicle i.e., "Ordinary" "Express" "Deluxe" "Sleeper" "Semi-sleeper" "Air-Conditioner" or "Non-Air-Conditioner" at the time of submitting the application for the renewal of this permit;
 (b) A list of Stage Carriage Permit, Contract Carriage Permit, Reserved Stage Carriage Permit, All India tourist permit, held in the name of permit holder along with the details of Permit number, validity of permit route of permit and daily trips thereof, at the time of submitting the application for the renewal of this permit.
 (c) The vehicle covered by this permit, quarterly statistics information of passengers carried in the vehicle covered by this permit alongwith the name of Conductors, who were on duty during the quarter under consideration and the license

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ शेरार वाय नियम, 1994

S-16

वाहन के प्रतिक्रिया स्थान एवं अधिक स्थान, अभासित किराये की संखि, टिकिट के जारी होने का दिनोंक लाग चिरालासक का हस्ताक्षर होगा। टिकिट की प्रथम प्रति, यादी के जारी की जाएगी और कार्बन प्रति टिकिट पुस्तिका में रखी जाएगी। टिकिट पर अस्पष्ट एवं कोट-लोट यादी लिखि होने पर इस शर्त का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा टिकिट प्रतिक्रिया, ऐसे टिकिट के अप्योग की अतिम लिखि से दो वर्ष के लिये, शिकायतों, यदि कोई हो, के विपरीते के लिए, सुरक्षित रखा जाएगा।

- (17) यह कि डाक विभाग के अनुरोध पर, अनुज्ञापत्र पारक अधिवार्थ रूप से अनुबंध निष्पादित करेगा और शर्तों के अनुसार अनुज्ञापत्र में वर्णित मार्ग पर वाहन में डाक ले जाएगा। ऐसा अनुबंध, ऐसी शर्तों के अध्यायन होगी, जिसमें डाक लाने वाले लोग ले जाये का समय सशर्त सम्मिलित होगा और ऐसा किराया लिया जाएगा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (18) यह कि विनिर्दिष्ट बस स्टेशन या आशय मार्ग, जो शासन अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा बनाये गये (संगीत) है, का उपयोग किया जाएगा और ऐसा विनिर्दिष्ट किराया अथवा फीस, ऐसे उपयोग के लिए अनुज्ञापत्र पारक द्वारा देय होगा।
- (19) यह कि जब कभी भी प्रक्रम यान को लोकसभा, विधानसभा के चुनाव अधिकारी निकाय के चुनावों, शासकीय अधियान या शासकीय कार्यक्रमों के लिए अधिग्रहित की जाएगी तो अनुज्ञापत्र पारक, ऐसे अधिग्रहण आदेश का आवश्यक रूप से अनुपालन करेगा और अपने स्वामिन (वे) की सभी वाहनों को, निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अधिग्रहण करने वाले अधिकारी के समान प्रस्तुत करेगा, अधिग्रहित वाहन अच्छी बालू चिप्ति में होनी चाहिए और वालक एवं परिचालक विहित वर्ती में होने चाहिए।
- (20) यह कि इस अनुज्ञापत्र का पारक, राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को निम्नलिखित सावधिक पत्रक, सांख्यिकी और अन्य सूचनायें प्रस्तुत करेगा:-
 (क) इस अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करते समय, चालू हालत वाले प्रक्रम यानों की एक मूली उनके में पांच मौडल, बैठक क्षमता, निर्माता का नाम, वाहन प्रकार, जैसे - "साधारण" "एक्सप्रेस" "डीलर्स" "शयनयान" "अर्धशयनयान" "वातानुकूलित" अथवा "ग्रे वातानुकूलित" संबंधी विवरण सहित;
 (ख) इस अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदनपत्र को प्रस्तुत करते समय, प्रक्रम यान अनुज्ञापत्रों, संविदा वाहन अनुज्ञापत्रों, आरक्षित प्रक्रम यान अनुज्ञापत्रों, अधिक भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों, जो अनुज्ञापत्र पारक के नाम पर हैं, की एक मूली जिसमें अनुज्ञापत्र क्रमांक, अनुज्ञापत्र की वैधता, अनुज्ञापत्र का मार्ग और उसके प्रतिनिधि केरों की संख्या का विवरण होगा;
 (ग) इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित वाहन, इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित यान में ले जाने वाले यात्रियों तिमाही सांख्यिकी जानकारी, जिसमें परिचालक का नाम जो उस तिमाही के दैरान कर्तव्य पर था, साथ ही उसका नम्बर एवं वैधता

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

- number and validity thereof, shall be presented before Permit Granting Officer within 15 days of expiry of quarter.
- (21) That the permit holder, shall not use the stage carriage in a public place for the purpose of carrying or intending to carry passengers unless it carries a driver who holds valid driving License along with effective Authorization issued under Chapter-II of the Act and a conductor who holds an effective Conductor's License issued Chapter-III of the Act.
 - (22) That permit holder shall compulsorily issue an identity card in booklet to each driver and conductor of this fleet, containing the following information :-
 - (a) Name of the permit holder with address, phone, mobile number;
 - (b) Name of the driver, father's name, address and date of birth;
 - (c) An attested passport size photo of the driver/conductor shall be affixed;
 - (d) Driver's license, validity, class of vehicle, badge number and authorization to drive a public service vehicle;
 - (e) In the case of duties of driver's, extract of rules-17, and in the case of duties of conductor extract of rule-32, of chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994.
 - (f) Government instructions regarding persons with disability women, childrens, senior citizens and other passengers.
 - (23) that during the period of journey, the driver of the Stage Carriage covered by this permit shall adhere to all duties and conditions mentioned in rule 17 and 32 of the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994.
 - (24) That permit holder shall, make provision on such vehicle for the conveyance of a reasonable quantity of passenger's luggage with efficient means for securing and protecting it against rain.
 - (25) Subject to the provisions of rule 180, a Stage Carriage shall carry a dust proof first-add box, which shall be available every time during the operation of the Bus and under provision of rules 176 the fire extinguishers shall be equipped be maintained in working condition at all times.
 - (26) The vehicle of the permit shall not operate on the speed more than the speed fixed under sub-section (1) of Section 112.
 - (27) At the time of replacement of vehicle, seating capacity of the vehicle to be replaced shall not be less than the seating capacity of previous vehicle. This condition shall not applicable where ordinary vehicle is replaced by a deluxe vehicle or where a deluxe vehicle is replaced by a sleeper coach for the first time.

अधिसूचना**छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994****S-17**

सम्मिलित होगा, तिमाही समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

- (21) यह कि अनुज्ञापत्र धारक, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, यात्रियों को ढोने के उद्देश्य से या ढोने के आशय से, प्रक्रम यान का उपयोग तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसका चालक, वैध चालक अनुज्ञापत्र के साथ-साथ अधिनियम के अध्याय-दो के अधीन जारी वैध प्राधिकारपत्र धारण नहीं करता हो और परिचालक, अधिनियम के अध्याय-तीन के अधीन जारी वैध परिचालक अनुज्ञापत्र धारण नहीं करता हों,
- (22) यह कि अनुज्ञापत्र धारक अपने बेडे के प्रत्येक चालक एवं परिचालक को बुकलेट में पहचान पत्र अनिवार्य रूप से जारी करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी अंतर्विद्युतीय रूप से दिया जाएगा :-
 - (क) अनुज्ञापत्र धारक का नाम, पता, फोन, मोबाइल नम्बर सहित;
 - (ख) चालक का नाम, पिता का नाम, पता और जन्म तिथि;
 - (ग) चालक/परिचालक का एक प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा होगा;
 - (घ) चालक अनुज्ञापत्र क्रमांक, वैधता, वाहन का वर्ग, बिल्ला नम्बर, और लोक सेवा यान चलाने का प्राधिकारपत्र;
 - (ड) चालक के कर्तव्य के मामले में छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 17 का उद्धरण एवं परिचालक के कर्तव्य के मामले में नियम 32 का उद्धरण;
 - (च) निःशक्त व्यक्ति, महिला, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य यात्रियों के संबंध में शासन के निर्देशों की जानकारी।
- (23) यह कि इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित प्रक्रम यान का चालक, यात्रा की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 17 एवं 32 में उल्लिखित समस्त कर्तव्यों एवं शर्तों का अनुसरण करेगा।
- (24) यह कि अनुज्ञापत्र धारक, वाहन पर यात्री के सामान (लगेज) को कुशलतापूर्वक अर्थात् सुरक्षित ले जाने के लिए और उसे वर्षा से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगा।
- (25) यह कि नियम 180 के प्रावधानों के अध्यीन रहते हुए, प्रक्रम यान में धूलमुक्त फर्स्ट-एड बॉक्स रखेगा जो वाहन के प्रचालन के दौरान हमेशा उपलब्ध रहेगा और नियम 176 के प्रावधानों के अधीन अग्निशमन यंत्र वाहन में लगाये जाएंगे, जिसे सहै चालू हालत में रखा जाएगा।
- (26) यह कि धारा 112 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञापत्र वाहन को नियत गति से अधिक गति पर प्रचालित नहीं किया जायेगा।
- (27) यह कि वाहन को परिवर्तित करते समय, परिवर्तित वाहन की बैठक क्षमता, पुरानी वाहन की बैठक क्षमता से कम नहीं होगी। यह शर्त वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ साधारण यान को डीलक्स यान में परिवर्तित किया जा रहा है अथवा डीलक्स यान को शयनयान (स्टीपर कोच) में प्रथम बार परिवर्तित किया जा रहा है।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

- (28) That Stage Carriage covered by this permit shall display a destination board i.e. from origin point to termination point on the front and rear of the vehicle which shall be visible from atleast 25 meters (twenty five) to the passengers on ground.
- (29) Global Positioning System (GPS) shall be installed in vehicles and it shall be ensured by the owner of the bus that the GPS thus installed is kept in working condition at all time.
- (30) The bus shall not be fitted with curtains or glasses having films, Further, in case of the tinted glasses of windscreen, rear window and side windows provided by the manufacturer shall be followed such conditions as prescribed under rule 100 (2) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and judgement of the Hon'ble Supreme Court in WPC No. 265/2011 dated 27 April, 2012.
- (31) That the following information shall be painted to every vehicle to which the permit relates on the exterior of the body of that vehicle on both sides thereof in a colour or colours vividly contrasting to the colour of the vehicle conferred as high as practicable below the window line in the dimensions not less than the size of letters and numeral prescribed for registration plate -
 1. Name of the owner and address.
 2. Phone number of owner.
 3. Permit number and type.
 4. Validity of permit.
 5. Police help-line number.
- (32) Details of the driver (i.e. name, address, licence number, badge number) and telephone no. of the owner of the bus, telephone number of R.T.O. granting permit and registration no. of the vehicle shall be displayed at a conspicuous place inside the bus in contrast colour, so as to be clearly visible to all passengers in the bus.
- (33) All of duty buses shall be parked with the owners and not with the driver or other staff members.
- (34) Permit holder shall ensure that driver shall not allowed to perform duty more than eight hours in a day and second driver is engaged where buses ply more than eight hours.
- (35) As per the provision of rule 169 of Chattisgarh Motor Vehicle Niyam, 1994 the compartment of passengers including entry and exit door shall be properly lighted or proper cover shall be placed so that it shall not disturb the driver. In night services blue light night lamp shall be provided.

अधिसूचना**छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994****S-18**

- (28) यह कि इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित प्रक्रम यान में, उसके अग्र भाग में और पीछे की ओर, प्रारम्भिक स्थान से समाप्त होने वाले स्थान को दर्शाने वाला अर्थात् एक गन्तव्य बोर्ड प्रदर्शित करेगा, जो यात्रियों को जमीन से कम से कम 25 मीटर (पच्चीस मीटर) की दूरी से दृष्टिगोचर होगा।
- (29) यह कि वाहन में वैशिक प्रस्थिति प्रणाली (लोबल पोजीशनिंग सिस्टम), संस्थापित किया जाएगा और बस के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह संस्थापित जी पी एस हेसेशा चालू हालत में रहे।
- (30) यह कि बस में पर्दे या फिल्म युक्त कांच नहीं लगाये जाएंगे। इसके 'अतिरिक्त विर्माणा' द्वारा उपलब्ध कराये गये हवापट्ट (विंडस्क्रीन), पीछे की खिड़की (रेसर विंडोव) एवं पार्श्व खिड़की (साईड विंडोव) में कांच लगाने की दशा में ऐसी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 (2) तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, डब्ल्यू. पी.सी. क्र-265/2011, दिनांक 27 अप्रैल 2012 के नियम के अधीन विहित है।
- (31) यह कि इस अनुज्ञापत्र से संबंधित प्रत्येक वाहन में निम्नलिखित सूचनायें दर्शित की जायेगी, जो उस वाहन के बाहरी और उसके दोनों ओर वाहन के रंग से व्यतिरेक रंग या रंगों में स्पष्ट दर्शित रूप में होगा, जो यथा संभव खिड़कियों के नीचे एक पंक्ति में ऐसे आकार (परिमाण) में होगा, जो पंजीयन प्लेट के लिए विहित अक्षरों एवं अंकों के आकार से कम नहीं होगा -
 1. वाहन स्वामी का नाम एवं पता।
 2. वाहन स्वामी का फोन नम्बर।
 3. अनुज्ञापत्र का क्रमांक एवं उसका प्रकार।
 4. अनुज्ञापत्र की वैधता।
 5. पुलिस हेल्पलाइन नम्बर।
- (32) यह कि बस के अंदर सहजदूश्य स्थान पर व्यतिरेक रंग में, चालक का विवरण (अर्थात् नाम, पता, अनुज्ञापत्र क्रमांक, बैज नम्बर) एवं बस स्वामी का टेलीफोन नम्बर, अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले आर.टी.ओ. (सेवीय परिवहन अधिकारी) का फोन नम्बर एवं वाहन का पंजीयन क्रमांक प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि बस के भीतर सभी यात्रियों को सुस्पष्ट रूप से दर्शित हो।
- (33) यह कि कार्य पर प्रचालित सभी बस, स्वामी के यहाँ रखी जाएगी और इन्हें चालक अथवा अन्य स्टॉफ के सहाय्य के बहाँ नहीं रखी जाएगी।
- (34) यह कि अनुज्ञापत्र धारक सुनिश्चित करेगा कि किसी भी चालक को एक दिन में आठ घंटे से अधिक कार्य पर रहने हेतु अनुज्ञात न किया जाए और जहां बस, आठ घंटे से अधिक प्रचालित होती है तो दोस्रा चालक नियुक्त करें।
- (35) यह कि छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 169 के प्रावधान के अनुसार, यात्रियों के प्रवेश या निर्माम द्वारा सहित कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) समुचित रूप से प्रकाशित किये जायेंगे तथा उस पर ऐसे आवरण रखे जायेंगे, ताकि उससे चालक को कोई बाधा न हो। रात्रिकालीन सेवा में चलाये जाने वाले वाहनों में, बीली रंग की रात्रि बल्बों (ब्लू लाईट नाईट लैम्प) की व्यवस्था की जाएगी।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

- (36) That the conditions of the permit shall not be departed from, save with the approval of the Permit Granting/Countersigning Authority.
 - (37) That the State/Regional Transport Authority may, during the validity of permit, after giving notice of not less than one month.
 - (i) Vary the conditions of the permit.
 - (ii) Attach to the permit further conditions.
 - (38) That the provision mentioned the proviso specified in clause (xxii) of sub-section (2) of Section 72 of the Act, shall be applicable for the condition of this permit.
 - (39) Permit Granting Authority may impose any condition at any time in addition to the conditions mentioned in Section 84 of the Act and sub rule (1) of rule 77 of this rule.
 - (40) A consolidated list of permit conditions shall be attached with the permit which was imposed during the acceptance, renewal and countersigning thereof."
- (2) For rule 77, the following shall be substituted, namely :-
- "77. Additional condition in respect of certain permits.- In addition to the conditions prescribed in sub-section (2) of Section 72, sub-section (2) of Section 74, and sub-section (2) of Section 79, the following shall be Additional condition, namely :-
- (1) It shall be a condition of every permit that taxes shall be paid in respect of a vehicle in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Motor Vehicle Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) and the rules made thereunder. Permit shall be suspended, in case of non-payment of tax to the Transport Authority, the order of such suspension shall be in force as long as the tax remains unpaid and shall become inoperative immediately on payment of the Tax due on the vehicle.
 - (2) It shall be condition of every stage carriage permit or contract carriage permit that the said permit shall not be kept in non-use for more than two months at the time and during the validity of said permit. The total duration of such non-use shall not be more than eight months. Due to technical break down or accident of vehicle, if the permit is kept in non-use for more than two months or for other reasons, if the vehicle of the permit is not operated for more than two months that the permit holder shall have to replace the vehicle of same specifications or the permit shall be surrendered for cancellation before the Permit Granting Authority.
 - (3) Subject to the provisions of sub-rule (2), where a holder of a Stage Carriage permit kept such permit alongwith or without the vehicle of that permit in non-use for more than fifteen days,

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-19

- (36) यह कि अनुजापत्र की शर्तों में, अनुजापत्र प्रदान करने वाले/प्रतिहस्ताकार करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन के सिवाय, विचलित नहीं किया जायेगा।
 - (37) यह कि राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, अनुजापत्र की वैधता अवधि के दौरान, कम से कम एक माह की सूचना देने के पश्चात् -
 (क) अनुजापत्र की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा।
 (ख) अनुजापत्र के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा।
 - (38) यह कि अधिनियम की धारा 72 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxii) में विनिर्दिष्ट परन्तुक में उल्लिखित प्रावधान, इस अनुजापत्र की शर्तों के लिये लागू होंगी।
 - (39) यह कि अनुजापत्र प्रदान करने वाला प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 84 तथा इस नियम के नियम 77 के उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, किसी भी समय कोई भी शर्त अधिरोपित कर सकेगा।
 - (40) यह कि अनुजापत्र की शर्तों की एक समीक्षित सूची, अनुजापत्र जिसकी स्वीकृति, नवीकरण एवं उसके प्रतिहस्ताकार के दौरान अधिरोपित किया था, के साथ संलग्न करेगा।"
- (2) नियम 77 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिलिपि किया जाये, अर्थात् -
- "77. कर्तिपय अनुजापत्रों के संबंध में अतिरिक्त शर्तें :- धारा 72 की उप-धारा (2), धारा 74 की उप-धारा (2), धारा 79 की उप-धारा (2) में विहित शर्तों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त होंगी, अर्थात्:-
- (1) प्रत्येक अनुजापत्र में यह शर्त होगी कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबंधों के अनुसार यान के संबंध में कर संदर्भ किये जाएंगे। परिवहन प्राधिकारी को कर का संदाय नहीं करने की दशा में अनुजापत्र को निलम्बित किया जाएगा, ऐसे निलम्बन आदेश उस समय तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कर असंदर्भ बना रहे और यान पर देव कर के भुगतान होने पर तत्काल प्रभावी होगा।
 - (2) प्रत्येक मंजिली गाड़ी अनुजापत्र अथवा ट्रेका गाड़ी अनुजापत्र की यह शर्त होगी कि उक्त अनुजापत्र किसी एक समय में दो माह से अधिक के लिए तथा उक्त अनुजापत्र की वैधता के दौरान अनुपयोग में नहीं रखा जायेगा। ऐसे अनुपयोग की कुल अवधि आठ माह से अधिक नहीं होगी। यदि वाहन में तकनीकी खराकी अथवा तुरंटनाग्रस्त होन के कारण, अनुजापत्र दो माह से अधिक के लिए अनुपयोग में रखा जाता है अथवा अन्य कारणों से अनुजापत्र से आच्छादित वाहन दो माह से अधिक के लिए प्रचलित नहीं है तो अनुजापत्र धारक को समान विशिष्टियों की वाहन का प्रतिस्थापन करना होगा या अनुजापत्र को अनुजापत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी के समझ निरस्तीकारण हेतु अस्वीकृत करना होगा।
 - (3) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यादीन रहते हुए जहां प्रकमवाहन अनुजापत्र का धारक, ऐसे अनुजापत्र के साथ अथवा उस अनुजापत्र के वाहन के बिना अनुपयोग में पंद्रह दिन से अधिक के लिये रखता है, तो अनुजापत्र प्रदान करने वाला प्राधिकारी,

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

Permit Granting Authority may issue a temporary permit to any other person for the route or part thereof for the period of non-use of any temporary permit to any other person, the substantive permit holder shall not withdraw the substantive permit from non-use during the validity of temporary permit so issued.

- (4) A permit in respect of a public service vehicle may be subject to the condition that its holder shall, make provision on such vehicle for the conveyance of a reasonable quantity of passenger's luggage with efficient means for securing and protecting it against rain.
- (5) A permit in respect of a goods carriage may be subject to one or more of the following conditions -
 - (i) that, the vehicle shall not be used for the conveyance of any class or subscription of goods in contravention of any law or any rule or order made there under prohibition for regulating the import, export or transport of such goods;
 - (ii) that, the number of persons to be carried in the vehicle shall not exceed in number as specified in the permit; and
 - (iii) that, no goods shall be picked up or set down between any two points lying wholly within the countersigning state."

[Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 5-6-2014, Pages 488(8)-(16)]

Notification No. F5-10/vili-Trans/2013, dated 1st February, 2014. — In exercise of the powers conferred by section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

- (1) Clause (aa) of Rule 2 shall be omitted.
- (2) For Clause (b) of Rule 2, the following shall be substituted, namely :-
 - (b) "Additional Transport Commissioner", "Joint Transport Commissioner", "Deputy Transport Commissioner" and "Assistant Transport Commissioner" means the Officers appointed and posted as such by the State Government;
 - (bb) "District Transport Office" means an office comprising of one or more Districts, established as such by the State Government, to perform the duties and functions enumerated under the Act, the rules prescribed there under and other transport laws; and "Transport Check-post" means the check-post established by the State Government as a part and parcel of such District Transport Office,

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994

S-20

किसी अन्य लाइसेंस को उस मार्ग पर अनुपयोग की अवधि के लिए असाधारी अनुज्ञापन जारी कर सकेगा। स्थाची अनुज्ञापन भारक, इस प्रकार जारी स्थाची अनुज्ञापन की वैधता अधिक के दौरान अनुपयोग से स्थाची अनुज्ञापन को बाहर नहीं होगा।

- (4) लोक सेवा वाहन के संबंध में अनुज्ञापन इस शर्त के अधारीन होएगा कि उसका भारक, ऐसे वाहन पर यात्रियों के समान (लोग) को युक्तिमुक्त मात्रा में कुशलतापूर्वक अर्थात् सुरक्षित ले जाने एवं उसे वर्षा से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगा।
- (5) मालावान से संबंधित अनुज्ञापन, निम्नलिखित शर्तों में से एक वा अधिक शर्तों के अधारीन होगा:-
 - (एक) यह कि यान का उपयोग, विस्तीर्ण वर्ग वा प्रकार के माल ले जाने के लिए, जो किसी विधि या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या जारी विद्ये गये किसी आदेश, जो ऐसे माल के आयात, निर्धारित वा परिवहन को विनियमित करने से प्रतिबंधित करता हो, के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा;
 - (बी) यह कि यान में ले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, अनुज्ञापन में यथा विनियमित संख्या से अधिक नहीं होगी; और
 - (तीन) यह कि कोई भी माल प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य के भीतर पूर्ण रूप से स्थित किसी दो स्थानों के बीच में चढ़ाया या उतारा नहीं जायेगा।

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5-6-2014, पृष्ठ 487-488(7) पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्रमांक एक 5-10/आठ-परि./2013, दिनांक 1 फरवरी, 2014 — मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरवाहन नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अनेकित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में—

- (1) नियम 2 के खण्ड (क) को विलोपित किया जाये।
- (2) नियम 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्-
 "(ख) “अतिरिक्त परिवहन आयुक्त”, “संयुक्त परिवहन आयुक्त”, “उप परिवहन आयुक्त” और “सहायक परिवहन आयुक्त” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तथा पदस्थ अधिकारी;
- (खख) “जिला परिवहन कार्यालय” से अभिप्रेत है, ऐसा कार्यालय, जो राज्य सरकार द्वारा एक वा अधिक जिलों को समाविष्ट कर, अधिनियम, उसके अन्तर्गत विहित नियमों तथा अन्य परिवहन विधियों के अधीन परिणामित कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए स्थापित किया गया है; तथा “परिवहन जांच-चौकी” से अभिप्रेत है, ऐसी जांच-चौकी, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे जिला परिवहन कार्यालय के भाग के रूप में ऐसे

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

to perform the duties and functions as are performed by the District Transport Office under the Act, the rules prescribed therein and other transport laws;

- (3) For clause (h) of rule (2), the following shall be substituted, namely:-
 "(h) "Senior Regional Transport Officer", "Regional Transport Officer", "Additional Regional Transport Officer" or "Assistant Regional Transport Officer" means any officer appointed as such by the State Government for any region, district or area to perform the concerned duties and functions under the Act, the rules prescribed there under and other Transport laws."

[Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 1-2-2014 Page 120]

Notification No. F5-9/viii-Trans/2013, dated 1st February, 2014. — In exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

- (1) For Rule 55-A, the following rule shall be substituted, namely :-

"55-A. Assignment of Registration Number by Online Auction System.-

- (1) Reservation of specified registration numbers under Rule 55-B, for all prevalent series in the State, shall be carried out by the means of Online Auction System set up by the Transport Department.
 (2) Reservation of specified choice numbers under Rule 55-C, for all prevalent series in the State, shall be carried out by the Registering Authority in accordance with the Act."

- (2) After Rule 55-A, the following rules shall be inserted, namely :-

"55-B. Reservation and process of obtaining Registration Number through Online Auction System :-

- (1) Reservation of Registration Marks and starting bid price, as specified in Table-I below, for all prevalent series of all Transport Offices in the State, shall be carried out through Online Auction System of the Transport Department.

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-21

कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिये, जिनका जिला परिवहन कार्यालय द्वाग अधिनियम, उसमें विहित नियमों तथा अन्य परिवहन विधियों के अधीन पालन किया जा रहा है, स्थापित किया गया है;

- (3) नियम-2 के छण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ज) "वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी", "क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी", "अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी" या "सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी" से अभियेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, उसके अन्वयत विहित नियमों एवं अन्य परिवहन विधियों के अधीन संबंधित कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी प्रदेश, जिले अथवा क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया कोई अधिकारी।"

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-2-2014, पृष्ठ 119-120 पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2013, दिनांक 1 फरवरी, 2014 — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उत्तर अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में—

- (1) नियम 55-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"55-क. ऑनलाइन नीलामी पद्धति द्वारा पंजीयन संलग्न (रजिस्ट्रेशन नम्बर) का समनुदेशन।—

- (1) नियम 55-ख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पंजीयन संलग्न (रजिस्ट्रेशन नम्बर) का आरक्षण, राज्य में प्रचलित समस्त शृंखला हेतु, परिवहन विभाग द्वारा नियरित ऑनलाइन नीलामी पद्धति साधनों द्वारा किया जायेगा।

- (2) नियम 55-ख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पंजीयन संलग्न (रजिस्ट्रेशन नम्बर) का आरक्षण, राज्य में प्रचलित समस्त शृंखलाओं हेतु, अधिनियम के अनुसार पंजीयन प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- (2) नियम 55-क के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"55-ख. ऑनलाइन नीलामी पद्धति के माध्यम से पंजीयन संलग्न (रजिस्ट्रेशन नम्बर) का आरक्षण एवं प्रक्रिया।—

- (1) राज्य के समस्त परिवहन कार्यालयों में प्रचलित समस्त शृंखलाओं के लिए, पंजीयन चिन्ह और नीलामी की प्रारंभिक बोली राशि का आरक्षण, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-एक में विनिर्दिष्ट है, परिवहन विभाग के द्वारा ऑनलाइन नीलामी पद्धति के माध्यम से किया जायेगा।

TABLE-I

S.No.	Online Auction Registration Numbers For All Series	Starting Bid Amount
1	0001	Rs. 1,00,000/-
2	0007, 0009, 0786.	Rs. 80,000/-
3	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008, 0100, 0404, 1111, 1234, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000.	Rs. 50,000/-
4	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0090, 0099, 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0300, 0303, 0333, 0400, 0444, 0500, 0505, 0555, 0600, 0606, 0666, 0700, 0707, 0777, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1001, 1010, 1212, 2002, 2020, 3003, 3030, 3456, 4040, 5005, 5050, 6060, 7007, 7070, 8008, 8080, 9009, 9090.	Rs. 30,000/-

- (2) The procedure of Online Auction System shall be regulated by the Transport Department and in case of any dispute, the decision of Transport Commissioner shall be final and widely accepted.
- (3) For participation in Online Auction, separate applications accompanied by a non-refundable and non-adjustable application fees of Rs. 1000/- (One Thousand Only), paid through online mode, shall be made for reservation of each Registration Mark.
- (4) Reservation of Registration Mark through Online Auction System shall be in the name of an individual or any corporate body/institution in the State.
- (5) Registration Marks reserved through Online Auction System shall be assigned only to the vehicle that is registered in the name of purchaser of such mark and the aforesaid mark shall be non-transferable.
- (6) In Online Auction System, specified Registration Mark shall be reserved for its highest bidder and bidders in Second and Third

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-22

तालिका - एक

संक्र.	समस्त ब्रूंखलाओं के लिये ऑनलाईन नीलामी पंजीयन संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर)	नीलामी की प्रारंभिक बोली राशि
1	0001	₹. 1,00,000/-
2	0007, 0009, 0786	₹. 80,000/-
3	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008, 0100, 0404, 1111, 1234, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000,	₹. 50,000/-
4	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0090, 0099, 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0300, 0303, 0333, 0400, 0444, 0500, 0505, 0555, 0600, 0606, 0666, 0700, 0707, 0777, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1001, 1010, 1212, 2002, 2020, 3003, 3030, 3456, 4040, 5005, 5050, 6060, 7007, 7070, 8008, 8080, 9009, 9090.	₹. 30,000/-

- (2) ऑनलाईन नीलामी पद्धति की प्रक्रिया का विनियमन परिवहन विभाग द्वारा किया जायेगा तथा किसी विवाद की स्थिति में, परिवहन आयुक्त को निर्णय, अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- (3) ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु, प्रत्येक पंजीयन चिन्ह के आरक्षण के लिये अलग-अलग आवेदन, गैर-वापसी योग्य एवं गैर-समायोजन योग्य आवेदन शुल्क ₹. 1,000/- (एक हजार मात्र) के साथ ऑनलाईन पद्धति द्वारा जमा करना होगा।
- (4) ऑनलाईन नीलामी पद्धति के माध्यम से पंजीयन चिन्ह का आरक्षण, राज्य के किसी व्यक्ति अथवा किसी निगमित निकाय/संस्थान के नाम से किया जायेगा।
- (5) ऑनलाईन नीलामी पद्धति के माध्यम से आरक्षित पंजीयन चिन्ह के बोली के समनुदेशित किया जायेगा, जो ऐसे चिन्ह के क्रेता के नाम पर रजिस्ट्रीकृत की गई है तथा पूर्वोक्त चिन्ह अ-हस्तांतरणीय होगा।
- (6) ऑनलाईन नीलामी पद्धति में, विनिर्दिष्ट पंजीयन चिन्ह को, इसके अधिकतम बोली लगाने वाले के लिए आरक्षित किया जायेगा तथा अधिकतम बोली के क्रम में दूसरे एवं

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

position, in sequence of highest bidding, shall be kept in waiting list.

- (7) (a) After completion of the Online Auction process, the highest bidder shall have 07 days to deposit his bid amount through online mode :

Provided that, where the first successful bidder fails to deposit the bid amount within the specified time, the second highest bidder shall have 03 days to deposit his bid amount :

Provided further that, where the second highest bidder also fails to deposit the bid amount within specified time, the third highest bidder shall be given 03 days to deposit his bid amount.

- (b) If the above-mentioned three bidders fail to deposit their bid amount within the specified time, such Registration Mark shall be released for reservation through Online Auction System in the next cycle.

- (8) (a) Any successful bidder of the reserved Registration Mark, under sub rule (7), shall get the registration of the assigned number done by the Registering Authority within 03 months from the date of deposit of the bid amount.

- (b) Non-compliance of the aforesaid, within the specified time, shall deem such bid automatically cancelled and the reserved Registration Mark shall be again released for reservation through Online Auction System in the next cycle.

- (9) Online Auction System shall be unified with Dealer Point Registration Process for the entire State.

"55-C. Process of Reservation for Choice Numbers by Registering Authority :-

- (1) Registration of choice numbers is categorized as Category "A", Category "B", and Category "C".

- (2) For reservation of Registration Marks mentioned in Category "A", Category "B", and Category "C", Prescribed fees shall be paid by online mode, as follows :-

- (a) Each Registration Mark falling under Category "A", as enlisted in Table-II below, shall be reserved on fee payment of Rs 25,000/- (Twenty Five Thousand only).

तीसरे नम्बर पर बोली लगाने वाले को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।

- (7) (क) ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अपनी बोली की राशि ऑनलाइन पद्धति से जमा करने के लिये 07 दिवस का समय दिया जायेगा :

परन्तु जहां प्रथम सफल बोली लगाने वाला, विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर बोली की राशि जमा करने में विफल रहता है, वहां द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले को अपनी बोली की राशि जमा करने के लिये 03 दिवस का समय दिया जायेगा :

परंतु यह और कि जहां द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाला भी, विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर बोली की राशि जमा करने में विफल रहते हैं, वहां तृतीय अधिकतम बोली लगाने वाले को अपनी बोली की राशि जमा करने के लिये 03 दिवस का समय दिया जायेगा ।

- (ख) यदि उपरोक्त उल्लिखित तीनों बोली लगाने वाले, विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपनी बोली की राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे पंजीयन चिन्ह को आगामी चक्रानुक्रम में ऑनलाइन नीलामी पद्धति के माध्यम से आरक्षण के लिये मुक्त कर दिया जायेगा ।

- (8) (क) उप-नियम (7) के अन्तर्गत आरक्षित पंजीयन चिन्ह का कोई भी सफल बोली लगाने वाला, बोली की राशि जमा करने की तारीख से 03 माह के अंदर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत समनुदेशन संख्या (एसाइन्ड नम्बर) का पंजीयन प्राप्त करेगा ।

- (ख) विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, पूर्वोक्त का अनुपालन नहीं करने पर, ऐसी बोली स्वमेव निरस्त हुआ समझा जायेगा तथा आरक्षित पंजीयन चिन्ह को आगामी चक्रानुक्रम में ऑनलाइन नीलामी पद्धति के माध्यम से आरक्षण के लिये पुनः मुक्त कर दिया जायेगा ।

- (9) ऑनलाइन नीलामी पद्धति, सम्पूर्ण राज्य के लिये, वितरक विन्दु पंजीयन प्रक्रिया (डीलर प्लाईट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस) के साथ एकीकृत होगा ।"

"55-ग. पंजीयन प्राधिकारी द्वारा पसंद की संख्याओं (नम्बरों) के लिये आरक्षण की प्रक्रिया :-

- (1) पसंद की पंजीयन संख्याओं (नम्बरों) को वर्ग "अ", वर्ग "ब" एवं वर्ग "स" के रूप में वर्णीकृत किया गया है।

- (2) वर्ग "अ", वर्ग "ब" एवं वर्ग "स" में उल्लिखित पंजीयन चिन्ह के आरक्षण हेतु, विहित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से निम्नानुसार किया जायेगा :

- (क) वर्ग "अ" के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक पंजीयन चिन्ह, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-दो में सूचीबद्ध हैं, को शुल्क रु. 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) के भुगतान करने पर आरक्षित किया जायेगा ।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

TABLE-II

1221, 1313, 1331, 1441, 1515, 1551, 1414, 1616, 1661, 1717, 1771, 1818, 1881, 1919, 2112, 2121, 2323, 2332, 2345, 2424, 2442, 2525, 2552, 2626, 2662, 2727, 2772, 2828, 2882, 2929, 2992, 3113, 3131, 3223, 3232, 3434, 3443, 1[* * *], 3535, 3553, 3636, 3663, 3737, 3773, 3838, 3883, 3939, 3993, 4114, 4141, 4224, 4242, 4334, 4343, 4545, 4554, 4567, 4646, 4664, 4665, 4678, 4747, 4774, 4848, 4884, 4949, 4994, 5115, 5151, 5225, 5252, 5335, 5353, 5445, 5454, 5757, 5775, 5858, 5885, 5959, 5995, 6116, 6161, 6226, 6262, 6336, 6363, 6446, 6464, 6556, 6565, 6767, 6776, 6789, 6868, 6886, 6969, 6996, 7117, 7171, 7227, 7272, 7337, 7373, 7447, 7474, 7557, 7575, 7676, 7878, 7887, 7979, 7997, 8181, 8228, 8282, 8338, 8383, 8448, 8484, 8585, 8668, 8686, 8778, 8787, 8989, 8998, 9119, 9191, 9229, 9292, 9339, 9393, 9449, 9494, 9559, 9595, 9669, 9696, 9779, 9797, 9889, 9898.

(b) Each Registration Mark falling under Category "B", as enlisted in Table-III below, shall be reserved on fee payment of Rs. 20,000/- (Twenty Thousand only)

TABLE-III

0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0089, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0345, 0456, 0565, 0567, 0678, 0789, 1011, 1213, 1314, 1415, 1516, 1617, 1718, 1786, 1819, 1929, 1999, 2021, 2122, 2223, 2324, 2425, 2526, 2627, 2728, 2786, 2829, 2930, 3031, 3132, 3233, 3334, 3435, 3536, 3637, 3738, 3786, 3839, 3940, 4041, 4142, 4243, 4344, 4445, 4546, 4647, 4748, 4786, 4849, 4950, 5051, 5152, 5253, 5354, 5455, 5556, 5657, 5758, 5786, 5859, 5960, 6061, 6162, 6263, 6364, 6465, 6566, 6667, 6768, 6786, 6869, 6970, 7071, 7172, 7273, 7374, 7475, 7576, 7677, 7778, 7879, 7786, 7980, 8081, 8182, 8283, 8384, 8485, 8586, 8786, 8788, 8889, 8990, 9091, 9192, 9293, 9394, 9495, 9596, 9697, 9786, 9899.

1. Omitted by number "3456" Notification No. F5-9/VIII-Trans/2013, dated 23rd May, 2014.
Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 23-05-2014 Page 435.

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-24

तालिका - दो

1221, 1313, 1331, 1441, 1515, 1551, 1414, 1616, 1661, 1717, 1771, 1818, 1881, 1919, 2112, 2121, 2323, 2332, 2345, 2424, 2442, 2525, 2552, 2626, 2662, 2727, 2772, 2828, 2882, 2929, 2992, 3113, 3131, 3223, 3232, 3434, 3443, 1[* * *], 3535, 3553, 3636, 3663, 3737, 3773, 3838, 3883, 3939, 3993, 4114, 4141, 4224, 4242, 4334, 4343, 4545, 4554, 4567, 4646, 4664, 4665, 4678, 4747, 4774, 4848, 4884, 4949, 4994, 5115, 5151, 5151, 5225, 5252, 5335, 5353, 5445, 5454, 5757, 5775, 5858, 5885, 5959, 5995, 6116, 6161, 6226, 6262, 6336, 6363, 6446, 6464, 6556, 6565, 6767, 6776, 6789, 6868, 6886, 6969, 6996, 7117, 7171, 7227, 7272, 7337, 7373, 7447, 7474, 7557, 7575, 7676, 7878, 7887, 7979, 7997, 8181, 8228, 8282, 8338, 8383, 8448, 8484, 8585, 8668, 8686, 8778, 8787, 8989, 8998, 9119, 9191, 9229, 9292, 9339, 9393, 9449, 9494, 9559, 9595, 9669, 9696, 9779, 9797, 9889, 9898.

(क) वर्ग "ब" के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक पंजीयन चिन्ह, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-तीन में सूचीबद्ध हैं, को शुल्क रु. 20,000/- (बीस हजार मात्र) के भुगतान करने पर अरकित किया जायेगा।

तालिका-तीन

0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0089, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0345, 0456, 0565, 0567, 0678, 0789, 1011, 1213, 1314, 1415, 1516, 1617, 1718, 1786, 1819, 1929, 1999, 2021, 2122, 2223, 2324, 2425, 2526, 2627, 2728, 2786, 2829, 2930, 3031, 3132, 3233, 3334, 3435, 3536, 3637, 3738, 3786, 3839, 3940, 4041, 4142, 4243, 4344, 4445, 4546, 4647, 4748, 4786, 4849, 4950, 5051, 5152, 5253, 5354, 5455, 5556, 5657, 5758, 5786, 5859, 5960, 6061, 6162, 6263, 6364, 6465, 6566, 6667, 6768, 6786, 6869, 6970, 7071, 7172, 7273, 7374, 7475, 7576, 7677, 7778, 7879, 7786, 7980, 8081, 8182, 8283, 8384, 8485, 8586, 8786, 8788, 8889, 8990, 9091, 9192, 9293, 9394, 9495, 9596, 9697, 9786, 9899.

1. अधिसूचना ब्रांसोक एक 5-9/आड-पी./2013, दिनांक 23 मई, 2014 द्वारा अंक "3456" विलोपित किया गया; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असामाजण) दिनांक 23-05-2014 को पृष्ठ 435 पर प्रकाशित।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

(c) Registration Mark not specified in Category "A" or Category "B", from the last number assigned in consecutive serial order till the end number of the current series, shall fall under Category "C" and shall be reserved on fee payment of Rs. 5000/- (Five Thousand only).

(3) Payment receipt, of the payment done by online mode for reservation of Registration Mark, shall be presented to the Registering Authority for the assignment of Registration Mark, at the time of registration of vehicle.

(4) If the vehicle is in compliance of the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 and the rules made thereunder for registration of a motor vehicle and on presentation of the vehicle along with the application in Form-20 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the reserved Registration Mark shall be assigned.

(5) If the vehicle is not presented for registration within three months from assignment of Registration Mark, reservation of such registration mark shall be deemed cancelled.

(6) The fee paid for reservation of Registration Mark, specified under clause (2), shall be non-refundable.

(7) The Registration Mark cancelled under clause (5) shall be re-assigned by the Registering Authority.

[Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 1-2-2014, Pages 118(3)-188(5)]

No. F 5-11/viii-Trans/2013, dated 31st December, 2013 — In exercise of the powers conferred by section-65, of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby, makes the following further amendment in Chhattisgarh Motor Vehicles Rule, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules -

(1) After rule 51 the following shall be added, namely :-

"51-A. Entries Of Certain Information - The Registering Authority, shall invariably enter the following information in the certificate of registration, and in the register of motor vehicles :-

- (1) It would be displayed if there is over-hang in the vehicle and if not done then shall be written "not permitted".
- (2) Width and length inside the room of vehicle.
- (3) Name and designation of dealing clerk and supervising staff.

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-25

- (ग) पंजीयन चिन्ह, जो वर्ग "अ" अथवा वर्ग "ब" में विनिर्दिष्ट नहीं है, और जो समनुदेशित अंतिम संख्या से चालू श्रृंखला के अंतिम संख्या तक निरन्तर क्रम में है, वर्ग "स" के अन्तर्गत आयेंगे तथा उसको शुल्क रु. 5,000/- (पाँच हजार मात्र) के भुगतान करने पर आरक्षित किया जायेगा।
- (3) यदि किसी पंजीयन चिन्ह के आरक्षण के लिये ऑनलाइन पद्धति द्वारा किये गये भुगतान की पावती, यान के पंजीयन के समय, पंजीयन चिन्ह के समनुदेशन के लिये पंजीयन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (4) मोटरयान के पंजीयन के लिये, मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रूफ-20 में आवेदन के साथ यान को प्रस्तुत करने पर, आरक्षित पंजीयन चिन्ह समनुदेशित किया जायेगा।
- (5) यदि पंजीयन चिन्ह के समनुदेशन से तीन माह के भीतर पंजीयन के लिए यान को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे पंजीयन चिन्ह का आरक्षण, स्वयंसेव निरस्त हुआ समझा जायेगा।
- (6) खण्ड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट पंजीयन चिन्ह के आरक्षण के लिये भुगतान की गई राशि, वापसी योग्य नहीं होगी।
- (7) खण्ड (5) के अधीन निरस्त किया गया पंजीयन चिन्ह पंजीयन प्राधिकारी द्वारा पुनः समनुदेशित किया जायेगा।

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-2-2014, पृष्ठ 117-118(2) पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्रमांक एफ 5-11/आठ-परि./2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 — मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक - 59 सन् 1988) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में —

- (1) नियम - 51 के पश्चात निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:-
- “51-क. कतिपय जानकारी की प्रविष्टियाँ - रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, पंजीयन प्रमाणपत्र एवं मोटरयान पंजी में निम्नलिखित जानकारी निरपवाद रूप से इन्द्राज करेगा :-
- (1) यदि वाहन में ओब्हर-हैंग हो तो वह दर्शाया जाएगा, और यदि नहीं किया गया है तो “अनुज्ञात नहीं” लिखा जाएगा।
 - (2) वाहन के अंदर के कक्ष की चौड़ाई और लम्बाई।
 - (3) प्रभारी लिपिक और पर्यवेक्षक स्टाफ (कर्मचारी) का नाम और पदनाम।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

- (4) Name and designation of the inspecting Officer who verified the vehicle as under specification of the Act and Rules made there under.
- (5) Name and designation of the Registering Officer, who issued order for registration.
- (6) Name of the representative of the applicant, agent or any person, who presented the documents in the office.
- All the information of vehicle and the said information shall be entered in the computerized record of the office and in other appropriate record. The identity of representative of the applicant shall be ensured by valid document, so as to information regarding such person should be available in case of litigation or police case."
- (2) After sub-rule(1) of rule 116, the following shall be inserted, namely:-
 "Subject to the provisions of sub-rule (1) an ordinary bus may be used as "Express service" and "Deluxe bus" may be used as "Express/Deluxe service". Permit granting Authority may invariably specify the type of service according to the speed of vehicle on the route in permit such as Ordinary, Ordinary Express, Deluxe or Deluxe Express at the time of grant of permit or other wise".
- (3) For rule 158 the following shall be substituted, namely :-

"158. Seating Room-(1) The minimum seating space, back rest and gang-way etc, to be provided in public service vehicle, other than motor-cab or maxi-cab deployed as Ordinary service, shall be as follows :-

Particulars	Ordinary	Note
	Minimum	
(1)	(2)	(3)
I. Distance of Seats back to back-		
(a) When seats are placed across the vehicle and facing in the same direction.	70 cm.	-
(b) When seats are placed across the vehicle but facing each other.	130 cm.	For other than ordinary, not permissible ---do---
(c) When seats are placed along with length of the vehicle and facing each other.	140 cm.	
II. Size of the Seats	40x40 cm.	-
III. Height of the back of the seat above seat level.	40 cm.	-

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

- (4) निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों की विशिष्टियों के अधीन वाहन का सत्यापन किया हो।
- (5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम एवं पदनाम, जिसने रजिस्ट्रीकरण के लिए आदेश दिया हो।
- (6) आवेदक के प्रतिनिधि, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति का नाम, जिसने कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत किया हो।

वाहन की समस्त जानकारी और उक्त सूचना, कार्यालय के कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड में एवं अन्य सम्बिल अभिलेख में दर्दकी जाएगी। आवेदक के प्रतिनिधि की पहचान वैध दस्तावेज के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, ताकि मुकदमेवाजी या बुलिस प्रकरण की दशा में ऐसे व्यक्ति के संबंध में सूचना उपलब्ध रहे।"

- (2) नियम - 116 उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
 "उप-नियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, साधारण बस "एक्सप्रेस सेवा" के रूप में और "डीलक्स बस" "एक्सप्रेस/डीलक्स सेवा" के रूप में उपयोग की जा सकेगी। अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, निरपावाद रूप से अनुज्ञात मार्ग (रूट इन परमिट) पर यान की गति के अनुसार सेवा का प्रकार, जैसे कि साधारण, साधारण एक्सप्रेस, डीलक्स या डीलक्स एक्सप्रेस अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति के समय या अन्यथा, साझ करेगा।"

- (3) नियम-158. के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
 "158. बैठने की जगह (सीटिंग रूम) — (1) साधारण सेवा के रूप में नियोजित मोटर-केब या मेक्सी-केब से भिन्न लोक सेवा यान में दिया जाने वाला न्यूनतम बैठने का स्थान, बैकरेस्ट (पीठ टेकने) एवं मध्यरास्ता (बैठक के बीच आने-जाने का रास्ता) इत्यादि निम्नानुसार होगा:-

विवरण	साधारण	टीप	
	न्यूनतम	(2)	(3)
(1)			
I. एक से पीछे एक बैठकों (सीटों) की दूरी - (क) जब यान में बैठक आर-पार लगे हुए हों और उनका सामने का मुख एक ही दिशा में हो, (ख) जब यान में बैठक आर-पार लगे हुए हों किन्तु आमने-सामने हों,	70 से.मी.	-	
		130 से.मी.	साधारण से भिन्न के लिए अनुलेय नहीं तदैव
(ग) जब बैठक यान की लम्बाई में लगे हुए और आमने-सामने हों।	140 से.मी.		
II. बैठकों का आकार	40 x 40 से.मी.	-	
III. बैठक के आसन की सतह से पीठ की ऊंचाई	40 से.मी.	-	

S-27

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994

Notification

Particulars	Ordinary	Note
	Minimum	
(1)	(2)	(3)
IV. Type of seat and seat cushion	Foam or Rubber Foam cushion of minimum 5 cm. thickness with upholstery of leather, PVC leather, the remix or like material.	
V. Gang-way	35 cm.	

- (2) The specifications for Deluxe bus other than Tourist vehicle to be run as deluxe service shall conform to the specification of Tourist vehicle including seating capacity as provided under rule 128, of the Central Motor Vehicle Rule, 1989.
- (3) Subject to the specifications of bearth mentioned in rule 170-A (b), there may be provided bearths in the lower half side or upper half side or both upper and lower side, of the bus, Ordinary/Deluxe, opposite driver side in single breath row, and in remaining area of the carpet-area (floor space) the maximum number of seats as per specifications of seat in this rule shall be provided. This sub-rule shall not be applicable to a vehicle having less than 205 inches wheel-base.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the seating capacity of an ordinary Stage Carriage of all makes and models mentioned below, having following wheel base, shall not be less than the minimum capacity indicated against them :-

Table

Sl. No.	Wheel Base		Minimum Seating Capacity of Ordinary Vehicle						
	M.M.	Inches	Original construction in chassis	Width having not more than 213-3 cm. (7 ft)	Width having more than 213-3 cm. (7 ft)	40% Over hang	60% Over hang	40% Over hang	60% Over hang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	2,540-2,921	100-115	16	-	-	-	-		
2	2,946-3,048	116-120	20	-	-	-	-		
3	3,073-3,429	121-135	-	20	25	-	-		

S-27

अधिसूचना १८ छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

विवरण साधारण दीप्ति

विवरण	साधारण	दीप्ति
(1)	(2)	(3)
IV. बैठक और बैठक की गद्दी का प्रकार	लेदर, पी.वी.सी. लेदर, रिमिक्स या वैसे ही पदार्थ की सामग्री युक्त न्यूतम 5 से.मी. मोटाई की फोम या रबर फोम की गद्दी	-
V. मध्य रास्ता (बैठकों के बीच आने-जाने का रास्ता)	35 से.मी.	-

- (2) पर्यटक यान से भिन्न डीलक्स बस, जो डीलक्स सेवा के रूप में चलायी जाएगी, की विशिष्टियाँ, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-128 में यथा उपर्युक्त पर्यटक यान की बैठक क्षमता सहित विशिष्टियों के अनुकूल होंगी।
- (3) नियम-170-'क' (ख) में उल्लिखित शयन की विशिष्टियों के अध्यधीन रहते हुए, साधारण/डीलक्स बस के निचले आधे हिस्से में अथवा ऊपरी आधे हिस्से में अथवा ऊपर या नीचे दोनों हिस्सों पर चालक के विपरीत दूसरे बाजू पर, एक कतार में शयन, उपलब्ध कराया जा सकेगा, और तल क्षेत्र के शेष भाग में इस नियम के बैठक की विशिष्टियों के अनुसार अधिकतम बैठक संख्या, उपलब्ध कराई जाएगी। यह उप-नियम ऐसे वाहन पर लागू नहीं होगा, जिसका व्हील-बेस 205 इंच से कम हो।
- (4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नीचे उल्लिखित समस्त बनावट एवं मॉडल की साधारण अवस्था की गाड़ी जिनका व्हील बेस निम्नानुसार है की बैठक क्षमता, उनके सामने दर्शायी गई न्यूतम क्षमता से कम नहीं होगी:-

तालिका

सं. क्र.	व्हील बेस			साधारण वाहनों की न्यूतम बैठक क्षमता			
	मि.मी.	इंच	चेचिस का मूल निर्माण	चौड़ाई 213-3 से.मी. (7 फीट) से अधिक नहीं होना चाहिए	चौड़ाई जो 213-3 से.मी. (7 फीट) से अधिक होना चाहिए	40% ओवरहेंग	60% ओवरहेंग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2,540-2,921	100-115	16	100-115	16	-	-
2	2,946-3,048	116-120	20	116-120	20	-	-
3	3,073-3,429	121-135	-	121-135	-	20	25

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

Sl. No.	Wheel Base		Minimum Seating Capacity of Ordinary Vehicle				
	M.M.	Inches	Original construction in chassis	Width having not more than 213-3 cm. (7 ft)	Width having more than 213-3 cm. (7 ft)	40% Over hang	60% Over hang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	3,454-4,064	136-160	-	25	30	-	-
5	4,089-4,318	161-170	-	32	35	35	37
6	4,343-4,953	171-195	-	33	36	42	44
7	4,978-5,207	196-205	-	-	-	46	48
8	5,232-5,334	206-210	-	-	-	48	50
9	5,339-5,639	211-222	-	-	-	50	55
10	Above-5,664	Above 223	-	-	-	Assignment of seats shall be strictly in accordance with the carpet area as mentioned in rule 158(1)	

Provided that the Registering Authority may by order, vary above seats in respect of any Ordinary/Express public service vehicle, where :-

- (i) any order issued by the State Government under rule 162
- (ii) the floor space and lay-out do not permit to assign the above seating capacity,
- (iii) The dimensions of vehicle is changed by the manufacturer from the dimensions of vehicle mentioned above.
- (iv) Where the body is constructed by the Government or Semi-Government Institution, which has been approved by the Central Government for technical advice or other wise, or by the approval of Aviation Department or by above mentioned technical Institution, which has given approval to some big body-builder for the construction of bus body, the provision of this rule shall not apply and seating capacity shall be assigned according to the certification of such Institution/Department.

and such order shall be in writing giving reasons thereof.

- (5) Nothing contained in this rule shall apply to a vehicle registered before the date of coming in to force of this rule, provided that the body may be re-constructed only within twenty four months from the date

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

S-28

सं. क्र.	व्हील बेस मि.मी.	इंच	साधारण वाहनों की न्यूनतम बैठक क्षमता				
			चौड़ाई 213-3 से.मी. (7 फीट) से अधिक नहीं होना चाहिए	चौड़ाई जो 213-3 से.मी. (7 फीट) से अधिक होना चाहिए	40% ओवरहेंग	60% ओवरहेंग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	3,454-4,064	136-160	-	25	30	-	-
5	4,089-4,318	161-170	-	32	35	35	37
6	4,343-4,953	171-195	-	33	36	42	44
7	4,978-5,207	196-205	-	-	-	46	48
8	5,232-5,334	206-210	-	-	-	48	50
9	5,339-5,639	211-222	-	-	-	50	55
10	5,664 से अधिक	223 से अधिक	-	-	-	सीटों का आबंटन पूर्ण रूप से नियम-158 (1) में यथा विनिर्दिष्ट कारपेट एविया (तल क्षेत्रफल) के अनुसार ही किया जाएगा।	

परन्तु पंजीयन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, किसी साधारण/एक्सप्रेस लोक सेवा यान के संबंध में, उपरोक्त बैठकों में परिवर्तन कर सकेगा, जहां :—

(एक) नियम-162, के अधीन राज्य शासन द्वारा जारी किया गया कोई आदेश;

(दो) फ्लोर स्पेस और ले आउट, उपरोक्त बैठक क्षमता प्रदान करने की अनुमति नहीं देते हैं;

(तीन) वाहन का परिमाप, विनिर्माता द्वारा ऊपर उल्लिखित वाहनों के परिमाप से परिवर्तित कर दिया गया हो;

(चार) जहां बॉडी का निर्माण, शासकीय अथवा अर्द्ध-शासकीय संस्था द्वारा जो केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी सलाह अथवा अन्यथा के लिए अनुमोदित है, अथवा विमान विभाग के अनुमोदन द्वारा अथवा उपरोक्त उल्लिखित तकनीकी संस्था द्वारा जिसने कतिपय बड़े बॉडी निर्माता को बस की बॉडी के निर्माण के लिये अनुमोदन दिया हो, किया गया है तो इस नियम के उपर्युक्त लागू नहीं होगे और बैठक क्षमता ऐसे संस्था/विभाग के प्रमाणीकरण के अनुसार नियम की जायेगा।

तथा ऐसा अदेश, उसका कारण दर्शाते हुए लिखित में किया जाएगा।

(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, उस मोटरयान पर लागू नहीं होगी जो इस नियम के प्रवृत्त होने की तारीख के पहले पंजीकृत हो, परन्तु इस नियम के अधीन प्रावधानों का पालन करने हेतु बॉडी का अनुनिर्माण ऐसे नियम के प्रवर्तन की तारीख से चौबीस

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notifications

of such coming in to force, for complying the provisions under this rule. However, where the owner of a public service vehicle failed to comply the provision of this sub-rule after twenty four months from coming in to force of this rule, the registration certificate of that vehicle shall be suspended by the Registering Authority. Thereafter on compliance of the provision, the suspension may be revoked by that Authority. Such suspension of registration of such vehicle shall be informed to all Checking Authorities and concerning police stations."

(4) After rule 158 the following shall be added, namely :-

"158-A. Determination of Seating Capacity :- (1) The seating capacity shall be determined by the Registering Authority on the basis of carpet-area, (floor space) available in the vehicle, after examination of compliance of the provisions of Act and Rules made there under.

(2) Subject to the provision of rule 46, the Owner of a public service vehicle, other than motor-cab or maxi-cab, shall required to submit a lay-out in blue-print of the vehicle, prepared by the authorized drafts-man in respect of floor-space and seating arrangement with all necessary measurements such as length, and width inside of the vehicle, width of gang-way, size of driver's compartment, size of over-hang, seat measurements, Chassis number, Engine number etc, and other requirement mentioned in rule 158, of the vehicle under consideration. Such lay-out of seating arrangement shall be prepared and approved, singned by the drafts-man, body builder, who constructed the vehicle if it is new and also singed by the applicant. Such lay-out in blue-print of the vehicle, shall be submitted in duplicate and duly signed, in confirmation of the complying the provision of these Rules.

(3) The following general principles shall be observed by the Registering Authorities, while determining the seating capacity of a public service vehicle, other than motor-cab or maxi-cab :-

- For correct determination of carpet-area, (floor space), the Inspecting Officer shall actually measure the width and the length of vehicle inside he bus and check the specification with the lay-out in blue-print submitted by the applicant and after verification singed the blue-print and application of registration.
- For arriving at seating capacity the Inspecting officer shall follow the norms mentioned below :-

Subject to the provision of rule 158, the following dimension shall be deducted from the Carpet-area :-

- Subject to the provision of rule 163, space required for separate compartment for driver.

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ शेहर वार मियम, 1994

S-29

वाह के भीतर वार कराना का संकेत। अधिकृत, जहाँ लोक सेवा वाह को स्वामी, तथा उप मियम के उपर्योग के लकड़ी होने की दररोज से दीवारों पार के पश्चात् इस अधिसूचना के द्रष्टव्याने का वाहन करने में विषयत रहता है, तो उस वाहन का पंजीयन प्राप्ति-पत्र, दंडीपत्र प्राप्तिकारी द्वारा विभिन्नता किया जायेगा। अस्ते के पश्चात् प्राप्तवार्ताने का पालन किये जाने पर, उस प्राप्तिकारी द्वारा विभिन्नता को देख किया जा सकेगा। ऐसे वाहन के दंडीपत्र प्राप्तवार्ता के द्वारा विभिन्नता की सुन्दर समस्त जांच प्राप्तिकारीनों और संबंधित पुलिस थार्नों को दी जाएगी।"

(4) नियम - 158 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ जाये, अधिकृत :-

"158-क. बैठक क्षमता का विधारण :- (1) बैठक क्षमता का विधारण, पंजीयन प्राप्तिकारी द्वारा वाहन में उपलब्ध कारपेट-एरिया (तल थोर) के आधार पर, अधिकृत और उसके अधीन निर्मित नियमों के प्राप्तवार्ताने के पालन का परीक्षण करने के पश्चात् किया जायेगा।

(2) नियम 46 के प्राप्तवार्ताने के अध्यारीन रहे तुप मोटर-केब अध्यवा मेस्सी-केब से भिन्न लोक सेवा यान के स्थानों के लिए वह आवश्यक होगा कि वह ब्लू-प्रिंट में वाहन का ले-आउट जो अधिकृत ड्राप्ट-मेन द्वारा तल सेवा और समस्त आवश्यक मार्गों, जैसे वाहन के अंदर की लम्बाई और चौड़ाई, गच्छास्ता वी चौड़ाई, चालक कक्ष के आकार, बोक्ट-हैंग के आकार, बैठकों के माप, चेचिस नंबर, इविन नंबर इत्यादि के साथ बैठक क्षमता और विचाराधीन वाहन में नियम 158 में उल्लिखित अन्य आवश्यकतायें के संबंध में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करे। बैठक आवश्यक का ऐसा ले-आउट, ड्राप्ट-मेन, यदि वाहन नया है, तो वहाँ नियमांत विसने वाहन का विधारण किया है के द्वारा तैयार एवं अनुमोदित, हस्ताक्षरित तथा आवेदक द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जायेगा। ब्लू-प्रिंट में वाहन का ऐसा ले-आउट, इन नियमों के प्राप्तवार्ताने के अनुपालन की पुष्टि में, दो प्रतियों में एवं विधिवत हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) मोटर-केब अध्यवा मेस्सी-केब से भिन्न लोक सेवा यान की बैठक क्षमता निर्धारित करते समय, पंजीयन प्राप्तिकारी द्वारा निम्नलिखित सामान्य विद्वानों का पालन किया जाएगा :-

(एक) वाहन में उपलब्ध कारपेट एरिया (तल थोर) के सभी विधारण हेतु निरीक्षण अधिकारी वास के अंदर की चौड़ाई तथा लम्बाई, का वास्तविक माप और आवेदक द्वारा ब्लू-प्रिंट में प्रस्तुत ले-आउट के साथ विशिष्टियों की अंधे करेगा और सत्यापन के पश्चात् ब्लू-प्रिंट एवं पंजीयन आवेदक पर हस्ताक्षर करेगा।

(दो) निरीक्षणकर्ता अधिकारी, बैठक क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित मानदंड का पालन करेगा :-

नियम-158 के उपर्योग के अध्यारीन रहे हुए, निम्नलिखित कारपेट एरिया (तल-थोर) से निम्नलिखित घटावा जाएगा :-

(क) नियम 163 के उपर्योग के अध्यारीन रहे हुए, चालक के अलावा कक्ष हेतु अपेक्षित स्थान।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Notification

- (b) Space provided for Gang-way; and
- (c) Space required for entrance and exit doors.
- (iii) After deducting dimensions arrived at as per clause (ii) the remaining balance of carpet-area shall be divided by per seats required space for getting the seating capacity of such vehicle".

"Rule-158-B. Duties and Responsibilities of Authorities in determination of seating capacity :- It shall be the primary duty of Inspecting Officer and Registering Authority while Registering a vehicle, change of particulars therein or fixation of seating capacity etc, to comply all the provisions of law and instructions mentioned in the Act and Rules, before verifying and signing any documents."

(5) After rule 163 the following shall be added, namely :-

"163-A. Doors in public Service Vehicle - There shall be two doors in every public service vehicle other than motor-cab and maxi-cab for the entrance and exit of passengers".

"163-B. Emergency Exit - There shall be an emergency exit in every public service vehicle other than motor-cab and maxi-cab. The specification for such emergency exit shall conform to the specification provided in the provisions of sub-rule (4) of rule 128, Central Motor Vehicle Rule, 1989".

[Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 31-12-2013,
Pages 1148(4-8)]

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

- (ख) मध्य रास्ता के लिए उपलब्ध स्थान; और
- (ग) प्रवेश एवं निकास दरवाजे के लिए अपेक्षित स्थान।
- (तीन) खण्ड (दो) के अनुसार निर्धारित की गई मापों को घटाने के पश्चात्, ऐसे वाहन की बैठक क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, कारपेट एरिया के शेष बकाया में से प्रत्येक सीट हेतु आवश्यक स्थान को विभाजित किया जाएगा।"

"158-ख. बैठक क्षमता के निर्धारण के लिए प्राधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व - वाहन के पंजीयन, उसकी विशिष्टियों के परिवर्तन अथवा बैठक क्षमता आदि के निर्धारण करते समय, निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं पंजीयन प्राधिकारी का यह प्रारंभिक कर्तव्य होगा कि किसी दस्तावेज के सत्यापन एवं हस्ताक्षर के दूर्व अधिनियम और नियमों में उल्लिखित विधि के समस्त प्रावधानों एवं निर्देशों का पालन करे।"

(5) नियम - 163 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"163-क. लोक सेवा यान में दरवाजे - मोटर-केब एवं मेक्सी-केब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में यात्रियों के प्रवेश एवं निकास के लिए दो दरवाजे होंगे।

163-ख. आपातकालीन निकास - मोटर-केब एवं मेक्सी-केब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में एक आपातकालीन निकास होगा। ऐसे आपातकालीन निकास हेतु विशिष्टियाँ, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के उप-नियम (4) के प्रावधानों में उपलब्ध कराई गई विशिष्टियों के अनुरूप होंगी।"

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31-12-2013, पृष्ठ 1147-1148(3) पर प्रकाशित]

विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000

अधिसूचना क्र. 586/161/परि./2001, दिनांक 31 जनवरी, 2001 — म.प. मुर्गीदन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अधार्त—

आदेश

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम "विधि अनुकूलन आदेश, 2000" है।
- (2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा।

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्वारा, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त संगेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपांतरणों के अध्याधीन तहत हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहाँ कहीं भी यह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कोई भी बात या कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रलैप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञासि को सम्प्रिलिपि करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची

क्रमांक	विधियों का नाम
1.	मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991)
2.	मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान नियम, 1991
3.	मोटर यानों से प्रदूषण की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्रों को अधिकृत करने संबंधी योजना, 1993
4.	मध्यप्रदेश मोटर यान नियम, 1994
5.	केवल वही कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रलैप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञासि को सम्प्रिलिपि करते हुए) जो मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा की गई है।

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26-2-2001 में पृष्ठ 77-78 पर प्रकाशित]

THE CHHATTISGARH MOTOR VEHICLES RULES, 1994

CONTENTS

Rules	Pages
CHAPTER I PRELIMINARY	
1. Short title and application	1
2. Definitions	1
CHAPTER II LICENSING OF DRIVERS OF MOTOR VEHICLES	
3. Licensing Authority	2
4. Testing Officer	3
5. Production of Vehicle	3
6. Medical Practitioner/Medical Examination Fee	3
7. Authorisation to drive Transport Vehicle	3
8. Driver's Badge of Transport Vehicle	3
9. Uniform for Driver or Public Service Vehicle	4
10. Display of Name Plate	4
11. Issue of Duplicate Driving Licence	4
12. Learner's Licence - issue of Duplicate	5
13. Temporary Authorisation in Lieu of Driving Licence	5
14. Communication of Additions or Renewals to Driving Licence	6
15. Disqualification from holding Driving Licence, etc.	6
16. Communication of disqualification or Endorsement by Court	6
17. Duties and Conduct of Drivers of Stage Carriages and Contract Carriages	6
18. Special Duties and Functions of Drivers of Motor Cabs	8
19. Duties, Functions and Conduct of Drivers of Goods Carriage	9
20. Exemption of Driver of Road Roller	10
21. Appellate Authority	10
22. Conduct and hearing of Appeals	10
23. Maintenance of State Register of Driving Licence	10
24. Fees	11
CHAPTER III LICENSING OF CONDUCTORS OF STAGE CARRIAGES	
25. Licensing Authority	11
26. When driver or any person can act as Conductor without Licence	11

(C-4)

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

विषय-सूची

पृष्ठ क्र.

नियम

अध्याय 1 प्रारंभिक	
1. संक्षिप्त नाम तथा लागू होना	1
2. परिभाषाएँ	1
अध्याय 2 मोटरयान चालकों का अनुज्ञापन	
3. अनुज्ञापन प्राधिकारी	2
4. परीक्षण अधिकारी	3
5. यान का प्रस्तुत किया जाना	3
6. चिकित्सा व्यवसायी/चिकित्सा परीक्षण फीस	3
7. परिवहन यान चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाना	3
8. परिवहन यान के चालक का बिल्टा	3
9. लोक सेवा यान के चालक की वर्दी	4
10. नाम पट्टी का संप्रदर्शन	4
11. अनुज्ञाति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना	4
12. नौसिखिया अनुज्ञाति दूसरी प्रति का जारी किया जाना	5
13. चालन अनुज्ञाति के बदले में अस्थायी प्राधिकार	5
14. चालन अनुज्ञाति के परिवर्तन या नवीकरण की संसूचना	6
15. चालन अनुज्ञाति आदि धारण करने से निरहता	6
16. न्यायालय द्वारा निरहता या पृष्ठांक की संसूचना	6
17. मंजिली गाड़ी और टेका गाड़ी के चालकों के कर्तव्य तथा आचरण	6
18. मोटर केबों के चालकों के विशेष कर्तव्य और कृत्य	8
19. माल यानों के चालकों के कर्तव्य, कृत्य तथा आचरण	9
20. रोड रोलर के चालक को छूट	10
21. अपील प्राधिकारी	10
22. अपीलों का संचालन तथा सुनवाई	10
23. चालन अनुज्ञातियों के राज्य रजिस्टर का रखा जाना	10
24. फीस	11
अध्याय 3 मंजिली गाड़ी के परिचालकों का अनुज्ञापन	
25. अनुज्ञापन प्राधिकारी	11
26. जब चालक या कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञाति के परिचालक के रूप में कार्य करे	11

(C-4)

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994

Rules	Pages
27. Application for a Conductor's Licence	12
28. Renewal of Conductor's Licence	13
29. Qualification for Grant of Conductor's Licence	13
30. Appellate Authority	13
31. Conduct and hearing of Appeals	13
32. Duties and Conduct of Conductors	14
33. Prohibition against holding more than one Licence	16
34. Affixing of Photograph	16
35. Issue of duplicate Conductor's Licence	16
36. Uniform for Conductor of Stage Carriages	17
37. Display of Name Plate	17
38. Conductor's Badge	17
39. Effectiveness of Conductor's Licence Issue by any other State than the State of Chhattisgarh	18
40. Fees	18
CHAPTER IV	
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES	
41. Registering Authority	18
42. Security Deposit by the Operator of Testing Station	19
43. Appellate Authority	19
44. Conduct and hearing of Appeals	19
45. Temporary Registration	19
46. Additional Information to be furnished by the owner of a Transport Vehicle	20
47. Delay in making application for Registration & Renewal thereof	20
48. Issue or Renewal of Certificate of Fitness	21
49. Register of certificate of fitness	21
50. Cancellation of Certificate of Fitness	22
51. Issue of duplicate Certificate of Fitness	22
52. Exemption from payment of registration fee	22
53. Change of Address	23
54. Intimation of transfer of ownership	23
55. Assignment of new Registration Mark	23
55-A. Allotment of registration mark	24
56. Re-assignment of Registration Number under certain conditions	26
57. Exemption of Road Roller, Graders And Other Vehicles	26
58. Supply of copy of particulars of Registration	26
59. Notice of alteration of Motor Vehicle	26
60. Intimation Regarding Stolen/recovered Motor Vehicles	27
61. Maintenance of State Register of motor vehicles	27
62. Fees	27

Contents

विषय-सूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

C-5

नियम

पृष्ठ क्र.	
27. परिचालक अनुज्ञाति के लिए आवेदन	12
28. परिचालक अनुज्ञाति का नवीकरण	13
29. परिचालक अनुज्ञाति मंजूर किए जाने के लिए अहंता	13
30. अपील प्राधिकारी	13
31. अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई	13
32. परिचालकों के कर्तव्य तथा आचरण	14
33. एक से अधिक अनुज्ञाति धारण करने का प्रतिषेध	16
34. फोटो का विपक्षया जाना	16
35. परिचालक अनुज्ञाति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना	16
36. मंजिली गाड़ियों के परिचालक के लिए वर्दी	17
37. नाम पट्टी या संप्रदर्शन	17
38. परिचालक का बिल्ला	17
39. छत्तीसगढ़ राज्य से भिज किसी अन्य राज्य द्वारा की गई परिचालक अनुज्ञाति का प्रभज्ञीकरण	18
40. फीस	18

अस्थाय 4

मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण

C-5

41. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	18
42. परीक्षण केन्द्र के प्रचालक द्वारा प्रतिभूति नियम	19
43. अपील प्राधिकारी	19
44. अपीलों का संचालन तथा सुनवाई	19
45. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण	19
46. परिवहन यान के स्वामी द्वारा अतिरिक्त जानकारी का दिया जाना	20
47. रजिस्ट्रीकरण तथा उसके नवीकरण हेतु आवेदन करने में विलम्ब	20
48. उपयुक्तता प्रमाण पत्र का जारी किया जाना या नवीनीकरण किया जाना	21
49. उपयुक्तता प्रमाण पत्र का रजिस्टर	21
50. उपयुक्तता प्रमाणपत्र का इक्करण	22
51. उपयुक्तता प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना	22
52. रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय से छूट	22
53. पते में परिवर्तन	23
54. स्वामित्व के अंतरण की प्रशासन	23
55. नवीन रजिस्ट्रीकरण चिह्न का सम्मुद्रेशन	23
55-क. रजिस्ट्रीकरण चिह्न का आवंटन	24
56. कतिपय शर्तों के अधीन रजिस्ट्रेशन क्रमांक का पुनःसम्मुद्रेशन	26
57. रोड रोलर, ग्रेडर और अन्य यानों को छूट	26
58. रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों की प्रति का संदाय	26
59. मोटरयान में परिवर्तन की सूचना	27
60. चोरी गए/बरामद हुए मोटरयानों की प्रज्ञापना बाबत	27
61. मोटरयान के राज्य रजिस्टर का रद्दा जाना	27
62. फीस	27

CHAPTER V CONTROL OF TRANSPORT VEHICLES		
63.	State Transport Authority	28
64.	Regional Transport Authority	29
65.	Conduct of Business of Transport Authorities	30
66.	Delegation of powers by State Transport Authority	31
67.	Delegation of powers by Regional Transport Authority	32
68.	Power of refusal to accept Applications for Permits	34
69.	Reservation of Permits for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	34
70.	Matters for Consideration of Application for Stage Carriage or Contract Carriage Permit	35
70-A.	Guiding Principles for grant and renewal of stage carriage permits	35
71.	Route Motorability	37
72.	Forms of Application For Permits	37
73.	Form of Permits	38
74.	Procedure on receipt of Permit Application and Manner of disposal thereof	39
75.	Entry of Registration Mark on Permit	40
76.	Extension of Area of Permit	41
77.	Additional conditions in respect of certain Permits	41
78.	Carriage of goods on Stage Carriages	42
79.	Carriage of goods on Contract Carriage prohibited	43
80.	Carriage of personal luggage in Stage Carriage	43
81.	Carriage of animals in Goods Carriage	43
82.	Renewal of Permits	43
83.	Renewal of Counter Signature of Permits	44
84.	Replacement of Vehicle authorised by Permit	44
85.	Validation of Replacement Order in respect of Counter Signature on Permit	45
86.	Procedure on cancellation or suspension of Permit	45
87.	Permit - transfer of	45
88.	Issue of Duplicate Permits	46
89.	Exemption to drivers from restrictions of hours of work	46
90.	Interval of rest	47
91.	Conduct of passengers in Stage Carriages	47
92.	Conduct of Passengers in Motor Cabs	49
93.	Carriage of children and infants in Public Service Vehicle	49
94.	Disinfection of Public Service Vehicle	49
95.	Maintenance of Complaint Books in Stage Carriages	50
96.	Carriage of Corpses in Transport Vehicles	50
97.	Carriage of person in Goods Carriage	50

अध्याय 5 परिवहन यानों का नियंत्रण		
63.	राज्य परिवहन प्राधिकारी	28
64.	प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	29
65.	परिवहन प्राधिकारियों के कामकाज का संचालन	30
66.	राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन	31
67.	प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन	32
68.	अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदन प्रतिग्रहण करने से इंकार करने की शक्ति	34
69.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुज्ञापत्रों का आक्षण	34
70.	मंजिली गाड़ी या टेका गाड़ी अनुज्ञापत्र के आवेदन पर विचार करने संबंधी विवार	35
70-क.	प्रक्रम वाहनों के प्रमिट की स्वीकृति एवं नवीकरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत	35
71.	मोटर चलाए जाने योग्य मार्ग	37
72.	अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन पत्र के प्रस्तु	37
73.	अनुज्ञापत्रों के प्रस्तु	38
74.	अनुज्ञापत्र का आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया और उसके निष्ठारों की रीति	39
75.	अनुज्ञापत्र पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रविष्टि	40
76.	अनुज्ञापत्र के क्षेत्र का विस्तार	41
77.	कठिपय अनुज्ञापत्रों के संबंध में अतिरिक्त शर्तें	41
78.	मंजिली गाड़ी पर माल का ले जाया जाना	42
79.	टेका गाड़ी पर माल ले जाए जाने का प्रतिवेद	43
80.	मंजिली गाड़ी में व्यक्तिगत सामान का ले जाया जाना	43
81.	मालयानों में पशुओं का ले जाया जाना	43
82.	अनुज्ञापत्रों का नवीकरण	43
83.	अनुज्ञापत्र के प्रतिवहनाकार का नवीकरण	44
84.	अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत यान का बदला जाना	44
85.	अनुज्ञापत्र पर प्रतिवहनाकार के संबंध में प्रतिस्थापन आदेश का विधि-मान्यकरण	45
86.	अनुज्ञापत्र के रद्दकरण या निलम्बन पर प्रक्रिया	45
87.	अनुज्ञापत्र का अन्तरण	45
88.	अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना	46
89.	कार्य के घटायों के निर्बन्धनों से चालक को छूट	46
90.	विश्राम का अंतराल	47
91.	मंजिली गाड़ियों में परिचालक का आचरण	47
92.	मोटर केबों में यात्रियों का आचरण	49
93.	लोक सेवा यान के बालकों और शिशुओं का बहन	49
94.	लोक सेवा यानों का विसंक्राम	49
95.	मंजिली गाड़ियों में शिकायत पुस्तिकाओं का रखा जाना	50
96.	परिवहन यानों में शवों का बहन	50
97.	मालयानों में व्यक्तियों का बहन	50

Rules	Contents	Page
98. Duty to carry Goods in Goods Carriage	52
99. Change of address of Permit Holder	52
100. Intimation of damage to or failure of Public Service Vehicle	52
101. Alteration in Motor Vehicle	52
102. Restriction on use of Trailers as Permit Condition	53
103. Exhibition of certain particulars on Stage Carriage or Contract Carriage	53
104. Distinguishing Boards for Goods Carriage	53
105. Inspection of Transport Vehicles and their contents	53
106. Motor Cabs may be required to carry Taxi Meters	54
107. Examination and Sealing of Taxi Meter	55
108. Subsequent examination of Taxi-meter	55
109. Illumination of Taxi-meter	55
110. Operation of Taxi Meter	55
111. The fare recorded by the Meter	55
112. Power of Transport Department Officers to inspect Taxi Meter	55
113. Lost Property	55
114. Prohibition on painting or marking of Transport Vehicles in certain manner	56
115. Painting and marking of Motor Cabs in certain manner	56
115-A. Colour of maxi-cab	57
116. Classification of Stage Carriage Services	57
117. Airconditioning and Cooling	57
118. Conveyance of animals in Stage Carriage	57
119. Licensing and regulation of conduct of Agent for sale of tickets for travel by Public Service Vehicle	57
120. Application for licence to act as a Travel Agent	58
121. Scrutiny of Application	58
122. Grant/Renewal of Travel Agent's Licence	58
123. Furnishing of Security Deposit	58
124. Form and Validity of Licence	58
125. Renewal of Licence	58
126. General conditions to be observed by the holder of Travel Agent's Licence	58
127. Suspension, cancellation of Agent's Licence and forfeiture of Security	59
128. Issue of duplicate Licence	60
129. Appeal	60
130. Procedure for Appeal	60
131. Licensing of Agents engaged in the business of collecting or forwarding and distributing goods	60

विषय-सूची	क्षेत्रीय वाहन विधा, 1994	पृष्ठा.
98. माल यान में माल से जाने का कर्तव्य	52
99. अनुज्ञापन पारक के पते में परिवर्तन	52
100. लोक सेवा यान को नुकसान पहुँचे या उसके खातब होने की सूचना	52
101. मोटरवान में परिवर्तन	52
102. अनुज्ञापन की शर्तों के रूप में अनुयानों (ट्रैलर) के उपयोग पर निर्बन्धन	53
103. मंजिली गाड़ी या टेका गाड़ियों पर कठिनप विशिष्टियों का प्रदर्शित किया जाना	53
104. मालयानों के स्प्रॉडक फलक	53
105. परिवहन यानों और उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण	53
106. मोटर कैबों में टैक्सी मीटर लगाए जाने की अपेक्षा की जा सकती	54
107. टैक्सी मीटरों का परीक्षण तथा उनमें सील लगाई जाना	55
108. टैक्सी मीटर की पश्चात्वर्ती जाँच	55
109. टैक्सी मीटर की प्रकाश व्यवस्था	55
110. टैक्सी मीटर का प्रचालन	55
111. मीटर द्वारा अभिलिखित किया जाए	55
112. टैक्सी मीटर का निरीक्षण करने की परिवहन विभाग के अधिकारियों की शक्ति	55
113. खोई हुई सम्पत्ति	55
114. परिवहन यानों पर कठिनप रीति में रंग विवरण किया जाने का प्रतिशेष	56
115. मोटर कैब की कठिनप रीति में रंग और विवरण	56
115-अ. ऐक्सी कैब का रंग	57
116. मंजिली गाड़ी सेवाओं को कार्यकरण	57
117. वातानुकूलित तथा वातशीतन	57
118. मंजिली गाड़ीयों में पशुओं को लाना ले जाना	57
119. लोक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिये टिकटों की बिक्री के लिये एजेन्टों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विविध	57
120. ट्रेविल अधिकार्ता के रूप में कार्य करने की अनुज्ञानि हेतु आवेदन पत्र	58
121. आवेदन पत्र की जाँच	58
122. ट्रेविल अधिकार्ता अनुज्ञानि का दिया जाना/नवीकरण	58
123. प्रतिभूति निषेष का दिया जाना	58
124. अनुज्ञानि का प्रलय तथा वैधता	58
125. अनुज्ञानि का नवीकरण	58
126. ट्रेविल अधिकार्ता अनुज्ञानि द्वारा अनुपालन की जाने वाली समाचार शर्त	58
127. अधिकार्ता अनुज्ञानि का निलम्बन, रद्दकरण एवं प्रतिभूति का सम्पर्लण	59
128. अनुज्ञानि की द्वितीय प्रति जारी करना	60
129. अपील	60
130. अपील के लिये प्रक्रिया	60
131. माल के संग्रहण या अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे हुए अधिकारियों का अनुज्ञापन	60

Rules	
132. Prohibition to act as Agent except under Licence	60
133. Agent's Licence	61
134. Renewal Of Agent's Licence	62
135. Rate of Commission	62
136. Revocation of Agent's licence and forfeiture of Security	62
137. Issue of duplicate Licence	63
138. Conditions of Agent's Licence	63
139. Particulars to be mentioned in Contract of Agency	64
140. Place to be used for loading and unloading of goods etc.	64
141. Power of entry and inspection	65
142. Appeal and Revision against the orders of the State Transport Authority and Regional Transport Authorities	66
143. Procedure in Appeals and Revisions	66
144. Inspection of record and supply of copies to persons interested in appeal, revision or otherwise	67
145. Fees	67

CHAPTER VI**SPECIAL PROVISIONS RELATING TO STATE TRANSPORT UNDERTAKING**

146. Definitions	70
147. Preparation and Publication of Scheme	70
148. Manner of filing objections	71
149. Agreement to Scheme by Permit Holders	71
150. Consideration and disposal of objections	71
151. Implementation of the Approved Scheme	72
152. Procedure for giving effect to Approved Scheme	72
153. Disposal of Unclaimed Property	73

CHAPTER VII**CONSTRUCTION, EQUIPMENT AND MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLES**

154. General	73
155. Maintenance of Public Service Vehicle	73
156. Stability	73
157. Side Overhang	74
158. Seating Room	74
159. Head Room	76
160. Permission to carry passengers standing and condition thereof	76
161. Limit of carrying capacity	77
162. Exemption	77

पृष्ठ क्र.	
132. अनुज्ञाति के अधीन के सिवाय अभिकर्ता का कार्य करने का प्रतिबंध	60
133. अभिकर्ताओं की अनुज्ञाति	61
134. अभिकर्ता की अनुज्ञाति का नवीकरण	62
135. कमीशन की दर	62
136. अभिकर्ता की अनुज्ञाति का प्रतिसंहरण एवं प्रतिपूर्ति का सम्पहरण	62
137. अनुज्ञाति की द्वितीय प्रति का जारी किया जाना	63
138. अभिकर्ता की अनुज्ञाति के लिये शर्तें	63
139. अभिकर्ता (एजेन्सी) की सविदा में वर्णित की जाने वाली विशिष्टियाँ	64
140. माल के चढ़ाने और उतारने आदि के लिये उपयोग किया जाने वाला स्थान	64
141. प्रवेग एवं निरीक्षा की शर्ति	65
142. राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक (रीजनल) परिवहन प्राधिकारी के आदेशों के विवर अपील और पुनरीक्षण	66
143. अपीलों और पुनरीक्षणों में प्रक्रिया	66
144. अपील, पुनरीक्षण में या अन्यथा हितबद्ध व्यक्तियों को अभिलेख का निरीक्षण और प्रतिवाद का प्रदाय	67
145. फीस	67

अध्याय 6**राज्य परिवहन उपकरणों के संबंध में विशेष उपबन्ध**

146. परिभाषाएँ	70
147. स्कीम का तैयार किया जाना तथा उसका प्रकाशन	70
148. आपतियों का इलाज करने की रीति	71
149. अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा स्कीम से सहमति	71
150. आपतियों पर विचार किया जाना तथा उनका निपटाया	71
151. अनुमोदित स्कीम का कार्यान्वयन	72
152. अनुमोदित स्कीम को प्रभावशील करने की प्रक्रिया	72
153. अदावाकृत सम्पत्ति का व्यवन	73

अध्याय 7**मोटरवाहनों का सञ्चालन, उनके उपस्थर और अनुरक्षण**

154. साधारण	73
155. लोक सेवा वाहन का अनुरक्षण	73
156. स्थायित्व	73
157. बाजू की ओर बाजौ का बाहर निकला हुआ भाग (साई ओवरहेंग)	74
158. बैठने की जगह (सीटिंग रूम)	74
159. छड़े होने के लिए ऊनाई (हेड रूम)	76
160. यात्रियों को छड़े-छड़े से जाने की अनुज्ञा और उसकी शर्तें	76
161. वहन करने की क्षमता की सीमा	77
162. कृट	77

Rules	
163. Driver's seat in public service Vehicle	77
164. Width of doors	78
165. Grab-rail	78
166. Steps	78
167. Body dimensions, Guard Rails and Life Guards	79
168. Protection of passengers from weather	79
169. Internal Lighting	80
170. Body construction	80
170-A. Special provisions for Sleeper Coach and Semi Sleeper Coach	80
170-B. Deluxe Sleeper Coach	80
170-C. Deluxe Sleeper Coach	80
170-D. Semi-Sleeper Coach	82
170-E. Powers of State Government to grant relaxation	83
170-F. Entry in Certificate of Registration and Permit	83
171. Compulsory Electric lighting	83
172. Fuel Tanks	83
173. Carburetors	83
174. Exhaust pipe	83
175. Electric wires	83
176. Fire Extinguishers	83
177. Locking of Nuts	84
178. Floor Boards	84
179. Spare Wheel and tools	84
180. First Aid Box	84
181. Chocks	85
182. Driver's Seat in Goods Vehicles	86
183. Securing of goods in open goods vehicles	86
184. Checking of designs of locally manufactured Trailers	86
184-A. Approval of new make and model of motor vehicle for sale in the state	87
185. Prohibition or Restriction on the use of Audible Signals	88
186. Particulars to be exhibited on transport vehicle	89
187. The use of Trailers with motor vehicles	89
188. Distinguishing Mark for Trailer	90
189. Attendant on trailer	90
190. Placement of Audio-Visual or Radio or Tape Recorder or Devices in the vehicle	91
191. Mirror	91
192. Dangerous Projections	92
193. Springing	92

विषय-सूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

C-9

नियम

	पृष्ठ क्र.
163. लोक सेवा यान में चालक के बैठने का स्थान (सीट)	77
164. दरवाजों की चौड़ाई	78
165. कसकर पकड़ने के लिये लोहे की छड़	78
166. सीढ़ियाँ	78
167. बॉडी का परिमाप, रक्क छड़ें और जीवन रक्क (लाइफ गार्ड)	79
168. मौसम से यात्रियों का संरक्षण	79
169. भीतरी प्रकाश व्यवस्था	80
170. बॉडी का संनिर्माण	80
170-क. स्तीपर शयनयान एवं अर्द्ध-स्तीपर शयनयान के संबंध में विशेष प्रावधान	80
170-ख. डीलक्स शयनयान	80
170-ग. डीलक्स शयनयान	80
170-घ. अर्द्ध शयनयान	82
170-ङ. शिथिलीकरण प्रदान करने की शक्ति	83
170-च. पंजीयन प्रमाण-पत्र और अनुज्ञा-पत्र में इन्ड्राजि	83
171. अनिवार्य प्रकाश व्यवस्था	83
172. ईंधन की टीकियाँ	83
173. कावूरीटर	83
174. निर्गम नली (एक्जास्ट पार्फ्यू)	83
175. विद्युत तार	83
176. अनिश्चालक यंत्र	83
177. नटों में रोधक ढिबरी लगाना (लाकिंग आफ नट्स)	84
178. फर्स के तहों (फ्लोर बोर्ड्स)	84
179. अतिरिक्त पहिया और औजार	84
180. प्रथमोपचार पेटी (फर्स्ट एड बॉक्स)	84
181. गुटके (चोक)	85
182. माल यान में चालक का आसन (सीट)	86
183. खुले माल यानों में माल की सुरक्षा	86
184. स्थानीय रूप से निर्भित अनुयानों (ट्रेलर) के नए अभिकल्पों (डिजाइनों) की जांच	86
184-क. राज्य में विक्रय के लिये मोटरयान के नये मैक एवं मॉडल का अनुमोदन	87
185. व्यानि संकेतों के उपयोग का प्रतिपेद्य का निर्वाचन	88
186. परिवहन यानों पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियाँ	89
187. मोटरयानों के साथ अनुयान (ट्रेलर) का उपयोग	89
188. अनुयानों के लिए विभेदक चिन्ह	90
189. अनुयान में परिचालक (अटैण्डण)	90
190. वाहन में दृश्य	91
191. दर्पण	91
192. खतरनाक प्रवेष्प	92
193. स्कंदन (स्प्रिंगिंग)	92

Rules

194. Turning Circle 92
 195. Electronic device for overtaking 93
 196. Motor Vehicles fitted with left hand steering control 93
 197. Mud Guards 93
 198. Attachment to motor cycle 93
 199. Signal to driver to stop vehicle 93
 200. Coupling 93

**CHAPTER VIII
CONTROL OF TRAFFIC**

201. Vehicle abandoned on road 93
 202. Installation and use of weighing devices 94
 203. Maintenance and management of parking places 95
 204. Maintenance and management of stands 95
 205. Prohibition on driving with gear disengaged 96
 206. Prohibition of taking hold of or mounting of vehicle in motion 97
 207. Prohibition of the use of foot paths, pavements by motor vehicles 97
 208. Projection of loads 97
 209. Prohibition on use of cut outs 98
 210. Unguarded railway level crossing 98
 211. Erection of placing of signs or advertisements on road prohibited 98
 212. Attendant 98
 213. Head Gear 98
 214. Inspection of vehicle involved in an accident and penalty for causing obstruction to free flow of traffic 98
 215. Power to restrict use of vehicle 99
 216. Main road 99
 217. Limit of speed 100
 218. Loading of public service vehicle on ferry boats 100
 219. Construction of speed breakers or humps on roads 100

**CHAPTER IX
CLAIMS TRIBUNAL**

220. Application for compensation arising out of an accident 100
 221. Production of passport size photograph by applicant 100
 222. Fees 100
 223. Examination of applicant 101
 224. Summary dismissal of application 101
 225. Notice to opposite party and its examination 101
 226. Obtaining of information and documents necessary for awarding compensation under section 140 101

विषय-सूची**छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994**

C-10

नियम

194. वृत्त में घूमने की क्षमता (टर्निंग सर्कल) 92
 195. अतिलंघन (ओवर ट्रैकिंग) के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन 93
 196. बाँधी और से चालन (लैपट हैण्ड स्टीअरिंग) नियंत्रण लगे हुए मोटरयान 93
 197. पंकरक्षक (मडगार्ड) 93
 198. मोटर साइकिल से संयोजन 93
 199. यान को रोकने के लिए चालक को संकेत 93
 200. संयोजन (कपलिंग) 93
- अध्याय 8**
यातायात का नियंत्रण
201. सड़क पर परिव्यक्त यान 93
 202. तौलने के साधनों का लगाया जाना और उनका उपयोग 94
 203. पार्किंग स्थानों (पार्किंग प्लेस) की व्यवस्था एवं अनुरक्षण 95
 204. स्टैण्ड की व्यवस्था तथा अनुरक्षण 95
 205. गियर अनियोजित (डिएंपेंड) होने की अवस्था में चलाने पर प्रतिषेध 96
 206. चलते हुए यान पर चढ़ने या उसे पकड़ने का प्रतिषेध 97
 207. मोटरयानों द्वारा पदमार्ग (फ्लूटपाथ) या पटरी (पेवमेंट्स) के उपयोग का प्रतिषेध 97
 208. भार का बाहर निकला हुआ होना 97
 209. वियोजकों (कट-आउट्स) के उपयोग का प्रतिषेध 98
 210. आरक्षित रेल सम्पार 98
 211. सड़कों पर चिन्ह या विज्ञापन लगाए या रखे जाने का प्रतिषेध 98
 212. परिचारक (टेटेडेन्ट) 98
 213. सिरस्त्राण 98
 214. दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण और सुआम यातायात में बाधा घटित करने के लिए शास्ति 98
 215. यान के उपयोग पर निर्बन्ध लगाने की शक्ति 99
 216. मुख्य सड़क 99
 217. गति सीमा 100
 218. पारनोका पर लोक सेवा यान का लादा जाना 100
 219. सड़क पर गति-अवरोधक या कूबड़ (हम्प) सन्निर्भार्ण 100
- अध्याय 9**
दावा अधिकरण

220. दुर्घटना से उद्भूत होने वाले प्रतिकर के दावे का आवेदन पत्र 100
 221. आवेदक द्वारा पासपोर्ट आकार के फोटो का पेश किया जाना 100
 222. फीस 100
 223. आवेदक की परीक्षा 101
 224. आवेदन पत्र का संक्षेपत: खारिज किया जाना 101
 225. विरोधी पक्षकार को सूचना और उसकी परीक्षा 101
 226. धारा 140 के अधीन प्रतिकर प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को अभिप्राप्त करना 101

Rules

	<i>Contents</i>	<i>Pages</i>
227.	Judgement and award of compensation under section 140	101
228.	Procedure of disbursement of compensation under section 140 to legal heirs in case of death	102
229.	Local inspection	102
230.	Framing and determination of issues	103
231.	Summoning of witnesses	103
232.	Appearance of parties	103
233.	Appointment of representatives on behalf of parties	103
234.	Power of summary examination	103
235.	Method of recording evidence	104
236.	Expert	104
237.	Procedure in connected cases	104
238.	Award of compensation	104
239.	Receipt for compensation	105
240.	Procedure to be followed by Claims Tribunal in holding enquiries	105
241.	Minor accident — summary procedure	105
242.	Form of appeal and contents of memorandum	105

CHAPTER X**MISCELLANEOUS**

243.	Establishment of Motor Vehicles Department	105
244.	Jurisdiction of the officers of the Transport Department	106
245.	Performance of functions of sub-ordinate officers by superior officers	106
246.	Performance of function of superior officers by subordinate officers	106
247.	Powers including powers exercisable by police officers under the Act to be exercised by the officers of the Transport Department	107
248.	Uniform to be worn by officers in the subordinate transport service	107
249.	Certificate of appointment	108
250.	Reward and Punishment	108
251.	Repeal and Savings	109

Contents**Pages****विषय-सूची***छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994***नियम**

227.	धारा 140 के अधीन निर्णय तथा प्रतिकर अधिनिर्णीत करना	101
228.	धारा 140 के अधीन प्रतिकर के संवितरण की प्रक्रिया	102
229.	स्थानीय निरीक्षण	102
230.	विवादकों की विरचना तथा उनका अवधारण	103
231.	साक्षियों का समन किया जाना	103
232.	पक्षकारों की उपसंचाति	103
233.	पक्षकार की ओर से प्रतिनिधियों की नियुक्ति	103
234.	संक्षिप्त परीक्षण की शक्ति	103
235.	साक्ष्य अभिलेखित करने की पद्धति	104
236.	विशेषज्ञ	104
237.	सम्बद्ध मामलों में प्रक्रिया	104
238.	प्रतिकर का अधिनिर्णय	104
239.	प्रतिकर के लिए पावती	105
240.	दावा अधिकारण द्वारा जांच करने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया	105
241.	मामूली दुर्घटना संक्षिप्त प्रक्रिया	105
242.	अपील का प्रारूप एवं ज्ञापन की विषय-वस्तु	105

अध्याय 10**प्रक्रीय**

243.	मोटरयान विभाग की स्थापना	105
244.	परिवहन विभाग के अधिकारियों की अधिकारिता	106
245.	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के कृत्यों का पालन करना	106
246.	अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के कृत्यों का पालन करना	106
247.	अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ	107
248.	अधीनस्थ परिवहन सेवा में के अधिकारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी	107
249.	नियुक्ति का प्रमाण पत्र	108
250.	पुस्तकार तथा दण्ड	108
251.	निरसन तथा व्यावृति	109

C-12

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

विषय-सूचि

प्रथम अनुसूची

प्रृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सी.जी.एम. बी.आर. 1	परिवहन यान चलाने के प्राधिकार प्रदान करने के लिये आवेदन पत्र	110
2	परिवहन यान प्राधिकार बिल्ला की दूसरी प्रति हेतु आवेदन-पत्र	110
3	चालन अनुज्ञाप्ति खो जाने अथवा नष्ट होने की प्रज्ञापना और दूसरी प्रति के लिये आवेदन	111
4	नौसिखिया अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिये आवेदन-पत्र	113
5	चलाने का अस्थायी प्राधिकार	113
6	एक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की ई चालन अनुज्ञाप्ति में दूरे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यानों के बांध में जब कोई परिवर्धन किया जाय, जिसके लिए धारक चलाने के लिये हकदार है, उसकी प्रज्ञापना	114
7	चालन अनुज्ञाप्ति के नवीकरण की प्रज्ञापना	114
8	चालन अनुज्ञाप्ति पर पृष्ठांकन करने की न्यायालय द्वारा प्रज्ञापना	115
9	मंजिली गाड़ी के चालक द्वारा जारी किए गए प्रतिदाय का प्रमाण-पत्र	116
9-क	अन्य प्रदेश चालन अनुज्ञाप्ति नवीकरण रजिस्टर	116
10	जब परिचालक के रूप में बिना अनुज्ञाप्ति के कार्य करना हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रज्ञापना	117
11	परिचालक की अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन-पत्र	118
12	परिचालक के लिए चिकित्सी प्रमाण-पत्र का प्रृष्ठ	118
13	प्रथमोपचार कार्य में सक्षमता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण-पत्र	119
14	परिचालक अनुज्ञाप्ति	120
15	परिचालक अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन	121
16	परिचालक अनुज्ञाप्ति के नवीकरण की प्रज्ञापना	121
17	मंजिली गाड़ी के परिचालक द्वारा जारी प्रतिदाय का प्रमाण-पत्र	122
18	परिचालक अनुज्ञाप्ति खो जाने या नष्ट होने की प्रज्ञापना और दूसरी प्रति के लिए आवेदन-पत्र	122
19	परिचालक बिल्ला की दूसरी प्रति के लिए आवेदन पत्र	124
20	अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र	124
21	अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र	125
22	उपयुक्ता प्रमाण-पत्र स्वीकृत/ नवीकरण के लिए आवेदन पत्र	126
23	परीक्षण स्टेशन को प्रस्तुत किए जाने वाला कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र	127

विषय-सूचि

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

C-13

प्रृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सी.जी.एम. बी.आर. 24	उपयुक्तता प्रमाण पत्र का अवसान हो जाने पर यान का उपयोग करने के लिए अस्थायी प्राधिकार	127
25	परिवहन यान की निरीक्षण रिपोर्ट	128
26	तारीखवार उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने और जांच पड़ताल करने का रजिस्टर	131
27	उपयुक्ता प्रमाण-पत्र जारी करने का यानवार रजिस्टर	132
28	उपयुक्ता प्रमाण-पत्र जारी करने की मासिक रिपोर्ट	132
29	कारण बताते हुए उपयुक्ता प्रमाण-पत्र के रद्दकरण की सूचना कार्यालय प्रावेशिक परिवहन अधिकारी	132
30	मोटरयान हटाने के लिए अस्थायी प्राधिकार जब उपयुक्ता प्रमाण-पत्र रद्द किया जा चुका हो	133
31	उपयुक्ता प्रमाण-पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने की प्रज्ञापना और खो गए/नष्ट हुए/फटे हुए/विस्तित हुए प्रमाण-पत्र के स्थान पर उपयुक्ता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन पत्र	133
32	मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को मोटरयान के स्वामित्व अन्तरण की संस्करण देना	134
33	नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने और मूल प्राधिकारी से अभिलेख बुलावाने की प्रज्ञापना	135
34	मोटरयान में परिवर्तन के संबंध में सूचना	135
35	राज्य परिवहन, प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ को मोटरयान की चोरी की प्रज्ञापना	136
36	राज्य के समस्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को मोटरयान की चोरी की प्रज्ञापना	137
37	राज्य परिवहन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ के कार्यालय द्वारा रखा जाने वाला चोरी गए यानों का रजिस्टर	138
38	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रखा जाने वाला चोरी गए यानों का रजिस्टर	138
39	खोज ली गयी मोटरयान की संबंधित पुलिस थाने द्वारा प्रज्ञापना	139
40-41	अनुज्ञापत्र के लंबित आवेदन-पत्र और उनके निराकरण की विवरणी	139
42	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र के लिए मंजूरी/नवीकरण/प्रतिहस्ताक्षर के संबंध में आवेदन पत्र	140
43	ठेका गाड़ी के नियमित रूप से उपयोग करने के संबंध में अनुज्ञापत्र की मंजूरी/नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र	144
44	माल यान अनुज्ञापत्र की मंजूरी के संबंध में आवेदन-पत्र	146
45	अस्थाई अनुज्ञापत्र के संबंध में आवेदन-पत्र	148
46	प्रायवेट सेवा यान के अनुज्ञापत्र के संबंध में आवेदन-पत्र	149

C-14

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

विषय-सूची

प्रृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सी.जी.एम. बी.आर. 47	टेका गाड़ी के संबंध में धारा 88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन-पत्र	150
48	मजिली गाड़ी के संबंध में अनुज्ञापत्र	151
48-क	आरक्षित मजिली गाड़ी के संबंध में अनुज्ञापत्र	154
49	टेका गाड़ी के संबंध में अनुज्ञापत्र	156
50	माल यान अनुज्ञापत्र	158
51	अस्थायी अनुज्ञापत्र	159
52	प्राइवेट सेवायान अनुज्ञापत्र	160
53	टेका गाड़ी के संबंध में विशेष अनुज्ञापत्र	161
54	पर्टेटक यान के संबंध में अनुज्ञापत्र	162
55	माल यान के लिए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र	166
56	अनुज्ञापत्र आवेदन की अभिस्वीकृति	167
57	अनुज्ञापत्र आवेदन रजिस्टर	167
57-क	अनुज्ञापत्र धारक को, अनुज्ञापत्र के प्रस्तुप में संपरिवर्तन करने के लिए कारण बताओं सूचना	168
58	किसी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले मोटरयान को बदले जाने के लिए आवेदन पत्र	168
59	अनुज्ञापत्र के अंतरण के लिए आवेदन पत्र	169
60	शिकायत पुस्तक	170
61	यात्रा अभिकर्ता का अनुज्ञानि के लिये आवेदन पत्र	171
62	अभिकर्ता की अनुज्ञानि	171
63	यात्रा अभिकर्ता हारा रखा जाने वाला पर्टेटक यान रजिस्टर	172
64	शिकायत पुस्तक	173
65	संग्रहण अभिकर्ता/ अग्रेषण अधिकर्ता/ संग्रहण और अग्रेषण अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञानि मंजूर करने/ नवीकरण करने के लिए आवेदन-पत्र	173
66/67	अभिकर्ता के अनुज्ञापन, संग्रहण, अग्रेषण और माल के वितरण के लिए नियम 133 के अधीन मंजूर की गई अभिकर्ता के अनुज्ञानि	174
68	31 दिसम्बर, 20..... को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए वार्षिक विवरणी	175
69		177
70		178
71		178
72		179

विषय-सूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

C-15

प्रृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सी.जी.एम. बी.आर. 73		179
74	लम्बा सामान ले जाने की अनुज्ञा	180
75	प्रतिकर के लिये आवेदन पत्र	180
76		182
77	नियुक्ति प्रमाण-पत्र	183

- द्वितीय अनुसूची : चालक तथा परिचालक का बिल्ला 184
 तृतीय अनुसूची : अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समानुदेशित करना 185
 चतुर्थ अनुसूची : अनुयान या पंक्ति के अंतिम अनुदान के पृष्ठ भाग पर प्रदर्शित किये
 जाने वाला विभेदक चिन्ह 185
 पंचम अनुसूची : केप बिल्ले तारा तथा कन्धे के बिल्ले का डिजाइन 186
 छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001 187-193
 अधिसूचना 194-195

THE CHHATTISGARH MOTOR VEHICLES RULES, 1994

Notification No. F.8-1-90-VIII, dated 4th August, 1994 — In exercise of the powers conferred by sections 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 159, 176, 211 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, namely —

CHAPTER I PRELIMINARY

1. **Short title and application** — (1) These rules may be called the "Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994".
(2) They shall, have as expressly provided otherwise, apply to and in relation to all Motor Vehicles in the State of Chhattisgarh.
(3) These rules shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions** — In these rules, unless the context otherwise requires —

- (a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988);
- [(aa) "Transport Check-post" means the check-post established by the State Government from time to time for the control and enforcement of the provisions of Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and the rules made thereunder, the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) and the rules made thereunder, and other related matters.]
- (b) "Deputy Transport Commissioner" and "Assistant Transport Commissioner" means the Officers appointed as such by the State Government to perform the duties and functions of Deputy Transport Commissioner or Assistant Transport Commissioner under these rules;
- (c) "Central Rules" means the Central Motor Vehicles Rules, 1989 framed by the Government of India under the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988);
- (d) "Form" means a Form set-forth in the First Schedule appended to these Rules;
- (e) "Transport Department" means the Motor Vehicles Department established by the State Government under sub-section (1) of Section 213 of the Act;

1. M.P. Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) under section 79 the words "Madhya Pradesh" substitute as "Chhattisgarh"; Notification No. 586/161/Tr./2001 dated 31-1-2001; Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-2-2001 on pages 77-78.
2. Inserted by Notification No. 668/Tr.D./2001 dated the 10th October, 2001 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 10-10-2001 pages 470-470(1).

-: I :-

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

अधिसूचना क्रमांक एक. 8-1-90-आठ, दिनांक 4 अगस्त, 1994 — मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का क्र. 59) की धाराओं 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 159, 176, 211 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एवं द्वारा नियम बनाती है, वे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित पूर्ण में प्रकाशित किये गये, अर्थात् —

अध्याय 1

प्ररंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा लागू होना — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994" है।

(2) यह नियम, जहाँ अधिव्यक्त रूप से अन्यथा उल्लंघित है उसके सिवाय छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मोटरयानों पर तथा उनके संबंध में लागू होगे।

(3) यह नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे।

2. परिभाषाएँ — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59);

[(क) "परिवहन जाँच चौकी" से अभिप्रेत ऐसी जाँच चौकी से है जो समय-समय पर राज्य शासन द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (सं. 1988 का क्रमांक 59) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (सं. 1991 का क्रमांक 25) एवं उसके अंतर्गत बने नियमों एवं अन्य संबंधित विषयोंके प्रावधानोंके नियंत्रण एवं प्रवर्तन करने के लिए स्थापित की गई है।]

(ख) "उप परिवहन आयुक्त" और "सहायक परिवहन आयुक्त" से अभिप्रेत हैं राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन उप परिवहन आयुक्त या सहायक परिवहन आयुक्त के कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त अधिकारी;

(ग) "केन्द्रीय नियम" से अभिप्रेत है मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अधीन भारत सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989;

(घ) "प्रश्न" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रथम अनुसूची में दिया गया प्रश्न;

(ङ) "परिवहन विभाग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 213 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित मोटरयान विभाग;

1. मध्यप्रदेश पुरार्थन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सं. 2000) की धारा 79 के अधीन "मध्यप्रदेश" के स्थान में "छत्तीसगढ़" स्थापित; अधिसूचना क्रमांक 586/161/परि./2001, 31 जनवरी, 2001; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 फरवरी, 2001 को पृष्ठ 77-78 पर प्रकाशित।

2. अधिसूचना क्रमांक 668/परि. वि./2001, दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 द्वारा अंतःस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-10-2001 को पृष्ठ 469-470 पर प्रकाशित।

-: I :-

- (f) "Passenger" means any person travelling in a public service vehicle other than the driver, conductor and a person engaged for the loading and unloading the luggage of the passengers or an employee of the permit holder while on duty;
- (g) "Region" means the territorial jurisdiction of a Regional Transport Authority, as notified from time to time;
- [(h) "Regional Transport Officer", "Additional Regional Transport Officer" or "Assistant Regional Transport Officer or District Transport Officer" means any Officer appointed as such by the State Government for any Region or Area to perform the duties and functions under the Act and these rules;]
- (i) "Stand" means a place duly notified as such under rule 204 of these rules;
- (j) "State" means the State of Chhattisgarh;
- (k) "Section" means a section of the Act;
- (l) "State Government" means the Government of Chhattisgarh;
- (m) "Transport Commissioner" means the head of the Motor Vehicles Department established under section 213 of the Act and appointed as such by the State Government to perform the duty and function of the Transport Commissioner under the Act or the rules framed thereunder;
- (n) "Transport Inspector", "Transport Sub-Inspector" or "Assistant Transport Sub-Inspector" means Officer appointed as such by the Transport Commissioner;
- (o) "Tribunal" means the State Transport Appellate tribunal constituted under sub-section (2) of Section 89 of the Act;
- (p) "Words and Expressions" used in the Act and not defined in these rules shall have the meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER II

LICENSING OF DRIVERS OF MOTOR VEHICLES

3. Licensing Authority — (1) The Licensing Authority for the purposes of licensing and regulation and matters connected therewith, other than licensing and regulation of schools or establishment shall be the Regional Transport Officer, Additional Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer."

(2) The Licensing Authority for the purposes of Licensing and regulation of Schools or establishments for imparting instructions in driving of motor vehicles, and matters connected therewith shall be the Regional Transport Officer or such other Officer not below the rank of Regional Transport Officer as authorised by the State Government by notification, in the Chhattisgarh Gazette.

(3) The area of jurisdiction of the each Licensing Authority shall be the region or such other area as the State Government may notify from time to time.

I. Substituted by Notification No. 510/Tr./2002 dated the 21st May, 2002 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 21-5-2002.

नियम 3

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994

2

- (च) "यात्री" से अभिप्रेत है कर्तव्य पर रहने के दौरान चालक, परिचालक तथा यात्रियों का सामान चाहने और उतारने के काम में लगाए गए विस्तीर्ण व्यक्ति या अनुज्ञापन धारक के विस्तीर्ण कर्मचारी से भिन्न लोक सेवा यान में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति,
- (छ) "प्रदेश" से अभिप्रेत है प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की ऐसी सेवीय अधिकारिता जो कि समय-समय पर अधिसूचित की जाए;
- [(ज) "प्रादेशिक परिवहन अधिकारी", "अपर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी" या "सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या जिला परिवहन अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के लिए इस रूप में नियुक्त किया गया है;]
- (झ) "स्टैण्ड" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 204 के अधीन सम्बन्धित कोई स्थान;
- (ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;
- (ट) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
- (ठ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;
- (ड) "परिवहन आयुक्त" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 213 के अधीन स्थापित मोटरयान विभाग का प्रमुख जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन परिवहन आयुक्त के कर्तव्य तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इस रूप में नियुक्त किया गया है;
- (ड) "परिवहन निरीक्षक", "परिवहन उप निरीक्षक" या "सहायक परिवहन उप निरीक्षक" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जिसे परिवहन आयुक्त द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है;
- (ण) "अधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अधील अधिकरण;
- (य) उन "शब्दों और पदों" के, जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभासित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

अध्याय 2

मोटरयान चालकों का अनुज्ञापन

3. अनुज्ञापन प्राधिकारी — (1) स्कूलों या स्थापनों के अनुज्ञापन तथा विनियमन से भिन्न, अनुज्ञापन तथा विनियमन और उससे सशक्त मामलों के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अपर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा।

(2) मोटरयान चालन की शिक्षा देने के लिए स्कूलों या स्थापनों के अनुज्ञापन तथा विनियमन और उससे सशक्त मामलों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस रूप में प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी होगा जो प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो।

(3) प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता का क्षेत्र ऐसा प्रदेश या ऐसा अन्य क्षेत्र होगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।

1. अधिसूचना क्रमांक 510/परिवहन/2002 दिनांक 21 मई, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21-5-2002 को पृष्ठ 253-254 पर प्रकाशित।

4. Testing Officer — The test as set forth in sub-section (5) of section 8 and the test of competence to drive as set forth in sub-section (3) of section 9 of the Act shall be conducted by the Licensing Authority or a Transport Inspector, or a Board, constituted by the State Government from time to time.

5. Production of Vehicle — Subject to the provisions of sub-section (6) of section 9 of the Act the applicant shall furnish a serviceable vehicle of the class to which the application relates and present himself for the test at such time and place as may be specified by the Licensing Authority.

6. Medical Practitioner/Medical Examination Fee — For the purposes of sub-section (3) of Section 8 of the Act the registered medical practitioner having MBBS degree in Allopathy from the recognised University, is authorised to examine the applicant for driving licence and for issue of Medical Certificate in Form I-A of the Central Rules on payment of fee prescribed under rule 24.

7. Authorisation to drive Transport Vehicle — (1) A certificate for authorisation to drive a transport vehicle shall be made in Form M.P. M.V.R.-I (ATVA) alongwith—

- (a) the driving license issued in form 6 or 7 of the Central Rules; and
- (b) the fee as specified in rule 24.

(2) The Licensing Authority to which application is made for grant of authorisation under this rule may, if it thinks fit, in order to ascertain whether the applicant is a fit person for being granted the authorisation and whether the applicant is not disqualified for holding or obtaining a driving licence or to drive otherwise, make enquiries into the character and antecedents from the Superintendent of Police within whose jurisdiction the applicant resides.

(3) If the Licensing Authority is satisfied that the applicant is in all respects eligible and fit to be authorised to drive a transport vehicle, his driving license shall be endorsed accordingly under the seal and signature of the Licensing Authority.

(4) The Licensing Authority shall refuse to grant the authorisation if it finds that the applicant is not eligible or fit person to drive transport vehicle and accordingly inform the applicant in writing giving reasons thereof.

8. Driver's Badge of Transport Vehicle — (1) A circular plastic or metal badge shall be issued by the Licensing Authority to every person, who has been granted an authorisation to drive a transport vehicle under rule 7 on payment of fee as specified in rule 24.

(2) The badge shall be in the form illustrated in the Second Schedule appended to these rules and inscribed with the head-quarters of the Licensing Authority by which the badge is issued, the words "चालक" an identification number and "परिवहन नं.".

(3) The driver of a transport vehicle shall while on duty, display the badge on the left side of his chest.

(4) No driver shall hold more than one such badge.

(5) If the badge is lost or destroyed a duplicate badge shall be issued by the authority by which it was issued, on an application made in Form M.P.M.V.R. 2 (DTVB) accompanied by the fee as specified in rule 24.

4. परीक्षण अधिकारी — अधिकारिय की भारा ४ की उपभारा (५) में दिए गए अनुसार चालक सम्बन्धी का परीक्षण अनुज्ञापन प्राधिकारी या परिवहन विभाग का राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गठित होई द्वारा किया जाएगा।

5. यात्रा का प्रस्तुत किया जाना — अधिकारिय की भारा ५ की उपभारा (६) के उपर्योग के अधीन रहते हुए, आवेदक, आवेदन से संबंधित वर्ण के बहवे योग्य यात्रा को लाभेना और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये समय और स्थान पर परीक्षण के लिए स्थान अनुचित होगा।

6. विकितसा व्यवसायी/विकितसा परीक्षण फीस — अधिकारिय की भारा ४ की उपभारा (३) के प्रयोगों के लिए मात्रात प्राप्त विवरणात्मक से एकोर्डे में ए.वी.बी.एस., की उपायि प्राप्त विस्तीर्ण विकितसा व्यवसायी को नियम २४ में विहित की गई फीस का संदाय किए जाने पर चालन अनुज्ञाति के लिए आवेदक का परीक्षण करने तथा केन्द्रीय नियमों के प्रलेप १-क में विकितसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

7. परिवहन यात्रा चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाना — (1) परिवहन यात्रा चलाने के लिए प्राधिकृत किए जाने हेतु आवेदन प्रलेप सी.जी.एम.वी.आर.-१ (ए.टी.वी.ए.) में निम्नलिखित के साथ किया जायेगा—

(क) केन्द्रीय नियम के प्रलेप ६ या ७ में जारी की गई चालन अनुज्ञाति; और

(ख) नियम २४ में विनिर्दिष्ट फीस।

(2) ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिसे इस नियम के अधीन प्राधिकारा मंजूर करने के लिए आवेदन किया है यदि वह उचित समझे, यह अभिनियत करने के लिए कि क्या आवेदक प्राधिकारा मंजूर किये जाने के योग्य व्यक्ति है और यह कि आवेदक चालन अनुज्ञाति धारण करने या अधिग्राह करने या अन्याया यात्रा चलाने के लिए मिलित तो नहीं है, ऐसे पुलिस अधीकारी से, जिसकी कि अधिकारिता के भीतर आवेदक निवास करता है, आवेदक के चारित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में पूछताछ कर सकेगा।

(3) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि आवेदक परिवहन यात्रा चलाने हेतु प्राधिकृत किए जाने के लिए सभी प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त है तो उसकी चालन अनुज्ञाति अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन तदुसार पुष्टांकित की जायेगा।

(4) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो कि आवेदक परिवहन यात्रा चलाने के लिए पात्र या उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो वह प्राधिकारा मंजूर करने से इंकार कर देगा और लिखित में उसके कारण देते हुए आवेदक को सूचित करेगा।

8. परिवहन यात्रा के चालक का विल्ला — (1) ऐसे प्रयोग व्यक्ति को, जिसे नियम ७ के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परिवहन यात्रा चलाने का प्राधिकारा मंजूर किया गया हो, नियम २४ में यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर लास्टिक या धातु का एक वर्तुलाकार विल्ला जारी किया जाएगा।

(2) विल्ला, इन नियमों से संलग्न द्वितीय अनुभूति में दिये गये प्रलेप में होगा और उस पर, उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के, जिसके द्वारा विल्ला जारी किया गया है, मुश्यालय के साथ सब्द "चालक" एक पहचान संज्ञा और "परिवहन यात्रा" उत्कीर्ण किया जाएगा।

(3) परिवहन यात्रा का चालक कर्तव्य पर होने के दौरान अपने सीने पर बांधी ओर विल्ला संग्रहरित करेगा।

(4) कोई भी चालक एक से अधिक विल्ला धारण नहीं करेगा।

(5) यदि विल्ला द्वारा यात्रा नहीं हो जाए तो नियम २४ में यथा विनिर्दिष्ट फीस संलग्न करते हुए प्रलेप सी.जी.एम.वी.आर.-२ (डा.टी.वी.वी.) में आवेदन करने पर उसी प्राधिकारी द्वारा दूसरा विल्ला जारी किया जाएगा जिसके द्वारा वह जारी किया गया था।

- (6) No driver shall lend or transfer the badge to any other person.
- (7) Any person finding a badge shall, unless he returns the same to a person whom he knows to be the holder, forthwith surrender it to the authority by whom it was issued or to a nearest Police Station.
- (8) When an authorization on a driving licence; entitling the holder to drive a transport vehicle, is suspended or revoked by any licensing authority or by any court or ceases to be valid by efflux of time, the driver shall within seven days of such suspension, revocation or cessation surrender the badge held by him to the authority by which it was issued.

9. Uniform for Driver or Public Service Vehicle — The driver of a Public Service Vehicle shall wear the following uniform —

- (a) Khaki Bush-Shirt or Coat with four pockets with Flaps;
- (b) Khaki full pant; and
- (c) Khaki Cap or Turban :

Provided that the State Government may, by general or special order, exempt all or any class of such drivers from the operation of this rule for such period as may be specified in the order.

10. Display of Name Plate — A Name Plate to be displayed by the driver of a Public Service vehicle shall, be in black back-ground or a metal or plastic Plate of the size of 8 Centimeters x 2 Centimeters, inscribed with the name of driver in bold white letters in Hindi in Devnagri Script of the size of 6 millimeter. The cost of such plate shall be borne by the wearer himself.

11. Issue of Duplicate Driving Licence — (1) If at any time a driving licence is lost, destroyed or mutilated the holder shall forthwith intimate the fact in writing and may apply for a duplicate in Form M.P.M.V.R.-3 (LLD) to the Licensing Authority in whose area he has his place of residence at the time.

(2) The holder of the driving licence shall furnish to the Licensing Authority three clear copies of recent photograph of himself in passport size.

(3) Upon the receipt of the application as aforesaid, the Licensing Authority shall if it is not the authority by which the driving licence was issued, transmit a copy of the photograph and call for the particulars of the driving licence and of any endorsement thereon from original licensing authority and may make such enquiries as it thinks fit.

(4) The Licensing Authority may, ask the applicant to file an affidavit or a declaration that the driving licence in respect of which the application has been made is actually lost and has not been impounded by any competent authority prescribed under the Act, and if the applicant is unable to do so, the Licensing Authority may refuse to issue a duplicate driving licence.

(5) The Licensing Authority shall if satisfied that a duplicate may properly be issued, issue a duplicate driving licence :

Provided that where subsequent to the issue of a duplicate driving licence, it is found that there has been an endorsement by a court since the date of the grant or the last renewal of the licence, it shall be lawful for the Licensing Authority to call for the duplicate driving licence and make the necessary endorsement thereon.

- (6) कोई भी चालक किसी अन्य व्यक्ति को बिल्ला नहीं देगा या अंतरित नहीं करेगा।
- (7) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे बिल्ला मिल जाए, यदि वह उस व्यक्ति को जिसके संबंध में यह जानता है कि वह धारक है, वापस नहीं कर पाए तो वह उसे उस प्राधिकारी को, जिसके द्वारा वह जारी किया गया था वा निकटाम पुलिस थाने में तत्काल अप्पर्टिंग करेगा।
- (8) जब परिवहन यान चलाने का हक्कदार बनाने वाली चालन अनुज्ञाति के धारक का प्राधिकारी किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी या किसी न्यायालय द्वारा निर्लिखित या प्रतिसंहृत कर दिया जाए या समय बीत जाने के कारण विधिमान्य रहना समाप्त हो जाए, तो चालक उसके द्वारा धारित बिल्ला ऐसे निलंबन, प्रतिसंहरण या समाप्त होने के सात दिन के भीतर उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा वह जारी किया गया था अप्पर्टिंग कर देगा।

9. लोक सेवा यान के चालक की वर्दी — लोक सेवा यान का चालक निम्नलिखित वर्दी पहनेगा—

- (क) खाकी बुश शर्ट या कोट जिस पर फ्लैप लागी चार जेबें हो;
- (ख) खाकी पतलून; और
- (ग) खाकी टोपी या साफा :

परन्तु राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सभी या ऐसे चालकों के किसी कार्ग को इस नियम के प्रवर्तन से ऐसी अवधि के लिए कूट दे सकती जो आदेश में विविहिषित की जाये।

10. नाम पट्टी का संग्रहान — लोक सेवा यान के चालक द्वारा संग्रहान की जाने वाली नाम पट्टी 8 से.मी. × 2 से.मी. आकार की किसी धातु या प्लास्टिक पट्टी पर देवनागरी लिपि में हिन्दी में 6 मि.मी. आकार के सफेद मोटे अक्षरों में चालक का नाम उक्कीं की हुई होगी। ऐसी पट्टी की लागत पहनने वाले द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।

11. अनुज्ञाति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना — (1) यदि किसी भी समय कोई चालन अनुज्ञाति द्यो जाये विनष्ट हो जाये या विरुद्धित हो जाये तो धारक तत्काल लिखित में इस तथ्य की प्रज्ञापना देना और प्रकृत या. जी. एम. वी. आर. -3 (एल.एल.डी.) में दूसरी प्रति के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसके क्षेत्र में उसका उस समय निवास स्थान हो।

(2) चालन अनुज्ञाति का धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी को स्वयं के हाल ही के पासपोर्ट आकार के कोटी की तीन स्वच्छ प्रतिरूप प्रस्तुत करेगा।

(3) यथा पूर्वोक्तामुसार आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि वह ऐसा प्राधिकारी न हो जिसके द्वारा चालन अनुज्ञाति जारी की गई थी, कोटी की एक प्रति अपरिषिक्त करेगा और चालन अनुज्ञाति के तथा उस पर किये गये किसी पृष्ठांक की विशिष्टियाँ मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी से मंगवाएगा और ऐसी बीच कर सकेगा जैसी कि वह उचित समझे।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक से ऐसा शपथ पत्र या घोषणा फाइल करने के लिए कह कर सकेगा कि चालन अनुज्ञाति, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है वास्तव में खो गई है तथा अधिनियम के अधीन विलित किसी भी सशम प्राधिकारी द्वारा परिवर्द्धनहीं की गई है और यदि आवेदक ऐसा करने में असमर्थ है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञाति की दूसरी प्रति जारी करने से इंकार कर सकेगा।

(5) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दूसरी प्रति उचित रूप से जारी की जा सकती है तो वह चालन अनुज्ञाति की दूसरी प्रति जारी किए जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि अनुज्ञाति मंजूर की जाने या उसके विगत नवीनीकरण की तारीख से न्यायालय द्वारा कोई पृष्ठांकन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा चालन अनुज्ञाति की दूसरी प्रति मंगवाना और उस पर आवश्यक पृष्ठांकन करना विषयांग होगा।

(6) If a duplicate driving licence is issued by an authority other than that which issued the driving licence, intimation of the issue of duplicate driving licence shall be sent to the authority which issued the driving licence.

(7) Where a duplicate driving licence has been issued upon representation that a driving licence has been lost, and the original driving licence is afterwards found or received by the holder, the holder shall immediately return the duplicate driving licence to the Licensing Authority.

(8) Any other person finding a driving licence shall deliver it to the nearest Police Station or nearest Licensing Authority. The Officer-in-charge of Police Station, on receipt of driving Licence, shall immediately forward it to the Licensing Authority. The Licensing Authority shall restore the driving licence in case a duplicate driving licence has not been issued and shall substitute it for the duplicate in case such a duplicate has already been issued.

(9) Where a duplicate driving licence is issued under this rule, it shall be clearly stamped 'Duplicate' in red ink and shall be marked with the date of issue of the duplicate and the seal of Licensing Authority.

(10) The fee for issue of duplicate driving licence shall be as specified in rule 24.

12. Learner's Licence - issue of Duplicate — If at any time a learner's licence is lost or destroyed the holder shall intimate the fact to the Licensing Authority by which the learners licence was granted and apply for a duplicate in Form M.P.M.V.R.- 4 (LLD) alongwith the fee as specified in rule 24. On receipt of application the Licensing Authority, shall proceed as if the learners Licence was a driving Licence.

13. Temporary Authorisation in Lieu of Driving Licence — (1) Where the holder of a driving licence has submitted the driving licence to the Licensing Authority for renewal and has deposited the prescribed fee or where a Police Officer or Officer of the Transport Department or Court has taken temporary possession of a driving licence under sub-section (2) of Section 206 of the Act for any purpose and the driving licence has not been suspended or cancelled, the Licensing Authority or the Police Officer or the Officer of the Transport Department or the Court, as the case may be shall give him a temporary acknowledgment under sub-section (3) of the said section for the driving licence and temporary authorisation to drive in Form M.P.M.V.R.- 5 (L.Tem) and the production thereof on demand, shall be deemed to be production of the driving licence.

(2) Until the driving licence has been returned to the holder, he shall not be entitled to drive a motor vehicle (without being in possession of his driving licence) beyond the period specified in the temporary authorisation as aforesaid :

Provided that the authority, Court or any Officer by which the said temporary authorisation was granted, may in its or his discretion by order in writing extend the period thereon.

(3) No fee shall be payable in respect of such temporary authorisation.

(6) यदि चालन अनुज्ञाति की दूसरी प्रति चालन अनुज्ञाति जारी करने वाले प्राधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा जारी की गई हो, तो चालन अनुज्ञाति जारी करने वाले प्राधिकारी को चालन अनुज्ञाति की दूसरी प्रति जारी करने की सुनना भेजी जाएगी।

(7) जहाँ चालन अनुज्ञाति की दूसरी प्रति इस आशय का अभ्यासेदन विषये जाने पर जारी की गई हो कि चालन अनुज्ञाति खो गई है और उसके पश्चात धारक को मूल चालन अनुज्ञाति मिल जाती है या प्राप्त हो जाती है तो धारक चालक अनुज्ञाति की दूसरी प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी को तत्काल वापस कर देगा।

(8) किसी अन्य व्यक्ति को चालन अनुज्ञाति मिल जाये तो वह उसे निकटतम पुलिस थाने में या निकटतम अनुज्ञापन प्राधिकारी को परिदृष्ट करेगा। पुलिस थाने का अधिकारी चालन अनुज्ञाति प्राप्त होने पर उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को तत्काल अग्रेष्ट करेगा। यदि चालन अनुज्ञाति की दूसरी प्रति जारी नहीं की गई हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञाति के तत्काल अनुज्ञापन प्राधिकारी को पूर्व में जारी हो चुकी हो तो उसे दूसरी प्रति के स्थान पर स्थापित करेगा।

(9) जहाँ इस नियम के अधीन चालन अनुज्ञाति की दूसरी प्रति जारी की जाती है, वहाँ उस पर लाल स्थानी से "दूसरी प्रति" स्पष्ट रूप से स्टार्पिट की जायेगी और उस पर दूसरी प्रति जारी किये जाने की तारीख अंकित की जाएगी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुद्रा लागाई जाएगी।

(10) चालन अनुज्ञाति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस, नियम 24 में विविर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।

12. नौसिखिया अनुज्ञाति दूसरी प्रति का जारी किया जाना — यदि किसी समय नौसिखिया अनुज्ञाति खो जाए या नहीं हो जाए तो धारक इस रूप की प्रज्ञापन ऐसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसके लिए द्वारा नौसिखिया अनुज्ञाति मंजूर की गई थी और दूसरी प्रति के लिए नियम 24 में विविर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप सी.जी.ए.व्ही.आर.-4 में आवेदन करेगा। आवेदन प्राप्त हो जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो नौसिखिया अनुज्ञाति एक चालन अनुज्ञाति ही थी।

13. चालन अनुज्ञाति के बदले में अस्थायी प्राधिकार — (1) जहाँ चालन अनुज्ञाति के धारक ने नवीनीकरण के लिए अपनी चालन अनुज्ञाति अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत की हो और विहित फीस जमा कर दी हो या जहाँ किसी पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी या न्यायालय ने अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (2) के अधीन किसी प्रयोजन के लिये चालन अनुज्ञाति को अस्थायी रूप से अपने कब्जे में ले लिया हो और चालन अनुज्ञाति निलंबित या रद्द न कर दी हो, तो यथास्थिति अनुज्ञापन प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग का अधिकारी या न्यायालय उसे उत्तर धारा की उपधारा (3) के अधीन चालन अनुज्ञाति के लिए अस्थायी अधिस्वीकृति तथा प्ररूप सी.जी.ए.व्ही.आर.-5 (एल.टेम) में चालन के लिये एक अस्थायी प्राधिकार देगा और माँगी जाने पर उसे प्रस्तुत किया जाना यह समझा जाएगा कि चालन अनुज्ञाति प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जब तक कि धारक को चालन अनुज्ञाति वापस न कर दी जाए वह यथा पूर्वोक्त अस्थायी प्राधिकार में विविर्दिष्ट कालावधि से पैर, उसकी चालन अनुज्ञाति कब्जे में रखे विना मोटरयान चलाने के लिये हकदार नहीं होगा :

परन्तु वह प्राधिकारी, न्यायालय या कोई अधिकारी जिसके द्वारा उक्त अस्थायी प्राधिकार मंजूर किया गया था, अपने या उसके स्व-विवेक से लिखित में किए गए आदेश द्वारा उस पर कालावधि बढ़ा सकेगा।

(3) ऐसे अस्थायी प्राधिकार के संबंध में कोई फीस देय नहीं होगी।

14. Communication of Additions or Renewals to Driving Licence — (1) A Licensing Authority making addition under section 11 of the Act to the classes of motor vehicles which a driving licence authorises the holder to drive, shall, if it is not the authority by which the driving licence was issued inform of such addition to the original licensing authority in Form M.P.M.V.R.-6 (L.A.d.)

(2) A Licensing Authority renewing a driving licence shall, as required by the provisions of sub-section (6) of section 15 of the Act, inform of such renewal to the Licensing Authority which issued the driving licence in Form M.P.M.V.R.-7 (DLR).

15. Disqualification from holding Driving Licence, etc. — (1) Where a Licensing Authority declares a person disqualified or revokes any driving licence under sub-section (1) of section 19 of the Act, it shall —

- If the person holds a licence, endorse the licence accordingly;
- cause an entry made to this effect in the driving licence register and the State Register of Driving Licence; and
- send intimation of such disqualification or revocation to the authority by whom the licence was issued.

(2) On receipt of an intimation under clause (c) of sub-rule (1), the Licensing Authority shall cause an entry made in the driving licence register and the State Register of Driving Licence.

16. Communication of disqualification or Endorsement by Court — (1) The Court declaring a person disqualified under section 20 or making an endorsement under section 24 of the Act shall send intimation in Form M.P.M.V.R.-8 (I.E) to the Licensing Authority by which the driving licence was issued and the Licensing Authority by which it was last renewed.

(2) On receipt of an intimation under sub-rule (1) about an endorsement on a driving licence or disqualification from the court, the Licensing Authority shall cause an entry made in the driving licence register and the State Register of Driving Licence.

17. Duties and Conduct of Drivers of Stage Carriages and Contract Carriages — (1) The driver of a stage carriage or a contract carriage, other than a motor-car—

- shall not cause or allow any person, animal or thing to be placed or to be in the space reserved for a driver's seat or otherwise in such a way as to impede him in having a clear vision of the road or proper control of the vehicle;
- shall, subject to any rules or regulations in force prohibiting the taking up or setting down of passengers at or except at certain specified places, bring the vehicle to rest for a sufficient period of time in a safe and convenient position upon the demand or signal of the conductor or of any passengers desiring to alight from the vehicle, and unless there is no room in the vehicle, upon the demand or signal, of any person desiring to become a passenger;

14. चालन अनुबंधिते के वरिष्ठवर्ष वा नवीकरण की संस्थान — (1) इस अधिनियम की घटा 11 के अधीन उन योगदानों के काम में किसे द्वारा देश वालन अनुबंधिते भएक को प्राप्तिकृत करती हो, विवरिंग करने वालन अनुबंधिते भएके द्वारा प्राप्तिकृती वा विसके द्वारा चालन अनुबंधिते जारी की गई हो, तो वह घटा 6, शि.ए.वी.आर., -6 (लू.ए.ड.ड.) में द्वारा वरिष्ठवर्ष की सूचना मूल अनुबंधिते प्राप्तिकृती की देता।

(2) चालन अनुबंधिते का नवीकरण करने वालन अनुबंधिते प्राप्तिकृते अधिनियम की घटा 15 अधारा (6) के उपर्योगे द्वारा अपेक्षित किये गये अनुबंधिते द्वारा नवीकरण की सूचना, उस अनुबंधिते प्राप्तिकृती को, विसके चालन अनुबंधिते जारी की गई, प्रलप सी.जी.एम.वी.आर., -7 (शि.ए.ल.आर.) में देता।

15. चालन अनुबंधिते आदि पारण करने से निरहिता — (1) जारी कोई अनुबंधिते प्राप्तिकृती अधिनियम की घटा 19 की उपारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को निरहित घोषित करे वा चालन अनुबंधिते प्रतिसंहृदय करे तो वह —

- यदि वह व्यक्ति चालन अनुबंधिते पारण करता हो, अनुबंधिते को तदुमार प्राप्तिकृत करेगा;
- चालन अनुबंधिते एजिस्टर तथा चालन अनुबंधिते के पार्व एजिस्टर में इस प्राप्ति की एक प्रविहित करवाएगा।
- उस प्राप्तिकृती को विसके द्वारा अनुबंधिते जारी की गई हो, ऐसी निरहिता या प्रतिसंहृदय की प्रज्ञापना भेजेगा।

(2) उपनियम (1) के छान्ड (ग) के अधीन किसी सूचना के प्राप्त होने पर, अनुबंधिते प्राप्तिकृती, चालन अनुबंधिते एजिस्टर तथा चालन अनुबंधिते के पार्व एजिस्टर में एक प्रविहित करवायेगा।

16. न्यायालय द्वारा निरहिता या पूर्वांकन की संस्थान — (1) अधिनियम की घटा 20 के अधीन किसी व्यक्ति को निरहित घोषित करने वाला न्यायालय प्रक्रम सी.जी.एम.वी.आर., -8 (एल.ए.ड.) में उस अनुबंधिते प्राप्तिकृती को, विसके द्वारा अनुबंधिते जारी की गई थी तथा उस अनुबंधिते प्राप्तिकृती को, विसके द्वारा ओर अंतिम बार नवीकृत किया गया था, प्राप्ताना भेजेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी न्यायालय से चालन अनुबंधिते पर पूर्वांकन या निरहित के बारे में प्रज्ञापना प्राप्त होने पर, अनुबंधिते प्राप्तिकृती चालन अनुबंधिते एजिस्टर तथा चालन अनुबंधिते के पार्व एजिस्टर में प्रविहित करवायेगा।

17. मंबिली गाड़ी और टेका गाड़ी के चालकों के कर्तव्य तथा आवरण — (1) मोटर केब से भिन्न मंबिली गाड़ी या टेका गाड़ी का चालक —

(ए) चालक सीट के लिये आरक्षित बगह पर किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु को न तो एखादा और न रखने के लिए अनुबंधित करेगा या उन्हें उस स्थान में अन्यथा ऐसे तरीके से नहीं रखने देगा जिससे कि उसे सड़क का दृश्य स्थान से देखने में या यान पर समुचित नियंत्रण रखने में अड़चन हो;

(टो) कठिनव विनिर्दिष्ट स्थानों पर या उसके सिवाय यात्रियों को चढ़ाना या उतारना प्रतिषिद्ध करने वाले प्रत्युत किन्हीं नियमों या विनियमों के अध्यार्थीन एवं दूसरी वालन द्वारा या यान से उतारने के इच्छुक किसी भी यात्री द्वारा मांग की जाने या संकेत दिये जाने पर और यान में बगह होने पर यात्री होने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा मांग की जाने या संकेत दिये जाने पर पर्याप्त समय की कालावधि के लिये सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति में यान को ढहारायेगा;

- (iii) shall, not when bringing vehicle to rest for the purpose of picking up or setting down any passenger at or near the place where another stage carriage is at rest for the same purpose, drive the vehicle so as to endanger, inconvenience or interfere with the driver or the conductor of the other vehicle or any person mounting or preparing to mount thereon or alighting therefrom and shall bring his vehicle to rest in front or behind the other vehicle and on the left hand side of the road or place;
- (iv) shall, all times exercise all reasonable care and diligence to maintain his vehicle in a fit and proper condition and shall not knowingly drive the vehicle when it, or any brake, tyre or lamp thereof is in a defective condition, likely to endanger any passenger or other person or when there is not sufficient fuel in the tank of the vehicle to enable him to reach the next fuel filling station on the route;
- (v) shall, not smoke in the vehicle while on duty;
- (vi) shall, behave in a civil and orderly manner with passengers and intending passengers;
- (vii) shall, be cleanly dressed in the uniform prescribed under rule 9;
- (viii) shall, maintain the vehicle in a clean and sanitary condition;
- (ix) shall, not solicit custom save in a civil and quiet manner;
- (x) shall, not loiter or unduly delay upon any journey but shall proceed to his destination as near as may be in accordance with the time table pertaining to the vehicle or where there is no such time table with all reasonable despatch;
- (xi) shall, in the event of vehicle being unable to proceed to its destination on account of mechanical breakdown or other cause, beyond his control, arrange to convey the passengers to their destination in some other similar vehicle or if unable so to arrange within a period of an hour after the failure of the vehicle, shall on demand refund to each passenger a proper proportion of the fare relating to the non-completion of the journey for which the passenger has paid the fare or if unable to refund shall issue a certificate in Form M.P.M.V.R.-9 (DCR);
- (xii) shall, while on duty display the name plate as prescribed under rule 10;
- (xiii) shall, not ply a stage carriage unless there is a duly licenced conductor on duty in the vehicle;
- (xiv) shall, not allow any person to be carried in any public service vehicle in excess of the capacity specified in the certificate of registration of the vehicle;
- (xv) shall, ensure that, when a vehicle is required to cross an unmanned railway level crossing, the conductor alights from the vehicle to guide its safe crossing;
- (xvi) shall, not while plying a contract carriage other than motor-cab, permit or connive at picking up or setting down of passengers enroute from starting point to the destination;

नियम 17

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

7

- (तीन) अपने यान को, ऐसे स्थान पर या उसके पास, जहाँ कोई दूसरी मंजिली गाड़ी उसी प्रश्नोत्तर के लिये ठहरा हो, विसी यात्री को चढ़ाने या उतारने के प्रयोजन के लिये ठहराते समय उसे इस प्रकार नहीं चलायेगा जिससे कि दूसरे यान के चालक या परिचालक वा उसमें चढ़ रहे या चढ़ने की तैयारी कर रहे या उससे उतर रहे किसी भी व्यक्ति के लिये संकटापन्न हो, अनुचित हो या बाधा पहुँचे और अपने यान को दूसरे यान के सामने या पीछे तथा सड़क या स्थान के बायाँ और ठहराएगा;
- (चार) हर समय अपने यान को उपयुक्त तथा समुचित हालत में बनाए रखने के लिए सभी उपकरण सावधानी और सतर्कता बरतेगा और यह जानते हुए कि यान ऐसी स्थिति में है जबकि वह यान या उसका कोई भी ब्रेक, टायर या उसकी बत्ती दोषपूर्ण स्थिति में है, नहीं चलायेगा जिससे किसी भी यात्री या किसी अन्य व्यक्ति के संकटापन्न होना संभव्य हो या जब यान की टंकी में इतना पर्याप्त ईंधन न हो, जिससे कि वह मार्ग के अगले ईंधन पूर्ति के स्थान तक पहुँचने में असमर्थ हो;
- (पाँच) यान में उस समय धूम्रपान नहीं करेगा जबकि वह कर्तव्य पर हो;
- (छह) यात्रियों तथा यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों से शिष्टाचारक और विनप्र व्यवहार करेगा;
- (सात) नियम 9 के अधीन विहित साफ वर्दी पहनेगा;
- (आठ) यान को साफ तथा स्वच्छ दशा में रखेगा;
- (नौ) शिष्टाचारक तथा शांत तरीके से ही शुल्क की याचना करेगा अन्यथा नहीं;
- (दस) इधर-उधर नहीं धूम्रपान या यात्रा में अनुचित रूप से देंगी नहीं करेगा किन्तु यान से संबंध यथावत निकटतम समय सारणी के अनुसार या जहाँ ऐसी समय सारणी न हो वहाँ समस्त युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होगा;
- (एकार) यांत्रिक ट्रूट-फ्रूट या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से यान अपने गंतव्य की ओर न जा सकने की दावा में, यात्रियों को उसी प्रकार के किसी अन्य यान में उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की व्यवस्था करेगा या यदि यान के विगड़ जाने के पश्चात् एक घटने की कालावधि के भीतर वह उस प्रकार की व्यवस्था करने में असमर्थ रहे तो मार्ग किए जाने पर प्रत्येक यात्री को, ऐसी अपूर्ण यात्रा के संबंध में, जिसके लिए यात्री ने किए जाने वाले गंतव्य किया था, समुचित अनुपात में कियाया वास्तव कर देगा या यदि उस प्रकार वास्तव करने में असमर्थ हो तो प्रलूप सी.जी.एम.वी.आर.-9 (डी.सी.आर.) में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा;
- (बारह) जब कर्तव्य पर हो नियम 10 के अधीन विहित किए गए अनुसार पट्टी संप्रदारीत करेगा।
- (तेरह) जब तक यान में कर्तव्य सम्बन्ध से अनुदान परिचालक न हो मंजिली गाड़ी नहीं चलायेगा;
- (चौदह) यान के रजिस्टरीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दित क्षमता से अधिक किसी भी व्यक्ति को लोक सेवा यान में बैठने के लिए अनुमति नहीं करेगा;
- (पन्द्रह) यह सुनिश्चित करेगा कि जब यान को ऐसी रेते तेवत क्रासिंग पार किया जाना अपेक्षित हो जिस पर कोई व्यक्ति कर्तव्य पर न हो तब परिचालक यान को सुरक्षित रूप से पार करने में मार्ग प्रदर्शित करने के लिये यान से उतर जाता है;
- (सोलह) मोटर केब से भिज ठेका गाड़ी चलाते समय यात्रियों को रास्ते में चढ़ाने या उतारने की अनुज्ञा नहीं देगा या उसकी जानबूझकर भीनाउमति नहीं देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ठेका गाड़ी आरम्भ बिन्दु से गंतव्य स्थान तक एकत्र पक्ष द्वारा भाँड़े पर ती गई है;

(xvii) shall, not cause any act which is likely to cause nuisance or danger to the public as mentioned in rule 21 of the Central Rules.

(2) No driver of stage carriage or contract carriage shall cause or allow to enter into or to place or carried in the vehicle, any person whom he knows or has reason to believe to be suffering from any infectious or contagious disease, or the corpse of any person.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-rule (2) the driver may, upon application in writing by a registered medical practitioner, allow a person suffering from an infectious or contagious disease to be carried in a stage carriage or contract carriage provided that no other person save a person or persons in attendance on the person so suffering shall be carried in the vehicle at the same time.

(4) When a person suffering from infectious or contagious disease, or the corpse of any person has been carried in a contract carriage or a stage carriage, the driver of the vehicle shall be responsible to report the fact of such carriage to the medical officer in-charge of the nearest Municipal Local Board or Government dispensary, and to the owner of the vehicle and neither the owner nor the driver shall use or allow any person to use the vehicle until the driver and the vehicle have been disinfected in such manner as the said medical officer may specify and a certificate to this effect has been obtained from the said medical officer.

18. Special Duties and Functions of Drivers of Motor Cabs — (1) The drivers of the first two motor cabs on any stand shall always stay near their motor cabs which shall be ready for immediate hiring by any person.

(2) All drivers shall move their motor cabs up as vacancies occur on the stand.

(3) Every motor cab shall be kept with front wheels straight at a distance of not less than 30 cm., from the motor cab immediately in front of it and where stand is by the side of kerb parallel to and not more than 30 cm. from the kerb.

(4) No driver shall allow his motor cab to remain on the stand if it is disabled unless the disablement is of a temporary nature which can be immediately remedied and is so remedied.

(5) No driver shall allow his motor-cab when it is not engaged to remain at any place other than a stand nor shall loiter in any public place for the purpose of its being hired.

(6) No driver whose motor cab has been engaged for some future time shall keep his motor cab on a stand unless he is willing to accept any intermediate engagement that may be offered.

(7) A driver of a motor cab shall in the absence of reasonable cause to the contrary proceed to the destination named by the hirer by the shortest and quickest route.

(8) No driver of a motor cab shall make use of his motor cab in connection with or for the furtherance of prostitution.

(9) No driver of a motor cab shall carry a cleaner or other attendant in the motor cab.

Rule 18

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994

(सज्ज) केंद्रीय नियमों के नियम 21 में यथा निर्धारित ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो जनता के लिये न्यूनतम या उत्तराधार हो।

(2) मिलिंगी गाड़ी या डेका गाड़ी का कोई चालक किसी भी ऐसे व्यक्ति को विद्युत के विद्युतीय संबंध में वह महजनता है या उसे यह विद्युत करने का कारण है कि वह संक्रामक या सांसारिक रोग से पीड़ित है या किसी व्यक्ति का शब्द है तो यान में प्रवेश करने या रहने जाने या ले जाने वाली रोग या अनुज्ञात नहीं करेगा।

(3) उपनियम (2) के उपबंधों के होते हुए भी चालक, किसी इविस्ट्रीकृत विकिस्ता व्यक्ति से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर किसी संक्रामक या सांसारिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को मिलिंगी गाड़ी या डेका गाड़ी में ले जाने देगा, परन्तु इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति की परीक्षण में व्यक्ति या व्यक्तियों के विद्युत किसी भी अन्य व्यक्ति को उसी समय यान में नहीं ले जाया जाएगा।

(4) जब संक्रामक या सांसारिक रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का शब्द किसी डेका गाड़ी या मिलिंगी गाड़ी में ले जाया गया हो तो यान का चालक विकिस्ता व्यापारिक स्थानीय बोर्ड (म्युनिसिपल लोकल बोर्ड) या सरकारी औपचार्य (डिस्ट्रेटरी) के भारायाक विकिस्ता अधिकारी और यान के स्वामी को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा और जब तक चालक तथा यान को ऐसी रीति में जैसी उत्तर विकिस्ता अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, रोगाणु रहित नहीं कर दिया जाता और उक विकिस्ता अधिकारी से इस प्रभाव का प्राप्तान पर प्राप्त नहीं कर दिया जाता, यान का स्वामी या चालक न तो यान का उपयोग करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

18. मोटर केबों के चालकों के विशेष कर्तव्य और कृत्य — (1) किसी भी स्टैण्ड पर प्रधान दो मोटर केबों के चालक सदैव अपनी मोटर केबों के निकट होंगे जो किसी भी व्यक्ति द्वारा तत्काल भाड़े पर ली जाने के लिये तैयार रहेंगी।

(2) जैसे-जैसे स्टैण्ड पर स्थान रिक्त होगा जाएगा, समास्त चालक अपनी मोटर केबों को आगे बढ़ाते जायेंगे।

(3) प्रत्येक मोटर केब अपनी ठीक आगे चाली मोटर केब से कम से कम 30 सेंटीमीटर भी दूरी पर सामने के पहिये सीधे रखें हुए और जहाँ स्टैण्ड किनारे के निकट हो, वहाँ किनारे के समानान्तर और किनारे से 30 सेंटीमीटर से अनधिक दूरी पर रखी जायेंगे।

(4) कोई भी चालक अपनी मोटर केब को, यदि वह इस प्रकार खराब हो कि वह यात्री अस्थायी प्रकार की है और जैसे ठीक कर दिया गया है तो स्टैण्ड पर खड़ी नहीं रहने देगा।

(5) कोई भी चालक अपनी मोटर केब को, उस स्थिति में जब उसे भाड़े पर ले लिया गया हो स्टैण्ड से भिन्न अन्य किसी भी स्थान पर ठट्ठाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा और न ही वह उसे भाड़े पर लिये जाने के प्रयोजन के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इथर-उथर चलाएगा।

(6) ऐसा कोई भी चालक, जिसकी मोटर केब भवित्व में कुछ समय के लिए भाड़े पर दी जाए चुकी हो, अपनी मोटर केब को स्टैण्ड पर नहीं ठट्ठाने जब तक कि वह मर्यादी सवारी जो उसे दी जाए स्वीकार करने के लिए राजी न हो।

(7) मोटर केब का कोई भी चालक अपनी मोटर केब से शीघ्र पहुँचाने वाले मार्ग से दे जाएगा।

(8) मोटर केब का कोई भी चालक अपनी मोटर केब का उपयोग वेश्यावृत्ति के संबंध में या उसे बढ़ाने के लिए नहीं करेगा।

(9) मोटर केब का कोई भी चालक मोटर केब में बंतीनरय किसी अन्य परिचालक को नहीं ले जाएगा।

(10) No driver of a motor cab shall demand or extract any fare in excess of that to which he is legally entitled.

(11) No driver of a motor cab shall terminate the hiring thereof before he has been discharged by the hirer.

(12) No driver of a motor cab shall shout in order to attract a passenger.

(13) The driver of every motor-cab fitted with a taxi-meter shall not set it in motion before it is hired and shall stop it immediately the motor-cab arrives at the destination.

Note — A motor cab shall be considered to be hired from the time it has been engaged or if called from a distance from the time of such call.

(14) If the driver of any motor cab fitted with a taxi-meter which is hired by any person is unable to proceed owing to any defect in the mechanism of the motor-cab, he shall at once lower the flag to 'stopped' position and shall not re-start his meter until such time as the defect is remedied.

(15) No driver shall cover or obscure the face of taxi-meter under any circumstances or at any time.

(16) No driver shall without reasonable excuse refuse to let the motorcab for hire when the flag is in a vertical position.

(17) The driver of a motor-cab shall whenever the vehicle approaches an unguarded level crossing, cause it to be stopped and after ensuring that no train or trolley is approaching in either direction, proceed to cross it.

19. Duties, Functions and Conduct of Drivers of Goods Carriage — The driver of goods carriage —

- (i) shall not cause or allow any person, animal or thing to be placed or to be in the space reserved for the drivers seat as provided under Chapter VII of these Rules or Act or otherwise in such a way as to impede him in having a clear vision of the road or proper control of the vehicle;
- (ii) shall at all times exercise all reasonable care and diligence to maintain his vehicle in a fit and proper condition and shall not knowingly drive the vehicle when its brake, tyre or lamp thereof is in a defective condition likely to endanger any occupant or other person or when there is not sufficient fuel in the tank of the vehicle to enable him to reach the next fuel filling station on the route;
- (iii) shall not demand or extract any freight in excess of that to which he is legally entitled;
- (iv) shall behave in a civil and orderly manner with hirers or their nominees and intending hirers or their nominees;
- (v) shall not loiter or unduly delay upon any journey but shall proceed to his destination with all reasonable despatch;
- (vi) shall take all reasonable precautions to prevent the goods being spoiled or lost on the way;
- (vii) shall whenever the vehicle approaches an unguarded level crossing, cause it to be stopped and after ensuring that no train or trolley is approaching in either direction, proceed to cross it;

(10) मोटर केब का कोई भी चालक उस किराए से अधिक जिसके लिए वह वैध रूप से हकदार हो किसी किराए की माँग नहीं करेगा या उसे बलपूर्वक नहीं देगा।

(11) मोटर केब का कोई भी चालक अपनी केब की भाड़ेदारी, भाड़ेदार द्वारा उसे सेवान्मुक्त किए जाने के पूर्व समाप्त नहीं करेगा।

(12) मोटर केब का कोई भी चालक, यात्री को आकर्षित करने के उद्देश्य से नहीं चिल्टाएगा।

(13) टैक्सी मीटर से युक्त प्रत्येक ऐसी मोटर केब का चालक, भाड़े पर चलाए जाने से पूर्व उसे चालू नहीं करेगा और मोटर केब गंतव्य स्थान पर पहुँचते ही उसे तत्काल बंद कर देगा।

(14) यदि टैक्सी मीटर से युक्त किसी भी ऐसी मोटर केब जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा भाड़े पर लिया गया हो, का चालक, मोटर केब के यंत्र में किसी भी खाराबी के कारण उसे न ले जा सके तो वह उसके फ्लोग को तुरंत नीचा कर "स्लिप" स्थिति में कर देगा और अपने मीटर को फिर से तब तक चालू नहीं करेगा जब तक कि उस खाराबी की ठीक न कर लिया जाए।

(15) कोई भी चालक टैक्सी मीटर के अग्रभाग को किसी भी परीस्थिति में या किसी भी समय न तो ढंकेगा न धुंधला करेगा।

(16) कोई भी चालक उस स्थिति में जबकि फ्लोग उर्ध्व स्थिति में हो युक्तियुक्त कारण के बिना मोटर केब भाड़े पर देने से इंकार नहीं करेगा।

(17) मोटर केब का चालक, जब भी उसका यान किसी अनरक्षित लेवल क्रासिंग तक पहुँचे तो उसे रोकेगा और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि किसी भी दिशा से कोई रेल या ट्राली नहीं आ रही है उसे पार करने के लिए अग्रसर होगा।

19. माल यानों के चालकों के कर्तव्य, कृत्य तथा आचरण — माल यान का चालक —

(एक) इन नियमों के अध्याय सात में या अधिकारियम में या अन्यथा उपबंधित किए गए अनुसार चालक की सीट के लिए आवश्यक स्थान पर किसी भी व्यक्ति, पर्यु या वस्तु को न तो रखवाएगा और न ही रखने के लिए अनुज्ञात करेगा या उहें उस स्थान में इस प्रकार से नहीं रहने देगा जिससे कि उसे सड़क का दृश्य साध्य रूप से देखने में या यान का समुचित नियंत्रण रखने में अड़चन पड़े;

(दो) अपने यान को उपयुक्त और समुचित हालत में बनाए रखने के लिए सदैव समस्त युक्तियुक्त सावधानी और सरक्ती बरतेगा और यान को जानबूझकर नहीं चलाएगा जबकि यान या उसका कोई ब्रेक, टायर या बत्ती (लेम्प) इस प्रकार त्रुटिपूर्ण हालत में हो, कि उससे किसी अधिभोगी या अन्य व्यक्ति को खतरा पहुँचने की सम्भावना हो या जब टंकी में इतना पर्याप्त ईंधन न हो जिससे कि वह मार्ग के अगले ईंधन पूर्ति केन्द्र तक पहुँच सकता हो;

(तीन) उस भाड़े से, जिसके लिए कि वह वैध रूप से हकदार है, अधिक कोई भी भाड़ा न तो मांगेगा और न ही बलपूर्वक वसूल करेगा;

(चार) भाड़ेदारों या उनके नाम निर्देशितियों और इच्छुक भाड़ेदारों या उनके नाम निर्देशितियों के साथ शिष्टापूर्वक और विनाप्र व्यवहार करेगा;

(पाँच) किसी यान के समय ईंधर-उधर नहीं धूमेगा या असम्यक विलम्ब नहीं करेगा किन्तु समस्त युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होगा;

(छह) रास्ते में माल विहगड़े या खो जाने से बचाने हेतु समस्त युक्तियुक्त पूर्वसावधानियाँ बरतेगा;

(सात) जब भी उसका यान किसी अनरक्षित लेवल क्रासिंग तक पहुँचे तो उसे रोकेगा और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि किसी भी दिशा से कोई रेल या ट्राली नहीं आ रही है, उसे पार करने के लिए अग्रसर होगा;

(vii) shall not cause any act which is likely to cause nuisance or danger to the public as mentioned in rule 21 of the Central Rules.

20. Exemption of Driver of Road Roller — Sub-section (1) of section 3 of the Act shall not apply to the driver of a road roller.

21. Appellate Authority — The authority empowered under sub-section (8) of section 9, sub-section (2) of section 17 and sub-section (3) of section 19 of the Act to hear appeal against the decision of a Licensing Authority shall be the Transport Commissioner or any other officer not below the rank of the Deputy Transport Commissioner authorised by the State Government.

22. Conduct and hearing of Appeals — (1) An appeal referred to in rule 21 shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, setting forth concisely the grounds of objection to the order of the Licensing Authority and shall be accompanied by the fee as specified in rule 24 and the certified copy of the order appealed against.

(2) When an appeal is filed, a notice shall be issued to the authority against whose order the appeal is preferred in such form as the Appellate Authority may direct.

(3) The Appellate Authority after giving an opportunity to the parties to be heard and after such further enquiry, as it may deem necessary, may confirm vary or set aside the order from which the appeal is preferred and shall make an order accordingly and the order of the Appellate Authority shall be final.

(4) The Appellate Authority or Licensing Authority may, in its discretion, give any person interested in an appeal filed under sub-rule (1) copies of any document connected with the appeal on payment of fee as specified in Rules 24.

(5) The Appellate Authority or Licensing Authority may allow any person interested in an appeal to inspect the record connected with such appeal on payment of fee as specified in Rule 24.

23. Maintenance of State Register of Driving Licence — (1) The Licensing Authority shall maintain a register in Form-10 of the Central Rules in respect of driving licences issued by it and enter the renewal and additions of such licences therein.

(2) The Licensing Authority shall also maintain a register in Form M.P.M.V.R. 9-A (FDLR) in respect of renewal of or addition in a driving licence issued by the Licensing Authority of other region or State.

(3) As soon as the licence is issued or renewal or addition is allowed therein to a person, the Licensing Authority shall cause an entry to be made in the register mentioned under sub-rule (1) or sub-rule (2) as the case may be.

(4) State book with duplicate pages; the original of which shall be sent to the officer or person designated by Transport Commissioner for the custody of State Register of Driving Licences.

(5) Each Licensing Authority shall communicate every subsequent correction or entry in respect of driving licence on their record to the officer or person designated under sub-rule (4) and such officer or person shall maintain the updating of the said Register.

(आठ) केन्द्रीय नियमों के नियम 21 में यथाविधि ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे जनता के लिए न्यूसेस या खतरा कारी होने की सम्भावना हो।

20. रोड रोलर के चालक को घट — अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) रोड रोलर के चालक को लागू नहीं होगी।

21. अपील प्राधिकारी — अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (8), धारा 17 की उपधारा (2) तथा धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए सशक्त प्राधिकारी, परिवहन आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उप परिवहन आयुक्त की पद श्रेणी से अनिम पद श्रेणी का कोई अन्य अधिकारी होगा।

22. अपीलों का संचालन तथा सुनवाई — (1) नियम 21 में निर्दिष्ट कोई अपील दो प्रतियों में ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश पर आशेष के आधारों को संकेप्त: दिया जाएगा और नियम 24 में यथा विनिर्दिष्ट फीस तथा उस आदेश की विस्तरित विरुद्ध अपील की गई है, प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

(2) जब कोई अपील फाइल की जाती है तब उस प्राधिकारी को, ऐसे प्रूफ में जैसा कि अपील प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, एक सूचना जारी की जाएगी।

(3) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे, उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा और तदुसार आदेश करेगा तथा अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(4) अपील प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी स्वविवेक से उपनियम (1) के अधीन फाइल की गई अपील में हितबद्ध किरी व्यक्ति से नियम 24 में यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर अपील से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रतियाँ दे सकेगा।

(5) अपील प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी अपील से हितबद्ध किरी व्यक्ति से नियम 24 में यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर ऐसी अपील से संबंधित अभिलेख का निरीक्षण करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

23. चालन अनुज्ञापनियों के राज्य रजिस्टर का रखा जाना — (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी उसके द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञापनियों के संबंध में केन्द्रीय नियम के प्रश्न-10 में एक रजिस्टर रखेगा तथा ऐसी अनुज्ञापनियों के नवीकरण तथा परिवर्धन को उसमें प्रविष्ट करेगा।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अन्य आदेश या राज्य के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञापनियों के नवीकरण या परिवर्धन के संबंध में प्रश्न सी.जी.एम.वी.आर. 9-क (एफ.डी.एल.आर.) में एक रजिस्टर भी रखेगा।

(3) जैसे ही किसी व्यक्ति को अनुज्ञापनियों द्वारा जारी की जाती है, या उसमें नवीकरण या परिवर्धन अनुज्ञापनियम किया जाता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी यथाविधि उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट करवाएगा।

(4) राज्य रजिस्टर दो प्रतियों में सजिल्ड युस्तक के रूप में होगा, जिसकी मूल प्रति चालन अनुज्ञापनियों के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(5) प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञापनियों के संबंध में आगे अभिलेख पर किए गए प्रत्येक पश्चात्वर्ती सुधार या प्रतियोगि को उपनियम (4) के अधीन नामनिर्दिष्ट अधिकारी या व्यक्ति को सुचित करेगा और ऐसा अधिकारी या व्यक्ति उक्त रजिस्टर को अद्यतन रखेगा।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1998

Rule 24-25

(6) The State Register of Driving Licences shall be maintained either manually or with the help of computer.

(7) The Transport Commissioner shall supply on behalf of the State Government a printed copy of the State Register of Driving Licences to the Central Government as required by sub-rule (7) of rule 23 of Central Rules.

124. Fee — The fee which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the table below —

TABLE

Sl. No.	Purpose	Amount (Rs.)	Rate	
			(1)	(2)
1.	In respect of issue of Medical Certificate	50.00		
2.	In respect of duplicate Learner's License	50.00		
3.	In respect of issue of duplicate Driving License— (In form No. 6)	150.00		
	(In form No. 7)	200.00		
4.	In respect of issue of authorization to the driver of a transport vehicle	200.00		
5.	In respect of appeal against the order of the Licensing Authority	100.00		
6.	In respect of supplying a copy of the decision of the Licensing Authority — (One) Ordinary	100.00		
	(Two) Urgent	150.00		
7.	In respect of supply of copy of a document other than the decision of the Licensing Authority — (One) Ordinary	100.00		
	(Two) Urgent	150.00		

CHAPTER III

LICENSING OF CONDUCTORS OF STAGE CARRIAGES

25. Licensing Authority — (1) The Licensing Authority for Conductor's Licence shall be, the Regional Transport Officers or the Additional Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer.

(2) The area of jurisdiction of each Licensing Authority shall be the Region or such other area as the State Government may notify from time to time.

26. When driver or any person can act as Conductor without Licence
— (1) Where in an emergency it becomes difficult for the permit holder to provide for a conductor for his stage carriage, or where a Conductor on duty for reasons beyond his control, cannot perform his duties, the driver of a stage carriage may act as a conductor of stage carriage without holding a conductor's Licence under sub-section (1) of section 29 of the Act.

1. Substituted by Notification No. 467/Tech-506/TC/2008 dated the 31st May, 2008 and published in C.G. Gazette Part I dated 13-6-2008 page 1779.

125. Registration of Motor Vehicles, 1988 11
(6) वाहन अनुमति के लिए नियमों को जूँ में साथ ही या कलमकार से प्रदान करने से बदल दिया।
(7) परिवहन अनुमति, वाहन वर्गकार से भोज के, बोर्डर विधायकों के नियम 23 के अधिकार (2) की अप्रयोग से वाहन अनुमति के लिए नियमों से एक अनुमति भवित्वे के द्वारा वर्गकार से प्रदान करो।
126. शील — यह अन्याय के उपर्योग के अधीन प्रतिवाद किया जाने वाला सुन्नक दीर्घ समस्ती में विस्तृत रूप से अनुमति दी जाए।

क्र. सं.	प्रयोग	राशि (रुपये)
(1)	(2)	(3)
1.	विविध वाहन-वाहन वार्ता विषय के संबंध में	50.00
2.	मैट्रिक्युले अनुमति की सूची प्रति के संबंध में	50.00
3.	वाहन अनुमति की सूची प्रति वार्ता विषय के संबंध में (प्राप्त 6 में) (प्राप्त 7 में)	150.00
4.	परिवहन वाहन को प्राप्तिकर्ता-वाहन वार्ता विषय के संबंध में	200.00
5.	अनुमति प्राप्तिकर्ता के आदेश के विषय वार्ता विषय के संबंध में	100.00
6.	अनुमति प्राप्तिकर्ता के विषय की प्रति प्रवाह विषय वार्ता के संबंध में (एक) सामान्य (दो) अत्यावश्यक	100.00
7.	अनुमति प्राप्तिकर्ता के विषय से विविध वाहनवाचन की प्रति प्रवाह किए जाने के संबंध में (एक) सामान्य (दो) अत्यावश्यक	150.00

अध्याय 3

मंजिली गाड़ी के परिचालकों का अनुज्ञान

25. अनुज्ञान प्राप्तिकारी — (1) परिचालकों की अनुज्ञान के लिए अनुज्ञान प्राप्तिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञान प्राप्तिकारी की अधिकारिता का सेवा योग्य प्रदेश या योग्य अन्य सेवा होगा कि यह व्यवसाय समय-समय पर अधिकृति करे।

26. जब चालक या कोई व्यक्ति विवाह अनुज्ञान के परिचालक के रूप में कार्य करे —
(1) जहाँ, आपात स्थिति में, अनुज्ञान प्राप्तिकारी को अस्ती अंजिली गाड़ी के लिए परिचालक उपलब्ध कराया जाना कठिन हो जहाँ कर्तव्यवस्था परिचालक याकूब विवरण से यो कारणों पर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता हो तो अंजिली गाड़ी का चालक अधिकारिता की पाया 29 की अनुज्ञा (1) के अधीन अंजिली गाड़ी के परिचालक का कार्य परिचालक की अनुज्ञान प्राप्ति किए जाना कर सकेगा।

1. अधिकृति क्रमांक 467/तक-506/टीसी/2008 दिनांक 31 मई, 2008 द्वारा प्रतिवादित एवं छान्दोग्य दावत
भाग 1 दिनांक 13-6-2008 को दृष्टि 1775 रु. प्रकाशित।

(2) Any person other than driver of a stage carriage may act as a conductor without holding a conductor's licence, for a period of not exceeding one month:

Provided that —

- (i) he intimates his intention to do so to the Licensing Authority within whose jurisdiction he intends to act as a conductor in Form M.P.M.V.R.-10 (L Con. Int); and
- (ii) he is not disqualified for holding a conductor's licence.

27. Application for a Conductor's Licence — (1) An application for a conductor's licence as required by sub-section (1) of section 30 of the Act shall be made in Form M.P.M.V.R.-11 (L. Con. A) and shall be accompanied by—

- (a) a medical certificate of fitness in Form M.P.M.V.R.-12 (M C Con.) signed by a registered medical practitioner; and issued not more than 30 days prior to the presentation of application.
- (b) valid First Aid Certificate in Form M.P.M.V.R.-13 (F A) issued by the Civil Surgeon or the District Health Officer;
- (c) two clear copies of the applicants recent photographs of passport size;
- (d) fee as specified in rule 40;
- (e) certificate of educational qualifications;
- (f) evidence of address and age as specified in rule 4 of Central Rules.

(2) Every applicant shall present himself before the Licensing Authority or the Board constituted under rule 4 on such date, place and time, as the Licensing Authority or the Board, as the case may be, appoint for a test and satisfy such authority or the Board that the applicant possesses adequate knowledge and understanding of the following matters, namely—

- (a) the provisions of the Act and Rules made thereunder; relating to the duties and functions of the conductor;
- (b) the duties of a conductor when his vehicle is involved in an accident resulting in the death or bodily injury of a person or damage to property of a third person;
- (c) the precaution to be taken while passing an unmanned railway crossing; and
- (d) the documents he should carry with him while on duty.

(3) The Licensing Authority may in order to ascertain whether the applicant possesses a good moral character, make enquiries into the character and antecedents from the Superintendent of Police within whose jurisdiction the applicant resides or carries on business.

(4) The Licensing Authority on being satisfied that the applicant is fit for holding or obtaining a conductor's licence, may issue Conductor's Licence in Form M.P.M.V.R.-14 (L. Con.) for a period of three years.

(2) मंजिली गाड़ी के चालक से प्रिय कोई अन्य व्यक्ति परिचालक की अनुमति धारण किए बिना परिचालक के रूप में एक माह से अनधिक कालावधि के लिए कार्य कर सकेगा :

परन्तु —

- (एक) वह अनुज्ञापन प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता में वह परिचालक के रूप में कार्य करने का आशय रखता है, ऐसा करने के आशय की सूचना प्रश्न सी.जी.एम.व्ही.आर. 10 (एल.कान.इन्स्ट.) में देगा, तथा
- (दो) वह परिचालक अनुमति पारांग करने के लिए निर्धारित न हो।

27. परिचालक अनुमति के लिए आवेदन — (1) अधिनियम की धारा 30 की उपचारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुज्ञापन आवेदन प्रश्न सी.जी.एम.व्ही.आर.-11 (एल.कान.ए.) में किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे —

- (क) रजिस्ट्रीकृत विक्रिता व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित प्रश्न सी.जी.एम.व्ही.आर.-12 (एम.सी.कान.) में स्वास्थ्य का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र जो आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पूर्ववर्ती अधिक से अधिक 30 दिन के भीतर जारी किया गया हो;
- (घ) सिविल सर्जन या जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रश्न सी.जी.एम.व्ही.आर.-13 (एफ.ए.) में जारी किया गया वैध प्रथमोपचार प्रमाण-पत्र;
- (ग) आवेदक की हाल ही की, पासपोर्ट आवाक के फोटो की दो स्पष्ट प्रतियाँ;
- (घ) नियम 40 में यथा विनिर्दिष्ट फीस;
- (ड) शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र;
- (च) केन्द्रीय नियमों के नियम 4 में यथा विनिर्दिष्ट आयु और पते का साक्ष्य।

(2) प्रत्येक आवेदक, अनुज्ञापन प्राधिकारी या नियम 4 के अधीन गठित बोर्ड के समक्ष ऐसी तारीख, स्थान और समय पर स्वयं उपस्थित होगा जो कि यथास्थित अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिए नियत किया जाए और ऐसे प्राधिकारी या बोर्ड का समाधान करेगा कि आवेदक को निम्नलिखित विषयों का पर्याप्त ज्ञान और समझ है अर्थात् —

- (क) परिचालक के कर्तव्यों और कृत्यों से संबंधित अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंध;
- (घ) परिचालक के उस समय के कर्तव्य जब उसका यान किसी ऐसी दुर्घटना में अनर्तरित हो जाए जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या शारीरिक क्षति या तृतीय पक्ष की समर्पण की हानि हुई हो;
- (ग) ऐसे रेल्वे क्राइसिंग को, जहाँ कोई व्यक्ति कर्तव्य पर न हो, पार करते समय बर्ती जाने वाली पूर्वसावानियाँ;
- (घ) जब वह कर्तव्यस्थ हो तो उसके साथ ले जाए जाने वाले दस्तावेज़।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आवेदक अच्छे नैतिक चरित्र का है, पुलिस अधीकारी से जिसकी अधिकारिता में आवेदक निवास करता है या कारबाह करता है, उसके चरित्र तथा पूर्ववर्त के बारे में पूछताछ करेगा।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक परिचालक अनुमति को धारण या अनुमति जारी कर सकेगा।

- 28. Renewal of Conductor's Licence** — (1) An application for the renewal of a Conductor's licence shall be made in Form M.P.M.V.R.- 15 (L. Con. R.) to the Licensing Authority and shall be accompanied by—
- the Conductor's Licence in original;
 - three copies of the applicants recent Photograph of passport size;
 - a Medical Certificate of fitness in Form M.P.M.V.R.-12 (M. C. Con.) signed by a Registered Medical Practitioner and issued not more than 30 days prior to the date of presentation of application;
 - fee as specified in rule 40.
- (2) Upon receipt of an application for the renewal of a conductor's licence, the Licensing Authority may, after making such enquiries as it may deem necessary, renew the licence.
- (3) A Licensing Authority renewing the Conductor's Licence if it is not the authority which issued the licence shall intimate the fact of renewal in Form M.P.M.V.R.-16 (L. Con. R.R.) to the Licensing Authority by whom the licence was issued.

- 29. Qualification for Grant of Conductor's Licence** — No person shall be granted a conductor's licence unless he satisfies the Licensing Authority that—
- he has adequate knowledge of provisions of the Act and the rules made thereunder and in particular the knowledge relating to the duties and functions of a conductor;
 - he possesses a good moral character;
 - he has passed VIII standard examination or above and possesses working knowledge of the language of the area in which he intends to work as a conductor.

30. Appellate Authority — The authority empowered under sub-section (2) of section 33 and sub-section (4) of section 34 of the Act to hear appeal against the order of the Licensing Authority shall be the Collector of the District.

31. Conduct and hearing of Appeals — (1) An appeal under rule 30 shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum setting forth concisely the grounds of objection to the order of the Licensing Authority, and shall be accompanied by a fee as specified in rule 40 and a certified copy of the order appealed against.

(2) When an appeal is filed, a notice shall be issued to the authority against whose order the appeal is preferred in such form as the Appellate Authority may direct.

(3) The Appellate Authority or the Licensing Authority may give any person interested in an appeal copies of any document connected with the appeal on payment of fee as specified in Rule 40.

(4) The Appellate Authority after giving an opportunity to the parties to be heard and after such further enquiry, as it may deem necessary, may confirm, vary or set aside the order from which the appeal is preferred and shall make an order accordingly.

(5) The Appellate Authority or the Licensing Authority may allow any person interested in an appeal to inspect the record concerned with such appeal on payment of fee as specified in rule 40.

- 28. परिचालक अनुज्ञापि का नवीकरण** — (1) परिचालक अनुज्ञापि के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप सी.जी.एम.वी.आर.-15 (एल.कान.आर.) में अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा तथा उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे—
- मूल परिचालक अनुज्ञापि;
 - आवेदक की हाल की पासपोर्ट की तीन फोटो;
 - प्ररूप सी.जी.एम.वी.आर.-12 (एम.सी.कान.) में रजिस्ट्रीकूट चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित तथा स्वस्थता का ऐसा चिकित्सीय प्रमाण पत्र जो आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पूर्व के अधिक से अधिक 30 दिन के भीतर जारी किया गया हो;
 - नियम 40 में यथा विनिर्दिष्ट फीस।
- (2) परिचालक अनुज्ञापि के नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे अनुज्ञापि का नवीकरण कर सकता।

(3) परिचालक की अनुज्ञापि का नवीकरण अनुज्ञापन प्राधिकारी यदि वह प्राधिकारी नहीं है, विसने अनुज्ञापित जारी की थी तो प्ररूप सी.जी.एम.वी.आर.-16 (एम.सी.कान.आर.आर.) में नवीकरण के तथ्य की सूचना उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसके द्वारा अनुज्ञापि जारी की गई थी।

29. परिचालक अनुज्ञापि मंजूर किए जाने के लिए अर्हता — किसी भी व्यक्ति को तब तक परिचालक अनुज्ञापि मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान न कर दे कि—

- उसे अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का पर्याप्त ज्ञान है तथा विशिष्टता परिचालक के कर्तव्यों तथा कार्यों से संबंधित ज्ञान है;
- उसका अच्छा नैतिक चरित्र है;
- उसने अठार्डं स्तर की परीक्षा या उससे उच्च कक्षा की परीक्षा पास की है तथा उस क्षेत्र की विसमें वह परिचालक के रूप में कार्य करने की इच्छा रखता है, भाषा का कार्यसाधक ज्ञान है।

30. अपील प्राधिकारी — अधिनियम की घास 33 की उधारा (2) तथा 34 की उधारा (4) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के ओदेश के विस्तर अपील की सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी जिसे का कलेक्टर होगा।

31. अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई — (1) नियम 30 के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश पर आपत्तियों के आधारों को बताते हुए संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा और उसके साथ नियम 40 में यथा विनिर्दिष्ट फीस तथा स्वेच्छा आदेश की प्रमाणित प्रति, जिसके विस्तर अपील की गई हो, संलग्न की जाएगी।

(2) जब कोई अपील फाइल की जाए तब उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विस्तर अपील की गई हो, एक सूचना ऐसे प्ररूप में जारी की जाएगी जैसी कि अपील प्राधिकारी द्वारा निवेदित किया जाए।

(3) अपील प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को अपील से संबंधित किसी दस्तावेज की प्रति नियम 40 में यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय किया जाने पर दे सकेगा।

(4) अपील प्राधिकारी पक्षकारों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, उस आदेश की, जिसके विस्तर अपील की गई हो, पुष्टि कर सकेगा, फेरफार कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा और तदनुसार आदेश करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अपील में हितबद्ध किसी व्यक्ति को, नियम 40 में यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर अपील से सम्बद्ध अपिलेख का निरीक्षण करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

- 32. Duties and Conduct of Conductors —** (1) The conductor of stage carriage —
- (i) shall as far as may be reasonably possible having regard to his duties be responsible for the due observance of the provisions of the Act and these rules;
 - (ii) shall not smoke while on duty in the vehicle;
 - (iii) shall behave in a civil and orderly manner with passengers and intending passengers;
 - (iv) shall be cleanly dressed in the uniform as specified in rule 36;
 - (v) shall, while on duty display the name plate as specified in rule 37;
 - (vi) shall maintain the vehicle in clean and sanitary condition;
 - (vii) shall not interfere with any person boarding or preparing to board any other vehicle;
 - (viii) shall not allow any person to be carried in the stage carriage in excess of the seating capacity specified in the certificate of registration of the vehicle and any additional number of passengers permitted under the condition of permit to be carried standing in the vehicle;
 - (ix) shall not, save for good and sufficient reasons refuse to carry any passenger tendering the legal fare;
 - (x) shall not allow any passenger to be carried in the stage carriage without payment of legal fare;
 - (xi) shall where the goods are carried on a vehicle in addition to passengers, take all reasonable precautions to ensure that the passengers are not endangered or unduly inconvenienced by the presence of goods;
 - (xii) shall not, save for good and sufficient reasons require any passenger, who has paid legal fare to alight from the vehicle before the conclusion of the Journey;
 - (xiii) shall not loiter or unduly delay upon any journey but shall proceed to his destination as near as may be in accordance with the time table pertaining to the vehicle or where there is no such time table with all reasonable despatch;
 - (xiv) shall, in the event of the vehicle being unable to proceed to its destination on account of mechanical breakdown or other cause beyond the control of the driver or conductor arrange to convey the passenger to their destination in some other similar vehicle or, if unable so to arrange within a period of an hour after the failure of the vehicle shall on demand refund to each passenger a proper proportion of the fare relating to the non completion of the journey for which the passenger had paid the fare or if unable to refund shall issue a certificate in Form M.P.M.V.R.- 17 (Con. Cert. R.);
 - (xv) shall not cause or allow anything to be placed in the vehicle in such a manner as to obstruct the entry or exist to passengers;

- 32. परिचालकों के कर्तव्य तथा आचरण —** (1) मंजिली गाड़ी का परिचालक —
- (एक) जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से संभव हो अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों का सम्बित रूप से पालन करने के लिए उत्तदायी होगा;
 - (दो) यान में उस समय धूपापान नहीं करेगा, जबकि वह कर्तव्य पर हो;
 - (तीन) यात्रियों तथा यात्रा के इच्छुक व्यक्तियों से सम्पर्क और शिष्ट व्यवहार करेगा;
 - (चार) नियम 36 में यथा विनिर्दिष्ट साफ वर्द्ध पहनेगा;
 - (पाँच) जब वह कर्तव्य पर हो, नियम 37 में यथा विनिर्दिष्ट नाम पट्टी संप्रदर्शित करेगा;
 - (छह) यान को साफ तथा स्वच्छ दशा में रखेगा;
 - (सात) किसी अन्य यात्रा में चढ़ रहे या चढ़ने की तैयारी कर रहे किसी व्यक्ति से हस्तक्षेप नहीं करेगा;
 - (आठ) किसी मंजिली गाड़ी में यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट बैठक क्षमता से अधिक किसी व्यक्ति को ले जाने और अनुज्ञापन की शर्तों के अधीन यान में खड़े रहकर ले जाये जाने के लिए अनुज्ञात अतिरिक्त यात्रियों की संख्या से अधिक किसी भी व्यक्ति को ले जाये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा;
 - (नौ) वैध भाड़ा देने वाले किसी भी व्यक्ति को समुचित और पर्याप्त कारणों के बिना ले जाने से इकार नहीं करेगा;
 - (दस) वैध भाड़ा का संदाय किए बिना किसी यात्री को किसी भी मंजिली गाड़ी में ले जाये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा;
 - (ग्यारह) जब यान में यात्रियों के अतिरिक्त माल भी ले जाया जाता हो, तब यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी समस्त युक्तियुक्त पूर्व सावधानियों वरतेगा जिससे कि यात्रियों को माल के कारण कई खतरा या अनावश्यक रूप से असुविधा न हो;
 - (बारह) ऐसे किसी भी यात्री को जिससे वैध भाड़ा का संदाय किया हो, समुचित और पर्याप्त कारणों के बिना यात्रा समाप्ति होने के पूर्व यान से उतारने के लिए नहीं करेगा;
 - (तेरह) इधर-उधर नहीं धूमेगा या यात्रा में अनुचित रूप से देरी नहीं करेगा किन्तु यान से सम्बद्ध यथाशक्य निकटतम समय साराणी के अनुसार या जहाँ ऐसी समय-साराणी न हो वहाँ पूर्ण युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होगा;
 - (चौदह) यांत्रिक टूट-फूट या चालक या परिचालक के नियंत्रण के पारे किसी अन्य कारण से यान अपने गंतव्य की ओर न जा सकने की दशा में यात्रियों को उत्ती प्रकार के किसी अन्य यान में उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने की व्यवस्था करेगा या यदि यान बिगड़ जाने के पश्चात एक घटे की कालावधि के भीतर वह उस प्रकार की व्यवस्था करने में असमर्थ रह तो मांग किए जाने पर प्रत्येक यात्री को ऐसी अपूर्ण यात्रा के संबंध में, जिसके किंतु यात्री ने संदाय किया था, समुचित अनुपात में किराया वापस कर देगा या यदि उस प्रकार वापिस करने में असमर्थ हो तो प्ररूप सी.जी.एम.डी.आर.-17 (कान.सर्ट.आर.) एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा;
 - (पन्द्रह) यान में किसी वस्तु को ऐसी रीति में नहीं रखवाएगा या रखने की अनुज्ञा नहीं देगा जिससे कि यात्रियों को प्रवेश या निर्गम में बाधा हो;

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994

Rule 32

- (xvi) shall issue a ticket immediately on payment of the legal fare or freight by the passenger except where arrangement outside the vehicle for the issue of tickets in advance to the intending passengers on payment of the legal fare has been made;
- (xvii) shall, at the conclusion of any journey take reasonable search in vehicle for anything left by any passenger and shall take into his custody anything so found by him or by any other person in such vehicle and as soon as may be make over the same to a responsible employee of the holder of the permit of the vehicle or to the officer-in-charge of the nearest police station;
- (xviii) shall not cause or allow to enter into or to be placed or carried in the vehicle any person whom he knows or has reason to believe to be suffering from any infectious or contagious disease, or the corpse of any person;
- (xix) shall notwithstanding, anything contained in clause (xviii), on application in writing by a registered medical practitioner allow a person suffering from an infectious or contagious disease to be carried in a stage carriage provided that no other person save a person or persons in attendance on the sick persons shall be carried in the vehicle at the same time;
- (xx) shall be responsible, when a person suffering from an infectious or contagious disease, or the corpse of any person has been carried in a stage carriage, for reporting the fact to a medical officer in charge of nearest municipality, Local Board or Government dispensary and to the owner of the vehicle and shall not cause or allow any person to use the vehicle until the driver and conductor and the vehicle have been disinfected in such manner as the said medical officer may specify and a certificate to this effect has been obtained from the said medical officer;
- (xxi) shall be on the lookout for other motor vehicle approaching from behind and effectively signal its approach to the driver;
- (xxii) shall assist the passenger in the loading and unloading of luggage and shall take all reasonable precautions to prevent luggage being miscarried or lost on the way;
- (xxiii) shall not while on duty be under the influence of intoxicating drink or drug;
- (xxiv) shall on demand by any passenger, produce the complaint book for recording such remarks as the passenger may desire to make therein;
- (xxv) shall, whenever the stage carriage approaches unguarded level crossing cause it to be stopped and after alighting therefrom and cause the vehicle to follow him till the other side of the level crossing is reached;

नियम 32

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

15

- (सोलह) ऐसी स्थिति के सिवाय जहाँ वैध भाड़े का संदाय किए जाने पर इच्छुक यात्रियों को अग्रिम रूप में टिकिट जारी किए जाने के लिए यान के बाहर व्यवस्था की गई हो यात्रियों द्वारा वैध किए या भाड़े का संदाय किए जाने पर तत्काल टिकिट देगा;
- (सत्रह) किसी भी यात्रा की समाप्ति पर किसी यात्री द्वारा छोड़ी गई किसी वस्तु का पता लगाने के लिए यान की युक्तियुक्त तलाशी लेगा और उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे यान में इस प्रकार पाई गई किसी वस्तु को अपनी अभिलेखा में लेगा और यथा संभव शीघ्र ऐसी वस्तु को यान के अनुज्ञापत्र धारक के किसी जिम्मेदार कर्मचारी या निकटतम पुलिस यान के भारसाधक अधिकारी को सौंप देगा;
- (अठारह) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसे यह जानकारी हो या विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी संक्रामक या स्पर्शजन्य रोग से पीड़ित है, या किसी व्यक्ति के शब्दों को यान में प्रेषण करने या कराने अथवा रखने या रखवाने नहीं देगा या ले जाने नहीं देगा या अनुज्ञा नहीं देगा;
- (उन्नीस) खण्ड (18) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, गिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखित में आवेदन किए जाने पर संक्रामक या स्पर्शजन्य रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को मंजिली गाड़ी में ले जाए जाने की अनुज्ञा देगा बशर्ते कि स्थान व्यक्तियों की परिचय करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय अन्य व्यक्तियों को उसी समय यान में नहीं ले जाया जाएगा;
- (बीस) जब संक्रामक या स्पर्शजन्य रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति या ऐसे किसी व्यक्ति के शब्दों को मंजिली गाड़ी में ले जाया जाय तब वह इस तथ्य की सूचना निकटतम नारायणिका, स्थानीय बोर्ड या शासकीय औपचालय के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी और यान के स्वामी को देने के लिए उत्तरदायी होगा और जब तक चालक, परिचालक और यान को ऐसी रीति में जैसी कि उक्त चिकित्सा अधिकारी विनिर्दिष्ट करें, रोगाणुरहित नहीं कर दिया जाए और उक्त चिकित्सा अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाए तब तक किसी अन्य व्यक्ति से यान का उपयोग नहीं करवाएगा या ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं देगा;
- (इक्कीस) पीछे से आने वाले अन्य मोटर यानों को देखता रहेगा और उसके आने का संकेत चालक को प्रभावी रूप से देगा;
- (चार्फीस) सामान को चढ़ाने या उतारने में यात्रियों की सहायता करेगा और सामान गलत स्थान पर चले जाने या रास्ते में सामान खो जाने से रोकने के लिए समस्त युक्तियुक्त पूर्वसावधानियाँ बरतेगा।
- (तीर्फीस) कर्तव्यस्थ रहते समय नशीले पेय या औषधि के प्रभाव में नहीं रहेगा;
- (चौबीस) किसी यात्री द्वारा शिकायत पुस्तिका की मांग किए जाने पर, वह ऐसी टिप्पणियाँ अभिलिखित किए जाने हेतु, जैसी कि यात्री उसमें अभिलिखित करने की वांछा करे, उसे प्रस्तुत करेगा;
- (पच्चीस) जब मंजिली गाड़ी किसी ऐसे लेवल क्रासिंग, जहाँ कोई गार्ड न हो, के सभीप पहुंचे तो उसे रुकवाएगा तथा उसमें से उतारकर और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि किसी दिशा से कोई देन या ट्राली नहीं आ रही है, लेवल क्रासिंग के दूसरी ओर जब तक यान नहीं पहुंचता है तब तक उसका मार्गदर्शन करेगा;

- (xxvi) shall on demand by any officer of the Transport Department not below the rank of Assistant Transport Sub-Inspector or any Police Officer in uniform not below the rank of a Sub-Inspector produce all such vouchers and ticket books for his inspection;
- (xxvii) shall not, while he is on duty permit the vehicle to be used for illegal or immoral purposes;
- (xxviii) shall not permit any fuel to be poured into the fuel tank while the engine is in motion;
- (xxix) in case of an accident of the bus, shall make all reasonable efforts to help the injured persons and to inform the nearest Police Station, immediately;
- (xxx) shall help the infants, disabled, pregnant ladies, old aged passengers and ladies with child in arm to board and alight the bus;
- (xxxi) when the driver is taking the bus in reverse shall get down from the bus and be on the look out for other motor vehicle or any other obstacle in the back of the vehicle and effectively give signal to the driver;
- (xxxii) shall not allow any explosive or dangerous or inflammable substances to be carried in the bus.

(2) A conductor of a stage carriage shall, on demand by any Police Officer in uniform not below the rank of a Sub-Inspector of Police or any officer of the Transport Department not below the rank of Assistant Transport Sub-Inspector in uniform, produce his licence or in the absence of licence the badge prescribed under rule 38 for inspection.

33. Prohibition against holding more than one Licence — No person shall hold more than one conductor's licence.

34. Affixing of Photograph — The photograph of the holder of a conductor's licence shall be affixed on the licence and sealed with the seal of the Licensing Authority in such manner that part of the impression of the seal is upon the photograph and part on the margin.

35. Issue of duplicate Conductor's Licence — (1) If at any time a conductor's licence is lost, destroyed or mutilated the holder shall forthwith intimate the fact in writing and may apply for a duplicate in Form M.P.M.V.R.-18 (CLD) to the Licensing Authority in whose area he has his place of residence at the time.

(2) The holder of the conductor's licence shall also furnish to the Licensing Authority three clear copies of his recent photograph in passport size.

(3) On receipt of an application under sub-rule (1) the Licensing Authority if it is not the authority by whom the conductor's licence was issued, shall transmit a copy of the photograph and call for the particulars of the conductors license and of any endorsement thereon from the original licensing authority and may make such enquiries as it thinks fit.

(4) The Licensing Authority may ask the applicant to file an affidavit or a declaration that the conductor's licence in respect of which the application has been made is actually lost and has not been impounded by any authority and if the applicant fails to do so the Licensing Authority may refuse to issue a duplicate licence.

नियम 33-35

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

16

- (चब्बीस) परिवहन विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो सहायक परिवहन उप निरीक्षक के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो या किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा जो उप निरीक्षक के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो, मांग किए जाने पर समस्त ऐसे वात्चर और टिकिट पुस्तके उसके निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा;
- (सत्ताईस) जब कर्तव्यस्थ हो, यान का अवैध या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा;
- (अठाईस) जब इंजन चालू हो तो ईंधन टेंक में ईंधन भवाने की अनुमति नहीं देगा;
- (उन्नीस) बस दुर्घटना के माम्रते में शातिरपत्र व्यक्तियों की सहायता करने के लिए समस्त युक्तियुक्त प्रयत्न करेगा और निकटतम पुलिस थाने को तत्काल सूचना देगा;
- (तीस) बच्चों, विकलांगों, गर्भवती महिलाओं, वयोवृद्ध यात्रियों और गोद में बच्चों के साथ महिलाओं को बस में चढ़ने उत्तरे में सहायता करेगा;
- (इकतीस) उस समय जब चालक बस को पीछे की ओर ले जा रहा हो बस से उतर जाएगा और यान के पीछे अन्य दूसरा यान हो या अन्य वाहा हो तो प्रभावी ढंग से चालक को संकेत देगा;
- (बत्तीस) किसी विस्फोटक या खत्तराक या जलनशील पदार्थों को ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

(2) मंजिली गाड़ी का परिचालक किसी भी ऐसे वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप निरीक्षक के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो या परिवहन विभाग के किसी ऐसे वर्दीधारी अधिकारी द्वारा जो सहायक परिवहन उप निरीक्षक के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो, मांग किए जाने पर, अपनी अनुमति या अनुमति के अभाव में नियम 38 के अधीन विहित बिल्ला (वैज) निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

33. एक से अधिक अनुमति धारण करने का प्रतिबंध — कोई भी व्यक्ति एक से अधिक परिचालक अनुमति धारण नहीं करेगा।

34. फोटो का चिपकाया जाना — परिचालक अनुमति के धारक का फोटो अनुमति पर चिपकाया जाएगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुद्रा इस प्रकार लाई जाएगी की मुद्रा का कुछ भाग फोटो पर तथा कुछ भाग पारख पर हो।

35. परिचालक अनुमति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना — (1) यदि किसी भी समय कोई परिचालक अनुमति दो जाए, विनष्ट हो जाये या विरपित हो जाए तो धारक उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में उस समय उसका निवास स्थान हो इस तथा की तत्काल लिखित में प्रज्ञापन देगा और प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर.-18 (सी.एल.डी.) में दूसरी प्रति के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) परिचालक अनुमति का धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी को स्वयं के हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटो की तीन स्वच्छ प्रतियाँ भी प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी वह ऐसा प्राधिकारी न हो, जिसके परिचालक अनुमति जारी की गई थी, फोटो की एक प्रति पारेषित करेगा और परिचालक अनुमति के तथा उस पर किए गए किसी वृष्टांकन की विशिष्टियाँ मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी से मंगाएगा और ऐसी जाँच कर सकेगा जैसी कि वह उचित समझे।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक से ऐसा शपथ पत्र या घोषणा फाइल करने के लिए कह सकेगा कि परिचालक अनुमति जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, वास्तव में खो गई है तथा किसी प्राधिकारी द्वारा दूसरी प्रति जारी करने से इंकार कर सकेगा।

(5) The Licensing Authority if satisfied that a duplicate may properly be issued, issue a duplicate conductor's licence and intimate to the authority by whom the conductor's license was originally issued:

Provided that where subsequent to the issue of duplicate licence, it is found that there has been an endorsement by a court since the date of the grant or last renewal of the licence, it shall be lawful for the Licensing Authority to call for the duplicate conductor's licence and make the necessary endorsement thereon.

(6) Where a duplicate conductor's licence has been issued upon representation that a conductor's licence has been lost and the original conductor's licence is afterwards found or received by the holder, the holder shall immediately return it to the Licensing Authority.

(7) Any other person finding a Conductor's licence shall deliver it to the Officer-in-charge of the nearest Police Station or the nearest Licensing Authority. The Officer-in-charge of the Police Station, on receipt of the Conductor's licence, shall immediately forward it to the Licensing Authority. The Licensing Authority shall restore the conductor's licence to the holder in case duplicate conductor's licence has not been issued and shall substitute it for the duplicate in case such a duplicate has already been issued.

(8) When a duplicate conductor's licence is issued under sub-rule (5) it shall be clearly stamped "DUPLICATE" in red ink and shall be marked with the date of issue of the duplicate and the seal of the Licensing Authority.

(9) The fee for a duplicate conductor's licence issued under this rule shall be as specified in rule 40.

36. Uniform for Conductor of Stage Carriages — The conductor of a stage carriage shall wear following uniform—

- (a) Khaki Bush-Shirt or Coat, with four pockets with flaps;
- (b) Khaki Trousers of Police Pattern; and
- (c) Khaki Cap or Turban.

37. Display of Name Plate — A name plate to be displayed by the conductor of a stage carriage shall be in black background on metal or plastic plate of the size of 8 cm. x 2 cm. inscribed with the name of Conductor in bold white letters in Hindi Devnagri Script of the size of 6 m.m., the cost of such plate shall be borne by the wearer himself.

38. Conductor's Badge — (1) The Licensing Authority issuing Conductor's licence shall also issue simultaneously on payment of fee as specified in rule 40 metal badge inscribed with its name, the word "परिचालक" and in identification number, in the form illustrated in the Second Schedule appended to these Rules.

(2) If the badge is lost or destroyed, a duplicate badge shall be issued on payment of fee as specified in rule 40 by the authority which issued it on an application made to it in Form M.P.M.V.R.-19 (DCB). In case the original badge is lateron found by the conductor, he shall return the duplicate badge to the issuing authority.

(3) No conductor shall lend or transfer to any other person, or permit the use by any other person of the badge issued to him under sub-rule (1).

(5) यदि अनुज्ञान प्राप्तिकारी का यह समाचार हो जाता है कि दूसरी प्रति अनुज्ञित स्थ से जारी की जा सकती है, तो परिचालक अनुज्ञित की दूसरी प्रति जारी करेगा और उस प्राप्तिकारी को दूसरा देगा जिसके द्वारा परिचालक अनुज्ञित दूसरा जारी की गई है।

परन्तु जहाँ अनुज्ञित की दूसरी प्रति जारी किए जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि अनुज्ञित मौजूदी की जाने वाले उसके विगत नवीकरण की तारीख से व्यापारिक द्वारा कोई वृद्धिक्रम लिया गया है तो अनुज्ञापन प्राप्तिकारी द्वारा परिचालक अनुज्ञित की दूसरी प्रति मंगवाया और उस पर आप्रसंक पुष्टीकरण करवा लिया गया होगा।

(6) जहाँ परिचालक अनुज्ञित की दूसरी प्रति ऐसे अधिकारी द्वारा अनुज्ञित पर जारी की जाए कि परिचालक अनुज्ञित खो गई है और तत्पश्चात् पारक को मूँह परिचालक अनुज्ञित मिल जाए वा पाप हो जाए तब घासक परिचालक अनुज्ञित की दूसरी प्रति अनुज्ञापन प्राप्तिकारी को तत्काल वापस कर देगा।

(7) किसी अन्य व्यक्ति को परिचालक अनुज्ञित मिल जाये तो वह उसे निकटतम पुलिस थाने के भारताधारक अधिकारी या निकटतम अनुज्ञापन प्राप्तिकारी को परिचालक करेगा। पुलिस थाने का भारताधारक अधिकारी परिचालक अनुज्ञित प्राप्त होने पर उसे अनुज्ञापन प्राप्तिकारी को तत्काल अपेक्षित करेगा। यदि परिचालक अनुज्ञित की दूसरी प्रति जारी नहीं की गई हो तो अनुज्ञापन प्राप्तिकारी परिचालक अनुज्ञित, प्रत्यावर्तित करेगा और यदि दूसरी प्रति पूर्ण में जारी हो चुकी हो तो उसे दूसरी प्रति के स्थान पर स्थापित करेगा।

(8) जब उपनियम (5) के अधीन परिचालक अनुज्ञित की दूसरी प्रति जारी की जाएगी और उस पर दूसरी प्रति जारी किए जाने की तारीख अंकित की जाएगी और अनुज्ञापन प्राप्तिकारी की मुद्रा लगाई जाएगी।

(9) इस नियम के अधीन जारी की गई परिचालक अनुज्ञित की दूसरी प्रति के लिए फीस नियम 40 में विवरित किए गए अनुसार होगी।

36. मंजिली गाड़ियों के परिचालक के लिए वर्दी — मंजिली गाड़ियों का परिचालक निम्नानुसार वर्दी पहनेगा —

- (क) खाकी बुश-शर्ट या कोट, जिस पर फ्लैप लगी चार जेवें लगी हों;
- (ख) पुलिस पेटर्न की खाकी पतलून;
- (ग) खाकी टोपी या साफा।

37. नाम पट्टी या संग्रन्थार्थन — मंजिली गाड़ी के परिचालक द्वारा संग्रन्थार्थन की जाने वाली नाम पट्टी 8 स.मी. × 2 से.मी. आकार की किसी पातु या प्लास्टिक पट्टी पर देवनागरी लिपि में, दिनी में 6 मि.मी. आकार के सफेद भोटे अक्षरों में परिचालक का नाम उल्कीण की हुई होगी। ऐसी पट्टी की लागत पहनने वाले द्वारा स्वयं बहन की जाएगी।

38. परिचालक का बिल्ला — (1) अनुज्ञापन प्राप्तिकारी परिचालक अनुज्ञित जारी करने के साथ ही साथ, इन नियमों से संलग्न द्वितीय अनुसूची में दर्शाए गए प्रलैप में, नियम 40 में स्थाय विवरित कीस का संदर्भ जारी करने पर धातु का ऐसा बिल्ला भी जारी करेगा जिस पर परिचालक का नाम शब्द "परिचालक" और पहचान संलग्न उक्तीण हो।

(2) यदि बिल्ला खो जाए या नष्ट हो जाए तो नियम 40 में यथाविवरित कीस का संदर्भ करने स्थाय सी.जी.एस.डी.आर.-19 (डी.सी.बी.) में आवेदन करने पर उसी प्राप्तिकारी द्वारा दूसरा बिल्ला जारी किया जाएगा जिसके द्वारा वह जारी किया गया था। यदि परिचालक को बाद में मूल बिल्ला प्राप्त हो जाए तो वह दूसरा बिल्ला जारी करने वाले प्राप्तिकारी को वापस कर देगा।

(3) कोई भी परिचालक उपनियम (1) के अधीन से जारी किया गया बिल्ला किसी अन्य व्यक्ति को उपर नहीं देगा या अंतरित नहीं करेगा, या उपयोग के लिए दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा।

(4) If at any time a conductor's licence is suspended or revoked by a competent authority or by any court or ceases to be valid by efflux of time, the conductor shall, within seven days, of such suspension, revocation or cessation surrender the badge to the authority by which it was issued.

39. Effectiveness of Conductor's Licence Issue by any other State than the State of Chhattisgarh — A person can act as a conductor having a conductor's licence issued in any other State only if the stage carriage is operating in the State of Chhattisgarh under the reciprocal transport agreement entered with the State Government.

[40. Fees] — The fees which shall be charged under the provisions of this chapter shall be as specified below —

TABLE

S.No.	Purpose	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	In respect of issue or renewal of conductor's licence.	100.00
2.	In respect of issue of duplicate conductor's licence.	150.00
3.	In respect of issue of conductor's Badge.	100.00
4.	In respect of issue of duplicate Conductor's Badge.	150.00
5.	In respect of an appeal against the orders of the Licensing Authority.	100.00
6.	In respect of supplying a copy of the decision/document — (i) Ordinary (ii) Urgent	50.00 100.00
7.	In respect of inspections of record in connection with filing an appeal.	50.00
8.	In respect of miscellaneous application addressed to Licensing Authority.	1[20.00]]

CHAPTER IV

REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES

41. Registering Authority — The Registering Authority shall be the Regional Transport Officer, Additional Regional Transport Officer or such other officer as may be authorised by the State Government by notification in the Official Gazette.

(2) The Registering Authority for issuing letter of authority to the authorised testing stations, shall be the Regional Transport Officer or such other officer not below the rank of Regional Transport Officer as may be authorised by the State Government by notification in the Official Gazette.

(3) The area of jurisdiction of each Registering Authority shall be the Region or such other areas as the State Government may notify in the official Gazette.

- Substituted by Notification No. 338/505/Tr./2001 dated the 7th June, 2001 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 10-6-2001 pages 264(4-8).
- Substituted by Notification No. 510/Tr./2002 dated the 21st May, 2002 for "50" and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 21-5-2002.

(4) यदि किसी भी समय परिचालक अनुज्ञाप्ति को किसी सहाय प्राधिकारी वा किसी न्यायालय द्वारा निलंबित या प्रतिसंहृत कर दिया जाए या समय अवधीन हो जाने के कारण वैध न हो तो परिचालक ऐसे निलंबन, प्रतिसंहरण या वैध न होने के सात दिन के भीतर तक उस प्राधिकारी को बिल्ला अध्यापित कर देगा जिसके द्वारा वह जारी किया गया था।

39. छत्तीसगढ़ राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य द्वारा की गई परिचालक अनुज्ञाप्ति का प्रभावीकरण — कोई व्यक्ति, जिसके पास किसी अन्य राज्य द्वारा जारी की गई परिचालक अनुज्ञाप्ति है, परिचालक के रूप में केवल तब ही कार्य कर सकता है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में उस राज्य सरकार के साथ हुए पास्तारिक परिवहन करारे के अधीन मंजिली गाड़ी प्रचलित की जा रही हो।

[40. Fees] — इस अध्याय के उपर्योग के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विवरित है तथा गए अनुसार होगी —

अनुक्रमांक	प्रयोग	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	परिचालक अनुज्ञाप्ति जारी करने या नवीकरण करने के संबंध में	100.00
2.	परिचालक अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	150.00
3.	परिचालक बिल्ला (बैज) जारी करने के संबंध में	100.00
4.	परिचालक के बिल्ले की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	150.00
5.	अनुज्ञाप्त प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में	100.00
6.	विनियम/अधिलेख की प्रति प्रदाय करने के संबंध में— (एक) सामान्य (दो) अति अत्यावश्यक	50.00 100.00
7.	अपील के फाइल करने से संबंधित अधिलेख के निरीक्षण के संबंध में	50.00
8.	अनुज्ञाप्त प्राधिकारी को संबंधित प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में	2[20.00]]

अध्याय 4
मोटरवाहनों का रजिस्ट्रीकरण

41. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी — (1) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होगा।

(2) प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों को प्राधिकरण वर्त जारी करने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से अनिन पद श्रेणी का ऐसा अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता का क्षेत्र वह राज्य (रीजन) या अन्य क्षेत्र ऐसे होगे जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

- अधिसूचना क्रमांक 338/505/परिवहन/2001, दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-6-2001 पृष्ठ 263-264(3) पर प्रकाशित।
- अधिसूचना क्रमांक 510/परिवहन/2002, दिनांक 21 मई, 2002 द्वारा अंक "50" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 21-5-2002 को पृष्ठ 253-254 पर प्रकाशित।

42. Security Deposit by the Operator of Testing Station — The amount of security deposit specified in clause (b) of sub-rule (2) of rule 63 of Central Rules shall be deposited by the operator of the testing station through Bank draft drawn on any scheduled Bank situated within the jurisdiction of the Registering Authority.

43. Appellate Authority — The authority to hear appeals under sub-section (1) of section 57 of the Act against the order passed by a Registering Authority or a prescribed authority specified under sub-rule (1) of rule 50 shall be the Transport Commissioner or such other officer not below the rank of Deputy Transport Commissioner as may be authorised by the State Government by notification in the Official Gazette.

44. Conduct and hearing of Appeals — (1) An appeal against the orders under the provisions referred to in sub-section (1) of section 57 shall be preferred, in duplicate, in the form of a memorandum setting forth concisely the grounds of objections to the order appealed against and shall be accompanied by appropriate fee as specified in rule 62 and a certified copy of such order.

(2) The Appellate Authority after giving an opportunity to the parties to be heard and after such further enquiry as it may deem necessary may confirm, vary or set aside, the order appealed against and shall make an order accordingly.

(3) Any person preferring an appeal under this rule shall be entitled to obtain a copy of any document filed with the Registering Authority in connection with any order against which he is preferring an appeal on payment of fee as specified in rule 62.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (3) the Appellate Authority may give any person interested in an appeal preferred under section 57 of the Act, copies of any document connected with the appeal on payment of fee as specified in rule 62.

(5) The Registering Authority or Appellate Authority may allow any person interested in an appeal to inspect the record connected with such appeal on payment of fee as specified in rule 62.

45. Temporary Registration — (1) An application for temporary registration or extension of period of validity thereof shall be made to the Registering Authority in Form M.P.M.V.R.-20 (C.R. Temp. A) and shall be accompanied by fee as specified in rule 62.

(2) An Officer of a manufacturer of motor vehicle posted at the place of manufacturing or at the Regional Sales Office of the manufacturer, as the case may be, in respect of the motor vehicle, on the chassis whereof new bodies are built by it, shall also be competent to grant temporary certificate of registration under this rule, if so authorised by the Transport Commissioner:

Provided that the Transport Commissioner shall not give such approval unless he is satisfied that the manufacturer, manufactures a substantial number of motor vehicles.

(3) A temporary certificate of registration shall be in Form M.P.M.V.R.-21 (C.R. Tem).

(4) The authority granting a temporary certificate of registration or extension thereof shall, in case where the registration under section 40 of the Act is proposed to be effected by another authority forward to the later a copy of Form M.P.M.V.R.-21 (C.R. Tem).

42. परीक्षण केन्द्र के इच्छातक द्वारा अपेक्षित नियम — केन्द्रीय विभागों के नियम 63 के उल्लेखन (2) के उपर (ए) में विविध शीलोऽति नियम की द्वारा परीक्षण केन्द्र के इच्छातक द्वारा अविस्तृकरण प्राप्तिकारी की अधिकारिता के खोल विभाग अपेक्षित देक्क के द्वारा दिल्ली एवं मानसिंह द्वारा के सभाय से निहित की जाएगी।

43. अपील प्राप्तिकारी — नियम 50 में उल्लिख (1) के अपील प्राप्तिकारण प्राप्तिकारी वा विविध प्राप्तिकारी द्वारा पारित आदेश के विषद् अधिकारिय की दारा 57 की अपारा (1) के अपील अपीलों की सुनवाई के लिए प्राप्तिकारी परिवहन आयुक्त या कोई अन्य द्वारा प्राप्तिकारी जो उस परिवहन आयुक्त की देणी से अनिन्द दद देनी का न हो, होगा जिसे राज्य साकार द्वारा राज्यमें अविस्तृकरण द्वारा प्राप्तिकारण नियम जाए।

44. अपीलों का संचालन तथा सुनवाई — (1) दारा 57 की अपारा (1) में विविध अपीलों के अपील अपीलों के विषद् अपील आपतियों के आधारों को संतुलित रूप से सुनवाई की जाएगी और उसके साथ नियम 62 में व्याविनिर्दिष्ट समुचित फीस और ऐसे आदेश की प्राप्तिकारण प्राप्ति संलग्न की जाएगी।

(2) अपील प्राप्तिकारी, वाकारों की सुनवाई का अवारद करने के पश्चात् तथा ऐसी और जीस कानों के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसे आदेश की विषद् अपील की गई है, उसी कर सकेगा, उसमें फोटो कर सकेगा या उसे अपारा कर सकेगा और तात्पुरा आदेश करेगा।

(3) इस नियम के अधीन अपील करने वाला कोई व्यक्ति उस आदेश, जिसके लिए विषद् वाह अपील कर रहा है, से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी को फाइल किए गए विविध भी दस्तावेज की प्रति, जो नियम 62 में व्याविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर अधिकार करने के लिए हाकदार होगा।

(4) उपनियम (3) के उपर्योग के अध्यार्थी रहे तुरंत अपील प्राप्तिकारी अधिकारिय की दारा 57 के अपील प्रस्तुत की गई अपील में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति को अपील से संबंधित विविध भी दस्तावेज की प्रतियों नियम 62 में व्याविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर दे सकेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी या अपील प्राप्तिकारी अपील को ऐसी अपील से संबंधित विविध का अनुज्ञा, नियम 62 में व्याविनिर्दिष्ट फीस का संदाय रजिस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी को किया जाएगा।

45. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण — (1) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण या उसकी वैधता की कालावधि के विस्तार के लिए आवेदन प्रक्रम सी.जी.एम.वी.आर.-20 (सी.आर.टेम.प.) तथा नियम 62 में व्याविनिर्दिष्ट फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी को किया जाएगा।

(2) मोटरवाहन के विनिर्माता का कोई अधिकारी जो, यात्रियों, विनिर्माण स्थल पर या विनिर्माता के प्रादेशिक विक्रय कार्यालय में पदस्थ हो, उसके द्वारा विनिर्मित मोटरवाहन वैसिस पर वार्डी विनिर्माण के संबंध या उन मोटरवाहनों के संबंध में जिसकी वैसिस पर नई वार्डी का विनिर्माण उनके द्वारा किया जाता है इस नियम के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, यदि परिवहन आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राप्तिकृत किया गया हो मंजूर करने के लिए भी सक्षम होगा :

परन्तु परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदन तब तक नहीं देगा जब तक कि उसका यह समाप्ति न हो जाए कि विनिर्माता मोटरवाहनों का पर्याप्त संख्या में विनिर्माण करता है।

(3) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रक्रम सी.जी.एम.वी.आर.-21 (सी.आर.टेम.) में होगा।

(4) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने या उसका विस्तार करने वाला प्राप्तिकारी अस दशा में जब कि अधिकारिय की घाटा 40 के अधीन किसी अन्य प्राप्तिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया जाना प्रस्तावित किया जाए, प्रक्रम सी.जी.एम.वी.आर.-21 (सी.आर.टेम.) की प्रति उस पर्याप्तवारी को अग्रिमत करेगा।

(5) The authority granting a temporary certificate of registration shall assign a temporary registration mark to the vehicle and the owner shall cause the said mark to be displayed in the front and rear of vehicle in the manner prescribed for registration mark.

(6) (a) The temporary registration mark to be assigned by the Registering Authority specified in the second Column of Third Schedule appended to these rules shall be as set forth in corresponding entry in the third column thereof.

(b) The temporary registration mark to be assigned by the authority prescribed under sub-rule (2) shall be, from amongst a block of registration mark allotted by the Registering Authority concerned from those assigned to him in the Third Schedule.

(7) The record of the prescribed authority maintained for the purpose of issue of temporary certificate of registration mark shall be open for inspection by an officer of the Transport Department not below the rank of Assistant Regional Transport Officer.

46. Additional Information to be furnished by the owner of a Transport Vehicle — In addition to the requirements as provided under rule 47 of the Central Rules, the following information and documents shall be furnished by or on behalf of the owner of Transport vehicle, at the time of registration or recording alteration in the certificate of registration of motor vehicle —

(a) A blue print of body construction or alteration of body on a chassis, to be provided by the body builder. Such blue print shall among other dimensions and details of vehicle and alterations, if any provide specifically all measurements of body, seats, floor space, doors and windows, sketch map seating arrangement with name, address and dated signature of body builder. The owner of the vehicle shall also sign with date the blue print and write his full name, and address thereon.

(b) Three outside coloured photographs of the transport vehicle taken from three different directions and two inside coloured photographs to identify the vehicle. Each photograph shall bear vehicle registration number, name and dated signature of the owner.

(c) Two clear copies of the impression of chassis number of the transport vehicle, on the white papers. The impression should be so clear that it can be easily legible. Such impression shall carry dated signature of the owner of the vehicle.

47. Delay in making application for Registration & Renewal thereof — If the owner fails to make an application under sub-section (1) or sub-section (8) of section 41 within the prescribed period, the Registering Authority may on considering the circumstances of the case require the owner to pay, in lieu of any action as may be taken against him under section 177 an amount as follows —

- (a) Rs. ¹[200] if the delay does not exceed thirty days; or
- (b) Rs. ²[300] if the delay exceeds thirty days.

1. Substituted by Notification No. 4714/tak 755/Tran.dept./2011 dated the 18 August 2011 for "Rs. 50" and Published in C.G. Rajpatra Part-I dated 30-09-2011.

2. Substituted by Notification No. 4714/tak 755/Tran.dept./2011 dated the 18 August 2011 for "Rs. 100" and Published in C.G. Rajpatra Part-I dated 30-09-2011.

(5) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण देने वाला प्राधिकारी यान के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए विहित की गई रीति में यान में भ्राम्भाग तथा पिछले भाग पर संप्रदर्शित करवायेगा।

(6) (क) इन नियमों की तृतीय अनुसूची के द्वितीय कालम में विविध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा समनुदेशित किया जाने वाला अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह तृतीय कालम में की गई तस्थायी प्रविधि के अनुसार होगा।

(ख) उपनियम (2) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा समनुदेशित किया जाने वाला अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के उस समूह में से होगा, जो कि सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उसे तृतीय अनुसूची में आवंटित रजिस्ट्रीकरण चिन्हों में से किया जाए।

(7) विहित प्राधिकारी द्वारा अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रखा गया अभिलेख परिवहन विभाग के किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो, निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा।

46. परिवहन यान के स्वामी द्वारा अतिरिक्त जानकारी का दिया जाना — मोटरवान के रजिस्ट्रीकरण के समय या रजिस्ट्रीकरण प्राप्ति में परिवर्तन अभिलेखित करते समय, परिवहन यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से केन्द्रीय नियमों के नियम 47 के अधीन यथा उपर्युक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्न जानकारी तथा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा —

(क) बाड़ी निर्माता द्वारा चेसिस पर बाड़ी निर्माण करने वाली में परिवर्तन का प्रिन्ट ऐसे ब्लू प्रिन्ट यान के अन्य आकार और ब्लौटे तथा परिवर्तन यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट: बाड़ी निर्माता का नाम, पता और उसके तारीख सहित हस्ताक्षर, बाड़ी के समस्त माप सीट, फर्श की जगह, दरवाजे तथा खिड़कियाँ, बैठक व्यवस्था में स्केच मेप रहेंगे। यान का स्वामी भी ब्लू प्रिन्ट पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपना पूरा नाम और पता लिखेगा;

(ख) यान की पहचान के लिये तीन भिन्न-भिन्न दिशाओं के लिये गये परिवहन यान के बाहरी भाग के तीन रंगीन फोटो तथा दो भीतरी भाग के रंगीन फोटो पर यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, यान के स्वामी का नाम और उसके तारीख सहित हस्ताक्षर होंगे;

(ग) सफेद कालज पर परिवहन यान के चेसिस क्रमांक की छाप की दो साफ प्रतियाँ छाप इनी स्पष्ट होनी चाहिए कि सरलता से पढ़ी जा सके। ऐसी छाप पर यान के स्वामी के तारीख सहित हस्ताक्षर होंगे।

47. रजिस्ट्रीकरण तथा उसके नवीकरण हेतु आवेदन करने में विलम्ब — यदि कोई स्वामी धारा 41 की उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन विहित की गई कालावधि के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करके स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी किसी कार्यवाही के बदले में जो उसके विलम्ब धारा 177 के अधीन की जाए निमानुसार रकम का संदाय करे —

(क) रुपये ¹[200] यदि विलम्ब तीस दिन से अधिक का हो; या

(ख) रुपये ²[300] यदि विलम्ब तीस दिन से अधिक का हो।

1. अधिसूचना क्रमांक 4714/तक 755/परि.वि./2011-दिनांक 18 अगस्त 2011 द्वारा "रुपये 50" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 30-09-2011 को पृष्ठ 1690, पर प्रकाशित।

2. अधिसूचना क्रमांक 4714/तक 755/परि.वि./2011-दिनांक 18 अगस्त 2011 द्वारा "रुपये 100" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 30-09-2011 को पृष्ठ 1690, पर प्रकाशित।

48. Issue or Renewal of Certificate of Fitness — (1) A certificate of fitness shall be issued or renewed by the Registering Authority or subject to its general control and direction by such officer of the Transport department not below the rank of Transport Sub-Inspector as may be authorised by it in this behalf or by an operator of the authorised testing station specified by the Government under subsection (2) of section 56 of the Act.

(2) An application for issue or renewal of certificate of fitness shall be made in Form M.P.M.V.R.-22 (C.F.A.), to the Registering Authority or the operator of the authorised testing station in whose jurisdiction the vehicle is normally kept or whose functional area includes the major portion of the route or area to which the permit relating to the vehicle extends and shall be accompanied with a tax clearance certificate in Form M.P.M.V.R.-23 (T.C.C.).

(3) If, owing to mechanical break down or otherwise a motor vehicle after the expiry of the certificate of fitness, remains outside of the functional area of the authority by whom the certificate is to be renewed, the competent authority of such area, without prejudice to any penalty to which the owner or driver may have become liable may, if the vehicle is in his opinion, fit for use, may make an endorsement in Form M.P.M.V.R. 24 (C.F.Sub.) subject to such conditions as he may specify, authorise its continued use for such time as may reasonably necessary but in no case for more than ten days for the vehicle to return to the area of the Registering Authority by whom the Certificate is to be renewed, and the vehicle may be driven to such area in accordance with such endorsement but shall not be used thereafter without renewal.

(4) While inspecting a transport vehicle, the Registering Authority or the operator of the authorised testing station shall fill in Form M.P.M.V.R.-25 (M.V.Ins.). If on inspection the vehicle is found fit in all respects, the Registering Authority or the operator of the authorised testing station shall issue to the owner or person incharge of the vehicle a certificate of fitness in Form 36 of the Central Rules. If, however, the vehicle is found not to be complying with the provisions of the Act and Rules made thereunder, the Registering Authority or the operator of the authorised testing station shall hand over the original copy of the inspection report in Form M.P.M.V.R.-25 (M.V.Ins.) to the owner indicating therein the defects found. The owner or person incharge of the motor vehicle shall when producing the vehicle for re-inspection after necessary repairs, surrender the inspection report in Form M.P.M.V.R.-25 (M.V.Ins.) to the Registering Authority or the operator of the authorised testing station.

49. Register of certificate of fitness — (1) Registering Authority or other officer or authorised operator of a testing station granting certificate of fitness, shall maintain following registers for the record of certificate of fitness —

- Datewise issue and check register of certificate of fitness in Form M.P.M.V.R.-26 (DFCR);
- Vehiclewise issue register of certificate of fitness in Form M.P.M.V.R.-27 (VFCR).

48. उपयुक्तता प्रमाण पत्र का जारी किया जाना या नवीनीकरण किया जाना— (1) उपयुक्तता प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा या उसके सामान्य नियंत्रण और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिवहन विभाग के परिवहन उप-नियंत्रक के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिसे उसके द्वारा इस नियम प्राधिकृत किया जाये, या अधिनियम की घास 56 की उपयाग (2) के अधीन संकर द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के प्रचालक द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) उपयुक्तता प्रमाण पत्र का जारी करने या नवीनीकरण करने के लिये आवेदन प्रस्तुति सी.जी.एम.व्ही.आर.-22 (सी.एफ.ए.) में उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के प्रचालक को, जिसकी अधिकारता में सामान्यतः यान रखा जाता है या जिसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इस स्वामी या क्षेत्र का मुख्य भाग आता है या जिससे कि यान का अनुसार पत्र संबंधित है कि यान जाएगा और उसके साथ प्रस्तुति सी.जी.एम.व्ही.आर.-23 (टी.सी.सी.) में कर समाप्त प्रमाण-पत्र होगा।

(3) यदि यांत्रिक ट्रॉफूट या अन्यथा किसी कारण से उपयुक्त प्रमाण-पत्र का अवसान होने के पश्चात् मोटरवाहन, उस प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर है यदि जिसके द्वारा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना हो, तो ऐसे क्षेत्र का सक्षम प्राधिकारी ऐसी किसी भी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले दिना, जिसके लिये स्वामी या चालक दायी हो, यदि उसकी राय में यान उपयोग के उपयुक्त है, तो वह इन नियमों के प्रस्तुति सी.जी.एम.व्ही.आर.-24 (सी.एफ.यू.वी.) में, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि वह विनिर्दिष्ट करें, यान को उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के क्षेत्र को वापस करने के लिए जिसके द्वारा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाना हो उसे ऐसे समय तक उपयोग निरंतर चालू रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, किन्तु किसी भी स्थिति में उसे उस दिन से अधिक समय के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा और यान का ऐसे पृष्ठांकन के अनुसार ऐसे क्षेत्र तक तो जाया जा सकेगा किन्तु उसका उस क्षेत्र को वापस भेज दिये जाने के पश्चात् नवीनीकरण के बिना उपयोग नहीं किया जायेगा।

(4) परिवहन यान का नियंत्रण करते समय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्राधिकृत केन्द्र के प्रचालक प्रस्तुति सी.जी.एम.व्ही.आर.-25 (एम.व्ही.एन.एस.) भेरा। यदि नियंत्रण करने पर यान सभी दृष्टि से उपयुक्त पाया जाये तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के प्रचालक यान के स्वामी या भारासाधक व्यक्ति को केन्द्रीय नियमों के प्रस्तुति 36 में उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी करेगा। तथापि यदि यह पाया जाये कि अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपर्योग का पालन नहीं किया जा रहा है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का प्रचालक उसमें पाइ गई युक्तियों को दर्शाते हुए प्रस्तुति सी.जी.एम.व्ही.आर.-25 (एम.व्ही.आई.एन.एस.) में नियंत्रण रिपोर्ट की मूल प्रति यान के स्वामी को सौंप देगा। यान का स्वामी या भारासाधक व्यक्ति आवश्यक मरमंत कराने के उपरान्त यान के पुनः नियंत्रण के लिये प्रस्तुत करते समय प्रस्तुति सी.जी.एम.व्ही.आर.-25 (एम.व्ही.आई.एन.एस.) में नियंत्रण रिपोर्ट, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के प्रचालक को अभ्यर्पित करेगा।

49. उपयुक्तता प्रमाण पत्र का रजिस्टर — (1) उपयुक्तता प्रमाण पत्र के अधिसेख के लिये रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या अन्य अधिकारी या उपयुक्तता प्रमाण पत्र मंजूर करने वाले केन्द्र के प्राधिकृत प्रचालक निम्नलिखित रजिस्टर बनाये रखेंगे—

(क) प्रस्तुति सी.जी.एम.व्ही.आर.-26 (डी.एफ.सी.आर.) में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र को तारीखबार जारी किये जाने और जाँच किये जाने के रजिस्टर।

(ख) प्रस्तुति सी.जी.एम.व्ही.आर.-27 (बी.एफ.सी.आर.) में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का यानवार रजिस्टर।

(2) The Authority, officer or operator responsible for maintaining registers which are prescribed in sub-rule (1) shall send a monthly report to Transport Commissioner by the fifth of the succeeding month in Form M.P.M.V.R.-28 (F.C.S.) and also circulate the list of defaulted vehicle due for renewal of certificate of fitness to concerning authority for appropriate action.

50. Cancellation of Certificate of Fitness — (1) The Registering Authority or any other officer of the Transport Department not below the rank of Transport or Sub-Inspector shall be the prescribed authority for the purpose of sub-section (4) of Section 56.

(2) The authority, mentioned in sub-rule (1) cancelling a certificate of fitness shall give the owner or other person in charge of the vehicle a notice in Form M.P.M.V.R.-29 (C.F.C.) and shall alongwith a report of his action forward the certificate of registration, certificate of fitness, permit, if any, to the Registering Authority under whose direction or control he may be.

(3) If the authority, cancelling the certificate of fitness under this rule is of the opinion that the vehicle can be safely driven at a reduced speed to a place of repair may endorse in Form M.P.M.V.R.-30 (C.F.X.) specifying the speed limit and other conditions, subject to which the vehicle may be driven to specified destination for the purpose of repair.

51. Issue of duplicate Certificate of Fitness — (1) If a certificate of fitness is lost, destroyed, or mutilated the owner of a transport vehicle shall forthwith report the matter to the Authority by whom the certificate was issued or last renewed and shall apply for a duplicate in Form M.P.M.V.R.-31 (CFLD) together with fee as specified in rule 62.

(2) Upon receipt of an application under sub-rule (1) the Registering Authority of the Authorised Testing Station as the case may be shall furnish the owner a duplicate copy of the Certificate duly stamped 'Duplicate' in red ink.

(3) Where a duplicate certificate of fitness has been issued upon representation that a certificate of fitness has been lost and the original certificate of fitness is afterwards found or received by the holder, the holder shall immediately return the duplicate to the Registering Authority or the Authorised Testing Station.

(4) Any other person finding a certificate of fitness shall deliver it to the nearest police station or to the Registering Authority. The Officer-in-charge of the Police Station on receipt of the Certificate of fitness shall immediately forward it to the Registering Authority. The Registering Authority shall restore the certificate of fitness in case duplicate certificate of fitness has not been issued and shall substitute it for duplicate in case such a duplicate has already been issued.

52. Exemption from payment of registration fee — (1) No fee shall be charged for the registration of the following classes of motor vehicles, namely —

- (a) Motor Vehicles, owned by the State or Central Government and used solely for the purposes other than commercial enterprises;
- (b) trailer or trailers owned by a bona fide agriculturist to the extent of one trailer used exclusively for agricultural purposes;
- (c) Motor Vehicles used exclusively for fire brigade purposes; and
- (d) ambulances and other motor vehicles designed and intended to be used exclusively for affording free medical and other relief.

(2) उपनियम (1) में विहित किये गये रजिस्टरों को रखने के लिये जिम्मेदार प्राधिकारी, अधिकारी या प्रचालक, प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-28 (एफ.सी.एस.) में मासिक रिपोर्ट प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की पाँच तारीख तक परिवहन आयुक्त को भेजेगा और प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिये शेष रहे व्यक्तिक्रम वाले यानों की सूची संबंधित प्राधिकारी को समुचित कार्यवाही के लिये परिचालित भी करेगा।

50. उपयुक्ता प्रमाणपत्र का इकाण — (1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या परिवहन विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो परिवहन उप नियोक्तक की रैक से नीचे का न हो, धारा 56 की उपधारा (4) के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी होगा।

(2) उपनियम एक में वर्णित उपयुक्ता प्रमाणपत्र को रद्द करने वाला प्राधिकारी यान के स्वामी के भारसाधक अन्य व्यक्ति को प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-29 (सी.एफ.सी.) में सूचना देगा और अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रीकरण पत्र, उपयुक्ता प्रमाणपत्र, अनुग्राम्य यादि कोई हो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अग्रेष्ट करेगा जिसके निर्वाचन या नियंत्रण में वह हो।

(3) यदि इस नियम के अधीन उपयुक्ता प्रमाणपत्र रद्द करने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि मरम्मत करने के स्थान तक यान धीमी गति से सुविधित रूप से चलाया जा सकता है तो प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-30 (पी.एफ.एस.) में पृष्ठांकन गति की सीमा तथा अन्य शर्तें जिनके अधीन मरम्मत के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्दिष्ट गन्तव्य स्थान तक यान चलाया जा सके, पृष्ठांकन कर सकता।

51. उपयुक्ता प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना — (1) यदि उपयुक्ता प्रमाणपत्र खो जाये, नष्ट हो जाये, या फट जाये तो परिवहन यान का स्वामी इस बात की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने प्रमाणपत्र जारी किया था या उसका पिछली बार नवीकरण किया था और इन नियमों में संलग्न प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-31 (सी.एफ.एम.टी.) में नियम 62 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ दूसरी प्रति के लिए आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र स्वामी को प्रमाणपत्र की लाल स्थानी से सम्यक रूप से स्टॉपिंग दूसरी प्रति देगा।

(3) जहाँ उपयुक्ता प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति ऐसे अच्छावेदन पर जारी की जाए कि उपयुक्ता प्रमाणपत्र खो गया है और तत्परतात धारक को मूल उपयुक्ता प्रमाणपत्र मिल जाए या प्राप्त जो जाए तब धारक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को तुंत उक्त दूसरी प्रति वापस कर देगा।

(4) अन्य व्यक्ति को उपयुक्ता प्रमाणपत्र मिल जाए तो वह उसे निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी को परिदृष्ट करेगा। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी उपयुक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर उसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को तत्काल अग्रिष्ट करेगा। यदि उपयुक्ता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की गई तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उपयुक्ता प्रमाणपत्र प्रत्यावर्तित करेगा और यदि दूसरी प्रति पूर्व में जारी हो चुकी हो तो उसे दूसरी प्रति के स्थान पर स्थापित करेगा।

52. रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय से छट — (1) मोटरयानों के निम्नलिखित वर्गों के रजिस्ट्रीकरण के लिये कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी, अर्थात् —

- (क) राज्य या केन्द्र सरकार के स्वामित्व के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाये जाते हो;
- (ख) वास्तविक कृषक के स्वामित्व का/के ट्रेलर, एक ट्रेलर की सीमा तक जो अनन्य रूप से कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता/जाते हों;
- (ग) अनिश्चित दूल के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किये जाने वाले मोटरयान; तथा
- (घ) रोगी वाहन (एब्लोस्म) और अन्य मोटरयान जो अनन्य रूप से निःशुल्क चिकित्सा तथा अन्य राहत प्रदान करने हेतु उपयोग में लाए जाने के लिए परिकल्पित और आशयित हो।

(2) The State Government may, by notification exempt any person or class of persons from payment of all or any portion of the fee payable under Chapter IV of the Act.

53. Change of Address — (1) Upon receipt of application for change of address, the Registering Authority shall record the change of the address in the Motor Vehicle Registration Register and in the Register of Demand and collection of Motor Vehicles Tax and also record the change of address in the certificate of registration.

(2) In case the new address is located in the jurisdiction of the Registering Authority other than the original Registering Authority the application shall be made to the Registering Authority under whose jurisdiction the new address is located alongwith the certificate of registration.

(3) The other Registering Authority shall record the change of address in the certificate of registration and shall intimate the original registering authority who will correct the Motor Vehicle Registration Register and the Register of Demand and Collection of Motor Vehicle Tax.

(4) For the purposes of sub-section (2) of section 49 and having regard to the period of delay in intimating the change in the place of residence or place of business or both as recorded in the certificate of registration the Registering Authority, may, on considering the circumstances of the case require the owner to pay, in lieu of any action that may be taken against him under section 177, an amount as follows—

- (a) Rs. 50/- if the delay does not exceed thirty days; or
- (b) Rs. 100/- if delay exceeds thirty days.

54. Intimation of transfer of ownership — (1) Upon receipt of intimation regarding transfer of ownership in the forms prescribed under Central Rules, the Registering Authority shall, after making such reasonable enquiry as he may deem fit for assessing the genuineness of the transfer of the vehicle and after making physical inspection of the vehicle, effect the transfer of ownership on the registration certificate.

(2) Communication of transfer of ownership to the original Registering Authority and to the transferee under sub-section (7) of Section 50 of the Act shall be in Form M.P.M.V.R.-32 (GRTI).

(3) For the purposes of sub-section (3) of section 50 having regard to the period of delay on the part of the transferor or the transferee or the other person referred to in sub-section (2) of the said section in reporting the fact of transfer of ownership of motor vehicle, the Registering Authority may on considering the circumstances of the case, require the transferor or the transferee or the other person, as the case may be to pay, in lieu of any action that may be taken under section 177, an amount as follows—

- (a) Rs. 50/- if the delay does not exceed thirty days; or
- (b) Rs. 100/- if delay exceeds thirty days.

55. Assignment of new Registration Mark — (1) Upon receipt of the application as required by sub-section (1) of section 47, the Registering Authority shall before assigning the registration mark call for the particulars of registration of the vehicle from the original authority for the purpose of verifying the particulars and shall also make a physical inspection of the vehicle before proceeding to assign a new registration mark.

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के बांग को, अधिनियम के अध्याय-चार के अधीन संदेश, समस्त फीस या उसके फिरी भाग का संवाद करने से हृदय दे सकती।

53. पते में परिवर्तन — (1) पते में परिवर्तन के लिये आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मोटरयान रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर में तथा मोटरयान का मांग तथा संग्रहण रजिस्टर में पते में परिवर्तन अभिलिखित करेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में भी पते में परिवर्तन अभिलिखित करेगा।

(2) यदि नया पता मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से नियंत्रित किया जाएगा, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर अवस्थित हो तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ आवेदन उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को किया जायेगा, जिसकी की अधिकारिता के भीतर नया पता अवस्थित हो।

(3) अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में पते में परिवर्तन अभिलिखित करेगा और मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को जापन देगा, जो मोटरयान रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर तथा मोटरयान कर मांग तथा संग्रहण रजिस्टर में सुधार करेगा।

(4) धारा 49 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित निवास के स्थान या कारोबार के स्थान या दोनों में का परिवर्तन की प्रज्ञापना देने में हृदय विलम्ब की कालावधि को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता कि उसके विरुद्ध धारा 177 के अधीन जो कार्यवाही की जा सकती है उसके बदले में निम्नानुसार रकम का संदाय करे—

(क) रुपये 50/- यदि विलम्ब तीस दिन से अधिक का न हो; या

(ख) रुपये 100/- यदि विलम्ब तीस दिन से अधिक का हो।

54. स्वामित्व के अंतरण की प्रज्ञापना — (1) केन्द्रीय नियमों के अधीन विहित प्रलेपों में स्वामित्व के अंतरण से संबंधित प्रज्ञापन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यान के अंतरण की यथार्थता निर्धारित करने के लिए ऐसी युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे तथा यान का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर स्वामित्व का अंतरण करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (7) के अधीन मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी तथा अंतरण को स्वामित्व के अंतरण की संसूचना प्रलेप सी.जी.एम.जी.आर.-32 (सी.आर.टी.आई.) में दी जायेगी।

(3) धारा 50 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिये मोटरयान के स्वामित्व अंतरण के तथ्य की रिपोर्ट करने में अंतरक या अंतरिती या उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की ओर से हुए विलम्ब की कालावधि को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यथास्थिति अंतरक या अंतरिती या अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता कि अंतरक या अंतरिती के विरुद्ध धारा 177 के अधीन जो कार्यवाही की जा सकती है उसके बदले में निम्नानुसार रकम का संदाय करे—

(क) रुपये 50/- यदि विलम्ब तीस दिन से अधिक का न हो; या

(ख) रुपये 100/- यदि विलम्ब तीस दिन से अधिक का हो।

55. नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का समनुदेशन — (1) धारा 47 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने के पूर्व यान के ब्यौरों सत्यापन करने के प्रयोजन के लिये मूल प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे मांगेगा और नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने की कार्यवाही के पूर्व यान का भौतिक निरीक्षण भी करेगा।

(2) The provision of rule 46 shall also apply to the transport vehicles of other State at the time of assignment of a new registration mark, under section 47, in Chhattisgarh.

(3) The Registering Authority assigning a new registration mark to a motor vehicle shall intimate the fact to the owner and the other party, if any, to an agreement of hire-purchase, lease or hypothecation specified in the note on the certificate of registration and shall write to the original Registering Authority for transfer of the record of the vehicle in Form M.P.M.V.R.-33 (R.M.I.).

(4) For the purpose of sub-section (5) of section 47 of the Act and having regard to the period of delay in applying for the assignment of a new registration mark as required by sub-section (1) of section 47, the Registering Authority may require the owner to pay, in lieu of any action that may be taken against him under section 177, an amount as follows —

- (a) Rs. 50/- if the delay does not exceed thirty days; or
- (b) Rs. 100/- if delay exceeds thirty days.

[55-A. Allotment of registration mark — (1) On receipt of an application made in writing by any person to the registering authority for reservation of registration mark, the registering authority shall reserve the registration mark in the following manner —

- (a) Registration marks from 01 to 09 in any series prevalent within the jurisdiction of registering authority, shall be reserved on payment of fee of Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand) for each registration mark.
- (b) For reservation of registration mark from number 10 to 100 in any series prevalent within the jurisdiction of the registering authority, on payment of fee of Rs. 12,000/- (Rupees Twelve Thousand) for each registration mark.
- (c) For reservation of registration mark number, 101, 111, 123, 200, 202, 222, 234, 300, 303, 333, 345, 400, 404, 444, 456, 500, 505, 555, 567, 600, 606, 666, 678, 700, 707, 777, 786, 789, 800, 808, 888, 900, 909, 999, 1000, 1001, 1010, 1111, 1112, 1212, 1213, 1214, 1221, 1234, 1313, 1314, 1331, 1414, 1415, 1441, 1515, 1516, 1551, 1616, 1617, 1661, 1717, 1718, 1771, 1818, 1819, 1881, 1919, 1929, 1999, 2000, 2002, 2020, 2021, 2112, 2121, 2122, 2222, 2223, 2323, 2324, 2332, 2345, 2424, 2425, 2442, 2525, 2526, 2552, 2626, 2627, 2662, 2727, 2728, 2772, 2828, 2829, 2929, 2930, 2992, 3000, 3003, 3030, 3113, 3131, 3132, 3223, 3232, 3233, 3333, 3334, 3434, 3435, 3443, 3456, 3535, 3536, 3553, 3636, 3637, 3663, 3737, 3738, 3773, 3838, 3839, 3883, 3939, 3940, 3993, 4000, 4004, 4040, 4041, 4114, 4141, 4142,

1. Inserted by Notification No. 475/Tr.D./2001 dated the 6th August, 2001 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 6-8-2001 pages 352(1-2).

(2) छत्तीसगढ़ में धारा 47 के अधीन अन्य राज्य के परिवहन यानों को नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करते समय नियम 46 के उपबंध भी लागू होंगे।

(3) किसी भोटायान का नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने वाला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, स्वामी या अन्य पक्षकारों को, यदि कोई हो, तथ्य की प्रज्ञापना देगा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर ईप में विनिर्दिष्ट भाड़ा क्रय, पट्टा या आँडमान के करार के तथ्य की प्रज्ञापना देगा और यान का अभिलेख अंतरण करने के लिये मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रश्न परी.जी.एम.बी.आर.-33 (आर.एम.आई.) में लिखेगा।

(4) अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (5) के प्रयोजन के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन के लिए धारा 47 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की कालावधि को ध्यान में रखते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता कि वह उसके विरुद्ध धारा 177 के अधीन जो कार्यवाही की जा सकती है वहाँ में रकम का संदाय निम्नानुसार करें —

- (क) रुपये 50/- यदि विलम्ब तीस दिन से अधिक का न हो; या
- (ख) रुपये 100/- यदि विलम्ब तीस दिन से अधिक का हो।

[55-क. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का आवंटन — (1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के आरक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवक्षित करेगा —

(क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर चालू किसी भी सीरिज में 01 से 09 तक के रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आरक्षण हेतु रुपए 15000/- (रुपए पन्द्रह हजार) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए भुगतान करने पर आवक्षित किए जायें।

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर चालू किसी भी सीरिज में 10 से 100 तक के रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आरक्षण हेतु रुपए 12000/- (रुपए बारह हजार) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए भुगतान करने पर आवक्षित किए जायें।

(ग) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह क्रमांक 101 से 9999 तक निम्नलिखित प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आरक्षण हेतु रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार) भुगतान करने पर आवक्षित किया जायेगा। 101, 111, 123, 200, 202, 222, 234, 300, 303, 333, 345, 400, 444, 456, 500, 505, 565, 567, 600, 606, 666, 678, 700, 707, 777, 786, 789, 800, 808, 888, 900, 909, 1000, 1001, 1010, 1011, 1111, 1112, 1212, 1213, 1221, 1234, 1313, 1314, 1331, 1414, 1415, 1441, 1515, 1516, 1551, 1616, 1617, 1661, 1717, 1718, 1771, 1818, 1819, 1881, 1919, 1929, 1999, 2000, 2002, 2020, 2021, 2112, 2121, 2122, 2222, 2223, 2323, 2324, 2332, 2345, 2424, 2425, 2442, 2525, 2526, 2552, 2626, 2627, 2727, 2728, 2772, 2828, 2829, 2882, 2929, 2930, 2992, 3000, 3003, 3030, 3113, 3131, 3132, 3223, 3232, 3233, 3333, 3334, 3434, 3435, 3443, 3456, 3535, 3536, 3553, 3636, 3637, 3663, 3737, 3738, 3773, 3838, 3839, 3883, 3939, 3940, 3993, 4000, 4004,

1. अधिसूचना क्रमांक 475/परी.वि./2001, दिनांक 6 अगस्त, 2001 द्वारा अंतःस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6-8-2001 को पृष्ठ 351-352(1) पर प्रकाशित।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994

Rule 33A

4224, 4242, 4243, 4334, 4343, 4344, 4444, 4445, 4545, 4546, 4354,
 4567, 4646, 4647, 4664, 4747, 4748, 4774, 4848, 4849, 4884, 4949,
 4950, 4994, 5000, 5005, 5050, 5051, 5115, 5151, 5152, 5225, 5252,
 5253, 5335, 5333, 5334, 5445, 5455, 5555, 5556, 5656, 5657, 5665,
 5678, 5757, 5758, 5775, 5858, 5859, 5885, 5959, 5960, 5995, 6000,
 6006, 6060, 6061, 6116, 6161, 6162, 6226, 6262, 6263, 6336, 6363,
 6364, 6446, 6464, 6465, 6556, 6565, 6666, 6667, 6767, 6768, 6776,
 6789, 6868, 6869, 6886, 6969, 6970, 6996, 7000, 7007, 7070, 7071,
 7117, 7171, 7172, 7227, 7273, 7337, 7373, 7374, 7447, 7474,
 7475, 7557, 7575, 7576, 7667, 7676, 7677, 7777, 7778, 7878, 7887,
 7979, 7980, 7997, 8000, 8008, 8080, 8081, 8182, 8228, 8282, 8283,
 8338, 8383, 8384, 8448, 8484, 8558, 8585, 8586, 8668, 8686, 8687,
 8778, 8787, 8788, 8888, 8889, 8989, 8998, 9000, 9009, 9090, 9091,
 9119, 9191, 9192, 9229, 9292, 9293, 9339, 9394, 9449, 9494, 9495,
 9559, 9595, 9596, 9669, 9696, 9697, 9779, 9797, 9798, 9889, 9898,
 9899, 9999, on payment of fee of rupees 10,000/- (Rupees Ten
 Thousand) for each registration mark.

- (d) For reservation of any other number not specified in sub-clause (a), (b) and (c) of this rule within thousands numbers from the last number assigned in serial order on payment of a fee of Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand) for each registration mark.

(2) The registering authority while reserving the registration mark on the application of any person shall strictly adhere to the following guidelines —

- (a) The registering authority shall reserve the registration mark on the basis of 'first come first served' principle.
- (b) If there is more than one application on a day for particular registration mark as specified above the reservation of registration mark shall be done in accordance with the serial number on the cash receipt regarding payment of the amount of fee.
- (c) The registration mark reserved shall be allotted on production of the vehicle alongwith the application in Form-20 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and when the vehicle is found complying with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder for registration of a Motor Vehicle.
- (d) The reservation of registration mark shall stand automatically cancelled if the vehicle is not produced for allotment of registration number within three months from the date of reservation of registration mark.
- (e) The amount of the fee paid for reservation of registration mark shall not be refundable.
- (f) The registration mark cancelled under clause (d) can be re-reserved by the registering authority in accordance with the above procedure.]

Rule 33B

राजस्ट्रीकरण संख्या निरेश, 1994

4040, 4041, 4114, 4141, 4142, 4224, 4242, 4243, 4334, 4343, 4344,
 4444, 4445, 4545, 4546, 4554, 4567, 4616, 4647, 4664, 4747, 4748,
 4774, 4848, 4880, 4881, 4910, 4950, 4994, 5000, 5005, 5050, 5051,
 5115, 5151, 5152, 5225, 5232, 5233, 5335, 5333, 5334, 5445, 5454,
 5455, 5555, 5556, 5657, 5665, 5678, 5757, 5758, 5775, 5858, 5859,
 5885, 5959, 5960, 5995, 6000, 6006, 6060, 6061, 6116, 6161, 6162,
 6263, 6226, 6262, 6336, 6363, 6364, 6446, 6464, 6465, 6556, 6565,
 6566, 6567, 6767, 6768, 6776, 6789, 6868, 6869, 6886, 6969, 6970,
 6996, 7000, 7007, 7070, 7071, 7117, 7171, 7172, 7227, 7272, 7273,
 7337, 7373, 7374, 7447, 7474, 7475, 7557, 7575, 7667, 7676, 7677,
 7777, 7778, 7878, 7887, 7979, 7980, 7997, 8000, 8008, 8080,
 8081, 8182, 8228, 8282, 8283, 8338, 8383, 8384, 8448, 8484, 8558,
 8585, 8586, 8668, 8686, 8687, 8778, 8787, 8788, 8888, 8889, 8989,
 8998, 9000, 9009, 9090, 9091, 9119, 9191, 9192, 9229, 9292, 9293,
 9339, 9393, 9394, 9449, 9494, 9495, 9559, 9595, 9596, 9669, 9696,
 9697, 9779, 9797, 9798, 9889, 9898, 9899, 9999।

- (g) ऐसी किसी संख्या के आक्षण हेतु जो इस अनियम के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में विविरित नहीं है, आक्षण के लिए अनुक्रमांक के क्रम में अन्य समनुचित संख्या से एक हजार संख्याओं के भीतर प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए साप्त 2,000 पाँच का भुगतान करने पर आवधित किए जाएंगे।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर पर किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या को आवधित करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करेगा —

- (क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण संख्या का आक्षण प्रथम आओ प्रथम पाँचों के सिद्धांत के आधार पर करेगा।

- (ख) यदि किसी एक दिन में अर यथा विविरित किसी विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए एक से अधिक आवेदन होते हो रजिस्ट्रीकरण संख्या का आक्षण फीस की रकम की भुगतान के संबंध में सीधी के अनुक्रमांक के अनुसार किया जाएगा।

- (ग) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 47 के अधीन प्रथम 20 में आवेदन के साथ यान को प्रस्तुत करने पर और मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बाए गए नियमों का मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए पालन किए जाने पर आवधित रजिस्ट्रीकरण चिह्न आवंटित किया जावेगा।

- (घ) यदि रजिस्ट्रीकरण चिह्न के आक्षण से तीन माह के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर के आवंटन के लिए यान को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आक्षण चिह्न का आक्षण स्वयंसेव निरस हो जाएगा।

- (ङ) रजिस्ट्रेशन चिह्न के आक्षण के लिए संदर्भ की गई रकम वापस नहीं की जाएगी।

- (च) उपर्युक्त खण्ड (घ) के अधीन निरस किया गया रजिस्ट्रीकरण चिह्न रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा पुनः आवधित कर सकेगा।

156. Re-assignment of Registration Number under certain conditions

(1) State Government may, by general or special order, direct all Registering Authorities of the State in their respective jurisdiction to reassign the new number under the Act —

- (a) in place of number allotted under the Motor Vehicles Act, 1939 (No. 4 of 1939); and
- (b) in place of number registered or assigned in Chhattisgarh series, in respect of all or any class of vehicles and also prescribed the manner and condition thereof, and the provision of sub-section (6) of Section 41 of the Act shall apply in this regard.

(2) State Government while issuing order under sub-rule (1), shall provide a reasonable time, which shall not be less than four months within which the owner of such vehicle shall obtain a new number.

(3) No fee shall be charged for the assignment of new number under sub-rule (1).

(4) After expiry of the time so fixed under sub-rule (2) the Registering Authority may initiate action against the defaulter vehicle under clause (a) of sub-section (1) of Section 53 of the Act.

(5) Where the registration certificate of a vehicle is cancelled or suspended under sub-rule (4) the Competent Authority and/or officers may take action under Section 192 and 207 of the Act.

(6) Where the owner apply for re-registration of a vehicle after expiry of the time so fixed under sub-rule (2), the Registering Authority may, require the owner to pay composition fee under Section 200 of the Act in lieu of any action that may be taken against him under sub-rule (4) and (5) and also deposit the registration fee under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, and then reassign the number.]

57. Exemption of Road Roller, Graders And Other Vehicles — (1) Nothing contained in Chapter IV of the Act shall apply to road rollers, graders and other vehicles designed and used solely for the construction, repair and cleaning of roads.

(2) State Government may by notification at any time exempt any motor vehicle from the provisions of this chapter.

58. Supply of copy of particulars of Registration — Any person may obtain a copy of particulars of registration from the Registering Authority on payment of fee specified in rule 62.

59. Notice of alteration of Motor Vehicle — (1) The notice of alteration of motor vehicle by the owner of motor vehicle to the Registering Authority in accordance with sub-section (1) of section 52 of the Act, shall be in Form M.P.M.V.R.-34 (B.T.I.).

(2) The Registering Authority may require the owner to produce motor vehicle before him or his nominee, for the purpose of verification of alteration in the vehicle and shall record the verified particulars in the registration certificate.

1. Substituted by Notification No. 788/Tr/2001 dated the 1st December, 2001 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 1-12-2001 pages 540-540(1).

156. कतिपय शर्तों के अधीन रजिस्ट्रेशन क्रमांक का पुनःसमन्वेशन — (1) राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को वह निर्देश देती है कि वह अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर समस्त या किसी भी वार्ता के यान के बारे में —

(क) मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का सं. 4) के अधीन आवृद्धि क्रमांकों के स्थान पर; और

(ख) छत्तीसगढ़ सीरिज में रजिस्ट्रीकृत या समन्वेशित क्रमांकों के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन नए क्रमांक पुनःसमन्वेशित करें तथा उसके लिए रीति तथा शर्त विहित करती है और इस संबंध में अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (6) के उपबंध लागू होगी।

(2) जब राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन आदेश जारी कर देता है। तब ऐसा युक्तियुक्त समय देगा जो कम से कम चार मास का होगा जिसके भीतर ऐसे यान का स्वामी नया क्रमांक प्राप्तिपात्र करे।

(3) उपनियम (1) के अधीन नए क्रमांक को समन्वेशित करने के लिए कोई फीस प्राप्तिपात्र नहीं की जाएगी।

(4) उपनियम (2) के अधीन इस प्रकार नियम समय की समाप्ति के पश्चात रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी व्यतिक्रमी यानों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कार्यवाही प्राप्ति करेगा।

(5) जहाँ किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र उपनियम (4) के अधीन निरस्त या निलंबित कर दिया गया है वहाँ सक्षम प्राधिकारी और/या अधिकारी इस अधिनियम की धारा 192 और 207 के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।

(6) जहाँ स्वामी उपनियम (2) के अधीन नियम समय की समाप्ति के पश्चात यान के पुनःरजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है तो वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा वह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह उपनियम (4) और (5) के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के बदले में अधिनियम की धारा 200 के अधीन प्रसामन शुल्क का भुगतान करें और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस जमा करेगा और तब उसे क्रमांक समन्वेशित किया जाएगा।

57. रोड रोलरों, ग्रेडरों और अन्य यानों को छूट — (1) अधिनियम के अध्याय 4 में अंतर्विष्ट कोई भी बात रोड रोलरों, ग्रेडरों और सड़क निर्माण करने, मरम्मत करने और सफाई करने हेतु परिकल्पित तथा उपयोग में लाए जाने वाले अन्य यानों को लागू नहीं होगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय किसी भी मोटर यान को इस अध्याय के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

58. रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों की प्रति का संदाय — कोई भी व्यक्ति नियम (62) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों की प्रति अभिप्राप कर सकेगा।

59. मोटरयान में परिवर्तन की सूचना — (1) अधिनियम की धारा 52 उपधारा (1) के अनुसार मोटरयान में परिवर्तन की सूचना मोटरयान के स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत की अपेक्षा कर सकेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में सत्यापित विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी स्वामी से यान में परिवर्तन के सत्यापन के प्रयोजन के लिए अपने नाम निर्देशिती के समक्ष मोटरयान प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में सत्यापित विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा।

1. अधिसूचना क्रमांक 788/परिवहन/2001, दिनांक 1 दिसंबर, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-12-2001 को पृष्ठ 539-540 पर प्रकाशित।

60. Intimation Regarding Stolen/recovered Motor Vehicles — (1) An officer-in-charge of the police station where the theft of a motor vehicle is reported by the owner or any other person in possession of the vehicle, shall, immediately after the registration of an offence send intimation to the State Transport Authority in Form M.P.M.V.R.-35 (MVT) and send a copy thereof to the Registering Authority where the vehicle is registered.

(2) On receipt of this intimation under sub-rule (1), the Secretary, State Transport Authority shall inform all the registering authorities the details of the stolen vehicle in Form M.P.M.V.R.-36 (MVTR).

(3) The Secretary State Transport Authority shall also maintain a register of stolen vehicles in Form M.P.M.V.R.-37 [MVT Reg. (T)].

(4) The Registering Authority shall maintain the register of stolen vehicles in Form M.P.M.V.R.-38 [MVT Reg.(R)] on the basis of the intimation received from the Secretary, State Transport Authority or from the Police Officer, as the case may be.

(5) If the vehicle, reported to be stolen, is recovered the police station which recovered the vehicle shall intimate the fact in Form M.P.M.V.R.-39 (MVTR(R)) to the State Transport Authority and the Registering Authority concerned.

(6) Upon receipt of intimation under sub-rule (5) the Secretary, State Transport Authority and the Registering Authority shall take notice of such recovery and record the fact in the register maintained in Forms prescribed under sub-rule (3) and (4).

61. Maintenance of State Register of motor vehicles — (1) The Registering Authority shall maintain a 'State Register of Motor Vehicles' in the form as prescribed in the Central Rules.

(2) This register may be in bound book form with duplicate pages, the original of which shall be sent to the Transport Commissioner at the end of each quarter.

(3) As soon as the vehicle is registered the necessary entries shall be entered in the State Register of motor vehicles.

(4) Each Registering Authority shall communicate every subsequent correction or entry in respect of registered vehicles to the officer or person designated by the Transport Commissioner for the custody of the 'State Register of Motor Vehicles' and such officer or person shall maintain the updating of the said Register.

(5) The State Register of Motor Vehicles shall be maintained either manually or with the help of computer.

(6) The Transport Commissioner shall supply on behalf of the State Government a printed copy of the State Register of Motor Vehicles to the Central Government as required by sub-rule (2) of rule 75 of the Central Rules.

¹[62. Fees — The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified below —

- Substituted by Notification No. 467/Tech-506/TC/2008 dated the 31st May, 2008 and published in C.G. Rajpatra Part I dated 13-6-2008 page 1780.

60. चोरी गए/बरामद हुए मोटरयानों की प्रज्ञापना आवश्यक — (1) जहाँ स्थायी या यान को अधिष्ठित्य में रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मोटरयान चोरी की रिपोर्ट की जाए वहाँ पुलिस थाने का भारतीय अधिकारी अपाध रजिस्ट्रीकरण के अव्यवहित परचात राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा, प्रश्न सी.जी.एम.व्ही.आर.-35 (एम.व्ही.टी.) में प्रज्ञापना भेजेगा तथा उसकी एक प्रति उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भेजेगा, जहाँ यान रजिस्ट्रीकृत है।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी चोरी गए यान के व्योरों की जानकारी प्रश्न सी.जी.एम.व्ही.आर.-36 (एम.व्ही.टी.आर.) में समस्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को देगा।

(3) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी भी चोरी गए यानों का एक रजिस्टर प्रश्न सी.जी.एम.व्ही.आर.-37 (एम.व्ही.टी.) रजिस्टर में रखेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, यात्रास्थिति, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी का पुलिस अधिकारी से प्राप्त प्रज्ञापना के अधार पर चोरी गए यानों का रजिस्टर प्रश्न सी.जी.एम.व्ही.आर.-38 (एम.व्ही.टी.रजि.) आर. में रखेगा।

(5) यदि यान, जिसके चोरी हो जाने की रिपोर्ट की गई है, बरामद हो जाता है तब वह पुलिस थाना जिसमें यान बरामद किया है, इस तथ्य की प्रज्ञापना प्रश्न सी.जी.एम.व्ही.आर.-39 (एम.व्ही.टी.आर.(आर)) में राज्य परिवहन और संवर्धित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को देगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसा बरामदी का घायन रखेगा और उपनियम (3) तथा (4) के अधीन विहित प्रश्नों में बनाए रखे गए रजिस्टर में तथ्य का अभिलेख करेगा।

61. मोटरयान के राज्य रजिस्टर का रखा जाना — (1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, केन्द्रीय नियमों में यथा विहित प्रश्न में मोटरयानों का एक राज्य रजिस्टर रखेगा।

(2) यह रजिस्टर सञ्चिल्द पुस्तक के रूप में दो प्रतियों में होगा, जिसकी मूल प्रति प्रत्येक तिमाही के अंत में परिवहन आयुक्त को भेजी जाएगी।

(3) जैसे ही कोई यान रजिस्ट्रीकृत होता है, मोटरयानों के राज्य रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि कर ली जाएंगी।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण यानों के संचय में प्रत्येक परचातवर्ती सुधार या प्रविष्टि अधिकारी या मोटरयानों को राज्य रजिस्टर के लिए भी अभिरक्षण के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को संसूचित करेगा और ऐसा अधिकारी या व्यक्ति उके रजिस्टर के अद्यतन बनाए रखेगा।

(5) मोटर यानों का राज्य रजिस्टर या तो हाथ से किए गए श्रम या कम्प्यूटर के सहयोग से बनाए रखा जाएगा। की ओर से मोटरयानों के राज्य रजिस्टर की मुद्रित केन्द्र सरकार को प्रदान करेगा।

162. फीस — इस अध्याय के उपवर्णों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विवरित किए गए अनुसार होगी —

- अधिसूचना क्रमांक 467/तक-506/टीसी/2008 दिनांक 31 मई, 2008 द्वारा प्रतिस्पाति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य भाग 1 दिनांक 13-6-2008 को पृष्ठ 1775-1776 पर प्रकाशित।

S.No.	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	Issue of temporary registration or extension thereof and assignment of temporary registration mark — (D) Invalid Carriage	10.00
	(E) Motor Cycle or Motor Cycle Rickshaw	100.00
	(F) Light Motor Vehicle (1) Private	200.00
	(2) Transport	400.00
	(D) Medium Motor Vehicle or any other vehicle not mentioned above	250.00
2.	Appeal	150.00
3.	Certified copy of the decision/document (One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00
4.	Issue of particulars of registration	100.00
5.	Issue of duplicate copy of certificate of fitness (One) Light Motor Vehicle 1. Non Transport Vehicle	200.00
	2. Transport Vehicle	400.00
	(Two) Medium goods vehicle, Medium passenger vehicle	450.00
	(Three) Heavy goods vehicle, Heavy passenger vehicle	500.00]

CHAPTER V CONTROL OF TRANSPORT VEHICLES

63. State Transport Authority — ¹[(1) The State Transport Authority shall have the following official for the smooth functioning :-

- (i) Additional Transport Commissioner shall be the Ex-Officio Secretary of the State Transport Authority.
- (ii) Joint Transport Commissioner shall be the Additional Secretary, Deputy Transport Commissioner shall be the Deputy Secretary and Assistant Transport Commissioner shall be the Assistant Secretary to the Authority and work shall be assigned to them by the Chairman, State Transport Authority from time to time by an order].

(2) An official appointed to be a member of the State Transport Authority shall continue as such, until such time as the State Government may otherwise order. Subject to the provisions of sub-rule (3) a non official member of the State Transport Authority shall hold office for a period of three years.

(3) The State Government may at any time remove any member of the State Transport Authority.

1. Substituted by Notification No. 4714/Tak.755/Tran.dept/2011 dated the 18 August 2011 and Published in C.G. Rajpatra Part-I dated 30-09-2011 Page 1691.

Before Substitution Sub. rule I stood as :-

"(1) The State Transport Authority shall have a Secretary to be appointed by the State Government and Assistant Transport Commissioner (Administration) shall be the Ex-Officio Assistant Secretary of the State Authority."

संख्या	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	अस्थाई पंजीकरण का जारी किया जाना या उसके विस्तार और अस्थाई पंजीकरण चिह्न समनुदेशन — (डी) अशक्त यान	10.00
	(ई) मोटरसाईकल या मोटर साईकल-रिक्षा	100.00
	(एक) हल्का मोटरयान — (1) निजी	200.00
	(2) परिवहन	400.00
	(डी) मध्यम मोटरयान अथवा अन्य कोई यान जो उत्तर वर्धित न हो	250.00
2.	अपील	150.00
3.	विनिश्चय/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति — (एक) सामान्य	100.00
	(दो) अत्यावश्यक	150.00
4.	रजिस्ट्रेशन के बारे जारी करने के लिये	100.00
5.	उपयुक्त प्रमाण-पत्र की दूरी प्रति जारी करने के लिये — (एक) हल्का मोटरयान — (1) गैर-परिवहन यान	200.00
	(2) परिवहन यान	400.00
	(दो) मध्यम माल मोटरयान, मध्यम यात्री मोटरवाहन	450.00
	(तीन) भारी माल मोटरयान, भारी यात्री मोटरयान	500.00]

अध्याय 5

परिवहन यानों का नियंत्रण

63. राज्य परिवहन प्राधिकारी — ¹[(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

- 1. एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव होगा।
- 2. प्राधिकरण के संयुक्त परिवहन आयुक्त, अतिरिक्त सचिव, उप परिवहन आयुक्त, उप सचिव एवं सहायक परिवहन आयुक्त, सहायक सचिव होंगे और उनको अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा कार्यों का समनवेदन किया जाएगा।]
- (2) राज्य परिवहन प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए नियुक्त किया गया कोई अधिकारी उसी रूप में तब तक बना रहेगा जब तक राज्य सरकार अन्यथा आदेश न दे दे। उपनियम (3) के उपर्योगों के अध्यधीन रहते हुए राज्य परिवहन प्राधिकारी का अशासकीय सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा।
- (3) राज्य सरकार किसी भी समय राज्य परिवहन प्राधिकारी के किसी भी सदस्य को हटा सकती।

1. अधिसूचना क्रमांक 4714/तक 755/परि.वि./2011, दिनांक 18 अगस्त 2011 द्वारा उपनियम 1 प्रतिस्थापित किया गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 30.09.2011 पृष्ठ 1690 पर प्रकाशित। प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम-1 निम्न प्रकार था:- "(1) राज्य परिवहन प्राधिकारी का राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक सचिव होगा तथा सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) प्राधिकारी का पदेन सहायक सचिव होगा।"

(4) The State Transport Authority shall meet at such time and at such place as the Chairman may appoint.

(5) Not less than three days notice shall be given to a member of the meeting of the State Transport Authority.

(6) The quorum to constitute a meeting of the State Transport Authority shall be the Chairman or the nominated Chairman under the sub-rule (7) and two other members (whether official or non-official). If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not completed, the meeting shall be adjourned to such day and at such time and place as the Chairman or the acting Chairman nominated under sub-rule (7) may appoint and no quorum is necessary for holding the adjourned meeting.

(7) The Chairman, if unable to attend the meeting, shall nominate a member to act as Chairman at the meeting.

(8) The Chairman or the acting Chairman nominated under sub-rule (7) shall have a second or casting vote.

(9) Nothing in sub-rules (5), (6), (7) and (8) shall be applicable if the State Transport Authority is constituted of a single member as per second proviso of sub-section (2) of section 68.

64. Regional Transport Authority —

1[1.]²((a) The Secretary to the Regional Transport Authority shall be as under the area specified against them :-

S. No.	Officer	For the area consisting districts of
1.	Regional Transport Officer, Raipur	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Durg, Rajnandgaon, Kabirdham.
2.	Regional Transport Officer, Bilaspur	Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa, Raigarh
3.	Regional Transport Officer, Jagdalpur	Bastar, Kanker, Dantewara, Narayanpur, Bijapur
4.	Regional Transport Officer, Ambikapur	Sarguja, Jashpur-Nagar, Koregaon

(b) The Additional Regional Transport Officer posted in the area as specified in clause (a) of sub-rule (1) shall be the Additional Secretary to the Regional Transport Authority and Assistant Regional Transport Officer/District Transport Officer, posted in the area as specified in the sub-rule (1) shall be the Assistant Secretary to the Regional Transport Authority.

- Substituted by Notification No. F 5-18/Two/Eight-Tr./2003 dated the 2nd January, 2004 and published in C.G. Rajapatra (Asadharan) dated 2-1-2004 page 4-4(1).
- Substituted by Notification No. F 5-2/1/VIII-Tr./09 dated the 15 January 2009 for clause (A) and Published in C.G. Rajapatra Part-I dated 30-01-2009 Page 119. Before Substitution Clause (A) stood as under :-

"S.No.	Officer	For the area consisting district of
(1)	Regional Transport Officer, Raipur	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Durg, Rajnandgaon and Kabirdham
(2)	Regional Transport Officer, Bilaspur	Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa, Raigarh, Jashpur-Nagar, Sarguja and Koregaon
(3)	Regional Transport Officer, Jagdalpur	Bastar, Uttar Bastar (Kanker) and Dakshin Bastar (Dantewara)"

(4) राज्य परिवहन प्राधिकारी की बैठक ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर होगी जिसको अध्यक्ष नियत करें।

(5) राज्य परिवहन प्राधिकारी की बैठक की गणपूर्ति के लिए अध्यक्ष या उपनियम (7) के अधीन नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य (चाहे शासकीय हों या अशासकीय) होंगे। यदि बैठक के लिए नियम समय से आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक ऐसे दिन और ऐसे समय वर्ग स्थान के लिए स्थगित की जाएगी जो अध्यक्ष या उपनियम (7) के अधीन नामनिर्दिष्ट कार्यवाहक अध्यक्ष नियत करे और स्थगित बैठक समिलित बुलाने के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(6) अध्यक्ष, यदि बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए फिरी सदस्य को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(7) अध्यक्ष या उपनियम (7) अधीन नामनिर्दिष्ट कार्यवाहक अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(8) उपनियम (5), (6), (7) तथा (8) में कोई भी बात लागू नहीं होती यदि राज्य परिवहन प्राधिकारी का गठन एक सदस्य के रूप में धारा 68 की उपधारा (2) के द्वितीय पंतुके अनुसार किया गया है।

64. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी —

1[1.]²((क) सेवीय परिवहन प्राधिकारी के सचिव निम्नानुसार उके विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए होगे :-

संक्र.	अधिकारी	जिलों में बने क्षेत्र के लिए
1.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	रायपुर, महासमुद्र, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजीर-चांपा, रायगढ़
3.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर	बस्तर, कांकेर, दत्तेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर	सरगुजा, जशुरुनगर, कोरिया]

(ख) उपनियम 1 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थ अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अतिरिक्त सचिव तथा उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थ सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के सहायक सचिव होंगे।

- अधिसूचना क्रमांक एफ 5-18/दो/आठ-परि./2003, दिनांक 2 जनवरी, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-1-2004 पृष्ठ 3-4 पर प्रकाशित।
- अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/दो/आठ-परि./09 दिनांक 15 जनवरी 2009 द्वारा उप नियम-1 खण्ड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 30 जनवरी 2009 पृष्ठ 118-119 प्रकाशित। प्रति स्थान के पूर्व खण्ड (क) निम्न प्रकार था:-

क्रमांक	अधिकारी	क्षेत्र जिला अनुसार
(1)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	रायपुर, महासमुद्र, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव एवं कबीरधाम
(2)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजीर-चांपा, रायगढ़, जशुरुनगर, सरगुजा एवं कोरिया
(3)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर	बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर), एवं दक्षिण बस्तर (दत्तेवाड़ा)"

- (c) Subject to the provisions of Section 69, the application for a permit may be made in the office of Secretary Regional Transport Authority of the area as specified in clause (a) of sub-rule (1) in which major portion of the area or route lies.
- (d) The application received for a specific area or route in various offices mentioned in clause (a) of sub-rule (1) shall be collected and arranged date-wise and considered by the Regional Transport Authority simultaneously.]

(2) An Official appointed to be a member of the Regional Transport Authority shall continue as such until such time as the State Government may otherwise order. Subject to the provisions of sub-rule (3) a non-official member of the Regional Transport Authority shall hold office for a period of three years.

(3) The State Government may, at any time remove any member of the Regional Transport Authority.

(4) The Regional Transport Authority shall meet at such time and at such place as the Chairman may appoint.

(5) Not less than three day's notice shall be given to a member of the meeting of the Regional Transport Authority.

(6) The quorum to constitute a meeting of the Regional Transport Authority shall be the Chairman of that Authority and one other member (whether official or non official). If within half an hour from the time appointed for the meeting quorum is not completed, the meeting shall be adjourned to such day and at such time and place as the Chairman or the Acting Chairman nominated under sub-rule (7) may appoint and no quorum is necessary for holding the adjourned meeting.

(7) The Chairman, if unable to attend the meeting, shall nominate a member to act as Chairman at the meeting.

(8) The Chairman or the acting Chairman shall have a second or casting vote.

(9) Nothing in sub-rules (5), (6), (7) and (8) shall be applicable if the Regional Transport Authority is constituted of a single member as per second proviso to subsection (2) of section 68.

65. Conduct of Business of Transport Authorities — (1) The Secretary, Additional Secretary and Assistant Secretary of a Transport Authority shall exercise such powers as specified in these rules and shall perform such administrative duties as may be directed by the Transport Authority from time to time.

(2) The State or Regional Transport Authority as the case may be, may decide any matter of urgent nature without holding a meeting by the majority of votes of members by recorded in writing and send to the Secretary (hereinafter referred to as the procedure by circulation).

(3) In the event of procedure by circulation being followed, the Secretary shall send to each member of the Transport Authority such particulars of the matter as may be reasonably necessary in order to enable the member to arrive at a decision and shall specify the date by which the votes of members are to be received in the office of the Transport Authority. Upon receipt of the votes of member as aforesaid, the Secretary shall lay the papers before the Chairman, who shall record the decision by endorsement on the form of application or other document, as the case may be,

- (ग) धारा 69 के उपबंधों के अध्यधीन अनुज्ञापन हेतु आवेदन, उपनियम 1 के छण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उस क्षेत्र के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के सचिव के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा जिसके क्षेत्र में मार्ग का अधिक हिस्सा स्थित हो।
- (घ) किसी क्षेत्र या मार्ग विशेष के लिये उपनियम 1 के छण्ड (क) में दर्शित विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों को एकत्रित और तिथिवार व्यवस्थित किया जाएगा और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा एक साथ विचार किया जाएगा।

(2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए नियुक्त कोई भी पदधारी उसी रूप में उस समय तक बना रहेगा जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा आदेश न दे। उपनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी का अशासकीय सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) राज्य सरकार किसी भी समय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के किसी भी सदस्य को हटा सकती।

(4) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की बैठक ऐसे समय तथा ऐसे स्थान पर होगी जैसा कि अध्यक्ष नियत करे।

(5) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की बैठक की सूचना प्रत्येक को कम से कम तीन दिन पहले दी जाएगी।

(6) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की बैठक की गणपूर्ति के लिए उस प्राधिकारी का अध्यक्ष तथा एक सदस्य (चाहे शासकीय हो या अशासकीय) आवश्यक होगा। यदि बैठक के लिए समय से आधा घण्टे के भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक ऐसे दिन तथा ऐसे समय तथा स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी जो यथास्थित अध्यक्ष या उपनियम (7) के अधीन नामनिर्दिष्ट कार्यवाहक अध्यक्ष नियत करे और स्थगित बैठक के लिए कोई भी गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(7) यदि अध्यक्ष बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी सदस्य को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(8) अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(9) उपनियम (5), (6), (7) तथा (8) में अंतर्विष्ट कोई भी बात लागू नहीं होगी, यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी का गठन एक सदस्य के रूप में धारा 68 के उपचारा (2) के द्वितीय पंतुक के अनुसार किया गया हो।

65. परिवहन प्राधिकारियों के कामकाज का संचालन — (1) सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा सहायक सचिव, परिवहन प्राधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए तथा ऐसे प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिवहन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

(2) यथास्थिति, राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी किसी भी अत्यावश्यक स्वरूप के विषय का विनिश्चय, बिना बैठक रहे सदस्यों के मतों के, जो कि लिखित में अभिलिखित किए गए हों तथा सचिव को भेजे गए हों, बहुमत से किया जा सकेगा। (जो इसमें इसके पश्चात् परिचालन प्रक्रिया के नाम से निर्दिष्ट है।)

(3) परिचालन प्रक्रिया अपनाए जाने की दशा में, सचिव, परिवहन प्राधिकारी, के प्रत्येक सदस्य को मामले के ऐसे व्यौर भेजेगा जो इस दृष्टि से युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हों कि सदस्य किसी भी विनिश्चय पर पहुँच सकें और वह ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिस तक कि परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में सदस्यों के मत प्राप्त हो जाएं, तथा पूर्वोक्त सदस्यों के मत प्राप्त होने पर, सचिव, अध्यक्ष के समक्ष कागज-पत्र प्रस्तुत करेगा जो प्राप्त मतों या अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णायक मत या मतों के अनुसार, यथा स्थिति, आवेदन पत्र के प्ररूप पर या अन्य

according to the votes received and the vote or votes cast by the Chairman. The record of the votes cast shall not be available for inspection by any person save by a member of the Transport Authority at a regularly constituted meeting of the Transport Authority. No decision shall be made upon procedure by circulation, if before the date by which the votes of members are required to reach the office of the Transport Authority, not less than one-third of the members of the Transport Authority have given notice in writing to the Secretary demanding that the matter be referred to a meeting of the Transport Authority.

(4) The number of votes, excluding the Chairman's second or casting vote, necessary for a decision to be taken upon procedure by circulation shall not be less than the members necessary to constitute a quorum.

(5) The State or the Regional Transport Authority as the case may be, may require any applicant for a permit to appear before it or before the officer authorised by it and may withhold the consideration of application for the permit until the applicant himself has appeared or through an authorised representative and until he has furnished such information as may be required by the Transport Authority in connection with the application.

(6) Nothing contained in this rule shall prevent a State or a Regional Transport Authority from deciding any matter which has been considered at a meeting or has been the subject of a hearing and upon which a decision has been reserved by following the procedure by circulation.

(7) Where a matter is decided by the votes of a member present at a meeting of a State or a Regional Transport Authority, no person other than a member of the Transport Authority shall be entitled to be present and no record of the voting shall be kept save of the number of votes cast on either side :

Provided that when any matter is decided by the exercise of the second or casting vote of the Chairman or the acting Chairman the fact shall be recorded.

- (8) (a) Regional Transport Authority shall send in return in Form M.P.M.V.R.-40 (RPAD) to State Transport Authority by the fifth of every month in respect of pending applications of permit, and disposal thereof.
- (b) State Transport Authority receiving the returns in Form M.P.M.V.R.-41 (RPAD) shall compile the information and send a consolidated report including information of STA every six months to the State Government.

66. Delegation of powers by State Transport Authority — A State Transport Authority may by general or special resolution recorded in its proceedings and subject to such restrictions, limitation and conditions as may be specified delegate to the Chairman, Secretary, Assistant Secretary or any officer of the Transport Department not below the rank of Assistant Commissioner, the power —

- (a) to permit replacement of one vehicle by another under section 83;
- (b) to suspend permit under section 86 of the Act and in lieu thereof to recover from the holder thereof a sum of money agreed upon in accordance with sub-section (5) of the said section;

दस्तावेज पर पृष्ठांकन द्वारा विनिश्चय अभिलिखित करेगा। इस ग्रंथ मरते का अभिलेख परिवहन प्राधिकारी की विभिन्न स्तर में संबोधित बैठक में परिवहन प्राधिकारी के सदस्य किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए उपलब्ध नहीं किया जायेगा। बदि उस तारीख से पूर्व विधयको निकालने के मरते का परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य हो, परिवहन प्राधिकारी कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा समिति को लिखित सूचना देकर यह मरी की गई हो कि मामला परिवहन प्राधिकारी की बैठक को विनिर्दिष्ट किया जाये तो परिचालन प्रक्रिया द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जायेगा।

(4) परिचालन प्रक्रिया के आधार पर विधे जाने वाले विनिश्चय के लिए आवश्यक मरते की संख्या अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत अपवर्जित करते हुए रामार्पित के गठन के लिए आवश्यक सदस्यों से कम नहीं होगी।

(5) यथास्थिति, राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करने वाले किसी भी आवेदक से अपने समस्या या उसके द्वारा प्राप्तिकृत अधिकारी के समक्ष उपसंचात होने की अपेक्षा कर सकेगा और अनुज्ञापत्र के लिए दिये गये आवेदन-पत्र पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि इस प्रकार बुलाये जाने पर आवेदक स्थायं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के मायथम से उपसंचात न हुआ हो और जब तक कि उपर्यन्त (आवेदक ने) ऐसी जानकारी न दे दी हो जो कि परिवहन प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में अनेकित हो।

(6) इस विधय के अन्तर्भृत कोई भी बात राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को ऐसी किसी भी विधय पर विनिश्चय करने से नहीं रोकी जाएगा विधय पर बैठक में विचार किया गया हो या जो सुनवाई के अधीन हो और जिन परिचालन की प्रक्रिया अपनाते हुए विनिश्चय आरक्षित रखा गया हो।

(7) जहाँ किसी भी विधय में विनिश्चय राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की किसी भी बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतदान द्वारा किया जाता हो वहाँ परिवहन प्राधिकारी के सदस्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने का हक नहीं होगा और प्रत्येक पक्ष में दिये गये मरते की संख्या के अतिरिक्त मतदान का कोई अभिलेख नहीं रखा जायेगा।

(8) परन्तु जब कोई मामला अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के द्वितीय या निर्णायक मत द्वारा विनिश्चय किया जाये तो इस तथ्य को अभिलिखित किया जायेगा।

(8) (क) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के लंबित आवेदनों के संबंध में प्रति मास पन्नह तारीख तक प्ररूप सी.जी.ए.व्ही.आर.-40 (आर.पी.ए.डी.) में राज्य परिवहन प्राधिकारी को एक एकली भेजेगा।

(ख) विवरणीय प्राप्त करने वाला राज्य परिवहन प्राधिकारी प्ररूप सी.जी.ए.व्ही.आर.-41 (आर.पी.ए.डी.) में जानकारी एकत्र करेगा और रा.प.प्रा. की जानकारी सम्मिलित करते हुए प्रत्येक छह मास में एक समेकित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

66. राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन — राज्य परिवहन प्राधिकारी अपनी कार्यवाही में अभिलिखित सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा ऐसे निर्विचयों, सीमाओं और शर्तों के अध्यादीन रहते हुए जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जावे प्राधिकारी के अध्यक्ष, सचिव, भाग्यक सचिव या परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी को जो साझाक आयुक्त की पद श्रेणी से नीचे का न हो, निम्नलिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा —

- (क) धारा 83 के अधीन एक यान के स्थान पर दूसरे यान को रखने लिए अनुज्ञा प्रदान करना;
- (ख) अधिनियम की धारा 86 के अधीन अनुज्ञापत्र का निलम्बन करना और उसके बदले में उसके धारक से उक्त धारा की उपधारा (5) के अनुसार करार पाई गई धनराशि वसूल करना;

- (e) to grant temporary permit under section 87, sub-section (7) of section 88 or special permit under sub-section (8) of section 88;
 - (d) to countersign the permits or attach to or vary the condition thereof under sub-section (1) and (3) of section 88;
 - (e) to distribute quota of goods carriage permits specified in the reciprocal agreement entered with the other States to the different Regional Transport Authorities;
 - (f) to issue permit under Chapter VI in accordance with the approved nationalisation scheme:
- Provided that the Chairman or Secretary or Assistant Secretary or other officer, as the case may be, shall —
- (i) keep informed the State Transport Authority from time to time of the action taken by him in pursuance of the power delegated; and
 - (ii) arrange to paste on a notice board on the premises of the office of the State Transport Authority a copy of every resolution of that Transport Authority delegating its power to him.

1[(g) to grant the letter of authorisation to the vehicle covered by All India Tourist Permit.]

67. Delegation of powers by Regional Transport Authority — (1) A Regional Transport Authority may, by general or special resolution recorded in its proceedings and subject to such restrictions, limitations and conditions as may be specified, delegate to Chairman, Secretary, Additional Secretary or Assistant Secretary of the Authority all or any of the following powers, namely —

- (a) to grant, refuse or renew a private service vehicle permit under sub-section (1) of section 76;
- (b) to grant, renew or refuse goods carriage permit under section 79;
- (c) to renew goods carriage permit under section 81;
- (d) to permit the replacement of one vehicle by another, under section 83;
- (e) to suspend a permit under section 86 or to recover from the holder thereof the sum of money agreed upon in accordance with sub-section (5) of the said section;
- (f) to grant or refuse to grant a temporary permit under section 87 or under sub-section (7) and (8) of section 88, as the case may be;
- (g) to countersign a temporary permit under sub-section (1) of section 88 or to attach or vary conditions thereof under sub-section (1) and (3) of the said section;
- (h) to grant, renew and refuse the national permit for goods carriage under sub-section (12) of section 88;
- (i) to grant, refuse or renew licences of Agents under rule 120 and 132 or to suspend a licence under rule 128 or to recover from the holder thereof sum of money agreed upon in lieu of suspension :

I. Inserted by Notification No. 660/Tr/2002 dated the 18th July, 2002 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 18-7-2002 page 359.

- (ग) धारा 87, धारा 88 की उपधारा (7) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र मंजूर करना।
- (च) अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षर करना या धारा 88 की उपधारा (1) तथा (3) के अधीन शर्तें जोड़ना या शर्तों में फेरफार करना;
- (ङ) अन्य गज़ों से किये गए पास्टरिक कारर में विनिर्दिष्ट माल यान अनुज्ञापत्रों का कोटा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारियों को वितरित करना;
- (च) अनुमोदित राष्ट्रीकरण स्कीम के अनुसार अध्याय 6 के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करना : परन्तु यथास्थित अध्यक्ष या सचिव या सहायक सचिव या अन्य अधिकारी —
 - (एक) प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार में उत्तर द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकारी को समय-समय पर सूचित करता रहेगा ; और
 - (दो) राज्य परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय परिसर के स्वत्वा फलक पर उसे शक्ति प्रत्यायोजित करने संबंधी उस परिवहन प्राधिकारी के प्रत्येक संकल्प की एक प्रति चिपकाये जाने की व्यवस्था करेगा।
- 1[(छ) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट से आच्छादित वाहनों के प्राधिकार पत्र मंजूर करना।]
- 67. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन — (1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अपनी कार्यवाहियों में अधिलिखित सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा तथा ऐसे निर्भन्नों, सीमाओं और शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, जैसे कि विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकारी के अध्यक्ष, सचिव, अतिरिक्त सचिव, या सहायक सचिव के निम्नलिखित शक्तियों में से समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, अशर्त —
 - (क) धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन प्राइवेट सेवा यान का अनुज्ञापत्र मंजूर करना, नामंजूर करना या नवीकरण करना;
 - (ख) धारा 79 के अधीन माल यान अनुज्ञापत्र मंजूर करना, नवीकरण करना या नामंजूर करना;
 - (ग) धारा 81 के अधीन मालयान के अनुज्ञापत्र का नवीकरण करना;
 - (घ) धारा 83 के अधीन एक यान के स्थान पर दूसरा यान रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान करना;
 - (ङ) धारा 86 के अधीन अनुज्ञापत्र का निलंबन करना या उक्त धारा (5) के अनुसार उसके धारक से करार पाई गई धनराशि को वसूल करना;
 - (च) यथास्थिति, धारा 87 के अधीन या धारा 88 की उपधारा (7) तथा (8) के अधीन, अस्थायी अनुज्ञापत्र मंजूर करना या मंजूर करने से इकाई करना;
 - (छ) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना या उक्त धारा (1) तथा (3) के अधीन शर्तें जोड़ना या उनमें फेरफार करना;
 - (ज) धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन माल यान का राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र मंजूर करना, नवीकरण और इकाई करना;
 - (झ) नियम 120 तथा 132 के अधीन अधिकारियों की अनुज्ञापत्र मंजूर करना, इकाई करना या नवीकरण करना या नियम 128 के अधीन अनुज्ञापत्र मंजूर करना या उसके धारक से निलंबन के बदले में एक करार पाई गई धनराशि वसूल करना :

1. अधिसूचना क्रमांक 660/परिवहन/2002, दिनांक 18 जुलाई, 2002 द्वारा अन्तःस्थायित एवं छत्तीसगढ़ परिवहन असाधारण) दिनांक 18-7-2002 पृष्ठ 359 पर प्रकाशित।

Provided that the Chairman, Secretary or Assistant Secretary, as the case may be, shall —

- (i) keep informed the Regional Transport Authority from time to time of the action taken by him in pursuance of the power delegated; and
- (ii) arrange to paste on a notice board on the premises of the office of the Regional Transport Authority a copy of every resolution of that Transport Authority delegating its power to him.

¹[(2) The Regional Transport Authority may also by general or special resolution delegate to a Collector of District the following powers, namely —

- (a) to grant temporary permit under clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 87 for a period of not more than seven days authorising the use of a Transport Vehicle temporarily within the State of Chhattisgarh for—
 - (i) the conveyance of passengers on special occasion, such as to and from fairs and religious gatherings; or
 - (ii) transport of personal kit and luggage of an officer on transfer or transport of dead bodies; or
 - (iii) transport of polling personnel and officers and carriage of ballot boxes and papers during the period of an election;
- (b) To grant temporary permit under clause (e) of sub-section (1) of Section 87 to be effective for a limited period which shall not, in any case, exceed four months, to authorise the use of a motor cab, maxicab and public service vehicle (State Carriage) to meet particular temporary need, under the following limitations and restrictions—
 - (i) that the permit shall be valid for the area or routes within the respective jurisdiction of a Collector of the district;
 - (ii) that limitations and restrictions imposed and relaxation granted under nationalisation Schemes shall be strictly adhered to;
 - (iii) that the applicant/owner of the Vehicle shall furnish no dues certificate of concerning Taxation Authority in respect of the Vehicle alongwith the application;
 - (iv) that in case of any mistake in computation of distance or areas/ route or rate of tax applicable, the difference amount, if any, shall be payable by the owner in accordance with the provisions of Chhattisgarh Motor Vehicles Taxation Act, 1991.]

²[(3) The Regional Transport Authority may also by general or special resolution delegate to an officer-in-charge of the transport check-post in its region, the power under sub-section (1) of Section 87 to grant temporary permit to a goods carriage for a period of one month or part thereof authorizing the use of a goods carriage of

1. Substituted by Notification No. F-22-64-97-VIII dated the 24-4-1998 and published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 25-4-1998 pages 388-388(1).
2. Substituted by Notification No. 668/Tr.D/2001 dated the 10th October, 2001 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 10-10-2001 pages 470-470(1).

पद्धति अध्यक्ष, सचिव या सहायक सचिव —

(एक) प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार में उसके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को समय-समय पर सूचित करेगा; और

(दो) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय परिसर में स्थित सूचना फलक पर उसे अपनी शक्ति प्रत्यायोजित करने संबंधी, उस परिवहन प्राधिकारी के प्रत्येक संकल्प की एक प्रति चिपकाने की व्यवस्था करेगा।

¹[(2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा जिले के कलेक्टर को निम्न शक्तियाँ भी प्रत्यायोजित कर सकेगा —

(क) धारा 87 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन 7 दिन से अनधिक की कालावधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर —

(एक) विशेष अवसरों जैसे- मेला धार्मिक सम्मेलनों में यात्रियों को लाने ले जाने, या

(दो) स्थानांतरण पर जाने वाले किसी अधिकारी की निजी सज्जा और सामान का परिवहन शर्वों का परिवहन, या

(तीन) निर्वाचन की कालावधि के दौरान मतदान कर्मियों तथा अधिकारियों के परिवहन तथा मत पेटियों, कांगजारों परिवहन यारों के उपयोग हेतु प्राधिकृत करने हेतु अस्थायी अनुज्ञा मंजूर करना।

(ख) धारा 87 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा पत्र किसी विशेष अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मोटर कैब एवं लोक सेवा यान (मर्जिली गाड़ी) का उपयोग किया जाना प्राधिकृत करने हेतु निम्न सीमाओं एवं निर्बंधों के अधीन ऐसे अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना जो हर मामले में अधिक से अधिक 4 मास की कालावधि के लिए प्रभावी होंगे :

(एक) यह कि अनुज्ञा जिले के कलेक्टर की संबंधित अधिकारिता क्षेत्र या मार्ग के भीतर वैध होगी;

(दो) यह कि राष्ट्रीयकृत योजनाओं के अधीन अधिरोपित शर्तों एवं निर्बंधों और दी गई छूट का कड़ाई से पालन होगा;

(तीन) यह कि आवेदक यान स्वामी आवेदन के साथ यान के संबंध में संबंधित कराधान प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा;

(चार) यह कि क्षेत्र/मार्ग की दूसरी परियोजित करने के संबंध में या लागू करी दर के संबंध में कोई नुट देने पर अंतर की राशि यदि कोई है, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के उपर्योग के अनुसार यान स्वामी द्वारा देव होगी।

²[(3) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा अन्ने क्षेत्र की परिवहन जांच-चौकी के प्रभारी अधिकारी को धारा 87 की उपधारा (1) के अधीन अन्य राज्यों के मालयान को, छत्तीसगढ़ राज्य में माल के परिवहन के लिए अस्थाई रूप से उपयोग हेतु, इस शर्त के अधीन कि ऐसी यान छत्तीसगढ़ राज्य-अध्यांतर

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-22-64-97-आठ, दिनांक 24-4-1998 के द्वारा प्रतिस्थापित एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 25-4-1998 को पृष्ठ 387-388 पर प्रकाशित।

2. अधिसूचना क्रमांक 668/परि. वि./2001, दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राज्य-अध्यांतर (असाधारण) दिनांक 10-10-2001 को पृष्ठ 469-470 पर प्रकाशित।

other State temporarily within the State of Chhattisgarh for transport of goods subject to the condition that such vehicle shall not be used for intra-state operation in Chhattisgarh :

Provided that an officer-in-charge of the transport check-post shall keep informed the Regional Transport Authority and the Transport Commissioner from time to time of the action taken by him in pursuance of powers delegated and a list of all permits so issued shall be sent:

Provided further that before issue of temporary permit under this sub-rule the officer-in-charge of the transport check-post shall ensure that the taxes under the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) are paid in respect of the vehicle for permit is to be issued by him.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the Regional Transport Authority may, from time to time, issue instructions to its secretary, additional secretary, assistant secretary, collector or an officer-in-charge of the transport check-post as to the manner in which he shall exercise the powers delegated to him.]

68. Power of refusal to accept Applications for Permits — Where the State Government by notification in official Gazette directed the Transport Authorities to limit the number of stage carriages or contract carriages generally or of any specified type under sub-section (3) of section 71, or sub-section (3) of section 74 respectively and has limited the number of vehicles of any class for which permits may be granted in any specified area or on any specified route and has actually granted permits equal to the maximum number of vehicles of any class, in such area or as the case may be, on such route, the Regional Transport Authority shall notify this fact on the notice board of its office and may decline to receive any further applications for permits in respect of the class of vehicles in the area or on the route aforesaid.

69. Reservation of Permits for Scheduled Castes and Scheduled Tribes — (1) Where the number of stage carriage is fixed under sub-section (3) of section 71 the number of permits reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be 15 and 18 percent respectively.

(2) The Transport Authority shall maintain a roster of stage carriage and contract carriage permits reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the same manner and as prescribed for the recruitment from these categories for the Government service.

(3) No sooner any vacancy of permit occurs, the Regional Transport Authority shall decide according to the roster whether it should be reserved for scheduled caste or scheduled tribe. If the vacancy is so reserved for scheduled castes or scheduled tribes, no applications from other categories of persons shall be considered against the reserved vacancy.

(4) The vacancy or vacancies of permits reserved for the scheduled castes and scheduled tribes shall be published in the official Gazette and in at least one Hindi News Paper circulating in the region, inviting applications from these categories on or before an appointed date.

(5) In case no applications are received from the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes the permit shall be treated as unreserved and shall be granted to other persons.

संचालन नहीं करेगी, प्राप्तिकृत करने के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र एक माह अधिका उसके भाग के लिए जारी करने की शक्ति भी प्रत्यायोजित कर सकेगा :

परन्तु यह कि परिवहन जौच-चौकी का प्रभारी अधिकारी प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार में उसके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी एवं परिवहन आयुक को समय-समय पर सूचित करेगा एवं जारी किए गये ऐसे अनुज्ञापत्रों की सूची भेजेगा :

परन्तु यह भी कि इस उपनियम के अन्तर्गत अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व परिवहन जौच-चौकी का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन जिसके लिए उसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जाना है के संबंध में छत्तीसगढ़ मोटरवाहन कारायान अधिनियम, 1991 (सन 1991 का क्रमांक 25) के अन्तर्गत करों का भुगतान किया जा चुका है।

(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट कियी वात के होते हुए भी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी समय-समय पर उसके सचिव, अतिरिक्त सचिव, सहायक सचिव, कलेक्टर या परिवहन जौच-चौकी के प्रभारी अधिकारी को उस रीति में अनुदेश जारी करेगा कि, जिसमें उसे प्रत्यायोजित की गयी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है ॥

68. अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदन प्रतिग्रहण करने से इंकार करने की शक्ति — जहाँ

क्रमशः धारा 71 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिमंचन जारी कर परिवहन प्राधिकारियों को सामान्यतया या किसी विशिष्ट प्रकार की मंजिली गाड़ियों या टेका गाड़ियों की संख्या को सीमित करने के निर्देश दिए गए हों और किसी ऐसे वर्ग से यानों की संख्या सीमित कर दी गई हो, जिसके लिए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी भी विनिर्दिष्ट मार्ग के लिए अनुज्ञापत्र मंजूर किए जा सकते हों और उसने यथास्थिति ऐसे क्षेत्र में या ऐसे मार्ग पर किसी भी वर्ग के यानों की अधिकतम संख्या के बराबर बस्तुतः अनुज्ञापत्र मंजूर कर दिए गए हों तो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अपने कार्यालय के सूचना फलक पर इस तथ्य को अनुसूचित करेगा और पर्वोंकर क्षेत्र में या मार्ग पर यानों के उस वर्ग के संबंध में अनुज्ञापत्रों के लिए आगे कोई भी आवेदन प्राप्त करने से इंकार कर सकेगा ।

69. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुज्ञापत्रों का आरक्षण—

(1) जहाँ धारा 71 की उपधारा (3) के अधीन मंजिली गाड़ी की संख्या नियत की जाती है, वहाँ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अनुज्ञापत्रों की संख्या क्रमशः 15 और 18% होगी ।

(2) परिवहन प्राधिकारी मंजिली गाड़ी तथा टेका गाड़ी का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अनुज्ञापत्रों का रोस्टर उसी रीति में रखेगा और जैसा कि इन श्रेणियों के लिए सरकारी सेवा में भर्ती के लिए विहित किया गया है ।

(3) जैसे ही अनुज्ञापत्र की कोई रिक्त होती है वैसे ही प्रादेशिक परिवहन रोस्टर के अनुसार यह विनिश्चय के प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाए । यदि कोई रिक्त इस प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो आरक्षित रिक्त विस्तृद्ध अन्य श्रेणी के व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(4) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अनुज्ञापत्रों की रिक्ति या रिक्तियों को नियत तारीख को या उससे पूर्व इनकी श्रेणियों के आवेदन आमंत्रित करने के लिए राजपत्र या प्रदेश में परिचालित काम से कम एक हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित कराएगा ।

(5) यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसे अनुज्ञापत्र अनारक्षित माने जाएंगे और अन्य व्यक्तियों को मंजूर किये जाएंगे ।

(6) The number of reserved permits granted to persons, not belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes during a calendar year shall be carried forward to the next year and added to the number reserved in that year for these categories but the number of reservations shall not exceed fifty percent of the total stage carriage permits, granted during a year. Also the number of reserved permits shall not be carried forward beyond one year after which they shall be considered as lapsed.

70. Matters for Consideration of Application for Stage Carriage or Contract Carriage Permit — In addition to the matters mentioned in clause (d) of sub-section (3) of Section 71 and clause (b) of sub-section (3) of Section 74, the Regional Transport Authority may also have regard to the following matters, namely—

- (a) that the applicant is an unemployed Graduate;
- (b) that he is displaced person affected by any development project;
- (c) that he is person whose stage carriage or contract carriage permit has been cancelled as a result of any nationalization scheme; or
- (d) that he is having a diploma in Automobile Engineering, Tourism or Transport management, from an institution recognised by the State Government;
- (e) that he is a Travel Agent approved by the Indian Tourism Development Corporation or Chhattisgarh Tourism Development Corporation;
- 1[(f) that a person makes application for plying vehicle for ladies only on city routes;
- (g) that widow or a divorced woman who applies to ply vehicle on city routes;
- (h) that owners of mini buses belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Minority Communities who have been provided mini buses by giving loans under different schemes by the State Government while making application for a permit;
- (i) that the beneficiaries under clause (h) while applying for mini bus permit for Mahanagar Service routes.]

70-A. Guiding principles for grant and renewal of Stage Carriage Permits

- (1) To ensure safety and convenience of travelling passengers, routes shall be classified as follows :—
 - (a) Short route which covers a distance of not more than ³[100] Kms., one way.
 - (b) Medium route which covers a distance of over ³[100] Kms., one way, and
 - (c) Long route which covers a distance of more than ⁴[200] Kms., one way.

1. Inserted by Notification No. F-8-7-98-VIII dated the 6th January, 1999 and published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 6-1-1999 page 26.
2. Added by Notification No.620/Tak.Tran/2011 dated 18 may 2011 vide and Published in C.G. Rajpatra Part-I dated 17-06-2011 page 1055-1056.
3. Substituted by Notification No. F-5-15-VIII-Tran/2012 dated the 19 April 2012 vide for "65" Kms. and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 page 194-194(I).
4. Substituted by Notification No. F-5-15-VIII-Tran/2012 dated the 19 April 2012 vide for "165" Kms. and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 page 194-194(I).

(6) अनुमूलिक जाति तथा अनुमूलिक करकारी से लिए व्यक्तियों को किसी एक के लिए दोष के दौरान जिन्हें आवृत्ति अनुजाग्रह मंदूर किये जाएं उनकी संख्या अपार्टमेंट में से जाती जानेवाली और इन व्यक्तियों के लिए उन कर्त्ता में आवृत्ति संख्या में बाई जाएगी किन्तु आवृत्ति की संख्या उस कर्त्ता के दोष कुल पंचिती गाड़ी के अनुजाग्रहों की संख्या कुल संख्या के वरास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। एक कर्त्ता के दोष कुल आवृत्ति अनुजाग्रहों की संख्या भी आगामी कर्त्ता के लिए नहीं से जाई जानेवाली, जिसके पश्चात् वे व्यापत हुए भावे आगेवाले।

70. मंजिली गाड़ी या डेका गाड़ी अनुजाग्रह के आवेदन पर विचार करने संबंधी विचार — धारा 71 की उपधारा (3) के खंड (प) तथा पारा 74 की उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्णय विभिन्नों के अनुरिक प्रदेशिक परिवहन प्राप्तिकारी नियमिति विभिन्नों का भी ध्यान रखेगा। अर्थात्—

- (क) यह कि आवेदक स्वातंत्र वेराजगार है;
 - (ख) यह कि विस्थापित व्यक्ति है जो किसी विकास परियोजना से प्रभावित हो;
 - (ग) यह कि वह ऐसा व्यक्ति है, जिसका मंजिली गाड़ी या डेका गाड़ी का अनुजाग्रह किसी राष्ट्रीय कूल स्थिर के परिणाम-स्वरूप दद किया गया हो; या
 - (घ) यह कि वह एन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आटोमोबाईल, मांसिकी, पर्सन या परिवहन व्यवस्था में डिल्लोमा की न्यूतम अर्हता रखता हो; या
 - (ङ) यह कि भारतीय पर्सन विकास निगम या छत्तीसगढ़ पर्सन विकास निगम द्वारा अनुमोदित द्वेषेल एजेंट हो;
 - 1[(च) यह कि व्यक्ति जो नगरीय मार्गों पर भेदभाव महिलाओं के लिए धारा चलाने के लिए आवेदन करता है;
 - (छ) यह कि विधाया या तालाकुशुदा महिला जो नगरीय मार्गों पर धारा चलाने के लिए आवेदन करती है;
 - (ज) यह कि अनुमूलिक जाति, अनुमूलिक जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के पिनी बरसों के स्वामियों को जिन्हें अनुजाग्रह के लिए आवेदन करने पर धारा सरकार की विभिन्न स्वीमों के अपीन व्रत प्रदान करनी वसे उपलब्ध कराई गई है;
 - (झ) यह कि जब दितगाही, खंड (ज) के अधीन महानगरीय सेवा मार्गों के लिए पिनी धर्म अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन करते हों।]
- 70-क. प्रक्रम वाहनों के पर्सन की स्वीकृति एवं नवीकरण हेतु मार्गदर्शन सिद्धांत- यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मार्गों का व्याकरण निमानुसार किया जायेगा—**
- (क) लघु मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी ³[100] कि.मी. से अधिक नहीं है,
 - (ख) मध्यम मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी ³[100] कि.मी. से अधिक किन्तु ⁴[200] कि.मी. से अधिक नहीं है, एवं
 - (ग) दीर्घ मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी ⁴[200] कि.मी. से अधिक है।

1. अधिसूचना क्रमांक एक. 8-7-98-आठ, दिनांक 6 जनवरी, 1999 द्वारा अंतःस्थापित एवं मार्गप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6-1-1999 को पृष्ठ 26 पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक 620/तक./परि./2011 दिनांक 18 मई 2011 द्वारा जोड़ा गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 17-06-2011 को पृष्ठ 1055-1056 पर प्रकाशित।
3. अधिसूचना क्रमांक एक 5-15/आठ.परि./2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा "65" कि.मी. के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 19 अप्रैल 2012 के पृष्ठ 193-194 पर प्रकाशित।
4. अधिसूचना क्रमांक एक 5-15/आठ.परि./2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा "165" कि.मी. के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 19 अप्रैल 2012 के पृष्ठ 193-194 पर प्रकाशित।

- (2) The grant and renewal of Stage Carriage Permit shall be subject to the following provisions:-
- (i) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on long routes if-
- (a) The vehicle is more than ¹[12] years old from the date of initial registration;
 - (b) The seating capacity of such vehicle is;-
(One) Less than 35 seats in case of deluxe bus excluding driver and conductor:
Provided that in respect of deluxe sleeper coach or deluxe semi-sleeper coach the above restriction of seats shall not be applicable.
 - (Two) Less than ²[35] seats in case of ordinary bus excluding driver and conductor, subject to the provision of sub-rule (3) of Rule 158 of these rules:
- Provided that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.
- (ii) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on medium routes if-
- (a) The vehicle is more than ³[15] years old from the date of initial registration;
 - (b) The seating capacity of vehicle is ⁴[30] or less than ⁴[30] excluding the driver and conductor, subject to the provision of sub-rule (3) of Rule 158 of these rules:
- Provided that in respect of ⁵[Deluxe-Bus] sleeper coach or deluxe semi-sleeper coach the above restriction of seats shall not be applicable:
- Provided further that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.
- (iii) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on short route if the vehicle is more than ⁶[15] years old from the date of initial registration :

1. Substituted by Notification No. F 5-15/VIII-Tran/2012 dated the 19 April 2012 vide for "8" years and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 page 194-194(1).
2. Substituted by Notification No. F 5-15/VIII-Tran/2012 dated the 19 April 2012 vide for "40" seats and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 page 194-194(1).
3. Substituted by Notification No. F 5-15/VIII-Tran/2012 dated the 19 April 2012 vide for "10" years and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 page 194-194(1).
4. Substituted by Notification No. F 5-15/VIII-Tran/2012 dated the 19 April 2012 vide for "35" and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 page 194-194(1).
5. Substituted by Notification No. F 5-15/VIII-Tran/2012 dated 19 April 2012 vide "for Deluxe" and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012, Page 194(1)
6. Substituted by Notification No. F 5-15/VIII-Tran/2012 dated 19 April 2012 vide for "12" years and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 Page 194-194(1).

- (2) प्रक्रम वाहन के परमिट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण निम्नलिखित उल्लंघनों के अध्यधीन होगा :-
- (एक) कोई प्रक्रम वाहन परमिट, दीर्घ मार्ग पर स्वीकृत अथवा नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, यदि-
- (क) वाहन प्रारम्भिक पंजीयन दिनांक से ¹[12] वर्ष से अधिक उत्तरी हो;
 - (ख) ऐसे वाहन की बैठक क्षमता :-
(एक) चालक एवं परिचालक को छोड़कर डीलक्स बस के मामले में 35 सीट से कम हो:
पन्तु डीलक्स शयन कोच अथवा डीलक्स अर्थ-शयन कोच के संबंध में उक्त सीट संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
 - (दो) चालक एवं परिचालक को छोड़कर साधारण बस के मामले में ²[35] सीट से कम हो, जो इन नियमों के नियम 158 के उपनियम (3) के उल्लंघनों के अध्यधीन होगा:
पन्तु उक्त प्रवाधन पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा।
 - (दो) मध्यम मार्ग पर प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे यदि-
 - (क) वाहन प्रारम्भिक पंजीयन दिनांक से ³[15] वर्ष से अधिक उत्तरी हो:
 - (ख) चालक एवं परिचालक को छोड़कर वाहन की बैठक क्षमता ⁴[30] अथवा ⁴[30] से कम हो, इन नियमों के नियम 158(3) के उल्लंघनों के अध्यधीन होगा:
पन्तु ⁵[डीलक्स बस] शयन कोच अथवा डीलक्स अर्थ-शयन कोच के संबंध में भी उक्त सीट संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
पन्तु यह और भी कि उक्त प्रवाधन पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा।
 - (तीन) लघु मार्ग पर प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे, यदि वाहन अपने प्रारम्भिक पंजीयन दिनांक ⁶[15] वर्ष से अधिक उत्तरी हो:

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/आठ.परि./2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा "8" वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 19 अप्रैल 2012 के पृष्ठ 193-194 पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/आठ.परि./2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा "40" सीट के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 19 अप्रैल 2012 के पृष्ठ 193-194 पर प्रकाशित।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/आठ.परि./2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा "10" वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 अप्रैल 2012 के पृष्ठ 193-194 पर प्रकाशित।
4. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/आठ.परि./2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा "35" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 अप्रैल 2012 के पृष्ठ 193-194 पर प्रकाशित।
5. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/आठ.परि./2012, दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा "डीलक्स" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 अप्रैल 2012 के पृष्ठ 194 पर प्रकाशित।
6. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/आठ.परि./2012/2012 तारीख 19 अप्रैल 2012 के द्वारा "12" वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 अप्रैल 2012 पृष्ठ 194 पर प्रकाशित।

Provided that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.

(iv) A Stage Carriage Permit granted under this rule shall be deemed to be invalid from the date on which stage carriage covered by the permit completes ¹[12] year in case of long route ²[15] years in case of medium route and ³[15] years in case of short route, unless such stage carriage is replaced within Fifteen days from the date of expiry by the permit holder. Where the permit holder fails to replace the vehicle within Fifteen days he shall surrender the permit for cancellation in the office of permit granting Authority.

(3) The Provision of sub-rule (1) and (2) of this Rule shall apply to a Stage Carriage Permit granted prior to the coming into force of this rule after a period of Twenty Four months from the date of the publication of this Rule in the Official Gazette.

(4) **Power of State Government to grant relaxation.**— The State Government may grant relaxation, partially or completely by order in respect of particular area or particular type of vehicles from one or any of the above conditions, giving reasons in writing.]

71. Route Motorability—(1) The State Transport Authority or the Regional Transport Authority as the case may be, may while considering an application for grant of stage carriage permit, may ensure the motorability of route with specific reference to condition of road, existence of bridges, culverts thereon and other obstructions in safe operation of stage carriage. Such authority while ascertaining the motorability of route, may obtain survey report thereof from any subordinate officer not below the rank of Transport Inspector of the Transport Department.

(2) Each survey report as referred to in sub-rule (2) shall consist of the following points—

- (a) Physical survey of route by the Surveying Officer;
- (b) Actual distance between enroute Villages/Towns;
- (c) Topography of road and various obstructions and constraints in safe operation of stage carriage; and
- (d) Opinion regarding safe operation of service on the route.

72. Forms of Application For Permits—(1) Every application for grant or renewal of a permit in respect of any transport vehicle shall be in one of the following forms that is to say—

- (a) in respect of a stage carriage or reserve stage carriage permit in Form M.P.M.V.R.-42 (SCPA);

1. Substituted by Notification No. F 5-15/VII-Tran/2012 dated the 19 April 2012 vide for "8" years and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 page 194-194(1).
2. Substituted by Notification No. F 5-15/VIII-Tran/2012 dated the 19 April 2012 vide for "10" years and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 page 194-194(1).
3. Substituted by Notification No. F 5-15/VII-Tran/2012 dated 19 April 2012 vide for "12" years and Published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 19 April 2012 Page 194-194(1).

परन्तु उक्त प्रवाधन पदोंसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रवाधनों के अध्यधीन होगा।
 (चार) इन नियमों के अधीन स्वीकृत प्रक्रम वाहन परमिट उस तिथि से अधिकान्य हो गई मार्गी जाएगी, जब परमिट से आच्छादित प्रक्रम वाहन दीर्घ मार्ग के मामले में ¹[12] वर्ष पूर्ण कर लेती हो, मध्यम मार्ग के मामले में ²[15] वर्ष, और लघु मार्ग के मामले में ³[15] वर्ष पूर्ण कर लेती हो, जब तक कि परमिटधारी द्वारा वैधता समाप्ति दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर ऐसी प्रक्रम वाहन को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, और जहाँ परमिटधारी पन्द्रह दिवस के भीतर वाहन प्रतिस्थापित करने में असफल होता है, तो वह परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में ऐसे परमिट को निरसी करने के लिए समर्पित करेगा।

(3) इस नियम के उपनियम (1) एवं (2) के प्रवाधन इन नियमों के रजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 24 माह की कालावधि के पश्चात् इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व स्वीकृत प्रक्रम वाहन परमिट पर लागू होगे।

(4) राज्य सरकार की कूट देने की शक्ति.— राज्य सरकार किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष वाहनों के प्रकार के संबंध में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने आदेश द्वारा लिखित में कारणों को उल्लेख करते हुए ऊपर दी गई शर्तों में से एक या किसी से भी कूट प्रदान कर सकती है।

71. मोटर चलाए जाने योग्य मार्ग— (1) यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करते हुए सड़क की स्थिति उस पर विद्यमान पुलों, पुलियों तथा मंजिली गाड़ी के सुरक्षित प्रचलन के लिए अन्य वाधाओं के विशेष संदर्भ में मोटर चलाए जाने योग्य मार्ग होना सुनिश्चित कर सकेगा, ऐसा प्राधिकारी मोटर चलाए जाने योग्य मार्ग का होना सुनिश्चित करते समय, उसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट किसी ऐसे अधीनस्थ अधिकारी से, जो परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक की पद श्रेणी से नीचे का न हो, अभिप्राप्त कर सकेगा।

(2) उपनियम (2) में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित बिन्दु होंगे—

- (क) सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा मार्ग का भौतिक सर्वेक्षण;
- (ख) मार्ग के मध्य पड़ने वाले ग्रामों/नगरों को की वास्तविक दूरी;
- (ग) मार्ग की भौगोलिक रचना तथा मंजिली गाड़ी के सुरक्षित प्रचलन में पड़ने वाली विभिन्न वाधाएँ एवं अडचनें; और
- (घ) मार्ग पर सेवा के सुरक्षित प्रचलन के बारे में यथा।

72. अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन पत्र के प्रणाली— (1) किसी परिवहन यान से संबंधित अनुज्ञापत्र के स्वीकृति या नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित प्रूप में से किसी एक प्रूप में होगा, अर्थात्—

- (क) मंजिली गाड़ी या आरक्षित मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रूप सी.जी.एम.व्ही.आर.-42, (एस.सी.पी.ए.)

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/आठ.परि./2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा "8" वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 19 अप्रैल 2012 के पृष्ठ 193-194 पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/आठ.परि./2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा "10" वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 अप्रैल 2012 के पृष्ठ 193-194 पर प्रकाशित।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15/आठ.परि./2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 के द्वारा "12" वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 अप्रैल 2012 पृष्ठ 194 पर प्रकाशित।

- (b) in respect of a contract carriage Form M.P.M.V.R.-43 (CCPA);
 (c) in respect of a goods carriage in Form M.P.M.V.R.-44 (GCPA);
 (d) in respect of a temporary permit in Form M.P.M.V.R.-45 (TPA);
 (e) in respect of a private service vehicle permit in Form M.P.M.V.R.-46 (PSVPA); and
 (f) in respect of a special permit in Form M.P.M.V.R.-47 (SPA).
- (2) The application shall be addressed to the State Transport Authority or the Regional Transport Authority as the case may be and shall be accompanied by the fee specified in rule 145.
- (3) The application for stage carriage permit or reserved stage carriage permit as required under sub-section (1) of section 70 shall be accompanied by the following documents, namely—
- (a) an authentic route map alongwith certified distance between various stages and certificate regarding motorability of the route from the departments which have control over such road;
 - (b) certificate from Registering Authority containing make, model and seating capacity of the vehicles owned by the applicant at the time of making the application;
 - (c) details of the stage carriage and reserved stage carriage permits already held by the applicant;
 - (d) no dues certificate issued by the Regional Transport Officer concerned;
 - (e) declaration duly certified by an officer of the Chhattisgarh State Road Transport Corporation authorised by the Managing Director about the portion and distance of the route covered by any nationalization scheme; and
 - (f) any other information as may be required by the Transport Authority.

COMMENTS

R. 72(3)(e)— A declaration duly certified by authority of State Transport Corporation is mandatory to be given by applicant in cases where some portion of the route is covered by any nationalized scheme. [M.P. State Road Transport Corporation Vs. State of C.G. & Others, 2003(1) CGLJ (CG) 222 = 2003(2) MPHT (CG) 42 = 2003(2) BLJ 92 = 2003(7) AIC 958]

- 73. Form of Permits**—(1) Every permit shall be in one of the following forms that is to say—
- (a) in respect of Stage Carriage or reserve stage carriage permit in Form M.P.M.V.R.-48 (SCP) or Form M.P.M.V.R.-43A (RSCP) as the case may be;
 - (b) in respect of a contract carriage permit Form M.P.M.V.R.-49 (CCP);
 - (c) in respect of a goods carriage permit in Form M.P.M.V.R.-50 (GCP);
 - (d) in respect of a temporary permit in Form M.P.M.V.R.-51 (TP);
 - (e) in respect of a private service vehicle permit in Form M.P.M.V.R.-52 (PSVP);
 - (f) in respect of a special permit in Form M.P.M.V.R.-53 (SP);

- (घ) संविदा वाहन के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-43 (सी.सी.पी.ए.)
 (ग) माल वाहन के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-44 (सी.सी.पी.ए.)
 (घ) अस्थाई अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-45 (टी.पी.ए.)
 (ङ) प्राइवेट सेवा यान के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-46 (पी.एस.व्ही.पी.ए.)
 (च) विशेष अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-46 (पी.एस.व्ही.पी.ए.)।
- (2) आवेदन, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को संबोधित किया जाएगा तथा नियम 145 में विविरित कीस संलग्न की जाएगी।
- (3) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुज्ञापत्र मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र या आरक्षित मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र के आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा, अर्थात्—
- (क) विभिन्न प्रकारों के मध्य पड़ने वाली प्रमाणित दूरी के साथ मार्ग का प्रमाणित नक्शा तथा यान चलाये जाने योग्य मार्ग के संबंध में उन विभागों का संलग्न किया जाएगा, अर्थात्— विभाग है;
 - (ख) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदन देते समय आवेदक के स्वामित्व के यानों का मेक, मॉडल और बैठक क्षमता दी गई हो;
 - (ग) आवेदक द्वारा पूर्व में घारित मंजिली गाड़ी और आरक्षित मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्रों का विवरण;
 - (घ) संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया गया “कोई बकाया नहीं” का प्रमाण पत्र;
 - (ङ) किसी राष्ट्रीयकृत स्थिर के अन्तर्गत आने वाले मार्ग का भाग तथा दूरी प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम के अधिकारी द्वारा अभिप्राणीकरण तथा सम्बद्ध रूप से प्रमाणित योषणा;
 - (च) ऐसी अन्य जानकारी जैसी कि परिवहन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाए।

टिप्पणी

नियम 72(3)(ई) — यदि किसी मार्ग को कोई भाग राष्ट्रीयकृत योजना के अन्तर्गत आता है, तो ऐसे प्रकारों में आवेदक को राज्य परिवहन निगम के अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। [म.प्र. राज्य सङ्कर परिवहन निगम वि. छ.ग. राज्य व अन्य, 2003(1) छ.ग.लॉ.ब. (छ.ग.) 222 = 2003(2) म.प्र. हाईकोर्ट दुडे (छ.ग.) 42 = 2003(2) बी.एल.जे. 92 = 2003(7) ए.आई.सी. 958]

- 73. अनुज्ञापत्रों के प्ररूप**—(1) प्रत्येक अनुज्ञापत्र निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक प्ररूप में होगा, अर्थात्—

- (क) मंजिली गाड़ी या आरक्षित मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र के संबंध में यथास्थिति, प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर.-48 ए या प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-48 ए (आर.एस.सी.पी.) में;
- (ख) टेका गाड़ी के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-49 (सी.सी.पी.) में;
- (ग) माल यान अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-50 (सी.सी.पी.) में;
- (घ) अस्थाई अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-51 (टी.पी.) में;
- (ङ) प्राइवेट सेवा यान अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-52 (पी.एस.व्ही.पी.) में;
- (च) विशेष अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रलृप सी.जी.एम.व्ही.आर.-53 (एस.पी.) में;

- (g) in respect of a tourist vehicle permit in Form M.P.M.V.R.-54 (TVP);
 (h) in respect of a National Permit in Form M.P.M.V.R.-55 (GCNP).
- (2) Every permit shall be issued on such water paper as may be specified by the Transport Commissioner and shall be printed in form as specified in sub-rule (1) in different colours for different category of permits and shall be numbered in book serially.

74. Procedure on receipt of Permit Application and Manner of disposal thereof — (1) Where an application for the grant, renewal, countersignature or transfer of permit or for variation of any condition of permit or for replacement of vehicle is presented, it shall be marked with dated initial by an officer of the Transport Department.

(2) Every application presented and duly marked under sub-rule (1) shall be acknowledged in Form M.P.M.V.R.-56 (APA). Such application shall be entered serially in a register in Form M.P.M.V.R.-57 (Form RPA) and shall be presented before the Transport Authority for consideration.

(3) Transport Authority shall after considering the application, as per provisions of law, pass an appropriate order thereon and communicate.

1[(4) Subject to any general or special stay order, injunction or restriction issued by any court of law or tribunal, normally the application for permit shall be disposed off in the period mentioned below :-

S.No.	Particulars of application	Prescribed time for disposal of application from the date of submission thereof
(1)	(2)	(3)
(i)	Application for grant or Counter signature of Stage carriage permit in Form-CGMVR-42,	60 days
(ii)	Application for renewal or Counter signature of Stage carriage permit in Form-CGMVR-42,	60 days
(iii)	Application for grant or renewal of reserve Stage carriage permit in Form-CGMVR-42,	60 days
(iv)	Application for grant and renewal of Contract carriage permit in Form-CGMVR-43,	60 days
(v)	Application for goods carriage permit in Form-CGMVR-44,	15 days
(vi)	Application for private service vehicle/educational institution bus permit in Form-CGMVR-46,	15 days

1. Added by Notification No. 5-13/VII-Tr./2012, dated the 26 Sept., 2012 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-09-2012 Page 495-496(1-2).

- (३) पर्टिकल यान अनुज्ञा पत्र के संबंध में प्रस्प सी.जी.एम.वी.आर.-54 (टी.वी.पी.) में;
 (४) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रस्प सी.जी.एम.वी.आर.-55 (जी.सी.ए.पी.) में।
- (२) प्रत्येक अनुज्ञापत्र ऐसे कागज पर जारी होगा जैसा कि परिवहन अनुज्ञा द्वारा निहित विभा जायगा और उपनियम (१) में व्याख्यानिर्दिष्ट प्रस्प में बिन-भिन श्रेणी के अनुज्ञापत्रों को बिन-भिन रंग में छापा जायेगा तथा पुस्तक के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

74. अनुज्ञापत्र का आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया और उसके निपटारे की रीति— (१) जहाँ अनुज्ञापत्र, मजूर करने के लिए, नवीकरण किए जाने के लिए प्रतिहस्तान करने के लिए या अनुज्ञापत्र का अन्तरण करने या अनुज्ञापत्र की किसी शर्त में फेराकर करने के लिये या यान का प्रतिस्थान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है वहाँ परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा तारीख सहित अपने अद्याहर से बिनांकित किये जायें।

(२) उपनियम (१) के अधीन प्रस्तुत किया गया तथा सम्पूर्ण रूप से अंकित प्रत्येक आवेदन की सीद प्रस्प सी.जी.एम.वी.आर.-56 (ए.पी.ए.) में दी जायेगी। ऐसा आवेदन प्रस्प सी.जी.एम.वी.आर.-57 (प्रस्प आर.पी.ए.) के रजिस्टर में क्रमानुसार प्रविष्ट किया जायेगा तथा परिवहन प्राधिकारी के सामग्र विचारार्थ रखा जाएगा।

(३) परिवहन प्राधिकारी विधि के उपबंधों के अनुसार आवेदन पत्र विचार करने के पश्चात् उस पर समूचित अदेश पारित करेगा और संसूचित करेगा।

1[(४) किसी विधि न्यायालय अथवा अधिकारण के किसी सामान्य अथवा विशेष स्थगन अदेश, रोक अथवा प्रतिबंध के अध्यधीन रहते हुए सामान्य रूप से अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन का नीचे दी गई अवधि में निपटारा किया जायेगा:-

संक्र.	आवेदन का विवरण	आवेदन के प्रस्तुत करने की तिथि से उसके निपटारा करने के लिए विहित समय
(1)	(2)	(3)
(एक)	प्रस्प-सी.जी.एम.वी.आर.-42 में प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के स्वीकृति अथवा प्रति हस्ताक्षर के लिए आवेदन	60 दिवस
(दो)	प्रस्प-सी.जी.एम.वी.आर.-42 में प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण अथवा प्रति हस्ताक्षर के लिए आवेदन	60 दिवस
(तीन)	प्रस्प-सी.जी.एम.वी.आर.-42 में प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के स्वीकृति अथवा नवीनीकरण का आवेदन	60 दिवस
(चार)	प्रस्प-सी.जी.एम.वी.आर.-43 में सांविदा वाहन अनुज्ञापत्र के स्वीकृति अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन,	60 दिवस
(पांच)	प्रस्प-सी.जी.एम.वी.आर.-44 में माल वाहन अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन,	15 दिवस
(छ)	प्रस्प-सी.जी.एम.वी.आर.-46 में निजी सेवा यान/शैक्षणिक संस्था की बस के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन	15 दिवस

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-13/आठ-पी/2012, दिनांक 26 सितंबर 2012 द्वारा जोड़ा गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26-09-2012 को पृष्ठ 495-496(1) पर प्रकाशित।

(vii)	Application for special permit in Form-CGMVR-47,	07 days
(viii)	Application for national permit for goods vehicle in Form-CGMVR-55,	15 days
(ix)	Application for tourist vehicle permit in Form-45 of CMV, Rules,	60 days
(x)	Application for temporary permit under Section 87(1)(a) of MV act, in Form-CGMVR-45,	07 days
(xi)	Application for temporary permit under Section 87(1)(b) of MV act, in Form-CGMVR-45,	07 days
(xii)	Application for temporary permit under Section 87(1)(c) of MV act, in Form-CGMVR-45,	30 days
(xiii)	Application for temporary permit under Section 87(1)(d) of MV act, in Form-CGMVR-45,	07 days
(xiv)	Application for replacement of vehicle on Substantive permit/Temporary permit,	15 days
(xv)	Application for transfer of regular permit after the death of permit holder,	60 days
(xvi)	Application for transfer of regular permit in other cases,	60 days
(xvii)	Application for variation of any condition of permit or change of timing,	30 days
(xviii)	Application for issuing of licence as an agent or a canvasser, in the sale of tickets for travel by public service vehicle or in otherwise soliciting customers for such vehicles under section 93(1)(i) M.V. Act,	45 days
(xix)	Application for issuing of licence as an agent in the business of collecting, forwarding or distributing goods carried by goods carriage, under Section 93(1)(ii) of M.V. Act,	60 days]

75. Entry of Registration Mark on Permit — No permit shall be issued until the registration mark of the vehicle to which it relates, has been entered therein and in the event of the applicant failing to produce the certificate of registration within the specified period, the Transport Authority may revoke its sanction regarding the grant of permit.

(सात)	प्रश्न-सीजीएमवीआर-47 में विशेष अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन,	07 दिवस
(आठ)	प्रश्न-सीजीएमवीआर-55 में माल वाहन के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन	15 दिवस
(नौ)	केन्द्रीय मोटर वाहन क्रमांक 45 में पर्वतीक वाहन अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन	60 दिवस
(दस)	प्रश्न-सीजीएमवीआर-45 में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 87(1)(क) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन	07 दिवस
(चारह)	प्रश्न-सीजीएमवीआर-45 में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 87(1)(ख) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन	07 दिवस
(वारह)	प्रश्न-सीजीएमवीआर-45 में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 87(1)(ग) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन	30 दिवस
(तौरह)	प्रश्न-सीजीएमवीआर-45 में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 87(1)(घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन	07 दिवस
(चौदह)	मूल अनुज्ञापत्र/अस्थायी अनुज्ञापत्र पर वाहन के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन,	15 दिवस
(फ़िरह)	अनुज्ञापत्राधीनी की मृत्यु पर चार नियमित अनुज्ञापत्र के अन्तराण के लिए आवेदन	60 दिवस
(सोलह)	अन्य प्रकारणों में नियमित अनुज्ञापत्र के अन्तराण के लिए आवेदन	60 दिवस
(सत्रह)	अनुज्ञापत्र की किसी शर्त में परिवर्तन अथवा समय-चक्र परिवर्तन के लिए आवेदन	30 दिवस
(अद्धारह)	मोटरवाहन अधिनियम की धारा 93(1)(i) के अधीन सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्री के लिए टिकटों के विक्रय में अधिकता या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिए ग्राहकों की अन्य रूप में याचना करने हेतु अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन	45 दिवस
(उन्नीस)	मोटरवाहन अधिनियम की धारा 93(1)(ii) के अधीन माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रिमत या वितरण करने के कावार में अधिकता के रूप में अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन	60 दिवस

75. अनुज्ञापत्र पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रविष्टि — कोई भी अनुज्ञापत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि उस यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, जिससे कि वह संबंधित है, उसमें प्रविष्ट न कर दिया जाये और किसी आवेदक द्वारा चिनिर्दिष्ट कालावधि के भी तर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पेश करने में असफल रहने की दशा में परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र मंजूर करने के संबंध में अपनी मंजूरी प्रतिसंदेश कर सकेगा।

76. Extension of Area of Permit — (1) A stage carriage permit granted by the Regional Transport Authority of one region of the State shall be valid in the other region of Chhattisgarh, without countersignature if the total distance of the route in such other region or regions are not more than twenty five kilometers, and where the distance of route in other region or regions is more than twenty five kilometers, the permit holder shall file an application alongwith prescribed documents and prescribed fee for the countersignature of permit in the office of the Secretary of Regional Transport Authority of that other region, within 30 days of the issue of permit by the granting Authority.

(2) A Regional Transport Authority of one region may extend the effect of the permit in respect of a motor cab or a Private Service vehicle in any other region within the State without counter signature by the other authority and may attach or vary the conditions to the permit to be effective in such other region.

(3) The Transport Authority which issued a permit to be operative in any other region shall send a copy of the permit to the Transport Authority of the other Region.

(4) The State Government may, if it considers necessary in the interest of the development of the area lying or near the border of the State, exempt all or any specified class of transport vehicles of the Bordering State from the necessity of counter signature of permit by the Transport Authority of the State provided similar facilities are extended by the other State in its area to the Transport Vehicles of Chhattisgarh.

77. Additional conditions in respect of certain Permits — (1) In addition to the conditions prescribed in sub-section (2) of section 72, the Regional Transport Authority or State Transport Authority granting a stage carriage permit may attach any of the following conditions, namely—

- (i) that the permit holder, shall not use the stage carriage in a public place for the purpose of carrying or intending to carry passengers unless it carries in addition to the driver, a conductor who holds an effective Conductor's Licence issued under Chapter III of the Act;
- (ii) that there shall be exhibited on the vehicle adequate particulars indicating to the public the place to which and the route by which the vehicle is proceeding;
- (iii) that the service shall be regularly operated on the specified route in accordance with the approved time table except—
 - (a) When prevented by accident, unmotorability of the route, or any unavoidable cause; and
 - (b) When otherwise authorised in writing by the Regional Transport Authority.

1[(1-A)] It shall be condition of every stage carriage permit or contract of carriage permit that the said permit shall not be kept in non use for more than two months at a time and during the validity of said permit, the total duration of such non use shall not be more than eight months. Due to technical break down or accident of vehicle, if the permit is kept in non use for more than two months or for other

I. Inserted by Notification No. F 5-1/II/VIII-Tr./09 dated 30-1-2009 Page 118.

76. अनुज्ञापत्र के क्षेत्र का विस्तार — (1) राज्य के एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया गया मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र छत्तीसगढ़ के किसी अन्य प्रदेश में बिना प्रतिहस्ताक्षर के वैध रहेगा, यदि ऐसे प्रदेश या प्रदेशों में मार्ग की कुल दूरी 25 किलोमीटर से अधिक नहीं है और जहाँ अन्य प्रदेश या प्रदेशों में सवित्र के कार्यालय में अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के लिये आवेदन विहित दस्तावेजों तथा विहित फीस के साथ मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र जारी करने के तीस दिन के भीतर फाइल करेगा।

(2) एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी राज्य के भीतर किसी भी अन्य प्रदेश के लिए मोटर या प्राइवेट सेवा यान के अनुज्ञापत्र का विस्तार बढ़ा सकता तथा अन्य प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना किसी ऐसे प्रदेश में प्रभावित हो सकते वाली शर्तें संलग्न कर सकता तथा ऐसे अन्य प्रदेशों के लिए अनुज्ञापत्र की शर्तों में केरफार कर सकता है।

(3) ऐसा परिवहन प्राधिकारी जिसने किसी अन्य प्रदेश में प्रवर्तित होने वाला अनुज्ञापत्र जारी किया हो अन्य प्रदेश के परिवहन प्राधिकारी को अनुज्ञापत्र की एक प्रति भेजेगा।

(4) राज्य सरकार यदि यह विचार करे कि राज्य की सीमा पर या उसके समीक्षा पड़ने वाले क्षेत्र के विकास के हित में यह आवश्यक है तो सीमावर्ती राज्य के समस्त या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के परिवहन यानों को अनुज्ञापत्र के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता से छूट दे सकती है। परन्तु यह तब जब कि छत्तीसगढ़ के परिवहन यानों को अन्य राज्य द्वारा उसके क्षेत्र में उसी प्रकार की सुविधाएँ दी गयी हों।

77. करिपय अनुज्ञापत्रों के संबंध में अतिरिक्त शर्तें — (1) धारा 72 की उपधारा (2) में विहित शर्तों के अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या राज्य परिवहन प्राधिकारी मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र मंजूर करते हुए निम्न शर्तों में से कोई शर्त लगा सकता है, अर्थात्—

(एक) यह कि अनुज्ञापत्र धारक किसी सार्वजनिक स्थान पर यात्रियों को ढोने के लिए या ढोने के आशय से मंजिली गाड़ी का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसमें चालक के अतिरिक्त ऐसा परिचालक जो अधिनियम के अध्याय-3 के अधीन जारी किये गये प्रभावशील परिचालक अनुज्ञानी धारण न करता हो;

(दो) यह कि यान पर जनता की जानकारी के लिए पर्यावरण विधियाँ प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें यान किस स्थान के लिए तथा किस मार्ग से चल रहा है, दृश्याया जावेगा;

(तीन) यह कि सेवा का प्रचालन निम्न परिस्थितियों के सिवाय नियमित रूप से विनिर्दिष्ट मार्ग पर अनुमोदित समय सारणी के अनुसार किया जावेगा—

(क) जब दुर्घटना के कारण मार्ग मोटर चलाने योग्य न हो या किसी अपरिहार्य कारण से अवरुद्ध हो; और

(ख) जब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा विहित में अन्यथा प्राधिकृत किया गया हो।

1[(1-क)] प्रत्येक मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र अथवा ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र, की यह शर्त होगी कि उस अनुज्ञा-पत्र, किसी एक समय में दो माह से अधिक के लिए निष्योग में नहीं रखा जावेगा, तथा उस अनुज्ञा-पत्र की वैधता के दोरान ऐसे निष्योग की कुल अवधि आठ माह से अधिक नहीं होगी। यदि वाहन में तकनीकी खराबी अथवा दुर्घटनाप्रस्त होने के कारण, अनुज्ञा-पत्र दो माह से अधिक के लिए निष्योग में रखा जाता है,

1. अधिसूचना क्रमांक एक 5-1/शे/आठ-परि./09 दिनांक 15 जनवरी, 2009 द्वारा उपनियम 1-का अंतस्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 30 जनवरी 2009 को पृष्ठ 118 पर प्रकाशित।

reasons, if the vehicle of the permit is not operated for more than two months then the permit-holder shall have to replace the vehicle of same specifications or the permit shall be surrendered for cancellation before the authority granting the permit.

(2) A permit in respect of a public service vehicle may be subject to the conditions that its holder shall, make provision on such vehicle for the conveyance of a reasonable quantity of passengers luggage with efficient means for securing it and protecting it against rain.

(3) A permit in respect of a good carriage may be subject to one or more of the following conditions—

- that the vehicle shall not be used for the conveyance of any class or description of goods in contravention of any law or any rule or order made thereunder prohibition for regulating the import, export, or transport of such goods;
- that the number of persons to be carried in the vehicle shall not exceed the number which may be specified in the permit;
- that no goods shall be picked up or set down between any two points lying wholly within the countersigning state.

(4) It shall be a condition of every permit that taxes shall be paid in respect of the vehicle in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Motor Yan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) and the rules made thereunder. When the Transport Authority has suspended a permit for non-payment of tax the order of suspension shall be in force as long as the tax remains unpaid and shall become inoperative immediately on payment of the tax due on the vehicle.

78. Carriage of goods on Stage Carriages—(1) Subject to the provisions of rule 80, luggage may be carried on the roof of a stage carriage or in the boot, locker or compartment set aside for the purpose but where it is so carried on a roof, adequate protection in the form of a guard rail and water proof cover shall be provided.

(2) No luggage shall be carried in any stage carriage in such a way as to block any entrance or exit.

(3) No goods shall be carried on the top deck of a double decked stage carriage.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (3) and rule 81, goods may be carried in a stage carriage at any time in accordance with the conditions specified in the permit, provided that obligation of the holder to carry passengers in accordance with the terms of the permit is discharged.

(5) Where goods are carried in a stage carriage in addition to passengers, the goods shall be of such a nature and shall be so packed and secured on the vehicle that no danger, inconvenience or discomfort is caused to any passenger and that the access to the entrance and exit from the vehicle remain unobstructed.

(6) The weight in kilograms of goods carried in a stage carriage shall not exceed $(R-P) \times 75$, where in relation to a single-decked stage carriage or to the lower deck of a double decked stage carriage.

Explanation—R is the registered passenger seating capacity of the vehicle and P is the number of passengers actually carried on the vehicle.

अथवा अन्य कारणों से, अनुज्ञापत्र से आच्छादित वाहन दो माह से अधिक के लिए संचालित नहीं है, तो अनुज्ञापत्रधारी को समान विशेषितों को वाहन से प्रतिस्थापन करना होगा, या अनुज्ञापत्र को निरस्तीकरण हेतु अनुज्ञा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के समक्ष समर्पित करना होगा।

(2) लोक सेवा यान के संबंध में अनुज्ञापत्र इस शर्त के अधीन होगा कि उसका धारक ऐसे यान पर यात्रियों का सामान समुचित मात्रा में ले जाने के लिए उसे सुरक्षित रखने तथा वर्ग से बचाने के लिए उसमें व्यवस्था करेगा।

(3) माल यान से संबंधित अनुज्ञापत्र नियमित शर्तों में से एक या अनेक शर्तों के अधीन होगा—

(एक) यह कि किसी ऐसे वर्ग वा विवरण का माल ले जाने के लिए, जो किसी विधि या किसी नियम या उसके अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में माल के आयात, निर्यात या परिवहन को विनियमित करने के लिए प्रतिबंधित करता हो, यान का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(दो) यह कि यान में ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी;

(तीन) यह कि कोई भी माल प्रतिहस्ताक्षर करने वाले गज्ज में पूर्ण रूप से स्थित किसी दो विन्दुओं के बीच में चढ़ाया या उतारा नहीं जायेगा।

(4) प्रत्येक अनुज्ञापत्र में यह शर्त होगी कि कर छत्तीसगढ़ मोटरयान करायान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपर्योग के अनुसार यान के संबंध में कर संदर्भ किए जाएंगे। जब परिवहन प्राधिकारी द्वारा कर का संदाय न करने के कारण अनुज्ञापत्र का निलम्बन किया जायेगा तो ऐसे निलम्बन का आदेश उस समय तक प्रवृत्त होगा जब कि कर अनदत बना रहे और यान पर बकाया कर का संदाय होने पर तकाल अप्रवर्तीय होगा।

78. मंजिली गाड़ी पर माल का ले जाया जाना—(1) नियम 80 के उपबन्धों के अधीन रहे हुए माल को मंजिली गाड़ी की छत पर उस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गये फूट, लाकर या कम्पार्टमेंट में ले जाया जा सकेगा, परन्तु जहाँ उसे छत पर ले जाये वहाँ संरक्षक जंगला (गार्डरेल) और जलतोधी आवरण के रूप में पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

(2) किसी भी मंजिली गाड़ी में माल इस प्रकार नहीं ले जाया जायेगा जिससे कि प्रवेश मार्ग या निर्गम मार्ग में कोई रुकावट आवृत्ति हो।

(3) दो तल वाली मंजिली गाड़ी के अंदर मंजिल पर कोई माल नहीं ले जाया जायेगा।

(4) उपनियम (3) तथा नियम 81 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किसी भी समय मंजिली गाड़ी में माल ले जाया जा सकेगा:

परन्तु यह तब जबकि धारक द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार यात्रियों को ले जाने से संबंधित अपील वायरता का निर्वहन किया गया है।

(5) जहाँ मंजिली गाड़ी में यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाये वहाँ माल इस प्रकार का होगा और उसे इस प्रकार पैक किया जाविए और यान पर इस प्रकार सुरक्षित रूप से रखा जायेगा कि जिससे किसी भी यात्री को कोई खतरा, असुविधा या त्रास न हो तथा प्रवेश द्वारा और निर्गम द्वारा की पहुँच तक कोई बाधा नहीं हो।

(6) जहाँ एक तल वाली मंजिली गाड़ी या दो तल वाली मंजिली गाड़ी के निचले तल का संबंध है किसी मंजिली गाड़ी में ले जाये जाने वाले माल का वजन (आर-पी) $\times 75$ किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—“आर” यान की रजिस्ट्रीकृत यात्रियों के बैठने की क्षमता है और “पी” यान पर ले जाये जाने वाले यात्रियों की वास्तविक संख्या है।

79. Carriage of goods on Contract Carriage prohibited — The Regional Transport Authority shall not authorise the use of a contract carriage for the carriage of goods save for—

- Special reasons on particular occasions and subject to condition and restriction to be specified on the permit; or
- the carriage of the personal, office or household effects of a hirer if so authorised in the permit but not the carriage of general merchandise.

80. Carriage of personal luggage in Stage Carriage — Except in the case of stage carriage services operated exclusively within municipal areas, a passenger in a stage carriage shall be entitled to carry free of charge not more than fifteen kilograms of luggage and personal effects.

81. Carriage of animals in Goods Carriage — (1) No cattle shall be carried in a goods carriage in a public place unless—

- In the case of goats, sheep, dears, or pigs, a minimum floor space of one square meter per five heads of such cattle is provided in the vehicle;
- In the case of any other cattle—
 - a minimum floor space of 2×1 meter per head of cattle and half of such floor space for young weaned one of cattle is provided in the vehicle;
 - the load body of the vehicle is constructed of strong wooden planks or of iron sheets with a minimum height of one and one half meter measured from the floor of the vehicle on all sides;
 - Floor battens are provided to prevent slipping of hoofs;
 - every projection likely to cause suffering to an animal is removed; and
 - the cattle are properly secured by ropes tied to the sides of the vehicle.

Explanation — ‘CATTLE’ for the purpose of this sub-rule includes goats, sheep, buffaloes, bulls, oxen, cows, dears, horses, ponies, mules, asses, pigs or the young ones thereof.

(2) No animal belonging to or intended for a circus, manageric or zoo shall be carried in goods vehicle in a public place unless—

- in the case of wild or ferocious animal, a suitable cage of sufficient strength to contain the animal securely at all times, either separate from or integral with the load body of the Vehicle is provided; and
- reasonable floor place for each animal is provided in the vehicle.

(3) No goods vehicle when carrying any cattle under sub-rule (1) or any animal under sub-rule (2) shall be driven at a speed in excess of forty kilometers per hour.

82. Renewal of Permits — (1) Application for the renewal of permit shall be made in the form prescribed under sub-rule (1) of rule 72 to the Transport Authority by which the permit was issued. The application shall be accompanied by the fee as specified in rule 145.

79. टेका गाड़ी पर माल से जाए जाने का प्रतिवेद्य — प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी माल से जाए जाने के लिये किसी टेका गाड़ी का उपयोग निम्नलिखित स्थिति के सिवाय प्राधिकृत नहीं करेगा—

- विशिष्ट अवसरों पर विशेष कारणों तथा अनुज्ञापत्र में विभिन्न शर्तों और निर्बन्धों के अधीन; या
- यदि अनुज्ञापत्र में, यान को भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक, कार्यालयीन या धरेल चीज वस्तु का ले जाया जाना इस प्रकार से प्राधिकृत किया गया हो किन्तु सामान्य व्यापारिक माल का ले जाया जाना प्राधिकृत नहीं किया जायेगा।

80. मंजिली गाड़ी में व्यक्तिगत सामान का ले जाया जाना — नगरपालिक क्षेत्रों के भीतर अन्य रूप से प्रचलित की जाने वाली मंजिली गाड़ी सेवा के अधीनित मंजिली गाड़ी का यात्री पन्ह किलोग्राम से अधिक सामान और व्यक्तिगत चीज वस्तु, निःशुल्क ले जाने के लिए हकदार होगा।

81. मालयानों में पशुओं का ले जाया जाना — (1) किसी भी पशु को सार्वजनिक स्थान में मालयान में तब तक नहीं लाया, ले जाया जायेगा जब तक कि—

- बकरी, भेड़, हिरण या सुअर के मामले में यान में ऐसे पशु के प्रति पांच नग के लिए न्यूनतम एक वर्गमीटर फर्श स्थान की व्यवस्था न कर दी गई हो;

- किसी अन्य पशु के मामले में—

(क) यान में ऐसे पशु के प्रति नग के लिए न्यूनतम फर्श स्थान 2×1 मीटर और ऐसे पशु के एक शावक के लिए जिसने दूध पीना बंद कर दिया हो ऐसे फर्श स्थान के आधे फर्श स्थान की व्यवस्था न कर दी गई हो;

(ख) यान का माल रखने का स्थान सभी दिशाओं में यान के तल से कम से कम ढोड़ मीटर ऊँचाई तक मजबूत लकड़ी के फलकों या लोहे की चारों से सिरा हुआ न हो;

(ग) खुर फिसलने से बचने के लिए एक फर्श पट्टियों की व्यवस्था न कर दी गई हो;

(घ) बाहर निकले हुए ऐसे प्रत्येक भाग को जिसके कारण पशु को छोट मूँहचने की संभावना हो, हटा न दिया गया हो; और

(ङ) यान के चारों ओर रस्सियाँ बांधकर पशुओं को उचित तौर पर सुक्षित न कर लिया गया हो।

स्पष्टीकरण — इस उपनियम के प्रयोजन के लिए “पशु” में बकरियाँ, भेड़, भेस, सांड, बैल, गाय, हिरण, घोड़े, टट्टा, खच्चा, गधे, सुअर और उनके शावक सम्मिलित हैं।

(2) सर्कस, मैनेजरिक या चिड़ियाघर से संबंधित या इनके लिये आवश्यक किसी भी पशु को सार्वजनिक स्थान में मालयान में तब तक नहीं लाया, ले जाया जायेगा जब तक कि—

- बन्य या हिस्क जानवरों के मामले में, यान में माल रखने के स्थान से अलग या उसके भीतर ऐसे पर्याप्त मजबूत कटघरे की व्यवस्था न कर दी गई हो, जिसमें कि जानवर को हार समय सुरक्षित रखा जा सके, और

- यान में प्रत्येक जानवर के लिए युक्तियुक्त फर्श स्थान की व्यवस्था न कर दी हो।

(3) उपनियम (1) के अधीन किसी पशु को या उपनियम (2) के अधीन किसी जानवर को लाते, ले जाते समय किसी भी मालयान की गति चालीस किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक नहीं होगी।

82. अनुज्ञापत्रों का नवीकरण — (1) अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए नियम 72 के उपनियम (1) के अधीन विहित किए गए प्ररूप में आवेदन उस परिवहन प्राधिकारी को किया जावेगा जिसने अनुज्ञापत्र

जारी किया था। आवेदन के साथ नियम 145 में विभिन्न फीस संलग्न की जायेगी।

(2) The Transport Authority renewing a permit shall call upon the holder to produce the permit and shall return the same after endorsement.

(3) On or after the commencement of this rule, permits relating to service of stage carriages or casual contract carriages issued before the commencement of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) in Form P. St.s and Form P. Co.s respectively, shall, on renewal of such permits be issued in Form M.P.M.V.R.-48 (SCP), as the case may be.

(4) The permits granted or renewed during the period between the date of coming into force of the Motor Vehicles Act, 1988 and the date of commencement of these rules, and issued in Form P. St. S or P. Co. S as the case may be shall be, converted and issued in Form M.P.M.V.R.-48 (SCP) or Form M.P.M.V.R.-49 (CCP) respectively, after giving a notice to the permit holder in Form M.P.M.V.R.-57-a (NCFP) and after giving him an opportunity of being heard.

83. Renewal of Counter Signature of Permits — (1) Application for the renewal of counter signature of a permit shall be made in the form prescribed under sub-rule (1) of rule 72 to the Transport Authority concerned and shall be accompanied by a copy of the permit and application fee as specified in rule 145.

(2) The Transport Authority granting the renewal or a counter signature shall call upon the holder to produce the original permit, and shall return the same after endorsement.

84. Replacement of Vehicle authorised by Permit — (1) If the holder of a permit desires at any time to replace any vehicle covered by the permit by another vehicle, he shall forward the permit or the temporary permit, as the case may be, and apply in Form M.P.M.V.R.-56 (MV Rep. A) to the Transport Authority by which the permit was granted stating the reasons why the replacement is desired and shall also simultaneously—

- (i) if the another vehicle is in his possession, forward the certificate of registration of that vehicle; or
- (ii) if the another vehicle is not in his possession, state the particulars including the model, make and seating capacity of the vehicle proposed to be replaced; and
- (iii) shall pay the fee as specified in rule 145.

(2) On receipt of an application under sub-rule (1) the Transport Authority may reject the application—

- (i) If the another vehicle proposed for replacement differs in material particulars from the existing vehicle, and
- (ii) If there are arrears of tax in respect of the existing vehicle.

(3) If the Transport Authority grants an application for replacement of a vehicle under this rule, it shall call upon the holder of the permit to produce the permit and the certificate of registration of the new vehicle, if not already delivered to it and the Secretary of the Transport Authority shall endorse the permit accordingly under his signature and seal and return it to the holder.

(2) अनुज्ञापत्र का नवीकरण करने वाला परिवहन प्राधिकारी धारक को अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करने के लिए बहेगा और नवीकरण के पृष्ठांकन के पश्चात् उसे वारिस करेगा।

(3) इन नियमों के प्रांभ होने पर या पश्चात् में मंजिली गाड़ियों या आकस्मिक ट्रेक गाड़ियों की सेवा से संबंधित अनुज्ञापत्र के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के प्रांभ होने के पूर्व क्रमाः प्रल. पी.एस.टी.एस. तथा प्रल. पी.सी.ओ.एस. में जारी किए गए अनुज्ञापत्र ऐसे अनुज्ञापत्रों के नवीकरण होने पर यात्रास्थिति, प्रल. सी.जी.एम.व्ही.आर.-48 (एस.सी.पी.) या प्रल. सी.जी.एम.व्ही.आर.-49 (सी.सी.पी.) में जारी किए जाएंगे।

(4) मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रवृत्त होने की तारीख तथा इन नियमों के प्रांभ होने की तारीख के पश्च एकावधि के द्वारा न दिए गए या या नवीकरण किए गए और यात्रास्थिति, प्रल. पी.एस.टी.एस. या पी.सी.ओ.एस. में जारी किए गये अनुज्ञापत्र प्रल. सी.जी.एम.व्ही.आर.-57 - ए (एस.सी.एफ.पी.) में अनुज्ञापत्र धारक को सूचना देने के पश्चात् तथा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् क्रमाः प्रल. सी.जी.एम.व्ही.आर.-48 (एस.सी.पी.) या सी.जी.एम.व्ही.आर.-49 (सी.सी.पी.) में संपरिवर्तित किये जाएंगे तथा जारी किए जाएंगे।

83. अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण — (1) अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण करने के लिए आवेदन संबंधित परिवहन प्राधिकारी को नियम 72 के अधीन विहित किये गये प्रल. में किया जाएगा तथा नियम 145 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञापत्र की प्रति तथा आवेदन फीस के साथ संलग्न होगा।

(2) प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण मंजूर करने वाला परिवहन प्राधिकारी धारक से पूर्ण अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करने के लिये धारक को बुलायेगा और पृष्ठांकन के पश्चात् उसे लौटा देगा।

84. अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत यान का बदला जाना — (1) यदि अनुज्ञापत्र का धारक किसी यान से संबंधित अनुज्ञापत्र के अतार्पत्ति आवेदन संबंधित अनुज्ञापत्र अप्रेषित करेगा और वह परिवहन प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र दिया गया था, प्रल. सी.जी.एम.व्ही.आर.-56 संबंधित परिवर्तन के कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन करेगा और साथ ही—

(एक) यदि अन्य यान उसके कब्जे में है तो उस यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भी अप्रेषित करेगा; या

(दो) यदि अन्य यान उसके कब्जे में नहीं है तो वह बदले जाने वाले प्रस्तावित, यान का मौडल, चेक तथा बैठक क्षमता को सम्मिलित करते हुए विशिष्टियों का विवरण भी देगा; तथा

(तीन) नियम 145 में यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर परिवहन प्राधिकारी आवेदन को नामंजूर करके—

(एक) यदि बदलने के लिए प्रस्तावित अन्य यान सारावान विशिष्टियों में विद्यमान यान से भिन्न है; और

(दो) यदि विद्यमान यान के संबंध में करों का बकाया है।

(3) यदि परिवहन प्राधिकारी इस नियम के अधीन किसी यान को बदलने के लिए आवेदन मंजूर करता है तो वह अनुज्ञापत्र के धारक को अनुज्ञापत्र और नये यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यदि वह पहले परिदृश्य नहीं किया गया हो, प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा तथा परिवहन प्राधिकारी का सचिव तदनुसार अनुज्ञापत्र का पृष्ठांकन अपने हस्ताक्षर और मोहर लगाकर करेगा और उसे धारक को लौटा देगा।

85. Validation of Replacement Order in respect of Counter Signature on Permit — (1) The Transport Authority granting permission for the replacement of a vehicle under rule 84 shall, unless the counter signing authority by general or special resolution otherwise, directed, endorse on the correction made on the permit the words valid also for, inserting the name of the countersigning authority and shall intimate the fact and particular of the replacement to the said authority.

(2) Unless the permit has been endorsed as provided in sub-rule (1) or unless the replacement has been approved by endorsement by the counter signing authority concerned, the counter signature on a permit shall not be valid in respect of any new vehicle.

86. Procedure on cancellation or suspension of Permit — (1) The holder of a permit may at any time surrender the permit for cancellation to the Transport Authority by which it was granted and the Transport Authority shall forthwith cancel any permit so surrendered.

(2) Where a authority suspends or cancels any permit under section 86 —

- the holder shall surrender the permit immediately after the suspension or cancellation takes effect;
- the Transport Authority suspending or cancelling the permit shall send intimation to the authority by which the permit was counter signed, and to such Transport Authority in whose area the validity has been extended under Rule 76.

87. Permit - transfer of — (1) When the holder of permit desires to transfer the permit to some other person under sub-section (1) of section 82 shall together with the person to whom he desired to make the transfer make a joint application, in Form M.P.M.V.R.-59 (Tr.P.A.) along with the fee specified in rule 145 to the Transport Authority by which the permit was issued stating the reasons for the proposed transfer.

(2) On receipt of an application under sub-rule (1) the Transport Authority may require the holder to file an affidavit stating whether any premium, payment or other consideration arising out of the transfer, is to pass or has passed between them and the nature and amount of any such premium, payment or other consideration.

(3) Without prejudice to any other penalty to which the parties may be liable, any transfer of a permit ordered, upon such an application which the Transport Authority is subsequently satisfied was false in respect of the matter specified in sub-rule (2) or in respect of any other material particulars, shall be void.

(4) The State/Regional Transport Authority may summon both the parties to the application to appear before it and may, if it deems fit, deal with the application as if it is an application for a permit.

(5) If the Transport Authority decides to transfer the permit, it shall call upon the holder to surrender the permit and shall cancel the particulars of holder thereon and endorse particulars of the transferee and shall return the permit to the transferee.

(6) The Transport Authority making a transfer of a permit as aforesaid may, unless any other Transport Authority by which the permit has been counter-signed

85. अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के संबंध में प्रतिस्थापन आदेश का नियम-मान्यकारण — (1) नियम 84 के अधीन यान बदले जाने की अनुज्ञा संकेत करने वाला प्राधिकारी, वह तक कि प्रतिहस्ताक्षर होने वाले प्राधिकारी को सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा अपना नियम न किया गया हो तब तक अनुज्ञापत्र पर लिखे गये सुधारों को प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का नाम अन्य स्थानित करते हुए शब्द “..... के लिए भी विधानान्य” पृष्ठांकित करेगा और उक्त प्राधिकारी को प्रतिस्थापन का तथा तथा विशिष्टियाँ प्राप्तित होता।

(2) उपनियम (1) में उपर्युक्त किये गये अनुसाम वह तक अनुज्ञापत्र पृष्ठांकित नहीं किया जाता है या वह तक प्रतिहस्ताक्षर करने वाले संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिस्थापन का अनुभावन पृष्ठांक द्वारा न किया गया हो, तब तक किसी भी नये यान के संबंध में अनुज्ञापत्र पर प्रक्रिया — (1) अनुज्ञापत्र का धारक किसी भी समय उस परिवहन प्राधिकारी को जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र दिया गया था, अनुज्ञापत्र द्वारा करने के लिए अध्यार्थकर संकेता और परिवहन प्राधिकारी इस प्रकार अन्यायित किए गये अनुज्ञापत्र को तुरंत हट करेगा।

(2) जहाँ कोई प्राधिकारी किसी अनुज्ञापत्र को पारा 86 के अधीन निलंबित या हट करे तो —

- धारक निलंबन या दूक्षण प्रवृत्त होने के तुरंत परचात् अनुज्ञापत्र का अध्यार्थकर
- अनुज्ञापत्र को निलंबित या हट करने वाला परिवहन प्राधिकारी उस प्राधिकारी को जिसमें अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर किये थे तथा ऐसे परिवहन प्राधिकारी को जिसके क्षेत्र में नियम 76 के अधीन विधानान्य विस्तारित की गई हो, प्रज्ञापना भेजेगा।

87. अनुज्ञापत्र का अन्तरण — (1) जब अनुज्ञापत्र का धारक पारा 82 की उपारा (1) के अधीन अनें अनुज्ञापत्र को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करना चाहे तो वह उस व्यक्ति के साथ जिसको कि वह अनुज्ञापत्र का अन्तरण करना चाहता हो, उस परिवहन प्राधिकारी को, जिसमें अनुज्ञापत्र जारी किया था प्रस्तावित अंतरण के कारणों का कथन करते हुए नियम 145 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ भी.जी.ए.ए.व्ही.आर.-59 (टी.आर.पी.ए.) में संयुक्त आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर वह परिवहन प्राधिकारी धारक से एक शापथ-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा यह कथन करते हुए कर सकता कि किया अन्तरण से उद्घृत होने वाला कोई प्रीपियम, संदाय या अन्य प्रतिफल उनके बीच तथा होने वाला है और ऐसे किसी प्रीपियम, संदाय या ऐसे किसी प्रतिफल का स्वरूप क्या है और उसकी क्रम कितनी है।

(3) ऐसी किसी अन्य शास्ति पर, जिसके लिए प्रकार दायी हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले जिन किसी ऐसे आवेदन पर किया गया अनुज्ञापत्र का अन्तरण जिसके संबंध में परिवहन प्राधिकारी का तत्पत्तात् यह समाधान हो जाता है कि वह उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में या किसी अन्य सावान विशिष्टियों के संबंध में गत तारा याये तो ऐसा अन्तरण शून्य हो जायेगा।

(4) राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी आवेदन करने वाले दोनों पक्षकारों को अपने समक्ष उपसंजात करने के लिये समन कर सकता और यदि वह उचित समझे तो उस आवेदन के संबंध में इस प्रकार कार्यवाही कर सकता जाना कि वह अनुज्ञापत्र के लिए किया गया आवेदन है।

(5) यदि परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र को अन्तरण करने का विनिरचय करता है तो वह अनुज्ञापत्र के धारक को अनुज्ञापत्र अध्यार्थकर करने को कहेगा और उस पर धारक की विशिष्टियों हट करे गया तथा अन्तरिती की विशिष्टियाँ पृष्ठांकित करेगा और अन्तरिती को अनुज्ञापत्र लौटा देगा।

(6) जब तक किसी अन्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जिसने अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर किये हो, सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाये, तब तक अनुज्ञापत्र का यथा पूर्वोक्त अंतरण करने वाला

has, by general or special resolution otherwise directed endorsed the permit with the words "transfer of permit valid for.....," inserting the name of the authority by which the permit has been counter-signed with effect from the date of transfer.

(7) Unless the permit has been endorsed as provided in sub-rule (6) or unless the transfer of the permit has been approved by endorsement by the authority which counter-signed the permit, the counter-signature on a permit shall not be valid after the date of transfer.

88. Issue of Duplicate Permits — (1) If a permit is lost or destroyed the holder shall forthwith intimate the fact to the Transport Authority by which the permit was issued along with the fee specified in rule 145.

(2) The Transport Authority, shall upon receipt of an application in accordance with sub-rule (1) issue a duplicate permit and to the extent that it is able to verify the facts may also endorse the fact of countersignature by other authority and intimate the fact to that Authority.

(3) A duplicate permit issued under this rule shall be clearly stamped duplicate in red ink.

(4) Where a permit has become dirty, torn or otherwise so defaced that in the opinion of Transport Authority it is illegible, the holder thereof shall surrender the permit to the Transport Authority and apply for the issue of a duplicate permit in accordance with this rule.

(5) Where a duplicate permit has been issued upon representation that a permit has been lost and the original permit is afterwards found or received by the holder, the holder shall immediately return the duplicate permit to the Transport Authority.

(6) Any other person finding a permit shall deliver it to the nearest police station or to the Transport Authority. The Officer incharge of the Police Station on receipt of the permit, shall immediately forward it to the Transport Authority. The Transport Authority shall restore the permit in case duplicate permit has not been issued and shall substitute it for the duplicate, if a duplicate has been issued.

89. Exemption to drivers from restrictions of hours of work — Subject to the provisions of sub-section (2) of the Section 91 of the Act, sub-section (1) of that section shall not apply in the case of —

- any transport vehicle used by or on behalf of any military or police authority in connection with military manoeuvres or exercises or in the quelling of riots or civil disturbances;
- any fire brigade-vehicle or ambulance when being used as such;
- any vehicle being used for the carriage of passengers or goods in any emergency arising out of fire, earth-quake, flood, pestilence or other calamity, riots or civil disturbance;
- any vehicle going for, or returning with medical aid in an emergency or carrying any seriously injured or sick person for medical treatment, when no other means are reasonably available;
- any vehicle proceeding to the nearest place of halt, at which the driver and occupants can reasonably obtain shelter and refreshment, after delay

परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र में प्राधिकारी का नाम अतः स्थानित करते हुए जिसमें अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताखार किये हों, "अनुज्ञापत्र का अन्तरण-क्षेत्र के लिए वैध" शब्द अन्तरण की तारीख से भाली रूप से पूर्णांकित करेगा।

(7) उपनियम (6) में उपबन्धित किये गये अनुसार जब तक अनुज्ञापत्र पूर्णांकित नहीं किया गया है वा जब तक अनुज्ञापत्र का अन्तरण उस प्राधिकारी द्वारा जिसमें अनुज्ञापत्र पूर्णांकित किया है अनुमोदित नहीं किया जाता है तब तक अनुज्ञापत्र पर किया गया प्रतिहस्ताखार अन्तरण की तारीख के पश्चात् विभिन्न तरीं होगा।

88. अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना — (1) यदि कोई अनुज्ञापत्र खो जाता है तो धारक इस तथ्य की प्रज्ञापन नियम 145 के विनिर्दिष्ट फैस के साथ उस परिवहन प्राधिकारी को तुरन्त देगा जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया था।

(2) उपनियम (1) के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा और जहाँ तक तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है वहाँ तक अन्य प्राधिकारी द्वारा किये गये प्रतिहस्ताखार के तथ्य को भी पूर्णांकित कर सकेगा और इस तथ्य की प्रज्ञापना उस प्राधिकारी को देगा।

(3) इस नियम के अधीन जारी किए गये अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रति परलाल स्थान से स्पष्ट रूप में "दूसरी प्रति" की मुहर लगाई जायेगी।

(4) जहाँ कोई अनुज्ञापत्र पैला हो जाये या अन्यथा इतना विरुद्ध हो जाये कि परिवहन प्राधिकारी की राय में वह सारक-सारक पढ़ा या सकने योग्य नहीं रह गया है तो उसका धारक परिवहन प्राधिकारी को अनुज्ञापत्र अप्प्यर्पित करेगा और इस नियम के अनुसार अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रति जारी किये जाने के लिये आवेदन करेगा।

(5) जहाँ अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रति ऐसे अभ्यावेदन के आधार पर जारी की गई हो कि अनुज्ञापत्र खो गया है और उसके पश्चात् उसके धारक को मूल अनुज्ञापत्र मिल जाए या प्राप्त हो जाये तो धारक अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रति परिवहन प्राधिकारी को तत्काल लौटा देगा।

(6) यदि अनुज्ञापत्र किसी अन्य व्यक्ति को मिले तो वह उसे निकटतम पुलिस थाने या निकटतम परिवहन प्राधिकारी को परिदृष्ट करेगा। पुलिस थाने का प्रधारी अधिकारी अनुज्ञापत्र प्राप्त होने पर उसे तत्काल परिवहन प्राधिकारी को अपेक्षित करेगा। यदि अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रति जारी की गई हो तो परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र प्रत्यावर्तित कर देगा और यदि दूसरी प्रति जारी की दी गई हो तो दूसरी प्रति के बदले में उसे जारी करेगा।

89. कार्य के घटनों से चालक को छूट — अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस धारा की उपधारा (1) निम्नलिखित मामले पर लागू नहीं होगी —

- किसी भी सेना या पुलिस प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से सैन्य चालन या अभ्यास के लिए या दंगों या सिविल उपद्रवों को शालत करने के लिए प्रयुक्त कोई परिवहन यान;
- जब कोई अनिश्चाक यान या रोडी वाहन जब उसका उत्थोग उस रूप में किया जा रहा हो;
- दंगों या सिविल उपद्रवों के लिए या दंगों या सिविल उपद्रवों के कारण उत्थन होने वाली किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को या माल को ले जाने के लिए प्रयुक्त कोई यान;
- आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता के लिए जाने वाला या उसके साथ वापिस लौटने वाला या जब कोई भी अन्य साधन युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध न हो, चिकित्साप्रचार के लिए किसी भी गंभीर रूप से आहत या बीमार व्यक्ति को ले जाने वाला कोई यान;
- निकटतम ऐसे विराम स्थान को जाने वाला कोई यान, जहाँ चालक तथा अन्य यात्री धारा 132 के उपबन्ध के कारण या यान के लिये भी द्यायर या यंत्र की ऐसी खारबी के कारण जिसे युक्तियुक्त

in the journey arising out of the provision of Section 132 and 134 or out of the failure of any of the tyres or the machinery of the vehicle failure could not have been prevented by the exercise of reasonable care and diligence.

90. Interval of rest — Any time spent by the driver of a vehicle on or near the vehicle when it is at rest, when he is at liberty to leave the vehicle for rest and refreshment although required to remain within sight of the vehicle shall be deemed to be an interval of rest for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of Section 91.

91. Conduct of passengers in Stage Carriages — (1) If at any time a passenger or person using or intending to use a stage carriage—

- (i) obstructs any authorised employees of the permit holder in the execution of his duties; or
- (ii) has bulky luggage of a form or description which obstructs, annoys or causes inconvenience to another passenger or is likely to do so; or
- (iii) carries any animal, bird, flesh, or fish (other than tinned food in its original packings) any instrument, implement, substance or any other article which annoys or causes inconvenience or is offensive to any other passenger or is likely to do or be so; or
- (iv) without lawful excuse occupies any seat exclusively reserved for female passengers; or
- (v) sings or plays upon any musical instrument; or
- (vi) is reasonably suspected to be suffering from any contagious or infectious disease; or
- (vii) rings without lawful excuse, or otherwise interferes with, any signal of the stage carriage; or
- (viii) knowingly or intentionally enters a stage carriage which is carrying the maximum number of passengers according to the seating capacity specified in the certificate of registration of the vehicle and any additional number permitted under the terms of the permit to be carried in excess of the seating capacity of the vehicle; or
- (ix) has dress or clothing which is likely to spoil or damage the seats or the dress or clothing of another passenger or which for any other reason is offensive to other passengers; or
- (x) commits or abets any breach of the provisions of the Act or rules made thereunder;

the driver or the conductor may require such person to alight from the vehicle forthwith and may stop the vehicle or keep it stationary until such person has alighted. Any person failing to comply forthwith such requirement may be forcibly removed by the conductor or the driver or any Police Officer on being requested by the driver or conductor or passenger in that behalf and shall be guilty of an offence.

सावधानी तथा तपता द्वारा न रोका जा सका हो, यात्रा में हुए विलम्ब के पश्चात् आश्रय तथा जलपान प्राप्त कर सके।

90. विश्राम का अंतराल — यान के चालक द्वारा यान पर या उसके निकट व्यतीत किया गया कोई भी ऐसा समय, जब वह विश्राम पर है, तब वह चालक विश्राम करने तथा जलपान करने के लिए यान को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है तथापि यान, घटि की पहुँच के भीतर रहना अपेक्षित है, घारा 91 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए विश्राम का अंतराल समझा जाएगा।

91. मंजिली गाड़ियों में परिचालक का आवरण — (1) यदि किसी भी समर्य किसी मंजिली गाड़ी का उपयोग करने वाला या उपयोग करने को इच्छुक कोई भी यात्री या व्यक्ति —

(एक) अनुज्ञापत्र के धारक के किसी भी प्राधिकृत कर्मचारी को उसके कर्तव्यों के निष्पादन में बांधा पहुँचाता है; या

(दो) ऐसा भारी सामान रखता है जो ऐसे स्वरूप या विवरण का है जो किसी अन्य यात्री को बाधा पहुँचाता है, क्षुब्ध करता है या असुविधा कारित करता है या उससे ऐसा होने की सम्भावना है; या

(तीन) किसी ऐसे पश्च, पक्षी, मांस या मछली का (अपनी मृत पैकिंग में) के डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ को छोड़कर) किसी ऐसे औजार, उपरूप, पदार्थ या किसी अन्य वस्तु का जो किसी अन्य यात्री के लिये क्षोभ या असुविधा कारित करती है या धृणास्पद है या जिसको ऐसा होने की संभावना है वहन करता है; या

(चार) विधिपूर्ण कारण के बिना ऐसी किसी सीट पर कब्जा कर लेता है जो महिला यात्रियों के लिए अनन्यतः आरोदित है; या

(पाँच) किसी संगीत उत्पन्न करने वाले वाजे पर गाना गाता है या उसे बजाता है; या

(छ.) जिसके बारे में सांसारिक या संक्रामक रोग से पीड़ित होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है; या

(सात) विधिपूर्ण कारण के बिना धण्टी बजाता है या मंजिली गाड़ी के किसी भी संकेत में अन्यथा हस्तक्षेप करता है; या

(आठ) जानबूझकर या साशय ऐसी मंजिली गाड़ी में प्रवेश करता है जो यान के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट बैठने के स्थानों की क्षमता के अनुसार अधिकतम संख्या में यात्रियों को ले जा रही है तथा जो सों संक्रामक संख्या में भी यात्रियों को ले जा रही है जो अनुज्ञापत्र के निर्बन्धों के अधीन यान में बैठने के स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में ले जाने के लिए अनुज्ञात है; या

(नौ) ऐसी पोशाक या वस्त्र पहने हुये हैं, जिससे बैठने के स्थानों या किसी अन्य यात्री की पोशाक या वस्त्र बिगड़ने की समस्या के अनुसार अधिकतम संख्या में यात्रियों के लिए धृणास्पद है; या

(दस) अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपर्योग को भंग करता है या भंग करने के लिए दुष्प्रेरण करता है,

तो चालक या परिचालक ऐसे व्यक्ति से यान से तत्काल उत्तर जाने की अपेक्षा कर सकेगा, और जब तक वह व्यक्ति नीचे न उत्तर जाये तब तक यान को रोक सकेगा, या उसे खड़ा रख सकेगा। ऐसी अपेक्षा का तत्काल पत्तन न करने वाले किसी भी व्यक्ति को परिचालक या चालक द्वारा या चालक अथवा परिचालक या यात्री के द्वारा इस संबंध में निवेदन किए जाने पर किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बल्पूर्वक हटाया जा सकेगा और वह अपराध का दोषी होगा।

- (2) No passenger, or person using or intending to use a stage carriage shall—
- refuse to pay the legal fare; or
 - refuse to show any ticket on demand by any authorised person; or
 - behave in a disorderly manner; or
 - behave in a manner likely to cause alarm or annoyance to any female passenger; or
 - use abusive language; or
 - molest any other passenger; or
 - smoke, spit, or eject betel juice in the vehicle; or
 - enter or leave or attempt to enter or leave any stage carriage while it is in motion and except at a bus stop; or
 - enter or attempt to enter or alight or attempt to alight from a stage carriage except by the entrance or exit provided for the purpose; or
 - interfere with the driving of the vehicle; or
 - use or attempt to use a ticket other than the ticket valid for a particular journey or use or attempt to use a ticket which has already been used by another passenger or on another journey; or
 - wilfully damage or spoil or remove any fittings in or on the stage carriage or interfere with any light or any part of the stage carriage or its equipment; or
 - hang on to any exterior part of stage carriage; or
 - travel beyond the destination for which the fare has been paid except by paying to the conductor the legal fare for the additional journey sufficiently in advance; or
 - on demand being made by the driver or conductor or an officer of the Police or Transport Department when reasonably suspected of contravening any of the provisions of this rule, refuse to give his correct name and address to such driver or conductor or officer of the Police or Transport Department; or
 - on a request being made by the conductor, refuse to declare to him the journey he intends to take or has taken in the stage carriage, or before leaving the stage carriage, attempt to ignore the conductor in making the payment of the legal fare for the whole journey; or

- (२) मंजिली गाड़ी का उपयोग करने वाले या उपका उपयोग करने का इच्छुक कोई भी यात्री या
- वैध किराये का भुगतान करने से इकार नहीं करेगा; या
 - किसी भी प्राप्तिकृत व्यक्ति द्वारा यात्रा किये जाने पर कोई टिकिट निष्पादे से इकार नहीं करेगा; या
 - विच्छुरुत व्यवहार नहीं करेगा; या
 - ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे किसी भी महिला यात्री को संतास या शोभ होने की संभावना हो; या
 - अपशब्द पूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करेगा; या
 - किसी भी अन्य यात्री को उपीड़ित नहीं करेगा; या
 - यान में घूमान नहीं करेगा यकृत या पान की फूंक नहीं खेलेगा; या
 - बस स्टाप को छोड़कर और अन्य किसी भी स्थिति में जब यान बह रहा हो तब उसमें प्रवेश नहीं करेगा; या
 - प्रवेश करने या उतारने के प्रयोगन के लिए बनाये गये प्रवेश या निर्माण द्वारा के अतिरिक्त मंजिली गाड़ी के अन्य किसी भी स्थान से प्रवेश नहीं करेगा या नहीं उतारेगा या प्रवेश करने का या उतारने का प्रयास नहीं करेगा; या
 - यान के चालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा; या
 - विशिष्ट यात्रा के लिए वैध टिकिट के अतिरिक्त अन्य किसी भी टिकिट का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा या किसी ऐसे टिकिट का उपयोग नहीं करेगा या प्रयास नहीं करेगा या यात्री अन्य यात्रा में पहले ही उपयोग किया जा चुका हो; या
 - मंजिली गाड़ी के भीतर या उसके अमर लागी हुई किसी भी फिल्टर को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचायेगा या उसे नष्ट नहीं करेगा या उसे नष्ट हटायेगा या मंजिली गाड़ी की किसी भी बत्ती या उसके किसी भाग या उसके उपकरण में हस्तक्षेप नहीं करेगा; या
 - मंजिली गाड़ी के किसी भी बाहरी भाग पर नहीं लटकेगा; या
 - ऐसे गन्तव्य स्थान से जिसके लिए उसके द्वारा किए जाए का भुगतान किया गया है, आगे की यात्रा परिचालक को अतिरिक्त यात्रा के लिए वैध किराये का पर्याप्त रूप से अंग्रिम में भुगतान किये जाने नहीं करेगा; या
 - इस नियम के किसी भी उपबंधन किये जाने के संबंध में युक्तियुक्त रूप से संदेश किये जाने की स्थिति में चालक या परिचालक या पुलिस या परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर, ऐसे चालक, परिचालक या पुलिस या परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारी को अपना सही नाम और पता बांधने से इकार नहीं करेगा; या
 - परिचालक द्वारा निवेदन किये जाने पर परिचालक को मंजिली गाड़ी में उसके द्वारा की जाने के लिये अधिक्रेत या की गई यात्रा की घोषणा करने से इकार नहीं करेगा या परिचालक को मंजिली गाड़ी छोड़ने से पहले सम्पूर्ण यात्रा के लिए वैध भाड़ का भुगतान करने में परिचालक की अवज्ञा करने का प्रयास नहीं करेगा; या

(xvii) lean out or project any part of his body outside the vehicle while the vehicle is in motion.

(3) If at any time a passenger in stage carriage takes a seat without obtaining a ticket for the journey, the driver or conductor or any authorized person may require such passenger to alight from the vehicle if the journey is yet to begin or charge double the fare from the place from which the stage carriage originally started, if the journey has already been performed and in case of non payment may report the case to a Police Officer, who shall proceed to take action against him.

(4) Every passenger shall be entitled to receive a ticket from the conductor for the fare paid and no passenger or person shall travel in a stage carriage unless he has obtained a ticket for the journey.

Explanation — In this rule the expression ‘ticket’ includes a season ticket, pass or authorisation issued by the permit holder authorising a person to travel on the stage carriage.

92. Conduct of Passengers in Motor Cabs — (1) No passenger in a motor cab shall—

- (i) wilfully or negligently damage the cab or any of its fittings; or
- (ii) on termination of the hiring, refuse or omit to pay the legal fare.

(2) In the case dispute is referred shall, if the dispute is not settled amicably, record the names and addresses alongwith the substance of the respective contentions of both parties and shall take such further action as may be necessary.

93. Carriage of children and infants in Public Service Vehicle — In relation to the number of persons that may be carried in a public service vehicle—

- (i) a child of not more than twelve years of age shall be reckoned as one half, and
- (ii) a child of not more than three years of age shall be regarded as an infant and shall not be reckoned as one half.

94. Disinfection of Public Service Vehicle — (1) No person shall drive any public service vehicle and no owner of a public service vehicle shall cause or allow such vehicle to be used unless once in every two months, it is disinfected with D.D.T. or any other liquid insecticide approved for the purpose by the Director of Health Services of the State.

(2) The owner of a public service vehicle shall maintain and, on demand by an officer of the Transport or Police Department not below the rank of an Inspector, produce for inspection, a current register showing the dates on which the public service vehicle was disinfected from time to time and shall also satisfy him that a

(सत्रह) जब यान चल रहा हो तब यान के बाहर नहीं जाकेगा या अपने शरीर का कोई भी भाग बाहर नहीं निकलेगा।

(3) यदि कोई यात्री किसी भी समय मंजिली गाड़ी में यात्रा के लिए टिकिट अभियास किये बिना कोई स्थान ग्रहण कर लेता है, तो चालक या परिचालक या अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे यात्री से, यदि यात्रा अभी आरंभ होना है, तो यान से उत्तर जाने की अपेक्षा कर सकेगा या यदि यात्रा पहले ही पूरी कर ली गयी है तो उस स्थान से, जहाँ से कि मंजिली गाड़ी ने मूलतः यात्रा आरंभ की थी दुगुना किराया प्रभारित कर सकेगा और भुगतान न किये जाने की दशा में, किसी पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट कर सकेगा जो उसके विस्तर कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा।

(4) प्रत्येक यात्री भुगतान किये गये किराये के लिए परिचालक से टिकिट प्राप्त करने का हकदार होगा और कोई भी यात्री या व्यक्ति मंजिली गाड़ी में तब तक यात्रा नहीं करेगा जब तक कि उसने यात्रा के लिए टिकिट प्राप्त नहीं कर ली है।

स्पष्टीकरण — इस विधम में अधिक्यकृ “टिकिट” में सम्मिलित है सीजन टिकिट पास या मंजिली गाड़ी में व्यक्ति को यात्रा करने के लिए प्राधिकृत करते हुए अनुज्ञापत्र धारक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार।

92. मोटर केबों में यात्रियों का आचरण — (1) मोटर केब में कोई भी यात्री —

(एक) जानवृद्धकर या उपेक्षापूर्वक केब या उसकी किसी भी फिटांग को नुकसान नहीं पहुंचायेगा;

या

(दो) भाड़े का समय समाप्त होने पर वैध किराए का भुगतान करने से इन्कार नहीं करेगा या चूक नहीं करेगा।

(2) मोटर केब के चालक तथा यात्री में कोई विवाद होने की दशा में दोनों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से निकटतम उपलब्ध परिवहन विभाग के या निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी के पास चलने की अपेक्षा कर सकेगा और वह अधिकारी, जिसे विवाद निर्दिष्ट किया गया है, यदि विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से तय न हो सके तो दोनों पक्षकारों के नाम और जेते तथा उन दोनों के अपने-अपने प्रति विरोधों का सार अभिलिखित करेगा और आगे ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि आवश्यक हो।

93. लोक सेवा यान के बालकों और शिशुओं का बहन — ऐसे व्यक्तियों की संख्या के संबंध में जो लोक सेवा यान में बहन किए जा सकेंगे।

(एक) बारह वर्ष तक की आयु के बालक की गणना आधी सवारी के रूप में की जावेगी;

(दो) तीन वर्ष तक की आयु के बालक को शिशु के रूप में समझा जाएगा और उसकी गणना आधी सवारी के रूप में नहीं की जावी।

94. लोक सेवा यानों का विसंक्रामण — (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी लोक सेवा यान को तब तक नहीं चलाएगा और लोक सेवा यान को कोई भी स्वामी ऐसे यान का तब तक उपयोग नहीं करवाएगा या करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि प्रत्येक दो माह में एक बार डी.डी.टी. से या ऐसे किसी भी अन्य कीटनाशी द्रव्य से जो इस प्रयोजन के लिए राज्य के स्वास्थ्य सेवा संचालक द्वारा अनुमोदित किया जाए उसका विसंक्रामण न करा दिया जाए।

(2) किसी लोक सेवा यान का स्वामी ऐसी तारीखें दरानि वाला एक चालू रजिस्टर रखेगा, जिन तारीखों को लोक सेवा यान का समय-समय पर विसंक्रामण किया गया था और परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा या पुलिस विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, मांग की जाने पर उसे उक्त

mechanical spray which shall be used for the purpose of such disinfection is in working order.

95. Maintenance of Complaint Books in Stage Carriages — (1) A bound complaint book in Form M.P.M.V.R.-60 (COMP) duly ruled, paged, signed and stamped with the seal of the permit holder and countersigned by the Secretary State/Regional Transport Authority concerned shall be maintained by such permit holder in every public service vehicle and at such bus stands as may be directed by the State/Regional Transport Authority, to enable passengers to record any legitimate complaint.

(2) Such complaint shall be written clearly and in an intelligible manner and the complainant shall also clearly and legibly record in the complaint book his full name, address and date on which complaint is written.

(3) The permit holder shall promptly look into every complaint recorded in the complaint book, remove the cause of the complaint or of its recurrence and submit within a month of recording of the complaint an explanation to the Transport Authority which granted the permit together with a copy of the complaint stating the action taken by him in connection with the complaint. A copy of the report shall be forwarded by the permit holder to the complainant.

(4) The complaint book shall be so securely kept in the public service vehicle and at the bus stands, as the case may be, and shall at all times be made available by the driver and the conductor, if any, of the vehicle to any passenger desiring to record a complaint or to an officer of the Transport or Police Department not below the rank of Assistant Sub-Inspector for purpose of inspection.

(5) If the complaint book is lost or destroyed, the permit holder shall within one week of such loss or destruction intimate the fact in writing to the Transport Authority.

(6) The fee for obtaining a complaint book shall be as specified in Rule 145.

96. Carriage of Corpses in Transport Vehicles — No driver, conductor or person in charge of any transport vehicle shall permit any corpse to be placed or carried on such vehicle when such vehicle is plying for hire for the conveyance of any passenger other than the person or persons by whom the vehicle has been expressly hired for the purpose of conveying such corpse.

97. Carriage of person in Goods Carriage — (1) No person shall be carried in a goods carriage other than a *bonafide* employee or the owner or the hirer and except in accordance with this rule.

(2) No person shall be carried in the cabin of goods carriage beyond the number for which there is seating accommodation at the rate of thirty-eight centimetres measured along with the seat for each person excluding the space reserved for the driver, and not more than—

- (i) six persons in addition to the driver in any goods carriage other than light transport vehicle;
- (ii) three persons in addition to the driver in any light goods carriage;
- (iii) one person in addition to the driver in the light goods carriage having gross vehicle weight less than one thousand kilograms.

निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करेगा और उसका इस बात से भी समाधान करेगा कि भर्तीनीकृत कुहार यन्म (प्रेक्षिकल से) जिसका ऐसे विसंकामण के प्रयोजन के लिए उच्चोग किया जायेगा वाला हालत भें है।

95. मंजिली गाड़ियों में शिकायत पुस्तिकालों का रखा जाना — (1) अनुजापत्र धारक प्रृष्ठ सी.जी.एम.व्ही.आर.-60 (शिकायत) में एक सजिल्ड शिकायत पुस्तक, जिसमें समूचित रूप से लेखा यांत्रिकी हों तथा पृष्ठ संख्या डिली हो और जो अनुजापत्र के धारक द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुद्रित और सरिया राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रत्येक लोक सेवा यान में और ऐसे वास स्टैण्डों पर जो राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये जायें, खोला जिससे कि यात्री अपनी कोई विपरिमात्रता अधिलिखित कर सके।

(2) ऐसी शिकायत स्पष्ट और बोधात्मक रूप से लिखी जायेगी और शिकायत करने वाला व्यक्ति स्पष्ट और सुवाच्य तरीके से अपना पूरा नाम, पता और वह तारीख जिसको कि शिकायत लिखी गई हो, शिकायत पुस्तक में अभिलिखित करेगा।

(3) अनुजापत्र धारक शिकायत पुस्तक में अभिलिखित प्रत्येक शिकायत पर तत्काल ध्यान देगा, शिकायत के कारण का निवारण करेगा या उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देगा और शिकायत अभिलिखित किये जाने की तारीख से एक महीने के भीतर उस परिवहन प्राधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा, जिसने उसे अनुजापत्र दिया है और इसके साथ शिकायत के संबंध में उसके द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख करते हुए शिकायत की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट की एक प्रति अनुजापत्र धारक द्वारा शिकायतकर्ता को अग्रिमता की जाएगी।

(4) शिकायत पुस्तक यथास्थिति, लोक सेवायान और वास स्टैण्डों पर अत्यंत सुधारित रूप में रखी जायेगी और यान के चालक और परिचालक द्वारा, यदि कोई हो, शिकायत अभिलिखित करने के इच्छुक किसी भी यात्री को या परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को या उत्तिस विभाग के किसी भी ऐसे अधिकारी को जो सहायक उप निरीक्षक के पद से नियम पद का न हो, निरीक्षण के लिए सभी समयों पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) यदि शिकायत पुस्तक खो जाए या नहीं हो जाए तो अनुजापत्र धारक उसके इस प्रकार खो जाने या नहीं हो जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उस तथ्य की सूचना परिवहन प्राधिकारी को लिखित रूप में देगा।

(6) शिकायत पुस्तक अभिप्राप्त करने के लिए फीस वही होगी जैसी कि नियम 145 में विवरित की जाए।

96. परिवहन यानों में शवों का बहन — किसी परिवहन यान का चालक, परिचालक या उसका भास्तव्याधक कोई भी व्यक्ति ऐसे यान पर, जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्होंने अधिकृत रूप से शव को ले जाने के प्रयोजन के लिए उस यान को भाड़े पर लिया है, भिन्न किसी यात्री को ले जाने के लिए भाड़े पर चलाया जा रहा है कोई भी शव रखने की या ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

97. मालयानों में व्यक्तियों का बहन — (1) यान के वास्तविक कर्मचारी या यान के स्वामी या भाड़ेदार तथा इस नियम के अनुसार के सिवाय किसी भी व्यक्ति को माल यान में बहन नहीं किया जायेगा।

(2) मालयान की केविन में चालक के लिए आवश्यक स्थान को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अडीस सेन्ट्रीपीटर की दर से नापकर जितने लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी उससे और नियन्त्रित किये जाने के अधिक व्यक्तियों को नहीं ले जाया जायेगा।

(एक) हल्के परिवहन यान से भिन्न किसी भी माल यान में चालक के अतिरिक्त छः व्यक्ति;

(दो) किसी भी हल्के परिवहन माल यान में चालक के अतिरिक्त तीन व्यक्ति;

(तीन) एक हजार किलोग्राम से कम के कुल यान भार वाले हल्के परिवहन माल यान में चालक के अतिरिक्त एक व्यक्ति।

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1) but subject to provisions of sub-rules (5) and (6) a Regional Transport Authority may by an order in writing permit that a large number of persons may be carried in the vehicle on the condition that no goods at all are carried in addition to such persons and such persons are carried free of charge in connection with the work for which the vehicle is used, and that such other conditions as may be mentioned by the Regional Transport Authority are observed and where the vehicle is required to be covered by a permit, the conditions of permission aforesaid are also made conditions of the permit.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), but subject to the provisions of sub-rules (4) and (5)—

- (i) for purpose of celebrations in connection with the Republic day or Independence day, the Regional Transport Officer; and
- (ii) where it considers expedient in public interest in respect of vehicles owned or hired by it and in respect of other vehicles on such grounds of urgent nature to be specified in the order, the State Government, may by general or special order, permit goods carriage to be used for the carriage of persons for the purpose aforesaid and subject to the conditions as may be specified in the order.

(5) No person shall be carried in any goods carriage—

- (i) unless an area of not less than 3600 square centimetres of the floor of the vehicle is kept open for each person;
- (ii) in such manner—
 - (a) that such person when carried on goods or otherwise is in danger of falling from the vehicle;
 - (b) that any part of his body, if he was in a sitting position, is not a height exceeding three metres from the surface upon which the vehicle rests.

(6) The provisions of this rule shall not apply to motor vehicles registered under Section 60 of the Act.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) but subject to the provisions of sub-rule (5) such tractor-trailer other than those registered in the name of Industrial organisation, Municipal Institutions, water supply institution and non-agricultural cooperative societies, and the unladen weight of which does not exceed 7300 Kgs. may be used for the following purposes—

- (i) for carrying labourers and the member of the family of agriculturist for the purpose of agriculture or any purpose connected with agriculture including sale and purchase of articles or agriculture;
- (ii) for carrying persons at the time of Mela, Markets, Religious Functions, Marriages and at other ceremonial occasions provided that the number of persons so carried shall not exceed 20 at a time.

(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपनियम (5) तथा (6) के उपबंधों यान में अधिक संख्या में व्यक्ति इस शर्त पर लाए ले जाये जा सकेंगे कि उसमें इन व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी का उपयोग किया जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों को उस कार्य के संबंध में, जिसके लिए कि यान परिवहन अधिकारी द्वारा उत्तेजित की जाएं, पालन किया जा रहा है और जहाँ यान के चलाए जाने के लिए अनुमति प्रेषित है वहाँ पूर्वान्तर अनुमति की शर्तों को अनुमति प्राप्त की भी शर्तें बनाया जाएं।

(4) उपनियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपनियम (4) और (5) के उपबंधों के अधिकारी रहते हैं—

(ए) गणतन्त्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस संबंधी समारोहों के मनाए जाने के प्रयोजन के लिए परिवहन प्राधिकारी; और

(दो) जहाँ राज्य सरकार अपने स्वामित्व के या उसके द्वारा भाड़े पर लिए गए यानों के संबंध में यह समझदारी है कि ऐसा करना लोकहित में समीकृत है तथा अन्य यानों के संबंध में, अत्यावश्यक स्वरूप के ऐसे आधारों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाएं ऐसा करना समझे वहाँ वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, प्रौद्योगिक प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों के अधिकारी, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, माल यान का उपयोग व्यक्तियों को बहन करने के लिए करने की अनुमति दे सकेंगे।

(5) किसी भी माल यान में—

(ए) जब तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए यान के फर्श का कम से कम 3600 वर्ग सेमीटीटर क्षेत्र खुला न रखा जाय;

(दो) ऐसी रीति से—

(क) कि जब ऐसे व्यक्ति को यान के ऊपर या अन्यथा ले जाया जाये तो उसके यान से गिरे का खतरा हो;

(ख) कि उसके शरीर का कोई भी भाग यदि वह बैठा हो, उस सतह से, जिस पर यान स्थित है ऊपर तीन मीटर से अधिक ऊंचाई पर निकला रहे,

कोई भी व्यक्ति नहीं लाया, ले जाया जायेगा;

(6) इस नियम के उपबंध अधिनियम की धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोर्टर्यानों को लागू नहीं होगी।

(7) उपनियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपनियम (5) के उपबंधों के अधिकारी रहते हुए ऐसे ट्रैक्टर (ट्रॉलर) अनुयान (ट्रॉलर) जो आधोगिक संगठनों, नगरालिक संस्थाओं या जल प्रदाय संस्था तथा अकृषिक सहकारी सोसाइटीयों के नाम पर रजिस्ट्रीकृत हैं जो छोड़कर तथा जिनका लदान गौहत वजन 7,300 किलोग्राम से अधिक न हो का निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा—

(ए) श्रमिकों तथा कृषकों के परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए जो कृषि के प्रयोजन के लिए या कृषि से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए जिनमें कृषि की वस्तुओं के विक्रय एवं क्रय भी शामिल हैं;

(दो) मेला, बाजार, धार्मिक उत्सव, विवाह और अन्य समारोहों के अवसरों पर व्यक्तियों को ले जाने के लिए:

परन्तु इस प्रकार ले जाये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक समय में 20 से अधिक नहीं होगी।

98. Duty to carry goods in Goods Carriage — An owner or person in charge of a goods carriage shall not, save for reasonable and lawful excuses refuse to carry any goods of any person tendering the same for not less than the maximum freight, if any, fixed under sub-section (1) of section 67 of the Act.

99. Change of address of Permit Holder — (1) If the holder of a permit ceases to reside or to have his place of business, as the case may be, at the address set forth in the permit he shall, unless the change be for a temporary period not exceeding three months shall intimate the change within fourteen days alongwith the permit to the Transport Authority by which the permit was issued.

(2) Upon receipt of intimation under sub-rule (1) the Transport Authority shall after making such enquiries as it may deem fit, enter in the permit the new address and shall intimate the particulars to the Transport Authority of any region in which the permit is valid by virtue of counter-signature or otherwise.

100. Intimation of damage to or failure of Public Service Vehicle — (1) The holder of any stage carriage permit shall within two days of the occurrence, report in writing to the Transport Authority by which the permit was issued, any failure of or damage to such vehicle or to any part thereof, and such failure or damage is of such a nature to render the vehicle unfit for use in accordance with the conditions of the permit for a period exceeding three days.

(2) Upon receipt of a report under sub-rule (1) the Transport Authority by which the permit was issued may, subject to the provisions of rules 84 and 85 —

(i) direct the holder of the permit within such period not exceeding two months from the date of the occurrence as the Authority may specify either to make good the damage to or failure of the vehicle or to provide a substitute; or

(ii) if the damage to or failure of, the vehicle is such that in the opinion of the said Authority it cannot be made good within a period of two months from the date of occurrence, direct the holder of the permit to provide a substitute vehicle and where the holder of permit fails to comply with such direction, may suspend or cancel the permit or vary the conditions of the permit as the case may be.

(3) The Transport Authority after giving a direction for suspending or cancelling the permit or varying the conditions of the permit under clause (ii) of sub-rule (2) shall send intimation of the fact to the Transport Authority of any other region in which the permit is valid by virtue of counter signature or otherwise.

101. Alteration in Motor Vehicle — (1) When a transport vehicle is altered in accordance with section 52 of the Act, the permit holder shall intimate the alteration to the Transport Authority by which the permit was granted.

(2) Upon receipt of an intimation under sub-rule (1) the Transport Authority by which the permit was issued may, if the alteration is such as to contravene any of the conditions of the permit —

98. माल यान में माल ले जाने का कर्तव्य — माल यान का स्वामी या भार साधक व्यक्ति युक्ति तथा विधिपूर्ण कारण के सिवाए अय किसी भी स्थिति में, किसी भी ऐसे व्यक्ति का माल ले जाने से इन्कार नहीं करेगा जो ऐसा माल, अधिनियम की धारा 67 की उपराग (1) के अधीन नियत किये गये अधिकतम भाड़े महि कोई हो, के साथ देता है।

99. अनुज्ञापत्र धारक के पते में परिवर्तन — (1) यदि कोई अनुज्ञापत्र का धारक अनुज्ञापत्र में लिखे गये पर, यथास्थिति रहना छोड़ देता है या कालावधि का हो तो वह चौदह दिन के भीतर नये पते की सूचना अनुज्ञापत्र के साथ उस परिवहन प्राधिकारी को भेजेगा, जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया था।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर वह परिवहन प्राधिकारी ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे कर लेने के पश्चात् अनुज्ञापत्र में नया पता दर्ज करेगा और विशिष्टियों की सूचना अन्य ऐसे क्षेत्र के परिवहन प्राधिकारी को देगा, जिसमें वह अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर या अन्यथा विधिमान है।

100. लोक सेवा यान को नुकसान पहुँचने या उसके खराब होने की सूचना — (1) किसी मजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र धारक, घटना के दो दिन के भीतर यान को अथवा उसके किसी भाग को ऐसा नुकसान पहुँचने या उसमें ऐसी खराबी आ जाने की, जिसके कि काण कव यान अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार तीन दिन से अधिक की कालावधि के लिए उपयोग में लाये जाने योग्य न रहे लिंगित सूचना उस परिवहन प्राधिकारी को देगा, जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया था।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर वह परिवहन प्राधिकारी जिसके कि द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया था, नियम 84 और 85 के उपबन्धों के अधारीन रहते हुए —

(एक) अनुज्ञापत्र धारक को यह निर्देश दे सकेगा कि वह घटना की तारीख से दो महीने से अधिक की ऐसी कालावधि के भीतर, जो कि प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, यान को पहुँचे नुकसान को ठीक करे या यान में दुई खराबी को सुधारने या उसके बदले में दूसरे यान की व्यवस्था करे; या

(दो) यदि यान को हुआ नुकसान या उसमें दुई खराबी ऐसी है, जो उक प्राधिकारी की राय में, घटना की तारीख से दो महीने की कालावधि के भीतर ठीक नहीं की जा सकती हो तो वह उस अनुज्ञापत्र धारक को यह निर्देश दे सकेगा कि वह उसके बदले में दूसरे यान की व्यवस्था करे और जहाँ अनुज्ञापत्र धारक ऐसे निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो वह अनुज्ञापत्र को यथास्थिति निर्वाचित या रद्द कर सकेगा या उसकी शर्तों में फेरफार कर सकेगा।

(3) परिवहन प्राधिकारी उपनियम (2) के खण्ड (दो) के अधीन अनुज्ञापत्र को निर्वाचित या रद्द करने या उसकी शर्तों में फेरफार करने का निर्देश देने के पश्चात् इस तथ्य की सूचना अन्य ऐसे क्षेत्र के परिवहन प्राधिकारी को देगा, जिसमें वह अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर या अन्यथा विधिमान है।

101. मोटरयान में परिवर्तन — (1) जब किसी परिवहन यान में अधिनियम की धारा 52 के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तन किया जाता है तो अनुज्ञापत्र धारक परिवर्तन की सूचना, परिवहन प्राधिकारी को देगा जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र दिया गया था।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर वह परिवहन प्राधिकारी, जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया था, यदि ऐसा परिवर्तन इस प्रकार है, जिसके कारण अनुज्ञापत्र की शर्तों में से किंही शर्तों का उल्लंघन होता है तो —

- (i) vary the conditions of permit; or
(ii) require the permit holder to provide a substitute vehicle within such period as the Transport Authority may specify, and if the holder fails to comply with such requirement, cancel or suspend the permit.
- (3) A Transport Authority suspending or cancelling a permit or varying conditions of the permit or causing another vehicle to be substituted for a vehicle covered by a permit, shall intimate the particulars to the Transport Authority of any other region in which the permit is valid by virtue of counter signature or otherwise.

102. Restriction on use of Trailers as Permit Condition — A State Transport Authority or a Regional Transport Authority granting or countersigning goods carriage, permit, may require as a condition of the permit or of the counter-signature, as the case may be, that no trailer or that no trailer of a specified description shall be attached to any transport vehicle covered by the permit.

103. Exhibition of certain particulars on Stage Carriage or Contract Carriage — (1) In respect of Public Service Vehicle the following particulars shall be exhibited in the manner specified below —

- (a) In the case of public service vehicle covered with a valid permit following particulars shall be exhibited on the Upper edge of the left side of the wind screen in red colour —
(i) Category of Service;
(ii) Permit Number with validity;
(iii) Granting Authority;
(iv) Route.
- (b) In the case of vehicle, which is not covered with any permit the words "Reserve stage carriage or spare Bus" as the case may be shall be painted in red colour on the upper edge of the left side of wind screen,
- (c) The size of letters mentioned in clause (a) and (b) shall be 8 cm. in height and shall be clearly legible from a distance of twenty five metres.

(2) No inscription on the wind screen shall be so painted which obstruct the vision of the driver on the steering wheel. Where any inscription on the wind screen obstructs the vision of the driver, it shall be removed forthwith and shall be properly repainted.

104. Distinguishing Boards for Goods Carriage — Every goods carriage shall carry in a prominent place on the front of the vehicle a distinguishing board in Hindi with the letters "मालवाहक" painted respectively in black on white background and in white on black background. The height and the width of each letter shall be not less than 12 centimetres and 6 centimetres, respectively.

105. Inspection of Transport Vehicles and their contents — (1) A Police Officer in uniform not below the rank of Sub-Inspector, or an officer of the Transport Department not below the rank of Assistant Transport Sub-inspector within his

(एक) अनुज्ञापत्र की शर्तों में फेफारा कर सकेगा; या

(दो) अनुज्ञापत्र धारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस यान के बदले में दूसरा यान ऐसी धारक ऐसी अपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है तो अनुज्ञापत्र को रद्द या निलंबित कर सकेगा।

(3) ऐसा परिवहन प्राधिकारी जो किसी अनुज्ञापत्र को निलंबित या रद्द करता है या अनुज्ञापत्र की शर्तों में फेफार करता है या किसी अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले किसी यान के बदले दूसरा यान उपलब्ध करवाने की अपेक्षा करता है, वह इन विशिष्टियों की सूचना अन्य ऐसे क्षेत्रों के परिवहन प्राधिकारी को देगा जिसमें कि वह अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताकार के आधार पर या अन्यथा विभागान्वय है।

102. अनुज्ञापत्र की शर्तों के रूप में अनुयायी (ट्रेलर) के उपयोग पर निर्बन्धन — माल यान का अनुज्ञापत्र देने वाला या उस पर प्रतिहस्ताकार करने वाला राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या प्रतिहस्ताकार की शर्तों के रूप में इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी अनुयायी (ट्रेलर) या विनिर्दिष्ट विवरण का कोई भी अनुयायी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी भी परिवहन यान से नहीं जोड़ा जावेगा।

103. मंजिली गाड़ी या लेका गाड़ियों पर कठिनपय विशिष्टियों का प्रदर्शित किया जाना — (1) लोकसेवायान के संबंध में नीचे विनिर्दिष्ट गीति में निम्नलिखित विशिष्टियों प्रदर्शित की जायेगी —

(क) वैध अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले लोकसेवायान के मामले में वायुरोधी शीशा (विण्ड स्क्रीन) के बाएं ऊपरी किनारे पर निम्नलिखित विशिष्टियाँ लाल रंग से प्रदर्शित की जायेंगी —

(एक) सेवा की श्रीणी;

(दो) अनुज्ञापत्र क्रमांक तथा कब तक वैध है;

(तीन) प्रदान करने वाला प्राधिकारी;

(चार) मार्ग।

(ब) ऐसे यान के मामले में जो किसी प्रकार के अनुज्ञापत्र के अंतर्गत नहीं आता है उनमें वायुरोधी शीशा (विण्ड स्क्रीन) में वाएं ऊपरी किनारे पर, लाल रंग के शब्द "आक्षित मंजिली गाड़ी या अतिरिक्त (स्पेयर) बस" लिखा जाएगा;

(ग) खण्ड (क) तथा (घ) में उल्लिखित अक्षरों का आकार ऊँचाई में 8 से.मी. होगा तथा पञ्चीसी मीटर की दूरी से स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकने योग्य होगा।

(2) वायुरोधी शीशा पर इस प्रकार से कुछ भी अन्तर्लेखन नहीं किया जायेगा जिससे परिचालन चक्र (स्टीरिंग व्हील) पर बैठे चालक की दृष्टि में बाधा पड़ूँचे। जहाँ वायुरोधी शीशों पर किसी प्रकार के अन्तर्लेखन चालक की दृष्टि में बाधा आती है वहाँ उसे तुरंत हटा दिया जावेगा और समुद्रित रूप से पुरा लिखा जायेगा।

104. मालयानों के सुधेदक फलक — प्रत्येक माल यान पर उसके सामने के किसी प्रमुख स्थान पर हिन्दी में सुधेदक फलक लगा होगा, जिस पर काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से या सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षरों में "मालवाहक" लिखा होगा। प्रत्येक अक्षर की ऊँचाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेन्टीमीटर और 6 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

105. परिवहन यानों और उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण — (1) वर्दी पहना हुआ अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, या परिवहन विभाग का अधिकारी जो सहायक परिवहन उप निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, अपनी-अपनी अधिकारिता में किसी भी समय जब माल यान

respective jurisdiction may at anytime when a goods carriage is in a public place call upon the driver of such vehicle to stop the vehicle and to keep it at rest for such time as may be necessary to enable such police officer or officer of the Transport Department to make reasonable examination of the contents of the vehicle.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Police Officer or the officer of the Transport Department shall not be entitled to examine the contents of any goods vehicle unless—

- the permit in respect of the vehicle containing a condition in respect of the goods which may or which may not be carried on the vehicle;
- the police officer or officer of the Transport Department has reasons to suppose that the vehicle is being used in contravention of the provisions of the Act, Central rules or these rules.

(3) A Police Officer in uniform not below the rank of Sub-Inspector or an officer of the Transport Department not below the rank of Assistant Transport Sub-Inspector within his respective jurisdiction may at any time when a public service vehicle is in a public place call upon the driver of such vehicle to stop the vehicle and to keep it at rest for such time as may be necessary to enable the Police Officer or the officer of the Transport Department to make reasonable examination of the number of passengers and other contents of the vehicle so as to satisfy himself that the provisions and conditions of the permit in respect of the vehicle are being complied with.

(4) An Officer of the Transport Department not below the rank of Assistant Transport Sub-Inspector may at any time when a transport vehicle is in a public place call upon the driver of such vehicle to stop the vehicle and to keep it at rest for such time as may be necessary to enable the officer to inspect such vehicle. The officer shall give to the driver or any other person in charge of the vehicle, a certificate stating the date on which, the hour at which and the period for which the vehicle was detained.

106. Motor Cabs may be required to carry Taxi Meters — (1) The State Transport Authority may, by order require that within such limits and subject to such exceptions as may be specified in the order all motor cabs intended for hire shall be fitted with taxi meters.

(2) No motor cab, required to be fitted with a taxi meter under this rule, shall be used as a motor cab unless it is so fitted. The taxi-meter shall be of the type or types approved by the State Transport Authority. Such taxi meter shall be fixed to, and operated from, a non-driving wheel and shall bear the seal of the registering authority or an officer of the Weights and Measures Department authorised in this behalf to indicate that it has been tested and is in proper working order.

(3) Every taxi-meter shall be fitted with an indicator or handle in the form of a flag which shall be inscribed with the words "For Hire". The taximeter shall be so fixed that, when the indicator is vertical, the taxi-meter shall be out of action. Such indicator shall be so placed as to be clearly visible to any person outside of and in front of the vehicle and to the hirer when inside.

(4) The vertical position shall indicate that the vehicle is available for hire and no driver shall, without reasonable excuse, refuse to accept for hire when the indicator is in a vertical position.

सार्वजनिक स्थान में हो ऐसे यान के चालक से यान रोके के लिए और उस समय तक रोके रखने के लिए कह सकेगा, जो कि ऐसे पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा ऐसे यान की अन्तर्वस्तुओं की युक्तियुक्त जाँच कर सकने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग का अधिकारी, मालयान के भीतर की वस्तुओं की जाँच करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि—

(एक) यान के संबंधित अनुज्ञापत्र में उस यान द्वारा ले जा सकने वाले यान न ले जा सकने वाले मात्र

के संबंध में कोई शर्त अन्तर्विष्ट न हो;

(दो) पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी को यह यानने का कारण न हो कि यान का उपयोग अधिनियम, केन्द्रीय नियमों या इन नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया जा रहा है।

(3) वर्दी पहना हुआ कोई भी पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो या परिवहन विभाग का अधिकारी जो साहायक परिवहन उप-निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, अपनी-अपनी अधिकारिता में किसी भी समय जब लोक सेवा यान सार्वजनिक स्थान में हो, ऐसे लोक सेवा यान के चालक से यान रोकने के लिए और उस समय तक रोके रखने के लिए कह सकेगा जो कि उस पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी को अपना इस बात का समाधान करने के लिए कि यान से संबंधित अनुज्ञापत्र के उपबन्धों और शर्तों का पालन किया जा रहा है, उस यान के यात्रियों की संख्या की और यान की अन्य अन्तर्वस्तुओं की युक्तियुक्त रूप से जाँच करने के लिए आवश्यक हो।

(4) परिवहन विभाग का अधिकारी, जो साहायक परिवहन उप-निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, किसी भी समय जब परिवहन यान सार्वजनिक स्थान में हो, ऐसे यान के चालक से यान को रोकने के लिए और उतने समय तक उस यान को रोके रखने के लिए कह सकेगा जो कि उस अधिकारी को उस यान की जाँच करने के लिए आवश्यक हो। ऐसा अधिकारी चालक को या यान के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को एक प्रमाण-पत्र देगा, जिसमें वह तारीख, वह समय और वह कालावधि जब तक कि उस यान को निरुद्ध रखा गया था, दर्शायी गयी न हो।

106. मोटर कैबों में टैक्सी मीटर लगाए जाने की अपेक्षा की जा सकेगी — (1) राज्य परिवहन प्राधिकारी, आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी सीमाओं के भीतर तथा ऐसे अपारदों के अध्यक्षीयन रहते हुए जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, भाड़े पर चलाए जाने के लिए आशयित समस्त मोटर कैबों में टैक्सी मीटर लगाए जाएं।

(2) इस नियम के अधीन टैक्सी मीटर लगाने के लिए अपेक्षित की गई कोई भी मोटर कैब, मोटर कैब के रूप में तब तक उपयोग में नहीं लाई जायेगी जब तक कि उसमें टैक्सी मीटर न लगा दिया जाय। टैक्सी मीटर राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रकार या प्रकारों का होगा। ऐसा टैक्सी मीटर न चलाये जाने वाले पहिये (नान ड्रायविंग ब्लीट) के साथ जोड़ा जायेगा और वहां से उसको चलाया जावेगा और उस पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या उस प्राधिकृत नाप तौल विभाग के अधिकारी की इस बात को उपदर्शित करने वाली सील तारीहीं होगी, कि उसका परीक्षण किया जा चुका है और वह ठीक चालू हालत में है।

(3) प्रत्येक टैक्सी मीटर के साथ पताका के रूप में एक सूचक या हेंडिल लगाया जायेगा, जिस पर शब्द FOR HIRE (भाड़े के लिए) अन्तर्विष्ट होगा। टैक्सी मीटर इस प्रकार लगाया जावेगा कि जब सूचक लम्ब

स्थित हो तब टैक्सी मीटर चालू हालत में नहीं होगा। ऐसे सूचक को इस प्रकार रखा जावेगा कि वह यान के रूप में स्थित हो तब टैक्सी मीटर चालू हालत में नहीं होगा। ऐसे सूचक को इस प्रकार रखा जावेगा कि वह यान के बाहर के या उसके सामने के किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके भीतर बैठे हुए भाड़े पर स्थृत रूप से देखा जा सके।

(4) लम्ब रूप स्थिति में सूचक का होना यह उपदर्शित करेगा कि यान भाड़े पर चलाये जाने के लिए जबकि सूचक लम्ब रूप स्थिति में हो।

(5) Where an order as mentioned in sub-rule (1) has been issued, permits in respect of any motor cab covered by such order shall not be granted unless fitted with taxi meter.

107. Examination and Sealing of Taxi Meter — A taxi meter, after it has been affixed to a motor cab, whether for the first time or after repair or adjustment it shall be submitted for examination to the Registering Authority or any other officer of the Weights and Measures Department appointed by it in this behalf, for examination as to the correctness of the fittings and for a practical road test over a measured distance of not less than ten kilometers and for a time test of not less than a half-hour's duration. If found correct its fitting shall be sealed to the motor cab in such a manner that it cannot be removed or tampered without the breaking or removing the seals. No person shall break or temper with or attempt to break or tamper with such seal or with the taximeter or its fittings.

108. Subsequent examination of Taxi-meter — A taxi meter shall be submitted for examination and test once every six months and at other time if required by the Registering Authority or by an officer of the Weights and Measures Department authorised in this behalf. The result of each examination and test shall be entered in the fitness certificate of the motor cab.

109. Illumination of Taxi-meter — In every motor cab there shall be a light so placed as to illuminate the taxi-meter at night.

110. Operation of Taxi Meter — The driver of a motor cab shall as soon as it is hired, set the taxi meter in motion, and upon the termination of the hiring shall immediately stop the same.

111. The fare recorded by the Meter — The fare recorded by the taxi meter for detention by time and for distance travelled shall be according to the rates fixed by the State Government under section 67 of the Act.

112. Power of Transport Department Officers to inspect Taxi Meter — An officer of the Transport Department not below the rank of an Assistant Transport Sub-Inspector may, if he has reason to believe that a motor cab fitted with taxi meter has been tampered with, stop such motor cab and may test the meter over a distance not less than 10 kilometers and for not less than half an hour, and if the meter is found to be defective he shall seize the fitness certificate of the vehicle and cause the vehicle to be produced before the registering authority.

113. Lost Property — (1) Where a permit holder or any responsible person receives any article under clause (xvii) of rule 32, he shall keep that article for a period of two days and shall if the article is not claimed during that period hand over the same to the officer-in-charge of the nearest police station :

Provided that if the article is of a perishable nature, it may be handed over to the officer in charge of the nearest police station even before the expiry of two days.

(2) Where during the period mentioned in sub-rule (1) —

- (i) the article is claimed by not more than one person, the permit holder may after making such enquiry as he deems fit and if necessary,

(5) जहाँ उपनियम (1) में यथावर्णित कोई आदेश जारी कर दिया गया है, तो ऐसे आदेश के अन्तर्गत अने वाले मोटर कैब से संबंधित कोई भी अनुज्ञापत्र तब तक नहीं दिया जायेगा, तब तक कि उसमें टेक्सी मीटर न लगा हो।

107. टेक्सी मीटरों का परीक्षण तथा उनमें सील लगाई जाना — टेक्सी मीटर को किसी मीटर कैब पर लगाये जाने के पश्चात चाहे वह मीटर पहली बार लगाया गया हो या उसकी मरम्मत करके या उसका समायोजन करने के पश्चात लगाया गया हो, फिरांगी की शुद्धता के परीक्षण के लिए और नपी बुई दस किलोमीटर से अन्यून दूरी तक व्यावहारिक रूप से मड़क पर चलने के परीक्षण के लिए और आधे घण्टे से अन्यून अवधि के समय परीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या उनके द्वारा इस नियमित नियुक्त किये गये नाप तौल विभाग के किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि उसे शुद्ध पाया जावे तो मोटर कैब से संलग्न उसकी फिरांगी को इस रीति से सील लगाई जाएगी कि उन सीलों को तोड़े या हटाए बिना उस मीटर को हटाया न जा सके या उसे बिगाड़ा जा सके। कोई भी व्यक्ति ऐसी सील या टेक्सी मीटर या उसकी फिरांग को न तोड़ेगा, न उसे बिगाड़ेगा और न ही उसे तोड़ने या उसे बिगाड़ने का प्रयत्न करेगा।

108. टेक्सी मीटर की पश्चात्वर्ती जाँच — टेक्सी मीटर की जाँच और परीक्षण के लिए प्रति छः मास में एक बार तथा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या इस नियमित प्राधिकृत नाप तौल विभाग के अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाने पर अन्य किसी भी समय प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक परीक्षण एवं जाँच के परिणाम की मोटर कैब के उपयुक्तता प्रमाण पत्र में प्रतिशिर्षी की जावेंगी।

109. टेक्सी मीटर की प्रकाश व्यवस्था — प्रत्येक मोटर कैब में प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार की जावेगी जिससे कि रात्रि में टेक्सी मीटर चमकता है।

110. टेक्सी मीटर का प्रचालन — मोटर कैब का चालक जैसे ही मोटर कैब को भाड़े पर लिया जाता है टेक्सी मीटर को चालू कर देगा और यात्रा समाप्ति के पश्चात उसे तकाल बंद कर देगा।

111. मीटर द्वारा अभिलिखित किराया — रोके रखने की अवधि के लिए और कोई गई यात्रा के लिए टेक्सी मीटर द्वारा अभिलिखित किराया, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 67 के अधीन निर्धारित की गई दरों के अनुसार होगा।

112. टेक्सी मीटर का निरीक्षण — परिवहन विभाग का ऐसा कोई भी अधिकारी जो पद में साधारण परिवहन उप-नियोक्तक के पद से निन्म पद का न हो, यदि उसे इस बात का विश्वास करने का कारण है कि मोटर कैब में लगाए गए टेक्सी मीटर को बिगाड़ा गया है तो वह ऐसे मोटर कैब को रोक सकेगा और दस किलोमीटर से अन्यून दूरी तक और आधे घण्टे से अन्यून अवधि तक चलावाकर मीटर की जाँच कर सकेगा और यदि मीटर दोषपूर्ण पाया जाता है तो वह यान का उपयुक्तता प्रमाणपत्र अभिग्रहित करेगा और यान को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करवायेगा।

113. खोई हुई सम्पत्ति — (1) यदि नियम 32 के खण्ड (सत्र) के अधीन कोई वस्तु किसी परन्तु यदि वह वस्तु विनश्वर प्रकृति की है तो वह वस्तु निकटतम पुलिस थाने के भासास्थक अधिकारी को दो दिन सामाज होने के पूर्व भी सौंपी जा सकेगी।

(2) जहाँ उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के दौरान —

(एक) वस्तु का दावा एक से अनधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो अनुज्ञापत्र धारक ऐसी वस्तु का दावा एक से अनधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो अनुज्ञापत्र धारक ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसा कि वह उचित समझे, और यदि आवश्यक हो तो दावेदार से

after taking an indemnity bond from the claimant hand over the article to the claimant;

(ii) the article is claimed by two or more than two persons, the permit holder shall hand over the same to the officer-in-charge of the nearest police station.

114. Prohibition on painting or marking of Transport Vehicles in certain manner — (1) No advertising device, figure or writing shall be exhibited on any transport vehicle save as may be specified by the Regional Transport Authority by general or special order.

(2) A public service vehicle when regularly used for carrying postal mail by or under a contract with the posts and telegraphs department, may exhibit in a conspicuous place upon a plate or a plain surface of the motor vehicle the words "MAIL" in red colour on a white ground, each letter being not less than fifteen centimetres in height and of a uniform thickness of two centimetres.

(3) Save as aforesaid, no motor vehicle shall display any sign or inscription which includes the word "MAIL".

(4) No transport vehicle, except those owned by the Central or State Government shall be painted wholly in red, olive green, khaki or dark blue colours and no vehicle painted in these colours shall be used by any person or shall be caused or allowed to be used in any public place:

Provided that if the State Government so directs fire-engines owned by local bodies and transport vehicles of State Road Transport undertaking may be painted in red colour.

(5) An Educational Institute bus as defined under clause (ii) of section 2 of the Act shall be painted in yellow colour.

115. Painting and marking of Motor Cabs in certain manner — (1) Except the motor cabs covered by All India Tourist permit and such other motor cabs or class of motor cabs as may be exempted by the State Transport Authority, the hood of every motor cab shall be painted in cream yellow and the rest of the body in black colour.

(2) In addition to the registration mark, a serial number of permit allotted by the registration authority shall be painted on the motor cab at each of the following different places, namely—

- (i) the left hand top portion of the front wind screen;
- (ii) on rear boot on the side of the registration mark;
- (iii) in the middle of the left front door; and
- (iv) in the middle of the right front door.

(3) The aforesaid number shall be painted in white and in a red circle and the numerals shall not be more than 50 millimeters and less than 38 millimeters in breadth.

(4) The number of the left hand portion of the windscreens shall be so painted as to be readable from inside and the number on the rear boot, the left front door and the right front door shall be painted against the black background.

क्षतिपूर्ति बन्धपत्र लेने के पश्चात् वह वस्तु दावेदार को सौंप देगा;

(दो) वस्तु का दावा दो या दो अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो अनुज्ञापत्र धारक वह वस्तु निकटम् पुलिस थाने के भारासाधक अधिकारी को सौंप देगा।

114. परिवहन यानों पर कठिपय रीति में रंग चिह्नित करने का प्रतिवेद्य — (1) किसी भी परिवहन यान पर किसी भी विज्ञापन की युक्ति, आकृति या लेखन का प्रदर्शन प्रदेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनियोग किये अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) कोई लोक सेवा यान जब कि उसका उपयोग नियमित रूप से डाक तथा तार विभाग से की गई संविदा द्वारा या उसके अधीन डाक की चिह्नितीयाँ लाने, तो जाने के लिए किया जाता है तब उस मोटर यान के सहज दृश्य स्थान पर किसी पट्टी पर या मोटरयान की बाहरी समतल सतह पर सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के शब्द "डाक" (MAIL) प्रदर्शित किया जा सकेगा, जिसका प्रत्येक अक्षर ऊँचाई में पन्द्रह सेटीमीटर से अनन्द्र छोड़ा जाएगा और उसकी दो सेटीमीटर की समान मोटाइ लोगी।

(3) यथा पूर्वोक्त के सिवाय, किसी भी अन्य मोटरयान पर किसी ऐसे संकेत या अन्तर्लेख का संप्रदर्शन नहीं किया जायेगा, जिसमें शब्द "डाक" (MAIL) सम्मिलित हो।

(4) केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व के परिवहन यानों को छोड़कर किसी भी यान को पूर्णतः लाल, जैतूरी, हरे, खाली या गहरे पीले रंगों से नहीं रंगा जायेगा, और इन रंगों से रोगे हुये किसी भी यान का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा और किसी सार्वजनिक स्थान में उसका उपयोग नहीं करने दिया जायेगा या न ही उसका उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी :

परन्तु यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो स्थानीय निकाय के स्वामित्व के आग बुझाने वाले इंजिनों और राज्य सड़क परिवहन उपक्रम के परिवहन यानों को लाल रंग से रंगा जा सकेगा।

(5) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (11) में यथा परिभाषित शैक्षणिक संस्थान बस पीले रंग से रंगी जाएगी।

115. मोटर केब की कठिपय रीति में रंगाई और चिह्नांकन — (1) सिवाय ऑल इंडिया ट्रीस्ट परमिट (अखिल भारतीय पर्टन अनुज्ञापत्र) के अन्तर्गत आगे वाले मोटर कैब के तथा ऐसे अन्य मोटर कैब या ऐसी श्रेणी के मोटर कैब जिन्हें कि राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा कूट दी जाए, प्रत्येक मोटर कैब का ऊपरी भाग (हुड़) क्रीम पीला (क्रीम घेतो) रंग और शेष बाही काले रंग में रंगी जायेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण चिह्न के अतिरिक्त पर्ट्येक भिन्न-भिन्न स्थानों पर रंग से अंकित किया जावेगा, अर्थात् —

(एक) सामने के वायुरोध शीशों (विन्ड स्क्रीन) के बायीं ओर के ऊपरी भाग पर,

(दो) पिछले भाग (रियर बूट) पर रजिस्ट्रीकरण चिह्न के पासवर्ष में,

(तीन) बांयी ओर वाले आगे के दरवाजे के बीच में, और

(चार) दाँयी ओर वाले दरवाजे के बीच में।

(3) आग कथित अनुक्रमांक लाल रंग के बूत के अन्दर सफेद रंग से लिखे जाएंगे और अंक 50 मिली-

मीटर से कम नहीं होगे तथा उनकी चौड़ाई 30 मिलीमीटर से कम होगी।

(4) वायुरोधी शीशा (विन्ड स्क्रीन) के बायें हाथ की ओर से भाग का अंक इस प्रकार लिखा जावेगा जो अन्दर की ओर पढ़ा जा सके तथा पिछले भाग (बूट) का, बायीं ओर के आगे के दरवाजे और दाँयी ओर के आगे के दरवाजे के अंक काली पृष्ठभूमि पर लिखे जाएंगे।

(5) Notwithstanding anything contained in these rules no permit shall be granted or renewed in respect of any motor cab which does not conform to the provisions of sub rules (1) to (4).

(6) No motor vehicle other than a motor cab shall be painted in the manner prescribed in sub-rule (1).

115-A. Colour of maxi-cab — (1) The upper portion (Hood) of maxi-cab shall be painted in Yellow colour.

(2) The provisions of sub-rule (3), (4) and (5) of rule 115 shall *mutatis mutandis* apply in respect of maxi-cab also.

116. Classification of Stage Carriage Services — (1) Stage carriage services shall be classified as Ordinary, Express and Deluxe. The Express and Deluxe services shall not ordinarily have stage at less than 50 Kms. apart unless the permit granting authority specifically allows otherwise.

(2) The State Transport Authority may, by general or special order, direct that vehicles plying as Express and Deluxe services shall be painted in such colours different from the colour of vehicles plying an ordinary service or may have such special markings, as the State Transport Authority may specify and no Motor Vehicle than those operating as Express or Deluxe service shall be painted or carry marking in the manners so specified.

117. Air conditioning and Cooling — Only vehicles whether omni-buses or motor cabs fitted with air-conditioning units or air-cooling device of marks and specifications approved by the State Transport Authority shall be recognised as being air-conditioned or air-cooled and no other form of air-conditioning or air-cooling device shall be recognised for purpose of grant of permit or for charging of fare applicable to air-conditioned or air-cooled services.

118. Conveyance of animals in Stage Carriage — Cattle and goats shall not be carried in stage carriages but dogs and other small pets may be carried on payment of half of the adults fare, if permitted by the conductors. All dogs and other small pets conveyed in stage carriage shall be securely fastened and shall be under full control of the owner.

119. Licensing and regulation of conduct of Agent for sale of tickets for travel by Public Service Vehicle — In rules 120 to 130 unless the context otherwise requires —

- (a) "Travel Agent" means an agent or a canvasser in the sale of tickets for travels or otherwise soliciting customers for such vehicles.
- (b) "Travel Agent Licence" means a licence granted under rule 122.
- (c) "Licensing Authority" means the Regional Transport Authority of the place where the applicant has his principal place of business.

1. Inserted by Notification No. F 8-7-98-VIII dated the 6th January, 1999 and published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 6-1-1999 page 26.

(5) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी किसी मोटर कैब के संबंध में कोई अनुज्ञापत्र तब तक नहीं दिया जाएगा और उसका नवीकरण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मोटर कैब उपनियम (1) से (4) तक के उपबंधों के अनुरूप न हो।

(6) मोटर कैब से भिन्न कोई अन्य मोटर यान उपनियम (1) में विविहि रीति में नहीं हो सकता।

115-अ. मैक्सी कैब का रंग — (1) मैक्सी कैब का आरी भाग (डुप्ले) पीले रंग में रंगा जाएगा।

(2) मैक्सी कैब के संबंध में नियम 115 के उपनियम (2), (3), (4) और (5) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

116. मंजिली गाड़ी सेवाओं का वर्गीकरण — (1) मंजिली गाड़ी की सेवाओं को साधारण एक्सप्रेस और डीलक्स सेर्विस के रूप में वर्गीकृत किया। डीलक्स और एक्सप्रेस सेवाओं की मंजिलें (खलने के स्थान) सामान्यतया एक दूसरे से कम से कम 50 किलोमीटर दूरी की होंगी जब तक अनुज्ञापत्र देने वाला प्राधिकारी विविहि रूप से अन्यथा अनुज्ञात न करे।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह नियम देखा कि एक्सप्रेस और डीलक्स सेवाओं के रूप में चलाये जाने वाले यानों को ऐसे रंग से रंगा जायेगा जो साधारण सेवा के रूप में चलाये जाने वाले यानों से भिन्न हों या उन पर ऐसे विशेष प्रकार के चिन्ह हो सकेंगे जैसा कि राज्य परिवहन प्राधिकारी भी नियमित करे कि और एक्सप्रेस या डीलक्स सेवाओं के रूप में चलाये जाने वाले यानों से भिन्न किसी भी अन्य मोटरयान को इस प्रकार विविहि की गई रीति में नहीं रंगवाया जायेगा और न ही उस पर वे चिन्ह अंकित होंगे।

117. वातानुकूलित तथा वातशीतन — केवल उन यानों को चाहे वे अपेक्षी बस हों वा मोटर कैब, जिनमें राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बनावटों एवं विनियंत्रणों (सेविसफिलेशन) के वातानुकूलन यूनिट या वातशीतन साधन लगे हुए हों वातानुकूलित या वातशीतन यानों के रूप में मान्यता दी जायेगी और वातानुकूल के किसी भी अन्य प्रकार या वातशीतन के किसी भी अन्य साधन को वातानुकूलित तथा वातशीतन सेवाओं को लागू होने वाला अनुज्ञापत्र देने या कियारा प्रभारित करने देने के प्रोजेक्ट के लिये मान्यता नहीं दी जायेगी।

118. मंजिली गाड़ियों में पशुओं को लाना ले जाना — मंजिली गाड़ियों में पशु और बकरों का वहन नहीं किया जाएगा जिन्हें यदि परिचालक द्वारा अनुज्ञा दी जाये तो व्यापक व्यक्तियों के लिये लाने वाले यात्री भाड़े से आधे भाड़े का सांदर्य करने पर कुत्ते और अन्य छोटे पालतू पशुओं को ले जाया जा सकेगा। मंजिली गाड़ी में ले जाए जाने वाले सभी कुत्तों तथा अन्य छोटे पशुओं को सुरक्षित रूप से बांध कर रखा जायेगा और वे स्थानी के पूर्ण नियंत्रणाधीन होंगे।

119. लोक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिये टिकटों की विक्री के लिये एजेंटों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियम — नियम 120 से 130 तक में जब तक संदर्भ से अन्यथा अंकित न हो, —

(क) "ट्रेविल अभिकर्ता" से अभिप्रेत है वह अभिकर्ता या संचालक (केनवासर) जो लोक सेवा यान के लिये टिकटों की विक्री से या अन्यथा ऐसे यान की ग्राहकी के लिये संयोजना करने में लगा हो;

(ख) "ट्रेविल अभिकर्ता अनुज्ञाति" से अभिप्रेत है नियम 122 के अधीन दी गई अनुज्ञाति;

(ग) "अनुज्ञापन का ग्राहकीकारी" से अभिप्रेत है उस स्थान का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी जहां

आवेदक का कारबार का मुख्य स्थान है।

1. अधिसचना क्रमांक एफ. 8-7-98-आठ, दिनांक 6 जनवरी, 1999 द्वारा अंतःस्थापित एवं सम्प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6-1-1999 को पृष्ठ 26 पर प्रकाशित।

120. Application for licence to act as a Travel Agent — (1) An application for grant or renewal of a Travel Agent's licence shall be made in Form M.P.M.V.R.-61 (L.Ag.A) to the Licensing Authority and shall be accompanied by a fee as specified in rule 145.

(2) Where the applicant has besides the main office, branch office within the jurisdiction of the Licensing Transport Authority referred to in sub-rule (1), the applicant shall indicate such place with full address in his application for grant of licence.

(3) Where the applicant has branch offices outside the jurisdiction of the licensing authority, a separate application shall be made to the Licensing Authority whose jurisdiction the branch office is situated in Form M.P.M.V.R.-61 (PAGA) accompanied by a fee as specified in rule 145.

121. Scrutiny of Application — A Licensing Authority, while granting or renewing a Travel Agents licence, shall take into consideration the following, namely—

- The financial stability of the applicant and his experience of passenger transport business.
- The number of public service vehicles either owned by the applicant or under his control.
- Suitability of the accommodation under the control of the applicant for sale of tickets for travel by public service vehicle.
- Facilities provided by the applicant for parking of public service vehicles for embarking or disembarking of passengers without hindrance to general traffic in the area.

122. Grant/Renewal of Travel Agent's Licence — The Licensing Authority, on receipt of application under rule 120 may for reasons to be recorded in writing, grant or renew or refuse to grant a licence :

Provided that the licensing authority shall not refuse to grant a licence unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons for refusal are communicated to him in writing.

123. Furnishing of Security Deposit — A person who has been granted the Travel Agent's licence shall deposit a sum of Rupees Five Thousand through Treasury Challan under appropriate revenue head of the Transport Department. The amount of security deposit for a licence for branch office under sub-rule (3) of rule 120 shall be Rupees Three Thousand.

124. Form and Validity of Licence — A Travel Agent's licence shall be in Form M.P.M.V.R.-62 (L Ag) and shall be valid for a period of three years from the date of grant or renewal :

Provided that if the licence is in respect of branch office referred to in sub-rule (3) of rule 120 the validity of such licence shall be restricted to the validity of licence granted in respect of the main office.

125. Renewal of Licence — An application for renewal of Travel Agent's licence may be made to the Licensing Authority within fifteen days before the expiry of the licence and shall be accompanied by the original licence and the fee as specified in rule 145.

126. General conditions to be observed by the holder of Travel Agent's Licence — The holder of a Travel Agent's licence shall—

- maintain all register containing names and addresses of the passengers

120. ट्रेविल अभिकर्ता के हाथ में कार्य करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र — (1) ट्रेविल अभिकर्ता अनुमति दिए जाने या कठोरण के लिए आवेदन पत्र पर यह सी.एस.आर.-61 में अनुमति प्राप्तिकारी को दिया जायेगा और उसके साथ मियम 145 में यथा विविध फीस होगी।

(2) बहां उपनियम (1) में संदर्भित अनुशासन प्राप्तिकारी की अधिकारिता की भीतर आवेदक का प्रमुख कार्यालय के अलावा शाखा कार्यालय भी है, तो आवेदक अनुमति दिए जाने के अपेक्षा आवेदन पत्र में ऐसे स्थान का दूसरे दोनों के साथ उल्लेख करेगा।

(3) बहां आवेदक का शाखा कार्यालय अनुशासन प्राप्तिकारी की अधिकारिता के बाहर स्थित है तबो एक प्रथम आवेदन पत्र प्रस्तुती सी.एस.आर.-61 में उस अनुमति प्राप्तिकारी को दिया जायेगा जिसकी अधिकारिता में शाखा कार्यालय स्थित है और उसके साथ मियम 145 में यथा विविध फीस होगी।

121. आवेदन पत्र की जाँच — अनुशासन प्राप्तिकारी, ट्रेविल अभिकर्ता अनुमति देते साथ या नवीकरण करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्—

- आवेदक की वित्तीय सुदृढ़ता एवं यात्री परिवहन व्यवसाय में उसका अनुभव;
- लोक सेवा यानों की संख्या जो आवेदक के स्वामित्व या उसके नियंत्रण में हो;
- लोक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के लिये टिकटों की विक्री हेतु आवेदक के नियंत्रण के अधीन स्थान की उपयुक्तता;
- क्षेत्र के सामान्य यातायात को बिना यापा पहुँचाये यात्रियों को चढ़ाने या उतारने के लिये लोक सेवा यानों को खड़े करने हेतु आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधायें।

122. ट्रेविल अभिकर्ता अनुमति का दिया जाना/नवीकरण — नियम 120 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अनुशासन प्राप्तिकारी कारणों को अभिलिखित करते हुए, अनुमति दे सकेगा या नवीकरण कर सकेगा या देने से इन्कार कर सकेगा :

परन्तु अनुशासन प्राप्तिकारी अनुमति देने से तब तक इनकार नहीं करेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो तथा इनकार के कारणों को लिखित में उसे संसूचित न कर दिया गया हो।

123. प्रतिभूति निष्क्रेप का दिया जाना — वह व्यक्ति, जिसे ट्रेविल अभिकर्ता अनुमति दी गयी है, परिवहन विभाग के समुचित राजस्व शर्तों के अन्तर्गत कोषालपीन चालान द्वारा पांच हजार रुपये की पारी प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा। नियम 120 के उपनियम (3) के अधीन शाखा कार्यालय की अनुमति के लिये प्रतिभूति की पारी तीन हजार रुपये होगी।

124. अनुमति का प्राप्त तथा वैधता — ट्रेविल अभिकर्ता अनुमति प्राप्त सी.एस.आर.-62 (एल.ए.पी.) में होगी तथा अनुमति दिये जाने या नवीकरण की तारीख से तीन वर्ष के लिये वैध होगी :

परन्तु यदि अनुमति नियम 120 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट शाखा कार्यालय से संबंधित है तो ऐसा अनुमति की वैधता मुख्य कार्यालय के संबंध में दी गई अनुमति की वैधता से निर्विधित होगी।

125. अनुमति का नवीकरण — ट्रेविल अभिकर्ता अनुमति के नवीकरण के लिये आवेदन पत्र अनुमति के समाप्त होने के पूर्व 15 दिन के भीतर अनुशासन प्राप्तिकारी को दिया जा सकेगा तथा उसके साथ मूल अनुमति एवं नियम 145 में यथा विविध फीस होगी।

126. ट्रेविल अभिकर्ता अनुमति धारक द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्य मर्त्ते — ट्रेविल अभिकर्ता अनुमति का धारक —

- एक रजिस्टर रहेगा जिसमें बुक किये गये यात्रियों के नाम तथा पते उनकी यात्रा के गन्तव्य एवं

booked, destination of their journeys and other details as mentioned in Form M.P.M.V.R.-63 (T.V.Reg.);

- (b) ensure that the public service vehicles for which he sold tickets or otherwise booked the passengers for travel, carries a valid permit for the route and complies with the other requirements of the Act, and that such vehicle departs from the Scheduled place and at the Scheduled time for its journey;
- (c) keep the premises and all records and registers maintained by him, open for inspection at all reasonable times by the Licensing Authority or by any officer not below the rank of Transport Sub-Inspector as may be authorised in this behalf by the Licensing Authority;
- (d) not shift the main office or branch office mentioned in the licence without the prior approval in writing by the Licensing Authority;
- (e) display at a prominent place in its main office and its branch office the licence issued in original and certified copies thereof, attested by the Licensing Authority;
- (f) maintain in the main office and its branch office in conspicuous place a "Complaint Book" in Form M.P.M.V.R.-64 (Comp T Ag.) with serially numbered, paged in triplicate. The licensee shall despatch the duplicate copy of complaint, if any, to the Licensing Authority by registered post expeditiously and in any case not later than three days;
- (g) submit from time to time to the Licensing Authority such information and return as may be called for by it;
- (h) in case engaged in issuing tickets for stage carriage—
 - (i) charge the fare in accordance with the fare table approved by the Transport Authority;
 - (ii) not charge fare less than the prescribed for attracting the passengers, and thereby creating unhealthy competition;
 - (iii) not curse or mislead any passenger to board his bus;
 - (iv) behave in a civil and orderly manner with a person who is demanding ticket; and
 - (v) issue tickets to the person in serial order.

127. Suspension, cancellation of Agent's Licence and forfeiture of Security —

- (a) Without prejudice to any action which may be taken against a licensee, the Licensing Authority may, by order in writing cancel the licence or suspend it for such period, as it thinks fit, if in its opinion any of the conditions under which the licence has been granted, has been contravened.
- (b) Before making any order of suspension or cancellation under clause (a), the Licensing Authority shall give the licensee an opportunity of being heard and shall, record reasons in writing for such cancellation or suspension.
- (c) The Licensing Authority may order the forfeiture in whole or in part of the security furnished by the licensee under rule 123 for contravention of

अन्य ऐसे विवरण जैसा कि प्ररूप सी.जी.एम.वी.आर.-63 (टी.वी.आर.वी.) में वर्णित होंगे;

- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा लोक सेवा यान जिसके लिये उसने टिकटों की बिक्री की है या अन्यथा, यात्रा के लिये यात्रियों को बुक किया है, उस मार्ग के लिये वैध अनुज्ञापन रखता है तथा अधिनियम की अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है एवं ऐसा वाहन यात्रा के लिये निर्धारित समय व निर्धारित स्थान से प्रस्थान करता है;
- (ग) पासर एवं समस्त अभिलेखों को तथा अपने द्वारा खेल गये रजिस्टरों को अनुज्ञापन प्राधिकारी वा अन्य कोई ऐसे अधिकारी द्वारा जो परिवहन उप-नियंत्रक के पद से नियम पद का न हो, जो कि इस नियम अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए, सभी युक्ति-युक्त समयों पर नियंत्रण किए जाने के लिये खुला रखेगा;
- (घ) अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञाति में वर्णित प्रमुख कार्यालय या शाखा कार्यालय को परिवर्तित नहीं करेगा;
- (ङ) मूल रूप में जारी की गई अनुज्ञाति और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अभिमानित उसकी प्रतिलिपियाँ पुष्ट कार्यालय एवं उसके शाखा कार्यालय के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेगा;
- (च) एक शिकायत पुस्तिका प्रश्न सी.जी.एम.वी.आर.-64 में विस पर क्रमानुसार प्रत्येक पृष्ठ की तीन प्रतियों में पृष्ठ संख्या डिली हो, प्रमुख कार्यालय एवं उसके शाखा कार्यालय के सहज दूर्य स्थान पर रखेगा। अनुज्ञानिधारी शिकायत की, यदि कोई हो, दूसरी प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक से शीघ्र एवं किसी भी स्थिति में अधिकतम तीन दिन के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा;
- (छ) अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसी सूचना और विवरणी समय-समय पर प्रस्तुत करेगा, जैसी कि उसके द्वारा अपेक्षित की जाए;
- (ज) ऐसे मामले में जहाँ अनुज्ञानिधारी मंजिली गाड़ी के लिये टिकट जारी करने के कार्य में लगा है—
 - (एक) परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किराया सूची के अनुसार किराया प्रभारित करेगा;
 - (दो) यात्रियों आवश्यित करने के लिये विलित किराया ए से कम किराया लेकर अवांछनीय होड़ उत्पन्न नहीं करेगा;
 - (तीन) किसी यात्री को अपने यान में यात्रा करने के लिये गुमराह नहीं करेगा और न ही उनसे अपराद्य करेगा;
 - (चार) टिकट मांगने वाले व्यक्तियों के साथ सम्पत्तार्पण व उचित रीति से व्यवहार करेगा;
 - (पांच) व्यक्तियों को क्रम से टिकट जारी करेगा।

127. अधिकर्ता अनुज्ञाति का निलम्बन, रद्द करण एवं प्रतिभूति का सम्पर्क —

- (क) अनुज्ञाति धारक के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि उसकी राय में जिन शर्तों के अधीन अनुज्ञाति दी गयी है, उनमें से किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है, तो लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञाति को रद्द कर सकेगा या ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, उसे निलंबित कर सकेगा।
- (ख) खण्ड (क) के अधीन निलम्बन या रद्द करण का कोई आदेश पारित करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञाति धारक को मुनावई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे निलम्बन या रद्द करण के कारणों को अधिलिखित करेगा।
- (ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी इस नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिए या नियम 126 में विनिर्दिष्ट शर्त में से किसी भी शर्त के भाग के लिए प्रतिभूति को, जो अनुज्ञानिधारी द्वारा नियम 123

any provision of this rule or rule 126 for breach of any conditions specified therein:

Provided that no such forfeiture shall be made unless the licensee is given an opportunity of being heard.

(d) In the event of a forfeiture of a security deposit or part thereof, by the Licensing Authority, the licence shall cease to be valid, if the licensee fails to make payment to bring the security already furnished by him to its original value within thirty days of the receipt of the order of forfeiture.

128. Issue of duplicate Licence — If, at any time Travel Agent's licence is lost, destroyed, torn or otherwise defaced so as to be illegible, the agent shall forthwith apply to the Licensing Authority for the grant of a duplicate licence. The application shall be accompanied by the fee as specified in rule 145. Upon receipt of such application the authority shall issue a duplicate licence stamped "Duplicate" in red ink. If the duplicate licence is issued on a representation that the licence originally granted has been lost or destroyed and the original licence has been subsequently found, the duplicate licence shall be surrendered to the Licensing Authority.

129. Appeal — Any person aggrieved by an order of the Licensing Authority under rule 122 or 127 may within thirty days of the receipt of the order appeal to the State Transport Authority.

130. Procedure for Appeal — (1) An appeal under rule 129 shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, setting forth grounds of objections to the order of the Licensing Authority and shall be accompanied by the fee as specified in rule 145 and a certified copy of such order.

(2) The Appellate Authority or the Secretary Regional Transport Authority may give any person interested in an appeal preferred under rule 129 copies of any document connected with the appeal on payment of the fee as specified in rule 145.

(3) The Appellate Authority after giving an opportunity to the parties to be heard and after such further enquiry, as it may deem necessary, may confirm, vary or set aside the order for which the appeal is preferred and shall make an order accordingly.

131. Licensing of Agents engaged in the business of collecting or forwarding and distributing goods — In rules 132 to 143 unless the context otherwise requires—

(a) "Agent" means any person engaged in the business of collecting or forwarding and distributing goods carried by road by goods carriage plying for hire;

(b) "Agent's Licence" means a licence granted to an agent under sub-rule (4) of rule 133 for the principal establishment, and includes a supplementary licence granted to such agent for any additional establishment or branch office specified in such supplementary licence;

(c) "Licensing Authority" means the Regional Transport Authority of the region in which the applicant intends to carry on the business.

132. Prohibition to act as Agent except under Licence — No person

के अधीन कर्य कराई गई है यूरोप, या पानी, समाज के लिए जो कि अदेश दे सकता है अनुज्ञानित उसके लिए लक्ष नहीं किया जाएग वह तक कि अनुज्ञानित को सुनावी का अवासन न दे दिया जाए है।

(v) अनुज्ञानित निषेचन या उसके किसी भाग को अनुज्ञानित समिकारी द्वारा समावृत्त किए जाने की दशा में, यदि अनुज्ञानित उसके द्वारा दूसरे ही कार की नई अधिकृती पात्री को उसकी मूल रकम के बराबर पर लाने के लिये आवश्यक तात्परी समावृत्त के अदेश की पात्री हो तो तीस दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है तो अनुज्ञानित की वैधता स्थानत हो जाएगी।

128. अनुज्ञानित की द्वितीय प्रति जारी करना — यदि किसी साथ अधिकता अनुज्ञानित हो जाय, यह हो जाए, कट जाए या अन्यथा इस प्रकार विकृत हो जाये कि अनुज्ञानित हो जाये, तो अधिकता तुलना द्वितीय अनुज्ञानित दिये जाने के लिये अनुज्ञानित प्राप्तिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन पत्र के साथ नियम 145 में वसा विनिर्दिष्ट कीस दी जाएगी। इस प्रकार का आवेदन पर प्राप्त होने पर प्राप्तिकारी अनुज्ञानित की द्वितीय प्रति जिस पर लाल स्थानी से "द्वितीय प्रति" मुशकित होगा जारी रहेगा। यदि द्वितीय अनुज्ञानित इस अधिकृती के आवासन पर किसी भूत रूप से दी गई अनुज्ञानित हो गयी या नहीं हो गयी है, जारी की गयी है, और यदि तलावात् भूत अनुज्ञानित नित जाए, तो मूल अनुज्ञानित, अनुज्ञानित प्राप्तिकारी को समर्पित कर दी जाएगी।

129. अपील — अनुज्ञानित प्राप्तिकारी द्वारा नियम 122 या 127 के अपील दिए गए आदेश से व्याप्ति कोई व्यक्ति, आदेश प्राप्ति के तीन दिन के भीतर राज्य परिवहन प्राप्तिकारी को अपील कर सकता।

130. अपील के लिये प्रक्रिया — (1) नियम 129 के अपील अपील से प्रतिमें ज्ञापन के काग में प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अनुज्ञानित प्राप्तिकारी के आदेश के विवर आपतिमें के आपासों का उल्लेख किया जाएगा और उसके साथ नियम 145 में वसा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने दे सकेगा।

(2) अपील प्राप्तिकारी या सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राप्तिकारी नियम 129 के अपील प्रस्तुत की गयी अपील में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को अपील से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रति नियम 145 में वसा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने दे सकेगा।

(3) अपील प्राप्तिकारी पक्षकारों को सुनावाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जीव, यदि कोई हो, ऐसी वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उस आदेश की, जिसके के विषय अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें केफार कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा और तदनुसार आदेश करेगा।

131. माल के संग्रहण या अग्रेषण और वितरण के कावायार में लागे हुए अधिकताओं का अनुज्ञान — नियम 132 से 143 तक में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिकता" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो भाड़े पर चलने वाले माल यान द्वारा सड़क मार्ग से वहन किये जाने वाले माल के संग्रहण या अग्रेषण और वितरण के कावायार में लागा हुआ है;

(ख) "अधिकता अनुज्ञान" से अभिप्रेत है अधिकता को प्रमुख स्थानों के लिये नियम 133 के उपनियम (4) के अधीन दी गई अनुज्ञान और उपरे अन्यांत किसी अतिरिक्त स्थानों या शावा कार्यालय के लिये जो कि ऐसी अनुपूर्ण अनुज्ञान में विनिर्दिष्ट हो, दी गई अनुपूर्ण अनुज्ञान सम्मिलित है;

(ग) "अनुज्ञान प्राप्तिकारी" से अभिप्रेत है उम प्रदेश (रिजन) का प्रादेशिक परिवहन प्राप्तिकारी जिसमें आवेदक द्वारा कारोबार करना आशयित हो।

132. अनुज्ञानित के अधीन के सिवाय अधिकता का कार्य करने का प्रतिशेष — कोई भी

shall act as an agent unless he holds a valid licence authorising him to carry business of an agent at the place or places specified in the licence.

133. Agent's Licence — (1) Any person desiring to obtain Agent's Licence shall make an application to the Regional Transport Authority of the region in which he has his place of business. Such application shall be made in Form M.P.M.V.R.-63 [L Ag A (Goods)].

(2) The application shall be accompanied by the fee as specified in rule 145.

(3) In considering an application made under this rule, the Licensing Authority shall have due regard, among other things to—

- (a) the number of goods carriages, if any, either owned by the applicant or under his control;
- (b) the suitability of accommodation under the control of the applicant for the storage of goods at every operating place;
- (c) the facilities provided by the applicant for parking the goods carriages while loading; or unloading without hinderance to the general traffic in the area; and
- (d) the financial resources of the applicant and his experience in the trade.

(4) The Licensing Authority shall either grant the licence including a supplementary licence for a branch office if any, in Form M.P.M.V.R.-66 [L Ag P (Goods)] or M.P.M.V.R.-67 [L Ag S (Goods)] as the case may be specifying the place or places where the business may be carried on, or refuse to grant the licence:

Provided that the Licensing Authority shall not refuse to grant a licence or a supplementary licence for a branch office applied for, unless the applicant is given an opportunity of being heard, and the reasons for refusal are recorded and communicated to him in writing.

(5) The Licensing Authority shall, while granting a licence (including any supplementary licence) or at any time during the validity of licence by order require the licensee to furnish a security in cash of rupees ten thousand and when a licensee has furnished earlier any security in pursuance of an order passed under this sub-rule additional security not exceeding rupees one thousand.

(6) The licence shall be in two parts, namely, the principal part (hereinafter referred to as "the principal licence") in which supplementary licence issued for every separate establishment or branch office for loading, unloading or receipt of delivery of consignments is carried on, shall be mentioned and the supplementary part (hereinafter referred to as "the supplementary licence"). The details of the establishment or branch office (such as, municipal house number, the nearest road, bye-lane, the postal delivery district and other landmarks in the vicinity to enable identification of the place of license) duly attested by the Licensing Authority shall be attached to the licence.

(7) The Principal licence shall be kept and displayed prominently at the head office, and the supplementary licence shall be kept and displayed prominently at each branch office to which it refers except when the principal licence or supplementary licence, as the case may be, is forwarded to the Licensing Authority for affecting renewal and the licensee is in possession of an acknowledgment to that effect. Such licence or acknowledgment shall be produced before any inspecting officer of the Transport Department.

लिंक अधिकारी के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास वैध अनुज्ञापत्र न हो जो उसे अनुज्ञापत्र में विविदिष्ट स्थान या स्थानों पर अधिकारी का कारबाह करने के लिये, प्राधिकृत करती है।

133. अधिकारीओं की अनुज्ञापत्र — (1) अधिकारी की अनुज्ञापत्र प्राप्त करने का इच्छुक कोई लिंक उत्तर प्रदेश (रीजन) के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के विसमें उसके कारबाह का स्थान है, आवेदन कर सकेगा। ऐसा आवेदन प्रलूप सी.जी.एम.वी.आर.-65 (एल.ए.जी.ए.) (माल) में फिला जावेगा।

(2) आवेदन के साथ नियम 145 में व्याख्यित फीस देहो।

(3) इस नियम के अधीन दिये गये आवेदन पर विचार करते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विषयों का सम्बन्ध रखेगा—

(क) आवेदक के सामिलता की या उसके विभिन्नाधीन माल यानों की संख्या;

(ख) प्रत्येक प्रचालन स्थान पर माल के भंडारण के लिये आवेदक के विभिन्नाधीन स्थान की उपयुक्तता;

(ग) माल के चढ़ाने व उतारते समय शेत्र के सामान्य यातायात में अवशोष विषय बिना मालयानों को खड़े करने के लिये आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएँ; और

(घ) आवेदक के वित्तीय संसाधन और व्यवसाय में उसका अनुभव।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र जिसमें शाखा कार्यालय, यदि कोई हो की अनुपूरक अनुज्ञापत्र समिलित है, को व्याख्यित प्रलूप सी.जी.एम.वी.आर.-66 (एल.ए.जी.) (माल) में या सी.जी.एम.वी.आर.-67 में (एल.ए.जी.ए.) (माल) उस स्थान या स्थानों को जहाँ कि कारबाह फिला जा सकेगा, विविदिष्ट करते हुए अनुज्ञापत्र देने से इन्कार करेगा।

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र या शाखा कार्यालय के लिये अनुपूरक अनुज्ञापत्र जिसके लिए आवेदन किया गया है, देने से तब तक इन्कार नहीं करेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो, और इन्कार के कारण अभिलिखित और उसे लिखित में संसूचित न कर दिए गए हों।

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अनुज्ञापत्र को देते समय (अनुपूरक अनुज्ञापत्र को समिलित करते हुए) या अनुज्ञापत्र की वैधता के दौरान किसी भी समय अनुज्ञापत्रिधारी से दस हजार रुपये नकद में प्रतिभूति देने के लिये आवेदन द्वारा अपेक्षा करेगा और जहाँ अनुज्ञापत्रिधारी दूर्व में ही इस उपनियम के अधीन पारित आदेश के अनुसार प्रतिभूति दे चुका हो, तो वह अतिरिक्त प्रतिभूति जो एक हजार से अधिक न हो, प्रस्तुत करने का आदेश देगा।

(6) अनुज्ञापत्र दो भागों में होगी अर्थात् मुख्य भाग (जिसमें इसके पश्चात् "मुख्य अनुज्ञापत्र" कहा जाया है) जिसमें प्रत्येक पृथक् स्थापना या शाखा का कार्यालय जहाँ माल को चढ़ाने, उतारने, उसे प्राप्त करने या परिवान करने (डिलीवरी) का कार्य किया जाता है, के लिये जारी की गई अनुपूरक अनुज्ञापत्र का वर्णन किया जावेगा और दूसरा अनुपूरक भाग (जिसमें इसके पश्चात् "अनुपूरक अनुज्ञापत्र" कहा जाया है)। अनुज्ञापत्र के साथ स्थापना या शाखा कार्यालय के विवरण (जैसे कि नारपालिका भवन क्रमांक, निकटतम सड़क, उपमार्ग, डॉक वितरण जिला तथा आसपास के प्रमुख घरेलू व्यवसाय विवरण जिससे कि अनुज्ञापत्र के स्थान को घरेलू व्यवसाय जैसे प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) मुख्य अनुज्ञापत्र को मुख्य कार्यालय पर रखा जाएगा और विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा और अनुपूरक अनुज्ञापत्र को प्रत्येक शाखा कार्यालय में जिसको कि संदर्भित है, रखा जाएगा और विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा सिवाय इसके जबकि व्याख्यित मुख्य अनुज्ञापत्र या अनुपूरक अनुज्ञापत्र को अनुज्ञापन प्राधिकारी की ओर नवीकरण किया जाने के लिए अप्रेसित किया गया हो, और अनुज्ञापत्रिधारी के आधिकार में स्थानायती की पावती हो, परिवहन विभाग के किसी निरीक्षणकर्ता अधिकारी के समक्ष ऐसी अनुज्ञापत्र या पावती को प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) An Agent's licence shall be non-transferable.
 (9) An agent's licence shall be valid for a period of one year from the date of grant or its renewal. The date of expiry of the supplementary licence shall be co-terminus with the date of expiry of the principal licence irrespective of the date on which the supplementary licence is granted.

134. Renewal Of Agent's Licence — (1) An Agent's licence may be renewed on an application in form M.P.M.V.R.-65 [L Ag A, (Goods)] made to the Licensing Authority not less than thirty days before the date of it's expiry, and shall be accompanied by the principal and all supplementary licences, if any and the fee as specified in rule 145.

(2) The renewal of a licence shall be made by endorsement of renewal thereof by the Licensing Authority on the principal and supplementary licences, if any.

135. Rate of Commission — The State Government may, by notification in the official gazette, prescribe the maximum rates of which commission may be charged by licensees under these rules and the Regional Transport Authority may prescribe such rate of commission not exceeding the rates prescribed by the State Government, as it thinks fit.

136. Revocation of Agent's licence and forfeiture of Security — (1) Without prejudice to any other action which may be taken against a licensee, the Licensing Authority by order in writing, revoke an agents licence or suspend it for such period as it thinks fit, if in its opinion any of the conditions under which the premises have been approved or under which the licence has been granted have been contravened.

(2) Before making any order of suspension or revocation under sub-rule (1) the Licensing Authority shall, give the licensee an opportunity of being heard and shall record reasons in writing for such revocation or suspension.

(3) Where a licence is liable to be revoked or suspended under sub-rule (1) except in the contravention of condition (c)(iii) of rule 138 and the Licensing Authority is of the opinion that having regard to the circumstances of the case, it would be inexpedient so to revoke or suspend the licence, if the licensee agrees to pay certain sum of money, then notwithstanding anything in sub-rule (1) the Licensing Authority may, instead of revoking or suspending, as the case may be, the licence, recover from the licensee the sum of money agreed upon.

(4) The Licensing Authority may order the forfeiture in whole or in part of the security furnished by the licensee under sub-rule (5) of rule 133 for contravention of any provisions of this rule or rules 132, 133, 138, 139, 140 or for breach of any of the conditions specified in rule 138 by the licensee :

Provided that, no such forfeiture shall be made unless the licensee is given opportunity of being heard.

(5) In the event of the forfeiture of a security deposit or part thereof, by the Licensing Authority, the licence shall cease to be valid if the licensee fails to make the payment to bring the security already furnished by him to its original value within thirty days of the receipt of the order of forfeiture.

(8) अभिकर्ता की अनुज्ञाति अहसासोंपर होगी।
 (9) अभिकर्ता की अनुज्ञाति उसके दिए जाने या नवीकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये देख होगी। अनुप्रूक अनुज्ञाति, मुख्य अनुज्ञाति की समाप्ति की तारीख के साथ समाप्त हो जायेगी भले ही अनुप्रूक अनुज्ञाति को दिए जाने की तारीख कोई भी हो।

134. अभिकर्ता की अनुज्ञाति का नवीकरण — (1) अभिकर्ता की अनुज्ञाति के नवीकरण का आदेन उसके अवसान होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व इन नियमों के प्रलेप सी.जी.एम.व्ही.आर.-65 (ए.ए.जी.ए.) (माल) में अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा और उसके साथ मुख्य अनुज्ञाति तथा समस्त अनुप्रूक अनुज्ञातियाँ, यदि कोई हो, और नियम 145 में विस्तृट फीस होगी।

(2) अनुज्ञाति का नवीकरण, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मुख्य एवं अनुप्रूक अनुज्ञाति, यदि कोई हो, पर नवीकरण का पृष्ठांक करके किया जाएगा।

135. कमीशन की दर — राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिकतम दरों विहित कर सकती है जिनके अनुसार इन नियमों के अधीन अनुज्ञातियाँ द्वारा कमीशन प्रभारीत किया जा सकेगा और प्राधिकारी परिवहन प्राधिकारी कमीशन की ऐसी दरों से जैसी कि वह उचित समझे, विहित कर सकेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित की गई दरों से अधिक नहीं होगी।

136. अभिकर्ता की अनुज्ञाति का प्रतिसंहरण एवं प्रतिष्ठाति का सम्पर्क — (1) किसी अनुज्ञातिधारी के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अत्यकर्तवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी यदि उसकी राय में किसी भी शर्त का, जिनके अधीन परिसर को अनुमोदित किया गया था या अनुज्ञाति दी गयी थी, उल्लंघन किया गया है, लिखित आदेश द्वारा अभिकर्ता की अनुज्ञाति का प्रतिसंहरण कर सकेगा या ऐसी कालावधि के लिये जैसी कि वह उचित समझे निर्वाचित कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन निलंबन या प्रतिसंहरण का आदेश करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञातिधारी को सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण के लिये कारणों को अभिलिखित करेगा।

(3) नियम 138 के उपनियम (3)(ग) की शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति को छोड़कर जहाँ अनुज्ञाति उपनियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण या निलंबन के योग्य हो और अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कि अनुज्ञाति को प्रतिसंहरण या निलंबित करना समीचीन नहीं होगा, यदि अनुज्ञातिधारी कठिप्रथा धनराशि देने को सहमत है तब उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञाति को यथास्थिति प्रतिसंहरण या निलंबित करने के बायां अनुज्ञाति धारक से ऐसी धनराशि जैसी कि तप यापी जाए वसूल कर सकेगा।

(4) अनुज्ञातिधारी द्वारा इस नियम या नियम 132, 133, 138, 139, 140 के किसी भी उल्लंघन का उल्लंघन किए जाने या नियम 138 में विस्तृट किसी शर्त का भांग किए जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञातिधारी द्वारा नियम 133 के उपनियम (5) के अधीन दी गई प्रतिष्ठाति को पूर्णतः या भागतः सम्पर्क किए जाने का आदेश देसकेगा :

परन्तु, ऐसा कोई भी सम्पर्क अनुज्ञातिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नहीं किया जाएगा।

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिष्ठाति की जमा राशि का या उसके किसी भाग का सम्पर्क किए जाने की दशा में अनुज्ञाति की वैधता उस दशा में समाप्त हो जाएगी, यदि अनुज्ञातिधारी सम्पर्क आदेश प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उत्तरी राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, जिससे कि उसके द्वारा पूर्व में दी गई प्रतिष्ठाति की राशि उसकी मूल रकम के बराबर पर नहीं आ जाती।

137. Issue of duplicate Licence — (1) If at any time an agent's licence is lost, destroyed, torn or otherwise defaced so as to be illegible the agent shall forthwith apply to the Licensing Authority for the grant of a duplicate licence. The application shall be accompanied by the fee as specified in rule 145.

(2) Upon receipt of such application the Licensing Authority shall issue a duplicate agent's licence clearly stamped "Duplicate" in red ink.

(3) If the duplicate agent's licence is issued on a representation that the licence originally granted has been lost or destroyed and the original licence has been subsequently found the original licence shall be surrendered to the Licensing Authority.

138. Conditions of Agent's Licence — An agent's licence shall be subject to the following conditions, namely :—

- (1) The licensee shall, subject to the provisions of rule 140 provide adequate space for the parking of vehicles for the purpose of loading and unloading of goods;
- (2) The licensee shall be responsible for proper arrangement for storage of goods collected for despatch or delivery or both;
- (3) The licensee shall—
 - (a) take all necessary steps for proper delivery of the goods to the consignee;
 - (b) be liable to identify the consignee for any loss or damage to goods while in his possession, by adequate insurance cover where available, at the cost of the consignor or consignee;
 - (c) issue to consignor and consignee a goods transport receipt only after he actually receives goods for despatch and state therein the weight, nature of goods, destination, approximate distance over which the goods are to be carried, the freight charged, the service charge, if any, such as for local transport insurance while in his custody and labour charge, if any, for loading and unloading provided that the service charges shall be reasonable and the Licensing Authority may, require the agent to prove the said charges to be reasonable;
 - (d) not deliver the goods to the consignee without actually receiving the consignee's note or any such note issued by the office which received the goods for despatch or if note is lost or misplaced, an indemnity bond covering the value of the goods;
 - (e) issue a copy of every goods transport receipt issued to the consignor or consignee to the driver of the goods vehicle transporting the goods and shall not allow any consignment to be loaded without handing over a copy of the receipt in respect thereof to the driver;
 - (f) maintain proper record of collection, despatch or delivery of goods, the registration mark of the vehicle in which goods are carried for transport and make the same available for inspection by the Licensing Authority, or by any person duly authorised by it in this behalf and file an annual return in form M.P.M.V.R.-68 (ART) to the Licensing Authority;

137. अनुज्ञानि की द्वितीय प्रति का जारी किया जाना — (1) यदि फिरी भी समय अभिकर्ता की अनुज्ञानि खो जाये या फॉट जाये या अन्यथा इस प्रकार विरुद्ध हो जाये जिसके कारण वह अपनीय हो जाये तो अनुज्ञानिधारी तत्काल अनुज्ञानि की द्वितीय प्रति हो जारी करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ नियम 145 में यथाविनिर्दिष्ट फीस होगी।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अभिकर्ता को अनुज्ञानि की द्वितीय प्रति जारी करेगा जिस पर समृद्ध रूप से "द्वितीय प्रति" लाल स्थाही से मुद्राकृत होगा।

(3) यदि अभिकर्ता की अनुज्ञानि की द्वितीय प्रति इस अन्यावेदन पर दी गई है कि मूल रूप से दी गई अनुज्ञानि खो गई है या विनष्ट हो गई है और तत्पश्चात् मूल अनुज्ञानि पिल जाती है तो मूल अनुज्ञानि अनुज्ञापन प्राधिकारी को अध्यर्थित कर दी जायेगी।

138. अभिकर्ता की अनुज्ञानि के लिये शर्तें — अभिकर्ता की अनुज्ञानि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्—

- (1) अनुज्ञानिधारी, नियम 140 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए माल के चढ़ाने और उतारे जाने के लिये यान को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करायेगा;
- (2) अनुज्ञानिधारी भेजे जाने वाले या परिवान या दोनों के लिये संग्रहीत किए गए माल के भंडारण के उचित प्रबंध के लिये उत्तरदायी होगा।
- (3) अनुज्ञानिधारी—
 - (क) परेषिती को माल के उचित परिदान के लिये आवश्यक उपाय करेगा;
 - (ख) माल के परेषक के प्रति, जबकि माल उसके कब्जे या नियंत्रण में है माल के परेषक या परेषिती के खर्च पर पर्याप्त बीमा जहाँ उपलब्ध हो करवाकर उस माल की किसी हानि या नुकसानी की क्षतिपूर्ति करने के लिये दायी होगा;
 - (ग) परेषक और परेषिती को, माल परिवहन रसीद उस समय जारी करेगा जब कि वह भेजे जाने के लिए माल को वास्तविक रूप से प्राप्त कर लेता है और उस रसीद में माल का वजन, प्रकार, गन्तव्य, जहाँ माल से जाया जाना है, उस स्थान की अनुमोदित दूरी, भाड़ा जो लिया गया है, सेवा प्रभार, यदि कोई हो जैसे कि स्थानीय परिवहन, माल के अपनी अभिरक्षा की अवधि में माल का बीमा एवं माल को चढ़ाने और उतारने के लिये मजदूरी आदि, परन्तु सेवा प्रभार युक्तियुक्त होगे और अनुज्ञापन प्राधिकारी अभिकर्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यह सांचित करे कि उक्त प्रभार युक्तियुक्त है;
 - (घ) परेषिती से माल परिवहन रसीद या ऐसी कोई रसीद जो उस कार्यालय द्वारा जिसने माल को भेजने के लिये प्राप्त किया है वास्तविक रूप से प्राप्त किए विना अथवा यदि वह रसीद खो गई है या गलत स्थान पर पहुँच गई है तो माल की किमत के बराबर की क्षतिपूर्ति का बन्धन प्राप्त किये बिना परेषिती को माल का परिदान नहीं करेगा;
 - (इ) परेषक या परेषिती को जारी की गई प्रत्येक माल परिवहन की रसीद की एक प्रति माल यान के चालक को देगा जो माल का परिवहन कर रहा है, और चालक को उस माल से संबंधित रसीद की प्रति प्रदान किये बिना किसी परेषण को यान में चढ़ाने की अनुज्ञा नहीं देगा;
 - (च) अनुज्ञानि माल के संग्रहण, परेषण, परिदान, उस यान का, जिसमें माल परिवहन करके ले जाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन क्रमांक का समुचित अभिलेख रखेगा और उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त साम्यक् रूपेण प्राधिकृत किसी व्यक्ति के निरीक्षण को उपलब्ध करायेगा और प्रस्तु सी.जी.एम.डी.आर.-68 (ए.आर.टी.) में एक वार्षिक विवरणी अनुज्ञापन प्राधिकारी को फाइल करेगी;

- (g) not charge commission in excess of the rate fixed by the Regional Transport Authority subject to the orders of the State Government, if any;
- (h) maintain proper account of the commission charged by him from every operator of goods carriage engaged by him;
- (i) maintain a weighing device in good condition and capable of weighing at a time not less than 250 kilograms;
- (j) not refuse to accept goods for transport without valid reasons; and
- (k) not effect the transport unless he verifies the identity of the consignor and also obtains the signature of the consignor or his agent with details of material to be transported and full address of the consignor and shall not deliver the goods to the consignee unless he verifies the identity of the consignee or his agent and also obtains a receipt with signature, names and address in detail of the consignee or his agent when the goods are booked at consignee's risk with a condition that the consignor shall pay the transport charges;
- (l) comply with the provisions of this rule and rules 132, 133, 138, 139 and 140.

139. Particulars to be mentioned in Contract of Agency — All contracts entered into or way bills issued by a licensee for the purpose of collecting, forwarding or distributing goods shall be in writing and shall contain the following particulars, namely —

- (a) name and address of consignors and consignees;
- (b) description and weight of consignment;
- (c) destination and it's approximate distance in Kilometers from the starting station;
- (d) freight on weight destination basis or weight distance basis or truck distance basis for long distance haulage and for local transport for collection at consignor's place of delivery at consignee's place if required;
- (e) delivery instructions i.e. the approximate date by which and the place at which goods are to be delivered to the consignee; and
- (f) terms for payment separately for long distance transport, local transport, home delivery and collection, labour charges for loading and unloading and the demurrage.

140. Place to be used for loading and unloading of goods etc. — (1) The Regional Transport Authority, may in consultation with the local municipal authority or Police authority having jurisdiction over the local area concerned, or both, approve any premises owned or to be used by an applicant for an agent's licence for loading, unloading and for parking goods vehicles or for the storage of goods while in the custody of the licensee having regard to the suitability of the site, traffic conditions obtaining in the locality, sanitary conditions, storage facilities, space for parking vehicles for the purpose of loading or unloading from transporting trucks provided at such premises, as the place of carrying on the business under the licence.

- (छ) राज्य सरकार के आदेशों के यदि कोई हो अभ्यासिन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर से अधिक कमीशन प्रभारीत नहीं करेगा;
- (ज) उसके द्वारा नियुक्त प्रत्येक माल यान प्रचालक से प्रभारीत कमीशन का समुचित लेखा जाएगा रखेगा;
- (झ) एक बार में कम से कम 250 किलोग्राम तक तौलने की क्षमता वाला तौलने का यंत्र अच्छी दरामें बनाये रखेगा;
- (ञ) वैध कारणों के बिना परिवहन के लिये माल को स्वीकार करने से इन्कार नहीं करेगा;
- (ट) तब तक माल का परिवहन नहीं करेगा जब तक कि वह परेषक की हस्ताक्षर अभिप्राप्त नहीं कर लेता है तथा परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा परेषक का पूरा पता प्राप्त नहीं कर लेता है और माल का परिदान परेषिती को तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह परेषिती या उसके अभिकर्ता की हस्ताक्षर का सत्यापन नहीं कर लेता है और जब माल को परेषिती की जोखिम पर तथा इस शर्त पर बुक किया गया है कि परिवहन के प्रभारीयों का संदाय परेषक द्वारा किया जाएगा तो परेषिती या उसके अभिकर्ता से एक स्तीद अभिप्राप्त नहीं कर लेता है जिसमें उनके हस्ताक्षर, नाम तथा पता विस्तार में लिखा गया होगा; और
- (ठ) इस नियम और नियम 132, 133, 138, 139 और 140 के उपलब्धों का अनुपालन करेगा।

139. अभिकरण (एजेन्टी) की संविदा में वर्णित की जाने वाली विशिष्टियाँ — माल के संग्रहण और वितरण के प्रयोजन के लिये किसी अनुज्ञितपारी द्वारा की गई सभी संविदायें या जारी किये गये मार्ग पत्र (वे बिल) लिखित में होंगे और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्—

- (क) परेषक और परेषिती के नाम और पते;
- (ख) परेषण का विवरण और वजन;
- (ग) गन्तव्य और प्रारंभ स्थान से किलोमीटर में उसकी अनुमानित दूरी;
- (घ) लम्बी दूरी के माल के लिये वजन गन्तव्य या वजन दूरी, या ट्रक दूरी के आधार पर लिया गया भाड़ा और स्थानीय परिवहन के लिये यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो परेषक के स्थान से माल का संग्रहण न करने तथा परेषिती के स्थान पर परिदान करने के आधार पर लिया गया भाड़ा;
- (ङ) परिदान अनुदेश अर्थात तारीख, जिसको और वह स्थान जहाँ परेषिती को माल का परिदान किया जाना है; और
- (च) संदाय के निबन्धन जो लम्बी दूरी के परिवहन, स्थानीय परिवहन गृह परिदान (होम डिलीवरी) एवं संग्रहण, उतारे, चढ़ाने की मजदूरी या विलाद शुल्क (डेमोरज) के लिए पृथक-पृथक दराएँ।

140. माल के चढ़ाने और उतारे आदि के लिये उपरोक्त किया जाने वाला स्थान —

- (1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या पुलिस (2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता के अधिकारी या दोनों के परामर्श से किसी ऐसे परिसर का जो अभिकर्ता का अनुज्ञयित के अवेदक के स्वामित्व में प्राधिकारी या दोनों के परामर्श से किसी ऐसे परिसर का जो अभिकर्ता का अनुज्ञयित के अवेदक के स्वामित्व में हो या जिसे वह माल के चढ़ाने या उतारने और मालयानों को खड़ा करने या जब माल का परिवहन किए जाने के हो या जिसे वह माल के चढ़ाने या उतारने और मालयानों को खड़ा करने या जब माल का परिवहन किए जाने के लिए अनुज्ञितधारी के कब्जे में हो उस समय उसके भंडारण के लिए उत्थान में लाएगा, का अनुदेश स्थल की उपयुक्तता, उस स्थानीय क्षेत्र में होने वाली यातायात गतिविधियों की स्थिति ऐसे परिसर में उपलब्ध स्वरूप उपयुक्तता, उस स्थानीय क्षेत्र में होने वाली यातायात गतिविधियों की स्थिति ऐसे परिसर को खड़े करने का स्थान, संबंधी दशाओं, भंडारण सुविधाओं, माल चढ़ाने, उतारने के लिये प्रयुक्त परिवहन ट्रकों को खड़े करने का स्थान, का घ्यान रखते हुए, अनुज्ञयित के अधीन कारबार करने के स्थान के रूप में करेगा।

(2) Any approval under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely —

- (i) that the premises shall at all times be kept in clean condition and in good state of repair;
- (ii) that the premises shall be administered in an orderly manner;
- (iii) that the licensee shall not change the premises or make any external alteration to it or in the parking arrangements thereat as may be likely to cause obstruction to the general traffic in the vicinity without prior approval of the Licensing Authority;
- (iv) that the licensee shall take suitable precautions to ensure that no breach of any provisions of the Act or these rules in so far as these provisions relate to the following matters is committed in respect of any vehicle engaged by him and which is entering or leaving or standing at such premises, namely —

(A) Requirement that a goods vehicle shall be covered by —

- (i) valid and effective permit/counter-signature for the route/area of travel;
- (ii) valid certificate of fitness;
- (iii) valid certificate of insurance; and
- (iv) payment of tax under the Chhattisgarh Motor Yan Karadhan Adhiniyam, 1991;

(B) Observance of the regulations/conditions as to —

- (i) construction, equipment and maintenance of motor vehicles to the extent the defects are easily noticeable from the exterior appearance of a motor vehicle;
- (ii) limits of weight and prohibition or restrictions on use of motor vehicle;
- (iii) loading of goods overall height, length, width and projections or load laterally, to the front, to the rear and in height;
- (iv) transport of dangerous or explosive substances, contraband articles, under any law for the time being in force;
- (v) parking or abandonment of motor vehicles on road in such a way to cause obstruction to traffic or danger to any person or other user of roads;
- (vi) leaving vehicles in dangerous position; and
- (vii) driving of motor vehicles by persons holding valid and effective driving licence.

(3) Where the Regional Transport Authority refuses to approve any premises under sub-rule (1) it shall communicate in writing the reasons for such refusal.

141. Power of entry and inspection — Any officer of the Transport Department in uniform or any other person authorised in this behalf by the State Government, may enter upon the premises at all reasonable times for inspection of the premises used by the holder of the Agent's licence for the purpose of his business.

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् —

- (एक) परिसर सभी समयों पर स्वच्छ और अच्छी तरह से मरम्मत करके रखा जाएगा;
- (दो) परिसर का प्रशासन व्यवस्थित रूप से किया जाएगा;
- (तीन) अनुज्ञापिधारी अनुमोदन प्राप्तिकारी के पूर्ण अनुमोदन के बिना परिसर को नई बदलेगा या परिसर के बाह्य स्वरूप में या पार्किंग व्यवस्था में ऐसा कोई परिवर्तन नई करेगा जिससे समीप्य के सामान्य यातायात में बाधा उत्पन्न हो;

(चार) अनुज्ञापिधारी यह सुनिश्चित करने के लिए समूचित पूर्वसावधानियाँ बरतेगा कि इस अधिनियम या इन नियमों के किसी उपबंध का भंग नहीं हो, जहाँ तक कि ऐसे उपबंध किसी ऐसे यान के संबंध में, जो उसके द्वारा काम पर लागाया गया है और जो ऐसे परिसर में प्रवेश कर रहा है या छोड़ रहा है या वहाँ बढ़ा है, निम्नलिखित मामलों से संबंधित है —

(क) यह अपेक्षा की माल यान —

- (एक) यात्रा के मार्ग/क्षेत्र के लिये वैध एवं प्रभावी अनुज्ञापत्र/प्रतिस्तानकर के अंतर्गत होगा;
- (दो) उपयुक्तता संबंधी वैध प्रमाण पत्र (फिटनेस सार्टिफिकेट) के अंतर्गत होगा;

(तीन) वैध बीमा प्रमाण पत्र के अंतर्गत होगा; एवं

(चार) के संबंध में छत्तीसगढ़ मोटरयान कानून अधिनियम, 1991 के अधीन कर का संदर्भ कर दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित के संबंध में विनियमों/शर्तों का अनुपालन किया गया है —

- (एक) मोटरयानों का संनियोग, उपकरण एवं रेख-रेखाव उस सीमा तक, जहाँ तक कि दोषों को सलतात से मोटरयान को बाहर से देखने पर सील किया जा सकता है;

(दो) भार की सीमा और मोटरयानों के उपयोग के संबंध में प्रतिषेध तथा निर्बन्धन;

(तीन) माल को लादने में उसकी सम्पूर्ण ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई में संबंध में और भार के पार्श्व से सम्पै, पीछे की ओर एवं ऊँचाई में बाहर निकलने के संबंध में;

(चार) खतरनाक या विस्फोटक पदार्थों या तत्समय प्रवृत्त किरी अन्य विधि के अधीन विनियिद्ध किसी बस्तु का परिवहन करना;

(पांच) मोटरयान को सड़क पर इस प्रकार पार्क करना या अरकित छोड़ना कि जिससे यातायात में अवरोधकारित हो या किसी व्यक्ति को या सड़क का उपयोग करने वाले अन्य किसी को खतरा हो;

(छह) यान को खतराक स्थिति में छोड़ देना ; और

(सात) उन व्यक्तियों से मोटरयान चलाना जिनके पास वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञाति (झारखंड लायसेंस) है।

(3) जहाँ प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन किसी परिसर का अनुमोदन करने से इकार करता है तो वह ऐसी इन्कारी के कारण लिखित में संशोधित करेगा।

141. प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति — परिवहन विभाग का कोई अधिकारी वर्दी में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अभिकर्ता की अनुज्ञापि के धारक द्वारा अपने कारबार के प्रयोजन से उपयोग में लाए जाने वाले परिसर में, समस्त युक्तियुक्त समयों पर परिसर के निरीक्षण हेतु प्रवेश कर सकेगा।

142. Appeal and Revision against the orders of the State Transport Authority and Regional Transport Authorities — Any person preferring an appeal or revision against the order of the State Transport Authority or the Regional Transport Authority under section 89 or section 90 of the Act shall, within 30 days from the date of the order do so in writing to the Tribunal in the form of a memorandum setting forth concisely the grounds of objections against the order of the State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, and the memorandum shall, unless the Tribunal otherwise permits be accompanied by a certified copy of the order against which the appeal or revision has been preferred. The memorandum shall also be accompanied by as many copies of it as there are parties to whom notice is required to be issued under rule 143 and bear court fee stamps of the value as specified in rule 145.

143. Procedure in Appeals and Revisions — (1) When a memorandum of appeal or revision application has been admitted, the Tribunal shall call for the concerned record of the State Transport Authority or the Regional Transport Authority and if any party at the proceedings prays that the record be called for through special messenger and deposits such amount as the Tribunal may direct to cover such expenditure. The Tribunal may call for the record through a special messenger.

(2) The Tribunal may either on its own motion or on an application made to it bearing court fee stamps of the prescribed value, stay the order against which the appeal or revision has been preferred in such manner and to such extent as it may deem fit.

(3) The Tribunal shall intimate the time and place for the hearing of the appeal or revision to the appellant or applicant as the case may be, and shall give notice of the appeal or application for revision as the case may be, to the authority against whose order the appeal or revision application is made and to any person likely to be prejudicially affected by the grant of the relief prayed for and such appellant or applicant or person may appear before the Tribunal in person or through a pleader or an advocate or an officer duly authorised by the Managing Director, Chhattisgarh State Road Transport Corporation, on the appointed date and at subsequent hearings.

(4) The Tribunal may after following the procedure prescribed in sections 89 and 90 of the Act and after further enquiry, if any, as it may consider necessary confirm, vary or set aside the order against which the appeal or revision is preferred or may pass such other order in relation thereto as it deems fit and shall make an order accordingly.

(5) Unless otherwise expressly provided in the Act or in these Rules the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) shall, so far as may be, followed in all proceedings under these rules.

(6) Subject to any express provision to the contrary, the provisions of the Limitation Act, 1963 (No. 36 of 1963) shall, so far as may be, followed in all proceedings under these Rules.

142. राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक (रीजनल) परिवहन प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण — राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 89 या 90 के अधीन अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने वाला कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, के आदेश के विरुद्ध आपतियों के संबंधित आधार देते हुए, ज्ञापन के रूप में तिवित में अधिकरण को अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सकेगा और जब तक कि अधिकरण, अन्यथा अनुच्छा न दे, ऐसे ज्ञापन के साथ उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, एक प्रमाणित प्रति होगा। ज्ञापन के साथ उसकी उत्तीर्ण प्रतियाँ भी होंगी जितने कि उसमें ऐसे प्रकार हों जिन्हें नियम 143 के अधीन सूचना जारी किया जाना अपेक्षित है और उस पर नियम 145 में यथास्थितिरिट प्रूफ के न्यायालय फीस स्टाम्प लगाये जायेंगे।

143. अपीलों और पुनरीक्षणों में प्रक्रिया — (1) जब अपील का ज्ञापन या पुनरीक्षण का आवेदन ग्राह्य कर लिया गया है तब अधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी का संबंधित अभिलेख मंगायेगा और यदि कार्यवाही को इसके प्रकार यह प्रार्थना करे कि अभिलेख को विशेष संदेशवाहक द्वारा मंगाया जाए और ऐसी रूपमें ज्ञापन कर दें, जो अधिकरण ऐसे खर्च की पूर्ति के लिये निर्देशित करे, तो अधिकरण, अभिलेख को विशेष संदेशवाहक द्वारा मंगा सकेगा।

(2) अधिकरण स्व-प्रेरणा से या उसे आवेदन किये जाने पर विहित प्रूफ के न्यायालय फीस स्टाम्प लगे हुये हों, उस आदेश का, जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक, जैसा वह उचित समझे, स्थगन कर सकेगा।

(3) अधिकरण अपीलार्थी या आवेदक को यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई के समय और स्थान की सूचना देगा तथा उसकी एक सूचना और उसके साथ यथास्थिति अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण के आवेदन की एक प्रति उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को जिसके प्राधिकारी को अनुतोष की मंजूरी से, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, देगा तथा ऐसा अपीलार्थी या आवेदक या व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्लॉडर या इंडोकेन के माध्यम से या छत्तीसगढ़ राज्य सङ्कर परिवहन नियम के प्रबंध निवेशक द्वारा सम्बन्धित रूप से प्राधिकारी निम्न तारीख को और परचातर्वी सुनवाई की तारीखों पर अधिकरण के समक्ष हाजिर हो सकेगा।

(4) अधिकरण अधिनियम की धारा 89 और धारा 90 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् जिस आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फरक कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे और अनुसरण करेगा।

(5) अधिनियम या इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इन नियमों के अधीन समस्त कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) में अधिकथित की गई प्रक्रिया का, जहाँ तक संभव हो, अनुसरण किया जायेगा।

(6) किसी अभिव्यक्त या प्रतिकूल उपबंध के अध्यधीन रहते हुए इन नियमों के अधीन समस्त कार्यवाहियों में परीसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 36) के उपबंध का जहाँ तक संभव हो, अनुसरण किया जाएगा।

144. Inspection of record and supply of copies to persons interested in appeal, revision or otherwise — (1) Where an appeal or an application for revision is preferred or intended to be preferred the Secretary of the State Transport Authority or Regional Transport Authority or the Tribunal shall, on an application bearing court fee stamps of the prescribed value made in this behalf allow inspection of the record concerning the appeal or revision as the case may be :

Provided that if the State Transport Authority, Regional Transport Authority or the Tribunal considers that any record of which inspection is sought is of a confidential nature, or the inspection would be prejudicial to the public interest it may refuse to allow inspection of such record.

(2) Where an appeal or revision has been preferred or intended to be preferred the authority to decide the appeal or revision or the authority against whose order the appeal or revision has been preferred shall give copies of the memorandum of appeal or revision application or of any document appended thereto and may give copies of any other document connected with appeal or revision to any person interested in the appeal or revision on payment of fee as specified in rule 145.

¹[145. Fees — The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified below —

TABLE

S.No.	Purpose	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	In respect of an application for grant or renewal of Stage Carriage/reserve State carriage permit.	1,500.00
2.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of Stage carriage/reserve stage carriage permit.	1,500.00
3.	In respect of application for grant or renewal of contract carriage permit.	1,500.00
4.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of contract carriage permit.	1,500.00
5.	In respect of an application for grant/renewal of private service vehicle permit.	1,500.00
6.	In respect of an application for grant/renewal of Motor Cab permit.	1,000.00
7.	In respect of grant/renewal of countersignature of Motor Cab permit.	1,000.00
8.	In respect of an application for grant/renewal of goods carriage permit.	1,500.00
9.	In respect of an application for grant/renewal of a countersignature of goods carriage permit.	1,500.00

1. Substituted by Notification No. 467/Tech-506/TC/2008 dated the 31st May, 2008 and published in C.G. Rajpatra Part I dated 13-6-2008 pages 1780-1783.

144. अपील, पुनरीक्षण में या अन्यथा हितवद्ध व्यक्तियों को अभिलेख का निरीक्षण और प्रतियों का प्रदाय — (1) जहाँ कोई अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है या जिसका प्रस्तुत किया जाना आशयित है वहाँ इस निमित्त विहित मूल्य के न्यायालय फीस स्टाप से युक्त आवेदन किया जाने पर या राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रदेशीक परिवहन प्राधिकारी या अधिकरण या सचिव व्यास्थिति अपील या पुनरीक्षण से संबंधित अभिलेख का निरीक्षण किया जाना अनुज्ञात करेगा :

परन्तु यदि राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रदेशीक परिवहन प्राधिकारी या अधिकरण वह समझता है कि कोई अभिलेख जिसका कि निरीक्षण किया जाना चाहा गया है, गोपनीय प्रकृति का है या जिसका निरीक्षण किया जाना लोकहित के प्रतिकूल होगा, तो वह ऐसे अभिलेख का निरीक्षण किया जाना अनुज्ञात करने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहाँ कोई अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है या जिसका प्रस्तुत किया जाना आशयित है, वहाँ अपील या पुनरीक्षण का विनियम करने वाला प्राधिकारी या हितवद्ध किसके ओंदरा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, अपील या पुनरीक्षण में हितवद्ध किसी व्यक्ति को अपील के जापन या पुनरीक्षण आवेदन या उसके साथ लगे हुए किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि देना और नियम 145 में यथाविनिष्टि फीस का संदर्भ किए जाने पर उसे अपील या पुनरीक्षण में संबंधित किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि दे सकेगा।

145. फीस — इस अध्याय के उपर्योगों के अपील प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विविरित किए गए अनुसार होगी —

वर्ष २३/१२/२०१५

स.क्र.	प्रयोजन	रकम (रुपये)
(1)	(2)	(3)
1.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञापत्र या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में	₹ 2,500.00
2.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञापत्र या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में	₹ 2,500.00
3.	संविदा वाहन के अनुज्ञापत्र स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	₹ 2,500.00
4.	संविदा वाहन के अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	₹ 2,500.00
5.	प्रायवेट सेवा यान के लिए अनुज्ञापत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	₹ 2,500.00
6.	मोर्ट केब के लिए अनुज्ञापत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	₹ 1,500.00
7.	मोर्ट केब के लिए अनुज्ञापत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	₹ 1,500.00
8.	मालयान के अनुज्ञापत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	₹ 2,000.00
9.	मालयान के अनुज्ञापत्र दिये जाने या प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	₹ 2,000.00

1. अधिसूचना क्रमांक 467/तक-506/टीसी/2008 दिनांक 31 मई, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राज्य

भाग 1 दिनांक 13-6-2008 को पृष्ठ 1776-1779 पर प्रकाशित।

The Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994

Rule 141

(1)	(2)	(3)
10.	In respect of an application for grant/renewal of a national permit for goods carriage.	1,500.00
11.	In respect of an application for grant/renewal of a tourist vehicle (Omni bus) permit.	2,000.00
12.	In respect of an application for grant/renewal of all India Tourist Taxi cab permit.	1,500.00
13.	In respect of an application for Temporary permits for a Transport Vehicle other than a Taxi Cab — (D) Under Section 87(1)(A) for Passenger Vehicle (E) Under Section 87(1)(B) for Passenger Vehicle (F) Under Section 87(1)(C) for Passenger Vehicle	300.00 750.00 750.00
14.	In respect of an application for grant of a Temporary permit for Motor Cab	200.00
15.	In respect of an application for a Special Permit u/s 88(8) of the Motor Vehicle Act. (d) For the period up to 07 days (e) For the period exceeding 07 days up to 15 days (f) For the period exceeding 15 days	500.00 1,000.00 1,500.00
16.	In respect of an application for extension or variation in area or routes on a Permit or Countersignature of Stage Carriage/Contract Carriage permit.	1,500.00
17.	In respect of an application for change of timing of Stage Carriage/reserve Stage Carriage permit.	1,500.00
18.	In respect of an application for Countersignature of a Temporary Permit (C) For Motor Cab (D) Any other Transport Vehicle	500.00 1,000.00
19.	In respect of an application for grant of temporary replacement of vehicle for the period not exceeding four month.	750.00
20.	In respect of an application for grant of replacement of vehicle in the Stage or Contract Carriage permit.	750.00
21.	In respect of an application for transfer of each permit other than a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	1,500.00
22.	In respect of an application for transfer of each permit of a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	750.00
23.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of the permit.	250.00
24.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of a temporary permit.	500.00

विवर 145

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

68

(1)	(2)	(3)
10.	मालयान के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2,000.00
11.	पर्यटक यान (ओमरी बस) अनुज्ञापत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2,000.00
12.	अधिल भारतीय पर्यटक टेक्सी केब अनुज्ञापत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2,000.00
13.	मोटर केब से मित्र परिवहन यान के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में— (क) धारा 87(1)(क) के अधीन यात्री वाहन के लिये 400.00 (ख) धारा 87(1)(ख) के अधीन यात्री वाहन के लिये 100.00 (ग) धारा 87(1)(ग) के अधीन यात्री वाहन के लिये 100.00	400.00 100.00 750.00
14.	मोटर केब के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	200.00 250.00
15.	मोटर यान अधिनियम की धारा 88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संबंध में— (दी) 07 दिवस तक के लिए 500.00 (ई) 07 दिवस से अधिक 15 दिवस तक के लिए 1,500.00 (एफ) 15 दिवस से अधिक 1,000.00	500.00 1,000.00 2,000.00
16.	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिए अनुज्ञापत्र में क्षेत्र या मार्गों का विस्तारण या उसमें फेरकार करने या प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में	2,500.00
17.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञापत्र के समय में परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में	2,500.00
18.	अस्थायी अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में— (क) मोटर केब के लिए 500.00 (ख) किसी अन्य परिवहन यान के संबंध में 1,000.00 (ग) किसी आवेदन के संबंध में 1,900.00	500.00 1,000.00 1,900.00
19.	चार मास के अनधिक कालावधि के लिए किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	750.00 1,000.00
20.	प्रक्रम या संविदा अनुज्ञापत्र में किसी यान के प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	750.00 1,000.00
21.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 82 के अधीन मोटर केब से मित्र प्रत्येक अनुज्ञापत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में	2,000.00
22.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 82 के अधीन मोटर केब के प्रत्येक अनुज्ञापत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,000.00
23.	अनुज्ञापत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में 500.00	250.00
24.	किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में 500.00	500.00

(1)	(2)	(3)
25.	In respect of Appeal or Revision (A) Memorandum of appeal against the order of the following— (A) State Transport Authority (B) Regional Transport Authority	₹ 50/- 500.00 ₹ 50/- 500.00
	(B) In respect of an application for revision against the order of the following— (A) State Transport Authority (B) Regional Transport Authority	500.00 500.00
26.	In respect of an application for stay if filed with the memorandum of appeal/application for revision.	200.00
27.	In respect of supply of copies of documents of Appellate Authority, State Transport Authority, and Regional Transport Authority— (C) For supply of copy of Judgment or order of the Appellate Authority, State Transport Authority or Regional Transport Authority— (i) Ordinary	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 15.00 for each subsequent page. Rs. 60.00 for the first page and Rs. 30.00 for each subsequent page.
	(ii) Urgent	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 10.00 for each subsequent page. Rs. 60.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page.
	(D) Any other documents of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority— (i) Ordinary	10.00
	(ii) Urgent	
-28.	In respect of any other miscellaneous application which addressed to the Appellate Tribunal, State Transport Authority, Regional Transport Authority or the Secretary of these Authorities.	

(1)	(2)	(3)
25.	अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में— (ए) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन हेतु— (क) राज्य परिवहन प्राधिकारी (ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (बी) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में— (क) राज्य परिवहन प्राधिकारी (ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	₹ 50/- 500.00 ₹ 50/- 500.00
26.	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में यदि उस बाबत अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाईल किया जाता हैं	200.00 ₹ 100
27.	अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेखों की प्रतियों का प्रदाय किये जाने के संबंध में— (सी) अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिए— (एक) सामान्य (दो) अतिआवश्यक	प्रथम पृष्ठ के लिए ₹. 40.00 तत्परचात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए ₹. 25.00 प्रथम पृष्ठ के लिए ₹. 60.00 तत्परचात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए ₹. 30.00 ₹ 10
	(डी) अपील अधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख के किन्हीं अन्य दस्तावेज के लिए— (एक) सामान्य (दो) अतिआवश्यक	प्रथम पृष्ठ के लिए ₹. 40.00 तत्परचात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए ₹. 20.00 प्रथम पृष्ठ के लिए ₹. 60.00 तत्परचात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए ₹. 60.00 ₹ 10
28.	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रक्रिया आवेदन के संबंध में	10.00 99

- Note**
- Fee in respect of application as specified in column 25, 26, 27 and 28 may be paid by way of affixing judicial stamps of the same value as specified.
 - No fee shall be payable in respect of an applications for grant/renewal of permit or for grant of temporary permit as specified in clause 08 and 13 of this rule, if the application is presented by a bona fide agriculturist for Tractor-Trolley owned by him.

Explanation — The expression "Bona fide agriculturist" shall have the meaning assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).]

CHAPTER VI

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO STATE TRANSPORT UNDERTAKING

146. Definitions — In this Chapter unless there is anything repugnant in the subject or context —

- "Head of the State Transport Undertakings" means the Managing Director of Chhattisgarh State Road Transport Corporation.
- "Scheme" means a proposal regarding scheme prepared by the State Government under section 99 of the Act.
- "State Road Transport Service" means a Road Transport Service provided by the State Transport Undertaking.

147. Preparation and Publication of Scheme — (1) Every scheme shall provide for the following matters, that is to say —

- the date on which the State Road Transport Service shall commence to operate;
- the name of route or area or any portion thereof on which State Road Transport Service shall be provided;
- (a) the nature of the State Road Transport Service to be provided on the route or area or any portion thereof;
- (b) the number of vehicles proposed to be operated on each route; and
- (c) the number of trips proposed to be operated daily on each route;
- the prohibition, restriction or curtailment of road transport services, if any, other than those under the Scheme;
- whether the State Road Transport Service shall be run and operated to the exclusion complete or partial, of other persons or otherwise;
- the extent, if any, to which persons other than the State Transport Undertaking will be permitted to provide road transport service on the route, area or any portion, thereof, specified in clause (b);
- the type and carrying capacity of the transport vehicles to be used in such service;
- the cancellation or modification of or refusal to renew or renewal for a specified period the existing permits, granted under Chapter V, of the Act;

- टीप — 1. कॉलम 25, 26, 27 एवं 28 में यथा विनिर्दिष्ट अवेदन के संबंध में शुल्क का संदर्भ यथा विनिर्दिष्ट भूत्य के बाबार की न्यायिक स्थाप विषय कर किया जा सकेगा। 2. इस नियम के खण्ड 8 और 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञापन की स्वीकृति/कर्तवीकरण करते हेतु या अस्थायी अनुज्ञा-एवं स्वीकृत करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस संदेश नहीं होगी, मदि आवेदक वास्तविक कृषक द्वारा उनके स्वामिल के ट्रैक्टर-अनुज्ञान के लिए प्रस्तुत किया गया हो। स्पष्टीकरण — अधिक्यकि "वास्तविक कृषक" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में किया गया है।

अध्याय 6

राज्य परिवहन उपक्रमों के संबंध में विशेष उपचार्य

- 146. परिभाषा** — इस अध्याय में जब तक कि कोई वात, विषय या संदर्भ के विस्तृत हो —
- "राज्य परिवहन उपक्रम के प्रभुत्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सङ्कक परिवहन नियम का प्रबंध निवेशक,
 - "स्कीम" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 99 के अधीन राज्य सङ्कक द्वारा तैयार किया गया स्कीम संबंधी प्रस्ताव,
 - "राज्य सङ्कक परिवहन सेवा" से अभिप्रेत है, राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई गई सङ्कक परिवहन सेवा।

147. स्कीम का तैयार किया जाना तथा उसका प्रकाशन — (1) प्रत्येक स्कीम में निम्नलिखित विषयों के लिये उपचार्य होगी, अर्थात् —

- (एक) वह तारीख जिसको कि राज्य सङ्कक परिवहन सेवा का प्रचालित किया जाना (आपरेट) प्रारम्भ होगा;

- (दो) उस मार्ग या क्षेत्र या उसके किसी भाग का नाम, जिस पर राज्य सङ्कक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी ;

- (तीन) (क) राज्य सङ्कक परिवहन सेवा का स्वरूप जो उस मार्ग या उसके किसी भी भाग पर उपलब्ध कराई जाएगी;

- (ख) ऐसे प्रत्येक मार्ग पर प्रचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित यानों की संख्या; और

- (ग) प्रत्येक मार्ग पर प्रतिदिन प्रचालित किए जाने के लिये प्रस्तावित फेरो (ट्रिप्स) की संख्या;

- (चार) सङ्कक परिवहन सेवाओं में लागू होने वाले प्रतिशेष प्रतिबन्ध या कटौतियाँ, यदि कोई हो जो स्कीम के अधीन प्रतिशेष, प्रतिबन्ध या कटौतियों से भिन्न हो;

- (पाँच) क्या राज्य सङ्कक परिवहन सेवा अन्य व्यक्तियों को पूर्णतः या भागतः अपवर्जित करते हुए या अन्यथा चलाई जाएगी और प्रचलित की जाएगी ;

- (छह) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये मार्ग, क्षेत्र या उसके किसी भी भाग पर सङ्कक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये राज्य परिवहन उपक्रम से भिन्न व्यक्तियों को अनुज्ञात किए जाने की सीमा, यदि कोई हो;

- (सात) ऐसी सेवाओं में उपयोग में लाये जाने वाले परिवहन यानों का प्रकार (ट्राईप) तथा उनकी वहन क्षमता;

- (आठ) अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन दिये गये विद्यमान अनुज्ञापनों का रद्द करण या उपांतरण या नवीकरण करने से इकार किया जाना या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये उसका नवीकरण.

- (ix) the reduction in the number of transport vehicles plying on the route and the number of services to be operated;
- (x) the curtailment of the route or portion thereof, covered by the existing permits or transfer of the permits to any other route or routes and giving of compensation if any;
- (xi) Convenience of passengers;
- (xii) filing of objections to the scheme before an officer authorised by the State Government by notification in this behalf;
- (xiii) such other consequential or incidental matters as may appear necessary or expedient for the purposes of the Scheme;
- (xiv) the extent to which Contract Carriages may be permitted to operate.

(2) The Scheme shall be published in Form M.P.M.V.R.-69 (NS I) and in case of cancellation or modification of any approved scheme under sub-section (2) of Section 102 in Form M.P.M.V.R.-70 (NS II), in the Official Gazette of the State and in not less than one of the news papers in Hindi language circulating in the area or route proposed to be covered by such Scheme and also by pasting it on a notice board of the office of the State Transport Authority, Chhattisgarh and of the office of the concerned Regional Transport Authority of the State.

148. Manner of filing objections — (1) Any person affected by the Scheme and desirous of filing objection under sub-section (1) of Section 100 of the Act, shall do so within a period of thirty days from the date of publication of the Scheme in the Form of a memorandum in duplicate, setting forth concisely the grounds of objections to the Scheme.

(2) The memorandum of objections shall, be addressed to such officer as may be authorised by the State Government by notification in this behalf.

(3) A copy of memorandum shall be sent by the objector to the Head of the State Transport Undertaking.

(4) The memorandum of objections shall also contain the following information—

- (a) full name and address of the objector;
- (b) whether such person is a holder of a permit issued under the provisions of the Act;
- (c) the particulars of the route or routes or the area or zone specified in such permits;
- (d) whether the objector, if a permit holder, agrees to the route, if any assigned to him under the Scheme.

149. Agreement to Scheme by Permit Holders — A permit holder, who agrees to the Scheme in so far as it makes any provision about him shall express his agreement by filing a statement in Form M.P.M.V.R.-71 (NS III), within a period of thirty days.

150. Consideration and disposal of objections — (1) The officer authorised by the State Government under sub-rule (2) of Rule 148 above shall fix a date or dates, time and place for hearing of the objections and shall publish a notice in Form M.P.M.V.R.-72 (N.S. IV) specifying the date or dates, time and place so fixed, not less than seven clear days before the date on which the first hearing of

- (२) मार्ग पर चलने वाले परिवहन यानों की संख्या में कमी और प्रचलित की जाने वाली सेवाओं की संख्या;
- (३) विद्यमान अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत आने वाले मार्ग या उसके भाग में कटौती या अनुज्ञा-पत्रों का किसी भी अन्य मार्ग या मार्गों के लिये अन्तरण तथा प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, का दिया जाना;
- (४) यात्रियों की सुविधा;
- (५) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस नियम प्राधिकृत किये गये अधिकारी के समक्ष स्कीम से संबंधित आपत्तियों का फाइल किया जाना।
- (६) ऐसे अन्य पारिवारिक या आनुपांशिक विषय जो स्कीम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या समीक्षीय प्रतीत होते हो;
- (७) वह सीमा जहाँ तक ठेका गाड़ियों को प्रचलित की जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(२) स्कीम प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर.-69 (एन.एस.एस.) में और धारा 102 की उपचारा (२) के अधीन अनुमोदित किसी स्कीम के रद्द करण या उपनामके मामले में प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर.-70 में राजपत्र में एवं उसके स्कीम के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग पर प्रचलित करम से कम एक समाचार पत्र में हिन्दी भाषा में प्रकाशित की जाएगी और राज्य परिवहन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ के तथा राज्य के संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय के सूचनापट पर चिपकवाकर भी उनका प्रकाशन किया जावेगा।

148. आपत्तियाँ फाइल करने की रीति — (१) स्कीम द्वारा संभावित तथा अधिनियम की धारा 100 की उपचारा (१) के अधीन आपत्ति फाइल करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, उस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर उसे जापन के रूप में, दो प्रतियों में, फाइल करेगा और उसमें स्कीम के संबंध में आपत्तियों का आधार संक्षेप में उपलब्ध करेगा।

(२) आपत्तियों का जापन ऐसे अधिकारी को संबोधित किया जावेगा जिसे इस नियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(३) जापन की एक प्रति आपत्तिकारी द्वारा राज्य परिवहन उपक्रम के प्रमुख को भेजी जाएगी।

(४) आपत्तियों के जापन में निम्नलिखित जानकारी भी अन्विष्ट होगी—

- (क) आपत्तिकर्ता का पूरा नाम और पता;
- (ख) क्या ऐसा व्यक्ति अधिनियम के उपव्याप्ति के अधीन जारी किये गये अनुज्ञापत्र का धारक है;
- (ग) ऐसे अनुज्ञापत्रों में विनिर्दिष्ट किये गये मार्ग, मार्गों या क्षेत्र या परिस्थेत्र (जोड़) की विविधियाँ;
- (घ) क्या आपत्तिकर्ता, यदि वह अनुज्ञापत्र धारक है तो स्कीम के अधीन उसे समानुदेशित किये गये मार्ग, यदि कोई हो, से सहमत है?

149. अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा स्कीम से सहमति — ऐसा अनुज्ञापत्र धारक, जो स्कीम से, उसमें जहाँ तक उसके संबंध में कोई उपबन्ध किया गया है, सहमत हो तो वह इन नियमों के संलग्न, प्ररूप से सहमति व्यक्त करेगा।

150. आपत्तियों पर विचार किया जाना तथा उनका निपटारा — (१) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त नियम 148 के उपनियम (२) के अधीन प्राधिकृत किया गया अधिकारी आपत्तियों की सुनवाई करने के लिये तारीख या तारीखें, समय और स्थान नियत करेगा तथा इस प्रकार नियत की गई तारीख या तारीखें, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर.-72 (एन.एस.चार) में एक सूचना जिस तारीख से

objections is to commence —

- (a) in the Chhattisgarh Gazette;
- (b) by affixing a copy thereof on the notice boards—
 - (i) in the office of the Collector of district in which area or route covered by the Scheme or part thereof lies;
 - (ii) in the office of the Regional Transport Authority or Authorities within whose jurisdiction the area or route covered by the scheme or part thereof lies; and
- (c) in not less than one local news paper in the Hindi language circulating in the area or route which is proposed to be covered by such scheme.

(2) Any objector may appear on the date appointed for hearing objections either in person or through his duly authorised representative.

(3) Head of the State Transport Undertaking or such other person as may be authorised in writing by him in this behalf may appear on behalf of the State Transport Undertaking to represent the case in regard to the scheme.

(4) The State Government shall hear such objectors or their duly authorised representatives as may desire to be heard and also the Head of the State Transport Undertaking or the person authorised by it in writing in this behalf.

(5) The State Government shall, after considering the objections, approve or modify the scheme as it thinks fit and shall subject to the proviso to sub-section (3) of Section 100 of the Act, publish the Scheme so approved or modified in Form M.P.M.V.R.-73 (N.S. V) in the official gazette and in not less than one news paper in the Hindi language circulating in the area or route covered by such scheme.

151. Implementation of the Approved Scheme — Upon the publication of the scheme under sub-section (3) of Section 100, the Head of the State Transport Undertaking shall communicate the scheme published under Rule 147 to the State Transport Authority or Regional Transport Authority as the case may be. The State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, shall give effect to the approved scheme in accordance with the provisions of the Act.

152. Procedure for giving effect to Approved Scheme — (1) The State Transport Authority or Regional Transport Authority as the case may be shall cause a copy of every order passed under sub-section (2) of Section 100 of the Act, to be pasted on the notice boards of the offices of the State Transport Authority and the Regional Transport Authority concerned.

(2) The State Transport Authority or Regional Transport Authority concerned shall also cause to be served upon the permit holder affected by the order a copy of the order either by sending it by registered post acknowledgment due or delivering it to permit holder in person. If the notice cannot be served in the manner aforesaid it may be served by delivering the same to any adult member of his family or servant residing with him or by affixing it on some conspicuous place at his residence or business or in such other manner as the State Transport Authority or Regional Transport Authority, as the case may be, think fit.

आपत्तियों की प्रथम सुनवाई आरम्भ की जानी हो, उस तारीख से कम से कम पूरे सात दिन पूर्व —

- (क) छत्तीसगढ़ राजपत्र में;
- (ख) (एक) उस जिले के, जिसमें स्कीम के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र या मार्ग या उसका भाग कोई स्थिति है, कोलेक्टर के कार्यालय के;
- (दो) उस प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या प्राधिकारियों के, जिसकी या जिनकी अधिकारियों के भीतर स्कीम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र या मार्ग या उसका कोई भाग स्थिति है, कार्यालय के सूचना पड़ पर, उसकी एक प्रति चिपका कर; तथा
- (ग) स्कीम के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग में प्रचलित कम से कम स्थानीय समाचार पत्र में हिन्दी भाषा में प्रकाशित करेगा।

(2) कोई भी आपत्तिकर्ता आपत्तियों की सुनवाई किए जाने के लिए नियम की गई तारीख को या तो स्वयं या अपने सम्बन्धित प्रतिनिधि के मार्फत उपस्थित हो सकेगा।

(3) राज्य परिवहन उपक्रम का प्रमुख या उसके द्वारा इस नियम लिखित में प्राधिकृत किया गया अन्य व्यक्ति, राज्य परिवहन उपक्रम की ओर से स्कीम से संबंधित मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिये उपस्थित हो सकेगा।

(4) राज्य सरकार ऐसे आपत्तिकर्ताओं की या उनके सम्बन्धित प्रतिनिधियों की, जो कि सुने जाने के इच्छुक हों और राज्य परिवहन उपक्रम के प्रमुख या उसके द्वारा इस नियम लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति की सुनवाई करेगा।

(5) राज्य सरकार आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात उस स्कीम का अनुमोदन या समर्थन उपलब्ध रहता है जैसा कि वह उचित समझे करेगी और अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (3) के परन्तुक के अध्यायीन रहते हुए इस प्रकार अनुमोदित या उपनारित स्कीम का प्रकाशन प्रस्तुति जी.एम.वी.आर.-73 में राजपत्र में तथा स्कीम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या मार्ग में प्रचलित कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में हिन्दी भाषा में प्रकाशित करेगी।

151. अनुमोदित स्कीम का कार्यान्वयन — धारा 100 की उपधारा (3) के अधीन स्कीम का प्रकाशन हो जाने पर राज्य परिवहन उपक्रम का प्रमुख, नियम 147 के अधीन प्रकाशित स्कीम यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को संसूचित करेगा। यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अनुमोदित स्कीम को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रभावशील करेगा।

152. अनुमोदित स्कीम को प्रभावशील करने की प्रक्रिया — (1) यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (2) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के कार्यालयों के सूचना पटों पर चिपकायेगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकारी या संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले अनुज्ञापत्र धारक पर आदेश के एक प्रति की तामील या तो सीढ़ी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजकर अनुज्ञापत्रधारी को व्यक्तिगत रूप से परिदृष्ट करके भी करवाएगा। यदि सूचना की तामीली पूर्णोक्त रीति में नहीं की जा सकती है तो उसकी तामीली उसके साथ निवास करने वाले उसके कुटुम्ब के किसी भी वयस्क सदस्य या नौकर को परिदृष्ट करके या उसके निवास स्थान या कारबाह के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका कर या किसी अन्य ऐसी रीति में करेगा जो यथा स्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी उचित समझे।

153. Disposal of Unclaimed Property — (1) Where any article is found in the public service of the State Transport Undertaking by its employee, the person receiving such article shall deliver it immediately to the officer authorised by the head of the State Transport Undertaking in this behalf. The officer who will receive the article shall keep the article for a period of seven days and if the article is not claimed during the period he shall hand over the same to the in-charge of the nearest Police Station :

Provided that if the article is of a perishable nature and is not claimed within a period of 24 hours, it may be auctioned after giving sufficient publicity by the person authorised in this behalf by the head of the State Transport Undertaking.

(2) If the article is claimed within the prescribed time mentioned in sub-rule (1) then —

- (a) If the article is claimed by not more than one person, the person authorised in sub-rule (1) may after making such enquiries as he deems fit and if necessary after taking indemnity agreement from the claimant hand over the article to the claimant.
- (b) If the article is claimed by two or more than two persons, the officer authorised under sub-rule (1) shall hand over the same to the officer in charge of the nearest Police Station.

CHAPTER VII

CONSTRUCTION, EQUIPMENT AND MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLES

154. General — (1) No person shall use and no person shall cause or allow to be used or to be in any public place, any motor vehicle which does not comply with the rule contained in this Chapter, or with any order thereunder made by any officer of the Transport Department not below the rank of Transport Inspector or any officer of the Police Department not below the rank of Deputy Superintendent.

(2) Nothing in this rule shall apply to a motor vehicle which has been damaged in an accident while at the place of the accident or to vehicle so damaged or otherwise defective while being removed to the nearest place of repair :

Provided that where a motor vehicle can no longer remain under the effective control of the person driving the same, it shall not be moved except by towing.

155. Maintenance of Public Service Vehicle — Every public service vehicle, and all parts thereof including paint work, varnish and upholstery shall be maintained in a clean and sound condition, and the engine mechanism and all working parts in proper working order.

156. Stability — (1) The stability of a double decked public service vehicle shall be such that, when loaded with weight of sixty kilograms corresponding to a person placed in the correct relative positions to represent the driver and conductor, if carried and a full complement of passengers on the upper deck only, if the surface on which the vehicle stands were tilted to either side to an angle of twenty-eight

153. अदावाकृत सम्पत्ति का व्यवहार — (1) जहाँ कोई वस्तु राज्य परिवहन उपक्रम के लोक सेवा यान में उसके कर्मचारी को पड़ी भिलती है तो ऐसी वस्तु पाने वाला व्यक्ति उस वस्तु को उस अधिकारी को; जिसे राज्य परिवहन उपक्रम के प्रमुख द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किया गया है, तत्काल परिदृश्य कर देगा। उस वस्तु को प्राप्त करने वाला अधिकारी, उस वस्तु को सात दिन की कालावधि तक रखेगा और यदि उस कालावधि के दौरान उस वस्तु का दावा नहीं किया जाता है तो वह उसे निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सौंप देगा:

परन्तु यदि वह वस्तु विनश्वर प्रकृति की है और 24 घण्टे की कालावधि के भीतर उसका दावा नहीं किया जाता है तो उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे राज्य परिवहन उपक्रम के प्रमुख द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किया जाए पर्याप्त प्रचार कर दिये जाने के पश्चात् नीलाम किया जा सकेगा।

(2) यदि उपनियम (1) में वर्णित किए गए विहित समय के भीतर वस्तु का दावा किया जाता है तो —

(क) यदि वस्तु का दावा एक से अन्यथा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उपनियम (1) में प्राधिकृत किया गया व्यक्ति, ऐसी जाँच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् और यदि आवश्यक हो तो दावेदार से शतिष्ठीत करार पत्र लेने के बाद, दावेदार को वस्तु सौंप देगा;

(ख) यदि वस्तु का दावा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया अधिकारी उसे निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सौंप देगा।

अध्याय 7

मोटरयानों का संत्रिमाण, उनके उपस्थिति और अनुरक्षण

154. साधारण — (1) कोई भी व्यक्ति उसे किसी मोटर यान का, जो इस अध्याय में अन्वर्षित नियम या उसके अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश, जो परिवहन विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो परिवहन नियमित के पद से निम्न पद का न हो, या पुलिस विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो उप-अधीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, दिया गया है, के अनुपालन में न हो, किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग नहीं करेगा और न करवाएगा, न करने की अनुमति देगा और न उसे रखवाएगा।

(2) इस नियम की कोई भी वात ऐसे मोटरयान को लाग नहीं होगी, जो किसी दुर्घटना में उक्सानग्रस्त हो गया है और दुर्घटना स्थल पर है या ऐसे यान को, जो इस प्रकार नुकसानग्रस्त हो गया है या अन्यथा बिगड़ गया है और उसे मामूल करने के निकटतम स्थान को ले जाया जा रहा है।

155. लोक सेवा यान का अनुरक्षण — प्रत्येक लोक सेवा यान और उसके समस्त भागों को, जिसके अन्तर्गत रंगाई कार्प, वार्निश तथा बैनर की सज्जा सामग्री (अपहोल्स्ट्री) आती है स्वच्छ और शुद्ध दस्ता में रखे जायेंगे और इंजन यंत्र और काम करने वाले सभी भाग अच्छी चाल हालत में रखे जायेंगे।

156. स्थायित्व — (1) किसी दो तल वाले (डबल डेकर) लोक सेवा यान का स्थायित्व ऐसा होगा कि जब यान को यदि केवल अपरी तल की कुल क्षमता के बराबर की पूरी संख्या में यात्रियों के बदले प्रत्येक व्यक्ति का तत्त्वान्वयी वजन 60 किलोग्राम मानकर उसे मान में चालक और परिचालक की स्थिति दर्शनी वाले संबंधित सभी स्थानों पर रखकर भरे हुए वजन के साथ ले जाया जाए और यदि उस सतह को, जिस पर कि यान खड़ा है

degrees from the horizontal, the point at which overturning occurs would not be reached.

(2) The stability of a single-decked public service vehicle other than a motor cab shall be such that under any conditions of load, at seventy kilograms per passenger and his personal luggage, for which the vehicle is registered, if the surface on which the vehicle stands were tilted to either side to an angle of 35 degrees from the horizontal, the point at which overturning occurs would not be reached.

(3) For the purpose of conducting tests of stability the height of any stop used to prevent a wheel of the vehicle from slipping sideways shall not be greater than two thirds of the distance between the surface upon which the vehicle stands before it is tilted, and that part of the rim of that wheel which is then nearest to such surface when the wheel is loaded in accordance with the requirements of this rule.

157. Side Overhang — In the case of a vehicle used as a stage carriage no part of the vehicle other than a direction indicator, when in operation, or a driving mirror shall project laterally more than thirty five centimetres beyond the centre line of the rear wheels in the case of single rear wheels or more than fifteen centimetres beyond the extreme outer edge of the outer tyres in the case of dual rear wheels.

158. Seating Room — (1) The minimum and maximum seating space, back rest and gang-way to be provided in public service vehicles, other than motor cabs or maxi-cab deployed as Ordinary or Express services shall be as follows —

	Ordinary		Express	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Distance of Seats back to back—				
(a) When seats are placed across the vehicle and facing in the same direction	66 c.m.	70 c.m.	66 c.m.	74 c.m.
(b) When seats are placed across the vehicle but facing each other	127 c.m.	130 c.m.	Not permissible.	
(c) When seats are placed alongwith length of the vehicle and facing each other.	137 c.m.	140 c.m.	Not permissible.	
II. Size of the Seats	38 c.m. sq.	40 c.m. sq.	38 c.m. sq.	40 c.m. sq.
III. Height of the back of the seat above seat level.	40 c.m.	40 c.m.	40 c.m.	60 c.m.

किसी भी ओर क्षेत्रजेरेखा से अट्टाइस अंश के कोण पर झुकाया जाए तो यान उस विन्टु पर नहीं पहुँचे जिस विन्टु पर पहुँचने से यान उलट जाता है।

(2) मोटर कैब से भिन्न, एक तल वाले (सिंगल डेकड) लोक सेवा यान का स्थायित्व ऐसा होगा कि उसके प्रत्येक यादी, जितने के लिये वह यान रजिस्ट्रीकृत है, और उसके व्यक्तिगत सामान के लिये सतह किलोग्राम, के हिसाब से लदे हुए वजन के साथ किसी भी स्थिति में यदि उस सतह के जिस पर कि वह यान खड़ा हो, किसी भी ओर क्षेत्रजेरेखा से 35 अंश का कोण बनाते हुए झुकाया जाय तो यान उस विन्टु पर न पहुँचे जिस विन्टु पर पहुँचने से यान उलट जाता है।

(3) स्थायित्व का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिये यान के पहिया को बाजू की ओर से फिसलने से किन्तु केतिए उपयोग में लाए गए, किसी भी रोक (स्टाप) की ऊनाई, झुकाए जाने से पहले यान जिस सतह पर खड़ा है उस सतह ओर जब इस नियम की अपेक्षाओं के अनुसार पहिये पर भार लदा हो तब उस पहिया की रिम के उस भाग के जो उस सतह के सबसे पास हो वीच की दूरी के दो तिकाई से अधिक नहीं होगी।

157. बाजू की ओर बाढ़ी का बाहर निकला हुआ भाग (साई ओवरहैंग) — मंजिली गाई के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले यान के मामले में, उपयोग में लाए जाने की स्थिति में दिशा मूल्यक या चालन दर्पण (ड्रायविंग मिरर) से भिन्न यान का कोई भी भाग पायथंक की ओर यदि पिछले पहिये इकहरे हों तो पिछले पहिये की मध्य रेखा से पैरीस सेंटीमीटर से अधिक या पिछले पहिये दोहरे हों तो बाहरी टायर की बिलकुल बाहरी किनारे से पन्धर सेन्टीमीटर से अधिक बाहर निकला हुआ नहीं होगा।

158. बैठने की जगह (सीटिंग रूम) — (1) मोटर कैब या मैक्सी कैब से भिन्न सामान्य या एक्सप्रेस सेवाओं के रूप में चलाये जाने वाले लोकसेवा यानों में बैठक (सीट) पीठ टेकने तथा आने-जाने के लिए नूनतम तथा अधिकतम बैठने की जगह (सीटिंग रूम) की व्यवस्था निम्नानुसार होगी —

	सामान्य		एक्सप्रेस	
	नूनतम	अधिकतम	नूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(एक) एक के पीछे एक बैठकों (सीटों) की दूरी —				
(क) जब यान में बैठक आर-पार लगे हुए हों और उनका सामने का भाग एक ही दिशा में हो	66 से.मी.	70 से.मी.	66 से.मी.	74 से.मी.
(ख) जब यान में बैठक आर-पार लगे हुए हों किन्तु वे आमने-सामने हों,	127 से.मी.	130 से.मी.	अनुच्छेय नहीं है	
(ग) जब बैठक यान की लंबाई में लगे हुए और आमने-सामने हों	137 से.मी.	140 से.मी.	अनुच्छेय नहीं है	
(दो) बैठकों का आकार	38 वर्गसे.मी.	40 वर्गसे.मी.	38 वर्गसे.मी.	40 वर्गसे.मी.
(तीन) बैठक की सतह से आसन की पीठ की ऊनाई	40 से.मी.	40 से.मी.	40 से.मी.	60 से.मी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV. Type of seat and seat cushion	Rubberised coir or Polymance from cushion with upholstery of PVC leather cloth.		Foam or rubber foam cushion of minimum 5 c.m. thickness with upholstery of leather, the remix or like material	
V. Gangway	30 c.m.	30 c.m.	30 c.m.	35 c.m.

Provided that in any or all express services or in express service plying as night services, seats of size minimum 40 cms. square instead of 38 cms. square placed at a minimum back to back distance of 74 cms. instead of 66 cms. with square of back above seat level minimum 60 cms. instead of 40 cms. shall be provided.

(2) The specifications for Tourist Vehicles as provided under rule 126 of the Central Rules, shall apply to the Deluxe buses.

1[(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2), the minimum number of seats to be provided shall be as specified in Column (4) or (5) of the following Table, leaving to the operator to increase the capacity consistent with other rules relating to the seating capacity, having due regard to the type of chassis on which the body is built :-

TABLE

S. No.	Wheel Base		Ordinary Vehicle (Minimum Seating Capacity)	Express Vehicle
	M.M.	Inches		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2,540-2,921	100-115	16	Assignment of seats shall be strictly in accordance with Rule 128 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 by the
2.	2,946-3,048	116-120	20	
3.	3,073-3,429	121-135	25	
4.	3,454-4,064	136-160	30	
5.	4,089-4,318	161-170	40	

1. Substituted by Notification No. 3651 dated the 30 June, 2012 sub-rule 3 and Published in C.G. Rajpatra Part-1, dated 06-07-2012 Page 1585.

Before Substitution sub-rule 3 stood as under :-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (2), the seating capacity of a stage carriage of all makes and models, having following wheel base, shall not be less than the minimum capacity indicated against them :

Wheel base	Minimum Capacity of seats excluding seats of driver and conductor.
1. 166"	46
2. 205"	50
3. 210"	55"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(वार) बैठक का प्रकार	(पी.बी.सी. लेदर क्लाथ के पोशिश से युक्त रबाइच्ड क्लायर या पोली थ्रोफ्स कोम की गही)	(लेदरकीन या वैसी ही सामग्री के पोशिश से युक्त कम से कम 5 से.मी. मोराई की कोम या रबर फोम की गही)		
(पांच) बैठकों के बीच आने जाने का रास्ता (गेंगवे)	30 से.मी.	30 से.मी.	30 से.मी.	35 से.मी.

पन्तु किसी भी या समस्त एक्सप्रेस गाड़ियों में या रात्रि सेवा यारों के रूप में बलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में 38 वर्ग से.मी. के बदले 40 वर्ग से.मी. के आकार की बैठकें (सीटें) लगाई जाएंगी तथा उन्हें 66 से.मी. के बदले कम से कम 74 से.मी. की दूरी से एक के पीछे एक रखे जाएंगे और बैठक की सीढ़ी से बैठक के पीठ की ऊंचाई 40 से.मी. के बदले 60 से.मी. रखी जाएगी।

(2) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 128 में पर्यटक यान को यथा उपबंधित विनिर्देश ढीलक्स बस को लागू होगी।

1[(3) उप-नियम (1) एवं (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीटों की न्यूनतम संख्या जो उपबंधित की जानी है नीचे दी गई तालिका के कोंतम (4) अथवा (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी एवं बैठक क्षमता से संबंधित अन्य नियमों के अनुरूप, चेसिस के प्रकार जिस पर ढांचा स्थापित किया गया है, का सम्यक्य यान रखते हुए, संचालक क्षमता में वृद्धि कर सकता है:

तालिका

संक्र.	व्हील बेस		(न्यूनतम बैठक क्षमता)	एक्सप्रेस वाहन
	मि.मी.	इंच		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2,540-2,921	100-115	16	पंजीयन प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के अनुसार सीटों का सम्पुद्देशन (आबंटन) किया जायेगा
2.	2,946-3,048	116-120	20	
3.	3,073-3,429	121-135	25	
4.	3,454-4,064	136-160	30	
5.	4,089-4,318	161-170	40	

1. अधिसूचना क्रमांक 3651/तक./परि./2012, 30 जून 2012 द्वारा उपनियम 3 प्रतिस्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ राजपथ, भाग-1, दियांक 6 जुलाई 2012 को पृष्ठ 1585 पर प्रकाशित।

प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 3 निम्न प्रकार था:-
"(3) उपनियम (1) एवं (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते ही, समस्त बैठक वेंड माडल की ऊंचिली गाड़ियों की बैठक क्षमता, जिनका व्हील बेस निम्नानुसार है, उनके समस्त दराई गई न्यूनतम बैठक क्षमता से कम नहीं होगी।

व्हील बेस	चालक एवं परिचालक की बैठकों को छोड़कर न्यूनतम बैठक क्षमता
1. 166"	46
2. 205"	50
3. 210"	55"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Registering Authority.
6.	4,343-4,953	171-195	44	
7.	4,978-5,207	196-205	48	
8.	5,232-5,334	206-210	55	
9.	Above-5,334	Above-210	Assignment of seats shall be strictly in accordance with Rule 158 by the Registering Authority.	

Provided that the Registering Authority may vary above seats in respect of any public service vehicles where the floor space and lay-out do not permit to assign the above seating capacity, but it shall not be varied more than two or three seats].

¹[(4) Subject to the provision of Rule 46 the restriction imposed by sub-rule (3) above so far as they relate to the Stage Carriages registered before the coming into force of this sub-rule (3), shall be operative only after a period of four months from the date of commencement of that sub-rule and physical verification of seats, seating layout, sleeper berths, or any vital information necessary shall be done by the Registering Authority].

159. Head Room — (1) Every public service vehicle other than a motor cab or a maxi-cab shall have the following internal height or head-room measured along the centre of the vehicle from the top of the floor boards or battens to the under side of the roof support —

- (i) in the case of single decked vehicle and the lower deck of double decked vehicle not less than one hundred and seventy five centimetres and not more than two hundred centimetres respectively;
- (ii) in the case of the upper deck of a double decked vehicle, not less than one hundred and seventy-two centimetres :

Provided that the Regional Transport Authority may vary the above measurements in respect of any public service vehicle plying solely on any specified corporation or municipal or cantonment limits and environs thereof.

(2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to motor vehicles constructed before the commencement of these rules in conformity with the provisions of rules made under the repealed Act.

160. Permission to carry passengers standing and condition thereof—

(1) (a) Subject to the provisions of Rule 161 passengers may be carried standing on a single deck public service vehicles or on the lower deck of a double decked public service vehicles, if—

- (i) there is fixed in the roof of the gangway along the vehicle a grabber fixed with hanger straps;
- (ii) there is a head room of not less than one hundred and seventy five centimetres and not more than two hundred centimetres;

1. Substituted by Notification No. 3651 dated the 30 June, 2012 sub-rule 4 and Published in C.G. Rajapatra Part-I, dated 06-07-2012 Page 1585.

Before Substitution sub-rule 4 stood as under :-

"(4) The restriction imposed by sub-rule (3) in so far as they relate to the stage carriages registered before the coming into force of these rules, shall not be operative for a period of four months from the date of commencement of these rules."

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	4,343-4,953	171-195	44	
7.	4,978-5,207	196-205	48	
8.	5,232-5,334	206-210	55	
9.	5,334 से अधिक	210 से अधिक	पंजीयन प्रथिकारी द्वारा नियम 158 के अनुसार ही सीटों का समनुदेशन (आवंटन) किया जायेगा।	

परन्तु यह कि पंजीयन प्रथिकारी किसी लोक सेवा यान के संबंध में ऊपर दी गई सीटों में परिवर्तन कर सकता है, जहां तल का कुल थेट्र प्लॉन ले-आउट ऊपर दी गई वैटर क्षमता का समनुदेशन अनुज्ञात नहीं करता, परन्तु यह परिवर्तन दो अथवा तीन सीट से अधिक नहीं होगा।]

¹[(4) नियम 46 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस उप-नियम (3) के लागू होने से पूर्व उपर्युक्त उप-नियम (3) के द्वारा लगाए गए प्रतिवंश जहां तक वे पंजीयन प्रथिकारी द्वारा यान के संबंध में हैं, उस उप-नियम के प्रांत होने की तारीख से चार माह की अवधि के बाद ही प्रभावी (लागू) होंगे और सीट, सीटिंग ले-आउट, स्टीपर वर्थ अथवा अन्य कोई अत्यंत आवश्यक जानकारी का भौतिक सत्यापन पंजीयन प्रथिकारी द्वारा किया जाएगा।]

159. खड़े होने के लिए ऊन्हाई (हेड रूम) — (1) किसी मोटर कैब या मैक्सीकैब से, भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान की भीतरी ऊन्हाई अथवा खड़े होने के लिए ऊन्हाई (हेड रूम) यान के बीच में फर्श के तख्तों या पटियों की ऊमी सतह से लेकर अंदर की छत के आधारों तक नापने पर निम्नतिवित होगी —

(एक) एक तल वाले (सिंगल डेक्ड) यान के मामले में तथा दो तल वाले (डबल डेक्ड) यान के निचले तल के मामले में एक सौ पचहतर से.मी. से कम नहीं होगी और दो सौ से.मी. से अधिक नहीं होगी;

(दो) दो तल वाले यान के ऊमी तल के मामले में एक सौ बहतर से.मी. से कम नहीं होगी : परन्तु प्रादेशिक पारिवहन प्रथिकारी, ऐसे लोक सेवा यान के संबंध में जो केवल किसी विनिर्दिष्ट नियम या नारायणिक या छावनी की सीमाओं और उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में चलाया जा रहा है उपर्युक्त मार्गों में फेफड़ार कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन मोटर यानों को लागू नहीं होगी जिनका संनिर्माण इन नियमोंके प्रांत होने के पूर्व, नियसित अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमोंके उपबन्धोंके अनुरूप किया गया हो।

160. यात्रियों को खड़े-खड़े ले जाने की अनुज्ञा और उसकी शर्तें —

(1) (क) नियम 161 के उपबन्धोंके अध्यधीन रहते हुए एक तल वाले लोक सेवा यान या दो तल वाले लोक सेवा यान के निचले तल में यात्रियों को खड़े-खड़े ले जाया जा सकेगा, यदि —

(एक) यान में बैठकों के बीच आगे-जाने के रास्ते (मैंगवे) की छत में पकड़ने के लिए लटकने वाले चमड़े के पटे से युक्त कसकर पकड़ने के डाढ़े (ग्रेवर) लगे हुए हो;

(दो) उसमें खड़े होने के लिए ऊन्हाई (हेड रूम) की ऊमी एक सौ पचहतर सेटीमीटर से कम और दो सौ सेन्टीमीटर से अधिक न हो;

1. अधिसूचना क्रमांक 3651/तक./परि./2012, 30 जून 2012 द्वारा उपनियम 4 प्रतिस्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ राजपत्र, भाग-1, दिनांक 6 जुलाई 2012 को पृष्ठ 1585 पर प्रकाशित।

प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 4 निम्न प्रकार था:-

"(4) उपनियम (3) द्वारा लगाये गये निर्वन्धन जहां तक उनका संबंध इन नियमोंके प्रवृत्त लेने के पूर्व जिसीकैब मंजिली गाड़ियोंसे हो, इन नियमोंके प्रांत में होने की तारीख के चार माह की अवधि तक प्रवृत्तित नहीं होगी।"

- (iii) there is a clear space serving as a gangway along the vehicle is forty centimetres in width.
- (b) The number of passengers standing under sub-rule (1) (a) shall not exceed the number arrived at by dividing by forty the length of the gangway in centimetres measured from the foremost seat behind the front exit to the rear most of the seat in front of entrance door.
- (2) The provision of sub-rule (1) shall apply provided—
- the passenger standing travels a distance of not more than fifty kilometers or voluntarily agrees to travel standing for a longer distance;
 - the vehicle is operated only on first class or equivalent roads.
- (3) The provisions in sub-rule (1) shall not apply to a stage carriage adopted to be used in as Express service.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2) and (3) of this rule, and Rules 158, 159 and 161a Transport Authority may exempt any public service vehicle or class of such public service vehicles from the provisions of the said rules for a specified period of not more than three days from carriage of persons by 25 percent in excess of the actual seating accommodation on special occasions, such as to and from fairs and religious gathering, or to meet a particular temporary need.

161. Limit of carrying capacity — Notwithstanding anything contained in these rules no public service vehicle other than a motor cab or a maxi-cab shall be licensed to carrying a number of passengers, including those standing in excess of that number obtained by subtracting ninety kilograms from the difference between the registered laden and unladen weight of the vehicle and dividing the resulting figures by sixty-five in the case of a double decked vehicle and single decked vehicle operated exclusively within the Municipal and cantonment areas and by seventy five in the case of other singly decked vehicles.

162. Exemption — Notwithstanding anything contained in Rules 158, 160 and 161, the State Government may by notification in the Official Gazette exempt any public service vehicle or class of such vehicles used in any specified area from the provisions of the said rules either generally or for a specified period and may prescribe the number of passengers that may be carried in excess of the registered seating capacity.

163. Driver's seat in public service Vehicle — (1) No public service vehicle shall be driven other than from the right hand side of the vehicle.

(2) On every public service vehicle space shall be reserved for the driver's seat as to allow him to have full and unimpeded control of the vehicle and in particular—

- the part of the seat against which the driver's back rests shall not be less than 28 centimetres from the nearest point on the steering wheel;
- the width across the vehicle shall be not less than sixty eight centimetres and shall extend to the left of the centre of the steering column in no case less than twenty-five centimetres and so that a line drawn parallel to the axis of the vehicle through the centre of

- (तीन) यान में आगे से पीछे तक बैठने के बीच आने-जाने के रास्ते (गेंगे) के रूप में उपयोग की जाने के लिए चालीस सेटीमीटर चौड़ी खुली जागह हो;
- (ख) उपनियम (1) (क) के अधीन खड़े यात्रियों की संख्या आगे से सबसे पीछे की बैठक तक बैठने के आने-जाने के रास्ते (गेंगे) की लंबाई सेटीमीटर में नाप कर उसे चालीस का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उससे अधिक नहीं होगी।
- (2) उपनियम (1) के उपवन्ध लागू होगे यदि—
- एक खड़ा हुआ यात्री पचास किलोमीटर से अनधिक की यात्रा करता है या इससे अधिक दूरी की यात्रा खड़े-खड़े करने के लिये स्वेच्छा से सहमत है;
 - दो यान केवल प्रथम श्रेणी या उसके समकक्ष मार्गों पर चलाया जाता है।
- (3) उपनियम (1) के उपवन्ध एक्सप्रेस सेवा के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अनुकूल बनाई गई मंजिली गाड़ी को लागू नहीं होगे।

(4) इस नियम के उपनियम (1), (2) तथा (3) में और नियम 158, 159 एवं 161 में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई परिवहन प्राधिकारी किसी भी लोक सेवा यान को ऐसे लोक सेवा यानों के किसी वर्ग को मेलों और धार्मिक सम्मेलनों जैसे विशेष अवसरों पर ले जाने और वहाँ से लाने के लिए या किसी विशिष्ट अस्थायी स्वरूप की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वास्तविक बैठनों की संख्या से 25 प्रतिशत तक अधिक संख्या में व्यक्तियों के वहन के लिए अधिक से अधिक तीन दिन की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उत्तम नियमों के उपवन्धों से छूट दे सकेगा।

161. वहन करने की क्षमता की सीमा — इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी मोटर कैब या मैक्सी से भिन्न किसी भी ऐसे लोक सेवा यान को ऐसी संख्या से विसमें खड़े व्यक्ति सम्मिलित हैं अधिक संख्या में यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी जो संख्या यान के रजिस्ट्रीकृत लदान सहित वजन तथा रजिस्ट्रीकृत लदान रहित वजन के अंतर में से नव्ये किलोग्राम घटाकर और शेष संख्या को, ऐसे दो तल वाले यान और एक तल वाले यान के मापदले में जो पूर्णः नारायणिक और छावनी क्षेत्रों के भीतर चलाये जाते हैं मैसठ से तथा अन्य एक तल वाले यानों के मापदले में पचहतर से भाग देने से जो संख्या प्राप्त होती है।

162. छूट — नियम 158, 160 एवं 161 में अंतर्विष्ट किसी भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिक सूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले किसी भी लोक सेवा यान या ऐसे यानों के वर्ग को या तो साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उत्तम नियमों के उपांयों से छूट दे सकेगी और ऐसे यात्रियों की संख्या विहित कर सकेगी जो कि रजिस्ट्रीकृत बैठने की क्षमता से अधिक संख्या में वहन किए जा सकेंगे।

163. लोक सेवा यान में चालक के बैठने का स्थान (सीट) — (1) कोई भी लोक सेवा यान, यान की दाहिनी ओर से भिन्न अन्य किसी भी ओर से नहीं चलाया जाएगा।

(2) प्रत्येक लोक सेवा यान में चालक के बैठने के लिए इस प्रकार स्थान आरक्षित रखा जायेगा जिससे कि वह यान पर पूर्ण और बिना किसी बाधा के नियंत्रण रख सकें और विशिष्टतया—

(एक) बैठक के जिस भाग पर चालक अपनी पीठ टेकता है वह भाग परिचालन पहिए (स्टीरिंग व्हील) के निकटतम बिन्दु से 28 सेटीमीटर से कम दूरी पर नहीं होगा;

(दो) यान की चौड़ाई एक ओर से दूसरी ओर तक अड्सट सेटीमीटर से कम नहीं होगी और स्टीरिंग कालम के मध्य से बांधी ओर बही हुई होगी जो प्रत्येक स्थिति में पच्चीस सेटीमीटर से कम नहीं होगी और वह ऐसी होगी जिससे कि यदि चालक को बार-बार काम पड़ने वाले किसी गीर लीवर या किसी अन्य उपकरणों के मध्य से होती हुई

any rear lever, brakes lever or other device to which the driver has to have frequent access lies not less than five centimetres inside the width reserved for the driver's seat.

(3) Arm rest is for the driver not more than ten centimetres wide may be provided within the space specified in clause (ii) of sub-rule (2).

(4) No public service vehicle shall be so constructed that any person may sit or any luggage may be carried on the right hand side of the driver.

(5) Every public service vehicle other than a motor-cab, shall be so constructed that there shall be a separate compartment containing proper sitting accommodation for the driver. This compartment may be separated by suitable rigid partition of expanded metal or adequately spaced metal bars both on the side and on the rear so as to isolate the driver without obstructing his vision.

(6) Every public service vehicle shall be so constructed that, save from the front pillar of the body, the driver shall have a clear vision both to the front and through an angle of ninety degrees to his right hand side. The front pillar of the body shall be so constructed as to obstruct the vision of the driver to the least possible extent.

164. Width of doors — Every entrance and exit of a public service vehicle other than a motor car shall be at least fifty-three centimetres in width and of sufficient height.

165. Grab-rail — A grab rail shall be fitted to every entrance or exit, excluding an emergency exit of a public service vehicle other than a motor cab to assist passengers in boarding or alighting from the vehicle.

166. Steps — (1) In any public service vehicle other than a motor cab, the top of the tread of the lowest step for any entrance or exit, other than an emergency exit shall not be more than fifty centimetres or less than twenty five centimetres above the ground when the vehicle, is empty. All steps shall be fitted with non-slip treads. Fixed steps shall not be less than twenty-five centimetres wide and shall in no case project laterally beyond the body of the vehicle unless they are so protected by the front wings or otherwise that they are not liable to injure pedestrians.

(2) In the case of a double decked vehicle—

(i) the risers of all steps leading from the lower to the upper deck shall be closed, and no unguarded aperture shall be left at the top landing board;

(ii) all steps leading from the lower to the upper deck shall be fitted with non-slip treads;

(iii) the horizontal distance from the nearest point of the riser of the top step to the vertical line passing through the nearest point of the seat opposite to the top tread of the staircase, excluding any garb rail which does not project more than eight centimetres from back of the seat shall not be less than sixty-six centimetres;

(iv) the outer stringer of an out-side stair case shall be so constructed or a bend shall be so placed, as to act as a screen to persons ascending

यान की धुरी के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह चालक की बैठक के लिए आरक्षित चौड़ाई के कम से कम पांच सेंटीमीटर भीतर आ सके।

(3) चालक को हाथ टिकाने के लिए अधिक से अधिक दस सेंटीमीटर चौड़े हत्थों (आम्ररिस्ट) की व्यवस्था उपनियम (2) के छण्ड (दो) में विविधिदिविये गये स्थान के भीतर की जा सकेगी।

(4) किसी भी लोक सेवा यान का संनिर्माण इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि चालक की दाहिनी ओर कोई भी व्यक्ति बैठ सके या कोई भी सामान ले जाया जा सके।

(5) मोटर कैब से भिन्न, प्रत्येक लोक सेवा यान का संनिर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि उसमें अलग से एक ऐसा कंपार्टमेंट हो जिसमें चालक को बैठ सकने के लिए समुचित स्थान हो। वह कम्पार्टमेंट पीछे और बाजू की ओर से धातु की चादर या उचित अंतर पर लगाई गई धातु की छड़ों के समुचित रूप से मजबूत विभाजक (पीटीशन) द्वारा इस प्रकार पृथक किया जा सकेगा जिससे कि चालक को उसके सभी तरफ देखने की प्रक्रिया में कोई बाधा लाए बिना पृथक किया जा सके।

(6) प्रत्येक लोक सेवा यान का संनिर्माण इस प्रकार किया जायेगा जिससे कि बाढ़ी के आगले खम्भे से होने वाली बाधा को छोड़कर चालक सामने की ओर, और 90 अंश का कोण बनाते हुए दाहिनी ओर साफ-साफ देख सके। बाढ़ी के आगले खम्भे का संनिर्माण भी इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि उसके कारण चालक की दृष्टि में यथासंभव कम से कम बाधा आए।

164. दरवाजों की चौड़ाई — मोटर कार से भिन्न, प्रत्येक लोक सेवा यान में प्रवेश और निर्गम के द्वारा की चौड़ाई कम से कम 53 सेंटीमीटर होगी और उसकी ऊनाई भी पर्याप्त होगी।

165. कसकर पकड़ने के लिये लोहे की छड़ — मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान के आपातकालीन निर्गम द्वारा को छोड़कर प्रत्येक प्रवेश और निर्गम द्वारा पर कसकर पकड़ने के लिये लोहे की छड़ लगायी जाएगी जिससे यात्रियों को यान पर चढ़ने-उतरने में सहायता मिल सके।

166. सीढ़ियाँ — (1) मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में, आपातकालीन निर्गम मार्ग से भिन्न, किसी प्रवेश या निर्गम द्वारा के सबसे नीचे के पायदान की ऊरी सतह, यान खाली होने की स्थिति में भूमि से पचास सेंटीमीटर से अधिक या पच्चीस सेंटीमीटर से कम ऊर नहीं होगी। सीढ़ियों के समस्त पायदानों पर पैर कोन, फिसलने न देने वाली सतह लगी होगी। स्थिर सीढ़ियों की चौड़ाई पच्चीस सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और किसी भी स्थिति में तब तक यान की बाढ़ी के पाश्व से बाहर निकली हुई नहीं होगी जब तक कि उन्हें सामने के विंगों से या अन्यथा इस प्रकार सुधारित न कर दिया जाए कि जिससे उनसे पदयात्रियों को कोई क्षति पहुंचने की संभावना रहे।

(2) दो तल वाले यान के मामले में—

(एक) नीचे के तल से ऊर के तल की ओर जाने वाली सभी सीढ़ियों के खड़े पट्टे (राइजर्स) बंद रखे जायेंगे और पैर रखने के सबसे ऊर के तलवे में कोई अरक्षित छिप नहीं छोड़ा जाएगा।

(दो) नीचे के तल से ऊर के तल की ओर जाने वाली सभी सीढ़ियों के पायदानों में पैर न फिसलने देने वाली सतह लगी हुई होगी।

(तीन) सबसे ऊर की सीढ़ी के खड़े पट्टे (राइजर्स) के निकटतम बिन्दु से जिसमें कसकर पकड़ने की छड़ सम्पूर्ण नहीं है, जो बैठक की पीठ से आठ सेंटीमीटर से अधिक बाहर निकली हुई नहीं हो जाने से सबसे ऊर के पायदान के सामने वाली बैठक (सीट) के निकटतम बिन्दु से होकर जाने वाली लम्बवत रेखा तक की सीतिज दरी छियासठ सेंटीमीटर से कम नहीं होगी।

(चार) बाहरी ओर के जीने की बाहरी लम्ब पट्टी का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा या एक पट्टा ऐसा लगाया जाएगा जो चढ़ने उतरने वाले यात्रियों के लिए एक सहारे का काम दे और

or descending the height of the outer guard rail shall not be less than one hundred centimetres above the front of the treat of each step.

167. Body dimensions, Guard Rails and Life Guards — (1) Every public service vehicle other than a motor cab or a maxi-cab shall be so constructed that—

- in the case of a single decked vehicle with an enclosed body—
 - the height of the body side from the floor to the sill of the window shall be less than seventy centimetres;
 - if the height of the sides of the body or the sills of the body windows, as the case may be, above the highest part of any seat is less than forty-five centimetres, is made by means of guard rails or otherwise to prevent the arms of seated passengers being thrust through or the extent to which the side windows or Venetian can be lowered is such that when lowered their top edges is not less than forty-five centimetres above the highest part of any seat.
- in the base of a single decked vehicle with open side, guard rails shall be provided along the right hand side of the vehicle to prevent any person other than the driver from mounting or alighting from the vehicle on the side;
- in the case of a double decked vehicle with an uncovered top deck, the top deck shall be provided with side rails and end rails the top of which shall be atleast ninety centimetres above the deck boards of battons at the modes and forty-five centimetres above the highest part of any seat, and the top of front and back rails shall be at least one hundred centimetres above the deck boards or battons and shall follow the chamber or the deck.

(2) For the purposes of this rule, the seat back shall not be deemed to be a part of the seat.

(3) A Regional Transport Authority may in the case of stage carriages plying solely in any specified municipal or cantonment limits and in the environs thereof require that life guards of a type of the approved by the authority shall be fitted to the sides of the vehicle between the wheels.

168. Protection of passengers from weather — (1) Save in the case of the uncovered top deck of a double decked vehicle, every public service vehicle other than a motor cab shall be constructed with a fixed and water-tight roof and every motor cab shall be constructed with a fixed and water tight roof or be equipped with water tight hood that may be raised or lowered as required.

(2) Save in the case of the uncovered top deck of a double decked vehicle, every public service vehicle shall have suitable windows, Venetians or screens capable at all times of protecting the passengers from the weather without preventing adequate ventilation of the vehicle. When the screen are made of fabric, the whole of them shall be at all time fastened securely to the vehicle :

Provided that in the case of vehicles plying as Express and Deluxe services, the windows shall be fitted with clear and tinted glass and with no other material.

बाहरी रखक छड़ की ऊंचाई प्रत्येक सीढ़ी के पायदान की सतह के अप्रभाग से एक सौ सेंटीमीटर से कम नहीं होगी।

167. बॉडी का परिमाप, रखक छड़ और जीवन रखक (लाइफ गार्ड) — (1) किसी मोटर कैब या मैक्सी कैब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान का संनिर्णय इस प्रकार किया जाएगा कि—

(एक) बंद बॉडी के एक तल वाले याने मामले में,—

(क) बॉडी के बाजू की ऊंचाई कर्फ की खिड़कियों की देहरी तक सतर सेंटीमीटर से कम होगी;

(ख) यदि किसी बैठक (सीट) के सबसे ऊंचे भाग से, यथास्थिति, बॉडी की बाजू की या बॉडी की खिड़कियों की देहरियों की ऊंचाई, पैतालीस सेंटीमीटर से कम हो तो बैठे हुए यात्रियों की बाहों को बाहर निकलने देने से बचने के लिए रखा छड़ या अन्यथा किसी साधन द्वारा व्यवस्था की गई है या बाजू की खिड़कियों या नीचे खिसकाई जाने वाली डिलमिसी बैरीशियन इतनी नीचे की जा सकती है कि यदि उसे नीचा किया जाए तो उसकी ऊंचाई किनारा किसी बैठक के सबसे ऊंचे भाग से पैतालीस सेंटीमीटर से कम अग्र नहीं होगी।

(दो) खुली बाजू वाले एक तल वाले यान के मामले में, यान की वाहिनी ओर आगे से पैछे तक इस प्रकार रखा छड़ लगाए जाएंगे जिससे कि चालक से भिन्न अन्य किसी भी व्यक्ति को उस बाजू से यान से उतारने या चढ़ने से रोका जा सके;

(तीन) ऐसे दो तल वाले, यान के मामले में जिसका ऊंची तल (डेक) खुला हो अग्री तल में बाजू की छड़े तथा यान के पिछले भाग में छड़े इस प्रकार लाई जाएंगी कि जिससे सबसे अग्र की छड़ तल (डेक) के तट्ठतों से या पार्श्व भाग के पटियों से कम से कम नब्बे सेंटीमीटर अग्र होगी और किसी भी बैठक से सबसे ऊंचे भाग से पैतालीस सेंटीमीटर अग्र होगी और सामने तथा पैछे की छड़ों में अग्री छड़ तक (डेक) के तट्ठते या पटियों से कम से कम सौ सेंटीमीटर अग्र होगी और तल (डेक) के कक्ष के अनुसार लगाई जाएंगी।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए बैठक (सीट) के पिछले भाग को बैठक का भाग नहीं समझा जाएगा।

(3) प्रादेशिक परिवहन प्रधिकारी ऐसी मंजिली गाड़ियों के मामले में, जो केवल किसी विनिर्दिष्ट नगरायात्रिक या छावनी की सीमाओं या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं यह अपेक्षा कर सकेगा कि यान के पार्श्व में पहियों के बीच प्रधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रकार के जीवन रखक लगाए जाएं।

168. मौसम से यात्रियों का संरक्षण — (1) खुले हुए अग्री तल वाले दो तल वाले यान के मामले के सिवाय, मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान का संनिर्णय इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें स्थिर तथा जलरोधी छत होगी और प्रत्येक मोटर कैब का संनिर्णय इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें स्थिर तथा जलरोधी छत होगी या उसमें ऐसा जलरोधी ढक्कन (हुड़) लाया जाएगा जिसे आवश्यकतानुसार अग्र नीचे किया जा सके।

(2) खुले हुए अग्री तल वाले दो तल वाले मोटर यान के मामले के सिवाय, प्रत्येक लोक सेवा यान में ऐसी उपयुक्त खिड़कियां, अग्र-नीचे खिसकाई जाने वाली डिलमिली या पर्दे लगाए जायेंगे, जिनसे यान के पर्याप्त वायुसंचार को रोके बिना मौसम से यात्रियों की संदैव रखा की जा सके। जब पर्दे कपड़े के बने हों तो उनमें से सभी पर्दों को संदैव यान से मजबूती से बांधा रखा जायेगा:

परन्तु यह कि एसएसप्रेस सेवा या डीलक्स सेवा के रूप में चलने वाली यानों के मामले में खिड़कियों में स्पष्ट पारदर्शी और रंगीन कॉच लगाए जाएंगे अन्य कुछ और सामग्री नहीं।

(3) Where glass windows or Venetians are used they must be provided with effective means to prevent their rattling.

169. Internal Lighting — Every public service vehicle other than motor cab, having permanent roof, shall be furnished with one or more electric lights adequate to give reasonable illumination throughout the passengers compartment or compartments including the landing but of such power or so screened as not to impair the forward vision of the driver. Vehicles plying as night services shall be provided with blue coloured night lights.

170. Body construction — The body of every public service vehicle shall be constructed and fastened to the frame of the vehicle in compliance with such directions as may from time to time be issued by the State Transport Authority.

1[170-A. Special provisions for Sleeper Coach and Semi Sleeper Coach]—(a) "Sleeper Coach" means a deluxe vehicle constructed as such under this rule, with or without Air-Condition Unit and the wheel base of such vehicle shall not be less than 205 inches.

(b) "Semi Sleeper Coach" means a coach having passenger seats on the floor and berths on the upper side of it, and the wheel base of such vehicle shall not be less than 205 inches.

170-B. Deluxe Sleeper Coach—(1) Subject to rule 93 read with mutatis application of the provisions of the 128 (2), (3), (4), (5), (6), (9)(i), (12) and (13) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the special provisions for Sleeper Coach/ Semi-Sleeper Coach shall be as hereunder.

170-C. Deluxe Sleeper Coach—(1) (a) No Sleeper Coach of more than ten years age from the date of first registration, shall be permitted during the validity of its permit and where the vehicle becoming more than ten years age, such permit shall become invalid.

(b) The vehicle covered by sleeper coach permit, shall not more than five years from the date of first registration of its at the time of initial issue of permit or replacement of vehicle.

(2) **Sleeper/Berth arrangement** —

- (a) The sleeper berth shall be provided along with the vehicle with two tier system only. The length of each berth shall not be less than 1,750 mm. and width not less than 760 mm. and not more than 900 mm. The thickness of each berth shall not be less than 75 mm.
- (b) The width of the Gangway shall not be less than 450 millimeters.
- (c) The width of the structure partition shall not be less than 25 mm. between the two berths.
- (d) The lower berth shall be fixed at a minimum height of 150 mm. From the flooring of the vehicle.
- (e) The clear head room for the sitting passenger at lower berth shall not be less than 800 mm.

1. Inserted by Notification No. 2795/Tech-550/TC/2008 dated the 22nd September, 2008 and published in C.G. Rajpatra Part I dated 3-10-2008 pages 2709-2712.

नियम 169-170C

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994

(3) जहाँ कौच की बिड़िकियों या ऊर नीचे डिस्कावो जाने वाली जिसमें लिंगिली (वेनीशियन) का उपयोग किया जाता है वहाँ उनके खड़खड़ाने को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

169. भीतरी प्रकाश व्यवस्था — मोटर कैब से भिन्न स्थायी छत वाले प्रत्येक लोक सेवा यान में यात्रियों के बैठने के खण्ड (कम्पार्टमेंट) या सीढ़ी सहित समस्त घाँटों को समुचित रूप से प्रकाशित करने के लिए एक या अधिक स्थानों पर विद्युत की प्रकाश व्यवस्था की जायेगी, किन्तु उनकी शक्ति इतनी होगी या उन पर इस प्रकार का आवरण लगाया जाएगा जिससे कि उनके कारण वालक को सामने देखने में कोई बाधा न हो। रात्रिकालीन सेवा के रूप में चलाए जाने वाले यानों में नीली रंग की राती बल्ट्स की व्यवस्था की जाएगी।

170. बॉडी का संनिर्माण — प्रत्येक लोक सेवा यान की बॉडी का संनिर्माण और यान की चौड़ाई (फ्रेम) में उसका लगाया जाना राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुसार होगा।

1[170-क. स्लीपर शयनयान एवं अर्द्ध-स्लीपर शयनयान के संबंध में विशेष प्रावधान—
(क) शयनयान से अभिग्रह है, डीलक्स वाहन के रूप में इस नियम के अंतर्गत वातानुकूलित इकाई के साथ या बिना निर्मित की गई वाहन और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा।

(ख) अर्द्ध-शयनयान से अभिग्रह ऐसे यान से है, जिसमें फर्श पर यात्री सीटें और ऊर की ओर शयन हो, और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा।

170-ख. डीलक्स शयनयान — (1) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 93 सहपाठित नियम 128(2), (3), (4), (5), (6), (9)(i), (12) व (13) के अध्याधीन यथा परिवर्तित रूप में लागू होते हुए शयनयान/अर्द्ध-शयनयान के लिए विशेष प्रावधान निम्नानुसार होंगे —

170-ग. डीलक्स शयनयान — (1) (क) शयनयान जिसकी आयु प्रथम पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक है तो उसे परमिट की वैधता के दौरान अनुज्ञात नहीं की जाएगी, और जहाँ ऐसा वाहन 10 वर्ष की अधिक आयु का होता है तो ऐसा परमिट अवैध हो जायेगा।

(ख) शयनयान अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले वाहन, अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय अद्यवा वाहन के प्रतिस्थापन के समय प्रथम पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष से अधिक आयु की नहीं होगी।

(2) **शयन/वर्ष व्यवस्था** —

(क) मोटरयान में शयन वर्ष की व्यवस्था वाहन के लम्बाई में केवल दो तलीय शयन आधार पर उपलब्ध की जाएगी। प्रत्येक शयन की लम्बाई न्यूनतम 1,750 मि.मि. तथा चौड़ाई न्यूनतम 760 मि.मि. एवं अधिकतम 900 मि.मि. तक होगी, प्रत्येक शयन की मोटाई 75 मि.मि. होगी।

(ख) आने जाने के राते (गेंगे) की चौड़ाई 450 मि.मि. से कम की नहीं होगी।

(ग) दो शयन के मध्य संरचना विभाजक की चौड़ाई न्यूनतम 25 मि.मि. से कम की नहीं होगी।

(घ) वाहन के फर्श से निचला शयन न्यूनतम 150 मि.मि. ऊंचाई पर स्थापित किया जायेगा।

(ङ) नीचे की शयन में बैठे यात्री के लिए सप्ट शीर्षकक्ष (हेड-रूम) 800 मि.मि. से कम नहीं होगी।

1. अधिसूचना क्रमांक 2795/तक-550/टीसी/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2008 द्वारा अन्तःस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 3-10-2008 को पृष्ठ 2706-2709 पर प्रकाशित।

- (f) The clear head room for upper berth shall not be less than 650 mm, except at the side curves of the roof.
 - (g) The upper berth shall be either fixed type with supports fixed rigidly by means of bolting or welding or pivot mounted at the partition and suspended by two bright steel chains mounted on hinges on berths. These chains shall be fixed rigidly by means of bolting or welding to the roof structural members. The length of chain shall be such and sufficient that the passenger could move easily in or out on the berths.
 - (h) Suitable arrangements shall be made for the tipper berth passengers to enable them to go up or come down from the upper berth.
 - (i) An assist handle and footrest shall be provided for comfortable occupation of the upper berth at the convenient height.
 - (j) No seat/berth shall be permitted to be fitted in the gangway except a seat for coach attendant/manager at suitable place.
 - (k) Each berth shall be provided with fabric covering, which shall be capable of being kept in a clean and hygienic condition.
 - (l) One pillow and two neat linen shall be provided to each passenger (one for wrapping and another for spreading). These shall be always in good and hygienic conditions.
 - (m) Safety guard covered with soft material on either side of the upper berth shall be provided.
- (3) Other particulars —**
- (a) **Headroom.**—The internal height of the saloon shall not be less than 1,850 mm.
 - (b) **Body mounting.**—In case of rigid chassis the body of such public service vehicle shall be mounted on the chassis with high tensile, steel bolts with diameter of not less than 16mm, No holes shall be drilled in the chassis side members (Longitudinal) except where such drilling is technically approved by the chassis manufacturers. Rubberised packing or mounting of adequate thickness shall be used between the body structure and the chassis frame.
 - (c) **Flooring.**—Flooring material of such public service vehicle shall be sound proof, anti-skid and washable. The floor shall be safe for the passengers and be covered with rubber or synthetic matting or carpets. All joints shall be dust proof by suitable packing material.
 - (d) **Roof.**—Roof of ceiling of such public service vehicle shall be provided with soft material or equivalent materials like A.B.S. plastics to prevent impact.
 - (e) **Light.**—Individual reading light at convenient location for each berth shall be provided in addition to normal lighting arrangement.
 - (f) **Painting and finishing.**—Such public service vehicle shall be painted in "Nitro-Cellulose" or "Synthetic Enamel" or other suitable paints of any permissible color scheme.

- (च) छत के बालू के सुपाल को छोड़कर उमर के शयन का स्पष्ट शीर्षकक्ष (हेड-रूम) 650 मि.मि. से कम नहीं होगा।
 - (छ) उमर के शयन को दोस प्रकार से विभाजक पर कील युक्त शताईदार अभ्यास रिपिट युक्त मजबूती से पकड़ वाला बनाया जायेगा, और शयन पर लटकते हुए दो चमकदार इस्पात की जंजीर से मजबूती में पकड़ किये होंगे। यह इस्पात जंजीर छत के निर्माण भूजाओं पर कील युक्त या शताईदार किये होंगे। जंजीर की लम्बाई ऐसी और पर्याप्त होगी कि यात्री शयनों पर सुविधापूर्वक अन्दर या बाहर आ जा सके।
 - (ज) उमर की शयन के यात्री के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे उमर की शयन पर जा सके या नीचे आ सके।
 - (झ) उमर के शयन तक सुविधापूर्वक पहुँचने के लिए एक सहायक हत्था और पैदान सुविधाजनक ऊंचाई पर उपलब्ध किया जायेगा।
 - (ए) परिसाहायक/व्यवस्थापक के लिए सीट को छोड़कर आने जाने के गास्टे में कोई सीट या शयन लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - (ट) प्रत्येक शयन वक्ष आवरण से उपलब्ध की जाएगी, जो स्वच्छ एवं रोग युक्त स्थिति में रखे जाने योग्य होंगी।
 - (ठ) प्रत्येक यात्री को एक तकिया एवं दो साफ चादर उपलब्ध की जाएगी (एक ओढ़ने के लिए और दूसरी बिछाने के लिए) इन्हें हमेशा अच्छी और रोग युक्त स्थिति में रखा जायेगा।
 - (ड) उमर की शयन के दोनों ओर नरम सामग्री युक्त का सुरक्षा कब्ज उपलब्ध किया जाएगा।
- (3) अन्य विवरण —**
- (क) **शीर्षकक्ष**—यान की आंतरिक ऊंचाई 1,850 मि.मि. से कम नहीं होगी।
 - (ख) **बॉडी संरचना**—परिदृढ़ चेचिंस की दशा में ऐसे लोक सेवा यान की बॉडी चेचिंस पर उच्चटेनसाईल एवं इस्पात बोल्ट जो 16 मि. मी. की परिपथ से कम न हो बनाया जाएगा। जहाँ ऐसे छिद्र करने को जैसा कि निर्माता द्वारा तकनीकी रूप से मान्यता दी गई है को छोड़कर चेचिंस के पार्श्व (दिशान्तरीय) भाग पर कोई छेद छील मरीन से नहीं किया जाएगा। बॉडी संरचना और चेचिंस फ्रेम के बीच में खर की पैकिंग या मार्टिंग समुचित मोराई की होगी।
 - (ग) **फर्श**—ऐसे लोक सेवा यान के फर्श की सामग्री ध्वनि युक्त, एन्टीस्लीड और धोने योग्य होगी। यात्रियों के लिए फर्श सुरक्षित होगा, और खर का सेन्ट्रोटिक चटाई या गलीचे से ढका होगा। उचित पैकिंग सामग्री के द्वारा सभी जोड़ धूल युक्त रहेंगे।
 - (घ) **छत**—ऐसे लोक सेवा यान की सिलींग की छत मुलायम सामग्री या समान सामग्री जैसे ए.बी.एस. प्लास्टिक से दबाव समाप्त करने के लिए उपलब्ध किया जाएगा।
 - (इ) **प्रकाश**—सामान्य प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक शयन के लिए सुविधाजनक श्यान पर व्यक्तिगत रिंग लाईट उपलब्ध की जाएगी।
 - (ज) **रंग-रोगन और सजावट**—ऐसी लोक सेवा यान को "नेट्रो सेल्युलेस" या "सेचेटिक इनेमेल" या अन्य उचित रंग से जो अनुज्ञात रंग योजना की हों रंग किया जाएगा।

- (g) **Air-condition unit mounting**—
 (1) Such public service vehicle may be equipped with Air Conditioning unit of adequate standard,
 (2) The Air-condition engine compartment shall be provided with sound-insulating materials so as to damper the engine noise to suitable D.B. Level : and with vibrating mounting so as to minimise vibration factors in the saloon compartment.
- (h) **Power of grant relaxation**.—The State Government may grant relaxation by order to the vehicle registered as Delux Sleeper coach/Sleeper Bus from cooling capacity or any of the above condition giving reasons in writing.
- (i) **Windows**—
 (i) The windows shall be provided with double sliding type sliders running smoothly in channels without rattle and with all safety or laminated safety glasses conforming to the standard laid down by the Bureau of Indian Standards. Windows shall be provided with sliding curtains.
 (ii) In case where the fixed glasses are provided, minimum one hatch should be provided on roof top at suitable place for air circulation.
 (iii) Sliding windows shall be provided to the driver partition immediately behind the driver.
- (j) **Miscellaneous**—
 (i) No hat rack shall be permitted in such public service vehicle.
 (ii) Such public service vehicle shall have weveller suspension or pneumatic suspension,
 (iii) Reflective tape of canary yellow colour of 50 mm. width shall be provided at rear and front side at skirt level of/on bumper.
 (iv) Such public service vehicle shall have an attendant/manager to take care of the passengers in addition to the driver/drivers or conductor.

170-D. Semi-Sleeper Coach.—(i) The provisions of deluxe sleeper coach shall as far as, be applicable to Semi-Sleeper coach except, the sleeper berth in semi-sleeper coach should be provided along with the vehicle in the upper half side of the coach in single berth row on both sides. The length of each berth of less shall not be less than 1,750 mm. and width not less than 450 mm. The thickness of each berth shall not be less than 75 mm.

(ii) **Age of the Semi-Sleeper Coach**.—(1) No Semi-Sleeper Coach of more than ten years age from the date of first registration, shall be permitted. During the validity of its permit, where the vehicle becoming more than ten years age, such permit shall become invalid.

(छ) वातानुकूलिक यंत्र कक्ष—

- (1) ऐसे लोक सेवा यान में समुचित मानक के वातानुकूलित शूनिट लगायी जा सकेगी।
 (2) वातानुकूलित इंजन कक्ष घ्यनि रोपक सामग्री से युक्त होगा, ताकि इंजिन के शोर को युक्तियुक्त डी.बी. टेबल तक और कंपन या मार्टिंग के कंपन सेल्प्यून कक्ष से कम कर सके।
 (3) शिथिलीकरण देने की शक्ति—राज्य शासन डीलक्स शयनयान/शयन बस के रूप में रेजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को ठंडे करने की क्षमता या उमर दर्शाई गई किसी भी शर्त से लिखित में कारण दर्शाते हुए आदेश द्वारा शिथिलीकरण प्रदान कर सकता है।

(ज) खिड़कियाँ—

- (i) खिड़कियाँ दोहरी स्लाइडिंग युक्त स्लाइडर जो चेनल में सुगमतापूर्वक आगे पीछे बिना कंपन के हो सके और संयुक्त सुक्षम या लेमिटेड सेफ्टी कांच जो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा नियंत्रित मानकों के अनुरूप हो उपलब्ध की जाएगी। खिड़कियों में खिसकने वाले पर्दे उपलब्ध किये जाएं।
 (ii) जहाँ स्थिर कांच उपलब्ध किये गये हों, ऐसी दरान में कम से कम छत के ऊपर समुचित स्थान पर वायु परिचालन के लिए कम से कम एक दरार उपलब्ध की जाएगी।
 (iii) खिसकने वाली खिड़कियाँ चालक विभाजक में चालक के ठीक पीछे उपलब्ध की जाएंगी।

(झ) विविध—

- (i) ऐसे लोक सेवा यान में कोई ट्रेट-रेक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
 (ii) ऐसे लोक सेवा यान वेबलर संसर्पेशन या न्यूरोटिक संसर्पेशन से युक्त होगा।
 (iii) केनरी के प्रतिविवित रिबन पीले रंग में 50 मि.पि. चौड़ाई के आगे और पीछे की ओर बायर के स्कर्फ लेबल पर उपलब्ध किये जाएंगे।
 (iv) ऐसे लोक सेवा यान में परिस्थायक/व्यवस्थापक यांत्रियों की सेवा के लिए चालक/चालकों वा परिचालक के अतिरिक्त उपलब्ध किया जाएगा।

170-प्र. अर्द्ध शयनयान—(i) अर्द्ध शयनयान में शयन वर्थ की लाम्बाई में उपलब्ध की जाएगी, कोच के ऊपरी आधे भाग में दोनों ओर एकल शयन कतार में होगी, को छोड़कर डीलक्स शयनयान के प्रावधान अर्द्ध शयनयान पर, जहाँ तक लागू हो सकें, लागू किये जाएंगे। प्रत्येक शयन की लाम्बाई न्यूनतम 1,750 मि.पि. से कम नहीं होगी और चौड़ाई 450 मि.पि. से कम नहीं होगी। प्रत्येक चयन की मोटाई न्यूनतम 75 मि.पि. होगी।

(ii) (1) प्रथम पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी अर्द्धशयनयान को परमिट अवैध हो जाएगा। परमिट की वैधता के दौरान यदि वाहन 10 वर्ष से अधिक की हो जाती है तो ऐसा परमिट अवैध हो जाएगा। परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहन प्रारंभिक परमिट जारी करने के अथवा वाहन प्रतिस्थापन करने के समय प्रथम पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

(2) The vehicle covered by semi-sleeper coach permit, shall not be more than five years old from the date of its first registration at the time of initial issue of permit or replacement of vehicle.

(3) Seating layout shall be two and two on either side, all seats facing forward, with a clear gangway of atleast 355 mm. at the centre. Each passenger seat shall have a minimum area of 447 mm. x 457 mm. and an arm-rest on both sides and seat-back of full height.

170-E. Powers of State Government to grant relaxation.—The State Government may grant relaxation by order to the vehicles registered as Deluxe Sleeper Coach/Semi-Sleeper coach from one or any of the above conditions giving reasons in writing.

170-F. Entry in Certificate of Registration and Permit.—Seating capacity, berth capacity and with or without A.C. particulars shall be entered in the certificate of registration and permit of Deluxe Sleeper Coach and Semi Sleeper coach as the case may be.]

171. Compulsory Electric lighting — No light other than an electric light shall be fitted to any public service vehicle.

172. Fuel Tanks — (1) No fuel tank shall be placed in any public service vehicle within sixty centimetres of any entrance or exit of a single decked vehicle or the lower deck of a double decked vehicle.

(2) The fuel tank of every public service vehicle shall be so placed that no overflow therefrom shall fall on any wood work or accumulate where it can be readily ignited. The "off" position of the means of operation shall be clearly marked on the outside of the vehicle. The filling points of all fuel tanks shall be outside the body of the vehicle and the filling-caps shall be so designed and constructed that can be securely fixed in position.

173. Carburettors — In every public service vehicle any carburettors and apparatus associated therewith shall be so placed and shielded that no fuel leaking therefrom shall fall on any part of fitting that is capable of igniting it or into any receptacle where it might accumulate.

174. Exhaust pipe — The exhaust pipe of every public service vehicle shall be so fitted or shielded that no inflammable material can be thrown upon it from any other part of the vehicle and that it is not likely to cause a fire through proximity to any inflammable material on the vehicle; the outlet thereof shall be placed far enough to the rear to prevent, so far as practicable, fumes from entering the vehicle.

175. Electric wires — All electric wires or leads shall be adequately insulated.

176. Fire Extinguishers — Every public service vehicle other than a motor car shall be equipped with one or more fire extinguishers of such type and capacity as may be specified by the State Transport Authority and such fire extinguishers shall at all times be maintained in working condition.

(2) सीट योजना यान में दोनों ओर दो में होगी, सभी सीटें आगे की ओर मुख किये, बीच का मार्ग स्थित: कम से कम 355 मि.मि. का होगा। प्रत्येक यात्री सीट का न्यूनतम क्षेत्र 447 मि.मि. × 457 मि.मि. का होगा, और एक आमरिस्ट दोनों ओर होगा और सीट पार्व पूरी ऊँचाई का होगा।

170-ड. शिथिलीकरण प्रदान करने की शक्ति — राज्य शासन डीलक्स शयनयान/अर्द्धशयनयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को आदेश द्वारा ऊर्ध्व दशाई गई किसी भी एक या अन्य शर्त से लिखित में कारण दर्शाते हुए शिथिलीकरण प्रदान कर सकता है।

170-च. पंजीयन प्रमाण-पत्र और अनुज्ञा-पत्र में इन्ड्राज — डीलक्स शयनयान और अर्द्ध शयनयान जैसी भी स्थिति हो, के पंजीयन प्रमाण-पत्र अनुज्ञा-पत्र में सीट क्षमता, शयन क्षमता और वातानुकूलित युक्त अथवा मुक्त संबंधी विवरण दर्ज किये जाएं।

171. अनिवार्य प्रकाश व्यवस्था — किसी भी लोक सेवा यान में प्रकाश के लिए विद्युत प्रकाश के सिवाय कोई अन्य साधन नहीं लगाया जाएगा।

172. ईंधन की टंकियाँ — (1) किसी लोक सेवा यान में ईंधन की कोई भी टंकी एक तल वाले यान के या दो तल वाले यान के निचले तले के किसी प्रवेश या निर्गम द्वारा से साठ सेंटीमीटर की दूरी के भीतर नहीं लगाई जायेगी।

(2) प्रत्येक लोक सेवा यान की ईंधन की टंकी इस प्रकार लगाई जायगी जिससे कि उससे बाहर वह निकलने वाला द्रव यान के लकड़ी से निर्मित किसी भाग पर न गिरे या किसी ऐसे स्थान में संचित न हो जहां उसके सहज की प्रज्वलित होने की संभावना हो। टंकी को काम में लेने के साथनों की बंद स्थिति यान के बाहर स्पष्ट रूप से चिह्नित की जाएगी। ईंधन की समस्त टंकियों में ईंधन भरने के स्थान मुँह यान की बांड़ी के बाहर होगे और मुँह के ढक्कन की अभिकल्पना (डिजायन) और उसका संनिर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रूप से लगाया जा सके।

173. कार्बोरेटर — प्रत्येक लोक सेवा यान में कोई भी कार्बोरेटर और उससे संबंधित साधित्र ऐसे स्थान में लगाए जाएंगे और वे उसे इस प्रकार ढक्कर रखे जाएंगे कि उससे चूने वाला ईंधन ऐसे भाग किंटिंग पर न गिरे जिसके कि प्रज्वलित होने की संभावना हो या ऐसे पात्र में न गिरे, जहां वह संचित होता जाए।

174. निर्गम नली(एकजास्ट पार्फ्यू) — प्रत्येक लोक सेवा यान की निकास नली (एकजास्ट पार्फ्यू) इस प्रकार लगाई जाएगी या उसे इस प्रकार ढक्कर रखा जाएगा जिससे कि उसके ऊर्ध्व यान के किसी भी अन्य भाग से कोई भी ज्वलनशील सामग्री नहीं गिर सके और इस प्रकार भी कि यान पर रखे गये किसी भी ज्वलनशील सामग्री के निकट होने के कारण उससे आग लगने की संभावना नहीं रहे, उसका निकास (आउट लेट) यान के पिछले भाग की ओर काफी दूर रखा जाएगा, जिससे कि यथाशक्त धुआँ यान में धुसने न पाये।

175. विद्युत तार — बिजली के सभी तारों या विद्युत संचालक लम्बे तारों (लीड) को पर्याप्त रूप से विसंचालित (इन्सुलेटेड) किया जाएगा।

176. अग्निशामक यंत्र — मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान को ऐसे प्रकार और ऐसी क्षमता के, जैसा कि राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए एक या अधिक अग्निशामक यंत्रों से उपस्कृत किया जाएगा और ऐसे अग्निशामक यंत्र हर समय चालू हालत में बनाए रखे जायेंगे।

177. Locking of Nuts — All moving parts of every public service vehicle and all parts subject to serve vibration connected by belts or suits and nuts shall be fastened by lock nuts or by nuts with efficient springs or lock nut washers or by castellated nuts and split pins or by some other efficient device so as to prevent them from working or coming loose.

178. Floor Boards — (1) The floor boards of every public service vehicle shall be strong and closely fitted so as to exclude as far as possible brought dust.

(2) The floor boards may be pierced for the purpose of drainage but for no other purpose.

179. Spare Wheel and tools — (1) Save as otherwise specified by the Regional Transport Authority in respect of municipal or cantonment areas every public service vehicle shall at all times be equipped with not less than one spare wheel or rim fitted with a pneumatic tyre in good and sound condition ready inflated, and mounted in such a way that it can be readily dismounted and fitted to the vehicle in place of any one of the road wheels.

(2) Sub-rule(1) shall not apply to a public service vehicle during the completion of any journey during which it has been necessary to bring the spare wheel or rim and tyre into use.

(3) Every public service vehicle shall at all times be furnished with an efficient jack and other tools necessary to change a wheel or rim and tyre and with the equipment necessary to repair a puncture.

(4) Every public service vehicle shall at all times be furnished with one screw driver and at least with one spare fuse, one side light bulb, and head light bulb, and when such vehicle is fitted with sealed beam head lights with one spare sealed beam unit:

Provided that the State Government may by general or special order exempt, for such period as may be specified, any public service vehicle or class of such vehicles in respect of any area, if it is satisfied that adequate arrangements exist expeditious and efficient emergency repairs in such area.

180. First Aid Box — Every stage carriage shall carry a dust proof first aid box containing the following articles, namely—

- (1) A leaflet containing first-aid instructions issued under the authority of the St. Johns Ambulance Association;
- (2) Twenty-four sterilized finger dressing;
- (3) Twelve sterilized hand or foot dressing;
- (4) Twelve sterilized large or body dressing;
- (5) One extra large, two large and three small sterilized burn dressings.
- (6) Two twenty-four packets of sterilized cotton wool;
- (7) A bottle of 2 percent tincture of iodine or a tube of antiseptic cream containing 0.5 per cent of centrimide B.P. in a non-greasy base;

177. नटों में रोधक दिवारी लगाना (लाइंग आफ नद्स) — प्रत्येक लोक सेवा यान के हिलने वाले समस्त भाग और वे समस्त भाग जिन पर अच्युत जोर से झटके लगते हैं जिन्हें चटखनियों (बोल्ट) या दिवारियों से या रोधक नट वासारों (लाक नट) द्वारा अथवा कार्यक्षम स्प्रिंग वाली या रोधक दिवारियों (स्प्रिलिट पिन्स) द्वारा या अन्य कार्यक्षम साधनों द्वारा इस प्रकार मजबूती से कसकर रखा जाएगा। जिससे कि न तो वे हिलकर खुल सकें और न फीले हों हाँ।

178. फर्श के तख्ते (फ्लोर बोइस्ट) — (1) प्रत्येक लोक सेवा यान के फर्श के तख्ते मजबूत होंगे और इन्हें पास-पास लगाये जाएंगे जिससे कि यथासंभव हवा के साथ खिंचकर धूल भीतर न आने पाए।

(2) फर्श के तख्तों में पानी के निकास के प्रयोजन के लिए छेद रखे जा सकेंगे किन्तु किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

179. अतिरिक्त पहिया और औजार — (1) प्रदेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा नगरपालिका या छावनी क्षेत्रों के संबंध में अन्यथा विनिर्दिष्ट किये गये के सिवाय, प्रत्येक लोक सेवा यान में हर समय कम से कम एक अतिरिक्त पहिया या हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगा रिम जो अच्छी दशा में तथा हवा भरकर तैयार हो, रखा जाएगा और उसे ऐसी जगह चढ़ाकर रखा जाएगा जहाँ से उसे सरलता से उतारा जाकर सड़क पर चलने वाले किसी पहिये के स्थान पर लगाया जा सके।

(2) उपनियम (1) ऐसे लोक सेवा यान को ऐसी यात्रा पूरी करने के दौरान लागू नहीं होगा जिसके कि दौरान इस अतिरिक्त पहिया या रिम और टायर का उपयोग किया जाना आवश्यक हो गया हो।

(3) प्रत्येक लोक सेवा यान में हर समय एक कार्यक्षम जैक और अन्य ऐसे साधित्र, जो पहिए या रिम और टायर को बदलने के लिए आवश्यक हों, रखे जाएंगे तथा साथ ही चार सुपाने के लिए आवश्यक उपस्कर्ता भी रखे जायेंगे।

(4) प्रत्येक लोक सेवा यान में हर समय एक स्क्रू-ड्रायवर और कम से कम एक अतिरिक्त फ्लूज़, एक बाजू के प्रकाश का बल्ब और मुख्य अग्रदीप (हैडलाईट) का एक बल्ब और जब ऐसे यान में सील्ड बीम हैड लाइट लगाई गयी हो, तो एक अतिरिक्त सील्ड बीम यूनिट रखी जाएगी :

परन्तु राज्य सरकार साधारण या विशेष अन्देशा द्वारा, ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, किसी लोक सेवा यान या ऐसे यानों के किसी वर्ग को किसी क्षेत्र के संबंध में, छूट दे सकी यदि उसका यह साधारण हो जाए कि ऐसे क्षेत्र में तकलील और कार्यक्षम आपातकालीन मरम्मत की व्यवस्था विद्यमान है।

180. प्रथमोपचार घैटी (फर्स्ट एड बॉक्स) — प्रत्येक मंजिली गाड़ी में एक धूल रोधी प्रथमोपचार घैटी रखी जाएगी जिसमें निम्नलिखित वस्तुएं होंगी, अर्थात्—

- (1) एक पत्रक जिसमें सेंट जान एम्बुलेन्स एसोसिएशन के प्राधिकार के अधीन जारी किए गये प्रथम उपचार के अनुदेश दिए गए हों;
- (2) अंगुलियों के लिए चौबीस विसंक्रमित पट्टियां;
- (3) हाथ या पैरों के लिए बाह विसंक्रमित पट्टियां;
- (4) बड़े आकार की या शरीर के लिए बाह विसंक्रमित पट्टियां;
- (5) जल जाने पर बांधने के लिए एक काफ़ी बड़ी, दो बड़ी और तीन छोटी विसंक्रमित पट्टियां;
- (6) विसंक्रमित सूती सई के काटनवूल चौबीस फालों वाले दो पैकेट;
- (7) एक बोतल जिसमें 2 प्रतिशत टिंचर आयोडीन हो या ऐसा रोगाणुरोधी मल्हम (एण्टीसैटिक क्रीम) जिसमें नानग्रीजी बैस में 0.5 प्रतिशत सेन्ट्रीमाइड बी.पी. हो;

- (8) A bottle of Sal Volatile;
 (9) Empty bottle fitted with cord and camel hair brush for eye drops;
 (10) Two ounce medicine glass :

Provided that the State Government may by general or special order, exempt from the provisions of this rule, public service vehicles plying such area or areas or on such particular route or routes, and on such conditions, if any as may be specified in the order, if they are satisfied that medical aid is readily available in such area or areas or route or routes.

181. Chocks — In order to prevent a goods vehicle from running backward on slopes or otherwise to render it immobile, every such vehicle not being a light motor vehicle, shall be equipped with two edge-shaped rigid chocks, each measuring thirty centimetres in length, thirty centimetres in breadth and twenty-five centimetres in height with one of its sides having a slope making an angle of 45 degree at the end. The plane surface of the sloped side of each chock shall be rendered concave so as to fit the other circumference of the tyres normally fitted to the rear wheels of the vehicles. The registration number of the vehicle shall be painted on the chocks.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where such vehicle is fitted with single rear wheels the breadth of each such chock may be less than thirty centimetres but not less than fifteen centimetres.

(3) Each such chock shall have a hook and be kept—

- (a) in a bracket fitted on the outer skirt of the tailboard of the vehicle; or
 (b) where the vehicle has no tailboard, in a metal carrier fitted between the frame side members, underneath and body nearest to the rear wheel on either side.

The tailboard of the vehicle and where the vehicle has no tailboard the wooden planks above the frame side members shall also have a hook in the centre.

(4) Each such chock shall be linked with the tailboard or where the vehicle has no tailboard with the wooden planks above the frame side members by means of a metal chain or steel wire rope of sufficient length and strength fastened to the hook in the chock and the hook in the tailboard or the wooden planks as the case may be.

(5) No person shall use any boulder or any substance of a similar nature in lieu of wooden chocks on slopes or otherwise to prevent the goods vehicle other than light motor vehicle from running backwards on slopes or to render it immobile otherwise.

(6) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may by notification in the official gazette exempt from the provisions of this rule any goods vehicle or class of such vehicles which in its opinion are not likely to slip backwards on the slopes.

(7) Every heavy transport vehicle shall at all times be furnished with at least five cautionary boards of size of 30 cms. square mounted on a stand of 50 cms. height with the words "CAUTION" written in black on white background and fitted with red-light reflect or on the top.

- (8) साल बोलटाईल की एक शीशी;

- (9) डाट लागी एक खाली शीशी और आंख की सफाई के लिए ऊंट के बालों का बुश;

- (10) दवा देने के लिए दो औंस का पेय पात्र (मेडिसीन न्यूलस) ;

परन्तु राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे लोक सेवा यानों को जो ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे विशिष्ट मार्ग या मार्गों पर चलाये जा रहे हैं ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जैसा कि आदेश में विविरिंदृष्ट किया जाए, इस नियम के उपबंधों से छूट देसकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में या मार्ग या मार्गों पर चिकित्सा सहयता तुरंत उपलब्ध है।

181. गुटके (चोक) — (1) माल यान को ढलानों पर पीछे लुढ़कने से रोकने या अन्यथा उसे निश्चित करने के लिये हक्के मोटरयान से भिन्न प्रत्येक यान में कोन के आकार के दो मजबूत गुटके रखे जाएं, जिनमें से प्रत्येक तीस सेंटीमीटर लम्बा, तीस सेंटीमीटर चौड़ा और पच्चीस सेंटीमीटर ऊंचा होगा जिसका एक किनारा नीचे की ओर इतना ढलवा होगा कि अन्त में 45 अंश का कोण बन जाए। प्रत्येक गुटके के ढलवे पार्श्व का ऊरी सपाठ भाग नतोदर रखा जाएगा जिससे यानों के पिछले पहियों पर प्रसामान्यता बढ़ाए गए टायरों की बाहरी परिधि में यह ठीक से जमाया जा सके। गुटकों पर यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक लिखा जाएगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसे यान में पीछे एक पहिया लगाया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक गुटकों की चौड़ाई तीस सेंटीमीटर से कम हो सकेगी किन्तु वह पन्द्रह सेंटीमीटर से कम नहीं होगी।

(3) ऐसे प्रत्येक गुटके में एक आंकड़ा लगा हुआ होगा और उसे —

(क) यान के टेलबोर्ड के बाहरी धोपे पर लगाये गये ब्रेकेट में;

(ख) जहां यान में कोई भी टेलबोर्ड न हो, वहां दोनों ओर पिछले पहिये के निकटतम बाड़ी के नीचे चौखट के किनारे की तरफ के भाग (फ्रेम साईड मेम्बर्स) के बीच लगाये गये धातु के बने हुए वाहक (कैरियर) में लटकाकर रखा जायेगा।

यान के टेलबोर्ड में और जहां यान में कोई भी टेलबोर्ड न हो, वहां चौखट के किनारे (फ्रेम साइड) में बस के ऊर लगे हुए लकड़ी के तख्ते पर बीच में भी एक आंकड़ा लगा रहेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा गुटका टेलबोर्ड से या जहां यान में कोई भी टेलबोर्ड न हो, वहां चौखट के किनारे के भाग (फ्रेम साइड मेम्बर्स) के ऊर लकड़ी के तख्तों से पर्याप्त लम्बी और मजबूत धातु की ऊंचीरा या इस्पात के तार की स्सी द्वारा यथा स्थिति गुटके में के आंकड़े से और टेलबोर्ड या लकड़ी के तख्तों में के आंकड़े से जोड़कर बांधा जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति, हल्के मोटरयान से भिन्न किसी भी मालयान को ढलानों पर पीछे लुढ़कने से रोकने या अन्यथा उसे निश्चल करने के लिए ढलानों पर लकड़ी के आंकड़े से और टेलबोर्ड या लकड़ी के तख्तों में के आंकड़े से जोड़कर बांधा जाएगा।

(6) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी ऐसे मालयान को या यानों के ऐसे वर्ग को, इन नियमों के उपबंधों से छूट देसकेगी, जिनके विषय में उसकी यह राय हो कि ढलानों पर उनके पीछे फिसलने की संभावना नहीं है।

(7) प्रत्येक भारी परिवहन यान में हर समय 30 वर्ग सेंटीमीटर आकार के कम से कम 5 चेतावनी फलक, जिन पर सफेद पृष्ठ भूमि पर काले रंग से "सावधान" लिखा हो और लाल प्रकाश परावर्तक लगे हों, 50 सेंटीमीटर ऊंचे स्टैण्ड पर लगाए जाएंगे।

182. Driver's Seat in Goods Vehicles — The provisions of Rule 163 applicable to a public service vehicle shall also apply to goods vehicle other than a light motor vehicle provided with bucket-type seats.

183. Securing of goods in open goods vehicles — Goods transported in an open goods vehicle, shall be properly secured within the body of such vehicle in such a manner so as to prevent the goods from falling from such vehicle.

184. Checking of designs of locally manufactured Trailers — (1) An application for approval of a new design of trailer manufactured in India and intended to be used as a transport vehicle shall be sent to the ¹[Transport Commissioner] in triplicate by the manufacturer or his authorised assembler. Such application shall be accompanied by three copies of each of the following documents —

- (i) full specification;
- (ii) Drawings giving all dimensions and details; and
- (iii) Set of design calculation of—
 - (a) Axles;
 - (b) Springs;
 - (c) Long-bearers;
 - (d) Cross-bearers;
 - (e) Platform tank or anything that may be carried on the cross bearers;
 - (f) Two bar;
 - (g) Turn table or any other scribbling device for the front axle, in case of two axle trailers;
 - (h) Braking arrangements; and
 - (i) Any other item such as shock absorbers, if included.
- (2) (a) The ¹[Transport Commissioner] shall forward the application and the copies of documents to such authority as he may think proper for verification and recommendation of the maximum laden and axle weights in respect of the trailer which is compatible with reasonable safety.
- (b) The authority shall then go through the design and calculations and if the design is found satisfactory by it, certify what would be in its opinion the greatest laden and axle weights of trailer which is compatible with reasonable safety.
- (c) When a design is found satisfactory by the authority it shall return two copies of the approved design, specifications and calculation

1. Substituted by Notification No. F-1-10/Two/VIII-Tr./03 dated the 2nd September, 2003 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 2-9-2003 page 442(2).

182. माल यान में चालक का आसन (सीट) — किसी लोक सेवा यान को लागू होने वाले नियम 163 के उपबंध डोल के आकार के आसनों (बैकेट-टाइप सीट) की व्यवस्था वाले हल्के यान से भिन्न अन्य माल यानों को भी लागू होगे।

183. खुले माल यानों में माल की सुरक्षा — खुले माल यान में परिवहन किया जाने वाला माल ऐसे यान की बाढ़ी के भीतर ऐसे रीति में सुचित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा जिससे कि माल ऐसे यान से बाहर न निकले।

184. स्थानीय रूप से निर्मित अनुयानों (ट्रेलर) के नए अधिकार्त्यों (डिजाइनरों) की जांच — (1) भारत में निर्मित यान के रूप में उपयोग के लिए आशायित अनुयान के नए अधिकार्त्य (डिजाइनर) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्माता या उसके प्राधिकृत संयोजक (असेक्युरर) द्वारा ¹[परिवहन आयुक्त] को तीन प्रतियों में भेजा जाएगा। ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रत्येक दस्तावेजों की तीन-तीन प्रतियां संलग्न की जाएंगी —

- (एक) पूर्ण विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन);
- (दो) सभी परिमापों (डाइमेशन) और व्यारों सहित रेखाचित्र; तथा
- (तीन) निम्नलिखित अधिकार्त्य गणनाये —
 - (क) अक्षदण्ड (एक्सेल्स);
 - (ख) स्प्रिंग;
 - (ग) लांबे आधार-दण्ड (लांग बिअर);
 - (घ) आड़े आधार दण्ड (क्रास बिअर);
 - (ड) ऐसी घेटोफार्म टंकी (घेटोफार्म टेन्क) या अन्य कोई वस्तु जो आड़े आधार दण्ड (क्रास बिअर्स) पर बहन कर ले जाई जा सकती है;
 - (च) खाँचने वाली छड़े (टो बार);
 - (छ) दो अक्षदण्ड वाले अनुयानों के मामले में आगे के अक्षदण्ड के लिए घूमने वाली टर्न टेबल या घरीटने का चर्चावार कोई अन्य साधन;
 - (ज) रोकन (ब्रेक लागो) की व्यवस्था; और
 - (झ) कोई भी अन्य मद जैसे आधार - अवरोधक (शाक एड्जार्वर) यदि सम्मिलित किए गए हों।

(2) (क) ¹[परिवहन आयुक्त] उस अनुयान के संबंध में लादे जाने वाले अधिकार्त्य भार के तथा अक्षदण्ड वजन (एक्सेलवेट) जो युक्तियुक्त सुरक्षा के अनुरूप हैं, के सत्यापन तथा की सिफारिश करने के लिये वह आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियां ऐसे प्राधिकारी को अप्रैषित करेगा जैसे कि वह उचित समझे।

(ख) तत्पश्चात् ऐसा प्राधिकारी अधिकार्त्य (डिजाइनर) और संगणनाओं का अध्ययन करेगा और यदि उसके द्वारा अधिकार्त्य (डिजाइनर) संतोषप्रद पाई जाय तो वह प्रमाणित करेगा कि उसकी रूप में ऐसे अनुयान के संबंध में युक्तियुक्त सुरक्षा के अनुरूप लादा जा सकते वाला अधिकार्त्य भार तथा अनुयान का अक्षदण्ड वजन (एक्सेलवेट) क्या होगा।

(ग) यदि प्राधिकारी द्वारा कोई डिजाइन संतोषप्रद पाई गई है तो वह प्राधिकार युक्तियुक्त सुरक्षा के अनुरूप लादे जाने वाले अधिकार्त्य भार तथा अक्षदण्ड वजन के संबंध में अपनी सिफारिशों

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-1-10/दो/आठ-परिवहन/03, दिनांक 2 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-9-2003 को पृष्ठ 442(1) पर प्रकाशित।

with its recommendations as to the maximum laden and axle weights compatible with reasonable safety to the ¹[Transport Commissioner]:

Provided that where the design of a trailer is approved in any other State by a competent or prescribed authority, the approval of such design shall not be necessary in this state.

- (d) The applicant, on approval, of his design, shall, if he wants to manufacture the trailers for trade, supply the ¹[Transport Commissioner] with as many extra copies of the approved type of the design, specifications and calculations as may be required by him for sending them to different Registering Authority for their record.

- (3) The fee chargeable for such checking of a design shall be as follows—
 (1) ²[Rs. 3,00,000.00] for single axle trailer;
 (2) ³[Rs. 5,00,000.00] for double axle trailer.

The fee shall be paid in cash with the application and such fee shall not be refunded.

⁴[184-A Approval of new make and model of motor vehicle for sale in the State :-

- (1) To regulate the new make and model of motor vehicles introduced by the manufacturer and thereby to control the activities of the manufacturer and dealers in motor vehicles regarding sale of such new vehicles in the State, it is necessary for such manufacturer and/or dealers to obtain permission for every make and model of vehicle before the sale of such motor vehicles in the State of Chhattisgarh.
- (2) Such manufacturer and dealers shall apply for each make and model separately for permission on plain paper to the Transport Commissioner, Chhattisgarh complying the following conditions :—
 (i) Approvals obtained from the agency mentioned in rule 126 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 alongwith approved prototype of motor vehicle in question.
 (ii) Copy of colour photographs of such vehicle from three different directions and leaflet published thereof.
 (iii) List of dealers appointed by the manufacturer in the State of Chhattisgarh regarding the sale of make or model of vehicles in question.

1. Substituted by Notification No. F-1-10/Two/VIII-Tr./03 dated the 2nd September, 2003 and published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 2-9-2003 page 442(2).
2. Substituted by Notification No. 4714/Tak 755/Tran.dept./2011, dated the 18 August 2011, for words and figure Rs. "1000/-" and Published in C.G. Rajpatra Part-I dated 30-09-2011, Page 1691.
3. Substituted by Notification No. 4714/Tak 755/Tran.dept./2011, dated the 18 August 2011 for words and figure Rs. "1500/-" and Published in C.G. Rajpatra Part-I dated 30-09-2011 Page 1691.
4. Inserted by Notification No-5271/TC/2012, dated the 27 September 2012 and published in C.G. Rajpatra Part-I dated 12-10-2012 Page 2381.

के साथ अनुमोदित अभिकल्प के विनिर्देशों और संगणनाओं की दो-दो प्रतियां ¹[परिवहन आयुक्त] को लौटा देगा :
 परन्तु जहाँ किसी अन्यान का अभिकल्प किसी अन्य राज्य में किसी संकाय या विभिन्न प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है वहाँ, ऐसे अभिकल्प का अनुमोदन कराया जाना इस राज्य में आवश्यक नहीं होगा।

- (b) अपने अभिकल्प के अनुमोदित हो जाने पर, आवेदक यदि अनुयायों का विनिर्माण व्यापार के लिए करना चाहता है, तो उस अनुमोदित अभिकल्प का प्रकार, विनिर्देशों तथा संगणनाओं की उत्तरी अतिरिक्त प्रतियां ¹[परिवहन आयुक्त] को भेजेगा जिनमें प्रतियां वह प्राधिकारी विभिन्न रिजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को उनके अधिसेख के लिए भेजने की अपेक्षा करें।

- (3) अभिकल्प (²डिजाइन) की ऐसी जांच करने के लिए प्रभार्य फीस निम्नानुसार होगी—

- (1) एकल अक्षदण्ड अनुयान (सिंगल एक्सल ट्रेलर) के लिए ²[रुपये 3,000] हजार।
- (2) दोहरे अक्षदण्ड अनुयान (डबल एक्सल ट्रेलर) के लिए ³[रुपये 5,000] हजार।

फीस का संदाय आवेदन के साथ नगद किया जायेगा और ऐसी फीस वापिसी योग्य नहीं होगी।

⁴[184-क राज्य में विक्रय के लिये मोटर यान के नये मेक एवं मॉडल का अनुमोदन-

- (1) निर्माता द्वारा प्रस्तुत मोटर यान के नये मेक एवं मॉडल को विनियमित करने हेतु और इस तरह के मोटर यान के निर्माता एवं व्यवसायी के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने हेतु राज्य में ऐसे नये वाहनों के विक्रय के संबंध में, ऐसे निर्माता और/अथवा व्यवसायी के लिए यह आवश्यक होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे मोटर यानों के विक्रय से पूर्व वाहन के प्रत्येक मेक एवं मॉडल के लिये अनुमति प्राप्त करें।

- (2) ऐसा निर्माता एवं व्यवसायी परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को सादे कागज पर अनुमति हेतु प्रत्येक मेक एवं मॉडल के लिए अलग-अलग आवेदन निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हुए प्रस्तुत करेगा :—

- (एक) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित एंजेंसी से प्राप्त अनुमोदन के साथ प्रशासी योग्य मोटरयान का अनुमोदित प्रोटोटाइप।
- (दो) ऐसे वाहन के तीन भिन्न दिशाओं से सीधे गये कलर फोटोग्राफ की प्रति एवं उसके प्रकाशित लीफलेट।
- (तीन) प्रशासी वाहनों के मेक एवं मॉडल के विक्रय के संबंध में, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता द्वारा नियुक्त व्यवसायियों की सूची।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-1-10/दे/आठ-परिवहन/03, दिनांक 2 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-9-2003 को पृष्ठ 442(1) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक 4714/तक.755/परि.वि./2011, दिनांक 18 अगस्त 2011 द्वारा शब्द एवं अंक "1000" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 30-09-2011 पृष्ठ 1690 पर प्रकाशित।
3. अधिसूचना क्रमांक 4714/तक.755/परि.वि./2011, दिनांक 18 अगस्त 2011 द्वारा शब्द एवं अंक "1500" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 30-09-2011 पृष्ठ 1690 पर प्रकाशित।
4. अधिसूचना क्रमांक 5271/परि./2012, दिनांक 27 सितम्बर 2012 द्वारा अंतःस्थापित एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 12-10-2012 को पृष्ठ 2380-2381 पर प्रकाशित।

- (iv) Application shall be signed by the manufacturer or authorized representative.
- (v) Any other information as required by the Transport Commissioner from time to time.
- (vi) Following fee for such application shall be paid for the respective type of vehicle by the applicant :-

(a)	Mopeds and Motorized cycles (engine capacity not exceeding 50cc)	Rs. 500.00
(b)	Motor-Cycle other than mopeds and motorized cycles	Rs. 1,000.00
(c)	Three wheelers vehicles	Rs. 1,500.00
(d)	Light motor vehicle including chassis	Rs. 2,000.00
(e)	Medium motor vehicle including chassis	Rs. 2,500.00
(f)	Heavy motor vehicle including chassis	Rs. 3,000.00
(g)	Tractor	Rs. 1,000.00
(h)	Any other type of motor vehicle not mentioned above.	Rs. 1,000.00

- (3) Transport Commissioner, Chhattisgarh after being satisfied, grant permission imposing necessary condition thereof to register the vehicle of such make and model in the State, and inform all Registering Authorities of the State.
- (4) Manufacturer receiving such permission shall also submit copy of such permission to the Registering Authorities of the State, himself or through the dealers of motor vehicles.]

185. Prohibition or Restriction on the use of Audible Signals — (1) No driver of a motor vehicle shall sound the horn or other device for giving audible warning with which the motor vehicle is equipped or shall cause or allow any other person to do so continuously or to an extent beyond what is necessary to ensure safety.

(2) The District Magistrate may, by notification published in one or more regional news papers circulating in the area, and by the erection in suitable place of mandatory traffic sign, M 18 as set forth in the Schedule to the Act, prohibits, the use by driver of a motor vehicle of any horn, gong or other device for giving audible warning in any area within the district and during such hours as may be specified in the notification :

Provided that when the District Magistrate prohibits the use of any horn, gong or other device for giving audible warning during certain specified hours he shall cause a suitable notice in Hindi and English to be affixed below the traffic sign setting forth the hours within which such use is so prohibited.

(चार) निर्माता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन को हस्ताक्षरित किया जायेगा।
(पांच) परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।
(छ:) आवेदक द्वारा संबंधित प्रकार के वाहन के लिए ऐसे आवेदन हेतु निम्नलिखित कीस का भुगतान किया जाएगा:-

(क) मोपेड एवं मोटरयुक्त साईकिल	₹. 500.00
(ख) (50 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता)	₹. 1,000.00
मिनी मोटर-साईकिल से	₹. 1,000.00
(ग) तिपहिया वाहन	₹. 1,500.00
(घ) हल्का मोटर यान जिसमें चेसिस	₹. 2,000.00
सम्मिलित है	₹. 2,500.00
(ड) मध्यम मोटर यान जिसमें चेसिस	₹. 3,000.00
सम्मिलित है	₹. 3,000.00
(च) भारी मोटर यान जिसमें चेसिस	₹. 3,000.00
सम्मिलित है	₹. 3,000.00
(छ) ट्रैक्टर	₹. 1,000.00
(ज) कोई अन्य प्रकार का मोटर यान जो ऊपर उल्लिखित नहीं है	₹. 1,000.00

(3) परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ स्वयं की सन्तुष्टि करने के पश्चात्, आवश्यक शर्तें अधिरोपित करते हुए राज्य में ऐसे मेके एवं मॉडल के वाहन को पंजीयन की अनुमति प्रदान करेंगे, एवं याज्य के समस्त पंजीयन प्राधिकारियों को सूचित करेंगे।

(4) ऐसी अनुमति प्राप्त करने वाला निर्माता भी याज्य के पंजीयन अधिकारियों को ऐसी अनुमति की प्रति, स्वयं अथवा मोटरयान के व्यवसायी के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

185. घनि संकेतों के उपयोग का प्रतिवेष का निर्देशन — (1) कोई भी मोटर यान का चालक यान में लगे भोंपू (हार्न) अथवा श्रव्य चेतावनी देने के अन्य साधन को जो यान में लगे हैं अनावश्यक रूप से या लागातार अथवा सुक्षम सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से जितनी देर तक बजाना आवश्यक हो उससे उसे अधिक देर तक न तो बजाएगा या बजावाएगा या न दूसरे किसी व्यक्ति को ही ऐसा करने देगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट क्षेत्र में प्रसारित होने वाले एक अथवा अधिक प्रदेशिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करके और अधिनियम की अनुसूची में दिए गए अनिवार्य यातायात संकेत क्रांतक एम-18 का उचित स्थानों पर परिमिति करके, मोटर यान चालकों द्वारा किसी भोंपू घट्टी (भोंग) या श्रव्य चेतावनी देने के लिए घनि एवं अंगूजी में चिपकवायेगा जिसमें उन घनियों का उल्लेख किया जाएगा, जिनमें इस प्रकार के उपयोग का प्रतिवेष कर सकेगा :

पन्तु जब जिला मजिस्ट्रेट किसी भोंपू घट्टी (भोंग) अथवा श्रव्य चेतावनी के अन्य साधन का कठिपय विनिर्दिष्ट घनियों के दौरान उपयोग करने का प्रतिवेष करता है वह यातायात संकेत के नीचे एक ऐसा उपयोग करना चाहिए एवं अंगूजी में चिपकवायेगा जिसमें उन घनियों का उल्लेख किया जाएगा, जिनमें इस प्रकार के उपयोग का प्रतिवेष किया गया है।

186. Particulars to be exhibited on transport vehicle — (1) Save in the case of motor-cabs, the following particulars in respect of every transport vehicle shall be exhibited on the left hand side of the vehicle in serial order given below—

- (i) the name of the owner as set forth in the certificate of registration and his address in brief,
- (ii) the chassis number located at
- (iii) Engine No.
- (iv) the unladen weight denoted by U.L.W. (Kgs.)
- (v) the gross vehicle weight denoted by G.V.W. (Kgs.)
- (vi) the number of passengers permitted to be carried denoted by passenger
- (vii) the number, size and nature of tyres —
 - (1) Front axle denoted by F (Nos) size ply rating
 - (2) Rear axle denoted by R (Nos) size ply rating

(2) In the case of motor cabs, such particulars like motor cab number, taxi plate and the like shall be displayed in such manner as may be directed by the Registering Authority.

(3) The above particulars shall be in letter and numerals each not less than two and half centimetres high legibly painted on a plain surface or a plate affixed to the vehicle.

187. The use of Trailers with motor vehicles — (1) No trailer other than the trailing half of an articulated vehicle shall be attached to a public service vehicle.

(2) No motor vehicle which exceeds nine hundred and twenty centimetres in length shall draw a trailer :

Provided that this sub-rule shall not apply to any motor vehicle being towed in consequence of disablement.

(3) No invalid carriage shall draw a trailer.

(4) A motor cycle with two wheels and a side car shall not draw a trailer.

(5) A motor cycle with two wheels without a side car shall not draw a trailer unless combination complies with the following requirements —

- (i) the connection of the trailer, the motor cycle shall be made within the wheel base of the motor cycle;

1. Substituted by Notification No. F-8-3-96-VII dated the 20th May, 1997 and published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 20-05-1997 page 542.

186. परिवहन यानों पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां — (1) मोटर कैबों के मामले को छोड़कर प्रत्येक परिवहन यान के संघंथ में निम्नलिखित विशिष्टियां यान के वारी और नीचे दर्शाएं गए अनुक्रम में प्रदर्शित की जायेंगी।

1. (3) उपनियम (1) तथा (2) के उच्चार, अनिश्चयक वाहन के चालक को जबकि वह अनिश्चयक के लिये यान को ले जा रहा हो या एव्युलेस के चालक को जबकि वह गंभीर रोगी ले जा रहा हो या यान के चालक को जबकि उस वाहन में भारत के अधिवा किसी राज्य के मुख्य न्यायाधिपति या उच्चतम न्यायालय अधिवा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यात्रा कर रहे हों, ताम्हनी होगे।

186. परिवहन यानों पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां — (1) मोटर कैबों के मामले को छोड़कर प्रत्येक परिवहन यान के संघंथ में निम्नलिखित विशिष्टियां यान के वारी और नीचे दर्शाएं गए अनुक्रम में प्रदर्शित की जायेंगी —

(एक) रजिस्ट्रीकरण प्राप्ति में दर्शाएं अनुयाय स्वामी का नाम और उसका संक्षिप्त पता,

(दो) चेसिस क्रमांक

(तीन) इंजन क्रमांक

(चार) यू.एल.डब्ल्यू. शब्दों द्वारा व्यक्त बिना लदे भार किलोग्राम।

(पांच) जी.वी.डब्ल्यू. शब्दों द्वारा व्यक्त यान का संकल भार किलोग्राम।

(छठ:) यात्री शब्द द्वारा व्यक्त उन यात्रियों की संख्या जिन्हें कि ले जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है।

(सात) यारों की संख्या, आकार और स्वरूप —

(1) एक संख्या आकार

प्लाइरोटिंग द्वारा व्यक्त सामने के अक्षदण्ड के टायर।

(2) (आर) संख्या आकार प्लाइ

रोटिंग द्वारा व्यक्त पीछे के अक्षदण्ड के टायर।

(2) मोटर कैबों के मामले में ऐसी विशिष्टियां जैसे - मोटर कैब क्रमांक, टैक्सी लेटर तथा इसी प्रकार की अन्य विशिष्टियां ऐसी रीटि से दर्शाई जाएंगी जैसा कि रजिस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी निर्देशित करे।

(3) उत्तर्युक्त विशिष्टियों में प्रत्येक का अक्षर और अंक ढाई सेन्टीमीटर से कम ऊँचा नहीं होगा और यान के समतल भाग पर या यान पर लगाई गई किसी लेटर पर स्थृत रूप से लिखा जाएगा।

187. मोटरयानों के साथ अनुयाय (ट्रैलर) का उपयोग — (1) सचिवदृष्ट यान के आधे अनुयाय (ट्रैलिंग हाफ) के अतिरिक्त कोई भी अनुयाय लोक सेवा यान से संलग्न नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी मोटरयान से जिसकी लाग्वाई जौ सी बीस सेंटीमीटर से अधिक है, अनुयाय (ट्रैलर) संलग्न नहीं किया जाएगा :

पन्तु यह उप नियम विगड़ जाने के कारण बांध कर खाँचे जा रहे हैं किसी मोटरयान पर लागू नहीं होगा।

(3) किसी भी अशक्त यात्री गाड़ी से अनुयाय (ट्रैलर) संलग्न नहीं किया जाएगा।

(4) पारवं गाड़ी युक्त दो पहियों वाली मोटर साईकिल से कोई अनुयाय (ट्रैलर) संलग्न नहीं किया जाएगा।

(5) पारवं गाड़ी रहित दो पहियों वाली मोटर साईकिल से तब तक कोई अनुयाय संलग्न नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार किए गए संयोजन द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति न की जाए —

(एक) अनुयाय और मोटर साईकिल का संयोजन मोटर साईकिल के चक्र के आधार के भीतर किया गया हो;

1. अधिसूचना क्रमांक एक 8-3-96-आठ दिनांक 20 मई, 1997 प्रतिस्थापित एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20-5-1997 को पृष्ठ 542 पर प्रकाशित।

- (ii) the motor cycle can rotate free about the vertical axis which lies between connection with the trailer and the centre of the rear wheel;
- (iii) the motor cycle remains always in a vertical plane without the rider having to balance it;
- (iv) the trailer has automatic over running brakes;
- (v) the unladen weight and the laden weight of the trailer does not exceed ninety kilograms and one hundred eighty kilograms respectively;
- (vi) the overall length, width and height of the trailer does not exceed one hundred and twenty centimetres;
- (vii) the track of the two wheels of the trailer does not exceed 70 percent of its overall width.

(6) No motor cycle other than a motor cycle referred to in sub-rule (5) shall draw a trailer exceeding two hundred and twenty five kilograms in weight unladen or one hundred and fifty centimetres in overall width.

(7) No tractor shall draw more than three trailers :

Provided that no tractor shall draw on a public road —

- (i) a trailer exceeding five hundred kilograms in weight unladen and fitted with solid steel wheels less than sixty centimetres in diameter; or
- (ii) a disc harrow without trolley wheel used as trailing implements behind a tractor.

(8) No other goods vehicle shall draw more than one trailer.

(9) The sum total of the length of any vehicle and its attached trailer or trailers shall not exceed twenty three meters.

(10) The provisions of sub-rule (1) to (9) shall not apply to any motor vehicle exempted from the operation of these rules by the State Government.

188. Distinguishing Mark for Trailer — (1) No person shall drive, offer or cause to be driven in any public place any motor vehicle to which a trailer or trailers are attached unless there is exhibited on the back of the trailer or of the last trailer in train, as the case may be a distinguishing mark in the form set out in the diagram contained in Fourth Schedule to these Rules in retro-reflective red colour on white background.

(2) The mark shall be kept clean and visible and shall be so fixed to the trailer that—

- (i) the letter on the mark is vertical and easily distinguishable from the rear of the trailer;
- (ii) the mark is either on the centre or to the right hand side of the rear of trailer; and
- (iii) no part thereof is at a height exceeding one hundred and twenty centimetres from the ground.

189. Attendant on trailer — (1) When a trailer is or trailers are being drawn by a motor vehicle there shall be carried in the trailer or trailers or on the

- (दो) मोटर साईकिल उस खड़े अक्ष के आस-पास मुक्त रूप से धूम सके, जो अनुयान के संयोजन और पिछले पहिये के मध्यम बिन्दु के बीच में हो;
- (तीन) बैने वाले व्यक्ति द्वारा उसे सनुलित किए बिना मोटर साईकिल हमेशा उर्ध्व स्थिति में खड़ी रहे;
- (चार) अनुयान में स्वचलित ओवर रिंग ब्रेक लगे हों;
- (पांच) अनुयान का बिना लदे भार तथा लदा हुआ भार क्रमशः नब्बे किलोग्राम तथा एक सौ अस्ती किलोग्राम से अधिक न हो;
- (छह) अनुयान (ट्रेलर) की कुल लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई एक सौ बीस सेटीमीटर से अधिक न हो;
- (सात) अनुयान (ट्रेलर) के दो पहियों के बीच की दूरी वाला भाग (ट्रक) उसकी कुल चौड़ाई के 70 प्रतिशत से अधिक न हो।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट मोटर साईकिल से भिन्न किसी भी अन्य मोटर साईकिल के साथ ऐसा अनुयान (ट्रेलर) संलग्न नहीं किया जाएगा जिसका बिना लदे भार 225 किलोग्राम से अधिक हो अथवा जिसकी कुल चौड़ाई 150 सेटीमीटर से अधिक हो।

(7) कोई भी ट्रैक्टर तीन अनुयानों (ट्रेलर) से अधिक अनुयान नहीं खींचेगा :

पन्नु कोई ट्रैक्टर सार्वजनिक मार्ग पर —

(एक) ऐसा अनुयान जिसका बिना लदे भार 500 किलोग्राम से अधिक हो तथा 60 सेटीमीटर व्यास से कम व्यास के ठोस इस्पात के पहिये लगे हों, या

(दो) बिना द्वाली पहियों के ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलिंग उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला डिस्क होरे।

(8) किसी भी अन्य माल यान को नहीं खींचेगा, एक से अधिक अनुयान संलग्न नहीं किए जाएंगे।

(9) किसी यान और उससे जुड़े हुए अनुयान (ट्रेलर) या अनुयानों को मिलाकर कुल लम्बाई तीन सेटीमीटर से अधिक नहीं होगी।

(10) उपनियम (1) से (9) तक के उपबन्ध ऐसे किसी मोटरयान को लागू नहीं होगे जिसे राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दी गयी हो।

188. अनुयानों के नियमित विभेदक चिन्ह — (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान में किसी भी ऐसे मोटरयान को, जिससे एक या एक से अधिक अनुयान संलग्न हो/हों तब तक न तो स्थायं चलाएगा न किसी को चलाने की अनुमति देगा और न ही किसी के द्वारा उसके चालन करवाएगा, जब तक कि यथास्थिति, अनुयान अथवा कठार से लगे हुए अंतिम अनुयान के पृष्ठ भाग पर इन नियमों की चतुर्थ अनुसूची में अन्विष्ट आकृति में बताए गए रंग में सोनेद युध भूमि पर प्रकाश परावर्ती लाल रंग में विभेदक चिन्ह प्रदर्शित न किया गया हो।

(2) ऐसा चिन्ह स्पष्ट तथा दृष्टिगोचर रखा जाएगा तथा अनुयान पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि —

(एक) चिन्ह पर अंकित अक्षर खड़ी स्थिति में हो तथा अनुयान के पृष्ठभाग से आसानी से पहचाना जा सके;

(दो) चिन्ह अनुयान के पृष्ठ भाग के गो तो केन्द्र में होगा अथवा दालिनी ओर होगा; तथा

(तीन) उसका कोई भी भाग भूमि से 120 सेटीमीटर से अधिक ऊँचाई पर नहीं होगा।

189. अनुयान में परिचालक (अटेंडण्ट) — (1) जहां कोई अनुयान मोटर यान द्वारा खींचा जा रहा हो/खींचे जा रहे हों वहां यथास्थिति अनुयान में अथवा खींचने वाले मोटर यान में

drawing motor vehicle, as the case may be, the following persons not being less than twenty years of age and competent to discharge their duties that is to say —

- (a) If the brakes of the trailer or trailers cannot be operated by the driver of the drawing motor vehicle or by some other person carried on that vehicle —
 - (i) one person on every trailer competent to apply the brakes; and
 - (ii) one person placed at or near the rear of the last trailer in train in such a position as to be able to have a clear view of the road in rear of the trailer to signal to the drivers of overtaking vehicles and communicate with the driver of the drawing motor vehicle.
 - (b) If the brakes of the trailer can be operated by the driver of the drawing motor vehicle, or by some other person carried on that vehicle such other person in addition to the driver shall be carried on that vehicle and one person on the last trailer in train in accordance with the provision of sub-clause (ii) of clause (a).
 - (c) If the trailer is or trailers are being drawn by tractor the unladen weight of which exceeds 7250 Kgs. notwithstanding that the brakes of the trailer or trailers can be operated by the driver or some other person on the tractor not less than two persons on the last trailer in train one of whom shall be the person required by the provisions of sub-clause (ii) of clause (a).
- (2) This rule shall not apply —
- (a) to any trailer having not more than two wheels and not exceeding 770 Kgs. in weight laden when used singly and not in a train with other trailers;
 - (b) to the trailing half of an articulated vehicle;
 - (c) to any trailer used solely for carrying water for the purpose of the drawing vehicle when used singly and not in a train with other trailers;
 - (d) to any agricultural or road making or road repairing or road cleanings implement drawn by a motor vehicle; or
 - (e) to any closed trailer specially constructed for any purpose and specifically exempted from any or all of the provisions of this rule an order in writing made by the Registering Authority, to the extent so exempted.

190. Placement of Audio-Visual or Radio or Tape Recorder or Devices in the vehicle — In any motor vehicle other than taxi-cab, devices like an audio-visual, radio or tape recorder if fitted, shall be placed in such a manner that it is beyond the reach of the driver. The driver shall not operate such audio-visual devices if fitted in the vehicle, while driving.

191. Mirror — Every motor vehicle, other than a transport vehicle not being a motor-cab or a motor cycle having not more than two wheels and to which a side car is not attached, shall be fitted either internally or externally and every transport vehicle other than a motor-cab shall be fitted externally with a mirror so placed that

निम्नलिखित परिचालक रहने विसंकी आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी तथा जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होंगे, अर्थात् —

- (क) यदि अनुयान अधवा अनुयानों के ब्रेक मोटर वाहन चलाने वाले चालक अधवा उस वाहन चलाने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रशोग में नहीं हाए जा सकते हो —
- (एक) प्रत्येक अनुयान में एक व्यक्ति ऐसा हो जो ब्रेकों को लगाने में सक्षम हो; तथा
- (दो) एक व्यक्ति कतार में लगे हुए अंतिम अनुयान के पृष्ठ भाग में अपना अपने के सभी पीछे से आकर आगे निकलने के लिए यान का अतिलंबन करने (ओवर रेक करने) वाले यानों के चालकों को सही संस्करण करने के लिए अनुयान खाँचने वाले मोटरयान के चालक के साथ संकेत को संमूचित कर सके;
- (ख) यदि अनुयान के ब्रेक अनुयान खाँचने वाले मोटरयान चालक द्वारा अधवा उस वाहन में से जाए जाने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा लगाए जा सकते हों तो चालक के अतिलंबन इस प्रकार का अन्य व्यक्ति उस यान में ले जाया जाएगा तथा खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति कतार में लगे हुए अंतिम अनुयान में ले जाया जाएगा।
- (ग) यदि कोई या एक से अधिक अनुयान किसी द्वेष्टर द्वारा खाँचा जा रहा हो या खाँचे जाने हों तो विसंका विसंका लदे भार 7250 कि.ग्रा. से अधिक हो, तो अनुयानों के चालक द्वारा अधवा ट्रेस्टर पर चलने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ब्रेकों को संचालन किए जाने पर भी, यान की कतार में लगे हुए अंतिम अनुयान में कम से कम दो व्यक्ति रहे जाएंगे, जिनमें से एक व्यक्ति खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के उपबन्धों की अधेशानुसार होगा।

(2) निम्नलिखित के संबंध में यह नियम लागू नहीं होगा —

- (क) किसी ऐसे अनुयान को विसंके दो से अधिक पहिये नहीं हों तथा जब उसे अन्य अनुयानों के साथ कतार में न ले जाते हुए अकेले ले जाया जा रहा हो तब उसका लदा भार 770 कि.ग्रा. से अधिक न हो;
- (ख) किसी संधिकदयन के आधे अनुयान (ट्रैलिंग हाफ) को;
- (ग) किसी ऐसे अनुयान को जिसको खाँचने वाले यान के प्रयोजन के लिए केवल पानी ले जाने हेतु उपयोग किया जाता हो, और जिसे किसी कतार में अन्य अनुयानों के साथ संलग्न न करके अकेले ही उपयोग में लाया जा रहा है;
- (घ) कृषि या सङ्कर मरम्यत अधवा सङ्कर सङ्करी किसी उपकरण को जिसे मोटरयान द्वारा खाँचा जाता है; या
- (ङ) किसी बन्द अनुयान को जिसका संनिर्माण किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया हो तथा जिसे रिजिस्ट्रीकरण प्राप्तिकरी के लिये आदेश द्वारा इस नियम के किसी भी या समस्त उपबन्धों से दूर दे दी गई हो, उस सीमा तक जहां तक यह इस प्रकार उसे दूर दे दी गई है।

190. वाहन में दृश्य — अव्यय या रीडवों या टेपिकार्डर के प्रकार की युक्तियों को लगाया जाना : ऐसी कैब से भिन्न किसी अन्य मोटरयान में दृश्य अव्यय रीडवों या टेप रिकार्डर के समान युक्तियां यदि लगाई गई हैं तो इस रीटि से लगाई जायेंगी कि वे चालक की पहुंच के पार हों। चालक ऐसी दृश्य-अव्यय युक्तियों को, यदि यान में लगी हों तो यान चलाते समय संचालित नहीं करेगा।

191. दर्पण — मोटर कैब से भिन्न परिवहन यान अधवा दो पहियों वाली मोटर साइकिल जिसमें पार्किंग न लगा हो, को छोड़कर प्रत्येक मोटरयान में या तो भीतर की ओर या बाहर की ओर तथा मोटर कैब से

the driver shall be able to have a clear and distinct vision of vehicles approaching from the rear :

Provided that the State Government may, by a general or special order exempt any transport vehicle or class of transport vehicles from the provisions of this rule on such conditions as may be specified in the order, if it is satisfied that having regard to the construction of such vehicle or class of vehicles, fitting of a mirror does not serve any useful purpose.

192. Dangerous Projections — (1) No mascot or other similar fitting or device shall be carried by any motor vehicle registered in India in any position where it is likely to strike any person with whom the vehicle may collide unless the mascot is unlikely to cause injury to any person by reason of any projection thereon.

(2) No motor vehicle shall be permitted to be used which is so constructed that any axle hub or hub cap projects laterally more than ten centimetres beyond the rim of the wheel to which it is attached, unless the hub or hub cap does not project laterally beyond the body or wings of the vehicle or is provided with an adequate guard.

193. Springing — Every motor vehicle and every trailer drawn hereby shall be equipped with suitable and sufficient means of spring adequately maintained in good and sound condition between the road wheels and the frame of the wheels:

Provided that this shall not apply to —

(i) any motor vehicle registered in India before the first day of April, 1940 if any means of springing with which it is fitted are adequately maintained in good and sound condition;

(ii) any tractor not exceeding four thousand five hundred kilograms in weight unladen if all the unsprung wheels of the tractor are fitted with pneumatic tyres;

(iii) any land tractor, land implement, agricultural trailer, equipped with pneumatic tyres having axle weight not exceeding three thousand kilograms or any trailer used solely for the haulage of fallen trees of such other heavy loads as cannot be carried on springs;

(iv) Motor Cycles;

(v) Vehicles designed for use in workshop or in private premises and used on a road only in passing from one part of the workshop or premises to another workshop or premises within a distance of three kilometers;

(vi) Such motor vehicles or class of motor vehicles not fitted with the means of springing by the manufacturers which the State Government may by general or special order declare to be otherwise suitable for use on public road on the conditions specified in the order.

194. Turning Circle — Every motor vehicle shall be so constructed as to be capable of turning in either direction in a circle not exceeding two hundred and forty five centimetres in diameter. For the purposes of this rule such diameter shall be determined by reference to the extreme outer edge of the wheel track at ground level.

विनाशक परिवहन वाहन में बाहर की ओर एक दौड़ा इस उपकरण का लाभ जाता है जिससे सालक पीछे की ओर से आदे वाहन वार्डों को उस दौड़ा में स्थान दें और उपकरण के देव दौड़े।

परन्तु राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विविध वाहन या परिवहन वाहन का परिवहन वाहन को किसी दौड़ों को ऐसी गति पर जैसी कि आदेश में विविध दौड़ों की जाए, इस विषय के उचितोंसे, दूर्जे सकारी विधि उपकरण का वाहन से समाप्त हो जाए तो ऐसे वाहन या वार्डों के देव दौड़ों के विविध दौड़ों को दूषित दूषित दौड़ों के देव दौड़ों से किसी उपयोगी प्रयोजन की वृत्ति नहीं होगी।

192. खतरनाक प्रबोध — (1) भारत में विद्युतीकृत विद्युती भी प्रोटोकॉल में किसी शुभंकर (मेल्काट)

वा ऐसी ही अन्य किसी विद्युती या साधन को किसी ऐसे स्थान पर यही लाभान्वयन की विधि के किसी विधि से टकरा जाने की दशा में उससे उस व्यक्ति को बोट लाने की संभावना हो, जब तक कि विद्युती भी प्रोटोकॉल (मेल्काट) इस प्रकार का न हो कि वह अपने प्रयोग के कानून किसी व्यक्ति को जाति न पांच वर्ष सके।

(2) किसी भी ऐसे मोटर वाहन को, जो इस प्रकार संविधित है कि वही एक्सिल वाहन या लालैप्रा पालिये के, विससे कि वह लाभान्वयन की विधि से दस मेल्कोटार से अधिक बाहर निकला हुआ है, उपयोग की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि हवा या हवा के इस प्रकार से न हो कि वह वाहन की बाँधी या वाहन के बाहू (विंग) से पारिवर्त रूप से बाहर निकला हुआ नहीं है और उनमें सुखानी की समुचित व्यवस्था की गई है।

193. स्कंदन (स्प्रिंगिंग) — प्रबोधक मोटरवाहन में और उसके द्वारा लाई जाने वाले प्रयोग अन्यान में स्कंदन (स्प्रिंग) के उपयोग और पर्याप्त साधन लाए होंगे, जो दूर्जे पर चलाने वाले पहियों (रोडव्हील्स) और वाहन की बाँधी के दौड़ों के बीच समुचित तथा अच्छी दशा में अनुमति दें जाएंगे :

परन्तु यह नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा —

(एक) 1 अप्रैल 1940 के पूर्व भारत में विद्युतीकृत विद्युती भी मोटरवाहन को यदि उसमें लाए दूष स्कंदन (स्प्रिंगिंग) के ऐसे किसी भी साधन को पर्याप्त रूप में अच्छी और मानवतु दशा में लाया गया हो;

(दो) ऐसे किसी भी ट्रैक्टर को विसका बिना लाए भारा चार हजार पांच सौ किलोग्राम से अधिक न हो यदि उस ट्रैक्टर के स्कंदन रहित सामर्थ पहियों में हवादार दायर लागाए गये हों;

(तीन) हवादार दायरों से युक्त किसी भी लैण्ड ट्रैक्टर, भू-उपकरण, किसी अन्यान या अन्यान को विसका अधिकार तीन ब्लॉक किलोग्राम से अधिक न हो या ऐसे किसी भी अन्यान को जो केवल गिराये गये बूँदों या ऐसे अन्य भारी बजन को छोड़ने के उपयोग में लाया जाता है जिसे स्कंदनों पर नहीं ले जाया जा सकता है;

(चार) मोटर सायकलें;

(पांच) ऐसे यारों को जो कारखानों या ग्राम्यवेद परिसरों में उपयोग किए जाने के लिये अनिवार्य हैं तथा कारखाने या परिसर के एक भाग से केवल तीन किलोग्राम की दूरी के भीतर स्थित दूरों कारखाने या परिसर के दूसरे भाग को जाने के लिए सड़क पर चलाए जाते हैं;

(छह) ऐसे मोटरवाहन या मोटरवाहनों के ऐसे वर्ग को, जिनमें निर्धारित द्वारा स्कंदन (स्प्रिंगिंग) के साधन लाये नहीं गये हैं, जिनमें एव्हर साकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों पर, लोक सङ्करों पर उपयोग के लिये ऐसे व्यास का अन्यान भूमि की सतह पर पहियों की चौड़ाई के विकल्प बाहर रखिए के लियाव से किया जाएगा ।

194. वृत्त में घूमने की क्षमता (टर्निंग सर्कल) — प्रत्येक मोटरवाहन इस प्रकार संविधित किया जायगा जिससे कि वह दो सो एंतालीस सेंटीमीटर से अनधिक व्यास के वृत्त के भीतर किसी भी दशा में घूमने में सक्षम हो। इस नियम के प्रयोजन के लिये ऐसे व्यास का अन्यान भूमि की सतह पर पहियों की चौड़ाई के विकल्प बाहर रखिए के लियाव से किया जाएगा ।

195. Electronic device for overtaking — The State Transport Authority may by notification in the official gazette direct that all or any class of transport vehicles plying in specified areas or routes shall be fitted with an electronic device of make and specifications approved by the State Transport Authority, which would amplify in the driver's cabin of the vehicle, the horn sound of a vehicle approaching from the rear and intending to overtake the vehicle.

196. Motor Vehicles fitted with left hand steering control — A motor vehicle fitted with a left hand steering control shall exhibit at a conspicuous place to the rear words "LEFT HAND DRIVE" on a plain place or a plain surface of the vehicle in red colour on white background, each letter being not less than eight centimetres in height and of uniform thickness of 1.25 cms.

197. Mud Guards — (1) Every motor vehicle except a tractor or trailer, shall unless adequate protection is afforded by the body of the motor vehicle, be provided with mud guards of other similar fittings to catch, so far as practicable mud or water thrown up by the rotation of the wheels.

(2) The rear wheels of every trailer shall be provided with mud guards as aforesaid.

198. Attachment to motor cycle — (1) Every side car attached to a motor cycle shall be so attached, at the left hand side of the motor cycle, that the wheel thereof is not outside perpendicular planes at right angles to the longitudinal axis of the motor cycle passing through the extreme projecting points in front and in the rear of the motor cycle.

(2) Every pillion seat attached to a motor cycle shall—

- (i) have two foot rests one on either side and directly below the seat fitted in such a manner that a person sitting on the pillion seat can rest his feet on such foot rests;
- (ii) have a hand grip fitted to the front of the seat.

199. Signal to driver to stop vehicle — Every motor vehicle for the use of passengers in which the driver's seat is separated from any passenger's compartment by a fixed partition which is not capable of being readily opened, shall be furnished with efficient means to enable the passengers in such compartment and the conductor, if any, to signal to the driver to stop the vehicle.

200. Coupling — The coupling by which a trailer is attached to a motor vehicle shall be rigid and so constructed as to bear the strain put upon it and, in no case shall exceed 120 centimetres in length.

CHAPTER VIII CONTROL OF TRAFFIC

201. Vehicle abandoned on road — If due to mechanical breakdown or otherwise any vehicle is prevented from moving or has stopped at rest on road except at a duly appointed parking place in such a manner as to cause obstruction to traffic or danger to any person, the driver shall—

- (i) forthwith cause the vehicle to be removed along making the road clear of any obstruction or danger;

195. अतिरिक्तन (ओवर रेडिंग) के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन — राज्य परिवहन प्राधिकारी, राज्य में अधिसूचना द्वारा यह नियंत्रण द्वारा सकेगा कि सभी वर्ती वाले वाहन या परिवहन वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन लगाया जाएगा, जो यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक साधन लगाया जाएगा जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक साधन लगाया जाएगा, जो यहाँ में आ हो तथा उसके बाहर का अतिरिक्तन (ओवरटेक) करने वाले वाहन के भोंपु की आवाज को इस वाहन के लालक के लिए भी प्रकाशित करेगा।

196. बांधी ओर से चालन (लैफ्ट हैण्ड स्टीरिंग) नियंत्रण लगे हुए मोटरयान — बांधी ओर से चालन (लैफ्ट हैण्ड स्टीरिंग) नियंत्रण लगे हुए मोटरयान के पीछे की ओर सहज दृश्य स्थान पर वाहन के समतल स्थान पर या सपाट सतह पर सफेद पुष्टभूमि पर लाल रंग से "बांधी ओर चालन" (लैफ्ट हैण्ड ड्राइव) शब्द प्रदर्शित किए जाएंगे जिसका प्रत्येक अक्षर उन्वाई में आउटसीटीमीटर से कम नहीं होगा तथा 1.25 सेटीमीटर की एक सी मोटाई का होगा।

197. पंकराखक (मडगाई) — (1) ट्रेस्टर या अनुयान से भिन्न प्रत्येक मोटरयान में, जब तक मोटरयान की बॉडी द्वारा पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था न हो, परियों के पूर्णे से उठलने वाले चीड़ या पानी आदि को उड़ो से जहाँ तक व्युहार्ह हो रोकने के लिये पंकराखक (मडगाई) या अन्य ऐसी ही फिलिंग लगाई जाएगी।

(2) प्रत्येक अनुयान के पीछे के परियों में यथापूर्वोत्त प्रयोजन के लिए पंकराखक लगाये जायें।

198. मोटर साइकिल से संयोजन — (1) मोटर साइकिल से संयोजित प्रत्येक पार्श्व गाड़ी, मोटर साइकिल की बांधी ओर इस प्रकार संयोजित की जाएगी कि जिसका पहिया, मोटर साइकिल के सभी आगे और पीछे के प्रक्षेपण बिन्दुओं में से होते हुए जाने वाली अनुर्ध्व अक्षण्डण के साथ सामर्कोण बनाने वाले लम्ब स्थान समतल के आगे न जाएं।

(2) मोटर साइकिल से संयोजित प्रत्येक पीछे के आसन (पिलियन सीट) में—

(एक) आसन के ठीक नीचे दोनों तरफ दो पायदान इस रीति से लगाए जाएंगे कि पिलियन आसन पर बैठने वाला व्यक्ति अपने पैर ऐसे पायदानों पर आराम से रख सके;

(दो) आसन के अग्रभाग पर एक पकड़ (हैण्डग्रिप) लगी हो।

199. यान को रोकने के लिए चालक को संकेत — यात्रियों के उपयोग में आने वाले ऐसे प्रत्येक मोटरयान में जिसमें चालक का आसन, किसी मजबूत और तत्काल न खुल सकने वाले विभावक द्वारा यात्रियों के कक्ष से अलग रखा गया है, ऐसे कक्ष के यात्रियों और परिवालक, यदि कोई हो, द्वारा चालक को यान रोकने का संकेत करने के लिये कोई सक्षम साधन लगाया जाएगा।

200. संयोजन (कपलिंग) — ऐसा संयोजन, जिसके द्वारा कोई अनुयान किसी मोटर यान से जोड़ा जाता है, ठोस होगा और इस प्रकार स्वनिर्भीत होगा कि वह उस पड़ने वाले ताव को सहन कर सके और किसी भी दशा में उसकी लम्बाई 120 सेटीमीटर से अधिक नहीं होगी।

अध्याय 8 यातायात का नियंत्रण

201. सड़क पर परित्यक्त यान — यदि मरीन बंद हो जाने के कारण या अन्यथा कोई यान चलते रुक गया है या सम्यक् रूप से नियत किए गए यान खड़े करने के स्थान के सिवाय सड़क पर किसी अन्य स्थान में ऐसी स्थिति में रुक कर खड़ा हो गया है जिससे यातायात में बाधा हो सकती है या किसी व्यक्ति को खत्ता हो सकता है तो चालक —

(एक) तत्काल यान को हटवायेगा और साथ ही सड़क की किसी बाधा या खतरे को दूर करवाएगा;

- (ii) unless a heavy goods vehicle or heavy passenger motor vehicle is moved to a position as stated above, put the following mandatory precautionary signals to indicate the presence of the vehicle on the road namely—
- Switch on all the flasher lights, or
 - Place cautionary boards of the size 30 centimetres square mounted on a stand of 50 centimetres height with the words "CAUTION" written in black on white background and fitted with red light reflectors on the carriage way and along the side of the vehicle.

202. Installation and use of weighing devices — (1) A weighing device for the purpose of Section 114 of the Act may be—

- a weighing bridge installed and maintained at any place by or under the order of the Government or a local authority or a railway administration;
- a weigh-bridge installed and maintained by any person and certified by the weights and measures department of the State; or
- a portable wheel-weigher of any kind approved by the Transport Commissioner.

(2) The driver of any goods carriage shall upon demand by an officer of the Transport Department not below the rank of Assistant Transport Sub-Inspector or a Police Officer not below the rank of Sub-Inspector so to drive and manipulate the vehicle as to place it on any wheel or wheels thereof, as the case may be, upon any weigh-bridge or wheel-weigher in such a manner that the weight of the vehicle or the weight transmitted by any wheel or wheels may be exhibited by the weigh-bridge or wheel-weigher.

(3) If the driver of a motor vehicle fails within a reasonable time to comply with a requisition under sub-rule (2), a person authorised under section 114 of the Act may cause any person, being the holder of a licence authorising him to drive the vehicle, so to drive and manipulate the vehicle.

(4) When the weight or axle weight of a motor vehicle is determined by separate and independent determination of the weight transmitted by any wheel or wheels of the vehicle, the axle weight and the laden weight of the vehicle shall be deemed to be the sum of the weights transmitted by the wheel of any axle or by all the wheels of the vehicle as the case may be.

(5) Upon the weighment of the vehicle in accordance with section 114 and this rule the person who required the weighment or the person incharge of the weighing device shall deliver to the driver or other person incharge of the vehicle a statement in writing of the weight of the vehicle and of any axle, the weight of which is separately determined.

(6) The driver or other person incharge of, or the owner of, a vehicle which has been so weighed may challenge the accuracy of the weighing device, by a statement in writing accompanied by a deposit of fifty rupees, deliver—

- within an hour of the receipt of the statement referred to in sub-rule (5) to the person by whom the statement was delivered to him; or

- (दो) जब तक भारी मालवाहन या भारी वाही मोटरवाहन को ऊपर लेरिंग स्थिति में न हटवा दिया जाय, तब तक सङ्केत पर यान की उचिति दराने के लिये आवश्यक रूप से पूर्वावधानी युक्त निम्नलिखित संकेत रखेगा, अर्थात्—
- कॉर्प्सने वाले समस्त दौसों (फ्लोरल लाइट) को चालू कर देगा;
 - 50 सेटीमीटर ऊंचे स्टेंड पर आधारित 30 कर्ब सेटीमीटर आकार के बेतालनी फलक जिन पर सफेद पुष्टभूषित पर काले रंग से "सावधान" लिखा हो और जिन पर लाल प्रकाश परावर्तक लाए हों, सङ्केत पर यान के आगे तथा पीछे यान के बाजू में रखेगा।

202. तौलने के साधनों का लगाया जाना और उनका उपयोग — (1) अधिनियम की धारा 114 के प्रयोजन के लिये तौलने के साधन निम्नलिखित रूप में हो सकते हैं—

- सकार या स्थानीय प्राधिकारी या तोलने प्रशासन द्वारा या उसके आदेशों के अधीन किसी स्थान पर लगाई गई और अनुरक्षित तुला चौकी (वे ब्रिज);
- किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई तथा अनुरक्षित तुला चौकी (वे ब्रिज) जिसे राज्य सरकार के बांट तथा माप विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया हो;
- (तीन) परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रकार का वहीय पहियेदार तोलन यंत्र (चूला वेयर) होगा।

(2) परिवहन विभाग के किसी ऐसे अधिकारी, जो परिवहन सहायक उप-निरीक्षक से निम्न पद का न हो, या किसी ऐसे पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक से निम्न पद का न हो, द्वारा मांग किए जाने पर किसी माल यान का चालक यान को इस तरह चलाएगा या अभिचलित करेगा जिससे कि यथास्थिति वह यान या उसके किसी पहिये पहियों को किसी तुला चौकी (वे ब्रिज) या पहियेदार तोलन यंत्र पर इस रीत से रखा जाए जिससे कि यान का या उसके पहिये या पहियों द्वारा परेषित वजन तुला चौकी (वे ब्रिज) या पहियेदार तोलन यंत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सके।

(3) यदि किसी मोटरवाहन का चालक युक्तियुक्त समय के भीतर उपनियम (2) के अधीन की गई अपेक्षा की पूर्ति करने में असफल रहे तो अधिनियम की धारा 114 के अधीन प्राधिकृत किया गया व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे यान चलाने का अनुच्छिद धार्क है, यान को चलाने के लिए प्राधिकृत करते हुए यान को इस प्रकार चलावाएगा या अभिचालित करवायेगा।

(4) जब किसी मोटरवाहन का वजन या मापदण्ड वजन (एक्सलवेट) यान के किसी पहिये या किसी व्यक्ति को जो ऐसे यान चलाने का अवधारण यान के किसी पहिये या पहियों द्वारा परेषित वजन के पृथक् या स्वतंत्र अवधारण द्वारा किया जाता है, तब यान का अक्षदण्ड वजन (एक्सलवेट) तथा लदान सहित यान का वजन, यथास्थिति, यान के किसी भी अक्षदण्ड के पहिये या यान के सभी पहियों द्वारा परेषित भारों का योग समझा जाएगा।

(5) धारा 114 तथा इस नियम के अनुसार किसी यान का वजन कर लिये जाने के पश्चात वह व्यक्ति जिसने वजन कराए जाने की अपेक्षा की हो या तोलन साधन का भार साधक व्यक्ति, चालक या यान के भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप में यान के या किसी अक्षदण्ड के वजन का विवरण जो पृथक् रूप से अवधारित किया जाता है, लिखित रूप में देगा।

(6) इस प्रकार वजन किए गए किसी यान का चालक या उसका भारसाधक अन्य व्यक्ति या उस यान का स्थानीय पचास रुपए जमा करके उसके साथ लिखित में एक विवरण—

(एक) उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण प्राप्त होने के एक घटे के भीतर उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा उसे विवरण परिदृश्य किया गया था; या

(ii) within fourteen days of the service on him of a notice of proceedings against him under Section 113 of the Act to the court issuing such a notice.

(7) Upon receipt of a statement challenging the accuracy of weight device under sub-rule (6), the person or the court by whom the statement is received shall write to weights and measures department for the weighing device to be tested by an Inspector of the Department and the certificate of such Inspector regarding the accuracy of the weighing device shall be final.

(8) If, upon testing the weighing device under sub-rule (7) the weighing device is certified to be accurate or to be inaccurate an extent less than any weight by which the laden weight or unladen weight of the vehicle is shown in the statement referred to in sub-rule (5) to have exceeded the gross vehicle weight or the unladen weight, as the case may be, a contravention of sub-section (3) of section 113 of the Act shall be deemed to have been proved.

(9) If upon the testing of weighing device as aforesaid, the weighing device is certified to be inaccurate to an extent greater than any weight by which the laden weight or unladen weight of the vehicle is shown in the statement referred to in sub-rule (5) to have exceeded the unladen weight, as the case may be, no further proceedings shall be taken in respect of any such laden weight or unladen weight if the device is certified to be inaccurate to the said extent in respect of every such laden weight or unladen weight actually weighed the amount of deposit provided in sub-rule (6) shall be refunded.

(10) No person shall, by reason of having challenged the accuracy of any weighing device under sub-rule (6) be entitled to refuse to comply with any order in writing under section 114 of the Act.

203. Maintenance and management of parking places — (1) The District Magistrate may, in consultation with the Superintendent of Police and the local body, by notification, in the official gazette or by the erection of appropriate traffic sign of the Schedule to the Act, declare any place as the parking place for motor vehicles. Different places may be declared as parking places for different category of vehicles.

(2) The District Magistrate may enter into an agreement with or grant a licence to any person or local body for the maintenance of the parking places under certain conditions. The agreement or licence may be terminated forthwith upon the breach of any conditions thereof.

(3) The maximum period for parking of a vehicle may be fixed by the District Magistrate.

(4) The District Magistrate shall prescribe fees for the use of the parking places. Uniform or different fee may be fixed for different vehicles.

204. Maintenance and management of stands — (1) The Regional Transport Authority by notification in the official gazette, or by the erection of appropriate traffic sign of the Schedule of the Act or both, may in respect of the taking up or setting down the passengers or both by public service vehicles or by specified class of public service vehicles :—

(दो) अधिनियम के धारा 113 के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की सूचना, उस पर की गई तापीती के चौदह दिन के भीतर ऐसी सूचना जारी करने वाले न्यायालय को परिदृष्ट करके तोलने के यंत्र की शुद्धता को चुनौती दे सकेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तोलने के यंत्र की शुद्धता को चुनौती देने वाला विवरण प्राप्त होने पर ऐसा व्यक्ति या न्यायालय जिसके द्वारा विवरण प्राप्त किया गया हो, विभाग के निरीक्षक द्वारा तोलने के यंत्र का परीक्षण करवाने के लिए बांट तथा माप विभाग को लिखेगा और तोलने के यंत्र की शुद्धता के संबंध में ऐसे निरीक्षक का प्रमाण पत्र अंतिम होगा।

(8) उपनियम (7) के अधीन तोलने के यंत्र का परीक्षण करने पर यदि वह उस सीमा तक शुद्ध या अशुद्ध होना प्रमाणित किया जाए, तो उतने वजन से कम हो, जिसके कारण यान का लदान वजन या लदान रहित वजन उपनियम (5) में निर्दिष्ट किए गए विवरण में यथास्थिति, सकल यान वजन या लदान रहित वजन से अधिक दर्शाया गया हो, जो अधिनियम की धारा 113 की उपयाम (3) का उल्लंघन सामिक्षण हुआ समझा जाएगा।

(9) यथापूर्वोक्तानुसार तोलने के यंत्र का परीक्षण करने पर, यदि तोलने का यंत्र उस सीमा तक अशुद्ध प्रमाणित किया जाए, जो उतने वजन से अधिक हो, जिसके कारण यान का यथास्थिति, लदान वजन या लदान रहित उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण में दर्शाया गया हो, तो ऐसे किसी लदान वजन या लदान रहित वजन के संबंध में कोई अगली कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि यंत्र प्रत्यक्षतः तोले गए प्रत्येक लदान वजन या लदान रहित वजन के संबंध में उस सीमा तक अशुद्ध प्रमाणित किया जाए, तो उपनियम (6) में उपर्युक्त निषेध की गई रकम लौटा दी जाएगी।

(10) उपनियम (6) के अधीन विभीती तोलने के यंत्र की शुद्धता के संबंध में चुनौती देने के कारण कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 114 के अधीन दिए गए किसी लिखित आदेश का पालन करने से इंकार करने पर करार हकदार नहीं होगा।

203. पार्किंग स्थानों (पार्किंग प्लेस) की व्यवस्था एवं अनुरक्षण — (1) जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय निकाय से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या अधिनियम की अनुसूची के अनुसार समुचित यातायात संकेत निर्माण कर, किसी स्थान को मोटरयानों के पार्किंग स्थान के रूप में घोषित कर सकेगा। विभिन्न श्रेणी के यानों के लिए विभिन्न स्थानों को पार्किंग स्थान घोषित किया जा सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट इस कार्य हेतु किसी व्यक्ति या स्थानीय निकाय से पार्किंग स्थानों के अनुरक्षण हेतु करार कर सकेगा या कठिपय शर्तों के साथ अनुज्ञानि मंजूर कर सकेगा। उसकी किन्हीं शर्तों का भंग होने पर करार या अनुज्ञानि को तुरन्त समाप्त किया जा सकेगा।

(3) किसी यान के पार्किंग की अधिकतम कालावधि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत की जा सकेगी।

(4) जिला मजिस्ट्रेट पार्किंग स्थानों का उपयोग करने हेतु फीस विहित करेगा। विभिन्न प्रकार के स्थानों हेतु एक-सी या विभिन्न कीस नियत की जा सकेगी।

204. स्टेंड की व्यवस्था तथा अनुरक्षण — (1) लोक सेवा यानों या विनिर्दिष्ट वर्ग के लोक सेवा यानों द्वारा यात्रियों को चढ़ाने या उतारने या दोनों कार्यों के संबंध में प्रदेशिक परीवहन प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या अधिनियम की अनुसूची के अनुसार समुचित यातायात संकेत का निर्माण करके या दोनों से —

- (s) Conditionally or unconditionally prohibits the use of any specified place or of any place of a specified nature or class; or
 (b) Require that within the limit of any Municipal Corporation, Municipality, notified area or cantonment, or within such other limit as may be specified in the notification, certain specified stands only shall be so used;

Provided that no place which is privately owned shall be so notified except with the previous consent in writing of the owner thereof.

(2) Where a place has been notified or has been demarcated by traffic signs or both, as being stand for the purpose of this rule, then notwithstanding that the land is in possession of any person, the place shall subject to the provisions of these rules may be deemed to be a public place within the meaning of the Act and the Regional Transport Authority may enter into an agreement with, or grant a licence to any person or local body or State Transport Undertaking for the purpose of maintenance of the building or works necessary thereto subject to the termination of the agreement or licence forthwith upon the breach of any condition thereof and may otherwise make rules or give directions —

- Prescribing the fees to be paid by the owners of public service vehicle using the place and providing for the receipt and disposal of such fees;
- Specifying the Public Service Vehicles or the class of public service vehicles which shall use the place which shall not use the place;
- Appointing a person to be the manager of the place and specifying the power and the duties of the manager;
- Requiring the owner of the land, or the local body or the State Transport Undertaking as the case may be, to erect such shelters, lavatories and latrines and to execute such other works as may be specified in the rules or in the directions and to maintain the same in a serviceable clean and sanitary condition;
- Requiring the owner of the land or local body or the State Transport Undertaking as the case may be, to arrange for the free supply of drinking water for passengers including intending passengers;
- Prohibiting the use of such place by specified persons or by other than specified persons.

(3) If the owner of the land, local body or State Transport Undertaking, as the case may be, fails to comply with any rule or direction made or given to him under this Rule, the Regional Transport Authority may prohibit the use of such place for the purpose of this rule.

205. Prohibition on driving with gear disengaged — No person shall drive a motor vehicle on any hill marked by traffic sign No. 9 of the Schedule to the Act, with the engine free, that is to say with the gear lever in neutral, the clutch lever

- (क) सरकार या विद्या किसी गांव के किसी भी विनिर्दिष्ट स्थान पर या विनिर्दिष्ट एकत्रि या गांव के किसी भी स्थान का उपयोग करने का प्रतिशेष कर देकरा; या
 (ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी भी सरपालिक विवाह, मारतालिक अधिसूचित गेत्र या लड़की की सीमा के भीतर या हैरी अप्य सीमाओं के भीतर, जो अधिसूचना विनिर्दिष्ट की जाएं, केवल कठिन विवाह किसी दूरी का उपयोग इस पक्कर किया जाएगा;

परन्तु कोई भी स्थान, जो प्राइवेट स्थानियत नहीं हो, जोके स्थानी को रिखित में पूर्ण सहभागी के बिना, इस पक्कर अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

(2) जब किसी स्थान को, इस नियम के प्रयोगके लिए किसी दूरी के रूप में अधिसूचित किया गया हो या यातायात सकेतों द्वारा सीमानिकत किया गया हो या अधिसूचित और सीमानिकत दोनों ही किया गया हो तब इस बात के होते हुए भी कि भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है, वह स्थान इन विषयों के उपर्याप्तों के अधीन होते हुए, अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक स्थान समाज जागरा और प्रतिशिक परिवहन प्रणालीकारी किसी भी व्यक्ति या स्थानीय निकाय या एन्ज परिवहन उपकरण के साथ उपर्याप्त आवश्यक भवन या संकर्त के अनुसार के प्रयोगके लिए करार कर सकेगा या अनुसारि मंजूर कर देकरा जो उपर्याप्त किसी गांव का भाग किए जाने पर, ऐसे गांव या अनुसारि को तत्काल समाप्त कर देने के अधीन होगा और उपर्याप्त में अन्यथा विवाह बना सकेगा या निम्नलिखित के संबंध में निर्देश दे सकेगा —

- स्थान का उपयोग करने वाले लोक रोपा यानों के स्वामियों द्वारा संदर्भ की जाने वाली पीस विहित करना तथा ऐसी पीस की प्राप्ति और उपर्याप्त व्यवन के लिए व्यवस्था करना;
- ऐसे लोक रोपा यानों या लोक रोपा यानों के बर्ग को विनिर्दिष्ट करना और उपर्याप्त का उपयोग करने या जो उपर्याप्त करोगे;
- (तीन) किसी व्यक्ति को उपर्याप्त का प्रबंधक नियुक्त करना और प्रबंधक की शक्तियों तथा कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करना;
- (चार) यथास्थिति, भूमि के स्वामी या स्थानीय निकाय या एन्ज परिवहन उपकरण से, ऐसे छपाऊं (शेल्टर्स) मूलालयों और शौचालयों को परिनियमण करने और ऐसे अन्य कार्यों का, जो नियम या निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियादन करने की अपेक्षा करना, और उन्हें काम में लाने योग्य, साफ तथा स्वच्छ दराम में रखने की अपेक्षा करना;
- (पांच) यथास्थिति, भूमि के स्वामी से या स्थानीय निकाय या एन्ज परिवहन उपकरण से यह अपेक्षा करना कि वह, इच्छुक यात्रियों को समर्पित करते हुये यात्रा करने वालों के लिए पीने के पानी का शुल्क प्रदाय करने की व्यवस्था करें।
- (छह) ऐसे स्थान का उपयोग विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा या विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने का प्रतिशेष करना।

(3) यथास्थिति भूमि के स्वामी, स्थानीय निकाय, या एन्ज परिवहन नियम या इस नियम के अधीन ऐसे दिए किसी निर्देश या बनाए गए किसी नियम का पालन करने में असफल हो तो, प्रावेशिक परिवहन प्राधिकारी, ऐसे स्थान का उपयोग इस नियम के प्रयोगके लिए करने का प्रतिशेष करेगा।

205. गिरवर अनिवार्यता (डिसरेज) होने की अवस्था में चलाने पर प्रतिशेष — कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की अनुसूची में यातायात सकेत क्रमांक 9 द्वारा विनाकित किसी पहाड़ी पर कोई अवस्था में यातायात सकेत क्रमांक 9 द्वारा विनाकित किसी पहाड़ी पर कोई अवस्था में नहीं चलाएगा, अर्थात् ऐसी अवस्था में नहीं चलाएगा जब गिर न्यूट्रल में हो तथा कस्त घोटायान उन्मुक्त इन्वन से नहीं चलाएगा,

depressed or with any free wheel or other device in-operation which frees the engine from acting as a breaks when the vehicle is travelling down an incline.

206. Prohibition of taking hold of or mounting of vehicle in motion —

(1) No person shall mount or attempt to mount or dismount from any motor vehicle when the motor vehicle is in motion.

(2) No person shall take hold of, and no driver of a motor vehicle shall cause or allow any person to take hold of, any motor vehicle when in motion for the purpose of being towed or drawn, upon some wheeled vehicle or otherwise.

207. Prohibition of the use of foot paths, pavements by motor vehicles

— Where any road or street is provided with footpaths, pavement or tracks reserved for pedestrians, cycles or specified classes of other traffic, no person shall drive any motor vehicle or cause or allow any motor vehicle to be driven of any such foot path, pavement or track.

208. Projection of loads — (1) Nothing shall be placed or carried upon the roof of a double decked public service vehicle.

(2) No person shall drive, and no person shall cause or allow to be driven, in any public place any motor vehicle which is loaded in a manner likely to cause danger to any person or in such a manner that the load or any part thereof or anything extends —

(i) Laterally beyond the side of the body or beyond a vertical plane in prolongation of the side of the body;

(ii) To the front beyond the foremost part of the load body of vehicle;

(iii) To the rear beyond the rear most part of the vehicle; and

(iv) In height by a distance which exceeds 380 centimeters in case of a goods carriage and 350 centimeters in case of any other motor vehicle from the surface which the motor vehicle rests.

(3) Clause (iii) of sub-rule (2) shall not apply to a goods carriage when loaded with any pole or other projecting thing so long as —

(i) The projecting load falls within the limit of the body of a trailer being drawn by the goods carriage; or

(ii) The distance by which the pole or other thing projects beyond the rear most point of the motor vehicle does not exceed one hundred and eighty five centimeters; and

(iii) There is attached to the rear of such pole or other thing in such a way as to be clearly visible from the rear at all times a white circular disc of not less than thirty eight centimeters diameter; and during period of commencing half an hour after sun-set and ending half an hour before sun rise a lamp in addition to the prescribed lamps on the vehicle so arranged as to show red light to the rear.

(iv) The Registering Authority may, on application accompanied by

लैंबर दबा हुआ हो अथवा प्रीति व्यक्ति हो अथवा अन्य किसी वंत्र को काम न लाया जा रहा हो, जिससे इंजन चालन चक्र से उन्मुक्त हो जाता हो और यान के उतार पर से नीचे जाते समय इंजन को ब्रेक का काम करने से रोकता हो।

206. चलते हुए यान पर चढ़ने या उसे पकड़ने का प्रतिवेद्य — (1) कोई भी व्यक्ति चलते हुए किसी मोटरयान पर न तो चढ़ेगा या न ही उस पर चढ़ने या उस पर से उतारे का प्रयत्न करेगा।

(2) जब कोई यान गतिशील हो तो कोई भी व्यक्ति, अन्य पहिएदार यान पर अन्यथा, खांचे जाने या छाँचने के प्रयोजन के उस यान को नहीं पकड़ेगा और न ही किसी गतिशील यान का चालक किसी व्यक्ति से चलते हुए यान को पकड़ने के लिए कहेगा और न ही उसे पकड़ने देगा।

207. मोटरयानों द्वारा पदमार्ग (फृटपाथ) का उपयोग का प्रतिवेद्य — जहां पैदल चलने वालों, साइकिलों या यातायात के अन्य विनियमित वाहनों के लिए किसी मार्ग अथवा सड़क, पदमार्ग, पटरी या साइकिल पथ (ट्रैक्स) आवश्यक किए गए हों वहां कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे पदमार्ग, पटरी या साइकिल पथ पर कोई मोटरयान नहीं चलाएगा, न चलावाएगा और न चलाने ही देगा।

208. भार का बाहर निकला हुआ होना — (1) दो तल वाले लोक सेवा यान की छत पर कोई वस्तु रखी या ले जाई नहीं जाएगी।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी लोक स्थान में किसी मोटरयान को जो ऐसी रीति में लादा गया हो, नहीं चलाएगा, और न ही किसी व्यक्ति को चलाने देगा, जिससे किसी व्यक्ति को खतरे की सम्भावना हो अथवा ऐसी रीति से लादा गया हो जिससे कि लदा हुआ माल या उसका कोई भाग अथवा कोई वस्तु —

(एक) यान की बॉडी के पार्श्व के बाहर अथवा बॉडी के पार्श्व को बढ़ाने पर उसके खड़े समतल के बाहर निकल आए;

(दो) सामने की ओर यान की बॉडी बॉडी के सबसे सामने से बाहर निकल जाए;

(तीन) पीछे की ओर यान के सबसे पिछले भाग से बाहर निकल जाए; तथा

(चार) ऊंचाई, में यान जिस धरतल पर खड़ा हो, उस धरतल से माल यान के मामले में 380 से.मी.

तथा किसी अन्य यान के मामले में 350 से.मी. के अंतर से अधिक ऊंचा हो जाए।

(3) जब कोई माल यान किसी खम्भे अथवा बाहर निकली हुई अन्य वस्तु से लदा हो तो उस पर उपनियम

(2) का खण्ड (तीन) तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि —

(एक) बाहर निकला हुआ लदा माल, माल यान द्वारा खांचे जा रहे अनुयान की बॉडी की सीमा के भीतर हो; या

(दो) वह दूरी, जहां तक खंभा अथवा अन्य वस्तु मोटरयान के सबसे पिछले भाग से एक सौ

पचासी सेटीमीटर से अधिक बाहर न हो; और

(तीन) ऐसे खम्भे अथवा अन्य वस्तु के पिछले भाग पर कम से कम अड्डीस सेटीमीटर व्यास की

सफेद गोलाकार डिस्क इस प्रकार लगाई जाएगी जिससे कि वह पीछे से हँसेशा स्पष्ट रूप से

दिखाई दे और सुर्यास्त के आधे घंटे बाद से लेकिन सुर्योदय के आधे घंटे पहले तक की

कालावधि के द्वारान यान के लिए विवित किए गए दीपों के अलावा एक दीप ऐसा लगाया

जाए, जो यान के पीछे की ओर लाल प्रकाश दर्शाए।

(चार) विवित फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रेशन प्राप्तिकारी, लिखित आदेश द्वारा

- prescribed for by order in writing exempt any motor vehicle, for such purpose, for such period and subject to such conditions as he may specify, from any or all the provisions of this rule.
- (v) If the Registering Authority of the vehicle is located outside the State of Chhattisgarh, the registered owner of the vehicle may apply for exemption to the Registering Authority in whose jurisdiction the motor vehicle will start journey in the State or enter the State and shall obtain the exemption under clause (iv) prior to the entry into the State.
 - (vi) While granting exemption under sub-rule (4) and (5), the registering authority shall consult the authority of the public works department and the State Traffic police and only if satisfied that such exemption shall not cause any danger to the other vehicle or passengers travelling in other vehicles, shall grant such exemption.
 - (vii) Such exemption under clause (iv) or (v) shall be granted in Form M.P.M.V.R.-74 (TODP) and copies thereof would be despatched to the Registering Authorities through whose jurisdiction the motor vehicle will travel.

209. Prohibition on use of cut outs — No driver of a motor vehicle shall in any public place, make use of any cut out or other device by means of which the exhaust gases of the engine are released, save through the silencer.

210. Unguarded railway level crossing — Every driver of a motor vehicle shall at the approach of any guarded railway level crossing stop the vehicle to check and see both sides of the track to ensure that the way is clear and shall proceed only when he is convinced that no train is approaching from either direction.

211. Erection of placing of signs or advertisements on road prohibited — No person shall place or cause or allow to be placed or erected, on any road any sign or advertisement which, in the opinion of District Magistrate or the Superintendent of Police, is so placed as to obstruct the visibility of any traffic sign or is so similar in appearance to traffic sign as to be misleading.

212. Attendant — The driver of a heavy goods carriage and heavy passenger motor vehicle shall be accompanied by an attendant, who shall be in a position to give warning of any traffic approaching from the rear and assist the driver by giving signals when the motor vehicle is being taken in reverse.

213. Head Gear — (1) The head gear to be worn by any person while driving or riding on a motor cycle shall be of the I.S.I., specification No. 181-4151-1976 as amended from time to time.

(2) The provision of section 129 of the Act, shall not apply to a woman or child who is not more than 12 years of age.

214. Inspection of vehicle involved in an accident and penalty for causing obstruction to free flow of traffic — (1) Subject to the provisions of section 136 of the Act, any officer of the Police Department or Transport Department

किसी भी मोटरवाहन के द्वारे इंजेक्टर के लिए तथा ऐसी बालकों के लिए तथा ऐसी शर्तों के अधीन इते हुए, जो वह विनियोग करे, उन विषय के किसी वा सभी उन विषयों में हुए रहे सकें।

(पांच) यदि यान का प्रिंस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी उत्तीर्णाङ्क राज्य के बाहर रहित है तो यान का प्रिंस्ट्रीकरण स्थानी उस प्रिंस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी को हुए प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगा, जिससे अधिकारिता में राज्य में यान याच प्राप्त करेगा या राज्य में विनाश करेगा और राज्य में प्रवेश के अधीन हुए अधिकार ले रहे।

(छह) खण्ड (चार) एवं (पांच) के अधीन हुए मंत्र करते समय प्रिंस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी, लोक नियन्त्रित विभाग के प्राप्तिकारी और पाल्य यातायात पुलिस से परामर्श करेगा और यदि मह समाधान हो जाए कि इस प्रकार की हुए रेस किसी अन्य यान को या अन्य यानों में याच करने वाले यात्रियों को खतरा कारित नहीं होगा, ऐसी हुए मंत्र करेगा।

(सात) खण्ड (चार) और (पांच) के अधीन ऐसी हुए प्राप्त सी.ओ.एस.वी.आर. 74 में मंत्रको जाएगी और उसकी प्रतियोगी उन प्रिंस्ट्रीकरण प्राप्तिकारियों के माध्यम से भेजी जाएगी जिनकी अधिकारिता से होकर यातायात याच करेगा।

209. वियोजकों (कट-आउट्स) का उपयोग का प्रतिशेष — किसी भी मोटरवाहन का चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर, इंजन के बाहर एक्सास्ट गैस निकालने के लिए ध्वनि शामक (मार्फेन्मार) के सिवाय किसी वियोजक (कट आउट) या किसी अन्य यंत्र का उपयोग नहीं करेगा।

210. आरक्षित रेल समाप्त — मोटरवाहन का प्रवेश चालक, किसी आरक्षित रेल समाप्त के निकट पहुंचने पर रेल पथ के दोनों तरफ जांच करने और देखने के लिए यान धोकेगा यह पुलिसित करने के लिए कि रास्ता साफ है, और जब उसे विद्यास हो जाए कि किसी भी दिसा से कोई ट्रेन नहीं आ रही है, तभी आगे बढ़ेगा।

211. सड़कों पर चिन्ह या विज्ञापन लगाए या रखे जाने का प्रतिशेष — कोई भी व्यक्ति किसी भी सड़क पर ऐसा कोई चिन्ह या विज्ञापन नहीं लगाएगा या रखेगा अथवा नहीं लगावाएगा या लगाएगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक की राय में इस प्रकार रखा गया हो कि विपरीत किसी यातायात चिन्ह दिखाई देने में यातायात चिन्ह से इनमें गिरता-बुलता हो तिक अपरे भ्रम होता हो।

212. परिचारक (अटेंडेन्ट) — भारी माल यान और भारी यात्री-मोटर-यान के चालक के यात्यर्थ एक परिचारक रहेगा जो ऐसी स्थिति में होगा कि बह यान के पीछे से आने वाले किसी यातायात की चेतावनी चालक को दे सके और जब मोटरवाहन पीछे की ओर चलाई जाए तो सकें देकर चालक को सहायता दे सके।

213. सिरस्त्राण — (1) मोटर साईक्ल चलाने या साथ पर बैंडों वाले प्रत्येक अवित्त द्वारा पहला चाने वाला सिरस्त्राण समय-समय पर यथा संशोधित आई.सु.आई. विनियोग क्र. 181-4151-1976 के अनुसार होगा।

(2) अधिनियम की घास 129 के उपर्युक्त किसी भी स्त्री या किसी बालक को जो 12 वर्ष से अधिक आयु का न हो, लागू नहीं होगे।

214. दुर्घटनाप्रस्त यान का निरीक्षण और सुगम यातायात में बाधा प्रदूषित करने के लिए सास्ति — (1) अधिनियम की घास 136 के उपर्युक्त के अधीन इते हुए पुलिस विभाग या परिवहन

not below the rank of Inspector shall inspect any vehicle involved in an accident. (2) Subject to the provisions of Section 201 of the Act, the police officers in uniform not below the rank of Sub-Inspector and all Officers of the Transport Department not below the rank of Assistant Transport Sub-Inspector are authorised to recover the penalties under sub-section (2) of the said section.

¹[(3) Towing costs payable under sub-section (3) of Section 127 and sub-section (1) of Section 201 of the Motor Vehicle Act, 1988 in respect of different vehicles shall be levied as specified below, namely -

S.No.	Class of Vehicles	Towing cost
1.	Scooter, Motor-Cycle	Rs. 100.00 per vehicle
2.	Light Motor Vehicle (Car, Jeep, Auto-Rikshaw) etc.	Rs. 200.00 per vehicle
3.	Heavy Motor Vehicle (Empty Truck, Bus)	Rs. 300.00 per vehicle
4.	Heavy Motor Vehicle (Loaded Truck, Bus)	Rs. 350.00 per vehicle
5.	Medium Motor Vehicle	Rs. 250.00 per vehicle]

215. Power to restrict use of vehicle — In accordance with Section 115 of the Act, the District Magistrate may, within the jurisdiction, prohibit or restrict the use of motor vehicles, driving of motor vehicles or of any specific class of motor vehicles or use of trailers specified area or specified road in the interest of public safety convenience or the condition of any road or bridge.

216. Main road — In accordance with sub-section (1) (b) of section 116 of the Act, the District Magistrate may, within his jurisdiction, designate any road to be main road.

- Substituted by Notification No. 5-3/II/VIII-Tr./09 dated the 16 January, 2009 sub-rule (3) and published in C.G. Rajpatra Part-I, dated 30-01-2009 Page 120.

Before substitution sub-rule 3 stood here as under :-

- "(3) Towing costs payable under Section 127 and sub-section (1) of Section 201 of the Motor Vehicles Act, 1988 in respect of different vehicles shall be levied as specified below, namely:-

1. Scooter, Motor Cycle	Rs. 30.00 per vehicle
2. Light Motor Vehicle (Car, Jeep, Auto rikshaw etc.)	Rs. 60.00 per vehicle
3. Heavy Motor Vehicle (Empty Truck, Bus)	Rs. 100.00 per vehicle
4. Heavy Motor Vehicle (Loaded Truck, Bus)	Rs. 130.00 per vehicle
5. Medium Motor Vehicle	Rs. 80.00 per vehicle"

विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षक की पद श्रेणी से नीचे का न हो किसी दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 201 के उपबंधों के अधीन इसे हुए ऐसे वर्दीपारी पुलिस अधिकारी, जो उनिरीक्षक की पद श्रेणी से नीचे के न हों, और पीवहन विभाग के समस्त अधिकारी जो सहायक पीवहन उनिरीक्षक की पदश्रेणी से नीचे के न हों, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन शास्तियों की वसूली करने के लिए प्रधिकृत किए जाते हैं।

¹[(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 127 की उपधारा (3) तथा धारा 201 की उपधारा

(1) के अधीन भिन्न-भिन्न यानों के संबंध में देय अनुकरण व्य, नीचे विविदिष्ट किये गये अनुसार होगा, अर्थात् :-

क्र.	वाहन के प्रकार	अनुकरण व्य
1.	स्कूटर, मोटर-साइकिल	₹. 100.00 प्रतियान
2.	हल्के मोटरयान, (कार, जीप, आटो-रिक्शा आदि)	₹. 200.00 प्रतियान
3.	भारी मोटरयान (खाली ट्रक, बस)	₹. 300.00 प्रतियान
4.	भारी मोटरयान (भे हुए ट्रक, बस)	₹. 350.00 प्रतियान
5.	मध्यम मोटरयान	₹. 250.00 प्रतियान]

215. यान के उपयोग पर निर्बन्ध लगाने की शक्ति — अधिनियम की धारा 215 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक सुरक्षा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल की स्थिति को देखते हुए किसी विविदिष्ट क्षेत्र या विविदिष्ट सड़क पर मोटरयानों का उपयोग करने, मोटरयानों या किसी विविदिष्ट वर्ग के मोटरयानों को चलाने या अन्यानों का उपयोग करने का प्रतिवेद्य कर सकेगा या उसको निर्बन्धन कर सकेगा।

216. मुख्य सड़क — इस अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (1)(ब) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता के भीतर किसी सड़क को मुख्य यात्रा के रूप में अभिहित कर सकेगा।

- अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/दो/आठ-परि./09 दिनांक, 16 जनवरी, 2009 द्वारा उपनियम (3) प्रतिस्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 30-01-2009 को पृष्ठ 119-120 पर प्रकाशित।

प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम-3 निम्न प्रकार था:-

- "(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 127 तथा 201 की उपधारा (1) के अधीन भिन्न-भिन्न यानों के संबंध में देय अनुकरण व्य, नीचे विविदिष्ट किये गये अनुसार होगा, अर्थात् -

1. स्कूटर, मोटर साइकिल	₹. 30.00 प्रतियान
2. हल्के मोटरयान (कार, जीप, आटो-रिक्शा आदि)	₹. 60.00 प्रतियान
3. भारी मोटरयान (खाली ट्रक, बस)	₹. 100.00 प्रतियान
4. भारी मोटरयान (भे हुए ट्रक, बस)	₹. 130.00 प्रतियान
5. मध्यम मोटरयान	₹. 80.00 प्रतियान

217. Limit of speed — In accordance with sub-section (2) of section 112 of the Act, the District Magistrate having regard to the public safety or convenience because of the nature of the road or bridge may, within his jurisdiction fix such maximum or minimum speed limits as he thinks fit for motor vehicles by placing or erecting appropriate traffic signs under Section 116 of the Act at suitable places.

218. Loading of public service vehicle on ferry boats — The driver, conductor, or other person in charge of a public service vehicle shall cause all passengers to alight before embarking the said vehicle on any ferry boat and shall not allow them to take their places in the vehicle until it has been disembarked.

219. Construction of speed breakers or humps on roads — The District Magistrate in consultation with the District Level Road Safety Committee, the Superintendent of Police and local authorities/bodies may construct speed breakers or road humps on public road at suitable places of such specifications as approved by the All India Road Research Institute from time, to time.

CHAPTER IX CLAIMS TRIBUNAL

220. Application for compensation arising out of an accident — (1) An application for compensation arising out of an accident of the nature specified under the Act shall be in Form M.P.M.V.R.-75 (COMP-A).

(2) Every such application shall be sent to the Claims Tribunal by registered post or may be presented to such Claims Tribunal and shall, unless the Claims Tribunal otherwise directs be made in duplicate and shall be signed by the applicant.

(3) There shall be appended to every such application, the following documents, namely —

- (i) Injury certificate in Form M.P.M.V.R.-76 (COMP-B) or in case of death certificate;
- (ii) first information report in respect of the accident; and
- (iii) certificate regarding ownership and insurance particulars of the vehicle involved in the accident obtained from Registering Authority or Accident Information Report in Form 54 of the Central Rules obtained from the Registering Authority or the Police.

(4) If any of the documents specified in clause (c) of sub-rule (3) are not appended to the application the reasons for not appending them shall be stated, and if the tribunal is satisfied, it may proceed with the application and require production of such documents at a later stage.

221. Production of passport size photograph by applicant — Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) of rule 220 the Claims Tribunal may require the applicant to produce a passport size photograph, which shall be attested by an Advocate. The photograph shall either be affixed to the original application or affixed to a separate sheet of paper which shall be fastened to the original application.

222. Fees — An application for compensation shall be affixed with Court fee stamps of the value of fifteen rupees as well as an additional stamp at the rate of rupees ten as process fee for each person whom the applicant proposes to summon as a witness.

217. गति सीमा — अधिनियम की पारा 112 की उपलब्ध (2) के अनुसार जिला मण्डल, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक सुखा या सुविधा को स्थान में रखते हुए या विस्तीर्ण सड़क या पुल की स्थिति के स्थान के लिए अधिकतम या न्यूनतम गति सीमा, जैसा वह उचित समझे, नियम कर सकेगा।

218. पारनीका पर लोक सेवा यान का लादा जाना — किसी लोक सेवा यान का लालक, दरिचालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति, किसी पारनीका पर उत्तर यान को बढ़ाने के पूर्व सभी यात्रियों को उतार देगा और जब तक वह यान उतार न दिया जाए, तब तक उत्तर यान में अपनी जगह देने के लिए अनुमति नहीं करेगा।

219. सड़क पर गति-अवरोधक या कूर्झड (हम्प) सन्निर्माण — जिला मण्डल, जिला स्तरीय सड़क सुखा समिति युलिस अधीक्षक और स्थानीय प्राधिकारीयों/निकायों के पारमश्री से सार्वजनिक सड़क के उपयुक्त स्थानों पर ऐसे विनिर्देश के गति अवरोधक या पथ कूर्झड या सन्निर्माण करवा सकेगा जैसे कि अखिल भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा, समय-समय पर, अनुमोदित किए जाएं।

अध्याय 9

दावा अधिकारण

220. दुर्घटना से उद्भूत होने वाले प्रतिकर के दावे का आवेदन पत्र — (1) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट स्वरूप की दुर्घटना से उद्भूत होने वाले प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर.-75 (कम्प-ए) में होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र, दावा अधिकारण को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा या दावा अधिकारण को प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक कि दावा अधिकारण अन्यथा निरेशित न करें दो प्रति में दिया जाएगा और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजें संलग्न की जाएंगी, अर्थात् —

(एक) प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 76 (कम्प-बी) क्षति प्रमाण-पत्र या मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण-पत्र;

(दो) दुर्घटना के संबंध में प्रथम इतिलारिपोर्ट; और

(तीन) स्वामित्व संबंधी प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अधिग्राहण दुर्घटनाग्रस्त यान के बीमा संबंधी विशिष्टियां या केन्द्रीय नियम के प्रश्न 54 में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या युलिस अधिकारी से अधिग्राहण दुर्घटना सूचना रिपोर्ट।

(4) यदि उपनियम (3) के छण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाता है तो, उनको संलग्न नहीं किए जाने के कारण कथित किए जाएंगे और यदि अधिकारण का समाधान हो जाता है तो वह आवेदन पत्र आगे कार्रवाही कर सकेगा और ऐसे दस्तावेजों को बाद के प्रक्रम में पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा।

221. आवेदक द्वारा पासपोर्ट आकार के फोटो का पेश किया जाना — नियम 220 के उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दावा अधिकारण, आवेदक से पासपोर्ट आकार के फोटो, जिसे किसी अधिकारी द्वारा अधिग्राहणित किया जाएगा, पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा। फोटो या तो मूल आवेदन पत्र के साथ चिपका रहेगा या पृथक् कागज पर चिपका रहेगा जो मूल आवेदन पत्र के साथ जकड़ा हुआ होगा।

222. फीस — प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र के साथ पन्द्रह रुपए मूल्य के न्यायालय कीस स्टाम्प चिपकाए जाएंगे तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे आवेदक साक्षी के रूप में समन करना चाहता है, आदेशिका कीस के रूप में दस रुपए की दर से अतिरिक्त स्टाम्प चिपकाया जाएगा।

223. Examination of applicant — On receipt of an application under rule 220 the Claims Tribunal may examine the applicant on oath and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the Claims Tribunal.

224. Summary dismissal of application — The Claims Tribunal may after considering the application and the statement of the applicant recorded under rule 223 dismiss the application summarily, if for reasons to be recorded in writing, the Claims Tribunal is of the opinion that there are no sufficient grounds for proceeding therewith :

Provided that, the Claims Tribunal shall not reject the application made for compensation under section 140 on the grounds of any technical defects but shall give notice to the applicant and get the defects rectified.

225. Notice to opposite party and its examination — (1) If the application is not dismissed under rule 224 the Claims Tribunal shall send a copy of the application and issue notice to the party or parties from whom applicant claims relief (hereinafter referred to as an opposite party) of the date on which it will consider the application and may call upon the parties to produce on that date any evidence which they may wish to tender.

(2) Where the applicant makes a claim for compensation under section 140, the Claims Tribunal shall give notice to the owners and Insurer if any, of the vehicle involved in the accident directing them to appear on the date, not later than fifteen days from the date of the issue of such notice. The date so fixed for such appearance shall also be not later than fifteen days from the receipt of the claim application filed by the claimant. The Claims Tribunal shall state in such notice that in case they fail to appear on such appointed date, the Claims Tribunal shall proceed *ex parte* on the presumption that they have no intention to make against the award of compensation.

(3) The opposite party may on or before the first hearing or within such time as the Claims Tribunal may permit, file a written statement dealing with the claim raised in the application alongwith the document on which it relies and any such written statement and such documents shall form part of the record.

(4) No document which is not produced by the opposite party on or before the first hearing shall not without the sanction of the Claims Tribunal be recorded in evidence on behalf of that party.

(5) If the opposite party contests the claim the Claims Tribunal shall proceed to examine the parties on the claim and shall reduce the result of examination to writing.

226. Obtaining of information and documents necessary for awarding compensation under section 140 — The Claims Tribunal shall obtain whatever information and documents which may be found necessary from the police, medical and other authorities and proceed to award the claim whether the parties who were given notice, appear or not, on the appointed date.

227. Judgement and award of compensation under section 140 — (1) The Claims Tribunal shall proceed to award the claim of compensation under section 140 on the basis of —

223. आवेदक की परीक्षा — नियम 220 के अधीन आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर, दावा जाएगा तथा दावा अधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

224. आवेदन पत्र का संक्षेपतः खारिज किया जाना — दावा अधिकरण, आवेदन पत्र तथा नियम 223 के अधीन अभिलिखित किए गए आवेदक के अभिकरण पर विचार करने के पश्चात आवेदन पत्र को संक्षेपतः खारिज कर सकेगा, यदि लिखित में अभिलिखित किए गए कारणों से दावा अधिकरण की यह राय हो कि आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार नहीं है :

परन्तु दावा अधिकरण, धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन-पत्र को किसी तर्कनीकी कुटियों के आधार पर खारिज नहीं करेगा किंतु आवेदक को सूचना देगा और कुटियों को परिशोधित करेगा।

225. विरोधी पक्षकार को सूचना और उसकी परीक्षा — (1) यदि नियम 224 के अधीन आवेदन पत्र खारिज नहीं किया जाता है तो दावा अधिकरण आवेदन पत्र की एक प्रति उस पक्षकार या पक्षकारों को, जिससे या जिनसे आवेदक अनुतोष का दावा करता है (जो इसमें इसके पश्चात विरोधी पक्षकार के रूप में निर्विचित है) भेजेगा और तारीख के संबंध में सूचना जारी करेगा जिसके आवेदन पत्र विचार किया जाएगा और उस तारीख को पक्षकारों से कोई ऐसी साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा जो वे देना चाहें।

(2) जहां आवेदक धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिये दावा करता है वहां दावा अधिकरण दुर्घटनाग्रस्त यान के स्वामी और बीमाकार्ता यदि कोई हो, को ऐसी तारीख पर उन्हें उपसंचात होने का निर्देश देते हुए सूचना देगा जो कि सूचना जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक की नहीं होगी। इस प्रकार की उपसंचात के लिए नियम की गई तारीख भी दावेदार द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के पश्चात की नहीं होगी। दावा अधिकरण ऐसी सूचना में यह कथन करेगा कि ऐसी नियम तारीख पर उपसंचात होने में यदि वे असफल रहते हैं तो दावा अधिकरण यह उपधारणा करते हुए कि उन्हें प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, एकपक्षीय रूप से अग्रसर होगा।

(3) विरोधी पक्षकार प्रथम सुनवाई का या उसके पूर्व या ऐसे समय के भीतर जैसे कि दावा अधिकरण अनुज्ञा दे, एक लिखित कथन उन दस्तावेजों के साथ, जिन पर वह विश्वास करता है, आवेदन पत्र में किये गये दावे के संबंध में प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा कोई लिखित कथन तथा ऐसी दस्तावेजें अभिलेख की भी भाग होंगी।

(4) कोई दस्तावेज जो विरोधी पक्षकार द्वारा प्रथम सुनवाई को या उसके पूर्व पेश नहीं किया जाता है, दावा अधिकरण की स्वीकृति के बिना उस पक्षकार की ओर से साक्ष्य में अभिलिखित नहीं होगा।

(5) यदि विरोधी पक्षकार दावे का प्रतिवाद करता है तो दावा अधिकरण दावे के संबंध में पक्षकारों का परीक्षण करेगा और परीक्षण के परिणाम को लेखबद्ध करेगा।

226. धारा 140 के अधीन प्रतिकर प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को अभिप्राप्त करना — (1) दावा अधिकरण, ऐसी कोई भी जानकारी और दस्तावेज अभिप्राप्त करेगा जो पुलिस, चिकित्सा और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त करता वह आवश्यक समझे भरते ही पक्षकार जिन्हें सूचना पत्र दिये गये हैं वह नियम तारीख को उपस्थित होंगा या नहीं दावे को अधिनिर्णीत करने के लिए अग्रसर होगा।

227. धारा 140 के अधीन नियम तथा प्रतिकर अधिनिर्णीत करना — (1) दावा अधिकरण धारा 140 के अधीन नियम आधारों पर प्रतिकर का दावा अधिनिर्णीत करने की कार्यवाही करेगा।

- (a) Application and Statement of the parties;
- (b) Accident Information Report in Form 54 of the Central Rules or Certificate regarding ownership and insurance particulars of the vehicle involved in the accident, obtained from the Registering Authority;
- (c) First Information Report;
- (d) Post Mortem Report or Death Certificate or Injury Report in Form M.P.M.V.R.-76 (Comp. B) by the Medical Officer who has examined the victim;
- (e) Any other information or documents obtained by the Tribunal under rule 226.

(2) The Claims Tribunal in passing orders shall make an award of compensation in respect of the death or permanent disablement to be paid by the insurer or owner of the vehicle involved in the accident, within a period of thirty days.

(3) The Claims Tribunal shall as far as possible, dispose of the application for compensation within forty five days from the date of receipt of such application.

COMMENTS

R. 227(2) — Limitation for payment of 'no fault liability' — Tribunal granted two months time to deposit the amount. Held — It is contrary to the specific provision laid down in rule 227(2), which provides a period of thirty days — Hence, petition allowed and petitioner is directed to make payment within 30 days. [National Insurance Company Ltd. Vs. Smt. Kusum Bai & Others, 2002(2) CGLJ (CG) 408 = 2003(1) MPHT (CG) 26 = 2003(1) BLJ 221]

228. Procedure of disbursement of compensation under section 140 to legal heirs in case of death — Where the Claims Tribunal feels that the disbursement of actual amount due to the claimant is likely to take time because of the identification and the fixation of legal heirs of the deceased, the Claims Tribunal may call for the amount of compensation awarded, to be deposited with the Claims Tribunal and then proceed with the identification of the legal heirs for deciding the payment of compensation to each of the legal heir.

229. Local inspection — (1) The Claims Tribunal may, at any time during the course of an enquiry before it, visit the site at which accident occurred for the purpose of making a local inspection or examining any persons likely to be able to give information relevant to the proceeding.

(2) Any party to a proceeding or the representative of any such party may accompany the Claims Tribunal for a local inspection.

(3) If the Claims Tribunal thinks it fit so to do, it may require the owner of the vehicle involved in the accident or in his absence the person incharge of such vehicle to produce the vehicle for inspection at the time and place to be mentioned by it, if necessary, in consultation with the owner or such person.

(4) The Claims Tribunal after making a local inspection shall note briefly in a memorandum any facts observed, and such memorandum shall form part of the record of enquiry.

(5) The memorandum shall be made available to any party who desires the same, and a copy thereof shall be supplied, if applied for, on payment of fee calculating at the rate of rupees ten for the first page and rupees four for each additional page.

- (क) पक्षों के आवेदन पत्र तथा अधिकरण;
- (ख) केन्द्रीय नियमों के प्रलेख 54 में दुर्घटना सूचना रिपोर्ट या रजिस्ट्रीकरण प्राथिकरण से अभिग्रान दुर्घटनाग्रस्त वाहन का स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र तथा बीमा की विशिष्टियाँ;
- (ग) प्रथम सूचना रिपोर्ट;
- (घ) शब्द परीक्षण रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण-पत्र या प्रारूप सी.जी.एम.वी.आर.-76 (कम्प बी) में शक्ति रिपोर्ट जो ऐसे विकिसा अधिकारी, द्वारा दी गई हो जिसने आहत का परीक्षण किया हो;
- (ङ) अन्य कोई जानकारी या दस्तावेज़ जो नियम 226 के अधीन अधिकरण को अभिग्रान दुर्घटना

(2) दावा अधिकरण, आदेश पारित करने में मृत्यु या स्थायी निःशक्ति के संबंध में, दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीमाकारी या स्वामी द्वारा संदर्भ किए जाने वाले प्रतिकर को तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनियमित करेगा।

(3) दावा अधिकरण यथासम्भव प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र को ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतीस दिन के भीतर नियमान्वया।

टिप्पणी

नियम 227(2) — दोष रहित दायित्व के अंतर्गत राशि अदा करने की सम्बाधि — न्यायाधिकरण द्वारा उक्त राशि जमा करने देते हो माह का समय प्रदान किया गया। अधिनियमित — अधिनियम के नियम 227(2) में यह सम्बाधि तीस दिन की प्राप्तान्वयित है। [नियमनल इन्डियन कंपनी लिमि. वि. श्रीमति कुमुम बाई व अन्य, 2002(2) छ.ग.लॉ.ज. (छ.ग.) 408 = 2003(1) म.प. हाईकोर्ट दुड़े (छ.ग.) 26 = 2003(1) वी.एस.जे. 221]

228. पारा 140 के अधीन प्रतिकर के संवितरण की प्रक्रिया — मृत्यु की दास्तावेज़ में वैध वारिस बहां दावा अधिकरण को यह प्रतीत हो कि दावेदार के लिए शोध वास्तविक रूप के संवितरण के लिए, नूतन के वैध वारिस की पहचान करने और उसका निर्धारण करने में समय लगने की संभावना है, तो दावा अधिकरण अधिनियमित प्रतिकर की रकम को बुलाकर दावा अधिकरण के पास बमा करवा देता और तब वैध वारिसों में से प्रत्येक को प्रतिकर के संदाय किये जाने का विविधरूप करने हेतु वैध वारिसों की पहचान करने की कार्रवाई करेगा।

229. स्थानीय निरीक्षण — (1) दावा अधिकरण स्थानीय निरीक्षण करने या ऐसे किसी व्यक्ति, जो कि कार्यवाही से सुसंगत कोई जानकारी दे सकने योग्य हो, का परीक्षण करने के प्रयोग से उसके समझ बांध के दौरान, किसी भी समय उस स्थल को, जहां दुर्घटना घटित हुई है, देख सकेगा।

(2) कार्यवाही का कोई भी पक्षकार या ऐसे किसी पक्षकार का प्रतिनिधि, स्थानीय निरीक्षण के लिए दावा अधिकरण के साथ रह सकेगा।

(3) यदि दावा अधिकरण ऐसा करना उचित समझता है, तो वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन के स्थायी या उसकी अनुपस्थिति में ऐसे यान के प्रभारी व्यक्ति से, यान के स्थायी या ऐसे व्यक्ति के परामर्श से अन्य द्वारा निर्धारित समय पर तथा स्थान में आवश्यक होने पर यान को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकता है।

(4) स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात् दावा अधिकरण किन्हीं भी पाए गए रुप्यों को एक ज्ञापन में संकेत में गोट करेगा और ऐसा ज्ञापन जांच के अभिलेख का भाग बनेगा।

(5) ज्ञापन किसी भी पक्षकार को, उसकी बांधा करता है, उपलब्ध कराया जावेगा और उसकी प्रति यदि आवेदन किया जाता है तो फीस का संदाय करने पर प्रदान की जाएगी जिसकी गणना प्रथम पृष्ठ के लिए दस रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए चार रुपये की दर से की जावेगी।

230. Framing and determination of issues — (1) After considering the written statement or the result of examination of the opposite party and the result of the local inspection, if any, the Claims Tribunal shall proceed to frame the issues.

(2) After framing the issues, the Claims Tribunal shall proceed to record evidence thereon which each party may desire to produce.

231. Summoning of witnesses — If an application is presented by any party to the proceeding for the summoning of witnesses the Claims Tribunal shall on payment of the expenses involved, if any, issue summons for the appearance of such witnesses, unless it considers that their appearance is not necessary for a just decision of the case.

232. Appearance of parties — Any appearance application or any act required to be made or done by any person before or to a Claims Tribunal other than appearance of a party which is required for the purpose of his examination as a witness may be made or done on behalf of such person by a legal practitioner or by an official of the Insurance Company or with the permission of the Claims Tribunal by any other person so authorised.

233. Appointment of representatives on behalf of parties — (1) Where any party to a proceeding is a minor or a person suffering from physical disability and on that account is unable to make an appearance, the Claims Tribunal shall appoint suitable person who consents to the appointment, represent such party for the purpose of the proceeding.

(2) If the Claims Tribunal considers that the interest of any party for whom a representative has been appointed under sub-rule (1) are not being adequately protected by that representative or if a person appointed to as representative dies or becomes incapable of acting, or otherwise ceases to act as such. Claims Tribunal shall appoint in his place another person who consents to the appointment.

234. Power of summary examination — (1) The Claims Tribunal during an inspection or at any other time, save at a formal hearing of a case pending before it, may examine summarily any person likely to be able to give information relevant to such case, whether such person has been or is to be called as a witness in the case or not, and whether any or all the parties are present or not.

(2) No oath shall be administered to a person examined under sub-rule (1).

(3) Statements made by person examined under sub-rule (1) if reduced to writing, shall not be signed by the persons making the statement, nor shall they except as hereinafter provided, be incorporated in the record or utilised by the Claims Tribunal for the purpose of arriving at a decision in the case.

(4) If a witness who has been examined under sub-rule (1) makes in evidence any material statement contradicting any statement made by him in such examination and reduced to writing the Claims Tribunal may call his attention to such statement and shall in that case direct that the parties be furnished with the relevant part of such statement for the purpose of examining or cross examining the witness.

230. विवादकों की विरचना तथा उनका अधिकारण — (1) दिलिखित कथन या विरोधी पक्षकार के परिणाम और किसी स्थानीय निरीक्षण, यदि कोई है, के परिणाम पर विचार करने के पश्चात् दावा अधिकारण विवादकों की विरचना की कार्यवाही करेगा।

(2) विवादकों की विरचना के पश्चात् दावा अधिकारण, उन साक्षों को अभिलिखित करने की कार्यवाही करेगा जिसे प्रत्येक पक्ष पेश करना चाहे।

231. साक्षियों का समन किया जाना — यदि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों का समन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो दावा अधिकारण अन्तर्गत खर्च यदि कोई हो, का संदाय करने पर ऐसे साक्षी का उपसंजाति के लिए समन जारी करेगा जब तक कि वह वह न समझता हो कि मामले के न्यायपूर्ण विनियोग के लिये उनकी उपसंजाति आवश्यक नहीं है।

232. पक्षकारों की उपसंजाति — किसी पक्षकार को ऐसी उपसंजाति से भिन्न जो कि साक्षी के रूप में उसके परीक्षण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो, किसी व्यक्ति की ऐसी उपसंजाति उसका ऐसा आवेदन या कार्य विसका दावा अधिकारण के समक्ष किया जाना अपेक्षित हो, ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी विधि व्यवसायी या बीमा कंपनी के किसी पदधारी या दावा अधिकारण की अनुज्ञा से इस कार्य के लिये प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकेगा।

233. पक्षकार की आर से प्रतिनिधियों की नियुक्ति — (1) ऐसी स्थिति में जब किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार आवश्यक हो या ऐसा व्यक्ति हो जो शारीरिक नियोग्यता से पीड़ित हो और उसके कारण वह उपसंजात न हो सकता हो, तो दावा अधिकारण किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, जिसने कार्यवाही के प्रयोजनार्थ ऐसे पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी नियुक्ति की सम्मति दे दी हो।

(2) यदि दावा अधिकारण का वह विचार हो कि उपनियम (1) के अधीन किसी पक्षकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति से उस पक्षकार के हितों की पूर्ण सुकृत नहीं हो रही है या यदि प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह कार्य करने में अक्षम हो जाता है या अन्यथा वह उस रूप में कार्य करना छोड़ देता है तो दावा अधिकारण उसके स्थान पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो इस प्रकार की नियुक्ति के लिये अपनी सम्मति दे दें।

234. संक्षिप्त परीक्षण की शक्ति — (1) दावा अधिकारण के बल उसके समक्ष लम्बित प्रकरण की औपचारिक सुनवाई को छोड़कर निरीक्षण के द्वारा या किसी भी अन्य समय ऐसे किसी भी व्यक्ति का संक्षिप्त परीक्षण का सकेंगा जिसके द्वारा ऐसे मामले में सुसंगत जानकारी दी जा सकती हो भले ही ऐसे व्यक्ति को मामले में साक्षी के रूप में बुलाया गया हो या नहीं या बुलाया जाना हो या नहीं और चाहे कोई या सभी पक्षकार उपस्थित हों या नहीं।

(2) उपनियम (1) के अधीन परीक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों को कोई शपथ नहीं दिलायाजी जायेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन परीक्षित व्यक्तियों के कथन यदि अभिलिखित किये जाये तो उन पर कथन भेजे वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जायेंगे और न ही उन्हें, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित स्थिति को छोड़कर अधिनियम में सम्मिलित किया जायेगा या मामले में किसी निर्धार्ष पर पहुंचने के लिये दावा अधिकारण द्वारा उसका उपयोग ही किया जायेगा।

(4) यदि उपनियम (1) के अधीन परीक्षित व्यक्तियों के कथन के विरुद्ध हो और उसे अभिलिखित किया गया हो तो दावा अधिकारण ऐसे परीक्षण में दिये गये किसी कथन के विरुद्ध हो और उसे अभिलिखित किया गया हो तो दावा अधिकारण ऐसे कथन की ओर उसका ध्यान आकर्षित कर सकेगा तथा उस मामले में यह निर्देश दे सकेगा कि साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के प्रयोजनार्थ पक्षकारों को ऐसे कथन का सुनाना अंश उपलब्ध कराया जाय।

(5) Any statement or part of a statement which is furnished to the parties under sub-rule (4) shall be incorporated in record.

(6) Where a case is settled by agreement between the parties the Claims Tribunal may incorporate in the record any statement under sub-rule (1) and may utilize such statement for the purpose of justifying its acceptance of, or a refusal to accept, the agreement reached at.

235. Method of recording evidence — The Claims Tribunal shall on examination of a witness proceed to make a brief memorandum of a substance of the evidence of such witness and such memorandum shall be written and signed by the Claims Tribunal and shall form part of the record :

Provided that, if the Claims Tribunal is prevented from making such memorandum, it shall record the reason of its inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing from its dictation and shall sign the same, and such memorandum shall form part of the record :

Provided further, that the evidence of any medical witness shall be taken down as nearly as may be, word by word.

236. Expert — (1) The Claims Tribunal may for the purpose of adjudicating upon any claim for compensation, other than claims for compensation under section 140, choose not more than two persons having technical or special knowledge with respect to any matter before the Claims Tribunal for the purpose of assisting it in the holding of the enquiry.

(2) The remuneration, if any, to be paid to the expert shall be determined by the Claims Tribunal.

237. Procedure in connected cases — (1) Where two or more cases pending before a Claims Tribunal arise out of the same accident, and any issue involved is common to two or more cases, such cases, may, so far as the evidence bearing on such issue is concerned, be held simultaneously.

(2) Whereas action is taken under sub-rule (1) the evidence bearing on the common issue or issues shall be recorded on the record of one case and the Claims Tribunal shall certify under its hand on the records of any such other case, the extent to which evidence so recorded applies to such other case and the fact that the parties to such other case had the opportunity of being present, and, if they were present, of cross-examining the witnesses.

238. Award of compensation — (1) The Claims Tribunal in passing orders, shall record concisely in a judgment the findings on each of the issue framed and the reasons for such findings and make an award specifying the amount of compensation to be paid by the insurers and the owner of the vehicle who may be found vicariously responsible for causing the accident and also the person or persons whom compensation shall be paid.

(2) Where compensation is awarded to two or more persons, the Claims Tribunal shall also specify the amount payable to each of them.

(3) The Claims Tribunal may in its discretion pass such order in respect of costs incidental to any proceedings before it as it may deem fit.

(5) ऐसा कथन या कथन का अंश, जो उपनियम (4) के अधीन पक्षकारों को प्रदान किया जाय, अभिलेख में सम्मिलित किया जायेगा।

(6) जहाँ कोई मामला पक्षकारों के बीच करार द्वारा तय किया जाये वहाँ दावा अधिकरण अभिलेख में उपनियम (1) के अधीन दिया गया कोई भी कथन सम्मिलित कर सकेगा और किये गये करार को स्वीकृति या स्वीकृति से इन्कार करने को न्यायोचित ठहराने के प्रयोजनार्थ ऐसे कथन का उपयोग कर सकेगा।

235. साक्ष्य अभिलिखित करने की पद्धति — दावा अधिकरण साक्षियों की परीक्षा करने पर, ऐसे साक्षी के साक्ष्य का एक संक्षिप्त ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन दावा अधिकरण द्वारा लिखा जाएगा तथा उस पर उसके हस्ताक्षर होगे और वह अभिलेख का भाग बन जायेगा :

परन्तु यदि दावा अधिकरण को ऐसा ज्ञापन तैयार करने से निवारित किया जाए तो वह ऐसा न करने की अपनी असमर्थता के कारण अभिलिखित करेगा और वह ऐसा ज्ञापन अपने शुल्कों से लिखवायेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग बन जायेगा :

परन्तु यह और भी कि किसी चिकित्सीय साक्षी का साक्ष्य यथा संभव शब्दसः लिखी जायेगी।

236. विशेषज्ञ — (1) धारा 140 के अधीन प्रतिकर के दावों से भिन्न प्रतिकर के किसी भी दावे को न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए दावा अधिकरण उसके समक्ष के किसी भी विषय से संबंधित जांच करने के कार्य में सहायता के प्रयोजन के लिए तकनीकी या विशिष्ट ज्ञापन रखने वाले दो से अनधिक व्यक्तियों को चुनेगा।

(2) विशेषज्ञों को संदर्भ किया जाने वाला पारिव्रामिक, यदि कोई हो, दावा अधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा।

237. सम्बद्ध मामलों में प्रक्रिया — (1) जब दावा अधिकरण के समक्ष एक ही दुर्घटना से संबद्ध दो या उनसे अधिक मामले लंबित हो और उन दो या अधिक मामलों में कोई सामान्य विवादिक अन्तर्वलित हो, तो वहाँ तक ऐसे विवादक संबंधी साक्ष्य का संबंध है, ऐसे मामले साथ-साथ निपटाये जा सकते हैं।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन कार्यवाही की जाए, तब सामान्य विवादिक या विवादिकों से संबंधित साक्ष्य एक ही मामले के अभिलेख पर अभिलिखित की जाएगी और दावा अधिकरण ऐसे किसी अन्य मामले के अभिलेखों पर अपने हाथ से उस सीमा को प्रमाणित करेगा जहाँ तक इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य ऐसे अन्य मामले पर लागू होती है तथा इस तथ्य को प्रमाणित करेगा कि अन्य ऐसे मामले के पक्षकारों को उपस्थित होने का अवसर दिया गया था और यदि वे उपस्थित हुए तो उन्हें साक्षियों का प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया गया था।

238. प्रतिकर का अधिनिर्णय — (1) आदेश पारित करते समय दावा अधिकरण, संक्षेप में अपने विविध विवादिकों में से प्रत्येक पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के लिए कारण अभिलिखित करेगा और यह विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनिर्णय देगा जिसमें बीमाकर्ताओं द्वारा और यान के ऐसे स्वार्थी द्वारा जिनका प्रतिनिधि का दायित्व दुर्घटनाकारित करने के लिए समझा जाए संदर्भ की जाने वाली प्रतिकर की रकम होगी उसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का भी उल्लेख होगा जिन्हें प्रतिकर संदर्भ किया जायेगा।

(2) जहाँ प्रतिकर दो या अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, वहाँ दावा अधिकरण उसमें से प्रत्येक को दी जाने वाली रकम भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) दावा अधिकरण, स्वविवेक से उसके समक्ष की किसी कार्यवाही के आनुसंधान खर्च के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिन्हें कि वह उचित समझे।

239. Receipt for compensation — Upon payment of compensation a receipt shall be obtained by the Claims Tribunal and such receipt shall be forwarded to the insurer concerned or as the case may be, the owner of the vehicle, for the purpose of record.

240. Procedure to be followed by Claims Tribunal in holding enquiries — Applications of certain provisions of Code of Civil Procedure 1908; save as otherwise expressly provided in the Act or these rules, the following provisions of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) namely, those contained in Order V, Rules 9 to 13 and 15 to 20, Order IX, Order XVI, Rule 2 to 21, Order XVII, Order XXI and Order XXIII, Rules 1 to 3 shall apply to proceedings before a Claims Tribunal in so far as they may be applicable thereto.

241. Minor accident — summary procedure — Notwithstanding anything contained in these rules, in the case of minor accidents the Claims Tribunal may follow such summary procedure, as it thinks fit.

242. Form of appeal and contents of memorandum — (1) Every appeal against the award of the Claims Tribunal shall be preferred in duplicate in the form of memorandum signed by the appellant or an Advocate or attorney of the High Court duly authorised in that behalf by applicant and shall be presented within ninety days from the date of the award to the Registrar of the High Court or to such officer authorised by him in this behalf. The Memorandum shall be accompanied by a certified copy of the award.

(2) The memorandum in sub-rule (1) set forth concisely and under distinct heads the grounds of objection to the award appealed from without any argument or narrative; and such ground shall be numbered consecutively.

(3) Save as provided in sub-rule (1) and (2) the provisions of Order XXI and Order XLI of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) shall *mutatis mutandis* apply to appeals preferred to the High Court under section 173.

CHAPTER X MISCELLANEOUS

243. Establishment of Motor Vehicles Department — (1) The Motor Vehicles Department within the meaning of section 213 of the Act shall be the Transport Department of Government of Chhattisgarh. The officer designated as Transport Commissioner, Chhattisgarh shall be in overall charge and control of the Department and subject to the general and specific guidance of the State Government. The following officers shall be deemed to be officers of the Motor Vehicles Department in terms of Section 213 of the Act, the officers in a lower Category being subordinate to officers in the higher category :

Category	Designation of Officers
I.	Transport Commissioner.
II.	Secretary, State Transport Authority.
III.	Deputy Transport Commissioners.
IV.	(a) Assistant Transport Commissioners. (b) Regional Transport Officers. (c) Additional Regional Transport Officers.

239. प्रतिकर के लिए पावती — प्रतिकर का संदाय हेने पर, दावा अधिकारण द्वारा पावती अभिप्राप्त की जावेगी और ऐसी पावती संबंधित बीमाकर्ता को या यथास्थिति यान के स्वामी को अभिलेख के प्रयोजन हेतु अग्रेषित की जावेगी।

240. दावा अधिकारण द्वारा जांच करने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया — सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कलिप्य उच्चारणों की प्रसुति इस अधिनियम या इन नियमों में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उच्चारण है, के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबंध अर्थात् जो आदेश पांच, नियम 9 से 13 तथा 15 से 20 आदेश नी, आदेश तेरह, नियम 3 से 10, आदेश सोलह, नियम 2 से 21, आदेश सत्रह, आदेश इक्कीस तथा आदेश तेरहस नियम 1 से 3 में अन्तर्विट है, दावा अधिकारण के समझ की कार्यवाहियों पर लागू होगे जहां तक कि वे उनको लागू होते हों।

241. मामूली दुर्घटना संक्षिप्त प्रक्रिया — इन नियमों में अन्तर्विट किसी बात को होते हुए भी, मामूली दुर्घटनाओं के मामले में दावा अधिकारण ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया अपना सकेगा जो वह उचित समझे।

242. अपील का प्रारूप एवं ज्ञापन की विवरण-वस्तु — (1) दावा अधिकारण के अधिनियम के विरुद्ध प्रत्येक अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रतिवेदी में होगी जो अपीलार्थी या इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा सम्बद्ध रूप से प्राधिकृत उच्च न्यायालय के किसी अधिकारी (एडेक्ट) या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अधिनियम की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार या ऐसे अधिकारी को, जो इन निमित्त उपरे द्वारा प्राधिकृत हो, प्रस्तुत की जावेगा ज्ञापन के साथ अधिनियम की एक प्रमाणित प्रतीलिपि संलग्न की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में ज्ञापन में संक्षेप में तथा विभिन्न शीर्षों के अधीन अपील किए गए अधिनियम के विरुद्ध उठाई गई आपत्ति के आधारों को बिना किसी तरफ के या बृतांत के प्रस्तुत किया जायेगा, तथा इस प्रकार के आधारों को क्रम से संख्यांकित किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) तथा (2) में उपबंधित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश इक्कीस तथा आदेश इक्कीसीस के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों संहिता धारा 173 के अधीन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपीलों को लागू होगे।

अध्याय 10

प्रकार्य

243. मोटरयान विभाग की स्थापना — (1) अधिनियम की धारा 213 के अर्थ के अन्तर्गत मोटरयान विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार का परिवहन विभाग होगा। परिवहन अनुसूचित छत्तीसगढ़ के रूप में नाम निर्दिष्ट अधिकारांश विभाग का सम्पूर्ण रूप से प्रभारी तथा नियंत्रक होगा और राज्य सरकार के सामान्य तथा विनियिट मार्गदर्शन के अधीन होगा। अधिनियम की धारा 213 के नियंत्रों के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी, मोटरयान विभाग के अधिकारी समझे जाएंगे। निम्न प्रवर्ती के अधिकारी उच्चतर प्रवर्ती के अधिकारियों के अधीनस्थ होंगे —

प्रवर्ग	अधिकारियों के पदनाम
(एक)	परिवहन अनुसूचित
(दो)	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी
(तीन)	उप परिवहन अनुसूचित
(चार)	(क) सहायक परिवहन अनुसूचित (ख) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ग) अपर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

- V. Assistant Regional Transport Officers.
- VI. Transport Inspectors.
- VII. Transport Sub-Inspectors.
- VIII. Assistant Transport Sub-Inspectors.
- IX. Transport Head Constables.
- X. Transport Constables,

(2) The Officers specified in categories V to X of sub-rule (1) above shall belong to the Chhattisgarh Transport Department Subordinate (Class III Executive) Service.

244. Jurisdiction of the officers of the Transport Department — (1)

The Transport Commissioner, the Secretary State Transport Authority, the Deputy Transport Commissioner and Assistant Transport Commissioners posted in the Transport Commissioner's office shall exercise jurisdiction over the entire State of Chhattisgarh and the remaining officers shall exercise jurisdiction within the region or zone to which they are posted :

Provided that Transport Inspector and a Sub-Inspector posted to the office of the Transport Commissioner and any other Transport Inspector or Sub-Inspector when accompanying the Transport Commissioner, Deputy Transport Commissioner or Assistant Transport Commissioner or when specifically directed in writing by the Transport Commissioner or the Deputy Transport Commissioners shall exercise jurisdiction throughout the State or Zone concerned.

245. Performance of functions of sub-ordinate officers by superior officers — Notwithstanding anything contained in these rules and subject to such general or special orders as may be issued by the Transport Commissioner in this behalf—

- (a) The Transport Commissioner, Deputy Transport Commissioner or Assistant Transport Commissioners may at any time exercise the powers and perform the functions of a Regional Transport Officer or Transport Inspector under these Rules;
- (b) A Regional Transport Officer, Additional Regional Transport Officers or Assistant Regional Transport Officer, may, at any time, perform any of the functions of a Transport Inspector.

246. Performance of function of superior officers by subordinate officer — Notwithstanding anything contained in the rules and subject to such general or special order, as may be issued by the Transport Commissioner, in this behalf—

- (a) A Deputy Transport Commissioner may exercise the powers conferred under the Act and these rules and any other enactment in force, of the Transport Commissioner;
- (b) An Additional Regional Transport Officer and Assistant Regional Transport Officer shall exercise the powers conferred under the Act or these Rules or any other enactment in force, of a Regional Transport Officer.

(पांच)	सहायक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी
(छह)	परिवहन निरीक्षक
(सात)	परिवहन उप-निरीक्षक
(आठ)	सहायक परिवहन उप-निरीक्षक
(नौ)	परिवहन प्रधान आरक्षक
(दस)	परिवहन आरक्षक

(2) अमर उपनियम (1) के पांच से दस तक के प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट अधिकारी, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय वर्ग कार्यपालिक) सेवा के होंगे।

244. परिवहन विभाग के अधिकारियों की अधिकारिता — (1) परिवहन आयुक्त, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय में पदस्थ उप-परिवहन आयुक्त तथा सहायक परिवहन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर अधिकारियों का प्रयोग करेंगे तथा शेष अधिकारी उस प्रदेश (रीजन) या परिषेक्ष (जोन) पर अधिकारिता का प्रयोग करेंगे जहां उन्हें पदस्थ किया गया है :

परन्तु परिवहन निरीक्षक और उप-निरीक्षक यदि परिवहन आयुक्त के कार्यालय में पदस्थ किये गये हों तथा जब कोई अन्य परिवहन निरीक्षक अथवा उप-निरीक्षक, परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त या सहायक परिवहन आयुक्त, के साथ हो या परिवहन आयुक्त या परिवहन उप-आयुक्त द्वारा तिखित में विनिर्दिष्ट रूप से निर्देशित किया गया हो तब वे सम्पूर्ण राज्य या संबंधित परिषेक्ष (जोन) में अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

245. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के कृत्यों का पालन करना — इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, और परिवहन आयुक्त द्वारा इस नियमित जारी किये गये ऐसे सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए —

- (क) परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त या सहायक परिवहन आयुक्त इन नियमों के अधीन किसी भी समय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या परिवहन निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन कर सकेंगे;
- (ख) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अथवा सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किसी भी समय परिवहन निरीक्षक के किसी भी कृत्य का पालन कर सकेंगे।

246. अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के कृत्यों का पालन करना — इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और परिवहन आयुक्त द्वारा इस नियमित जारी किये गये ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए —

- (क) उप परिवहन आयुक्त, अधिनियम तथा इन नियमों और किसी भी अन्य प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन परिवहन आयुक्त को प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगा;
- (ख) अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अथवा सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अधिनियम के या इन नियमों या किसी भी अन्य प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

247. Powers including powers exercisable by police officers under the Act to be exercised by the officers of the Transport Department — The officers of the Transport Department specified in Column (1) of the table below shall exercise the powers under the provisions of Section of the Act as specified in column (2) of the said Table —

TABLE

Officers (1)	Sections of the Act (2)
1. Transport Commissioner	Section 114 (1)
2. All Deputy Transport Commissioners	130 (1), 130 (2), 130 (3), 132 (1), 133, 134 (b), 136
3. All Assistant Transport Commissioners	158 (1), 158 (2)
4. Regional Transport Officers	158 (3), 154 (4)
5. Additional Regional Transport Commissioners	202, 206 and 207
6. Assistant Regional Transport Officers.	
7. Transport Inspectors.	
8. Transport Sub-Inspectors.	
9. Assistant Transport Sub-Inspectors.	

248. Uniform to be worn by officers in the subordinate transport service

(1) The uniform to be worn by Transport Inspectors, Transport Sub-inspector and Assistant Transport Sub-Inspector shall be as follows —

- (i) **Dress on Duty** — Blue woolen and one piece barret cap with badge, Khaki Shirt or bushirt, Whistle with Blue lanyard, Khaki Socks and Brown boots;
- (ii) **Dress for formal occasions** — Khakhi peak cap with badge, Khaki shirt, whistle with blue lanyard, Khakhi trousers, brown cross belt with white metal fittings, Khakhi socks and brown boots;
- (iii) **Winter Clothing** — Woolen khakhi shirt, olive green jersey, Khakhi woolen over coat and woolen khakhi socks may be worn with the dress;
- (iv) **Badges of rank** — Transport Inspector, shall wear three stars with blue and red ribbon, Transport Sub-Inspectors shall wear two stars with red and blue ribbon and Transport Assistant Sub-Inspectors shall wear one star with red and blue ribbon. Cap badge stars and shoulder badges shall be as illustrated in the Fifth Schedule to these Rules.

(2) The Uniform to be worn by Transport Constables and Constables shall be as follows —

- (i) **Dress on duty** — Blue barret cap with badge, khakhi shirt, whistle with blue lanyard, khakhi trousers, web belt, khakhi socks and black boots;

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994
परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों सहित कालम (1) में विनिर्दिष्ट किए गए परिवहन के अधिकारी उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अधिनियम की धाराओं के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे —

सारणी

अधिकारी	अधिनियम की धारा
(1)	(2)
परिवहन आयुक्त	पारा 114 (1)
समस्त उप परिवहन आयुक्त	130 (1), 130 (2), 130 (3), 132 (1), 133, 134 (ख), 136, 158 (1), 158 (2)
समस्त सहायक परिवहन आयुक्त	158 (1), 158 (2)
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	158 (3), 154 (4)
अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन	202, 206 तथा 207
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	
परिवहन निरीक्षक	
परिवहन उप-निरीक्षक	
सहायक परिवहन उप-निरीक्षक	

248. अधीनस्थ परिवहन सेवा में के अधिकारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी — (1) परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप-निरीक्षक तथा सहायक परिवहन उप-निरीक्षक द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी निम्नानुसार होगी —

(एक) कर्तव्य पर रहते समय पहनी जाने वाली पोशाक — नीली ऊटी बेरेट केप, जिसमें बेज लगा हो, खाकी कमीज या बूशर्ट, नीली रसी लागी सीटी सफेद धातु के हुक आदि लगा पट्टा खाकी मौजे तथा भेरे (ब्राउन) चूरे;

(दो) सामान्य अवसरों के लिये पोशाक — बेज लागी हुई खाकी पी कैप, खाकी कमीज, नीली रसी लागी सीटी, खाकी भेट, सफेद धातु की फिरिंग सहित ब्राउन क्रास बेल्ट, खाकी मौजे तथा भेरे (ब्राउन) चूरे;

(तीन) शीतकालीन कपड़े — पोशाक के साथ ऊटी खाकी कमीज, जैदूरी हरी जर्सी, खाकी ऊटी ओवर कोट और ऊटी खाकी मौजे पहने जा सकते हैं;

(चार) रेंक के बिल्ले (बेजेस) — परिवहन निरीक्षक नीली तथा लाल रिबन सहित दो स्टार लगायेंगे। कैप के बिल्ले परिवहन उप-निरीक्षक लाल तथा नीली रिबन सहित एक स्टार लगायेंगे। कैप के बिल्ले अनुसूची में दर्शाये गये अनुसार होंगे।

(2) परिवहन आरक्षक तथा आरक्षकों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी निम्नानुसार होगी —

(एक) कर्तव्यों पर रहते समय पहनी जाने वाली पोशाक — बेज लागी नीली बेरेट केप, खाकी कमीज नीली रसी सहित सीटी, खाकी भेट, बेल्ट खाकी मौजे तथा काले चूरे;

- (ii) Dress for formal occasions — Orange hackle, anklets and ammunition shall be worn on formal occasions;
- (iii) Winter dress — Olive green jersey, khaki woolen over coat and woolen socks may be worn during the winter season;
- (iv) Badges of rank — Head constables shall wear red chevron on both shirt sleeves. The cap badge and shoulder badges shall be as prescribed in Fifth Schedule to these rules.

Note — Sikh officer may wear Khakhi turban in place of barret cap or peak cap.

249. Certificate of appointment — (1) Every officer of the Chhattisgarh Transport Department of Gazetted Service and the subordinate Transport Service shall be issued a certificate of appointment in Form M.P.M.V.R.-77 (C.A.P.P.). The certificate of appointment shall bear the signature and seal of the Transport Commissioner and shall be conclusive proof of the fact of appointment of the officer as such. The officer to whom the certificate of appointment has been issued shall keep it in his personal custody and shall surrender it when he ceases to be in the service of the Transport Department.

(2) In case the certificate of appointment is lost or stolen, the officer to whom it was issued shall immediately notify the fact of loss to his next superior officer, the Transport Commissioner and the nearest Police Station. Any person finding a certificate of appointment shall forthwith hand it over to the nearest Police Station and no person shall retain or in any way put to his own use, a certificate of appointment issued to an officer of the Transport Department.

250. Reward and Punishment — (1) Officer belonging to the subordinate Motor Vehicles Department Service may be given special reward for —

(i) Good Service or definite acts of good conduct, Bravery or intelligence; or

(ii) For good detection of offence and prevention of evasion of taxes.

Rewards may take the form of either cash or commendation certificate or articles of value. The Authority competent to sanction reward of value upto Rs. 250/- shall be the Transport Commissioner. Reward of higher value shall require the sanction of the State Government. A cash reward shall not be less than Rs. fifty in the case of a Transport Inspector and Rupees twenty five in the case of Transport Sub-Inspector and Assistant Transport Sub-Inspector.

(2) Notwithstanding anything contained in the Chhattisgarh Civil Service (Classification, Control and Appeals) Rules, 1966 the following punishment be imposed on any member of the subordinate Transport service by the officer and in the manner indicated herein below —

(i) In the case of Transport Inspector, Transport Sub-Inspector and Assistant Transport Sub-Inspector, the Transport Commissioner or a Deputy Transport Commissioner may after obtaining the explanation of the defaulter and conducting such summary enquiry as they may deem fit, impose fine of an amount not exceeding one month's pay.

- (दो) सामान्य अवसरों के लिये पोशाक — सामान्य अवसरों पर नारंगी हेकल, एंक्लेस्स तथा एम्बूलीशन पहने जावेंगे;
- (तीन) शीतकालीन कपड़े — सर्दी के मौसम के दौरान में जैतूरी हरे रंग की जर्सी, खाकी ऊनी ओवर कोट तथा ऊनी मौजे पहने जा सकते हैं;
- (चार) रेंक के विल्टे (बैजस) — प्रयाण आकाश कमोज का दोनों बाहों पर लाल शब्दन का चिन्ह लगायेंगे, कैप बैज तथा बाहों के विल्टे (बैज) इन नियमों की पांचवीं अनुसूची में विहित किये गये अनुसार होंगे।

टिप्पणी — सिख अधिकारी बैरेट कैप या पी-कैप के स्थान पर 'खाकी फेटा' बांध सकेंगे।

249. नियुक्ति का प्रमाण पत्र — (1) छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के राजपत्रित सेवा तथा अधीनस्थ परिवहन सेवा के प्रत्येक अधिकारी को प्राप्त सी.जी. एस.व्ही.आर.-77 (सी.ए.पी.पी.) में एक नियुक्ति प्रमाण पत्र में परिवहन आयुक्त के हस्ताक्षर तथा उसकी मुद्रा लगी होगी तथा वह अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति की वास्तविकता का निशायक सबूत होगा व अधिकारी जिसे नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, उसे अपनी वैयक्तिक अभियास में रखेंगा तथा जब वह परिवहन विभाग की सेवा में नहीं रहेंगा तब वह उसे अर्थात् कर देगा।

(2) उस दशा में जब नियुक्ति प्रमाण पत्र गुप हो जावे या वह चोरी हो जावे तो वह अधिकारी, जिसे कि वह जारी किया गया था, उसके (प्रमाण-पत्र के) गुप हो जाने की सूचना अपने ठीक वरिष्ठ अधिकारी, परिवहन आयुक्त को तथा समीप के पुलिस थाना को देगा। कोई भी व्यक्ति जिसे वह प्रमाण पत्र कहाँ मिलता है, तुरंत उसे समीप के पुलिस थाने में सुपुर्द कर देगा तथा कोई भी व्यक्ति उसे अपने पास नहीं रखेगा अथवा परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को जारी किए गये इस प्रकार के प्रमाण पत्र को किसी प्रकार से अपने उपयोग में नहीं लायेगा।

250. पुरस्कार तथा दण्ड — (1) अधीनस्थ मोटर यान विभाग की सेवा से संबंधित अधिकारियों को विशेष पुरस्कार दिये जा सकेंगे —

(एक) उत्तम सेवा या सदाचरण के निश्चित कार्य, बहादुरी या बुद्धिमता के लिये; या

(दो) अपराधों का ठीक तरह से पता लगाने तथा कर अपवंचन को निवारित करने के लिये।

ये पुरस्कार या तो नकद रूप से हो सकते हैं या प्रशंसा पत्र या मूल्यवान वस्तुओं के रूप में भी हो सकते हैं। 250 रुपये मूल्य तक के पुरस्कार की स्वीकृति देने के लिए रास्तम प्राधिकारी, परिवहन आयुक्त होगा। उच्चतर मूल्य के पुरस्कार देने के लिए राज्य सम्पादक की मंजूरी लेना आवश्यक है। दिया जाने वाला नकद पुरस्कार किसी परिवहन निरीक्षक के मामले में पचास रुपये तथा परिवहन उप-निरीक्षक एवं सहायक परिवहन उप-निरीक्षक के मामले में पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकारी द्वारा अधीनस्थ परिवहन सेवा के किसी भी सदस्य पर, नीचे बाई गई रीति से दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा —

(एक) परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप-निरीक्षक तथा सहायक परिवहन उप-निरीक्षक के मामले में परिवहन आयुक्त या उप-परिवहन आयुक्त व्यक्तिमती का स्पष्टीकरण अभियाप्त कर लेने तथा मामले की ऐसी संक्षिप्त जांच, जिसे वे उचित समझें कर लेने के पश्चात् एक माह के वेतन से अनधिक रकम का जुर्माना अधिरोपित कर सकेंगे।

(ii) In the case of Transport Head Constable and Transport Constable, the Transport Commissioner, Deputy Transport Commissioner, Assistant Transport Commissioner or Regional Transport Officer or Additional Regional Transport Officer may after obtaining the explanation of the defaulter and conducting such summary enquiry as they may deem fit, impose a fine of an amount not exceeding one month's pay.

(3) An appeal against the order of a Deputy Transport Commissioner, Assistant Transport Commissioner or Regional Transport Officer or Additional Regional Transport Officer shall lie to the Transport Commissioner, whose orders shall be final.

251. Repeal and Savings — On the commencement of these rules, the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1974, the Chhattisgarh State Transport Appellate Tribunal (Appeal and Revision) Rules, 1972, the Chhattisgarh Motor Vehicles (National Permits) Rules, 1975, the Chhattisgarh Motor Vehicle (Payment of Fee) Rules, 1974, and the Chhattisgarh Licensing of Agents, Collecting, Forwarding and Distributing Rules, 1972, in force in the State immediately before the commencement of these Rules, shall stand repealed:

Provided that anything done or any action taken under any of the said Rules so repealed, shall be deemed to have been done or action taken under the corresponding provisions of these rules unless such thing or action is inconsistent with any of the provisions of these rules.

प्रतिक्रिया के अनुसार इन नियमों के प्रारंभ होने पर, गज्ज में इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1974 छत्तीसगढ़ स्टेट ड्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रीब्यूनल (अपील एंड रिवीजन) नियम, 1972 छत्तीसगढ़ मोटरयान (नेशनल परमिट) रूल्स, 1975 छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल्स (पेमेन्ट ऑफ फीस) रूल्स, 1974 तथा छत्तीसगढ़ लायरेसिंग ऑफ ऐजेन्स, कलेक्टिंग, फारवार्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रूल्स, 1972 निरस्त हो जाएंगे।

प्रतिक्रिया के अनुसार इन नियमों के प्रारंभ होने पर, गज्ज में इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1974 छत्तीसगढ़ स्टेट ड्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रीब्यूनल (अपील एंड रिवीजन) नियम, 1972 छत्तीसगढ़ मोटरयान (नेशनल परमिट) रूल्स, 1975 छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल्स (पेमेन्ट ऑफ फीस) रूल्स, 1974 तथा छत्तीसगढ़ लायरेसिंग ऑफ ऐजेन्स, कलेक्टिंग, फारवार्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रूल्स, 1972 निरस्त हो जाएंगे।

(दो) परिवहन प्रधान आरक्षक तथा परिवहन आरक्षक के मामले में परिवहन आयुक्त, सहायक परिवहन आयुक्त या प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व्यक्तिगती का स्पष्टीकरण अभिग्रात कर लेने तथा मामले की ऐसी संक्षिप्त जांच, जिसे वे उचित समय में, कर लेने के पश्चात् एक माह के बेतन से अनधिक रकम का जुर्माना अधिरोपित कर सकेंगे।

(3) उप परिवहन आयुक्त, सहायक परिवहन आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के आदेशों के विवर्ण अपील परिवहन आयुक्त को होगी जिसका आदेश अंतिम होगा।

251. निरसन तथा व्यावृत्ति — इन नियमों के प्रारंभ होने पर, गज्ज में इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1974 छत्तीसगढ़ स्टेट ड्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रीब्यूनल (अपील एंड रिवीजन) नियम, 1972 छत्तीसगढ़ मोटरयान (नेशनल परमिट) रूल्स, 1975 छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल्स (पेमेन्ट ऑफ फीस) रूल्स, 1974 तथा छत्तीसगढ़ लायरेसिंग ऑफ ऐजेन्स, कलेक्टिंग, फारवार्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रूल्स, 1972 निरस्त हो जाएंगे:

परन्तु इस प्रकार निरस्त किये गये उक्त नियमों में से किसी के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इन नियमों के किसी भी उपबंध से असंगत न हो इन नियमों के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्रथम अनुसूची

प्ररूप सी.जी.एम.झी.आर.1(ए.टी.व्ही.ए.)

[नियम 7(1) देखिए]

परिवहन यान चालने के प्राधिकार प्रदान करने के लिये आवेदन पत्र

प्रति,

अनुज्ञापन अधिकारी,
मैं, परिवहन यान चालने के प्राधिकार प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करता हूँ और साथ में निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेशित करता हूँ—

- (1) चालन अनुज्ञाप्ति क्रमांक
विधिमान्यता
अनुज्ञापन प्राधिकारी
मोटर यान का वर्ग जिसके लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान की गई है
- (2) चालन प्रशिक्षण स्कूल
द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- (3) शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
आवेदक का वर्तमान पता
मैंने फीस रुपये रसीद क्र.
बुक क्रमांक /कोषालय चालान क्रमांक
तारीख द्वारा संदर्भ कर दी है।

तारीख 20....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

प्ररूप सी.जी.एम.झी.आर.2(डी.टी.व्ही.बी.)

[नियम 8(5) देखिए]

परिवहन यान प्राधिकार बिल्ला की दूसरी प्रति हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
मैं, (पूरा नाम)
पुत्र श्री
निवासी (स्थायी पता)
एतद्वारा यह रिपोर्ट करता हूँ कि मूल बिल्ला क्रमांक
निम्नलिखित परिस्थितियों में खो/नष्ट हो गया है
(इसे भरा जाए)
2. मेरे पास अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी मोटर यान
अनुज्ञाप्ति क्रमांक है, जो तारीख तक विधिमान्य है।

- 3. मैं, एतद्वारा बिल्ले की दूसरी प्रति के लिये आवेदन प्रस्तुत करता हूँ। और रूपये
नकद रसीद क्रमांक बुक क्रमांक तारीख
कोषालय चालान क्रमांक द्वारा निविदित करता हूँ।
4. मैं यह और भी घोषणा करता हूँ कि मेरी मोटर यान अनुज्ञाप्ति न तो निलम्बित या प्रति संदर्भ हुई है और न ही समय खत्म होने के कारण उसकी विधिमान्यता समाप्त हुई है।
तारीख
नोट — जो लागू हो उसे काट दें। बिल्ला आपके हस्ताक्षर के हस्ताक्षर

प्ररूप सी.जी.एम.झी.आर.3(एल.एल.डी.)

[नियम 11(1) देखिए]

चालन अनुज्ञाप्ति खो जाने अथवा नष्ट होने की प्रज्ञापना और दूसरी प्रति के लिये आवेदन प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
मैं
(स्थायी पता)
(पिता/पति का नाम)
एतद्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि चालन अनुज्ञाप्ति क्रमांक
जो अनुज्ञापन प्राधिकारी
द्वारा तारीख मास अथवा लगभग को जारी की गई थी मुझे
निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गई/नष्ट हो गई/विकृत हो गई है—

- 2. मैं एतद्वारा चालन अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करता हूँ और विविद फीस नकदी/मनी आर्डर/चैक/चालान क्रमांक तारीख द्वारा निविदित करता हूँ।
3. मैं अपना पासपोर्ट आकार के हाल ही के स्टैट फोटो की दो प्रतियां संलग्न करता हूँ।
4. मैं यह और भी घोषित करता हूँ कि मेरी चालन अनुज्ञाप्ति किसी भी प्राधिकारी द्वारा परिवर्द्धनहीं की गई है।
5. मैं एतद्वारा यह घोषित करता हूँ कि विगत प्रदान/नवीकरण की तारीख से न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कोई भी पृष्ठांकन किया/नहीं किया गया है—

पृष्ठांकन की तारीख तथा मामले की विशिष्टियां	न्यायालय	अपराध	दण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)

तारीख 20....

आवेदक के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा

हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा की दूसरी प्रति
हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा की दूसरी प्रति
अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय के उपयोग के लिये
भाग-1
चालन अनुज्ञाप्ति क्रमांक	जो प्रथमतः तारीख
प्रदान की गई थी उसकी दूसरी प्रति मेरे द्वारा आज तारीख	20..... को जारी की गई। पर
क्रमांक	तारीख
..... में आवेदक को कारण बताते हुए आवेदन
नामंजूर किया गया।
तारीख	20.....
अनुज्ञापन प्राधिकारी
भाग-2
भाग 1 से भाग 2, 3 और 4 पृथक शीट पर छापे जाएंगे और मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी से मिन अन्य प्राधिकारी को आवेदन भेजने पर उपयोग में लाये जायेंगे।
अनुज्ञापन प्राधिकारी	को सत्यापन और भाग 3 को पूर्ण करने के
लिए अग्रेषित।
तारीख	20.....
अनुज्ञापन प्राधिकारी
भाग-3
अनुज्ञापन प्राधिकारी	को वापस भेजा गया। फोटो और हस्ताक्षर/
निशानी अंगूठा का मिलान मेरे द्वारा अभिलेखों से किया गया है ऐसी कोई चालन अनुज्ञाप्ति इस कार्यालय द्वारा
जारी की गई प्रतीत नहीं होती है।
मुझे इस बात का समाधान नहीं हुआ है कि आवेदन वर्णित चालन अनुज्ञाप्ति का धारक था।
मुझे इस बात का समाधान हो गया है कि आवेदक इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित रूप में जारी की गई
चालन अनुज्ञाप्ति का धारक था—
(1) नाम
(2) जारी किए जाने की तारीख
(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा	को अंतिम बार नवीकरण किया गया।
(4) समाप्ति की तारीख
(5) यानों के वर्ग
(6) चालन अनुज्ञाप्ति
(क) परिवहन यान चलाने हेतु प्राधिकारी	द्वारा मंजूर की गई।
(ख) में निम्नलिखित पृष्ठांकन थे—
तारीख	20.....
अनुज्ञापन प्राधिकारी

निशानी अनुज्ञापन प्राधिकारी
चालन अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति मेरे द्वारा तारीख के अभिलेख के लिये वापिस किया गया।
निपक्काएं गये फोटो की एक प्रति संलग्न है। 20..... को जारी की गई है और उसमें
मैंने अपने पत्र क्रमांक तारीख
जारी करने के लिये आवेदन किया गया था, जारी करने से अस्वीकार कर चुका हूँ और मैं उस पत्र की एक प्रति संलग्न करता हूँ।
तारीख	20.....

नीसिसिखिया अनुज्ञाप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिये आवेदन-पत्र
प्रति,
अनुज्ञापन प्राधिकारी
मैं, अपनी नीसिसिखिया अनुज्ञाप्ति क्रमांक की दूसरी प्रति जारी करने के लिये
एतदद्वारा आवेदन करता हूँ जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा
जारी की गई थी और जो तारीख को या उसके लगभग समाप्त हो रही है। मैंने नीसिसिखिया अनुज्ञाप्ति
की दूसरी प्रति जारी करने के लिए विवित कीस के रूपमें घरारिशि / कोपात्यव चालन / चैक
क्रमांक तारीख
तारीख	20..... के अनुसार जमा कर दिए हैं।

मैंने निम्न वर्णित अनुज्ञाप्ति निम्नलिखित कारणों से अपने कब्जे में ले ली है—
धारक का नाम
पिता का नाम
वर्तमान पता
चालन अनुज्ञाप्ति क्रमांक
अनुज्ञापन प्राधिकारी
समाप्ति की तारीख
धारक निम्नलिखित वर्गों के बान चलाने का हकदार है—
(1) जिसके द्वारा धारक को ज़मर के वर्ग या वर्गों के बान या यानों
(2) जब तक धारक इस प्राधिकार के अधीन यान को चला रहा है तब तक उसे अपनी अनुज्ञाप्ति पेश

करने के दायित्व से एतद्वारा शूट दी जाती है।	
(3) यह प्राधिकार तारीख 20..... तक या जब तक अनुज्ञाति किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित या एह न कर दी जाय जो भी पूर्वतः हो विधिमान्य रहेगी।	
तारीख अनुज्ञाति कब्जे में प्राप्त करने वाले प्राधिकारी की मुद्रा एवं हस्ताक्षर	
उपर्युक्त प्राधिकार में तारीख तक उहाँ शर्तों पर एतद्वारा वृद्धि की जाती है।	
तारीख अनुज्ञाति विस्तारण करने वाले प्राधिकारी की मुद्रा एवं हस्ताक्षर	

प्रस्तुति सी.जी.एम.झी.आर. 6 (एल.इ.डी.)

[नियम 14(1) देखिए]

एक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञाति में दूसरे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यानों के वर्ग के संबंध में जब कोई परिवर्तन किया जाय, जिसके लिए धारक चलाने के लिए हकदार है, उसकी प्रज्ञापना

प्रेषक,	अनुज्ञापन प्राधिकारी
प्रति,	अनुज्ञापन प्राधिकारी
	चालन अनुज्ञाति क्रमांक तारीख जो आपके द्वारा नाम
	वर्ग के यान के लिये नाम
	पिता/पति का नाम
	स्थायी पता
	वर्तमान पता
	के पक्ष में जारी की गई थी, उसमें तारीख 20..... से निम्न अतिरिक्त वर्ग के यान जोड़े गये हैं, जिस धारक चलाने हेतु हकदार होगा यह परिवर्तन में कार्यालय के चालन अनुज्ञाति रजिस्टर के अनुक्रमांक पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
	तारीख 20..... अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्रस्तुति सी.जी.एम.झी.आर. 7 (ई.एल.आर.)

[नियम 14(2) देखिए]

चालन अनुज्ञाति के नवीकरण की प्रज्ञापना

प्रेषक,	अनुज्ञापन प्राधिकारी
प्रति,	अनुज्ञापन प्राधिकारी
	अनुज्ञापन प्राधिकारी

चालन अनुज्ञाति क्रमांक तारीख जो आपके द्वारा नाम तक के पक्ष में विधिमान्य है। पिता/पति का नाम

स्थायी पता

वर्तमान पता

को मेरे द्वारा तीन/ पांच वर्ष की कालावधि के लिए तारीख से तक नवीकृत किया गया है।

यह नवीकरण मेरे कार्यालय के चालन अनुज्ञाति रजिस्टर के अनुक्रमांक पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

तारीख 20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्रस्तुति सी.जी.एम.झी.आर. 8 (एल.इ.डी.)

[नियम 16(1) देखिए]

चालन अनुज्ञाति पर पृष्ठांकन करने की न्यायालय द्वारा प्रज्ञापना

न्यायालय

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी

चालन अनुज्ञाति क्रमांक तारीख जो आपके द्वारा नाम

पिता/पति का नाम

स्थायी पता

वर्तमान पता

के पक्ष में जारी की गई, उस पर इन न्यायालय द्वारा मामला क्रमांक राज्य विलङ्घ निमानुसार पृष्ठांकन किया गया —

पृष्ठांकन की तारीख मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा और केन्द्रीय नियमों के नियम 22 के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया दंड।

तारीख 20..... मुद्रा और हस्ताक्षर

अधेष्ठित

अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसने तारीख 20.... को अनुज्ञाति का अंतिम बार नवीकरण किया था, कि और प्रतिलिपि अधेष्ठित की जाती है।

तारीख 20.... मुद्रा और हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूचि

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 9 (डी.सी.आर.)

[नियम 17(1)(यारह) देखिए]

मंजिली गाड़ी के चालक द्वारा जारी किए गए प्रतिदाय का प्रमाण-पत्र
प्रति,

अनुज्ञापत्र धारक पुत्र श्री

निवासी ने बस क्रमांक में से
तक तारीख को टिकट क्रमांक तारीख द्वारा अपनी यात्रा
प्रारंभ की है।

यान के में खराब हो जाने के कारण (वह स्थान विनिर्दिष्ट किया जाए जहाँ यान
खराब हुआ) आगे की यात्रा पूर्ण नहीं की जा सकती।

अतएव, यात्री श्री अपूर्ण यात्रा के किराए की रकम रूपये
प्रतिदाय किए जाने के हकदार हैं।

चालक के हस्ताक्षर

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 9-क (एफ.डी.एल.आर.)

[नियम 23(2) देखिए]

अन्य प्रदेश चालन अनुज्ञानित नवीकरण निगिस्टर

अनुक्रमांक तथा नवीकरण या परिवर्धन की तारीख	डी.एल. क्रमांक तथा जारी करने वाला प्राधिकारी	आरंभिक प्रदान की तारीख	पूर्ण पता सहित धारक का नाम	वर्तमान पता	यान का वर्ग जिसके लिए अनुज्ञाप्ति विधिमान्य है तथा वर्ग/ वर्गों का परिवर्धन तारीखवार	अनुज्ञानि की विधिमान्यता	प्राधिकारी जिसके द्वारा अंतिम बार नवीकृत की गई	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
.....

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूचि

प्राधिकारी प्रमाण पत्रों के ब्यारे जारी करने की तारीख एवं डाक्टर का नाम	प्रजापना पत्र क्रमांक तथा मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजने की तारीख	संदर्भ फीस संसद तथा तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर	अनुज्ञानि धारक का फोटो	टिप्पणी
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
.....

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 10 (एन.कान.आई.एम.टी.)

[नियम 26(2)(क) देखिए]

जब परिचालक के रूप में बिना अनुज्ञानि के कार्य करना हो तो
अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रजापना

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी

मैं, पुत्र श्री

निवासी परिचालक के रूप में तारीख से तारीख
तक की कालावधि के लिए मार्ग पर चलाई जा रही मंजिली गाड़ी पर कार्य करने का इच्छुक हूँ।

मैं यह और भी घोषणा करता हूँ कि —

(क) मेरी वर्तमान आयु वर्ष है।

(ख) मेरे पास कभी भी परिचालक की अनुज्ञानि नहीं रही है।

(ग) मैं किसी रोग या अशक्ता से ग्रसित नहीं हूँ।

(घ) मैंने पूर्व अवसरों पर तारीख से तक की कालावधि
के लिए द्वारा चलायी जा रही सेवा पर परिचालक के रूपमें बिना अनुज्ञानि के कार्य किया है और अनुज्ञापन प्राधिकारी को पत्र
तारीख द्वारा सूचित कर दिया है।

तारीख

अवेदक के हस्ताक्षर

(मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र धारी, जो उसे नौकरी में रखना चाहता है, के माध्यम से अप्रैवित करवाया जाए)

मैं अनुज्ञापन क्रमांक का धारक, जो
मार्ग के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है, अर वी गई विशिष्टियों
के व्यक्ति को कारणों से परिचालक के रूप में अस्थाई रूप से नियोजित करता हूँ।

तारीख

अनुज्ञापत्र धारक के हस्ताक्षर

नोट — जो लागू न हो उसे काट दें।

यहाँ क्षेत्र का नाम विनिर्दिष्ट करें।

- बाधक हो सकता है ?

6. क्या अविक किसी भी प्रकार बहस्तर से फाइदा है जो उसके विचारक के कठिन नियम से ?

7. बातचीत में बाधक है ?

8. क्या आवेदक को दस्तावे से विभाग में बाधक होता ?

9. क्या आपके दस्तावे वाले शरीर के विकल्पों की कमी है, जो प्रियाचारक के रूप में उसमें अत्यधिक दाय, तापांकुश या औपचारिक होते हैं ?

10. क्या आपके दस्तावे वाले शरीर से योग्य है ?

11. परिषक किये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर या विराजनी अंग तथा मैं प्रणाली करता हूँ कि परीक्षित व्यक्ति से नई जस्ति में उभे हस्ताक्षर किए हैं जो ऐसे हस्ताक्षर तथा और विवरस से, उपर्युक्त विवरण माल है और साथ में संस्करण कोटे विभिन्न व्यक्ति से बहुत कुछ सामान है।

(रिस्ट्रिक्यूल विविधीय व्यवसायी का नाम
रिस्ट्रेशन क्र.
हस्ताक्षर

फारो का स्थान

(रिस्ट्रिक्यूल विविधीय व्यवसायी कोटे पर भी यह प्रकार के हस्ताक्षर करोगा कि उसके हस्ताक्षर का नाम प्रथम पर भी अंकित हो।)

प्रस्तुति जी.एम.डी.आर.13(एफ.ए.)
(विषय 27(1)(ब) देखिय]

प्रथमोपचार कार्य में सक्षमता दर्शाने वाला विकिक्षा प्राप्त-पत्र (भारतीय सेवे सदस्य असोसिएशन के सदस्य द्वारा प्रदान किया जाय।)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं विवाही ने इन्हें प्रधान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आवश्यक के सदरम के हस्ताक्षर स्थान
अषु लाभमा विवाही ने इन्हें प्रधान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आवश्यक के सदरम के हस्ताक्षर स्थान

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूचि

प्रस्तुति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुति का नाम परिचालक अनुज्ञाप्ति क्रमांक	प्रस्तुति का विवरण प्रस्तुति का नाम वर्तमान पता स्थायी पता
प्रस्तुति का विवरण प्रस्तुति का नाम वर्तमान पता स्थायी पता	प्रस्तुति का विवरण प्रस्तुति का नाम वर्तमान पता स्थायी पता

फोटो
का
स्थानप्रस्तुति के
हस्ताक्षर की दूसरी प्रति का स्थान

- को परिचालकके रूप में अनुज्ञाप्त किया जाता है और उसे परिचालक का बिल्ला क्रमांक
 जारी किया गया है। यह अनुज्ञाप्ति
 तारीख
 यह अनुज्ञाप्ति तारीख से तक विधिमान्य है।
 यह अनुज्ञाप्ति एतद्वारा निम्नलिखित के लिए नवीकृत की जाती है —
 तारीख से तारीख तक
- अनुज्ञापन प्राधिकारी
- तारीख से तारीख तक
- अनुज्ञापन प्राधिकारी
- तारीख से तारीख तक
- अनुज्ञापन प्राधिकारी
- तारीख से तारीख तक
- अनुज्ञापन प्राधिकारी
- तारीख से तारीख तक

प्रथम अनुसूचि

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

तारीख	निर्वाता के आदेशों की संक्षिप्त विशिष्टियाँ	निर्वाता के आदेशों के कारणों हेतु पृष्ठांक में संक्षिप्त कारण	पृष्ठांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)
.....

प्रस्तुति के विवरण
प्रस्तुति का नाम
[नियम 28(1) देखिए]

परिचालक अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

प्रति,

मैं एतद्वारा परिचालक अनुज्ञाप्ति क्रमांक जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तारीख को मुझे जारी किया गया था और जो तारीख को समाप्त होने वाला है / समाप्त हो गया है, के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।
 मैं इसके साथ विधिमान्य प्रथमोपचार प्रमाण पत्र जो सिविल सर्वनय या जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, संलग्न करता हूँ।

मैं एतद्वारा प्रोवित करता हूँ कि किसी वीमारी या निशकता से ग्रस्त नहीं हूँ जिसके कारण मुझे मंजिली गाड़ी परिचालक के रूप में मेरे कर्तव्यों के पालन में अवरोध हो।
 मैं, एतद्वारा, रूपए निवित्त करता हूँ जो सीद क्रमांक बुक क्रमांक तारीख द्वारा संदर्भ किए गए।
 तारीख 20.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रस्तुति के विवरण
प्रस्तुति का नाम

[नियम 28(3) देखिए]

परिचालक अनुज्ञाप्ति के नवीकरण की प्रज्ञापना

प्रेषक,

अनुज्ञापन प्राधिकारी
 प्रति,
 अनुज्ञापन प्राधिकारी
 परिचालक अनुज्ञाप्ति क्रमांक तारीख जो आपके द्वारा नगम
 पिता का नाम

स्थायी पता को जारी किया गया था, मेरे द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए तारीख से तारीख तक नवीकरण किया गया है।

तारीख 20

प्रस्तुत सी.जी.एम.व्ही.आर.17 (कान.सर्ट.आर.)

[नियम 32(1) (चौदह) देखिए]

मंजिली गाड़ी के परिचालक द्वारा जारी प्रतिदाय का प्रमाण-पत्र

प्रति, परमिट धारक,
प्रमाणित किया जाता है कि श्री
पुत्र श्री निवासी ने बस क्रमांक में से तक तारीख को टिकिट क्रमांक द्वारा यात्रा प्रारंभ की है। यान के में खराब हो जाने के कारण (वह स्थान विनिर्दिष्ट किया जाए जहाँ यान खराब हुआ) आगे की यात्रा पूर्ण नहीं की जा सकी।
अतएव यात्री श्री अपूर्ण यात्रा के किराए की रकम रूपए की वापसी के हकदार हैं।

परिचालक के हस्ताक्षर

प्रस्तुत सी.जी.एम.व्ही.आर.18 (सी.एल.डी.)

[नियम 55(1) देखिए]

परिचालक अनुज्ञापि खो जाने या नष्ट होने की प्रज्ञापना
और दूसरी प्रति के लिए आवेदन-पत्र

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी
मैं
(स्थाई पता)
(वर्तमान पता) (विता का नाम) एतद्वारा
यह रिपोर्ट करता हूँ कि परिचालक अनुज्ञापि क्रमांक जो अनुज्ञापन प्राधिकारी

द्वारा तारीख 20 या उसके लाभग्रदान

किया गया था, निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गई/नष्ट हो गई है—
2. मेरे पास परिचालक विल्ला क्रमांक है जो अनुज्ञापन प्राधिकारी
द्वारा जारी किया गया है।
3. मैं एतद्वारा परिचालक अनुज्ञापि की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करता हूँ और विविध फीस रूपये द्वारा निविदत करता हूँ।
4. मैं अपने छह से.मी. × पांच से.मी. आकार के हाल ही के स्टैफोटो की दो प्रतियां संलग्न करता हूँ।

तारीख 20.....

भाग-1
परिचालक अनुज्ञापि क्रमांक जो प्रथम बार तारीख
को प्रदान की गई थी, मेरे द्वारा उसकी दूसरी प्रति आज तारीख को जारी की गई। पत्र क्रमांक तारीख में आवेदक को कारण बताते हुए आवेदन नामंजूर किया गया।
तारीख 20.....

भाग-2
(भाग 2, 3 तथा 4 भाग 1 के घृण से पृष्ठ शीर्ष पर छापे जायेंगे और मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी से भिन्न ही अन्य प्राधिकारी को आवेदन किया जाता है तब उन्होंग में लाये जायेंगे।)
अनुज्ञापन प्राधिकारी के सत्यापन हेतु तथा भाग 3 को सूर्य करने के लिए अग्रेप्ट।
तारीख 20.....

भाग-3
अनुज्ञापन प्राधिकारी को लौटाया जाता है।
फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का मेरे द्वारा मिलान मेरे अभिलेखों से किया गया।
ऐसी कोई परिचालक अनुज्ञापि इस कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रतीत नहीं होती है। मुझे इस बात का समाधान नहीं है कि आवेदक वर्णित परिचालक अनुज्ञापि का धारक है, जो इस कार्यालय द्वारा दी गई निम्नलिखित अनुज्ञापि का धारक है—

- (1) विल्ला क्रमांक
(2) परिचालक अनुज्ञापि क्रमांक
(3) जारी करने का दिनांक
(4) समाप्ति का दिनांक
तारीख 20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी को अभिलेख के लिए लौटाया गया।

परिचालक अनुज्ञित की दूसरी प्रति से द्वारा तारीख को जारी की गई और उसमें सामान्य गये कोटों की एक प्रति संलग्न है।
मैंने अपने पत्र क्रमांक तारीख द्वारा परिचालक अनुज्ञित की दूसरी प्रति नियमों के लिए आवेदन किया गया था, जारी करने से अस्वीकार कर चुका हूँ और इस पत्र की एक प्रति साथ में संलग्न है।
तारीख 20..... अनुज्ञापन प्राधिकारी
मोट — अनावश्यक अनुज्ञापन काट दें।

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर.19 (टी.सी.वी.)

[नियम 38(2) देखिए]

परिचालक बिल्ला की दूसरी प्रति के लिए आवेदन पत्र

प्रति, 20 के लिए आवेदन किया गया था जो दूसरी प्रति के लिए आवेदन किया गया था अनुज्ञापन प्राधिकारी
मैं, (पूरा नाम) स्थानीय पता
मर्तमान पता
एतद्वारा यह रिपोर्ट करता हूँ कि परिचालक बिल्ला क्रमांक जो आपके द्वारा जारी किया गया था, निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गया/नष्ट हो गया है—
(यहां पूर्णी वी जाए)

2. मेरे पास आपके द्वारा जारी की गई परिचालक अनुज्ञित क्रमांक है जो तारीख तक वैध है।
3. मैं एतद्वारा परिचालक बिल्ला की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करता हूँ और (रूपए दस) नकद/मनीआईटी/ चेक/चालान द्वारा निविदित करता हूँ।
4. मैं यह और भी पोषित करता हूँ कि मेरी परिचालक अनुज्ञित निलंबित या वापस नहीं ली गई है और वह समय व्यक्तित दो जाने से वैध नहीं रही है।
तारीख 20.... आवेदक के हस्ताक्षर
मोट — जो विकल्प लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 20 (सी.आर.टेम.ए.)

[नियम 45(1) देखिए]

अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र

- पूर्ण नाम, पिता या पति का नाम और रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने वाले व्यक्ति का पता
2. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने वाले व्यक्ति की आयु
मोट — जो विकल्प लागू नहीं हो उसे काट दें।

इन अनुचूली

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

- उस व्यक्ति का नाम व उस किससे यह पत्र लिखा गया है
 - क्य करने की तारीख
 - निर्माता का नाम
 - यान का वर्ग
 - वॉटों का प्रकार
 - विनिर्माण का वर्ष
 - सिलिंडरों की संख्या
 - अचूक शक्ति
 - निर्माता वार्गिकरण या यदि ज्ञान न हो तो चक्राधार
 - चेसिस क्रमांक
 - इंजन क्रमांक
 - बैठक क्षमता
 - बिना लदा भार
 - पूर्व का रजिस्ट्रीकरण तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक का विवरण (यदि कोई हो)
 - मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि यह यान भारत के किसी भी राज्य में रजिस्ट्रीकृत नहीं है। (अतिरिक्त विवरण मोटरकार से बिन्न केवल परिचल यान की दशा में ही पूर्ण किए जाएं)
 - बाही, बाजू, तथा सामने की ओर का / के रंग
 - वह स्थान जहां पर यान ले जाना प्रस्तावित है
 - स्वामी के उस स्थान का पता जहां पर यान ले जाना प्रस्तावित है
 - केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रलेप 21 में विक्रय का प्रमाण पत्र
 - मैंने फीस के रूपए रसीद क्रमांक बुक क्रमांक
कोषालय चालान क्रमांक तारीख द्वारा संदर्भ
कर दिए हैं।
- तारीख 20....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर.21 (सी.आर.टेम.)

[नियम 45(3) देखिए]

अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

अस्थाई रजिस्ट्रीकरण विवर

- स्वामी का नाम
- पिता/ पति का नाम
- और पता
1. यान का वर्ग यान का वर्ग
2. निर्माता का नाम
3. वॉटों का प्रकार
4. बैठक क्षमता
5. रंग

6. इंजिन नम्बर	
7. चेसिस नम्बर	
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 43 के उपबंधों के अधीन ऊर्जित यान का मेरे द्वारा अस्थायी रजिस्ट्रीकरण किया गया और वह रजिस्ट्रीकरण 20..... की तारीख तक वैध रहेगा। मोटरयान कर संदर्भ किए जाने का विवरण एकम रसीद क्रमांक बुक क्रमांक कोपालय चालान क्रमांक तारीख 20.....	
	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम

प्रस्तुति सी.जी.एम.व्ही.आर. 22 (सी.एफ.ए.)

[नियम 48(2) देखिए]

उपयुक्ता प्रमाण-पत्र स्वीकृत/ नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी / प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन

मैं, एतद्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 56 द्वारा अपेक्षित उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने/ नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ—
यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह स्वामी का नाम वह स्थान जहां यान साधारणतया रखा जाता है यान निर्माता का नाम निर्माण भांडल यदि न मालूम हो तो चक्राधार रजिस्ट्रीकरण की तारीख यान का प्रकार इंजन नम्बर चेसिस नम्बर यान के संबंध में पूर्व में स्वीकृत किए गए उपयुक्ता प्रमाण-पत्र का विवरण।
प्राधिकारी जिसके द्वारा स्वीकृत किया गया प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्ति की तारीख वैधता समाप्ति के कारण उपयुक्ता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने के कारण फीस की रकम रूपये रसीद क्रमांक बुक क्रमांक कोपालय चालान क्रमांक तारीख द्वारा संदर्भ की गई है — मैं, केन्द्रीय नियम के नियम 73 द्वारा अपेक्षित कर अनापति प्रमाण-पत्र और द्वारा जारी से तक वैधता का बीमा प्रमाण पत्र क्रमांक भी इसके साथ संलग्न करता हूँ। तारीख 20.....
आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

जो श्री के नाम से रजिस्ट्रीकृत है, से संबंधित समस्त कर का तक तथा (6) के अधीन कई शमन छीस बकाया नहीं है।

स्थान तारीख 20.....

प्रादेशिक परिवद अधिकारी

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विसका पिछला नवीकरण द्वारा तारीख 20..... तक यान का उपयोग किया जाना प्राधिकृत करता है, परन्तु

वह यान यथागत्य सम्भव उस प्राधिकारी के क्षेत्र में ले जाय जाए, जिसके द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है। परन्तु यह भी कि जब यान इस प्राधिकार के अधीन चलाया जाय, तब वह —

(क) चालक को छोड़ से अधिक व्यक्तियों को नहीं ले जाए।

(ख) कोई माल नहीं ढोएगा।

(ग) कि, मीटर प्रति घण्टे से अधिक गति पर नहीं चलाया जाएगा।

तारीख 20..... के दिन।

मोटरयान निरीक्षक के हस्ताक्षर
और अधिकारिता

(1) यहां यान का संशोध विवरण लिखिए।

(2) आवश्यकता न हो तो काट दीजिए।

प्रति,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

मैंने आज दिनांक को मोटरयान क्रमांक को

(क्रम) में ले जाने के लिए अस्थायी रूप से उपयोग हेतु प्रस्तुत किया है।

यह जारी किया गया सी.एफ.स.स. तारीख तक वैध है।

मोटरयान निरीक्षक के हस्ताक्षर
और अधिकारिता

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रधान सचिव द्वारा, एय.व्ही.आर. 25 (एम.ब्ही.इन्स)
[नियम 48(4) देखें]परिवहन यान की निरीक्षण रिपोर्ट
रजिस्ट्रेशन क्रमांक

भाग - एक

साधारण

- टिप्पणी — निरीक्षण रिपोर्ट में उपयुक्तता प्रमाण पत्र को मंजूर/नवीकरण या नामंजूर करते समय निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा भारा जाएगा।
- निरीक्षण करने वाले अधिकारी/प्रधिकृत परीक्षण स्टेशन का नाम तथा पद
 - निरीक्षण की तारीख
 - निरीक्षण का स्थान
 - अंतिम उपयुक्तता प्रमाण पत्र से तक के द्वारा जारी किया गया।
 - उपयुक्तता प्रमाण पत्र के मंजूर/नवीकरण के लिए फीस रूपए नकद रसीद/कोषालय चालान क्रमांक तारीख से संदर्भ किये गये (सबूत संलग्न किया जाए)

भाग - दो

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विशिष्टियों का सत्यापन

- टिप्पणी — यान की वातावरिक दशा का सत्यापन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अंकित विशिष्टियों के साथ करने के पश्चात घृणी भरे जाएंगे।
- रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम तथा पता
 - रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, वर्ष तथा यान का प्रकार
 - मेक, मॉडल व बॉडी का प्रकार (केब, बर, ट्रक, डिलेवरी वेन, टेकर, केब आदि)
 - मूल रजिस्ट्रीकरण की तारीख
 - चेसिस क्रमांक
 - इंजन क्रमांक
 - चक्राधार
 - बैठक क्षमता
 - जी.व्ही.डब्ल्यू.
 - यू.एल.डब्ल्यू.
 - दायरों की संख्या तथा आकार —

संख्या

आकार

- आगे की धुरी
पिछली धुरी
कोई अन्य धुरी
12. निरीक्षण करने वाले अधिकारी की टिप्पणी

प्रधान अनुसूची

प्रधान अनुसूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

भाग-तीन

चलू अधिकृत

- टिप्पणी — संबंधित घारा से संबद्ध दस्तावेजों के संदर्भ में घृणी भरे जाएंगे।
- अनुज्ञा पत्र क्रमांक (यदि कोई हो) विधि मान्यता
 - बीमा प्रमाण पत्र क्रमांक जारी करने वाला प्राधिकारी जो तक विधिमान्यता के जारी किया गया।
 - कर अनापति प्रमाण पत्र/कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र क्रमांक तारीख जो के द्वारा जारी किया गया।
 - मोटर यान कर तक का आर.टी.ओ. को संदर्भ किया गया।
 - करों के ज्ञापित शोध्य/शास्ति/ब्याज या धारा 86 का लंबित मामला
 - टैक्सी मीटर की मुद्रा लागाने संबंधी सहायक नियंत्रक, नाम तथा तोत का प्रमाण पत्र क्रमांक तारीख से प्राप्त किया गया।
 - निरीक्षण करने वाले अधिकारी का रिपोर्ट

भाग-चार

महत्वपूर्ण यूनिट तथा प्रणालियों की स्थिति

टिप्पणी — दशा अंकित कीजिए, जैसे संतोषजनक या त्रुटिपूर्ण। यदि दशा त्रुटिपूर्ण है तो संक्षेप में त्रुटि अंकित कीजिए।

- सामने की धुरी, स्थिंग तथा स्टेरिंग-किंगपिन बुरेज, बियरिंग, ब्लील एलिजिमेंट टर्निंग सर्किल, ब्लील प्री मुब्हमेंट, जाइएस, पू. वोल्स सहित तथा यूटिट की अन्य मद्दें
- प्लूल तथा इलेक्ट्रिक प्रणाली-प्लूल लाइन के काम करने सहित, लेप्स, इलेक्ट्रिक हार्न, आज्ञापक सिसेलिंग डिवाइज तथा अन्य मद्दें
- इंजन का काम करना-क्लच, गेयर्स, प्रोपेलर शाप्ट, एक्सार्ट प्रणाली, डीफोर्सियल, यू-जार्ड्नस ट्रान्समिशन प्रणाली सहित
- चेसिस फ्रेम, पीछे की धुरी, पीछे का स्लिंग-पिन, क्लेम, यू-बोल्ट, बुरेस तथा अन्य संबंधित मद्दों सहित
- बॉडी पेन्ट वर्क, सेपटी म्लासेस, विंग स्क्रीन तथा चेसिस पर स्थापित बॉडी/फ्रेम के साथ रेटिंग, टिल्ट और बॉडी के कास्ट टेनिंग के संदर्भ में विशिष्टियां इत्यादि सहित
- ब्लील तथा टायर-ब्रेक के काम करने की प्रणाली सहित तथा अन्य संबद्ध यूटिट
- अनिवार्य तथा आपात उपस्कर-बल्ब हार्न, हवा रोक शीरा पोंछने का यंत्र (विण्ड स्क्रीन वाइपर), पीछे देखने का दर्पण (रेआर व्यू मिर) गतिमापक यंत्र, औजार की पेटी, सेपर ब्लील, माल वाहक (लोजेर केरियर) तारपोलीन, टैक्सीमीटर, प्रथमोपचार पेटी, रुट बोर्ड सहित तथा अन्य मद्दें

भाग - पांच

माप तथा प्रदर्शन

टिप्पणी — भौतिक माप व्यौर्द्ध प्रविष्ट किए जाएंगे। यान के बोर्ड के माप को दर्शाने वाले नवरो का केवल भी संलग्न किया जाएं।

- पी.एस.व्ही. के मामले में मोटर कैब से भिन्न, नवशे का स्केच जो बैठक व्यवस्था भी दर्शाता हो, तथा बॉडी के भीतर के विभिन्न माप नवशे का स्केच पूरा होने पर इसे निरीक्षण अधिकारी और स्वामी के प्रतिनिधि द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- बोर्ड का माप —**
 - (क) सम्पूर्ण लम्बाई से.मी.
 - (ख) सम्पूर्ण चौड़ाई से.मी.
 - (ग) सम्पूर्ण ऊँचाई से.मी.
 - (घ) पृथक् चालक केबिन का आकार वर्ग से.मी.
 - (ङ) माल यान में उपलब्ध लदाइ प्लेटफार्म का आकार वर्ग से.मी.
 - (च) टेन्कर की टंकी का आकार —
 - (1) टंकी का चास से.मी.
 - (2) टंकी की लम्बाई से.मी.
 - (3) टंकी की क्षमता से.मी.
 - मोटर कैब से भिन्न पी.एस.व्ही. में —**
 - (क) फर्श की कुल जगह वर्ग से.मी.
 - (ख) चालक की सीट के लिए जगह वर्ग से.मी.
 - (ग) इंजिन से समविष्ट जगह वर्ग से.मी.
 - (घ) गेजवे का आकार से.मी. × से.मी.
 - (ङ) सामने के दरवाजे के लिए खाली जगह से.मी. × = वर्ग से.मी.
 - (च) पिछले दरवाजे के लिए खाली जगह से.मी. × = वर्ग से.मी.
 - (छ) यात्रियों के बैठने के स्थान के लिए उपलब्ध फर्श की जगह वर्ग से.मी.
 - (ज) यान में दिए गए बैठने के स्थानों की संख्या तथा आकार —

संख्या	बैठने के प्रयोक्ता	बैठने के कुल स्थान का आकार
(एक)	एकल बैठने का स्थान
(दो)	दो के बैठने का स्थान
(तीन)	एक पंक्ति में तीन के बैठने का स्थान
(चार)	एक पंक्ति में चार के बैठने का स्थान
 - (झ) यात्रियों के बैठने के स्थानों की संख्या जो उपलब्ध फर्श की जगह के अनुसार लगाए जाएंगे "हाँ" या "नहीं" में स्थिति बताइए —
 - (क) रजिस्ट्रीकरण विन्ह, उचित रूप से प्रदर्शित किया गया है

प्रथम अनुसूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

131

- (छ) अनिवार्य विशिष्टियों को बॉडी के बोर्ड और संदर्भित किया गया है
 (ग) खतरनाक या परिसंकटमय माल का पीरवाहन करने के लिए प्रयुक्त माल यान पर केन्द्रीय नियम के नियम 134 के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित वर्ग लेवल तथा आपात सूचना पैनल चिह्नित हैं
 (घ) मोटर कैब से भिन्न पी.एस.व्ही. में उचित रूप से आपात दरवाजा दिया गया है
 (ङ) टेक्सी सुधेदक विह उचित रूप से प्रदर्शित है
 (च) विनिर्देश किए गए अनुसार प्रथमोपचार देंटी है
 (छ) उचित रूप से स्वच्छता रखी गयी है
 (ज) किसी भी टिप्पणी, विचार या वृटि का स्थृत उल्लेख (संबोध में सभी त्रुटियां दीजिए)
 4. भाग - छह
 मंजूरी/नामंजूरी आदेश

1. उपर्युक्त त्रुटियों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का यान द्वारा पालन नहीं किया है जिसके कारण जारी/नवीकरण किया गया उपर्युक्तता का प्रमाण पर नामंजूर किया जाता है।
 2. चूंकि यान ने मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का पालन किया है अतः जारी/नवीकरण उपर्युक्तता प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज तारीख से तक की कालावधि के लिए स्वीकृत किया जाता है।
 स्थान
 तारीख
 (निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन)

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 26 (डी.एफ.सी.आर.)

(नियम 49(1)(क) देखिए)

तारीखवार उपर्युक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने और जांच पड़ताल करने का रजिस्टर

अनुक्रमांक	तारीख	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	संदर्भ फीस और स्पीद क्रमांक	विधिमन्यता से तक	निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम			हस्ताक्षर
						(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 27 (व्ही.एफ.सी.आर.)

[नियम 49(1)(4) देखिए]

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने का यानवार रजिस्टर

यान क्रमांक

यान का प्रकार

अनुक्रमांक	आवेदन की तारीख	संदर्भ की संख्या		निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम	मंजूर करने वाले अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर	विधिमान्यता	
		संख्या	रजीद क्रमांक			से	तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 28 (एफ.सी.एस.)

[नियम 49(2) देखिए]

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने की मासिक रिपोर्ट

मास	कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	मंजूर उपयुक्तता प्रमाण-पत्रों की संख्या	खारिज उपयुक्तता प्रमाण-पत्रों की संख्या

आर.टी.ओ./अति.आर.टी.ओ.

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 29 (सी.एफ.सी.)

[नियम 50(2) देखिए]

कारण बताते हुए उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के रद्दकरण की सूचना
कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

(छ.ग.)

क्रमांक तारीख
प्रति,

अतः मेरा समाधान हो गया है कि आपका मोटरयान क्रमांक नीचे वर्णित यांत्रिक त्रुटियों के कारण केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है। मैं एतद्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 की पारा 56(4) के अनुसरण में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, ऐसे समय तक के लिए रद्द करता हूँ, जब तक कि वह (यान) मरम्मत न हो जाए और इस कार्यालय द्वारा यांत्रिकी दृष्टि से उपयुक्त न मान्य कर लिया जाए।

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

कृपया स्मरण रहे कि इस यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और प्रदान किया गया कोई अनुशासन भी उस समय तक निलंबित समझा जाएगा जब तक कि नवीन उपयुक्तता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त नहीं कर दिया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी (छ.ग.)

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 30 (सी.एफ.एस.)

[नियम 50(3) देखिए]

मोटरयान हटाने के लिए अस्थायी प्राप्तिकार जब उपयुक्तता प्रमाण-पत्र रद्द किया जा सकता हो

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
मेंक तथा मॉडल

यान का प्रकार

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र क्रमांक द्वारा जारी द्वारा पिछली बार नवीकरण किया गया।

निरीक्षण की तारीख

स्थानी का नाम तथा पता

मेरे मत में ऊर वर्णित यान, निम्नलिखित त्रुटियों के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय सत, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 और छ.ग. मोटरयान नियम, 1994 के उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है,

अतएव मैंने उपयुक्तता प्रमाण-पत्र परिवर्द्ध कर लिया है। यान नुनः निरीक्षण के लिए

के पर या प्रादेशिक परिवहन प्राप्तिकारी के कार्यालय में तारीख पर या तारीख से पहले देख किया जाए। यान मरम्मत के लिए

..... स्थान तक और तत्पश्चात तक चलाया जा सकेगा। उसको

किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति पर नहीं चलाया जाएगा। उसमें कोई यारी और माल नहीं ले जाया जा सकेगा। विशेष कारणों से किलो भार (माल) स्थान तक ले जाया जा सकता है।

तारीख प्राप्तिकारी के हस्ताक्षर तथा पता

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 31 (सी.एफ.ए.डी.)

[नियम 51(1) देखिए]

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने की प्रस्तावना और खो गए/नष्ट हुए/

फटे हुए/विरूपित हुए प्रमाण-पत्र के स्थान पर उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

रजिस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी/प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन मेरा

मोटरयान जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह है, कि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र निम्नलिखित

परीक्षितियों में खो गया/नष्ट हो गया/फट गया/विरूपित हो गया

मैं, एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है उक्त उपयुक्तता प्रमाण-पत्र अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन न तो निलंबित किया गया है या न ही रद्द किया गया है और मैंने साथ में फीस के रूपए रसीद क्रमांक बुक क्रमांक तारीख द्वारा जमा कर दिये हैं तथा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करता हूँ।

पता
तारीख
.....

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 32 (सी.आर.टी.आय.)

[नियम 54(2) देखिए]

मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को मोटरयान के स्वामित्व अन्तरण की संसूचना देना
क्रमांक तारीख
प्रेषक :

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
प्रति,
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
आपके द्वारा
(अंतरक) के नाम पर रजिस्ट्रीकृत मोटरयान क्रमांक तारीख माह
..... 20.... से श्री (अंतरिती)
आम्बज/आम्बजा/पत्नी निवासी
के नाम पर अंतरित किया गया।

अवक्रय करार*/पट्टा/*आडमान के दूसरे पक्ष ने अंतरण को सम्मति दी है तथा अंतरिती के साथ अवक्रय*/पट्टा/*आडमान का करार किया है और अंतरिती को अवक्रय कर्ता, पट्टादार या बंधकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। के नाम पर अवक्रय*/पट्टा/*आडमान के समस्त पृष्ठांक के प्रभाव से रद्द किये जाते हैं।
*जो लागू न हो उसे काट दें।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
..... (छ.ग.)

प्रतिलिपि —

1. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी (जिसने स्वामित्व के पिछले अंतरण को अभिलिखित/अवक्रय करार पृष्ठांकित किया था) को सूचनार्थ अग्रेप्ति।
2. श्री मेसर्स (अवक्रयकर्ता/पट्टा इत्यादि पक्षकार) को सूचनार्थ अग्रेप्ति।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
..... (छ.ग.)

[नियम 55(3) देखिए]
नवीन रजिस्ट्रीकरण नियम समनुदेशित करने और मूल प्राधिकारी
से अभिलेख बुलायाने की प्रज्ञापना

क्रमांक

प्रेषक :

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी (छ.ग.)
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी (छ.ग.)

मोटरयान जिसका आपके द्वारा समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह है तथा
विशिष्टियाँ निमानुसार हैं इस राज्य में तारीख में लाया और रखा गया है —
(1) इंजन क्रमांक (2) चेसिस क्रमांक
(3) बाड़ी का प्रकार (4) यान का वर्ग
(5) निर्माता का नाम (6) विनिर्माण का वर्ग
(7) अवक्रय करार के साथ इस (इस यान को) मोटरयान अधिनियम, 1988 की
धारा 47 के अनुसार इस कार्यालय से नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस बात को नोट करें और यान का रजिस्ट्रीकरण अभिलेख या उसकी
प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को उक्त यान के चेसिस इम्प्रेशन (चेसिस इम्प्रेशन) की फोटोकापी के साथ अग्रेप्ति
करें।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
..... (छ.ग.)

प्रतिलिपि —

1. श्री/मेसर्स (अवक्रय करार/ आडमान के अन्य पक्ष जैसे वित्तीयों) की ओर सूचनार्थ अग्रेप्ति।
2. कर शाखा प्रभारी की ओर सूचनार्थ तथा अभिलेख हेतु अग्रेप्ति।
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी (छ.ग.)

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 34 (बी.टी.आय.)

[नियम 59(1) देखिए]
मोटरयान में परिवर्तन के संबंध में सूचना

प्रति,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का स्वामी,
में, मोटरयान क्रमांक एतद्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 52(1) के अधीन
निवासी अपको सूचित करता हूँ कि मैं उक्त यान में निमानुसार परिवर्तन करने का इच्छुक हूँ—

1.
2.

सतीशगढ़ कार्यालय के उपर्योग के लिए	
कार्यालय प्रबंधिकारी	(उपर्योग)
कार्यालय प्रबंधिकारी	(उपर्योग)

कार्यालय
प्रबंधिकारी

मोटरवाहन विधिविधान, 1988 की घास 52 (2) के अन्तर्गत मोटरवाहन क्रमांक में
मिमानुसार परिवहन करने के लिए अनुमति दिया जाता है/ नहीं दिया जाता है —

1.
2.
3.
.....	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
.....	(उपर्योग)

प्रख्य सी.जी.एम.डी.आर. 35 (एम.डी.टी.)

[विधाय 60(1) लेखिय]

राज्य परिवहन, प्राधिकारी, सतीशगढ़ को मोटरवाहन की ओरी की प्रक्षापना
कार्यालय राज्य परिवहन प्राधिकारी, सतीशगढ़, रायपुर
तारीख.....

प्रेषक,
भावा प्राधिकारी, पुलिस भावा,
जिला (उपर्योग)

प्रति,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकारी,
सतीशगढ़, रायपुर
एतदासा यह सूचित दिया जाता है कि श्री/श्रीमती ने रिसर्ट
की है कि उसका दोषाशय तारीख को स्थान से
चोरी चला गया है। इस आशय की एक शिकायत श्री/आर. क्रमांक के अधीन इस
पुलिस द्वारा दें रजिस्ट्रीकृत की गई है। मोटरवाहन का निम्नानुसार है —

1.	मोटरवाहन क्रमांक का नाम (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय का नाम)
2.	रजिस्ट्रीकृत स्थानी का नाम
3.	रजिस्ट्रीकृत स्थानी का नाम

1.	डेक
2.	बौद्धिन
3.	नेविगेशन क्रमांक
4.	इंजिन क्रमांक
5.	संग
6.	दाम का अन्य कोई रहस्य विद्या
7.	मानुषन राज्य के समस्त रजिस्ट्रीकृत गोपनीयों से सूचित करने की पार्श्वता है।
8.	प्राप्ति, पुलिस भावा
9.	प्राप्ति, पुलिस भावा

प्रख्य सी.जी.एम.डी.आर. 36 (एम.डी.टी.आर.)
[विधाय 60(2) लेखिय]
राज्य के समस्त रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारियों को मोटरवाहन की ओरी की प्रक्षापना
कार्यालय राज्य परिवहन प्राधिकारी, सतीशगढ़, रायपुर
तारीख.....

इंजिन क्रमांक.....
प्रति,
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

पुलिस भावा, द्वारा यह सूचित दिया गया है कि निम्नलिखित वर्णन
का मोटरवाहन तारीख को स्थान से चोरी चला गया है। इस आशय की एक
शिकायत क्रमांक पर रजिस्ट्रीकृत की गई है। आपसे निवेदन है कि मोटरवाहन पर सतके
शिरानी रखने के लिए कार्यालयिक कर्मचारीकून दो मनुषेश दें और बद्रीपड़ी दायी जाएं, तो उसे निष्क्रिय करें या
यह का कब्जा रखने वाले व्यक्ति के साथ निकटतम पुलिस थाने को उसे दौप दें तथा इस विषय में इस कार्यालय
को रिसोर्ट दें। स्वामित्व के अन्तरण के लिए मोटरवाहन आपके पास लाये जाने की दशा में, यह का किसी अन्य
के नाम अन्तरण नहीं करें और पुलिस प्राधिकारियों को मूलत करें तथा यह को निष्क्रिय करें।

मोटरवाहन का व्योग निम्नानुसार है —

1.	मोटरवाहन क्रमांक
2.	रजिस्ट्रीकृत स्थानी का नाम
3.	रजिस्ट्रीकृत स्थानी का नाम
4.	मेक
5.	माडल
6.	चेसिस क्रमांक
7.	इंजिन क्रमांक
8.	संग
9.	कोई अन्य पहचान विद्या

प्रति,
राज्य परिवहन प्राधिकारी, सतीशगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

क्रमांक.....	कार्यालय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तारीख.....
प्रतिलिपि	की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारी	
	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	(छ.ग.)
क्रमांक.....	की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारी	तारीख.....

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 37 (एम.व्ही.टी.रजि.टी.)

[नियम 60(3) देखिए]

राज्य परिवहन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ के कार्यालय द्वारा
रखा जाने वाला चोरी गए यानों का रजिस्टर

अनु- क्रमांक	मोटरयान क्रमांक	मेक क्रमांक	माडल क्रमांक	चेसिस क्रमांक	इंजन क्रमांक	रंग का नाम	स्वामी जहां से सूचना प्राप्त हुई	पुलिस थाना	संदर्भ क्रमांक	रजिस्ट्री- करण तथा तारीख को सूचनातो प्राप्त देने की तारीख	यदि खोज ली गई है	अन्य कोई विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर.38 (एम.व्ही.टी.रजि. (आर.))

[नियम 60(4) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रखा जाने वाला चोरी गए यानों का रजिस्टर

अनु- क्रमांक	मोटरयान क्रमांक	मेक क्रमांक	माडल क्रमांक	चेसिस क्रमांक	इंजन क्रमांक	रंग का नाम	स्वामी जहां से सूचना प्राप्त हुई	पुलिस थाना	संदर्भ क्रमांक	रजिस्ट्री- करण तथा तारीख तो प्राप्त सूचना के ब्यौरे	यदि खोज ली गई है	अन्य कोई विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 39 (एम.व्ही.टी.आर.)

[नियम 60(5) देखिए]

खोज ली गयी मोटरयान की संबंधित पुलिस थाने द्वारा प्रज्ञापना

क्रमांक..... तारीख.....
प्रति, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी,

छत्तीसगढ़, रायपुर

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि मोटरयान क्रमांक जो तारीख को चोरी चला गया था और जिसकी सूचना संदर्भ क्रमांक के अधीन सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी को तारीख को दी गई थी, तारीख को खोज लिया गया है। इस विषय के तुक आउट नोटिस को रद्द करने का आपसे निवेदन है।

प्रभारी पुलिस थाना प्रभारी पुलिस थाना

प्रतिलिपि — प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारी है।

प्रभारी

पुलिस थाना

प्रस्तुप सी.जी.एम.व्ही.आर. 40-41 (आर.पी.ए.डी.)

[नियम 65(8) (क) तथा (ख) देखिए]

अनुज्ञापन के लंबित आवेदन-पत्र और उनके निराकरण की विवरणी
कार्यालय मास वर्ष.....

अनु. क्र.	आवेदन पत्र जिसके लिए दिया गया है	वर्ग									
		मंजिली गाड़ी	ठेका गाड़ी	माल यान	टैक्सी कैब	ऑटो रिक्षा	टैम्पो	प्रिमी बस	सिटी बस	राष्ट्रीय माल यान	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		

1. मास के प्रारम्भ में अनुज्ञापन मंजूर करने हेतु लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
2. मास में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
3. मास में निराकरण किए गए आवेदन पत्रों की संख्या
4. आवेदन पत्र जिन पर अनुज्ञा पत्र मंजूर किए गए
5. आवेदन-पत्र जो नामंजूर किए गए

6. मास के अंत में लैवित आवेदन-पत्रों की संख्या.....
7. मास में भूर अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों की संख्या जो नवीनीकण/लैवित होने के आधार पर अस्थायी है से दिए गए.....
8. ऐसे यान/मार्गों की संख्या जो छह मास से अधिक अवधि से अस्थायी अनुज्ञा-पत्र मंजूरी (नवीनीकण लैवित) के आधार पर चल रहे हैं.....

सचिव,
राज्य/प्रदेशिक परिवहन प्रधिकारी,
छत्तीसगढ़, रायगढ़

प्रथम सी. जी. एम. बड़ी. आर. 42 (एस. सी. पी. ए.)

नियम 72(1) (क) देखिए।

मंजिली गाड़ी/आविक्षित मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापन के लिए मंजूरी/

नवीकरण/प्रतिहस्ताकार के संबंध में आवेदन पत्र

प्रति,

प्रदेशिक / राज्य परिवहन प्रधिकारी,

(छ.ग.)

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 70 और 71 के उपक्रमों के अनुसार ऐ/ए अधोव्यवस्थाकर्ता, एलट्राय, अधिनियम की धारा 66 के अधीन नीचे दराएं एवं अनुसार मंजिली गाड़ी/आविक्षित मंजिली गाड़ी के संबंध में अनुज्ञापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है/करते हैं —

1. पूरा नाम
2. पिता का नाम (व्यक्तिगत होने की दशा में)
3. पूरा पता
4. मकान क्रमांक
5. तहसील
6. टेलीफोन क्रमांक

क्या आवेदक—

- (एक) अनुप्रवित जाति / अनुमूलित जनजाति का है
- (दो) भूतावृत्त सेविक है
- (तीन) शिक्षित बोरोजार है
- (चार) स्वतंत्रता संग्राम सेविक है
5. मार्ग या मार्ग अस्थाया क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञापन चाहा गया है (मार्ग के दोनों सिरों के मध्य पड़ने वाले प्रक्रमों को दर्शाते हुए मार्ग का छोड़कित नक्का)
6. फोटो की संख्या
7. मार्ग की दूरी पक्का कठ्ठा..... (सचूत संलग्न करें)
8. आवेदित मार्ग प्रवालित किए जाने के लिए प्रस्तावित यान के ब्यारी —
यान क्रमांक माडल मेक वैटरक
अस्त्रा

9. प्रक्रमवार प्रस्तावित समय मार्गी।

10. मार्ग, जिसके लिए आवेदन फिराया गया, पर सेवा कराए जाने वाले यानों की संख्या

(मंजिली गाड़ी अनुज्ञापन के लिए अवेदन पत्र होने की व्यवस्था के उपर्युक्त

सेवे यान/मार्गों की संख्या जो छह मास से अधिक अवधि से अस्थायी अनुज्ञा-पत्र मंजूरी (नवीनीकण लैवित) के आधार पर चल रहे हैं।

11. आविक्षित मंजिली गाड़ी अनुज्ञापन के लिए अवेदन पत्र होने की दशा में लागू—

यान क्रमांक	मांडल तथा बैठक	वार्षिकारण	मंजिली गाड़ी अनुज्ञापनों के ब्यारे	सेवा का दिमागी
	मेक	शमता	सापाण/एक्सप्रेस/डीलक्स	वार्षिकारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(6) (7) (8) (9)

(छ) आवेदक द्वारा पूर्व से घासित आविक्षित मंजिली गाड़ी अनुज्ञापनों के ब्यारी—

अनुक्रमांक	आविक्षित मंजिली गाड़ी अनुज्ञापन क्र.	विधिमान्यता यान क्रमांक	मेक तथा माडल	सेवा का वैटक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6) (7)

मंजिली गाड़ी अनुज्ञापनों के ब्यारे जिस पर कालम 4 में वर्णित यान आविक्षित मंजिली गाड़ी के लक्ष में उल्लंघन के द्वारा अविक्षित है—

- (क) यानों के आवासन, अनुसुन्धान तथा मस्तक के लिए—
- (ख) यात्रियों के आवास तथा मुख्य के लिए—
- (ग) सामान के भारदारण व सुरक्षित अधिकारा के लिए—
- (घ) सामान के भारदारण व सुरक्षित ग्राहिकारी द्वारा चाही रहे हो—

13. कोई अन्य जानकारी जो प्रावेशिक परिवहन प्राविकारी द्वारा चाही रहे हो—

प्रथम अनुच्छेद

कठीनाकृ शोर शन नियम, 1994

प्रथम अनुच्छेद

(क) या प्रत्यावित मार्ग किसी अधिकृत रूपमें संसाचित है, यदि ऐसा है तो किसी अधिकृत स्थलमें समाचित मार्ग का धारा, यदि ऐसा है तो विनियोग स्थिम ब्राह्मांक, अतिव्यापी समाचित भाग विनियोगमें दृष्टि के साथ।

(ख) अन्य अवस्थाएँ —

(एक)
(दो)
(तीन)

14. सर्विकरण का आवेदन होने की दशा में दी जाने वाली विशिष्टियाँ —

(एक) अनुज्ञापन क्रामांक
(दो) वैपता तारीख
(तीन) मार्ग/क्रम
(चार) कोरे
(पांच) अनुज्ञापन में समाचित वार का ब्याग —

(क) यान क्रामांक
(ख) यान का प्रकार
(ग) मूल विनियोगक्रान्ति की तारीख
(घ) विनियोग का वर्ग
(इ) एक तथा मॉडल
(च) वैटक क्षमता

(छ) स्वीकृतमय सारणी
(सात) या आवेदक दिवालिया घोषित हो चुका है या आवेदन पत्र पर विचार करने की तारीख से 30 दिन तक इसके संदर्भ के लिए डिज्नी से अंतर्गत रहा है।

(आठ) क्षमा आवेदक आवेदन-पत्र पर विचार करने से 15 दिन तक नियन्त्रित भौमि भी अपाय के कारण जो आवेदक हासा मंजिली गाड़ी सेवा प्रवालन के कारण हुआ है, 12 मास के भीतर दो बार दोहित विकास जा चुका है, अथवा —

(एक) किसी यान को चलाने से —
(दो) ऐसे यान पर शोध कर का चलाना रोक देने से।

(तीन) एसें यान पर शोध कर का संदर्भ नहीं करने से।

(चार) ऐसे यान को चलाने के लिए अनुबंध कालावधि के द्वारा संदर्भ नहीं करते

और तत्त्वावधार ऐसे यान को चलाना रोक देने से।

(पांच) किसी अप्राविष्कृत मार्ग पर।

(छार) अप्राविष्कृत भौमि पर।

15. आवेदक द्वारा पारित या उसके द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम से यानी समस्त मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापनों और किसी भी कम्पनी विस्का आवेदक एक नियशक है, के द्वारा धारित अनुज्ञापनों की विशिष्टियाँ —

द्वितीय अनुच्छेद

विविध योग शन नियम, 1994

143

अनुज्ञापन क्रमांक अनुज्ञापन क्रमांक अनुज्ञापन धारा अनुज्ञापन की विविधता वैतिहासिक दृष्टि के लिए अनुच्छेद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मेक तथा मॉडल वैटक क्षमता	(8)	(9)	सेवा का वर्गीकरण	(10)	दिनांकी	

16. केवल उस दशा में लागू होगा जब अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्तानकालीन वारे की अपेक्षा के लिए अनुज्ञापन का आवेदन किया हो —

(क) अनुज्ञापन क्रमांक

(ख) विधिमाला

(ग) वैतिहासिक क्रमांक

(घ) वीच में पड़े वाले मार्ग साहित यानी

(ज) मूल मंजिली द्वारे प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत माय-मार्गी

(झ) मूल मंजिली द्वारे प्राधिकारी के पांची/विविध आवेदक की प्राधिकारी

(क्र) प्रतिलिपि संस्थान को

(ल) प्रतिहस्तानकालीन वाले प्राधिकारी के वेज में आने वाले मान के यान का ब्याग

(म) मार्ग की दूरी

(न) प्रतिलिपि संस्थान के वेज में दूरी

(दो) मूल मंजिली द्वारे वाले प्राधिकारी के वेज में दूरी

(तीन) प्रतिहस्तानकालीन वाले प्राधिकारी के वेज में दूरी

(च) वीच में पड़े वाले स्थान को दर्शाते हुए पूर्ण मार्ग का नकाश संलग्न करे

(एक) कुल दूरी

(दो) प्रतिलिपि संस्थान के वेज में दूरी

(तीन) प्रतिहस्तानकालीन वाले प्राधिकारी के वेज में दूरी

(च) वीच में पड़े वाले स्थान से सफरत है फिर वे मुझे जाते हैं

(एक) एतदद्वारा, वाचित करता है कि उपर्युक्त क्रम सत्य है और स्थ वात से सफरत है

(दो) एसें यान को चलाने से सौभाग्य की वाली करता है।

(तीन) एक वार्षिक भौमि अनुज्ञापन की शर्तों के भाग के बहुमैं होता है।

(चार) अप्राविष्कृत मार्ग पर।

(छार) अप्राविष्कृत भौमि पर।

17. आवेदक द्वारा पारित या उसके द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम से यानी समस्त मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापनों और किसी भी कम्पनी विस्का आवेदक एक नियशक है, के द्वारा धारित अनुज्ञापनों की विशिष्टियाँ —

(परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय की पूर्ति के लिए)

1. आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख

2. फीस की रकम रहा

तारीख

से प्राप्त हुई ।

3. कार्यालय सूचना पट्ट पर सार के प्रकाशन की तारीख
 4. अंतिम सुनवाई की तारीख
 5. प्रकरण क्रमांक में जारी किया गया आदेश तारीख
 एस.टी.ए./आर.टी.ए. के द्वारा मंजूर किया गया/उपान्तरित रूप में मंजूर किया गया/खालि
 किया गया।
 6. संसूचना रजिस्ट्रीकृत पत्र क्रमांक तारीख द्वारा भेजी गई।
 7. अनुज्ञापत्र क्रमांक तारीख को जारी किया गया
 और तक विधिमान्यता दी गई।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र का निराकरण तथा जारी किए गए अनुज्ञापत्र के ब्यौरे क्रमशः
 आवेदन पत्र रजिस्टर तथा अनुज्ञापत्र रजिस्टर में नोट कर लिए गए हैं।

सचिव,
 राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी
 (छ.ग.)

प्रस्तुप सी.जी.एम.बी.आर. 43 (सी.सी.पी.ए.)

[नियम 72(1)(ख) देखिए]

ठेका गाड़ी के नियमित रूप से उपयोग करने के संबंध में अनुज्ञापत्र

की मंजूरी/नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र^(टेस्सी कार/आटो रिक्शा/ठेका गाड़ी ओमनी बस/मेक्सी कैब/तिपहिया टैम्पो)

प्रति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73 तथा 74 के उपर्योग के अनुसार में, अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतद्वारा अधिनियम की धारा 66 के अधीन नीचे दर्शाए अनुसार ठेका गाड़ी के संबंध में अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करता हूँ—

1. आवेदक/*कम्पनी का पूरा नाम
 (पिता/पति का नाम)
2. आयु
3. पूरा पता मकान क्रमांक संडक/गली का नाम मुहल्ले का नाम
 नगर/ शहर पिन कोड क्रमांक
4. दूरभाष क्रमांक
5. क्या आवेदक—
 अनुसूचित जाति/*अनुसूचित जनजाति/*भूतपूर्व सैनिक/*शिक्षित बेरोजगार स्नातक/
 *स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है (सबूत संलग्न करें)
6. क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है
7. अनुज्ञापत्र के लिए प्रस्थापित यान के प्रकार का ब्यौरा —
 (क) यान का प्रकार
 (ख) मेक्तथा मॉडल

- (ग) यात्रियों की क्षमता
 (घ) प्रस्थापित यान के विनिर्माण का वर्ष
 *8. अनुज्ञापत्र के लिए स्थापित तैयार यान का ब्यौरा —
 (क) यान क्रमांक
 (ख) मेक्तथा मॉडल
 (ग) यान का प्रकार
 (घ) विनिर्माण का वर्ष
 (ङ) बैठक क्षमता
 9. अनुज्ञापत्र धारक से ग्राहकों को सम्पर्क करने के लिए की गई व्यवस्था, कार्यालय का पता तथा
 फोन क्रमांक
 10. राज्य या किसी अन्य राज्य में वैध और आवेदक द्वारा घारित किसी भी मंजिली गाड़ी या टेका गाड़ी
 के अनुज्ञापत्र की विशिष्टिया —
 (क) इस यान
 (ख) अन्य यान
 11. ऐसे किसी अनुज्ञापत्र की विशिष्टिया जो आवेदक द्वारा किसी भी राज्य में परिवहन यान का उपयोग
 किए जाने के संबंध में पिछले चार वर्षों के दौरान घारित है, जो निलंबन या रद्करण के किसी भी
 आदेश के अधीन हो
 12. मैं, यान क्रमांक का स्वामी हूँ। (जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है)
 *13. **मैंने अभी तक यान का कब्जा अभियाजित नहीं किया है तथा मैं समझता हूँ कि अनुज्ञापत्र तब
 तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेता और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रसुत
 नहीं कर देता, मैं यह और भी घोषित करता हूँ कि जैसा उपर्युक्त खण्ड 7 में प्रस्तावित है मुझे
 अनुज्ञापत्र मंजूर किए जाने की तारीख से मास के भीतर में एक यान क्रम करने की
 प्रस्थापना करता हूँ।
 14. **मैं यान क्रमांक को चलाने का आशय रखता हूँ। मेरी चालन अनुज्ञापत्रि
 क्रमांक टी.बी.ए. बिल्ला क्रमांक तारीख तक विधिमान्य
 तक विधिमान्य है जो वर्ष के यान के लिए अनुज्ञापन
 प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
 15. केवल अनुज्ञापत्र के नवीकरण की दशा में लागू होगा—
 (एक) अनुज्ञापत्र क्रमांक
 (दो) से प्रभावी तक विधिमान्य
 (तीन) मार्ग/क्षेत्र
 (चार) अनुज्ञापत्र में समाविष्ट यान का ब्यौरा
 (क) यान क्रमांक
 (ख) यान का प्रकार
 (ग) मूल रजिस्ट्रीकरण की तारीख
 (घ) विनिर्माण का वर्ष
 (ङ) बैठक क्षमता
 (च) मेक्तथा मॉडल

ब्रह्मीश्वर मोटर यान नियम, 1994

प्रख्य अनुसूची

16. मैं एतद्वारा, घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त कथन सत्य है और इस बात से सहमत हूँ कि वे जारी किए गए / वर्तीकण किए गए अनुज्ञापत्र की शर्तें के भाग के रूप में होंगी।
 17. मैंने फीस रूपए रसीद क्रमांक बुक क्रमांक तारीख से जमा कर दी है।

तारीख
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशाने

*जो लागू न हो उनके काट दें, जहां आवेदन पत्र अनुज्ञापत्र नवीकरण के लिए हैं वहां आवेदन पत्र में सबसे आराम स्थानीय से "अनुज्ञापत्र क्रमांक के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र" शब्द लिखें।

(परिवहन प्राधिकारी की पूर्ति करने के लिए)

- प्राप्ति की तारीख क्रमांक
- फीस की रूपए रसीद क्रमांक बुक क्रमांक
- द्वारा तारीख को प्राप्त हो गई है।
- सदस्यों में परिचालन की तारीख
- अंतिम सुनवाई की तारीख
- प्रकरण क्रमांक में पारित आदेश तारीख एस.व्ही.ए./आर.टी.ए. के द्वारा मंजूर किया गया/उपान्तरित रूप में मंजूर किया गया/खारिज किया गया।
- संस्करण पत्र क्रमांक तारीख
- अनुज्ञापत्र क्रमांक तक विधिमान्य तारीख को जारी किया गया। प्रभागित किया जाता है कि आवेदन पत्र का निराकरण संबंधित रजिस्टरों में नोट कर लिया गया।

**अप्रयोज्य अनुकल्प काट दें।

सचिव,
परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)

प्रख्य सी.जी.एम.व्ही.आर. 44 (जी.सी.पी.ए.)

[नियम 72(1)(ग) देखिए]

माल यान अनुज्ञापत्र की मंजूरी के संबंध में आवेदन-पत्र

प्रति,

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 77, 78, 79 तथा 80 के उपबंधों के अनुसार मैं, अपोहस्ताक्षर करने वाला एतद्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 66 के अधीन नीचे दर्शाए गए अनुसार माल याहक के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करता हूँ—

- आवेदक / कम्पनी का पूरा नाम (उपराम) (नाम) (पिता/पति का नाम)
- आयु

ब्रह्मीश्वर मोटर यान नियम, 1994

3. पूरा पता मकान क्रमांक नाम सड़क/गाड़ी गाहर घोहल्ले का
 4. मार्ग/मार्गों या क्षेत्र क्रिस्सके लिए अनुज्ञापत्र लाभ यात्रा है निर कोड
 5. माल का प्रकार जो द्विया जाना प्रस्तावित है
 6. यानों के प्रकार और क्षमता (अनुसारे और रेलवे/वाहन सहित)

रजिस्ट्रीकरण का चिन्ह	प्रकार	भार क्षमता	लदान का भार (कि.ग्रा.)	सम्पूर्ण लम्बाई	चौड़ाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

7. मुझे यान का आधिकार्य अभी तक अधिष्ठाता नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ कि अनुज्ञापत्र तथा जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि मैं ऐसा नहीं कर लेता और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देता और यह भी घोषित करता हूँ कि मैं वर्ष में विनियोगित यान क्रम करने का प्रस्ताव करता हूँ।
 8. किसी माल यान का अनुज्ञापत्र जो किसी भी राज्य में वैध और आवेदक द्वारा पारित हो जो किसी आदेश के अधीन निलंबित या रद्द हुआ हो कि विशिष्टियां
 9. मैं यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र साथ में अपेक्षित करता हूँ अथवा अनुज्ञापत्र जारी किए जाने से पूर्व यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगा।
 10. केवल अनुज्ञापत्र के नवीकरण की दास में लागू होगा—
 (एक) अनुज्ञापत्र क्रमांक
 (दो) तारीख तक वैध/तारीख से प्रभावी
 (तीन) मार्ग/क्षेत्र
 (चार) अनुज्ञापत्र में समाविष्ट यान का विवरण —
 (क) यान क्रमांक
 (ख) यान का प्रकार (दो पुरी आर्टीक्युलेट/अव्याप्तित टेलर यात्रित)
 (ग) भूल रजिस्ट्रीकरण की तारीख
 (घ) विनिर्माण का वर्ष
 (ङ) सकल यान भार
 (च) लदान रहित भार
 (छ) वाहन क्षमता
 (ज) यान का मेक तथा मॉडल
 (झ) धूरी का क्रमांक
 (ञ) टेलर का क्रमांक
 11. मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त कथन सत्य है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि वे मुझे जारी किए गए नए अनुज्ञापत्र की शर्तों के भाग या अनुज्ञापत्र के नवीकरण के रूप में होंगे।
 12. मैंने फीस के रूप में रूपए रसीद क्रमांक

बुक क्रमांक
तारीख से जमा करा दी है।
स्थान
टिप्पणी — जहां आवेदन पत्र अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए है आवेदन पत्र में सबसे ऊरंताल स्थानी आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशाने से “अनुज्ञापत्र क्रमांक के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र” शब्द लिखें।
(परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में पूर्ति करने के लिए)
1. प्राप्ति की तारीख
2. रूपए की रकम रसीद क्रमांक
द्वारा तारीख को प्राप्त हुई।
3. मंजूर किया गया/उपांतण के साथ मंजूर किया गया/अस्वीकृत किया गया
4. जारी किए गए अनुज्ञापत्र का क्रमांक
सचिव,
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)

प्रस्तुत सी.जी.एम.व्ही.आर. 45 (पी.पी.ए.)

[नियम 72(1) (घ) देखिए]

अस्थाई अनुज्ञापत्र के संबंध में आवेदन-पत्र

प्रति,

प्रादेशिक/राज्य परिवहन प्राधिकारी,
..... (छ.ग.)

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69 तथा 87 के उपबंधों के अनुसार मैं, अधोहस्ताक्षर करने वाला एतद्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 87 के अधीन नीचे दर्शाएं गए अनुसार अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करता हूँ—

1. पूरा नाम
(उपनाम)
2. आयु.....
3. पूरा पता मकान क्रमांक सड़क/गली मोहल्ले का नाम नगर/शहर का नाम
4. प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है
5. मार्ग या मार्गों या क्षेत्र
6. अनुज्ञापत्र की कालावधि तारीख से तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए (लदान का बजन)

7. यान का प्रकार तथा बैठने की क्षमता जिसके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित किया गया है।
8. यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
9. मैं, एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त कथन सत्य है और मैं समझत हूँ कि वे मुझे जारी होने वाले किसी अनुज्ञापत्र की शर्तों के रूप में लेंगे।
10. मैंने फीस के रूप में रुपए रसीद क्रमांक तारीख में जमा करा दी है।

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशाने

- (परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में पूर्ति करने के लिए)
1. प्राप्ति की तारीख
 2. रूपए
 3. तारीख
 4. जारी किए गए अनुज्ञापत्र का क्रमांक
 5. यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह यदि जारी करने के पश्चात प्रजापित किया जाए

सचिव,

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी
..... (छ.ग.)

प्रस्तुत सी.जी.एम.व्ही.आर. 46 (पी.एस.व्ही.पी.ए.)

[नियम 72(1) (घ) देखिए]

प्रायवेट सेवा यान के अनुज्ञापत्र के संबंध में आवेदन-पत्र

प्रति,

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,
..... (छ.ग.)

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69 के उपबंधों के अनुसार मैं, अधोहस्ताक्षर करने वाला एतद्वारा प्रायवेट सेवा यान के संबंध में अनुज्ञापत्र के लिए अधिनियम की धारा 66 तथा 76 के प्रावधान के अधीन नीचे दर्शाएं गए अनुसार आवेदन करता हूँ—

1. पूरा नाम/ कम्पनी का पूरा नाम
(उपनाम) (नाम, पिता/पति का नाम)
2. आयु.....
3. पूरा पता मकान क्रमांक सड़क/गली नं. टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)
4. क्षेत्र या मार्ग या मार्गों द्वारा आवेदन पत्र संबंधित है

5. यान का प्रबन्धक और बैठक क्षमता लेता रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
टिप्पणी — रजिस्ट्रीकरण प्रधान-पत्र परिवहन प्राधिकारीयों को प्रमुख करना चाहिए, जिससे कि अनुज्ञापत्र आपी आवेदन से पूर्व अनुज्ञापत्र में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविधिएँ की जा सके।
 6. आवेदक के कारोबार की प्रकृति तथा अवधियति उसके सबूत के साथ
7. वह विविरिएँ जिसमें यह दाया किया गया है कि भाड़े या व्यापार या कारोबार के अनक्रम में अव्यायाम्यताओं के से जाने के प्रयोजन से आवेदक द्वारा यान की सेवा संबंध में चाही गई है
 8. मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त कथन सत्य है और सहमत हूँ कि वे मुझे जारी होने वाले किसी अनुज्ञापत्र के शर्तों के रूप में होंगे। मैंने फीस के रूप में रूपए
रसीद क्रमांक बुक क्रमांक तारीख
से जाना कर दी है।
- तारीख
स्थान

(परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में पूर्ति के लिये)

1. प्राप्ति की तारीख
2. फीस की रकम रूपये रसीद क्रमांक द्वारा
तारीख को प्राप्त हुई।
3. विचार करने की तारीख विनिश्य
4. तारीख को मंजूर किया गया / परिशोधन के साथ मंजूर किया गया / खारिज किया गया।
5. जारी किए गए अनुज्ञापत्र का क्रमांक
सचिव,
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)

प्रस्तुत सी.जी.एम.झी.आर. 47 (एस.पी.ए.)

[नियम 72(1) (च) देखिए]

ठेका गाई के संबंध में धारा 88 (8) के अधीन विशेष

अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन-पत्र

प्रति,

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,
..... (छ.ग.)

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के उपर्योगों के अनुसार मैं, अधोहस्ताक्षर करने वाला एतद्वारा लोक सेवा यान के संबंध में विशेष अनुज्ञापत्र के लिये नीचे दर्शाएँ अनुसार आवेदन करता हूँ—

1. पूरा नाम / कम्पनी का पूरा नाम
(उपनाम)

- (नाम)
पिता/पति का नाम
2. पूरा पता
मोहल्ले का नाम
टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो) नाम/गाड़ी
3. मार्ग या मार्गों या थेट्र प्रभव किए जाने वाले स्थानों सहित, जिसके लिए अनुज्ञापत्र जाहा गया है
4. कालावधि जिसके लिए इसे चाहा गया है
5. यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
(क) चैसिस क्रमांक
(ख) इंजिन क्रमांक
(ग) यान का कार राज्य में तारीख
(घ) अन्य राज्यों को संदर्भ किए गए कारों की विविधियां तक दिया गया है
6. बैठक क्षमता
7. अनुज्ञापत्र यदि कोई हो तो उसकी विविधियां जिसके अधीन यान है तथा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा वह जारी किया गया है
8. व्यक्तियों/यात्रियों की सूची जिन्हें ले जाना प्रस्तावित है संलग्न है।
9. मैंने फीस के रूप में रूपए रसीद क्रमांक युक्त क्रमांक तारीख से जाना करा दी है।
- तारीख
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगठा निशाची

(परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में पूर्ति करने के लिये)

1. प्राप्ति की तारीख
2. रूपए की रकम रसीद क्रमांक तारीख को
प्राप्त हुई।
3. तारीख को मंजूर किया गया/परिशोधन के साथ मंजूर किया गया/खारिज
किया गया।
4. जारी किए गए अनुज्ञापत्र का क्रमांक
सचिव,
परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)

प्रस्तुत सी.जी.एम.झी.आर. 48 (एस.सी.पी.)

[नियम 73(1) (क) देखिए]

मंजिली गाई के संबंध में अनुज्ञापत्र (छ.ग.)

कार्यालय परिवहन प्राधिकारी
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन

प्रकरण क्रमांक	में एस.टी.ए./आर.टी.ए.
द्वारा पारित आदेश तारीख	से अनुज्ञाति की मंजूरी
एस.सी.पी. क्रमांक	
1. धारक का नाम	
2. पिता का नाम	
3. पता	
4. (क) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	
(ख) मेक तथा मॉडल	
(ग) बैठने की क्षमता	
(घ) विनिर्माण का वर्ष	
5. सेवा का वागिकरण- साधारण/एक्सप्रेस/डीलक्स	
6. खड़े यात्री	अनुज्ञात नहीं निम्न शर्तों पर अनुज्ञात
(क) अनुज्ञात खड़े यात्रियों की संख्या	
(ख) इस संबंध में शर्तें	
7. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञापत्र विधिमान्य है	
8. फेरे	
9. समाचार की तारीख	से प्रभावी
10. यात्री किए रखी दर — प्राधिकारी द्वारा परिशोधन या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यात्री किए रखे के पुरारीशण के अधीन अनुमोदित यात्री किए रखी की सारणी संलग्न है के अनुसार।	
11. पालन किए जाने वाली समय सारणी की विशिष्टियाँ — प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय प्रतिशोधन के अधीन यहां पर संलग्न प्रक्रमवार अनुमोदित समय सारणी के अनुसार।	
12. आरक्षित मंजिली गाड़ियों के ब्यौरे जिन्हें नियमित यान या अन्यथा के ठप होने के कारण उत्पन्न आपात स्थिति या आकस्मिकता की दशा में प्रवर्तन की अनुज्ञा दी गई है।	
(क) यान के ब्यौरे —	

आरक्षित मंजिली गाड़ी क्रमांक	बैठक क्षमता	मेक तथा माडल	विनिर्माण का वर्ष	आरक्षित मंजिली अनुज्ञापत्र क्रमांक	गाड़ी अनुज्ञापत्र विधिमान्यता	जारी करने वाला प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)						
(2)						
(3)						

- (ख) आरक्षित मंजिली गाड़ी के प्रचालन पर अधिरोपित शर्तें
- (एक)
- (दो)
- (तीन)
13. क्या माल पूर्ण रूप से या यात्रियों और उनके व्यक्तिगत सामान के अतिरिक्त ढोया जा सकेगा तथा वे शर्तें जिनके अधीन माल ढोया जायेगा।

प्रथम अनुसूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

153

इस अनुज्ञापत्र के अधीन यान का उपयोग संविदा गाड़ी के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन

किया जा सकेगा —

(क) इस प्राधिकारी के अनुज्ञा के बिना इस अनुज्ञापत्र के अधीन किसी भी शर्त पर नियमित फेरों

(ख) जब यान का उपयोग संविदा गाड़ी के रूप में किया जाता है, तब प्रत्येक अवसर पर पृथक्

15. यह अनुज्ञापत्र धारा 72 तथा 84 में अधिकथित शर्तों के अतिरिक्त नीचे दी गई शर्तों के अधीन

(क) परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मार्गों की यात्री किराया सूचियाँ तथा सामय सारणी यान

(ख) यान के रखने, बनाने तथा तुरन्ती के लिए तथा सामान और माल के संभरण एवं सुरक्षित

(ज) अधिकारी के लिए आवेदन फेर में किया जाए विवरणीय व्यवस्थाओं का पालन किया जाएगा

(झ) यान के विनिर्माण का मॉडल, मेक और वर्ष के संबंध में प्रवर्तन की प्राधिकृत शर्तें

(ঠ) यान की बैठक क्षमता के प्रवर्तन की प्राधिकृत शर्तें

(ড) मार्ग/क्षेत्र के संबंध में अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत शर्तें

(ঢ) राष्ट्रीयकरण स्थिरम् (यदि कोई हो) के संबंध में शर्तें

(঄) रखे जाने वाले अधिकारी और वे तारीखें जब परिवहन प्राधिकारी को विवरणीय प्रस्तुत की

जाना है

(অ) जहाँ अनुज्ञापत्र में किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित हो

(আ) परिवहन प्राधिकारी को कम से कम एक माह का नोटिस देने के पश्चात् —

(ই) अनुज्ञापत्र की शर्तों के फैक्टर कर सकेगा

(ঈ) अनुज्ञापत्र में और शर्तें संलग्न कर सकेगा

(উ) कोई अन्य शर्त

16. इस अनुज्ञापत्र को ऊपर के प्रविधि 13 में विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक लोक वाहन का अनुज्ञापत्र

समझा जाएगा।

17. इस अनुज्ञापत्र को ऊपर की प्रविधि 14 में विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक ठेका गाड़ी का अनुज्ञापत्र

समझा जाएगा।

संविव,
परिवहन प्राधिकारी
(ছ.গ.)

नवीकरण

यह अनुज्ञापत्र तारीख से तक एस.टी.ए./आर.टी.ए.
 द्वारा प्रकरण क्रमांक से पारित आदेश तारीख से निम्नलिखित और भी शर्तों के अधीन नवीकृत किया जाता है यह ऊपर लिखित तारीख तक और
 पिछले प्रतिहस्ताक्षर के साथ लगाई गई किसी भी शर्त के अधीन निम्नलिखित प्रदेशों में भी प्रभावशील रहेगा—

छत्तीसगढ़ मोटर शाव नियम, 1994

तारीख

सचिव,
परिवहन प्राधिकारी
की पारा ४८(१) द्वारा अधिकारी प्रतिहस्ताकार किया जाता है।

प्रतिहस्ताकार

एस.टी.ए./आर.टी.ए. द्वारा प्रकरण क्रमांक में पारित आदेश तारीख
मार्ग/शेष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन मोटरयान अधिनियम, 1988
की पारा ४८(१) द्वारा अधिकारी प्रतिहस्ताकार किया जाता है।

तारीख

सचिव,
परिवहन प्राधिकारी
की पारा ४८(१) द्वारा अधिकारी प्रतिहस्ताकार किया जाता है।

प्रतिहस्ताकार का नवीकरण

उपरोक्त प्रतिहस्ताकार एस.टी.ए./आर.टी.ए. आदेश
तारीख द्वारा प्रकरण क्रमांक में पारित निम्नलिखित शर्तों के अधीन
रहते हुए एतद्वारा नवीकृत किए जाते हैं —

सचिव,

परिवहन प्राधिकारी
की पारा ४८(१) द्वारा प्रदान किया गया

*यदि अवाक्षयक हो तो काट दीजिए।

प्ररूप सी.जी.एम.डी.आर. 48-क (आर.एस.सी.पी.)

[नियम 73(1) (क) देखिए]

आरक्षित मंजिली गाड़ी के संबंध में अनुज्ञापन

कार्यालय परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)

अनुज्ञापन (मोटरयान अधिनियम, 1988 की पारा 72 के अधीन प्रकरण क्रमांक में
एस.टी.ए./आर.टी.ए. के आदेश तारीख द्वारा प्रदान किया गया।)

आर.एस.सी.पी. क्रमांक

1. धारक का नाम
2. पिता का नाम
3. पूर्ण पता
4. आरक्षित मंजिली गाड़ी के अधीरे —
 (क) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
- (ख) बेक और भौंडल
- (ग) बैठक क्षमता
- (घ) आरभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख
5. ऊपर वर्णित धारक के निम्नलिखित अनुज्ञापनों पर आरक्षित मंजिली गाड़ी के रूप में उपयोग
करने के लिये अनुमति किया जाता है —

प्रबन्ध अनुसूची

छत्तीसगढ़ मोटर शाव नियम, 1994

अनुक्रमांक क्रमांक	मंजिली गाड़ी अनुज्ञापन का नाम	देरे	विधिमान्ता		सेवा का नवीकरण (सापरण/स्थापेश/ दीलकरण)	
			कब से	कब तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

कीस, यदि कोई हो, के संदर्भ से छूट देगा।

प्राधिकारी को विवरणियाँ भेजी जाना

या

..... से तक नवीकरण किया गया।

तारीख

सचिव,

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

(छ.ग.)

अधिकर्ता की अनुज्ञाति

के अध्यधीन

के अध्यधीन रहते हुए प्रयोग करने के लिए प्राप्ति कृत है परिसरों

दूरी —

माल भाड़ा तथा कमीशन

उपरोक्त मद क्रमांक (3) में वर्णित धारों के संबंध में वसूल किया गया कुल माल भाड़ा।

एतद्वारा

प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन के उपक्रम के प्रबंध निवेशक, छत्तीसगढ़ की ओर पूछनार्थ।

परिचालक बिल्ला

एम.पी.सी./टी.तदैव

6. अनुज्ञापन की विधिमान्ता की तारीख से तारीख तक।
7. मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापन की सभी शर्तें, जिन पर आरक्षित मंजिली गाड़ी का उपयोग किया जाता है, पालन की जाएंगी।
8. मंजिली गाड़ी अनुज्ञापन, जिस पर आरक्षित मंजिली गाड़ी प्रचालित की जा रही है, धार के साथ रखा जाएगा तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा मांग किये जाने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
9. अनुज्ञापन का धारक आरक्षित मंजिली गाड़ी के प्रचालन की प्रशापना आपातकाल के बढ़ने के मामले में चौबीस घण्टे के अन्दर और अन्य मामलों में पूर्ण प्रशापना अनुज्ञापन जारीकर्ता प्राधिकारी के संविव को देगा।
10. आरक्षित मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापन धारक आरक्षित मंजिली गाड़ी के उपयोग का अभिलेख एक रजिस्टर में रखेगा और उसे अनुज्ञापन जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मौंग करने पर उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा।
11. परिवहन प्राधिकारी, ऐसी सूचना जो एक मास से कम की न हो, देने के परचात —

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

- (क) अनुज्ञापत्र की शर्तों में केफार कर सकेगा,
 (ख) अनुज्ञापत्र में और शर्तें जोड़ सकेगा।
 12. आवश्यक मंजिली गाड़ी का इस अनुज्ञापत्र पर उपयोग एवं अनुक्षण के लिये अनुज्ञापत्र जारीकर्ता
 प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तें अधिरेपित की जाती हैं —
 (क)
 (ख)
 (ग)
 (घ)
 13. यह अनुज्ञापत्र प्रदेश (रीजन) के एस.टी.ए./आर.टी.ए. द्वारा प्रतिहस्ताक्षर
 के अधीन अन्य प्रदेश में विधिमान्य रहेगा।

सचिव,
 परिवहन प्राधिकारी
 (छ.ग.)

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 49 (सी.सी.पी.)

[नियम 73(1) (ख) देखिए]

ठेका गाड़ी के संबंध में अनुज्ञापत्र

- कार्यालय परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)
 अनुज्ञापत्र (मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन प्रकरण क्रमांक
 में पारित एस.टी.ए./आर.टी.ए. के आदेश तारीख द्वारा प्रदान किया गया।)
 सी.पी.सी. क्रमांक
 1. घारक/कम्पनी का नाम
 2. पता
 3. (1) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
 (2) चैसिस क्रमांक
 (3) यान के साथ किये गये भाड़ा क्रय करार के अधीन धारित है
 4. यात्रियों की अधिकतम संख्या जो दोई जाना अनुज्ञात है
 5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञापत्र विधिमान्य है
 6. समानि की तारीख
 7. क्या टैक्सी मीटर लगाया जाना है और (यदि हाँ तो मेक और अनुक्रमांक केबल मोटर कैब की दशा
 में)
 8. प्रति किलोमीटर किलोए की दर
 9. यह अनुज्ञापत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 तथा 84 में अधिकथित शर्तों के अतिरिक्त
 निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा
 (क) प्रादेशिक परिवहन, ऐसी सूचना जो एक मास से कम की न हो, देने के पश्चात —
 (एक) अनुज्ञापत्र की शर्तों में केफार कर सकेगा।
 (दो) अनुज्ञापत्र में और शर्तें जोड़ सकेगा।

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

- (ख) अभिलेख जो रखे जाने हैं तथा वह तारीख जिस पर परिवहन प्राधिकारी को विवरणीय
 भेजी जाना है
 (ग) कोई अन्य शर्तें
 10. यह अनुज्ञापत्र इसमें वर्णित यान की मंजिली गाड़ी के रूप में अथवा भाड़े पर माल यान के रूप में
 उपयोग करने के लिये धारक को हकदार नहीं बनाता है।
 11. नियम 76 के उपबंधों के अधीन यह अनुज्ञापत्र नीचे दर्शाये गये प्रदेश में और शर्तों के अधीन भी
 विधिमान्य है —

प्रदेश में विधिमान्य	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
(1)	(2)	(3)
तारीख		

सचिव,
 परिवहन प्राधिकारी
 (छ.ग.)

नवीकरण

इस अनुज्ञापत्र का प्रकरण क्रमांक में पारित एस.टी.ए./आर.टी.ए. के आदेश
 तारीख द्वारा निम्नलिखित और शर्तों के अधीन तारीख से
 तारीख तक एतद् द्वारा नवीकरण किया जाता है —

यह भी ऊर लिखित तारीख तक और पूर्ण प्रति हस्ताक्षर की जोड़ी गई शर्तों के अधीन निम्नलिखित
 प्रदेशों में प्रभावी रहेगा।

तारीख

सचिव,
 परिवहन प्राधिकारी
 (छ.ग.)

प्रतिहस्ताक्षर

परिवहन प्राधिकारी काउन्टर सी.सी.पी. क्रमांक
 में पारित एस.टी.ए./आर.टी.ए. के आदेश तारीख द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिहस्ताक्षर किया गया।
 तारीख

सचिव,
 परिवहन प्राधिकारी
 (छ.ग.)

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर का प्रकरण क्रमांक में पारित एस.टी.ए./आर.टी.ए.
 के आदेश तारीख द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा से

अनुशासन गोदार यात्रा विषय, १९८४

प्रथम अनुशासन

सक्त यात्रा द्वारा अवैधत किया जाता है—
उपरीका विषय के लिये अधिकारी के अधीन प्रबल अवैधत

संविधान विभाग के अधीन प्रबल अवैधत

संचित,

परिवहन प्राधिकारी (उ.प.)

प्रथम सी.जी.एस.यू.आर. ६० (जी.सी.पी.)

[विषय ७३(१) (ग) देखिए]

भारत यात्रा अनुशासन

परिवहन प्राधिकारी (उ.प.)

अनुशासन (मोटरयात्रा अधिनियम, १९८४ की पारा ७९ के अधीन प्रबल अवैधत

से भारीत सी.जी.एस.यू.आर. के आदेश तारीख द्वारा प्रदान किया गया।)

1. यात्रक का नाम
(पिता/पति का नाम)
2. पूरा पता
3. क्षेत्र जिसके लिये अनुशासन विधिमान्य है
4. मात्र यात्रा प्रबल तथा समता (अधिनियम के अनुशासन तथा विवरणिक अनुयान महित)

सामाजिक संस्थानीकरण विह	प्रकार (पैक, घोड़ा और बाड़ी)	भार धारा (किलोग्राम)	सकल यान भार (किलोग्राम)	लदान रहित भार (किलोग्राम)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
.....

5. अनुशासन की समाजिती की तारीख से प्रभावशील
6. द्वितीय जाने वाले माल की प्रकृति
7. यह अनुशासन मोटरयात्रा अधिनियम, १९८४ की पारा ७९ की उपधारा (२) और (३) तथा ८४ में
अधिनियम शर्तों के अतिरिक्त द्वितीय दी गई शर्तों के अधीन होगा—
(क) द्वितीय जाने वाले अधिकृत और वे तारीखें जिन पर परिवहन प्राधिकारी को विवरणियाँ प्रस्तुत
की जाता है।
(ख) यात्रा/शर्तों आवासन अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिये तथा मात्र के भंडारण एवं सुरक्षित
अभिरक्षा के लिये आवेदन पत्र में कथित प्रबंध बनाये रखे जाएं।
(ग) प्रदेशिक परिवहन प्राधिकारी, ऐसी सूचना, जो एक मास से कम की न हो, देने के पश्चात—
(घ) अनुशासन की शर्तों में फेरपत्र कर सकेंगा,
(दि) अनुशासन में और शर्तों द्वारा दिए गए संकेत।
(इ) अनुशासन में और शर्तों द्वारा दिए गए संकेत।

तारीख.....

संचित,

परिवहन प्राधिकारी (उ.प.)

द्वितीय अनुशासन

अनुशासन गोदार यात्रा विषय, १९८४

159

प्रबल अवैधत द्वारा दिया/द्वारा दी.जी.एस.यू.आर. के अधीन
यह यात्रा द्वारा विधिविरोधी और शर्तों से वैश्वान विषय कारण है—

संचित,
परिवहन प्राधिकारी
(उ.प.)

प्रथम सी.जी.एस.यू.आर. ५१ (जी.सी.पी.)

[विषय ७३(१) (ग) देखिए]

अस्थानी अनुशासन

परिवहन प्राधिकारी

(उ.प.)

(अनुशासन मोटरयात्रा अधिनियम, १९८४ से पारा ३७ के अधीन संचित/एस.टी.पू./आर.टी.ए. के
आदेश तारीख द्वारा प्रदान किया गया।)

दी.पी. क्रमांक

1. यात्रक का नाम
2. पिता का नाम
3. पता
4. यान का प्रकार
5. (क) अविस्तृत करण विह
(ख) बैठक धमता
(ग) अविस्तृत लदान सहित वजन
6. मार्ग/मार्ग/सेव
7. यात्रा या यात्राओं का प्रयोग वन
8. एकल केरों की संख्या
9. अनुशासन की जाने वाली समय सारणी
10. माल की प्रकृति यदि दोगा जाए
11. अनुशासन की विधिमान्यता की तारीख से तारीख तक
12. कोई अन्य शर्त—
13. अधिनियम की धारा ४४ की उपाय के उपर्यांतों के अधीन तथा संबंधित
परिवहन प्राधिकारी के विशिष्ट/सामान्य सहमति से यह अनुशासन विधिविरोधी में भी
विधिमान्य है—
1.
2.
3.
4.
14. कर की स्थिति—
15. अतिरिक्त शर्त—

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची	
तारीख.....	
तारीख.....	सचिव, परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)
प्रतिहस्ताशर यदि आवश्यक हो	परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)
प्रकरण क्रमांक	काउन्टर टी.पी. क्रमांक में पारित एस.टी.ए./आर.टी.ए. के आदेश
तारीख द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन	प्रदेश के लिए प्रतिहस्ताशर किया गया —
तारीख.....	सचिव, परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)
प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 52 (पी.एस.व्ही.पी.)	(नियम 73(1) (ड) देखिए)
प्राइवेट सेवायान अनुज्ञापत्र	कार्यालय परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)
कार्यालय	(अनुज्ञापत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 76(3) के अधीन प्रकरण क्रमांक
में पारित एस.टी.ए./आर.टी.ए. के आदेश तारीख	द्वारा प्रदान किया गया।)
1. घारक/कंपनी का नाम	(पिता/पति का नाम)
2. पता	
3. मार्ग/मार्गों/सेत्र जिसके लिये अनुज्ञापत्र दैघ है	
4. यान की बैठक क्षमता का प्रकार	
यान का रजिस्ट्रीकरण	प्रकार मेक. और मॉडल
(1)	(2)
5. ढोये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा वे निबंधन जिनके अधीन उन्हें ढोया जायेगा	
6. अनुज्ञापत्र की वैधता तारीख	से तारीख
7. शर्तें	तक

प्रथम अनुसूची

प्रथम अनुसूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

8. नियम 70 के उपबन्धों के अधीन यह अनुज्ञापत्र नीचे दिये गये प्रदेश में भी तथा शर्तों के अधीन विधिमान्य है

प्रदेश	मार्ग/सेत्र	शर्तें
(1)	(2)	(3)
.....

तारीख.....

सचिव,
परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 53 (एस.पी.)

[नियम 73(1) (च) देखिए]

ठेका गाड़ी के संबंध में विशेष अनुज्ञापत्र

कार्यालय परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)
(अनुज्ञापत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अधीन प्रकरण क्रमांक
सचिव/एस.टी.ए./आर.टी.ए. के आदेश तारीख द्वारा प्रदान किया गया।)
एस.पी. क्रमांक

प्रमाणित किया जाता है कि यान जिसका —

- (एक) इंजन क्रमांक
- (दो) चैसिस क्रमांक
- (तीन) रजिस्ट्रीकरण चिह्न
- रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
- (छ.ग.) द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया तथा श्री
- आत्मज
- (स्थायी पता)
- के स्वामित्व के अधीन स्थायी अनुज्ञापत्र क्रमांक
- (प्रकार) जो परिवहन प्राधिकारी
- (छ.ग.) द्वारा जारी किया गया है, में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को नियोजित किया है जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं —

पार्टी के नेता का पूरा नाम तथा उसके पिता या पति का नाम	आयु	पूरा पता
(1)	(2)	(3)
.....

(कृपया उपर्युक्त निर्देशन पत्र में संविदा में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की सूची संलग्न करें)
उपर्युक्त व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित स्थानों का प्रमाण किया जाएगा

सह अनुज्ञापन संगीत दी तारीख उक्त विभागान्वय है।
प्रतिष्ठित किया जाता है कि यात्रा अधिकारी यात्रा के संबंध में दावा है कि यात्रा कर रहा थी या इस अनुज्ञापन की विधिमत्ता की सातीय तक अनुज्ञापन संहार दिया जा सकता है।
यह अनुज्ञापन किसी अन्य प्रार्थनिक/राज्य अधिकारी प्राधिकारी के इतिहासकारों के लिये दावा है कि यात्रा एवं विधिमत्ता की सातीय तक अनुज्ञापन की घोषणा 96 (2) (व्यापक) के अधीन अन्य राज्य द्वारा दिया गए विशेष दावा संपूर्ण भावत में विधिमत्ता है।

यह अनुज्ञापन विवरणित सातीय के अधीन होगा —

सोट्टयात्रा विभाग के किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर यह देखा किया जाएगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
और पदनाम

इस अनुज्ञापन की विधिमत्ता अनुज्ञापन की तारीख तक बढ़ाई गई कालावधि में
पार्टी विवरणित स्थानों पर भी ध्वनि कर सकती है।

सकार प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रधाप स्त्री. जी. एम. व्ही. आर. 54 (टी.व्ही.पी.)

[विषय 73(1) (६) विधिए]

पर्यटक यात्रा के संबंध में अनुज्ञापन

भावालय राज्य परिवहन प्राधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर

(अनुज्ञापन मोहत्याव अधिनियम, 1988 की पारा 88(9) के अधीन प्रकरण क्रमांक
में एस.टी.ए./आम.टी.ए. के आदेश तारीख द्वारा प्रदान किया गया।)

टी.व्ही.पी. क्रमांक

1. दूरा यात्रा
2. पता
3. रिजिस्ट्रीकरण चिह्न
4. यात्रा का प्रकार (लालची/सेमी लालची/ओमनी बस/सोटर कैब यदि कोई हो)
5. दैडल क्षमता
6. विस्तृक सामाजिक सेवा अधिकारी अधिकारी समाज का जन
7. विधिमत्ता तारीख से तारीख तक
8. मार्फ/मार्फ/सेक्वेल्समें यात्रा करतावें जागा अनुज्ञापन है।
9. (क) कियाया दर —
 - (एक) दूरी और इलाका प्रधार के अनुधार पर
 - (दो) भाड़ा के अनुधार पर
 - (त्रिय) भाड़ा दर (वस्तों में)

10. योजनापत्र अधिनियम, 1988 की पारा 5.2 वाला 35 की उपलब्ध (11) के अधीन विधिमत्ता दरों के अधीन अनुज्ञापन विवरणित सातीय के अधीन हैं, अधिक —
 - (1) अनुज्ञापन दरों के अधीन यात्रा के लिये यात्रा करने वाले पर्यटक विधिमत्ता की सूची दी गयी है जो दैडल क्षमता के अन्तर्गत है, जिसमें रिजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है, तथा संचय में प्रतिकृत कालावधि विवरणित या अनुज्ञापन विवरणित यात्रा तिथे तीव्र पूर्ण विधिमत्ता के लिये दावा करने वाले पर्यटक विधिमत्ता दरों तीव्र पूर्ण विधिमत्ता दरों समान रूप से अनुज्ञापित की जाती है।
 - (क) यात्रियों का नाम, जी.एम.व्ही.पी. क्रमांक विवरणित यात्रा की तारीख
 - (ख) यात्रियों का पाता
 - (ग) यात्रियों की आयु,
 - (घ) आरंभ करने का स्थान और गंतव्य का स्थान।
 - (2) अधिसूचिके लिये सूची की एक प्रति यात्रा प्राधिकारी को, जिसमें अनुज्ञापन जारी किया गया रविस्टर्ड ए.टी.डी.का से ऐसी जाएगी, सूची प्रति पर्यटक यात्रा के साथ ले जाई जाएगी तथा अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेज देखा करने की मांग करने के लिए प्राधिकारी अधिकारीयों द्वारा मार्फ की जाएगी और तीसरी प्रति अनुज्ञापन धारक द्वारा सुनिश्चित रखी जाएगी।
 - (3) पर्यटक यात्रा अपनी यात्रा कर्तुल रूप में या अन्यथा गृह राज्य में यात्री तीव्र प्रारंभ करेगा या सामाजिक कर्तुल देखा द्वारा राज्य के अध्याधीन होगा कि यात्रा दो सामाजिक अधिकारी की कालावधि के लिए गृह राज्य के बाहर नहीं होगा। अनुज्ञापन धारक इस यात्रा का भी ध्वनि लेखा गया कि पर्यटक यात्रा का गृह राज्य में प्रत्येक वायापी की ओरोंही अनुज्ञापन जारी करने वाले प्राधिकारी को दी जाती है।
 - (4) पर्यटक यात्रा को अनन्यतः गृह राज्य में या और राज्य के बाहर कर्तुल दीर्घे पर प्रचलित किया जा सकता है यदि ये से वर्तुल दीर्घे गृह राज्य के पर्यटक विभाग द्वारा अनुमोदित सूची में पर्यटक, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक महल्य के स्थान दीर्घे के लिए ही और येा दीर्घे प्रारंभतः पूर्व से ही सम्पूर्ण रूप से विधिमत्ता किया गया हो।
 - (5) अनुज्ञापन धारक या उसका प्राधिकारी अधिकारी अव्यौक्ता को ऐसी यात्रा की धीरी जारी करेगा और उसका प्रतिपांच अपने साथ उपलब्ध रखेगा और उसे इस अधिनियम, द्वारा या उसके अधीन दस्तावेज मार्फने के लिए सकार अधिकारी द्वारा मार्फ जाने पर देखा करेगा।
 - (6) पर्यटक यात्रा की मिलिसी गाड़ी द्वारा उपलब्ध में लाये जाने वाले किया यात्रा स्टेंड पर बढ़ा नहीं किया जाएगा और ऐसे बास स्टेंड से प्रदानित नहीं किया जाएगा।
 - (7) पर्यटक यात्रा की बाल्डी के बाल्डी तारफ संकेत रूप या बीच में पैदा सेंटीमीटर बीली नीली पट्टी से शब्द "पर्यटक" में लिया जायेगा और साठ सेंटीमीटर व्यास के बृत्त के भीतर यात्रा के दोनों ओर "पर्यटक" शब्द उल्लेखित किया जाएगा।
 - (8) अनुज्ञापन धारक पर्यटक यात्रा पर समाप्ति की ओर तीव्र तीव्र रूप से एक शोई लगाएगा जिस पर काले अझरों में अंग्रेजी में "Tourist Permit valid is state (s) of"

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

- और हिन्दी में “पर्टक अनुज्ञापत्र राज्य/राज्यों में विधिमान्य” शब्द प्रदर्शित करेगा। ऐसे शब्द 75 एम.एम. की ऊंचाई और 12 एम.एम. मोटाइ से कम के नहीं होंगे।
- (9) अनुज्ञापत्र धारक पर्टक यान को मजिली गाड़ी के रूप में प्रचलित नहीं करेगा।
 - (10) अनुज्ञापत्र धारक दैनिक लाग बुक बनाये रखेगा जिसमें अनुज्ञापत्र धारक का नाम और पता तथा यान का रजिस्ट्रीकरण विन्ह, चालक का नाम और पता तथा उसकी चालन अनुज्ञाति की विशिष्टियाँ और यात्रा का आंखें और गंतव्य स्थान, यात्रा पर जाने, यात्रा से आने तथा अवक्रेता का नाम और पता उपदर्शित किया जाएगा।
 - (11) अनुज्ञापत्र धारक प्रत्येक तीन मास में शर्त (10) में अन्तर्विहृ जानकारी उस राज्य परिवहन प्राधिकारी को देगा जिसने अनुज्ञापत्र प्रदान किया था और लाग बुक तीन वर्ष की कालावधि के लिए सुरक्षित रखी जायेगी और उसे शर्त (2) तथा (4) में निर्दिष्ट अभिलेखों महित मांग किये जाने पर उक्त प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
 - (12) यान के किसी भी भाग पर भीतर या बाहर या उसके किसी कांच पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
 - (13) ठेका गाड़ी अनन्यतः माल ढोने के लिए उपयोग नहीं की जाएगी।
 - (14) अनुज्ञापत्र धारक न तो किसी विनिश्चित सामान का परिवहन करेगा या करवाएगा और न ही किसी संज्ञय अपराध के संबंध में उसे उपयोग में लाएगा।
 - (15) यान के प्रचालन के लिए देव समस्त कर नियमित रूप से संदर्भ किये जाएंगे।
 - (16) यह कि राज्य परिवहन प्राधिकारी कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात्—
 - (क) अनुज्ञापत्र की शर्तों में फेस्टर कर सकेगा,
 - (ख) अनुज्ञापत्र में और शर्तों जोड़ सकेगा।
 - (17) यह कि यान का उपयोग केवल उर्ही क्षेत्र अथवा राज्यों में किया जाएगा जिनके लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है।
 - (18) ऐसे यान के संबंध में, जिसके लिए आल ईडिया ट्रॉफिस्ट परमिट प्रदान किया गया है, बैठक क्षमता, आराम के स्तर, सुव सुविधा और अन्य विषयों से संबंधित अपेक्षाएँ ऐसे वर्णन के अनुरूप होंगी जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 में यथा विनिर्दिष्ट हैं।
 - (19) अनुज्ञापत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि पर्टक यान का चालक निम्नलिखित अर्हताओं तथा शर्तों का अनुपालन करेगा—

अर्हताएँ—

पर्टक यान का चालक निम्नलिखित अर्हताएँ रखेगा, अर्थात्—

- (क) कम से कम दो वर्ष के अनुभव के साथ चालक अनुज्ञाति।
 - (ख) जिस पर्टक यान को वह चलाता है उसकी यंत्र क्रियाविधि तथा अनुरक्षण का प्रारंभिक ज्ञान।
 - (ग) उस मार्ग या क्षेत्र या प्रदेश की भौगोलिक दशाओं का ज्ञान जिसमें पर्टक यान उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।
 - (घ) अंग्रेजी और हिन्दी या उस प्रदेश की किसी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान जहाँ उसे कार्य करना हो।
- शर्तें—
- पर्टक यान का चालक निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करेगा, अर्थात्—
- (क) वह ग्रीष्म के मासों में निम्नलिखित वर्षन की सफेद वर्दी पहनेगा, अर्थात्—

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

- (एक) ढीले ट्राउजर
- (दो) दो जेबों वाला बुराई या कोट और बुराई या कोट की बाएं हाथ वाली जेब पर लाल घागे से अवधार “टी” सिला हुआ हो,
- (ख) वह शीत के मासों में निम्नलिखित वर्षन की नीले या भूरे रंग की वर्दी पहनेगा, अर्थात्—
- (1) ढीले ट्राउजर
 - (2) बंद गले का दो जेबों वाला कोट और कोट के बाएं हाथ वाली जेब पर लाल घागे से अवधार “टी” सिला हुआ हो अथवा दो जेबों वाला खुला कोट, पूरे सफेद बांध का गर्ट और नीली टाई तथा कोट के बाएं हाथ वाली जेब पर लाल घागे से अवधार “टी” सिला हुआ हो।
 - (3) पर्टक यान का चालक, यात्रियों और आशयित यात्रियों से सम्बन्ध ढांग से व्यवहार करेगा और कभी भी जब वह कर्तव्य पर हो नशे की हालत में नहीं होगा अथवा ऐसी हालत में नहीं होगा जिससे नशे में होने अथवा किसी शामक या नशीली औषधि या निर्मिति का उपयोग करने के कारण उसकी यान चलाने की क्षमता का हास देता।
 - (20) यह अनुज्ञापत्र सदैव एक मात्र उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके लिए जारी किया जा रहा है और अनुज्ञापत्र को सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर की पूर्ण अनुज्ञा के बिना किसी भी समय प्रचालन से रोका नहीं जाएगा अथवा उपयोग न करने के लिए रखा नहीं जाएगा।
 - (21) अधिनियम में उपर्युक्त या नियमों द्वारा विहित की गई कोई अन्य शर्तें।
 - (22) मोटर कैब के संबंध में प्रत्येक पर्टक अनुज्ञापत्र के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी—
 - (एक) यान के दोनों पार्श्व में पचास सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में शब्द “पर्टक यान” लेट किए जाएंगे।
 - (दो) यान के सामने के भाग पर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक पट्टिका के ऊर पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों से “राज्य/राज्यों में विधिमान्य पर्टक यान” उल्कीर्ण किया हुआ एक बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा।
 - (23) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 84 के उपर्योगों के अनुसार किसी भी पर्टक अनुज्ञापत्र से यह नहीं समझा जायेगा कि उत्त नियमों के नियम 83 में सम्मिलित नहीं किया गया निर्देशित प्राधिकार किसी भी राज्य में प्रचालन का अधिकार प्रदत्त करता है न ही वह यान के स्वामी को किसी राज्य में उद्घग्नीय किसी कर या, यदि कोई हो, के संदर्भ से छूट देगा।
- तारीख और मुद्रा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर (डा. ग.)
- नवीकरण का पृष्ठांक
- यह अनुज्ञापत्र तारीख से एस.टी.ए. के आवेदा द्वारा तारीख प्रकरण क्रमांक में पारित निम्नलिखित और शर्तों के अधीन रहते हुए नवीकृत किया गया है —

तारीख और मुद्रा सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकारी,
छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

प्रस्तुति सभी जी.एम.छाड़ी.आर. 55 (जी.सी.एन.पी.)

[नियम 73(1)(ज) देखिए]

माल यान के लिए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र
 कार्यालय राज्य /प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.) (अनुज्ञापत्र,
 मोटरयान अधिनियम, 1989 की धारा 88 (12) के अधीन प्रकार क्रमांक में एस.टी.ए./
 यात्रा वी.प्र. के अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया)

1. अनुज्ञापत्र धारक का नाम
 2. पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में)
 3. पता
 4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसके लिए अनुज्ञापत्र विधिमान्य है
 5. यान का प्रकार और क्षमता अनुयान और वैकल्पिक अनुयान या संधि यान को सम्मिलित करते हए—

यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	यान का प्रकार और मॉडल	भार क्षमता (कि.ग्रा.)	यान का कुल वजन (कि.ग्रा.)	ईसिस और ईंजिन क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सीएस एस डब्ल्यू १०५०	ट्रॉफी सीएस	३५०	४५०	१०५०

6. तारीख से तारीख तक विधिमान्य।
 7. रखे जाने वाले अभिलेख और वे तारीखें जब प्राधिकारी/विवरणियाँ भेजी जाना है।
 8. यान में ढोये जाने वाले माल की प्रकृति
 9. अनुज्ञापत्र से संलग्न शर्तें
 10. इस अनुज्ञापत्र की धारा अपने कर्मचारियों के कार्य पर इस प्रकार परवेक्षण करेगा कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यान अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुरूप और आराम सुख सुविधा तथा लोक सुखों का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रचालित किया जा रहा है।
 11. किसी राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य में प्रचालन का अधिकार प्रदत्त कर रहा है कि जिसमें केन्द्रीय मोर्तदयान नियम, 1989 के नियम 87 में निर्दिष्ट प्राधिकार सम्मिलित नहीं हैं, न ही वह यान के स्वामी को किसी राज्य में उद्घाटणीय किसी कर या फीस, यदि कोई हो, के संदर्भ से छूट देगा।

तारीख देरी पर्याप्त विवरण करने के लिए निम्नलिखित बहुउपचारिक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रकरण क्रमांक में पारित एस.टी.ए./आर.टी.ए. के आदेश
 दीर्घ द्वारा तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए
 विकरण किया गया और में भी विधिमान्य होगा।

तारीख दिन महीने वर्ष
उमेर का वयस्सा वर्षों
संवित्र संवित्र
राज्य/प्राविशेक परिवहन प्रणालिकारी
प्राविशेक विधि/प्रक्रिया (पा.)

प्रस्तुति सी. जी. पास हरी अम. 56 / नं. ८०

[नियम 74(2) देविवा]

25

निवासी का आवेदन प्रदान/ नवीकरण/प्रतिहस्ताक्षर किसी शर्त में फेरफार /
यान के प्रतिस्थापन के संबंध में में के
कार्यालय में श्री द्वारा तारीख को प्राप्त हुआ और उसे
विहित रजिस्टर में अनुक्रमांक पर प्रविष्ट किया है।

तारीख **कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय
मुख्य लिपिक के द्वायकार**

प्ररुप सी.जी.एम.बड़ी.आर. 57 (आर.पी.ए.)

[नियम 74(2) देखिए]

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

- प्रधाप सी.जी.एम.व्ही.आर. 57-क (ए.सी.एफ.पी.)
[नियम 82(4) देखिए]
अनुज्ञापत्र धारकको, अनुज्ञापत्र के प्ररूप में संपरिवर्तन
करने के लिए कारण बताओं सूचना
कार्यालय राज्य /प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी
प्रति, अनुज्ञापत्र क्रमांक जो मार्ग हेतु विधिमान्य है, के प्ररूप का
विषय — अनुज्ञापत्र क्रमांक जो में मंजिली गाड़ी / टेका
संपरिवर्तन,
आप प्ररूप पी.एस.टी.एस./पी.एस.टी.पी. क्रमांक में मंजिली गाड़ी / टेका
गाड़ी सेवा के लिए अनुज्ञापत्र धारक है।
एतद्वारा, आपको कारण बताओं सूचना दी जाती है कि क्यों न छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के
नियम 82 के उपबंधों के अनुसार उपरोक्त अनुज्ञापत्र के प्ररूप को संपारिवर्तित कर दिया जाए। इस सूचना की
तापील से 15 दिन की कालावधि के भीतर आपका लिखित उत्तर इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी/ राज्य परिवहन प्राधिकारी के
समक्ष तारीख को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय
समय पर निश्चित रूप से उपस्थित हों। जिसमें असफल होने पर इस विषय में एक पक्षीय
कार्यवाही की जाएगी।

सचिव,

राज्य /प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

प्रधाप सी.जी.एम.व्ही.आर. 58 (एम.व्ही.टेप)

[नियम 84(1) देखिए]

- किसी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले मोटरयान को बदले जाने के लिए आवेदन पत्र
प्रति,
राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,
..... (छ.ग.)
1. आवेदक का पूरा नाम
2. पता
3. अनुज्ञापत्र क्रमांक जो तारीख तक विधिमान्य है
4. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
5. वर्तमान मोटरयान क्रमांक को अन्य मोटरयान द्वारा, जिसका रजिस्ट्रीकरण
चिन्ह है, बदलने की वांच्छा रखता हूँ, जिसका व्यौरा नीचे
दिया गया है —

विशिष्टियां वर्तमान मोटरयान

बदली जाने वाली

प्रस्तावित मोटरयान

(एक) मेक:

(दो) निर्माण वर्ष:

(तीन) प्रकार:

प्रथम अनुसूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

- (चार) ईपन:
(पांच) बैठक क्षमता/जी.लॉ.डब्ल्यू. :
(छह) उपयुक्तता प्रमाण पत्र की वैधता;
(सात) अन्य व्यौरों जो आवश्यक हो:
जैसे कर तथा बीमा
6. बदलने के लिए कारण
7. बदला जाने वाला यान तारीख को या उसके पूर्ण प्रचालन के लिए तैयार
रहेगा।
8. मैं, विहित फीस का संदाय करते हुए नकद चालान रु. को संलग्न करता हूँ
देखिए सीदे क्रमांक बुक क्रमांक तारीख
तारीख
आवेदक के हस्ताक्षर

*यदि बदला जाने वाला यान आवेदक के कब्जे में नहीं है तो वह उसके द्वारा क्रम किये जाने वाले
प्रस्तावित यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को छोड़कर शेष व्यौरे देगा।

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 59 (टी.आर.पी.ए.)

[नियम 87(1) देखिए]

अनुज्ञापत्र के अंतरण के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

राज्य / प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,

1. आवेदक का पूरा नाम
2. पता
3. अनुज्ञापत्र क्रमांक जो तारीख तक विधिमान्य है
4. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
5. वर्तमान अनुज्ञापत्र धारक का नाम
भाग- एक

6. मैं एतद्वारा मेरे ऊर वर्णित (अन्तरक का नाम) अनुज्ञापत्र का
अंतरण
(अंतरीति का नाम)

- को करने के लिए आवेदन करता हूँ।
7. हम, एतद्वारा घोषित करते हैं कि प्रत्येक यान के लिए संदर्भ किया जाने वाला तय किया गया मूल्य
नीचे वर्णित किया जाता है
8. हम, एतद्वारा घोषित करते हैं कि *अनुज्ञापत्र के अंतरण के लिए निम्नलिखित करार किया गया
है —
9. हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि अनुज्ञापत्र के लिये हमारे मर्य कोई प्रीमियम संदाय या अन्य
प्रकार का प्रतिफल देना न तो तय हुआ है और न ही दिया गया है।

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

10. अन्तरण तारीख में प्रभावशील होना प्रस्तावित किया गया है।
 11. विहित फीस के रूपमें नकद या चालान द्वारा किया जाकर संलग्न है।

तारीख उत्तराधिकारी या अंगता निशाची

*किए गए करार के विचरण में, यदि कोई हो, जैसे संदत्त रकम या प्रतिग्रहित गड़विल आदि।

या भाग- दो
मैं, अमर वर्णित अनुज्ञापत्र जो श्री
जिनकी मृत्यु तारीख स्थान पर हो गया है, द्वारा पारित था, अपने
नाम पर अन्तरण के लिये आवेदन करता हूँ। (मृत्यु प्रभाग पत्र संलग्न है) मृतक अनुज्ञापत्र धारक से मेरा संबंध
..... का है और उक्त धारा मेरे कब्जे में है।

प्रथम सी.जी.एम.जी.आर. ६० (कम्प.)

[नियम 95(1) देखिए]

शिकायत पस्तक

1. अनुज्ञापत्र धारक का नाम
 2. यान क्रमांक
 3. मार्ग
 4. चालक का नाम
 5. चालक अनुज्ञापत्र क्रमांक बिल्ला क्रमांक
 6. परिचालक का नाम
 7. परिचालक का अनुज्ञापत्र क्रमांक बिल्ला क्रमांक
 8. शिकायतकर्ता का नाम तथा पता
 9. साक्षियों का नाम तथा पता
 10. शिकायत की तारीख समय
 11. शिकायत के ब्यौद

चालक/परिचालक के हस्ताक्षर	साक्षी क्रमांक 2 के हस्ताक्षर	साक्षी क्रमांक 1 के हस्ताक्षर	शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर
अधिकारी के हस्ताक्षर	साक्षी क्रमांक 2 के हस्ताक्षर	साक्षी क्रमांक 1 के हस्ताक्षर	शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

पृष्ठम् अनुसूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान विधाम 100

प्रकाशन संख्या 1994, 1994
प्रकाशन संख्या 61 (एन.जी.ए.)

यात्रा अभिकर्ता का अनुज्ञाप्ति के लिये आवेदन पत्र

- जिसका उपयोग करता है —

 1. पूरा नाम
 2. पिता/पति का नाम
 3. आयु
 4. वर्तमान पूरा पता
 5. स्थायी पता
 6. शैक्षणिक अर्द्धता
 7. कारबार का स्थान

(व्यक्तिगत होने की दशा में)

 - (1) प्रमुख कार्यालय
 - (2) शाखा कार्यालय
 8. मेरे पास पूर्व में अभिकर्ता की अनुचरित नहीं थी/ पूर्व अभिकर्ता की अनुचरित थी जो द्वारा जारी की गयी थी और यह कि यह निलम्बित / रद्द/ नवीकरण नहीं की गयी थी।
 9. मैं एवं दूसरा, घोषित करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हूँ, तथा यह कि उपरोक्त विवरण सत्य है। मैं अपने हात ही के दो पासोंरें आकर के फोटो संलग्न करता हूँ।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

दसरा हस्ताक्षर

प्रश्न सी.जी.एम.वी.आर. 62 (एल.ए.जी.)

नियम 124 देखिए

अमिकर्ता की अनुवादी

- कार्यालय अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) (ए.ए.)

(आरटीए के आदेश गारीब द्वारा मंजूर

एस.ए.जी. बनारस

Digitized by srujanika@gmail.com

विवाही शुरूमात्र रुपा

सारी गति

.....

४८५

आडेरक के दो स्तराएँ

卷之三

प्रथम अनुसूचि

अभिकर्ता के रूप में (1) और (2) के लिए अनुज्ञात किया गया है तथा अभिकर्ता का बिल्ला क्रमांक जारी किया गया है।
टिप्पणी — (1) सेवा का नाम (2) स्थान तथा मार्ग/(मार्गों) यह अनुज्ञाप्ति को जारी की गई है तथा तक विधिमान्य है।
तारीख सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)
नवीकरण तक नवीकरण किया गया।
तारीख 20..... सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, (छ.ग.)
प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 63 (टी.बी.रजि.) [नियम 126(क) देखिए] यात्रा अभिकर्ता द्वारा रखा जाने वाला पर्यटक यान रजिस्टर यात्रा अभिकर्ता का नाम अनुज्ञाप्ति क्रमांक विधिमान्यता

अनुक्रमांक	अनुज्ञापत्र के धारक का नाम तथा पता	यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	चालक का नाम	पता	दूसरी अनुज्ञानि क्रमांक	बिल्ला क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रारंभ स्थान	धर्मण के स्थान से दूरी	प्रस्थान का समय तथा तारीख	आगमन का समय तथा तारीख	अवक्रेता का नाम	पूरा पता
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्रथम अनुसूचि

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 64 (कम्प.टी.एची.)
[नियम 126(च) देखिए]शिकायत पुस्तक
अनुज्ञानि क्रमांकयात्रा अभिकर्ता का नाम
कारोबार का स्थान (1) मूल (2) शाखा स्थित

अनुक्रमांक	यात्री का नाम	पूरा पता	टिकिट क्रमांक व जारी होने की तारीख	स्थान		वाहन क्रमांक	चालक का नाम तथा बिल्ला क्रमांक
				से	तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

शिकायत के ब्लौरे	साक्षियों के नाम तथा पते	तारीख	शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 65 (एल.ए.जी.ए. (एड्स))

[नियम 133(1) देखिए]

संग्रहण अभिकर्ता/अग्रेषण अधिकर्ता/ संग्रहण और अग्रेषण अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञाप्ति मंजूर करने / नवीकरण करने के लिए आवेदन-पत्र प्रति,

- सचिव,
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,
..... (छ.ग.)
- पूरा नाम
 - पिता या पति का नाम
 - पता
 - आवेदक द्वारा धारित अभिकर्ता की अनुज्ञाप्ति, की प्रकृति और विशिष्टियाँ, यदि कोई हो
 - शैक्षणिक अर्हता या परिवहन कारबार के प्रबंध में अनुभव
 - (क) स्थान जहां आवेदक अभिकर्ता के रूप में लगे होने की प्रस्तावना करता है
 - (ख) स्थान जहां वह अपने उप-अभिकरण/कार्यालय को स्थापित करने की प्रस्तावना करता है

- आवेदक के वित्तीय साधनों की प्रकृति और सीमा
- माल यानों की विशिष्टियाँ चाहे आवेदक के स्वामित्व के हों या उसके नियंत्रणाधीन हों—

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

(क) माल यानों की कुल संख्या
(ख) मेक
(ग) मॉडल या विनिर्माण का वर्ष
(घ) यान का सकल भार
9. जहाँ आवेदन अग्रेषण अभिकर्ता या संग्रहण और अग्रेषण अभिकर्ता के रूप में अनुज्ञाप्ति के लिए हो, तो अतिरिक्त विशिष्टियां प्रदाय की जाएं—
(क) स्थल की विशिष्टियां और उसकी अवस्थिति
(ख) प्रधान कार्यालय/शाखा कार्यालय
परिसर का वर्णन (भवनों की प्रकृति, स्थान की सीमा आदि)
(ग) आवेदक द्वारा माल यानों के खड़े करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना, यदि कोई हो,
(घ) उसके द्वारा माल के लदान और उतारे जाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना
(ङ) आरवर्णित स्थान में उपबंधित तौलने के यंत्र की विशिष्टियां
में/हम विहित फीस के रूप में रसीद/ चालान क्रमांक
तारीख द्वारा संलग्न करता है/ करते हैं।
मैं/हम माल यान अनुज्ञाप्त की शर्तों और मोटरयान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से, जहाँ तक कि मार्गों, माल के लदान और उतारे जाने से संबंधित निर्वन्धों और अभिकर्ताओं के कर्तव्यों तथा कूलों से संबंधित है, परिवित हूँ/हैं।
मैं/हम एतद द्वारा घोषणा करता है/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।
स्थान
तारीख
आवेदक के हस्ताक्षर

प्रलय सी.जी.एम.व्ही.आर. 66/67 [(एल.एसी.पी. (गुद्दा) एल.ए.जी. (गुद्दा)]

[नियम 133 देखिए]

अभिकर्ता के अनुज्ञापन, संग्रहण, अग्रेषण और माल के वितरण के लिए नियम 133
के अधीन मंजूर की गई अभिकर्ता के अनुज्ञाप्ति

कार्यालय, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (छ.ग.)

अनुज्ञाप्ति क्रमांक	प्रधान कार्यालय/शाखा कार्यालय
पूरा नाम
पिता या पति का नाम (व्यक्तिगत होने की दशा में)
पता
क्या अग्रेषण *अभिकर्ता/संग्रहण अभिकर्ता/संग्रहण और अग्रेषण अभिकर्ता के रूप में अनुज्ञाप्ति (1) प्रधान कार्यालयों के अधीन उप-अभिकर्तों/कार्यालयों के उपयोग के लिए (1) के अधीन रहते हुए (2) से तक अनुज्ञाप्ति विधिमान्य है जब तक यह अभिकर्ता की अनुज्ञाप्ति विधिमान्य तथा

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

समय-समय पर नवीकृत है, धारक उसके कारोबार से सम्बद्ध नीचे दी गई विशिष्टियों के परिसर को नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत परिसरों की तारीख.....

- (1) वह या वे स्थान विनिर्दिष्ट करें जहाँ अभिकर्ता का कार्यालय स्थित है या के कार्यालय हैं।
(2) शर्तें विनिर्दिष्ट करें

यह अनुज्ञाप्ति, एतद्वारा तक नवीकृत की जाती है।

तारीख नवीकरण तक नवीकृत की जाती है।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रलय सी.जी.एम.व्ही.आर.-68 (ए.आर.टी.)

[नियम 138(3)(च) देखिए]

31 दिसम्बर, 20..... को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए वार्षिक विवरणी प्रति,

सचिव,

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

1. अनुज्ञाप्ति क्रमांक
2. इसकी मंजूरी या अंतिम नवीकरण की तारीख
3. अभिकर्ता के स्वामित्व के मंजूर माल यानों की कुल संख्या
4. अभिकर्ता के नियंत्रणाधीन माल यानों की कुल संख्या
5. उपरोक्त मद क्रमांक (3) और (4) में वर्णित माल यानों में से उन माल यानों की संख्या जो वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से उपयोग किए गए थे
- (क) वर्ष में 8 मास से अधिक के लिए
- (ख) वर्ष में 9 मास से अधिक के लिए
- (ग) वर्ष में 10 मास से अधिक के लिए
6. निम्नलिखित अभिकर्ताओं को परिदृत किए गये और संग्रहीत किए गये माल का टन भार

अग्रेषण अभिकर्ता का नाम और पता	अग्रेषण अभिकर्ता को परिदृत माल का टन भार	कुल अभिकर्ता	कुल टन भार	संख्या
.....

टिप्पणी — उपरोक्त मद क्रमांक 6 के अधीन दिए गए स्थान के अपर्याप्त होने की दशा में एक पृथक् कागज संलग्न करें।

7. स्वयं अभिकर्ता द्वारा संग्रहीत, परिदत और अग्रेषित माल का कुल टन भार
8. न्यूनतम और अधिकतम दूरी जिसके लिए माल अग्रेषण बिन्दु से परिदान बिन्दु तक अग्रेषित किया गया —
 - (क) 80 कि.मी. से अधिक दूरी
 - (ख) 80 कि.मी. से अधिक किन्तु 160 कि.मी. से अनधिक दूरी
 - (ग) 160 कि.मी. से अधिक किन्तु 240 कि.मी. से अनधिक दूरी
 - (घ) 240 कि.मी. से अधिक किन्तु 280 कि.मी. से अनधिक दूरी
 - (ङ) 280 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अनधिक दूरी
 - (च) 400 कि.मी. से अधिक किन्तु 480 कि.मी. से अनधिक दूरी
 - (छ) 480 कि.मी. से अधिक दूरी —
9. उपरोक्त मद क्रमांक 8 (छ) में की गई प्रविधि के संबंध में माल की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें (जैसे—फल, घेलू सामान, अवाज, कोलाइ आदि)
10. उपरोक्त मद क्रमांक (3) और (4) में वर्णित माल यानों द्वारा की गई यात्राओं की कुल लंबाई किलो मीटरों में —

समयप्रेषण का टन भार (टनों में) अग्रेषण बिन्दु से परिदान बिन्दु की दूरी
11. अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा किसी पारेषण की बुक करने की तारीख से परिदान में लिया गया अधिकतम समय।

समय	पारेषण का टन भार (टनों में)	अग्रेषण बिन्दु से परिदान बिन्दु की दूरी
(1)	(2)	(3)

12. प्राप्त और निपटाए गए दावे —
 1. पूर्व वर्ष से लंबित दावों की संख्या
 2. वर्ष के दौरान प्राप्त दावों की संख्या
 3. वर्ष के दौरान किए गए दावों का प्रतिकर
 4. वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों की संख्या
 5. वर्ष के दौरान संदर्भ प्रतिकर
 6. वर्ष के अंत में लंबित दावों की संख्या
 1. उपरोक्त मद क्रमांक (3) में वर्णित यानों के संबंध में वसूल किया गया कुल माल भाड़ा।
 2. उपरोक्त मद (4) में वर्णित यानों के संबंध में वसूल किया गया कुल माल भाड़ा।
 3. अन्य प्राचलकों से वसूला गया तथा संदर्भ किया गया कुल माल भाड़ा।
 4. वसूल किए गए कमीशन की कुल रकम।
13. माल के बीमे के लिए बीमा कंपनियों को संदर्भ प्रीमियम की कुल रकम
14. माल की हानि या तुकसान के दावों के संबंध में बीमा कंपनियों से वसूल की गई रकम
15. अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा पारेषण को प्रेषण के पूर्व उसके गोदाम में रोके रखने का अधिकतम समय.....

16. अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा पारेषण को वितरण केन्द्र से पारेषितों को प्रेषण के पूर्व उसके गोदाम में रोके तारीख

अधिकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 69 (एन.एस.एक)

[नियम 147(2) देखिए]

छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 147 के साथ पटित मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 99 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सकार, एतद्वारा इससे संलग्न स्कीम को राज्य सङ्कालक परिवहन स्कीम के संबंध में प्रकाशित करता है। प्रत्येक स्कीम राज्य परिवहन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर तथा संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय के सचना पट्ट पर भी बसा की जायेगी। इस स्कीम/इन स्कीमों द्वारा प्रभावित कोई भी व्यक्ति स्कीमों के राजपत्र में प्रकाशित होने की तरीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियाँ, यदि कोई हों, उक्त नियमों के नियम 148 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सविव, परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

स्कीम

1. राज्य सङ्कालक परिवहन सेवा से या उसके पश्चात आरंभ होगी।
2. राज्य सङ्कालक परिवहन सेवा मार्ग/क्षेत्र प्रदेश के मार्ग के भाग पर उपलब्ध होगी।
3. प्रकृति तथा विस्तार राज्य सङ्कालक परिवहन सेवाये ऊर खण्ड (2) में वर्णित मार्गों या क्षेत्रों या उसके भाग पर उपलब्ध होगी। स्कीम के अधीन परिवहन सेवाओं से भिन्न प्रावधान प्रतिविद्ध किए जाते हैं। सिवाय पारस्परिक राज्य के यान के साथ या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को उसके साथ तथा छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य हुए पारस्परिक करार के अन्तर्गत चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
4. राज्य सङ्कालक परिवहन सेवा से भिन्न कोई व्यक्ति, जो खण्ड 2 में यथा वर्णित व्यक्ति के सिवाय हो, ऊर खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट मार्ग या उसके भाग पर सङ्कालक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
5. सङ्कालक परिवहन सेवाएँ/पश्चात्वर्ती खण्डों में दिये गये उपबंधों के अधीन राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा अनन्यतः उपलब्ध की जाएगी।/राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा अन्य के साथ सम्मिलित रूप से उपलब्ध की जाएगी।
6. परिवहन यान, जो ऊर खण्ड 2 में उपदर्शित मार्ग पर उपयोग किया जा सकता है, वह प्रकार की होगी तथा उसकी बहन क्षमा होगी।
7. अनुज्ञापन क्रमांक/क्रमांकों जो मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय पाँच के अधीन प्रदान किया गया है/प्रदान किये गये हैं/रद/ विस्तार तक उपांतित किये जायेगी।
8. ऊर खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट मार्ग या उसके भाग पर चल रहे परिवहन यान की संख्या तक कम की जायेगी।
9. अनुज्ञापन क्रमांक/क्रमांकों के अन्तर्गत मार्ग में कमी की जायेगी जिसमें को अपवर्जित करते हुए अनुज्ञापन क्रमांक/क्रमांकों को अपवर्जित करते हुए का धारक अपरिवर्त मार्ग पर अन्तरण किया जायेगा। अनुज्ञापन क्रमांक का धारक अपरिवर्त

छत्तीसगढ़ मोटर शान नियम, 1994**प्रथम अनुसूचि**

रद्दकरण के लिये या पूर्वोक्त अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों के अंतर्गत आने वाले किसी मार्ग या क्षेत्र में कमी के लिए प्रतिकर प्राप्त करेगा।
10. यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जायेगी —
 (यहाँ पर परिणामिक या अनुरूपीक विषय जो स्कीम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं, दिये जाएं)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग [नियम 147(2) देखिए]
प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 70 (एन.एस. दो)

छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 147 के उपनियम (2) के साथ प्रदत्त मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए स्कीम क्रमांक
 जो छत्तीसगढ़ राजपत्र, प्रमाणित तारीख के भाग में प्रकाशित की गई है, नीचे वर्णित की गई सीमा तक उपान्तरित या रद्द की जाती है। उपरोक्त स्कीम के इस उपान्तरण या रद्दकरण से, जो भी व्यक्ति प्रभावित हो, तो वह इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियाँ यदि, कोई हों, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, रायपुर के समक्ष उक्त नियमों के नियम 148 में अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है।

स्कीम क्रमांक के उपान्तरण या रद्दकरण के ब्यौरे निमानुसार है —

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग
 [नियम 149 देखिए]

प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 71 (एन.एस. तीन)
 [नियम 149 देखिए]

अनुज्ञापत्र धारक का कथन जिसके द्वारा वह अपने अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों के अन्तर्ण, अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों में के समाविष्ट मार्ग में कमी करना, अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता की शेष कालावधि के स्थान पर प्रतिकर के संदर्भ के लिये सहमत है।

मोदेद्य,
अधिसूचना क्रमांक तारीख के संदर्भ में जो राजपत्र तारीख में प्रकाशित हुई है, मैं

प्रथम अनुसूचि**छत्तीसगढ़ मोटर शान नियम, 1994**

179

आत्मज अनुज्ञापत्र क्रमांक का पारक है,
जो मार्ग/मार्गों के लिए तक विधिमान्य है, एतद्वारा मैं
पूर्वोक्त अनुज्ञापत्र के मार्ग/मार्गों को अंतरण करने, अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों के अंतर्गत
आने वाले मार्गों या क्षेत्र में कमी करने, उसकी शेष विधिमान्यता की कालावधि के रद्दकरण के स्थान पर प्रतिकर
तारीख भवदीय

पता अनुज्ञापत्र धारक के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन के उपक्रम के प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

अनुज्ञापत्र धारक के हस्ताक्षर

प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 72 (एन.एस. चार)

[नियम 150(1) देखिए]

छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा, यह सूचना दी जाती

है कि अधिसूचना क्रमांक तारीख के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र

तारीख में प्रकाशित स्कीम के विरुद्ध आपत्तियों की सुनावई द्वारा

तारीख को बजे स्थान पर होगी।

तारीख 20.....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम

प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 73 (एन.एस. पाँच)

[नियम 150(5) देखिए]

(मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 100 की उपधारा (3) के अधीन)

मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 100 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को

प्रयोग में लाते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार, एतद्वारा स्कीम को, जो राज्य सरकार

द्वारा उनकी अधिसूचना क्रमांक तारीख द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2)

के अधीन पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है, अनुमोदित रूप में या जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 99 में

अनुमोदित है, उपान्तरण करते हुए प्रकाशित करती है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम

*यदि लागू न हो तो काट दें।

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 74 (टी.ओ.डी.पी.)

[नियम 208(3)(सार) देखिए]

लाम्बा सामान ले जाने की अनुज्ञा
प्रति,

संदर्भ: (1) आपका आवेदन पत्र क्रमांक तारीख
 (2) लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारी का पत्र क्रमांक तारीख
 (3) यातायात पुलिस का पत्र क्रमांक तारीख
 आपको एतद्वारा, मोटरयान क्रमांक में मार्ग
 से तक की कालावधि से तक के लिए सामान ले जाने की अनुज्ञा
 प्रदान की जाती है। यह अनुज्ञा निम्न और शर्तों के अधीन होगी—

- वाहन बीस किलोमीटर, बीस किलोमीटर प्रतिघण्टा की गति से अधिक महीं चलाया जाएगा।
- लदान का निकला हुआ भाग अने वाले यातायात एवं अन्य सड़क का उत्योग करने वालों को स्पष्टः दिखाइ देना चाहिए। लदान के सम्में व पीछे सिरे पर पृथक् प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए। केवल दिन के समय यान घाट सेवकान से गुजरेगा।
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस समय लदान नहीं सरके या पलटे जबकि यान चल रहा हो।
- यान की बौंडी में लदान की देखभाल करने तथा उस यान के चालक को तथा अन्य व्यक्तियों को वाहन में लदान की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे की चेतावनी देने के लिये एक परिचालक होगा।
- यान केवल दिन के समय मार्ग पर चलाया जाना चाहिये सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व नहीं।
- वाहन विधिमान्य अनुज्ञापत्र, उपयुक्त प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र एवं क्रप्राण पत्र के अन्तर्गत होना चाहिए।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिरेपित स्थानीय सड़क निर्वन्धनों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- यान का ट्रेलर की बौंडी के बाहर समस्त निकले हुये हिस्से में रात्रि के समय लाल बत्तियों से प्रकाशित रहना चाहिये तथा एक 38 सेमी. व्यास की अतिरिक्त गोलाकार तथा लाल प्रकाश परावर्ती रंग से रंगी होगी।
- यह अनुज्ञा केवल फेरे/फेरों के लिये प्रदान की जाती है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

प्ररूप सी.जी.एम.बी.आर. 75 (कम्प.ए.)

[नियम 220(1) देखिए]

प्रतिकर के लिये आवेदन पत्र

प्रति,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

प्रतिकर के लिये आवेदन पत्र

प्रथम अनुसूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

मैं उत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा, श्री मोटरयान दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने तथा क्षति के संबंध में प्रतिकर विशिष्टियाँ नीचे दी गयी हैं—

- मैं उत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा, श्री एतद्वारा श्री/कुमारी/श्रीमती/..... जो मोटरयान दुर्घटना में मर गए/क्षतिग्रस्त हुए थे, के विधिक प्रतिनिधि/अधिकारी के रूप में प्रतिकर प्रदान करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ, क्षति यान आदि के संबंध में आवश्यक मृतक/क्षतिग्रस्त का नाम और पिता का नाम (विधवा और विवाहित महिला की दशा में पति का नाम).....
- क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का पूरा पता
 - क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति की आयु
 - क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का व्यवसाय
 - मृतक के नियोजक का नाम और पता, यदि कोई हो तो
 - क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति की मासिक आय
 - क्या वह व्यक्ति, जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है, दुर्घटना के अन्तर्ग्रस्त यान द्वारा यात्रा कर रहा था ? यदि हाँ तो यात्रा प्रारंभ करने वाले स्थान और गतव्य का नाम दें
 - हुई क्षतियों का स्वरूप और क्षतियों का निलत्र प्रभाव, यदि कोई हो
 - विकित्सा अधिकारी/व्यवसायी का नाम और पता, यदि कोई हो, जिसने क्षतिग्रस्त/मृतक की देखभाल की हो
 - उपचार की कालावधि और उस पर उपगत व्यय, यदि कोई हो (दस्तावेजों और साथ द्वारा समर्थन किया जावे)
 - क्षति का स्वरूप तथा क्या उसके द्वारा स्थायी असमर्थता कारित हुई है
 - दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का प्रकार और रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
 - यान के स्वामी का नाम और पता
 - यान के बीमाकर्ता का नाम, पालिसी क्रमांक, बीमा की विशिष्टियाँ और पता
 - क्या कोई दावा स्वामी/बीमाकर्ता के विरुद्ध किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या परिणाम हुये ?
 - आवेदक का नाम और पता
 - मृतक से नवेदारी
 - दावा की गयी सम्पत्ति का हक

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रथम अनुसूची

21. दावा की गयी प्रतिकर की रकम
 22. कोई अन्य जानकारी जो दावे के निपटारे के लिये आवश्यक या सहायक हो सके
 में केवल धारा 140 के अधीन प्रतिकर का दावा करना चाहता है।
 या
 में धारा 140 के अधीन तथा त्रुटि के सिद्धान्त के अधार पर अधिकार के अनुसरण में भी प्रतिकर का दावा
 करना चाहता है।
 में
 सत्यनिष्ठा से घोषणा करता है कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ मेरे
 सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य व सही हैं तथा यह कि उसी त्रुटिना के संबंध में किसी अन्य मंच (फोर) के समक्ष
 कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है या लंबित नहीं है।
 आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 76 (कप्प.बी.)

[नियम 220(तीन)(इ) देखिए]

- मूल
 ए क्रमांक
 क्रमांक
 अस्पताल
 तारीख
 मैं, प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आज तारीख को श्री
 का परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वह तारीख को त्रुटिनावश, क्षतिग्रस्त हुए थे और
 तारीख को इस अस्पताल में भर्ती किये गये थे तथा तारीख को मुक्त
 (डिस्चार्ज) किये गये और बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष में तारीख से
 तक उनका उपचार हुआ था। मेरी राय में क्षति या क्षतियाँ, जो त्रुटिना होने के कारण लाई हैं, मैं अन्तर्विष्ट
 हूँ।
 (क) किसी भी आंख की दृष्टि व किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेदया किसी भी अंग या
 जोड़ का स्थायी रूप से विच्छेद होना;
 (ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का स्थायी रूप से नष्ट या हास होना; या सिर या चेहरे (मुख) का
 स्थायी रूप से विद्युपित होना।

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

- अपने नाम का लिखा गया है।
 अपने नाम का लिखा गया है।
 अपने नाम का लिखा गया है।
 अपने नाम का लिखा गया है।

प्रथम अनुसूची

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

परिवहन विभाग
छत्तीसगढ़

नियुक्ति प्रमाण-पत्र

प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 77 (सी.ए.पी.पी.)

[नियम 249(1) देखिए]

नियुक्ति प्रमाण-पत्र


छत्तीसगढ़ शासन,

परिवहन विभाग

कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायगुर


सी.ए.पी.पी. क्रमांक.....

धारक का नाम (पूर्ण) पिता का नाम
 को के रूप में तारीख को परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ में
 वर्तमान पदनाम/त्रैणी में नियुक्त किया जाता है।
 तारीख.....



परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

मुद्रा
 धारक के हस्ताक्षर
 तारीख



इस दस्तावेज का अवलोकन किया गया है।
 इस दस्तावेज का अवलोकन किया गया है।

सर्वोच्च नीति वाप विभाग, १९५८

विभाग अनुशूली

हिन्दीय अनुशूली

आपका सभा परिचालक का विवर


- सभाका का विवर
विषय ६(२) देखिए।



विलोक्य का वृक्ष ६ सेरीजील होगा।
अब वहे आपका के होगे।

*असमिति वही प्रदेश का वाप वर्णित करें।

- परिचालक विलोक
विषय ३८(१) देखिए।



विलोक्य चतुर्थ आकार का होगा।

वाप ६२४ सेरीजील की होगी।

*असमिति वही प्रदेश का वाप वर्णित करें।

दो - ताता



ताता चोद कोण का सेवा दाते का वृक्ष

२.३४ सेरीजील का होगा।

द्वितीय एवं चतुर्थ अनुशूली

सर्वोच्च नीति वाप विभाग, १९५८

वीर वापे एवं रामावे जारे वाले विलोक्य

उ.ग.परि.

वापे के विलोक्य का वाप
वापाई १.१ सेरीजील
वापाई १.३ सेरीजील

तृतीय अनुशूली

[विषय ४५(६)(१) देखिए]


असमिति परिस्थीकरण विवाह समाज वर्णित करता

अनुक्रमांक	परिस्थीकरण प्रापिकारी	असमिति (परिस्थीकरण विवाह)
(१)	(२)	(३)
१.	परिस्थीकरण प्रापिकारी पापापु	एम.पी.आर./टी. एम.पी.टी./टी.
२.	परिस्थीकरण प्रापिकारी तुर्ग	सी.आई.आर./टी.
३.	परिस्थीकरण प्रापिकारी विलापु	एम.पी.पार./टी.
४.	परिस्थीकरण प्रापिकारी अविकापु	मी.पी.पार./टी.
५.	परिस्थीकरण प्रापिकारी वस्तर	एम.पी.वाई./टी.

चतुर्थ अनुशूली

[विषय १८४(१) देखिए]

अनुयान या वंकि के अंतिम अनुदान के पृष्ठ वाप पर
प्रदर्शित किये जाने वाला विवेदक विवाह



आकार की लम्बाई और ऊँचाई अपर कर्त्तव्य से कम नहीं होनी।
दृष्ट दृष्टि घोट दृष्टि
अक्ष इकाय अक्षवर्ती
(दोनोंदोनोंका) लाल दृष्टि

पंचम अनुसूची
 [नियम 248(1)(घ) देखिए]
 केप बिल्से तारा तथा कन्धे के बिल्से का डिजाइन



केप के बिल्से का आकार -3.9 सेमीटर ऊँचाई 2.5 सेमीटर चौड़ाई



छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001

क्रमांक 526/परिवहन विभाग/2001। — केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 के उपनियम (7) के अनुसरण में राज्य सरकार, एवं द्वारा, निम्नलिखित स्थीम बनाती है, अर्थात् —

स्थीम

1. संक्षिप्त नाम — इस स्थीम का संक्षिप्त नाम “छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001” है।

2. परिमाणाएँ — इस स्थीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रैत है मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59),
- (ख) “प्राधिकार-पत्र” से अभिप्रैत है ऐसा प्रमाण-पत्र जो मोटरयानों के प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र को जारी किया गया है,
- (ग) “प्रमाण-पत्र” से अभिप्रैत है ऐसा नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र, जो नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत जांच के द्वारा मोटरयान के स्वामी को जारी किया गया है,
- (घ) “प्रलृप” से अभिप्रैत है इस योजना से संलग्न “प्रलृप”,
- (इ) “प्रदूषण जांच केन्द्र” से अभिप्रैत है, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत केन्द्र,
- (च) “नियम” से अभिप्रैत है केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989,
- (छ) वे शब्द एवं वचन जो इस योजना से परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका अर्थ वही होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) में परिभाषित हैं।

3. प्राधिकार-पत्र अभिप्राप करने के लिए निम्नलिखित अवश्यक होंगी —

- (क) आवेदक ने आवेदन की तारीख को हाईस्कूल या हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और वह आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का न हो।
- (ख) प्रदूषण जांच केन्द्र संचालन हेतु आवेदक या उसके कर्मचारी, के पास आई.टी.आई. का मेकेनिक (डीजल), मेकेनिक (मोटरयान) का प्रमाण-पत्र या समतुल्य प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- (ग) आवेदक को केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार उत्तराधिकार से उत्तराधिकार होने वाले धूएं और गैस की जांच के लिए स्पोक पीटर (प्रिन्टर सहित), ऐस स्लालाईवर (प्रिंटर सहित), और यानों की स्कैनिंग के लिए अवश्यक उपस्कर रखना होगा।
- (घ) ऐसे आवेदक को, जो मोटर वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र चलाते हैं या जिनके पास प्रदूषण नियमों के उपस्कर सुसज्जित मोटरयान हैं, अधिमन दिया जाएगा।
- (इ) यदि मोटर वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र या प्रदूषण जांच उपस्कर से सुसज्जित मोटरयान में काम करने वाले आवेदक के किसी कर्मचारी के पास आटोमोबाइस/मेकेनिकल इन्जीनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो प्राधिकार-पत्र अभिप्राप करने में प्राप्तिका दी जाएगी।

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक तथा शासन की ऋण योजनाओं में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु ऋण प्राप्त आवेदक अथवा इकाई को भी उचित प्रतिविधित दिया जाएगा।

4. प्राधिकार आदि जारी करने की प्रक्रिया — (1) संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं परिवहन अधिकारी की एक समिति जिले में पंजीकृत मोटरयानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार कर उसे जिले में प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या का प्रस्ताव जिले के प्रभारी मंत्री को कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करेगे। प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित संख्या उस जिले के प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या होगी।

(2) इस प्रकार अनुमोदित की गई अधिकतम संख्या के अध्यधीन रहते हुए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी के पारमार्श से ऐसे स्थान जहाँ संबंधित जिले में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित किए जाएंगे निश्चित करें। कलेक्टर प्रदूषण जांच केन्द्र को नीर्णयित करते समय यातायात के घनत्व तथा अन्य मुसागत तथ्यों को ध्यान में रखें।

(3) इस स्कीम के अधीन प्रदूषण जांच केन्द्रों को स्थापित करने के लिए जिले के संबंधित परिवहन अधिकारी द्वारा स्थानीय या क्षेत्रीय समाचार-पत्र में सामान्य विज्ञापन प्रकाशित कराकर उपनियम (6) में विहित आवेदन-पत्र फीस सहित प्राप्त-1 में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।

(4) इस प्रकार के प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपनियम (1) में उल्लेखित समिति द्वारा किया जावेगा। कलेक्टर सुनवाई का अवसर देगा तथा आवेदकों का चयन करेगा।

(5) संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी द्वारा; चयनित आवेदकों को उपनियम (6) में निर्धारित फीस का भुगतान वसूल करने के पश्चात् प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए कोड क्रमांक आवंटित कर प्राधिकार-पत्र प्राप्त-2 में, जारी किया जाएगा जिसके साथ प्रदूषण जांच-केन्द्र स्वामी द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तों तथा संधारित किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रलघ, संलग्न होगा।

(6) निम्नलिखित फीस प्रभारित की जाएगी —

(क) प्रदूषण जांच केन्द्र का आवेदन-पत्र रुपय 300.00

(ख) प्राधिकार-पत्र प्रदान करने के लिए

1. आरक्षित प्रवर्ग के लिए रुपय 3000.00

2. अन्य वर्ग के लिए रुपय 5000.00

5. प्राधिकार-पत्र की कालावधि, नवीनीकरण आदि — (1) प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए जारी किया गया प्राधिकार-पत्र तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और कलेक्टर द्वारा समय-समय पर अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(2) नवीनीकरण के लिए आवेदन संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी को प्राधिकार-पत्र के समाप्त होने की तारीख से 30 दिन पूर्व उपनियम (6) के अधीन विहित फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। विलंब होने के कारण उपनियम (6) में यथाविहित फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) परिवहन अधिकारी-पत्र के नवीनीकरण का आवेदन-पत्र कलेक्टर को नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर प्रदूषण जांच केन्द्र के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विलंबित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए प्राधिकार-पत्र का नवीनीकरण कर सकेगा अथवा जारी करने से इंकार कर सकेगा।

संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी प्राप्त-3 में नवीनीकरण-पत्र जारी करेगे।

(4) आवेदक अथवा प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, कलेक्टर द्वारा पारित किए गए प्राधिकार-पत्र जारी करने से इंकार/नवीनीकरण करने से इंकार के आदेश के विरुद्ध परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के

समक्ष निर्धारित फीस के साथ आदेश के 30 दिन में अपील फाइल कर सकेगा। ऐसी अपील में शामिल आदेश सकेगा और इस प्रकार सोंपने की तारीख से प्राधिकार इविया गया माना जाएगा।

(5) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, प्राधिकार-पत्र को किसी भी समय कलेक्टर को दोष

(6) निम्नलिखित फीस प्रभारित की जाएगी —

(क) प्राधिकार-पत्र के नवीनीकरण का आवेदन-पत्र हेतु

(ख) नवीनीकरण आवेदन के विलम्ब पर रु. 300.00

(ग) नवीनीकृत प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु रु. 100.00 प्रतिमाह अविसिक्त

(घ) अपील का आवेदन-पत्र हेतु रु. 3000.00

(ज) प्रदूषण जांच-केन्द्र स्थामी प्राधिकार-पत्र एवं नवीनीकरण पत्र के यांत्रों के जांच स्थल पर प्रतिरक्षित करेगा।

6. प्राधिकार-पत्र का निलंबन/द्रकरण — (1) यदि कलेक्टर का वह समाधान हो जाता है कि इस योजना के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्योग तथा प्राधिकार-पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो वह ऐसी जांच, जैसी कि उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार-पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा प्राधिकार-पत्र को निलंबित/द्रकरण कर सकेगा।

(2) यदि संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्योग तथा प्राधिकार-पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी जांच, जैसी कि उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार-पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा प्राधिकार-पत्र को निलंबित कर सकेगा।

(3) संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी द्वारा पारित किए गए निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील, कलेक्टर को की जा सकेगी और कलेक्टर द्वारा पारित किए गए निलंबन या द्रकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, परिवहन आयुक्त को की जाएगी और अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।

(4) इस नियम में अपील आदेश के 30 दिन के अंदर की जा सकेगी एवं इसकी फीस रु. 100 होगी।

7. नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र — (1) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, नियम 115 के उपनियम (7) के प्रयोजन के लिए प्राप्त-4 में यान के स्वामी को नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो होगा।

(2) ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, यान के स्वामी से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा —

यान का प्रकार	फीस रुपय
(क) दो परिवाह्य यान हेतु	रु. 20.00
(ख) तीन परिवाह्य यान हेतु	रु. 30.00
(ग) चार परिवाह्य हल्के मोटरयान हेतु	रु. 40.00
(घ) मध्यम मोटरयान हेतु	रु. 50.00
(ज) भारी मोटरयान हेतु	रु. 100.00

(3) राज्य सरकार से संबंधित वाहनों से उपनियम (2) में विविदिष्ट फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

8. प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण — (1) परिवहन विभाग का कोई राजपत्रित अधिकारी, अपील-अपीली अधिकारिता जिले का कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई राजपत्रित अधिकारी, अपील-अपीली अधिकारिता

के भीतर प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण कर सकता और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट नियम कठोरतर तथा परिवहन आयुक्त को देकेगा।

(2) निरीक्षण करने के लिए अधिकृत अधिकारी, नियम के द्वारा यह निरीक्षण करेगा कि शोटर्यान अधिकृतम्, 1988 एवं उसके आधीन बनाए गए विधीयों और प्राधिकार-पत्र की शर्तों का पालन, प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा किया जा रहा है या नहीं।

9. रजिस्टर का संचारण — (1) प्राथेक शोशीय परिवहन अधिकारी/अधिकारी को शोशीय परिवहन अधिकारी/नियम परिवहन अधिकारी, अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत किए गए प्रदूषण जांच केन्द्रों के बारी, प्रल-5 में रजिस्टर में संबंधित जोड़ा और इसके आधार पर एक विवरणीय परिवहन आयुक्त को भेजेगा।

(2) उपरियम् (1) में उल्लिखित परिवहन अधिकारी विशीय वर्ष के अंत में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेजेगा।

10. निर्विकित प्रदूषण स्टीकर — (1) प्रदूषण जांच केन्द्र ऐसे स्वामियों को, जिनके प्रल-4 में प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, उन्हें प्रल-6 में निर्विकित प्रदूषण स्टीकर जारी किया जाएगा। स्टीकर गहरे हरे प्रस्तुति पृष्ठभूमि का 10 सेंटीमीटर परिमित की होगा और यान के अधारां पर प्रदर्शित किया जाएगा। स्टीकर प्रतिक्रिया अधिकृत के लिए द्वारा जाएगा। प्राथेक स्टीकर अनुकूलान्वित किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र प्रल-6 में जारी किए जाने वाले स्टीकर पर दिनांक तथा मास छिद्रित करेगा।

11. निर्देशों का अनुपालन — राज्य सरकार तथा परिवहन आयुक्त द्वारा स्कीम के सुचारा प्रवर्तन की दृष्टि से कठोरकर, परिवहन अधिकारियों तथा प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे। ऐसे निर्देशों का अनुपालन संबंधित अधिकारी/व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

12. विराम — शोटर्यान के प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र को अधिकृत करने की योजना, 1993 जून छठीसगढ़ राज्य में विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000 द्वारा अनुकूलित की गई है, एतद्वारा विराम ती जाती है।

प्रल-1

[नियम 4(2) देखिए]

प्रदूषण जांच केन्द्रों के लिए आवेदन-पत्र

- (1) आवेदक का नाम आयु
- (2) पिता/पति का नाम
- (3) डाक का पूर्ण पता
- (4) आवेदक की शैक्षणिक योग्यता
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- (5) यदि आवेदक आरक्षित वर्ष का हो तो आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित उल्लेख करें
- (6) आवेदक द्वारा दिया गया शासकीय योजना के अन्तर्गत प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु इच्छा पत्र द्वारा हो तो उसका उल्लेख कर आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें।

- (7) क्या आवेदक या उसके कर्मचारी के जात सेकेन्सिक (डीजल) या बेकेनिक (मोटरवान) का आई.टी.आई. या उसके सम्बुद्ध योग्यता का प्रमाण-पत्र है? योग्यता का उल्लेख एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

- (8) क्या आवेदक के गांव योरुपान नियमानुसार/प्रोटो नेट के द्वारा संचालित करते हैं या नहीं अनुभव है?
- (9) यदि विलक्षण में कोई के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 1. भीतर विलक्षण दाता
 2. ऐसेत विलक्षण दाता
- (10) आवेदक के अधिकारी का पार्ट नियम (✓ लिख कर)
 1. फैब्रिक
 2. फौरेमें/इंजीनियर
 3. बेकेनिक
 4. हेल्पर
 5. अन्य प्रासासिक स्टाफ (शैक्षणिक योग्यता सहित)
- (11) क्या ऐस एगालाइजर तथा स्पोर्ट मीटर वहाँ वाला स्टाफ प्रतिविवित है?
- (12) वाहन जांच प्रोटोर को अनुप्राप्ति करने वाले व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर के नमूने सहित.....
- (13) आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित देश भौतिक की सीधी नं.
दिनांक संलग्न है।
मै एतद्वारा घोषित करता हूँ की उपरोक्त दिए गए काम मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

स्थान
दिनांक
..... आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

प्रल-2

[नियम 4(5) देखिए]

प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए प्राधिकार पत्र

प्राधिकार-पत्र क्रमांक
जारी करने का दिनांक
श्री/मेरसर्व
दिनांक के अनुसार में मोटरवान प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने के लिए नियम स्थान पर जिसे में प्राधिकृत किया जाता है। धारक को (क) दीजल चलित यान एवं (ख) डीजल चलित यान की जांच के लिए प्राधिकृत किया जाता है। प्राधिकार-पत्र जारी करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।
प्रदूषण जांच केन्द्र का स्थान

.....
..... परिवहन अधिकारी
नियमा

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994

प्रृष्ठ

प्रृष्ठ-3

[नियम 5 (3) देखिए]

प्रदूषण जाँच केन्द्र के लिए प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण
नवीनीकरण-पत्र जारी करने का दिनांक
कलेक्टर के लिए प्राधिकार-पत्र/नवीनीकरण-पत्र क्रमांक
इस कार्यालय से जारी प्राधिकार-पत्र/नवीनीकरण-पत्र क्रमांक
आदेशानुसार नवीनीकरण दिनांक से एक वर्ष/और एक वर्ष के लिए, एतद्वारा, नवीनीकृत किया जाता है।
आदेशानुसार नवीनीकरण दिनांक से एक वर्ष/और एक वर्ष के लिए, एतद्वारा, नवीनीकृत किया जाता है।
परिवहन अधिकारी
जिला

प्राधिकार-पत्र जारी करने का दिनांक-
अंतिम नवीनीकरण का दिनांक-

.....परिवहन अधिकारी
जिला

प्रृष्ठ-4

[नियम 7 (1) देखिए]

नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र

(परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत-सम्पूर्ण भारत में विधिमान्य)
प्रमाण-पत्र क्रमांक
जारी दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि यान का सी.ओ. उत्सर्जन स्तर/धुएं का घनत्व केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 (2) में निर्धारित मानक के अनुसार है।

यान का प्रकार	आइडलिंग	मापित स्तर	प्रदूषण जाँच केन्द्र का नाम
पेट्रोल चलित यानों के लिए	सी.ओ. उत्सर्जन की नियंत्रित सीमा (लिमिट)	प्रदूषण जाँच केन्द्र का कोड नं.	प्रदूषण जाँच केन्द्र का नाम
2 व 3 पहिया यानों के लिए	45% आयतन द्वारा	जिला	जाँच शुल्क रु.
4 पहिया यानों के लिए	3% आयतन द्वारा	जाँच का दिनांक	जाँच का दिनांक
यान का प्रकार	धुएं के घनत्व की नियंत्रित सीमा	मापित स्तर	प्रदूषण जाँच केन्द्र का नाम
डीजल चलित यानों के लिए	(क) कुपि टैक्टर के 75 हार्टिंज इकाई भिन्न वाहनों के लिए	प्रदूषण जाँच केन्द्र का कोड नं.	प्रदूषण जाँच केन्द्र का नाम
1. निर्माता द्वारा घोषित अधिकतम इंजन दर आर.पी.एम. के पूर्ण भार का 60 से 70 प्रतिशत	1. निर्माता द्वारा घोषित अधिकतम इंजन दर आर.पी.एम. के पूर्ण भार का 60 से 70 प्रतिशत	जिला	जाँच शुल्क रु.
		जाँच का दिनांक	जाँच का दिनांक
		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम तथा मोहर	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम तथा मोहर

प्रृष्ठ

छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जाँच केन्द्र योजना, 2001

2. प्राकृतिक रूप में 65 हार्टिंज इकाई

स्वासित इंजन के लिए

स्वतंत्र एमीलेशन

(ख) कुपि टैक्टर के 75 हार्टिंज इकाई

लिए पी.टी.ओ. संवादन

जाँच में अधिकतम

विकसित शक्ति का 80%

प्रृष्ठ-5

[नियम 9 (1) देखिए]

प्रदूषण जाँच के बारे में प्राधिकृत एजेन्सी के व्योरा दर्शाने वाला रजिस्टर
परिवहन अधिकारी कार्यालय.....
जिला.....

अ.क्र.	प्राधिकृत एजेन्सी का नाम तथा पता	प्राधिकृत एजेन्सी के स्वामी का नाम तथा पता	जारी प्राधिकार पत्र का नाम तथा पता	प्राधिकार पत्र की विधिमान्यता की कालावधि	पेट्रोल/डीजल चलित यान विसेकेलिए प्राधिकृत है	प्राधिकार पत्र के निलंबन/दक्षण/नवीनीकरण के व्योरे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रृष्ठ-6

[नियम 10 देखिए]

नियंत्रित प्रदूषण स्टीकर



Notification

Notification No. F5-2/VIII/Tr./2011 dated the 8th August, 2011 - In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 70-A, of the **Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994**, the State Government with a view of remove hardship and difficulties to the existing route operators hereby grant following relaxation in respect of area and type of vehicle mentioned below from the provisions of rule 70-A, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :-

- Considering the special geographic conditions and acute naxalite problem in Bastar division comprising of districts Jagdalpur, Kanker, Narayanpur, Dantewada, Bijapur, and Sarguja division comprising of districts Ambikapur, Jashpur, Koria the provision of sub-rule (1), (2) and (3) of rule 70-A, shall be kept in abeyance in respect of medium routes and short routes, for a period of twelve months from the date of coming into the force of the said rule. This relaxation shall be applicable only to the Regional Routes of the said regions.
- Considering the hardship to the medium route operators in respect of seating capacity it is reduced, in the whole State of Chhattisgarh, from thirty five seats to thirty seats for a period of twelve months from the date of coming into the force of the said rule.
- Considering the financial difficulties of route operators on sudden discontinuation of service, difficulties in re-payment of loans and the age of vehicle due to implementation of said rule. Conditions regarding grant and renewal of permit mentioned in sub-rule (2) of the said rule is temporarily relaxed in the whole State of Chhattisgarh for one year, i.e. in respect of long route the age of vehicle shall be nine years instead of eight years in respect of medium route the age of vehicle shall be eleven years instead of ten years and in respect of short route the age of vehicle shall be thirteen years instead of twelve years. This order shall be valid for one year from the date of coming into the force of the said rule.
- Considering the difficulty of bus operators in obtaining further temporary permits due to various conditions of this rule, it is ordered that the provision in respect of age of vehicle and seating capacity in the said rule shall be kept in abeyance in the whole State of Chhattisgarh for a period of six months, subject to the condition that the said operators of temporary permits shall necessarily obtain substantive permit during this period.
- It is further, clarified that at the time of replacement of vehicle on obtaining substantive permit, the seating capacity of the new vehicle shall not be less than the seating capacity of replaced vehicle plying on long route medium route or short route.

[Published C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 8-8-2011 Pages 488-488(1)]

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994

अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांक एक 5-2/आठ/परि./2011 दिनांक 8 अगस्त, 2011 -
छत्तीसगढ़ मोटरवाहन नियम 1994 के नियम 70-क, के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को
प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार नियम 70-क के प्रवधानों से, विद्यमान मार्ग संचालकों के काट पर
कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से नीचे उल्लेखित क्षेत्रों एवं वाहनों के प्रकारों के संबंध में,
एतद्वारा निम्नलिखित छूट प्रदान करती है, जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
प्रभावशाल होगी, अर्थात् :-

- बस्तर संभाग जिसमें जगदलपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिसे शामिल हैं, एवं सरायुजा संभाग जिसमें अंबिकापुर, जशपुर एवं कोरिया जिसे शामिल हैं, जो विशेष भौगोलिक स्थितियों एवं संघरण नक्सल समस्या पर विचार करते हुए मध्यम मार्ग एवं लघु मार्ग के संबंध में नियम 70-क, के उप-नियम (1), (2) एवं (3) के प्रवधान उक्त नियम के लागू होने की तारीख से बारह माह के लिए स्थगित होंगे। यह छूट केवल उक्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय मार्गों पर ही लागू होगी।
- संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में मध्यम मार्ग पर संचालकों की कठिनाईयों, जो बैठक क्षमता के संबंध में उत्पन्न हुई है, पर विचार करते हुए, उक्त नियम के लागू होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए, बैठक क्षमता पैरीस सीट से कम कर तीस सीट की जाती है।
- उक्त नियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप, अचानक सेवा अवरुद्ध होने के कारण मार्ग संचालकों की कठिनाईयों यथा-ऋण की वापरी में कठिनाई, वित्तीय कठिनाई एवं वाहन की आयु पर विचार करते हुए, उक्त नियम के उप-नियम (2) में उल्लेखित अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने संबंधी एवं नवीनीकरण संबंधी शर्तों, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में अस्थाई स्थल से एक वर्ष के लिए सिविल की जाती है, अर्थात् दीर्घ मार्ग के संबंध में वाहन की आयु आठ वर्ष के स्थान पर नौ वर्ष होगी, मध्यम मार्ग के संबंध में वाहन की आयु दस वर्ष के स्थान पर आठवाहन वर्ष होगी तथा लघु मार्ग के संबंध में वाहन की आयु बारह के स्थान पर दोहरा वर्ष होगी। यह आदेश उक्त नियम के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा।
- उक्त नियम की विभिन्न शर्तों के फलस्वरूप संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में बस संचालकों को आगामी अस्थाई अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने में आगे वाली कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आदेशित किया जाता है कि उक्त नियम में वाहन की आयु और बैठक क्षमता से कम नहीं होगी, जो दीर्घ मार्ग, मध्यम मार्ग एवं लघु मार्ग पर संचालित हो रहा है।
- यह और स्पष्ट किया जाता है कि स्थायी अनुज्ञा-पत्र प्राप्ति पर वाहन के प्रतिस्थापन के समय, नये वाहन की बैठक क्षमता, प्रतिस्थापित हो रहे वाहन की बैठक क्षमता से कम नहीं होगी, जो दीर्घ मार्ग, मध्यम मार्ग एवं लघु मार्ग पर संचालित हो रहा है।

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8-8-2011 नं. 487-488 पर प्रकाशित ।]

Most Authentic, Reasonably Priced & Updated Bare Acts with Important Rules

DIGLOT EDITIONS			DIGLOT EDITIONS		
A-1	आगुध अधिनियम	45	R-3	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013	प्रेस में
A-2	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996	100	S-1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याधार निवारण) अधिनियम	90
C-1	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम	160	S-2	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम	30
C-2	भारतीय संविदा अधिनियम	60	T-1	संपत्ति अंतरण अधिनियम	60
C-3	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम	प्रेस में	U-1	विधि विरुद्ध क्रिया - कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967	80
C-4	दण्ड प्रक्रिया संहिता (2010 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित)	प्रेस में	W-1	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम	60
C-5	बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	80	W-2	वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972	250
C-7	केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989	प्रेस में	W-3	वकफ अधिनियम, 1995	160
C-8	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (पेपरबैक)	495			
C-8	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (हार्डबॉड्ड)	595			
D-1	दहेज प्रतियोगी अधिनियम, 1961	40			
E-1	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	80			
E-2	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम	15			
E-4	विद्युत अधिनियम, 2003	180			
F-1	खाद्य अपयोगशक्ति निवारण अधिनियम	40			
F-2	कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम	90			
H-1	हिन्दू विधि	150			
I-1	भारतीय दण्ड संहिता	180			
I-2	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	80			
I-3	अनेत्रिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	50			
I-4	भारतीय वन अधिनियम, 1927	100			
I-5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	250			
J-1	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	110			
L-1	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम	40			
L-1A	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (विभिन्न नियमों सहित)	120			
L-2	परिसीमा अधिनियम	40			
M-1	मोटरयान अधिनियम, 1988	प्रेस में			
M-2	मुस्लिम विधि				
MP-2	म.प्र. पुर्नगढ़ अधिनियम				
MP-3	म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम				
MP/CG1	म.प्र./छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम				
MP/CG4	म.प्र./छ.ग. स्थान नियंत्रण अधिनियम				
MP/CG5	म.प्र./छ.ग. लोक न्याय अधिनियम				
N-1	स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम	60			
N-2	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सह म.प्र./छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम	95			
N-3	परकार्म्य लिखत अधिनियम	15			
P-1	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	30			
P-2	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम	40			
P-3	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	30			
P-4	बाल-विवाह प्रतियोगी अधिनियम, 2006	110			
P-5	प्राइवेट सुरक्षा अधिनियम	70			
P-6	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	80			
P-7	पशु कुरता निवारण अधिनियम, 1960	80			
P-8	निःशक्त व्यवित (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्णी भागीदारी) अधिनियम, 1995	150			
P-9	वैनामी संपत्ति संवर्यवहार प्रतियोगी अधिनियम, 1988	80			
R-1	सूचना का अधिकार अधिनियम	65			
R-2	निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों को अधिकार अधिनियम, 2009	100			
HINDI EDITIONS			CHHATTISGARH EDITIONS		
			CG-1	छत्तीसगढ़ टोनही प्रताङ्गना निवारण अधिनियम (Diglot)	35
			CG-2	औद्योगिक पालिसी 2005-2009	50
			CG-3	छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं नियम (Diglot)	100
			CG-4	छत्तीसगढ़ आवकारी अधिनियम (Diglot)	80
			CG-5	छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम (Diglot)	प्रेस में
			CG-6	छत्तीसगढ़ विकित्सा मण्डल अधिनियम (Diglot)	30
			CG-7	न्यायालय फीस अधिनियम (Diglot)	100
			CG-8	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (Diglot)	100
			CG-9	आदतीय स्टाम्प अधिनियम (Diglot)	300
			CG-10	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (Diglot)	250
			CG-11	छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 (Diglot)	280
			CG-12	छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम एवं नियम, 1991 (Diglot)	प्रेस में
			CG-13	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (Diglot)	40
			CG-14	छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 (Diglot)	120
			CG-15	छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण करान्धन अधिनियम, 1991	20
			CG-16	छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम एवं नियम 1976	100
			CG-17	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम	40
			CG-18	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम	120
			CG-19	छत्तीसगढ़ भाडा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (Diglot)	140
			CG-20	छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताङ्गना (रेंटिंग) का प्रतियोगी अधिनियम, 2001 (Diglot)	80
			CG-21	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम (Diglot)	20
			CG-22	छत्तीसगढ़ राज्य उपवर्याग्रह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 (Diglot)	40
			CG-23	छत्तीसगढ़ वृषिक पशु परिक्षण अधिनियम, 2004 एवं नियम, 2014 (Diglot)	120
			CG-24	छत्तीसगढ़ वृषिक पशु परिक्षण अधिनियम, 2004 एवं नियम, 2014 (Diglot)	70
			CG-25	औद्योगिक नीति 2014-2019	70
			CG-26	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 (Diglot)	400
			CG-27	छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005	35
			CG-28	छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम	90

List updated Feb. 2017

P.S. - Prices are subject to change

